MAED-07

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

तुलनात्मक शिक्षा

(Comparative Education)

MAED-07

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

तुलनात्मक शिक्षा
Comparative Education

शिक्षा—विभाग

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
Vardhman Mahaveer Open University, Kota
रावतभाटा रोड़, कोटा
RAWATBHATA ROAD, KOTA

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

तुलनात्मक शिक्षा

क्र. सं.	इकाई का नाम	पृष्ठ संख्या
1.	तुलनात्मक शिक्षा : सम्प्रत्यय, आवश्यकता, क्षेत्र, विधि एवं उपागम (Comparative Education : Concept, Need, Scope, Methods and Approaches)	7
2.	तुलनात्मक शिक्षा का विकास (Development of Comparative Education)	24
3.	शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Affecting Education)	38
4.	अमेरिका में शिक्षा का विकास (Development of Education in America)	51
5.	अमेरिका में विद्यालयी शिक्षा (School Education in America)	70
6.	अमेरिका में विश्वविद्यालयी शिक्षा (University Education in America)	87
7.	ब्रिटेन में शिक्षा का विकास (Development of Education in Britain)	106
8.	ब्रिटेन में विद्यालयी शिक्षा (School Education in Britain)	129
9.	ब्रिटेन में विश्वविद्यालयी शिक्षा (University Education in Britain)	149
10.	रूस में शिक्षा का विकास (Development of Education in Russia)	164
11.	रूस में विद्यालयी शिक्षा (School Education in Russia)	194
12.	रूस में विश्वविद्यालयी शिक्षा (University Education in Russia)	224
13.	जापान में शिक्षा का विकास (Development of Education in Japan)	250
14.	जापान में विद्यालयी शिक्षा	270

(School Education in Japan)
15. जापान में विश्वविद्यालयी शिक्षा 294
(University Education in Japan)
16. श्रीलंका में शिक्षा का विकास 319
(Development of Education in Sri Lanka)
17. श्रीलंका में विद्यालयी शिक्षा 335
(School Education in Sri Lanka)
18. श्रीलंका में विश्वविद्यालयी शिक्षा 350
(University Education in Sri Lanka)
19. भारत में शिक्षा का विकास 364
(Development of Education in India)
20. भारत में विद्यालयी शिक्षा 395
(School Education in India)
21. भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षा 421
(University Education in India)
22. शैक्षिक समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन 443
(Comparative Studies of Educational Problems)

इकाई- 1

तुलनात्मक शिक्षा सम्प्रत्यय, आवश्यकता, क्षेत्र, विधि एवं उपागम

(Comparative Education : Concept, Need, Scope, Methods and Approaches)

1.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of Unit)विषय प्रवेश (Introduction)

1.2 तुलनात्मक शिक्षा का अर्थ (Meaning of Comparative Education)

1.3 तुलनात्मक शिक्षा की परिभाषाएँ (Definitions of Comparative Education)

1.4 तुलनात्मक शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of Comparative Education)

1.5 तुलनात्मक शिक्षा का महत्व (Importance of Comparative Education)

1.6 तुलनात्मक शिक्षा की अध्ययन विधियाँ (Methods of Comparative Education)

1.7 सारांश (Summary)

1.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (References)

1.0 उद्देश्य (Objectives of the Unit)

इस इकाई को पढ़कर आप -

1. तुलनात्मक शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा जान सकेंगे ।
2. तुलनात्मक शिक्षा के उद्देश्य जान सकेंगे ।
3. तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन का महत्व जान सकेंगे ।
4. तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन की विधियों को जान सकेंगे ।

1.1 विषय प्रवेश (Introduction)

किसी भी देश की स्थिति को उसके द्वारा अपनाई गई शिक्षा नीति और वहाँ प्रचलित शिक्षा प्रणाली से आँका जा सकता है । देश ने प्रत्येक स्तर पर कितना कुछ प्राप्त किया है, इसका अन्दाजा देश की शिक्षा प्रणाली का अन्य देशों में प्रचलित शिक्षा प्रणालियों से तुलना करने पर लग जाता है । आज के वैज्ञानिक युग में कोई भी देश प्राचीन युग की भाँति अपने आपको पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं मान सकता है । प्रत्येक देश को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना ही पड़ता है । शिक्षा के क्षेत्र में भी यही स्थिति है । यदि कोई देश किसी क्षेत्र विशेष में सफलता प्राप्त करता है तो दूसरा देश अपनी शिक्षा व्यवस्था का पुनरावलोकन प्रारम्भ कर देता है । उदाहरणार्थ सन् 1957 में जब सोवियत रूस ने अपना प्रथम स्पूतनिक छोड़ा तो सम्पूर्ण विश्व में तो तहलका मचा ही परन्तु अमरीका यह सोचने को बाध्य हो गया कि उनके देश की शिक्षा पद्धति में ऐसी कौनसी कमी है कि अमेरिका इस प्रकार की सफलता नहीं प्राप्त कर पाया । फलस्वरूप 1959 में उच्चतम स्तरीय 21 व्यक्तियों की

एक समिति का गठन किया गया, जिसमें स्कीनर जैसे मनोवैज्ञानिक एवं प्रो. जे.एस. ब्रूनर जैसे शिक्षाविदों को सम्मिलित किया गया था इस समिति का मूल मुद्दा यही रखा गया कि समूची शिक्षा व्यवस्था का पुनरावलोकन कर सुझाव प्रस्तुत करें । यही कारण है कि प्रगति करने के लिए प्रत्येक देश को अपनी शिक्षा प्रणाली का अन्य देशों में प्रचलित शिक्षा प्रणालियों के सन्दर्भ में अध्ययन करने हेतु बाध्य होना पड़ता है । इस प्रकार के अध्ययन के अन्तर्गत किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली की तुलना में दूसरे देश की शिक्षा प्रणाली में किस सीमा तक समानता है और किस सीमा तक विभिन्नता है इसकी जानकारी प्राप्त करना होता है ।

तुलनात्मक शिक्षा का प्रारंम्भ सन् 1817 से अन्तोइन जुलियन के विचारों से हुआ । तत्पश्चात् उन्नीसवीं शताब्दी में यह धारणा बलवती हो उठी कि किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं को अपने शिक्षा संगठन में अपनाकर अपने देश की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ कर सकते हैं। इस विचारधारा से विभिन्न देशों की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन प्रारम्भ हुआ ।

इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इंग्लैण्ड के सर माइकेल सैडलर (Sir Michael Sadler) ने 1907 में तुलनात्मक शिक्षा सम्बन्धी एक निबन्ध प्रकाशित कर यह बल दिया कि किसी भी देश की शिक्षा-प्रणाली उस देश के सामाजिक वातावरण (Social Environment) से सम्बन्धित होती है । सेडलर की इस बात की पुष्टि अमेरिका के आइजक कैण्डल (Issac Kandel) तथा रॉबर्ट उलिक (Robert Ulich) जर्मनी के फ्रेडरिक श्नाइडर (Friedrich Schneider) तथा इंग्लैण्ड के जोजेफ लारीज (Joseph Lauwerys) तथा निकोलस हेन्स (Nicholas Hans) इत्यादि विद्वानों ने की ।

तत्पश्चात् तुलनात्मक शिक्षा के विकास क्रम को बियरडे (Bereday George, Z.F.) ने आगे बढ़ाया और उन्होंने तुलनात्मक शिक्षा में विश्लेषणात्मक अध्ययन (Analytical Study) पर विशेष बल दिया । उन्होंने यह बताया कि किसी देश की शिक्षा-प्रणाली की विशेषताओं को स्वीकार करने के पहले दोनों देशों (जिसकी विशेषता अपनाई जा रही है और जिस देश के लिए अपनाई जा रही है) की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का विश्लेषणात्मक विवेचन करके उस प्रणाली की अनुकूलता एवं प्रतिकूलता के विषय में निष्कर्ष निकाला जाता है ।

विश्लेषणात्मक अध्ययन में रॉबर्ट उलिक फ्रेडरिक श्नाइडर तथा आइजक कैण्डल ने विशेष योगदान दिया है । इन विद्वानों की धारणा है कि विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन से उन देशों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक समस्याओं की अनुरूपता को समझते हुए मानव जाति की सामान्य आकांक्षाओं का ज्ञान प्राप्त कर इस विश्व की एकता की भावना और आवश्यकता का विकास किया जा सकता है ।

1.2 तुलनात्मक शिक्षा का अर्थ(Meaning of Comparative Education)

तुलनात्मक शिक्षा के अर्थ एवं महत्त्व के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है परन्तु फिर भी इस तथ्य से सभी सहमत हैं कि तुलनात्मक शिक्षा मुख्य रूप से मौलिक सिद्धान्तों से सम्बन्ध रखती है। इसमें दार्शनिक दृष्टिकोण का विकास होता है जिससे शिक्षा समस्याओं का

विश्लेषण ठीक-ठीक किया जा सकता है । तुलनात्मक शिक्षा का अध्ययन शिक्षा की समस्याओं को उपुयक्त पृष्ठभूमि में समझने में सहायक होता है । इस प्रकार तुलनात्मक शिक्षा एक वैज्ञानिक विधि पर आधारित एक सम्पूर्ण विषय है जो शिक्षा को दार्शनिक पृष्ठभूमि में देखने का प्रयत्न करता है और शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप की व्याख्या कर उन सिद्धान्तों और आदर्शों की ओर संकेत करता है । जिन पर किसी देश की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ है ।

आज अन्तरिक्ष युग में एक देश दूसरे देश पर निर्भर है । एक देश की गतिविधियों का प्रभाव दूसरे देश पर पड़ता है । वस्तुत: विश्व के विविध देश इतने निकट भूतकाल में कभी नहीं थे । संसार के किसी भी कोने में कोई युद्ध छिड़ा अथवा कोई अभूतपूर्व घटना हुई तो उसका प्रभाव दूसरे देशों पर पड़ता है । वस्तुत: विश्व के विविध देश इतने निकट भूतकाल में कभी नहीं थे । संसार के किसी भी कोने में कोई युद्ध छिड़ा अथवा कोई अभूतपूर्व घटना हुई तो उसका प्रभाव दूसरे देशों पर पड़ता है । अकाल, भूकम्प, बाढ़ तथा संक्रामक रोगों का प्रभाव एक देश से दूसरे देशों पर पड़ता है । इस प्रकार आज विश्व के सभी देश एक-दूसरे से गूंथे हुए हैं । शिक्षा के क्षेत्र में भी यही बात देखते हैं कि एक देश की शिक्षा प्रणाली अथवा शिक्षा संबंधी विचारों का दूसरे देश की शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है । विविध शिक्षा प्रणालियों के कुछ घटक ऐसे हैं जो हर देश में पाए जाते हैं और कुछ घटक ऐसे हैं जो एक-दूसरे से भिन्न दिखाई पड़ते हैं । तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन में शिक्षा के घटकों की सामान्यता और विभिन्नता की बात पाई जाती है ।

तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन में विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणालियों का क्रमबद्ध रूप में विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है क्योंकि हमें उन अन्य देशों की शैक्षिक समस्याओं (Educational Problems) का ज्ञान हो और इस ज्ञान के आधार पर हम अपनी शैक्षिक समस्याओं का समाधान खोज सकें । दूसरे देशों की शैक्षिक समस्याओं को समझने तथा अपनी शैक्षिक समस्याओं के समाधान खोजने के क्रम में हम सम्बन्धित देश की दार्शनिक पृष्ठभूमि (Philosophical Background) का भी अध्ययन करते हैं क्योंकि किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली उस देश की दार्शनिक विचारधारा से प्रभावित होती है ।

किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली पर उस देश की राजनैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है । अतएव तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन का उद्देश्य इन सभी परिस्थितियों का अध्ययन करना हो जाता है । वस्तुत: इन परिस्थितियों के समझने से ही हम शिक्षा की समस्याओं को समझकर उनके समाधान खोजने में ठीक दिशा में प्रयास कर सकते है ।

तुलनात्मक शिक्षा के अन्तर्गत उन विभिन्नताओं (Differencess) का भी अध्ययन किया जाता है जिनसे किसी देश की शिक्षा-प्रणाली दूसरे देश की शिक्षा प्रणाली से भिन्न प्रतीत होती है । इन विभिन्नताओं को समझने के क्रम में इन्हें उत्पन्न करने वाले कारणों का भी अध्ययन किया जाता है । जिनसे विविध शिक्षा प्रणालियों में भेद उत्पन्न होते हैं ।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन में हम राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि इसके समझने में हमें अपनी विविध व्यवस्थाओं का ज्ञान होता है । राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को ठीक-ठीक समझने के क्रम में हमें

अन्य देशों की शिक्षा प्रणालियों में पाई जाने वाली समानताओं और असमानताओं का भी अध्ययन करना होता है क्योंकि कोई भी देश अपने पड़ोसी देश तथा विश्व के अन्य देशों की गतिविधियों से प्रभावित होता रहता है । एक देश की शिक्षा प्रणाली पर दूसरे देश की शिक्षा प्रणाली का प्रभाव पड़ता ही है । इस प्रकार तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं ।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न

1. तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन के फलस्वरूप किस प्रकार का दृष्टिकोण विकसित होता है?
2. तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन मे मुख्य रूप से किस प्रकार की विषय-वस्तु का अध्ययन किया जाता है?
3. तुलनात्मक शिक्षा के अंतर्गत किसी देश की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन क्यों किया जाता है?
4. तुलनात्मक शिक्षा का क्या अभिप्राय है?

1.3 तुलनात्मक शिक्षा की परिभाषाएँ (Definitions of Comparative Education)

तुलनात्मक शिक्षा की विभिन्न परिभाषाएँ विद्वानों द्वारा निम्नानुसार प्रस्तुत की गई:-

हेन्स निकोलस- "तुलनात्मक शिक्षा का उद्देश्य तुलनात्मक नियम, तुलनात्मक साहित्य अथवा तुलनात्मक शरीर के समान ही, शिक्षा प्रणालियों के अन्तरों को खोजना है, उन अन्तःस्थित सिद्धान्तों को खोजना है जो समस्त राष्ट्रीय शिक्षा प्रणालियों के पीछे होते हैं ।"

सैडलर महोदय ने तुलनात्मक शिक्षा की परिभाषा इस प्रकार दी है- Comparative Education deals with the fundamental principles and fosters the acquisition of a philosophical attitude in analyzing and therefore stimulating a clearer understanding of the problems of the education".

अर्थात् "तुलनात्मक शिक्षा मुख्य रूप से मौलिक सिद्धान्तों का अध्ययन कर, विश्लेषण हेतु दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाकर शिक्षा की मुख्य समस्याओं की जानकारी कराती है ।"

कैण्डल ने अपनी पुस्तक "Comparative Education"(1933) में तुलनात्मक शिक्षा की परिभाषा इस प्रकार दी है-

"तुलनात्मक शिक्षा उन राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शक्तियों के प्रकाश में, जो कि शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणालियों के स्वरूप को निर्धारित करती हैं, सामान्य शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की व्याख्या करती है ।"

क्रेमर एवं ब्राउन- "तुलनात्मक शिक्षा में जब देश-देश की शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन किया जाए तब उन सामाजिक तथा राजनीतिक दर्शनों एवं शक्तियों का विशेष अध्ययन हो जो कि शिक्षा की प्रणालियों को प्रेरित एवं नियंत्रित करती है । "

बीयरडे- "तुलनात्मक शिक्षा, शिक्षा प्रणालियों की समानताओं एवं असमानताओं को समझने का प्रयास करती है । "

तुलनात्मक शिक्षा को किसी ने इस प्रकार भी परिभाषित किया है- "किसी एक राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का दूसरे राष्ट्र की सामाजिक एवं वैयक्तिक दृष्टि से वहाँ की व्यवस्था पर होने वाली प्रक्रिया एवं उसके परिणामों का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन करना तथा उसकी अच्छाइयों एवं न्यूनताओं का विश्लेषण स्थानीय परिस्थिति एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार अध्ययन करना ही तुलनात्मक शिक्षा है । "

सारांशत: यह कहा जा सकता है कि तुलनात्मक शिक्षा का विषय संस्कृति और इतिहास के प्रकाश में ही समझा जा सकता है । अत: जिस अध्ययन के द्वारा हम देश-विदेश की शिक्षा प्रणालियों के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विकास में समानताओं एवं विभिन्नताओं को समझते हैं । उसे हम तुलनात्मक शिक्षा कह सकते हैं । तुलनात्मक शिक्षा का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रणालियों के सन्दर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का इस प्रकार मूल्यांकन करना है कि राष्ट्रीय शिक्षा एवं सामाजिक राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक शक्तियों और घटकों का सम्बन्ध स्पष्ट हो जाए । जब हम अपने राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन अन्य देशों की शिक्षा प्रणालियों के सन्दर्भ में करते हैं तब हमारा उद्देश्य यह होता है कि हम अपनी राष्ट्रीय संस्कृति और परम्परा के अनुरूप अपने राष्ट्रीय चरित्र के विकास के लिए अपनी शिक्षा प्रणाली में किस सीमा तक ऐसी राष्ट्रीयता का समावेश कर रहे हैं? जो उदार हैं और जिसमें ऐसे मानवीय गुण हैं जो कि हमें विश्व की मानवतावादी शिक्षा का समर्थक बनाते हैं । संक्षेप में, आज की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली अन्तर्मुखी न होकर बहिर्मुखी होनी चाहिए । आज के विश्व की यह माँग है कि प्रत्येक राष्ट्र अपने को विश्व परिवार का एक सदस्य समझे । इस दृष्टि से तुलनात्मक शिक्षा का इसलिए अत्यधिक महत्त्व है कि वह शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय भावना विकसित करने में भी सहायक होती है ।

स्व-मूल्यांक प्रश्न (Self Evaluation Questions)

1. " कैन्डल" ने तुलनात्मक शिक्षा को किस प्रकार परिभाषित किया है?
2. "सैडलर" ने तुलनात्मक शिक्षा को किस प्रकार परिभाषित किया है?
3. सारांश रूप में तुलनात्मक शिक्षा किसे कहते है?

1.4 तुलनात्मक शिक्षा के उद्देश्य(Objectives of Comparative Education)

प्रत्येक कार्य को करने के पीछे कार्य करने वाले व्यक्ति का कुछ उद्देश्य अवश्य होता है । संस्कृत साहित्य के किसी साहित्य शास्त्री ने कहा भी है "अनुद्देश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते । " अर्थात् बिना उद्देश्य मन्द (मूर्ख) व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत नहीं होता है । अत: तुलनात्मक शिक्षा अध्ययन जैसे महान कार्य में प्रवृत होने के पीछे महान शिक्षाविदों, शिक्षा शास्त्रियों के कुछ महत्त्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं जो निम्नलिखित हैं:-

(1) **शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना-** सम्पूर्ण राष्ट्र के विभिन्न देशों की शिक्षा-प्रणालियों का अध्ययन कर यह पता लगाना कि किस-किस देश की शिक्षा प्रणाली में ऐसे कौन-कौनसे तत्त्व निहित हैं जो सम्बन्धित देश की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं और उनकी वजह से वह देश उन्नति के पथ पर निरन्तर चल रहा है । उन तत्त्वों का पता लगाकर अन्य देशों की शिक्षा प्रणाली में लागू करना जिसके परिणामस्वरूप सम्बन्धित देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार हो सके और सम्बन्धित देश भी निरन्तर उन्नति के पथ पर चल सके ।

(2) **वैश्वीकरण/भूमण्डलीकरण में सहायक बनाना-** सम्पूर्ण विश्व विभिन्न देशों में विभक्त है प्रत्येक देश राज्यों में विभक्त है राज्य जिलों में एवं जिले कस्बे, तहसील एवं गांवों के रूप में विभक्त हैं । अत: यह कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण राष्ट्र/ विश्व अन्तिम रूप से एक है । सम्पूर्ण राष्ट्र को एक साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ाना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए । अत: तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन द्वारा सम्पूर्ण राष्ट्र के प्रत्येक देश की शिक्षा प्रणाली में विद्यमान सकारात्मक पक्षों का पता लगाकर उन सकारात्मक पक्षों को सम्पूर्ण राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली में जोड़ा जाना चाहिए जिससे सम्पूर्ण राष्ट्र एक साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ सकें और शिक्षा के सन्दर्भ में वैश्वीकरण/भूमण्डलीकरण का विकास हो सके ।

(3) **शैक्षिक समस्याओं का पता लगाना-** सम्पूर्ण राष्ट्र में सैकड़ों देश हैं प्रत्येक देश की भौगोलिक, राजनैतिक, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं उनके अनुसार वहाँ की शैक्षिक समस्याएँ भी भिन्न-भिन्न होती हैं अत: विभिन्न देशों की शैक्षिक समस्याओं का पता लगाया जाए कि अमुक देश की शिक्षा प्रणाली में कौन-कौनसी समस्याएँ अनुभव की जा रही हैं अत: तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन द्वारा अन्य देशों में वह समस्या उत्पन्न नहीं हो ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए और उसी प्रकार से प्रत्येक देश अपने देश की शैक्षिक समस्या का समाधान ढूँढ सके ।

(4) **विभिन्नताओं का पता लगाना-** तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन का उद्देश्य उन विभिन्नताओं (Differencess) का भी पता लगाना है जिनसे किसी देश की शिक्षा-प्रणाली दूसरे देश की शिक्षा प्रणाली से भिन्न प्रतीत होती है । इन विभिन्नताओं को समझने के क्रम में इन्हें उत्पन्न करने वाले कारणों का भी अध्ययन किया जाता है । साथ ही उन सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, परिस्थितियों के अन्तर का भी अध्ययन करना तुलनात्मक शिक्षा का उद्देश्य हो जाता है । जिनसे विविध शिक्षा प्रणालियों में भेद उत्पन्न होते हैं ।

(5) **विश्व एकता की भावना का विकास-** तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन के अन्तर्गत विभिन्न देशों की शिक्षा-प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है इसके अन्तर्गत प्रत्येक देश की शिक्षा-प्रणाली का इस दृष्टि से अध्ययन किया जाता है कि किस देश की शिक्षा प्रणाली में कौनसा पक्ष विशेष रूप से सकारात्मक है जिसके फलस्वरूप वह देश प्रगति के पथ पर निरन्तर अग्रसर हो रहा है । इसके द्वारा तुलनात्मक शिक्षा सामान्य

सिद्धान्तों की एकता की ओर संकेत करती है । इस प्रकार तुलनात्मक शिक्षा विश्व के विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणाली के सामान्य सिद्धान्तों और उद्देश्यों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करके विश्व एकता की भावना को बलवती करती है ।

(6) **पिछड़ेपन अथवा प्रगतिशीलता के कारणों का पता लगाना-** कुछ देशों की शिक्षा प्रणाली पिछड़ी हुई रहती है तो कुछ देशों की शिक्षा प्रणाली में प्रगतिशीलता दिखाई देती है अत: तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन का एक उद्देश्य यह समझना भी है कि किन कारणों से कुछ देशों की शिक्षा-प्रणाली प्रगतिशील बनी रहती है और कुछ की पिछड़ी हुई रहती है, प्रगतिशीलता अथवा पिछड़ेपन पर देश में व्याप्त शासन तन्त्र का भी प्रभाव पड़ता है । वस्तुत: देश का शासन तंत्र जैसा होता है उसी के अनुरूप वहाँ का शैक्षिक प्रशासन और नियंत्रण रहता है । जैसे स्विटजरलैण्ड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान में स्थानीय दायित्व तथा विकेन्द्रित नियंत्रण से युक्त प्रशासन मिलता है । इस प्रकार देश-देश की शासन व्यवस्था तथा राजनैतिक दर्शन वहाँ के शैक्षिक प्रशासन और नियंत्रण का रूप निर्धारित करती रहती है । तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन का उद्देश्य उन सभी तत्त्वों को ठीक-ठीक समझना भी है ।

(7) **संश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का विकास करना-** तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन के अन्तर्गत तुलनात्मक शिक्षा की "संश्लेषणात्मक विधि" के द्वारा शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन विश्व स्तर पर किया जाता है । इस दृष्टिकोण में समस्त विश्व के कल्याण की भावना निहित होती है । इस संश्लेषणात्मक दृष्टिकोण में विश्व की सामाजिक संरचना (Social Structure) राजनैतिक दर्शन (Political Philosophy) तथा शैक्षिक दर्शन (Educational Philosophy) का अध्ययन करते हुए यह देखा जाता है कि उनसे शिक्षा कहाँ तक प्रभावित हो रही है इस प्रकार तुलनात्मक शिक्षा में हम समग्रता के सन्दर्भ में सभी बातों का अध्ययन करते हैं इसके अन्तर्गत किसी देश की शिक्षा में अब औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के शैक्षिक साधनों के महत्त्व का अध्ययन किया जाता है । इसके अन्तर्गत समाजशास्त्रीय आधारों (सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक संगठन तथा सामाजिक परिवर्तन) का अध्ययन किया जाता है । अत: इन्हें समझे बिना किसी देश की शिक्षा प्रणाली को नहीं समझा जा सकता है ।

(8) **प्रौद्योगिकी के विकास तथा स्तर का पता लगाना-** वर्तमान युग विज्ञान का युग है विज्ञान के विकास के फलस्वरूप आज का युग मशीन का युग बन गया है । आज दैनिक व्यवहार के अधिकांश कार्य मशीनों से सम्पन्न हो रहे हैं तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन के फलस्वरूप राष्ट्र स्तर पर यह पता लगाया जाना चाहिए कि कौनसे देश के पास कितने प्रौद्योगिक उपकरण उपलब्ध हैं जिस देश के पास जितने प्रौद्योगिक उपकरण हैं वह देश उतना ही विकसित एवं समृद्धिशाली कहलाएगा ।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न(Self Evaluation Questions)

1. तुलनात्मक शिक्षा के कोई तीन उद्देश्य बताइए ।
2. तुलनात्मक शिक्षा के द्वारा किसी देश की शिक्षा-प्रणाली में सुधार कैसे लाया जा सकता है?
3. शैक्षिक समस्याओं के निवारण में तुलनात्मक शिक्षा की भूमिका बताइए ।

1.5 तुलनात्मक शिक्षा का महत्त्व(Importance of Comparative Edcuation)

तुलनात्मक शिक्षा का महत्त्व पिछले कुछ दशकों से उभरकर हमारे सामने आया है भारत एशिया का पहला देश है जहाँ पर इस सन्दर्भ में कुछ काम हुआ है । भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय में इस कार्य के लिए एक अलग से विभाग है विश्वविद्यालयों में इस विषय का अध्ययन-अध्यापन होता है, यह सभी तुलनात्मक शिक्षा के महत्त्व के कारण हो रहा है । तुलनात्मक शिक्षा के महत्त्व को हम निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से समझ सकते हैं-

1. तुलनात्मक शिक्षा किसी भी देश को उसका अन्तर्राष्ट्रीय स्तर बताती है उसके नीति-निर्धारण में सहायता प्रदान करती है तथा भावी पीढ़ी के दिक्षा-निर्देश में सहायता प्रदान करती है । आज भारत में ही नहीं, अन्य उन्नत राष्ट्रों में भी इस क्षेत्र में प्रगति इस विषय की उपयोगिता के कारण हुई है और इसकी मान्यता बढ़ी है ।
2. तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन के फलस्वरूप हम अपनी व्यवस्था का अच्छा परिचय अथवा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । किसी अन्य राष्ट्र की सफलता की नकल भी संभव है जैसे भारत में कृषि विज्ञान तथा कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना अमरीका के लैण्डग्राण्ट कॉलेजों के कारण ही संभव हो पाई है । इसी प्रकार के अन्य उदाहरण भी संभव हैं ।
3. दो अथवा दो से अधिक देशों की शिक्षा व्यवस्था की तुलना से उन व्यवस्थाओं के गुण-दोषों का परिचय मिलता है । साथ ही इन गुण-दोषों के कार्य कारण सह-सम्बन्ध की जानकारी मिलती है । उदाहरण के लिए रूस तथा अमरीकी शिक्षा की तुलना के फलस्वरूप हमें यह पता लगता है कि रूस में प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता है जबकि अमरीका में ऐसा नहीं होता है ।
4. तुलनात्मक शिक्षा के द्वारा विभिन्न देशों की नीतियों तथा सिद्धान्तों की जानकारी प्राप्त होती है शिक्षा नीतियों तथा सिद्धान्तों की तुलना के फलस्वरूप शिक्षा-प्रणाली में अनेक परिवर्तन संभव हैं । भारत ने इस प्रकार के अनेक परिवर्तन किए हैं जैसे भारत में रीजनल कॉलेज (क्षेत्रीय महाविद्यालय) की स्थापना अमरीकी शिक्षा-नीतियों का ही परिणाम है । इसी प्रकार के अन्य और कई उदाहरण हैं । राष्ट्रों की शिक्षा नीतियों तथा आर्थिक, शैक्षिक अध्ययन के फलस्वरूप अनन्त प्रकार की प्रगति के मार्ग प्रशस्त हुए हैं ।

5. तुलनात्मक शिक्षा के महत्त्व के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षा समस्याओं के विश्लेषण द्वारा हम किसी राष्ट्र की संस्कृति और आदर्शो का अध्ययन कर सकते हैं इन्हीं आदर्शो के अध्ययन से हमारी विश्लेषण शक्ति को बल मिलता है जो शिक्षा-शास्त्र के अध्ययन के साथ-साथ अन्य विषयों के अध्ययन में भी सहायता प्रदान करती है ।

6. कोई भी राष्ट्र, व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह अपने में स्वयं पूर्ण नहीं है । अत: इस पूर्णता को ग्रहण करने के लिए उसे अन्य लोगों के चरित्र एवं विचारों का अध्ययन करना आवश्यक है ठीक उसी प्रकार अपने देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार और निर्माण के लिए हम दूसरे देशों के अनुभवों का लाभ ग्रहण करते है । इससे अपनी शिक्षा प्रणाली को अधिक उपयोगी बनाने में मदद मिलेगी ।

7. तुलनात्मक शिक्षा का यह महत्त्व और भी हैं कि संसार में सद्भावना और पारस्परिक सहयोग की स्थापना की जा सकती है । शिक्षा दृष्टिकोण की विशालता एव व्यापकता की उन्नति करने में तुलनात्मक अध्ययन का महत्त्व भी अधिक है । शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन पृथक्करण तथा संकुचित दृष्टिकोण और प्रान्तीयता को नष्ट करता है ।

8. वैश्वीकरण के इस वर्तमान युग में तुलनात्मक शिक्षा का महत्त्व और अधिक बढ़ जाता है जब विश्व के अनेक विकसित राष्ट्रों के अनेक विश्वविद्यालयों में इन्टरनेट के माध्यम से अध्ययन-अध्यापन का कार्य चल रहा है । उन विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु विज्ञापन इन्टरनेट पर प्रसारित किया जाता है शिक्षार्थी इन्टरनेट के माध्यम से अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते हैं । विश्वविद्यालय छात्रों को इन्टरनेट एवं ई-मेल के माध्यम से शिक्षण-अधिगम सामग्री (Teaching-Learning Material) प्रेषित करते हैं । छात्र उस विषय सामग्री का अध्ययन कर इन्टरनेट के माध्यम से परीक्षा देते हैं एवं विश्वविद्यालय इन्टरनेट पर परीक्षा परिणाम उपलब्ध करवाते हैं । इस प्रकार विकसित राष्ट्रों के विकसित विश्वविद्यालयों की शिक्षा-प्रणाली से विकासशील राष्ट्रों को अवगत करवाया जाना चाहिए । जिसके फलस्वरूप विकासशील राष्ट्र भी विकसित राष्ट्रों के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ सकें ।

9. कोई व्यक्ति, समाज, राज्य, देश अपने आप में कभी पूर्ण नहीं होता है, सभी गुण एक स्थान पर कभी नहीं होते हैं । यही बात प्रत्येक देश की शिक्षा व्यवस्था में लागू होती है । किसी भी देश की शिक्षा-व्यवस्था अपने आप में पूर्ण नहीं है ।

10. तुलनात्मक शिक्षा के द्वारा कई देशों की शिक्षा व्यवस्था को एक मेज पर रखकर अध्ययन करने के फलस्वरूप यह अन्वेषण किया जा सकता है कि किस देश की शिक्षा-व्यवस्था में क्या अच्छाई है और अन्य किस देश की शिक्षा व्यवस्था में क्या श्रेष्ठता है? इस प्रकार अनेक राष्ट्रों की शिक्षा व्यवस्थाओं का अध्ययन कर प्रत्येक देश की श्रेष्ठता एवं गुणों का पता लगाकर अन्य राष्ट्रों की शिक्षा व्यवस्था में उस गुण को लागू कर सम्पूर्ण विश्व के सभी देशों की शिक्षा प्रणाली में सुधार तुलनात्मक शिक्षा के द्वारा लाया जा सकता है ।

इस प्रकार तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन पर विहंगम दृष्टि डालने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि आज के वैज्ञानिक युग ने शिक्षा के क्षेत्र की व्यापकता बढ़ाकर तुलनात्मक शिक्षा को जन्म दिया और तुलनात्मक शिक्षा ने एक व्यापक दृष्टिकोण लोगों में पैदा कर दिया है । स्वार्थपरकता, सीमित विचार आदि अनेक दुर्गुणों को समाप्त करने में इसका विशेष महत्त्व रहा है । शिक्षा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक पुनर्निमाण की शक्तियाँ निहित हैं । अत: तुलनात्मक शिक्षा के पूर्ण विकास में ही विश्व का पूर्ण विकास संभव है । जो कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक है । वैश्विक स्तर पर सम्पूर्ण विश्व के विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणाली में सुधार तुलनात्मक शिक्षा के द्वारा ही संभव है । जो इक्कीसवीं शताब्दीं की अपनी मौलिक एवं अहम् आवश्यकता अनुभव की जा रही है और इस आवश्यकता की पूर्ति तुलनात्मक शिक्षा द्वारा ही की जा सकती है ।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न(Self-Evaluation Question)

1. तुलनात्मक शिक्षा के द्वारा किसी देश की शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार सुधार लाया जा सकता है?
2. भारतीय शिक्षा प्रणाली में तुलनात्मक शिक्षा के द्वारा कौन-कौनसे परिवर्तन लाए गए हैं?
3. तुलनात्मक शिक्षा का महत्त्व संक्षेप में बताइए।

1.6 तुलनात्मक शिक्षा की अध्ययन विधियाँ (Methods of Study of Comparative Education)

तुलनात्मक शिक्षा में विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है । इस अध्ययन में उन देशों की शिक्षा प्रणालियों की सफलता एवं असफलता का अध्ययन किया जाता है और इस अध्ययन के फलस्वरूप शिक्षा प्रणाली की सफलता एवं असफलता के कारणों को जानकर अपने देश की सामाजिक संरचना, परम्पराओं एवं सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकताओं के अनुरूप एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को विकसित कर उसे सुदृढ़ बनाया जा सकता है ।

इसके लिए कुछ ऐसी विधियाँ हैं जिनका प्रयोग तुलनात्मक शिक्षा शास्त्रियों ने किया है । यहाँ इन विधियों का विस्तृत वर्णन करना प्रसंगानुकूल रहेगा । यद्यपि इन विधियों की संख्या एवं प्रकार के विषय मे तुलनात्मक शिक्षा शास्त्रियों में मतैक्य का अभाव है । यहाँ पर तुलनात्मक शिक्षा अध्ययन की निम्नलिखित मुख्य विधियों का वर्णन किया जा रहा है:-

1. वर्णनात्मक विधि (Descriptive Method)
2. मात्रात्मक या सांख्यिकीय विधि (Quantitative or Statistical Method)
3. ऐतिहासिक विधि (Historical Method)
4. समाजशास्त्रीय विधि (Sociological Method)
5. विश्लेषणात्मक विधि (Analytic Method)

6. संश्लेषणात्मक विधि (Synthesis Method)

1. वर्णनात्मक विधि (Descriptive Method)

तुलनात्मक अध्ययन की यह प्राचीन विधि है इस विधि का उपयोग इक्कीसवीं शताब्दी से प्रारम्भ किया गया । इस विधि का मुख्य उद्देश्य दूसरे देशों की शिक्षा प्रणाली में विद्यमान अच्छाइयों का पता लगाकर यथावश्यक अपेक्षित स्थान पर अनुसरण किया जाए । उसके लिए आवश्यक है कि जिस देश की शिक्षा प्रणाली का अनुसरण किया जाए उस देश की शिक्षा प्रणाली का विस्तृत विवरण प्राप्त किया जाए । इस हेतु अध्ययनकर्ता को उस देश में जाकर उस देश से सम्बद्ध राजनैतिक स्थिति, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति, धार्मिक प्रभाव, विषय-वस्तु अर्थव्यवस्था इत्यादि का विस्तृत विवरण प्राप्त किया जाना चाहिए । इस प्रकार के अध्ययन का श्रेय सर्वप्रथम अमेरिका के जॉन ग्रिक्सम को 1818- 19 में मिला । ग्रिक्सम ने यूरोप के देशों (ब्रिटेन, हॉलैण्ड, इटली, फ्रांस तथा स्विटजरलैण्ड) की यात्राएँ करके वहाँ की शिक्षा प्रणालियों का विस्तृत वर्णन प्राप्त किया । यह विवरण बहुत चर्चित हुआ और देश-विदेश में इसे बहुत ख्याति प्राप्त हुई । इस दिशा में विक्टर काजिन, होरेस मैन, मैथ्यू आरनाल्ड, माइकेल सैडसर, हैनरी बरनार्ड इत्यादि तुलनात्मक शिक्षा शास्त्रियों ने महत्त्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय कार्य किए ।

प्रारम्भिक स्तर पर यह विवरण एकत्रित कर प्रकाशित करने तक सीमित रहा परन्तु धीरे-धीरे शिक्षा में सांख्यिकी के प्रयोग से इस प्रकार के अध्ययनों में बहुत निखार आया । धीरे-धीरे सांख्यिकी के उपयोग से तुलनात्मक अध्ययन का स्वरूप ही बदल गया और तुलनात्मक अध्ययन में गणितीय आँकड़ो का बाहुल्य होता गया । इस विधि के अध्ययन के अन्तर्गत समाज की आकांक्षा, आवश्यकता एवं संस्कृति पर आधारित जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है । इसमें यह पता लगाया जाता है कि शिक्षा प्रणाली में वे कौनसे बिन्दु हैं जिनके कारण समाज में उद्देश्यों का ह्रास हो रहा है तथा शिक्षा प्रणाली में किन नए बिन्दुओं को जोड़ा जाना आवश्यक है । तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन से उन बातों को समझा जा सकता है जिनसे शिक्षा प्रणाली में उन्नति अथवा अवनति का संकेत मिलता है ।

तुलनात्मक शिक्षा के प्रवर्तक जॉन ग्रिस्कम, विक्टर काजिन, होरेस मैन, मैथ्यू आरनाल्ड, माइकैल सैडलर, हेनरी बरनार्ड इत्यादि ने वर्णनात्मक विधि का उपयोग किया । तुलनात्मक शिक्षा की वर्णनात्मक विधि का व्यवहार अधिकतर शिक्षा शास्त्रियों ने किया है और इसकी उपयोगिता इस बात में रही है कि इसके द्वारा विदेशी शिक्षा-प्रणालियों से सम्बन्धित ऐसे विवरण प्रस्तुत किए गए जिनके आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों की शिक्षा व्यवस्था में संशोधन एवं परिवर्तन हुए ।

2. मात्रात्मक अथवा सांख्यिकीय विधि (Quantitative or Statistical Method)

तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन के अन्तर्गत विभिन्न देशों की शिक्षा-प्रणालियों में विद्यमान समानताओं और असमानताओं का अध्ययन किया जाता है । इसके अन्तर्गत किसी देश की शिक्षा-प्रणाली की उन्नति एवं अनवति का पता लगाना भी एक क्रम होता है । इसका पता लगाने हेतु विभिन्न प्रकार के आँकड़े एकत्रित किए जाते हैं । इन आँकडों का विश्लेषण एव व्याख्या करके निष्कर्ष निकालने का कार्य सांख्यिकीय प्रविधि के माध्यम से किया जाता है ।

जैसे किसी वर्ष में शिक्षा के स्तर पर विद्यार्थियों की संख्या, उन पर खर्च हुई राशि, उत्तीर्ण एव अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत शिक्षकों की संख्या, शिक्षकों के वेतन पर व्यय आदि से सम्बन्धित आँकड़े एकत्रित करके उनकी दूसरे देशों के शिक्षा सम्बन्धी आँकडों से तुलना करना अथवा एक ही देश के विभिन्न वर्षो के आँकड़ो का तुलनात्मक अध्ययन करना मात्रात्मक अथवा सांख्यिकीय विधि के अन्तर्गत आता है । इस प्रकार के सांख्यिकीय विश्लेषण (Statistical Analysis) से किसी देश की शिक्षा की उन्नति तथा अवनति का पता चल सकता है ।

लेकिन सांख्यिकीय विधि की यह सीमितता है कि विश्वसनीय (Reliable) आँकड़े कैसे प्राप्त किए जाएं? अधिकांशत: आँकडें एकत्रित करने में सावधानी नहीं बरती जाती । विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणाली में विभिन्न स्तरों पर प्रयुक्त शब्दावलियों में एकरूपता नहीं पाई जाती । फलस्वरूप -सांख्यिकीय विवेचन करना कठिन हो जाता है । साथ ही इस विधि के द्वारा किसी देश की शिक्षा प्रणाली की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक परिस्थिति के कारण उत्पन्न विशेषताओं की जानकारी नहीं हो पाती । अत: संभवत: यह कहा जा सकता है कि तुलनात्मक शिक्षा के अन्तर्गत सांख्यिकीय विधि बड़ी सीमित है ।

3. ऐतिहासिक विधि (Historical Method)

ऐतिहासिक विधि भूतकाल की शिक्षा-व्यवस्था सम्बन्धी सूचनाएँ प्रदान करती है एवं इसके फलस्वरूप वर्तमान की शैक्षिक स्थिति, शैक्षिक समस्याओं एव शैक्षिक समस्याओं के कारणों का पता चलता है । इस विधि के द्वारा उन बातों का भी पता चलता है जिनके द्वारा आज की शैक्षिक स्थिति निर्मित हुई है । यह विधि शिक्षा प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन की सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है ।

ऐतिहासिक विधि के माध्यम से किसी देश की भूतकालिक शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करने का उद्देश्य न केवल वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था एवं स्थिति में सुधार लाना है अपितु भावी विकास सुदृढ़ और अधिक उपयोगी हो । ऐतिहासिक विधि में उन सभी भौगोलिक, सामाजिक, राष्ट्रीय चरित्र सम्बन्धी, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा भाषा सम्बन्धी बातों का अध्ययन किया जाता है जिनसे किसी देश की शिक्षा-प्रणाली प्रभावित होती है ।

ऐतिहासिक विधि की सबसे बड़ी न्यूनता यह रहती है कि ऐतिहासिक तथ्यों के संकलन में यदि सावधानी नहीं बरती जाए तो संतुलित तथ्यों के संकलन के फलस्वरूप अविश्वसनीय एवं अप्रामाणिक निष्कर्ष निकलने की संभावना रहती है । अप्रामाणिक तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष हमारे लिए उपयोगी नहीं हो सकते । ऐतिहासिक विधि के अन्तर्गत इतिहासकारों से सूचनाएं संकलित की जाती हैं । इतिहासकार प्राय: अपने विवरण में निष्पक्ष नहीं होते हैं । इतिहासकार अपने देश के इतिहास की अप्रिय बातों को छिपाकर अच्छी बातें ऊपर रखना चाहता है एवं इसके विपरीत विदेशी इतिहासकार अपनी बातों को अन्य अर्थो में प्रस्तुत करता है । दोनों स्थितियों में तथ्य छिप जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप हम जो निष्कर्ष प्राप्त करते हैं वे अप्रामाणिक, अविश्वसनीय एवं कभी-कभी बिल्कुल गलत भी हो सकते हैं ।

4. समाजशास्त्रीय विधि (Sociological Method)

समाजशास्त्रीय विधि में शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन सामाजिक सन्दर्भ (Social Context) में किया जाता है । तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन में समाजशास्त्रीय विधि का उपयोग उस समय किया जाने लगा जबकि शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन सामाजिक सन्दर्भ- में होने लगा । यदि समाजशास्त्रीय विधि के स्वरूप की ओर ध्यान दिया जाए तो पता चलता है कि इसके अन्तर्गत शिक्षा प्रणाली और समाज के अटूट सम्बन्ध को स्वीकार किया जाता है ।

तुलनात्मक शिक्षा की समाजशास्त्रीय विधि इस बात पर बल देती है कि किसी देश की शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं एव समस्याओं का समुचित अध्ययन उसी समय संभव है जबकि हम शिक्षा प्रणाली की समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि की ओर सम्यक् ध्यान दें और वास्तविकता में शैक्षिक प्रणाली और समाज के मध्य जो सम्बन्ध है वह इतना प्रभावकारी एवं गतिशील है कि उसकी ओर ध्यान देना अत्यावश्यक है । समाजशास्त्रीय विधि की विशेषता यह है कि वह केवल कारणों की ओर ध्यान नहीं देती वरन् परिणामों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्षों पर पर्याप्त प्रकाश डालती है । प्रत्येक देश की शिक्षा प्रणाली अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक परम्परा के अनुरूप ही विकसित होती है और जब किन्हीं कारणों से शिक्षा-प्रणाली तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था के बीच दूरी उत्पन्न होने लगती है तब वह शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय चरित्र के विकास एवं पोषण में सहायक नहीं होती है ।

शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन सामाजिक सन्दर्भ में करने के साथ-साथ समाजशास्त्रीय विधि की यह मान्यता है कि किसी देश की शिक्षा प्रणाली और संगठन उस देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक परिस्थितियों द्वारा निर्धारित और निर्मित होती है और समाजशास्त्रीय विधि में इन्हीं के सन्दर्भ में शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है । क्योंकि यह विधि यह मानकर चलती है कि किसी देश की शिक्षा प्रणाली उस देश की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार ही विकसित होती है ।

समाजशास्त्रीय विधि का कमजोर पक्ष यह है कि यह विधि व्यक्तिगत योगदान की बातों की अवहेलना करती है । जबकि इतिहास बताता है कि प्रत्येक देश में कुछ ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो प्रचलित परम्परा को बदलकर नवीन परिवर्तनों को लाने में काफी योगदान देते हैं अत: समाजशास्त्रीय विधि में इन व्यक्तिगत योगदानों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए । इन व्यक्तिगत योगदानों को सामाजिक परिस्थिति का ही एक अभिन्न अंग मानना चाहिए ।

5. विश्लेषणात्मक विधि (Analytical Method)

किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली एवं व्यवस्था का उस देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, भौगोलिक परिस्थितियों एवं व्यवस्थाओं से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । इस सम्बन्ध को समझने के लिए विश्लेषणात्मक विधि (Analytical Method) ही सबसे अधिक उपयोगी एवं आवश्यक है । क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन में विश्लेषण किए बिना काम नहीं चलाया जा सकता है । विश्लेषण द्वारा ही विविध तत्त्वों को अलग-अलग किया जा सकता है और इसी के परिणामस्वरूप ही तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है एवं तुलनात्मक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं ।

विश्लेषणात्मक विधि तभी उपयोगी हो सकती है जब सामाजिक और शैक्षिक संगठनों की सम्पूर्ण रूप से तुलना की जाए । किसी देश की सामाजिक व्यवस्था एवं शैक्षिक प्रणाली में जो गत्यात्मक सम्बन्ध है ज्ञान हमें पूर्ण रूप से उस समय ही होता है जबकि हम इस सम्बन्ध का विश्लेषण सामाजिक लक्ष्यों और शैक्षिक लक्ष्यों की तुलना में करते हैं । अत: यह स्पष्ट है कि तुलनात्मक शिक्षा की विश्लेषणात्मक विधि अत्यन्त उपयोगी है लेकिन इस विधि की उपयोगिता इस बात पर निर्भर है कि शैक्षिक और सामाजिक व्यवस्थाओं की तुलना सम्पूर्ण नीति से की जाए इसके निम्नलिखित चार बिन्दु आवश्यक हैं यही चार बिन्दु विश्लेषणात्मक विधि के चार चरण हैं:-

1. **प्रथम चरण: शैक्षिक सामग्री / विवरण एकत्रीकरण:** विश्लेषणात्मक विधि के अन्तर्गत सर्वप्रथम सम्बन्धित देश की शिक्षा प्रणाली से सम्बन्धित आवश्यक सामग्री विवरण का संकलन किया जाता है सामग्री संकलन हेतु वर्णनात्मक एवं सांख्यिकीय विधियों का उपयोग किया जाता है। सामग्री संकलन के अन्तर्गत इस प्रकार की सूचनाएँ संकलित की जाती हैं जिनका कि किसी देश की शिक्षा प्रणाली में महत्त्वपूर्ण स्थान होता है । इस प्रकार विश्लेषणात्मक विधि का प्रथम चरण व्यवस्थित रीति से शैक्षिक विवरण को एकत्र करना है ।
2. **द्वितीय चरण: शैक्षिक विवरण/ सामग्री की व्याख्या:** शैक्षिक विवरण सामग्री के संकलन के पश्चात् संकलित सामग्री की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक दृष्टि से व्याख्या की जाती है । इस व्याख्या के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणालियों में क्या समानता और क्या असमानता विद्यमान है? व्याख्या द्वारा यह स्पष्ट करते हैं कि जिन शिक्षा प्रणालियों की तुलना हो रही है उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ऐसे कौन-कौनसे तत्त्व हैं, जो समान हैं और किन तत्त्वों के कारण इन शिक्षा प्रणालियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भिन्नता आ गई है । इसी प्रकार सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक घटकों की व्याख्या की जाती है ।
3. **तृतीय चरण: तुलना के मापदण्ड का निर्धारण:** विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणालियों में विद्यमान समानता और असमानता का विश्लेषण करने के पश्चात् सम्बन्धित घटकों को ध्यान में रखते हुए यह देखते हैं कि किन आधारों पर तुलना की जाए । विश्लेषणात्मक विधि का तृतीय चरण तुलना का मापदण्ड निर्धारित करने पर बल देता है । इन आधारों के अन्तर्गत देश का राजनैतिक दर्शन (Political Philosophy), शिक्षा के लक्ष्य (Aims of Education) तथा शैक्षिक नियंत्रण आदि का उल्लेख किया जाता है तुलनात्मक अध्ययन में इन आधारों के सन्दर्भ में यह देखा जाता है कि विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणालियों में भेद या समानता मिलती है जैसे यह कहा जा सकता है कि चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के राजनैतिक दर्शन में भेद है अत: इस आधार के सन्दर्भ में उनकी शिक्षा प्रणालियों में बड़ी असमानताएँ मिलती हैं ।
4. **चतुर्थ चरण : निष्कर्ष निकालना:** विश्लेषणात्मक विधि के अन्तर्गत क्रमश: विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणाली की शैक्षिक सामग्री का संकलन, शैक्षिक सामग्री की व्याख्या तुलना मापदण्डों का निर्धारण किया जाता है फिर अगले चरण में इन्हीं आधारों के

आधार पर एकत्रित सामग्री की व्याख्या करके तुलनात्मक दृष्टि से निष्कर्ष निकाले जाते हैं ।

विश्लेषणात्मक विधि के ये चार चरण विचार प्रक्रिया पर आधारित हैं विचार के लिए एकत्र सामग्री को व्यवस्थित करना पड़ता है । फिर कुछ घटकों को ध्यान में रखकर उस सामग्री की व्याख्या करनी पड़ती है । विचारणीय सामग्री के विभिन्न पक्षों के स्पष्टीकरण के लिए उनकी आपस में की जाती है और इस तुलना के आधार पर कुछ परिकल्पनाएँ निर्धारित करके उन परिकल्पनाओं सन्दर्भों में निष्कर्ष निकाले जाते हैं ।

सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि जब हम किन्हीं दो देशों की शिक्षा प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तब विश्लेषणात्मक विधि के माध्यम से यह जानने का प्रयास करते हैं कि इन शिक्षा प्रणालियों के विकास में कौनसे प्रमुख घटक हैं? लेकिन ऐसा करते समय राष्ट्रीय दृष्टिकोण और भावना के फलस्वरूप अचेतन रीति से किसी देश की शिक्षा प्रणाली को अधिक श्रेष्ठ और किसी अन्य देश की शिक्षा प्रणाली को अधिक निम्न श्रेणी की ठहराया जा सकता है । फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि शिक्षा प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन में विश्लेषणात्मक विधि अधिक उपयोगी है । क्योंकि इस विधि से तुलनात्मक अध्ययन सम्यक् रीति से संभव है । इस विधि की प्रधान त्रुटि यह है कि इसके द्वारा विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणालियों में निहित समग्रता पर पर्याप्त प्रकाश नहीं पड़ता । जिस प्रकार हम 'एक विश्व' की कल्पना करते हैं उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक विभिन्नताओं के होते हुए भी एकता है।

इस एकता का ज्ञान विश्लेषणात्मक विधि द्वारा नहीं होगा । इसके लिए संश्लेषणात्मक विधि अधिक उपयोगी है ।

5. संश्लेषणात्मक विधि (Synthesis Method):

संश्लेषणात्मक विधि का प्रतिपादन एडमण्ड किंग ने किया था । इन्होंने अपनी पुस्तक "वर्ल्ड परस्पेक्टिव इन एजूकेशन" में इस विधि का विस्तृत वर्णन किया है ।

संश्लेषणात्मक विधि के अन्तर्गत किया गया अध्ययन विभिन्न देशों तक ही सीमित नहीं होकर सम्पूर्ण विश्व / राष्ट्र स्तर पर किया जाता है । इसके अन्तर्गत सम्पूर्ण विश्व के कल्याण की भावना निहित होती है । संश्लेषणात्मक विधि के द्वारा जब हम विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन करते है तो हम उनमें निहित असमानताओं के मध्य उन समान सिद्धान्तों को ढूँढ निकालते हैं जो कि शिक्षा के शाश्वत सिद्धान्त हैं । क्योंकि सम्पूर्ण मानव जाति की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं में काफी समानता मिलती है ।

तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन के अन्तर्गत अध्ययन करते हुए यह पाया जाता है कि आधुनिक काल में कुछ ऐसे शिक्षा शास्त्री हुए हैं जो सम्पूर्ण विश्व को एक इकाई के रूप में मानते हैं विश्व में जितने देश हैं वे सभी एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं । यदि विश्व का कोई देश पिछड़ा हुआ है तो उसकी प्रगति के लिए ऐसी संस्थाएँ हैं जो विश्व सहयोग के द्वारा प्रयास करती हैं । संयुक्ता राष्ट्र संघ तथा उससे सम्बद्ध संस्थाएँ विश्व स्तर पर सभी देशों की सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक समस्याओं में अभिरुचि रखती है ।

अभी संश्लेषणात्मक विधि का सम्यक् विकास नहीं हुआ है । तुलनात्मक शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का उपयोग अपनी शैशवावस्था में है ।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self Evaluation Question)

1. वर्णनात्मक विधि का प्रारम्भ कब किया गया?
2. तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन के अंतर्गत मात्रात्मक विधि का उपयोग बताइए ।
3. भूतकाल की शिक्षा व्यवस्था की जानकारी किस विधि के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है?
4. विश्लेषण विधि के प्रमुख चरण बताइए ।
5. तुलनात्मक शिक्षा की कौन-कौनसी अध्ययन विधियाँ हैं? संक्षेप में बताइए ।

1.7 सारांश (Summary)

तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन के अन्तर्गत विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है और उन शिक्षा प्रणालियों में से सकारात्मक पक्षों का पता लगाकर अन्य देशों की शिक्षा प्रणाली पर लागू किया जाता है । जिससे सम्पूर्ण विश्व की शिक्षा प्रणालियों में सुधार लाया जा सके। तुलनात्मक शिक्षा का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रणालियों के सन्दर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा एवं सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक शक्तियों और घटकों का सम्बन्ध स्पष्ट हो जाए। तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन के द्वारा किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना, वैश्वीकरण में सहायक होना, शैक्षिक समस्याओं का पता लगाना, विभिन्नताओं का पता लगाना, विश्व एकता की भावना का विकास करना, पिछड़ेपन अथवा प्रगतिशीलता का पता लगाना, संश्लेषण दृष्टिकोण का विकास करना, प्रौद्योगिकी के स्तर तथा विकास का पता लगाना संभव हो सकता है । प्रत्येक देश की शिक्षा प्रणाली को उस देश के भौगोलिक, भाषिक, जातीय, आर्थिक, दार्शनिक, धार्मिक, नैतिक, मानवतावादी, समाजवादी, राष्ट्रवादी, लोकतंत्रात्मक घटक प्रभावित करते हैं ।

तुलनात्मक शिक्षा में विदेशी शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है । यह अध्ययन वर्णनात्मक, मात्रात्मक अथवा सांख्यिकीय, ऐतिहासिक, समाजशास्त्रीय, विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक विधियों द्वारा किया जा सकता है ।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self Evaluation Questions)

1. तुलनात्मक शिक्षा का अध्ययन किस उदेश्य से किया गया?
2. वर्णनात्मक विधि का प्रारम्भ कब हुआ?
3. तुलनात्मक शिक्षा से क्या अभिप्राय है?
4. तुलनात्मक शिक्षा की कौन-कौनसी अध्ययन विधियाँ होती है?
5. तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन का महत्व प्रतिपादित कीजिए।

1.8 सन्दर्भ सूची (References)

1. जायवाल, सीताराम (1970) तुलनात्मक शिक्षा लखनऊ, सूचना विभाग ।
2. कौशिक, श्याम लाल (1973) तुलनात्मक शिक्षा जयपुर हिन्दी ग्रंथ अकादमी ।
3. चौबे, सरयू प्रसाद (2005) तुलनात्मक शिक्षा आगरा विनोद पुस्तक मन्दिर ।

4. शर्मा, बी.एस. (1989) तुलनात्मक शिक्षा जयपुर राजस्थान प्रकाशन ।
5. हंस, निकोलस (1974) तुलनात्मक शिक्षा मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी ।
6. मलैया, के.सी. (1996) तुलनात्मक शिक्षा इलाहाबाद लोक भारती प्रकाशन ।
7. किंग, एडमण्ड एण्ड वर्मा, आई.बी (1973) विद्यालय शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन जयपुर राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी ।
8. Chaube, S.P. (1965) Comparative Education Agra Ram Prasad and Sons.
9. पाण्डेय, रामशकल (1970) देश-विदेश में शिक्षा आगरा लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रेस।
10. Oad, L.K. (1968) Current Issues in Education Delhi Young Man and Company.
11. Bready, George Z.F. (1967) Comparative Method in Education Oxford IBH Publishing Co.
12. Sinha, L.S. (1978) Secondary School Practices in England Wales and India A Comparative Study. Allahabad Chugh Publication.
13. Holmes, Brain (1981) Comparative Education Some Considertations of Method. London George Allen and Unwin.
14. Chinnappa, S.Paul. (1988) The British System of Education in India Delhi Swati Publication.
15. चौबे, सरयू प्रसाद (1962) विदेशों में शिक्षा इलाहाबाद रामनारायण प्रकाशन ।
16. श्रीवास्तव आर.एस. (1963) तुलनात्मक शिक्षा आगरा इण्डियन बुक हाउस ।
17. Mayer, A.E. (1949) The Development of Education in the Twentieth Century New York Prentice Hall Inc.
18. Ulich, Rober (1961) The Education of Nations Cambridge Harvard University Press.
19. Smith, H.I. (1941) Comparative Education Bloomington Educational Publications.

इकाई - 2

तुलनात्मक शिक्षा का विकास
(Development of Comparative Education)

2.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of the Unit)

2.1 विषय प्रवेश (Introduction)

2.2 तुलनात्मक शिक्षा के विकास की पृष्ठभूमि(Background of Development of Comparative Education)

2.3 तुलनात्मक शिक्षा के विकास के विभिन्न चरण(Various Stages of Development of Comparative Education)

2.4 भारत में तुलनात्मक शिक्षा का विकास(Development of Comparative Education in India)

2.5 सारांश (Summary)

2.6 संदर्भ (References)

2.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of the Unit)

इस इकाई की अध्ययन सामग्री के अध्ययन के पश्चात आप-

1. तुलनात्मक शिक्षा के विकास की पृष्ठभूमि को जान सकेंगे ।
2. तुलनात्मक शिक्षा के विकास के विभिन्न चरणों को समझ सकेंगे ।
3. भारत में तुलनात्मक शिक्षा के विकास से परिचित हो सकेंगे ।
4. तुलनात्मक शिक्षा के विकास की व्याख्या कर सकेंगे ।

2.1 विषय प्रवेश (Introduction)

आधुनिक युग विज्ञान और तकनीकी का युग है । विज्ञान और तकनीकी के विकास ने सम्पूर्ण विश्व को सिमटा कर छोटा कर दिया है । एक देश के सार्वजनिक क्रियाकलाप दूसरे देश के क्रियाकलापों को प्रभावित कर रहे हैं । भू-मण्डलीकरण के इस दौर में पूरे विश्व की समस्याएं कई स्तरों पर एक जैसी हो गई हैं तो कई स्तरों पर स्थानीयता के चलते उनमें व्यापक विषमताएँ हैं । भूमण्डलीकरण के कारण एक ओर सम्पूर्ण विश्व में बाजार अपना विस्तार कर रहा है तो दूसरी ओर स्थानीयता के सामने अस्तित्व का प्रश्न खडा हो गया है । राज्यों की सार्वजनिक और कल्याणकारी अवधारणों में परिवर्तन हो रहा है । इसके प्रभाव शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी विकास की आधारभूत सेवाओं पर भी पड़ रहे हैं । आज हमें इन आधारभूत सेवाओं पर वैश्विक परिदृश्य में पुनर्विचार करना होगा ।

हम इन आधारभूत सेवाओं पर बदलते परिदृश्य के संदर्भ में विचार किए बिना सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते । आज वैश्वीकरण के कारण अगर इनकी अवधारणाओं में परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन के पहले की कोई पृष्ठभूमि अवश्य रही होगी । इस स्तर

तक इन अवधारणाओं के पहुँचने का कोई रास्ता रहा होगा । इनके विकास का एक इतिहास रहा होगा । प्रस्तुत इकाई में तुलनात्मक शिक्षा के विकास पर प्रकाश डाला गया है ताकि हम तुलनात्मक शिक्षा के भविष्य के लिए इतिहास की इस दृष्टि का लाभ उठा सकें ।

2.2 तुलनात्मक शिक्षा के विकास की पृष्ठभूमि(Background of the Development of Comparative Education)

तुलनात्मक शिक्षा के विकास की पृष्ठभूमि मानव सभ्यता के समान काफी पुरानी है । पुराने समय में जब मानव घूमने फिरने लगा, दूसरे लोगों को देखकर उनके व्यवहारों को अपनाने लगा, उसी समय वह तुलना करना भी सीख गया । मानव ने अन्य लोगों में अपने से भिन्न जीवनयापन शैली, बोलियाँ, संस्कृति आदि देखें तो उन्हें अपनाने लगा और उन पर टिप्पणी करना भी प्रारम्भ कर दिया । तुलना के तरीकों के जन्म तथा विकास के बीज हमें इसी में मिलेंगे ।

ग्रीक कवि पिन्डर (522-438 ई. पू.) ने अपनी एक कविता में कहा था कि प्रत्येक जन-समूह अपनी संस्कृति की प्रशंसा करता है यानि जन-समूहों की अपनी-अपनी संस्कृति होती है । इतिहासकार हैरोडोट्स (484-425 ई. पू.) ने ग्रीक संस्कृति से भिन्न संस्कृतियों तथा लोगों की चर्चा की है । हैरोडोट्स ने ईरानियों के सम्बन्ध में लिखा है कि शायद ही कोई अन्य देश होगा जहाँ विदेशी संस्कृतियों तथा आचार-विचार की ऐसी नकल होती होगी । उन्होंने लिखा है कि ईरानियों ने मीड देश की पोशाक, मिश्र से छाती पर पहनने का शस्त्राण तथा यूनान से अन्य विकास की सामग्री ली है। इस टिप्पणी को तुलनात्मक संस्कृति या तुलनात्मक लोक संस्कृति का पहला परिचय कहा जा सकता है ।

शिक्षा पर जेनोफोन (430-355 ई. पू.) ने पहली टिप्पणी की । वह एक यूनानी सैनिक था, उसने ईरानी शिक्षा पर टिप्पणी करते हुए लिखा - "बच्चे स्कूल जाते हैं, जहाँ वे न्याय सीखते हैं, ठीक उसी प्रकार, जैसे अन्य लोग अपने बच्चों को शाला में लिखना-पढ़ना सीखने के लिए भेजते है ।" रोमन विद्वान वक्ता सिसरो (106-43 ई. पू.) ने रोमन तथा ग्रीक यूनानी शिक्षा पद्धति पर तुलनात्मक टिप्पणी करते हुए लिखा - "जबकि रोम में स्वतंत्र नागरिकों की शिक्षा अनिश्चित प्रकार की है, यूनान में उनकी शिक्षा पर काफी समय तथा मेहनत व्यय की जाती है । " सिसरो ने स्पार्टा के सैनिक प्रशिक्षण की निंदा की ।

रोमन विजेता जूलियस सीजर (102-44 ई. पू.) ने बेल्जियम, केल्ट्स आदि लोगों की शिक्षा पर टिप्पणी की कि शिक्षा में ड्यूड लोग स्मरण शक्ति बढ़ाने पर बल देते हैं इसलिए वे अपनी धार्मिक पुस्तकों को लिपिबद्ध करने में कोई रुचि नहीं रखते । उनके पाठ्यक्रम में नक्षत्र शास्त्र, भूगोल, विज्ञान तथा धार्मिक विषय सम्मिलित हैं ।

मध्यकालीन यूरोप में अनेक लेखकों में तुलनात्मक संस्कृति को अपने लेखन का विषय बनाया । प्रसिद्ध लेखक अब्द-उल-रहमान इब्न-खाल्दून (1332-1406) ने अनेक राष्ट्रों की संस्कृति और स्कूलों के अन्तर पर लिखा तथा अतीत व वर्तमान की परम्पराओं का जिक्र किया । उन्होंने बताया कि मुस्लिम राष्ट्रों में विज्ञान शिक्षा की अवनति के कारण स्पेन में भी उसकी

अवनति हुई है तथा पूर्वी राष्ट्रों में विज्ञान की प्रगति तथा रुचि बढ़ी है । उन्होंने इस अन्तर का कारण लोगों की क्षमता की कमी नहीं बल्कि वातावरण को माना । इस प्रकार हम देखते हैं आज के कई बरस पहले तुलनात्मक शिक्षा पर ठोस और सार्थक कार्य होने लग गया था ।

इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए यूरोप के पुनर्जागरण काल में अनेक विद्वानों ने दूसरे राष्ट्रों की शासन प्रणाली, संस्कृति, परम्पराओं, वैज्ञानिक अवधारणाओं तथा शिक्षा पर विचार-विमर्श करते हुए लेखन कार्य किया । इन विचारकों व लेखकों में अनेक ने दूसरे देशों का भ्रमण भी किया । उदाहरण के लिए फ्रांसीसी विद्वान म्यूलाम पोस्तेल (1510-1581) ने तुर्की पर एक पुस्तक लिखी । क्रोशियन सैनिक बार्तोलोमियो जार्जोविच ने भी 1560 में तुर्की पर एक पुस्तक लिखी । वेयर्स ने 1520 में अनेक यूरोपीय तथा एशियाई देशों के जीवन व संस्कृति पर बहुआयामी पुस्तक लिखी । इतावली इतिहासकार लोडोविकों गुई चिर्यादिन (1521-1589) ने नीदरलैण्ड की शिक्षा पर वहाँ के विद्वानों तथा वैज्ञानिकों की संख्या तथा स्तर की चर्चा करते हुए पुस्तक लिखी । इंग्लैण्ड के राजदूत डी. गाइल्स फ्लेचर ने 1591 में रूस की शिक्षा व संस्कृति पर पुस्तक लिखते हुए वहाँ की शिक्षा के स्तर की आलोचना की । जर्मन विद्वान जेकब मिडेनहार्प ने 1562 में फ्रांस, इटली, जर्मनी, डेनमार्क, बोहेमियान तथा पोलेण्ड के विश्वविद्यालयों पर आँकड़े एकत्रित किए ।

इंग्लैण्ड के धार्मिक सुधारक इरास्मस (1469-1539) ने ऑक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज पर लेख लिखने के साथ-साथ इंग्लैण्ड तथा इतावली शिक्षा के स्तरों की तुलना करते हुए उन्हें समान बताया तथा इतावली शैक्षिक स्तर की प्रशंसा की । फ्रांसीसी रचनाकार मिशेल द मान्टेन (1533-1592) ने रोम के पोप ग्रिगोरी द्वारा चलाई गई शिक्षा संस्थाओं तथा उनकी शिक्षा पर लेख लिखे । इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने में अनेक विद्वानों का योगदान रहा है जिनमें जर्मन विद्वान अलब्रेख्ट मीयर (1589), स्वीडन इतिहासकार जोहन लोकेनियस (1598-1677), सर विलियम बेरेटन (1634), सर विलियम पैटी (1623-1687), जर्मन विद्वान क्रिस्टियन टामेसियस (1655-1 728) डेनिस नाटककार लुडविक-हॉलबर्ग (1684-1754), अंग्रेजी विद्वान जॉन पेरी (1698-1712), फ्रांसीसी विद्वान दीदरा (1776) व लौशालोते (1763) का काम विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है । इन सभी विद्वानों ने शिक्षा या शिक्षा के किसी पहलू पर तुलनात्मक ढंग से विचार किया है । तुलनात्मक शिक्षा के व्यवस्थित अध्ययन की पृष्ठभूमि यही विचार व लेखन रहे हैं ।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self Evaluation Question)

1. तुलनात्मक शिक्षा के लिए पुनर्जागरण के समय किए गए प्रयासो को बताइए ।
2. तुलनात्मक शिक्षा के विकास को आधार प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण विद्वानो के नाम लिखिए।

2.3 तुलनात्मक शिक्षा के विकास के विभिन्न चरण(Phases of Development of Comparative Education)

आज के तुलनात्मक शिक्षा शास्त्रियों को दो विद्वानों ने प्रभावित किया, एक अंग्रेज विद्वान टकर (1712-1799) तथा दूसरे जर्मन विद्वान बर्खहोल्ड (1759-1809) ने । इनके अनुसार किसी राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था को समझने के लिए वहाँ की सामाजिक और आर्थिक दशा को समझना जरूरी है । इन विद्वानों ने बड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्माण किया, इन प्रश्नों के उत्तरों से कोई भी व्यक्ति अन्य राष्ट्र की शिक्षा की व्याख्या कर सकता है ।

तुलनात्मक शिक्षा के विकास को पाँच अवस्थाओं में बाँटा जाता है । अवस्थाओं के विभाजन में ऐतिहासिक तिथियों की बजाए तुलनात्मक शिक्षा में हुए बदलावों पर ही ध्यान दिया जाता है अर्थात् अवस्थाओं के विभाजन का आधार तुलनात्मक शिक्षा में हुए परिवर्तन हैं । तुलनात्मक शिक्षा के विकास की इन पाँच अवस्थाओं को हम निम्नलिखित प्रकार से देख सकते हैं:-

1. प्रथम अवस्था (First Phase) :

इस अवस्था की शुरूआत 1817 में अन्तोइजन जूलियन के विचारों से मानी जाती है । यह अवस्था 1817 से लेकर 19वीं शताब्दी के अन्त तक कायम रही । वैसे इस अवस्था का प्रारम्भ उन यात्रियों के समय से माना जाता है जिन्होंने दूसरे देशों के विषय में जाना तथा अपने विचार प्रकट किए । इनका अध्ययन हम इस इकाई के पिछले बिन्दु 'तुलनात्मक शिक्षा के विकास की पृष्ठभूमि' में कर चुके हैं।

19वीं शताब्दी में यह धारणा बलवती हो गई कि कोई भी देश किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं को अपने संगठन में अपना सकता है । इस धारणा के कारण विभिन्न देशों के शिक्षा सम्बन्धी आकड़े एकत्रित किए जाने लगे । इन आँकडों को वर्गीकृत एव तालिकाबद्ध करके कुछ सामान्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया । तुलनात्मक शिक्षा की इस अवस्था के विकास में कई विद्वानों ने अपना योगदान दिया इनमें फ्रांसीसी विद्वान विक्टर कजिन (1792- 1867) का योगदान महत्त्वपूर्ण है । ये सोरवान विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर थे जो बाद में (1840) फ्रांस के शिक्षा मंत्री हो गए थे । प्राय: इन्हीं को यूरोप में तुलनात्मक शिक्षा का पहला लेखक माना जाता है । लेकिन इसका कोई विशेष तार्किक आधार नहीं है । हालांकि यह सही है कि उन्होंने पहली बार विदेशी शिक्षा व्यवस्था को तुलनात्मक सिद्धान्तों को आधार बनाकर देखा ।

विक्टर कजिन ने जर्मनी की शिक्षा का गम्भीरता से अध्ययन किया और उसके बड़े हिस्से को फ्रांस में अपनाने की जोरदार अपील भी की- "जर्मनी का तजुर्बा हमें भूलना नहीं चाहिए राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाएं इस बीच नहीं आनी चाहिए । महान राष्ट्रों की विशेषता इसमें नहीं है कि वे किसी से कुछ न लें, वरन् इसमें है कि जो भी कुछ दूसरों में अच्छा है, उसे ग्रहण कर लें और उसका रूप और निखार दें ।" उनकी यह राय उस समय तो उपयोगी थी ही यह आज भी सार्थक है । अमेरिकी विद्वान होरेस मैन का योगदान भी इस अवस्था के विकास में

सराहनीय है । उन्होंने 1844 मैसाचुसेट्स के अपने शिक्षा बोर्ड के लिए यूरोपीय शिक्षा व्यवस्था पर सातवीं रपट पेश की जिसमें जर्मनी के अध्यापन कौशलों का उल्लेख किया गया किन्तु राजनैतिक व्यवस्थाओं के अन्तर के कारण अमेरिकीयों ने इन कौशलों से लाभ उठाने से इन्कार कर दिया ।

इन विद्वानों के अलावा तुलनात्मक शिक्षा के विकास की इस अवस्था विकास में इंग्लैण्ड के मैथ्यू अरनॉल्ड, रूस के टाल्सटॉय और शीन्सकी, अमेरिका के हेनरी बरलार्ग तथा अर्जेन्टाइना के डोमिन्गो का विशेष रूप से उल्लेखनीय योगदान रहा । तुलनात्मक शिक्षा के विकास की इस अवस्था में आकड़े एकत्रित करते समय सम्बद्ध देश की तात्कालिक आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक स्थितियों पर ध्यान नहीं दिया जाता था जबकि हम सभी यह भली-भांति जानते हैं कि देश की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ता है । बल्कि यहाँ तक कि उस देश की राजनैतिक सत्ता या शासन प्रणाली ही वहाँ की शिक्षा व्यवस्था तथा उसकी दिशा को निर्धारित करती है । दो भिन्न-भिन्न शासन प्रणाली अपनाने वाले देशों की शिक्षा व्यवस्था के अन्तर को हम भली-भांति समझ सकते हैं । इसके साथ इस अवस्था में यह भी विचार नहीं किया गया कि यदि कोई देश किसी देश की शिक्षा व्यवस्था या प्रणाली से प्रभावित होकर उसे अपनाना चाहता है, ऐसे में क्या वह शिक्षा प्रणाली उस देश की राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति के अनुकूल है या नहीं, वह उसके लिए सार्थक रहेगी या नहीं । यह अवस्था यात्रियों के उन विवरणों पर आधारित है जो अधिक विश्वसनीय तथा वस्तुनिष्ठ नहीं हैं । ये विवरण अपनी व्यक्तिगत रुचियों, पूर्वाग्रहों तथा रोचक बनाने के मोह से किए गए हैं । इन विवरणों में गम्भीर शोध दृष्टि का अभाव है । यही कारण है कि इस अवस्था में विश्वसनीय निरीक्षण तथा व्यवस्थित व्याख्या का अभाव रहा है । ऐसा इसलिए है कि तुलनात्मक शिक्षा के विकास की यह प्रारम्भिक अवस्था है ।

2. द्वितीय अवस्था (Second Phase)

तुलनात्मक शिक्षा के विकास की दूसरी अवस्था के प्रवर्तक सर माइकेल सैडलर (1861-1963) माने जाते हैं । सर माइकेल सैडलर, सन् 1907 में अपने एक निबन्ध में इस बात पर जोर दिया कि किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली उस देश के सामाजिक वातावरण से सम्बन्धित होनी चाहिए । माइकेल सैडलर का मानना था कि किसी भी शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करते समय तात्कालिक सामाजिक परिस्थितियों तथा सामाजिक घटकों की उपेक्षा नहीं की जा सकती । माइकेल सैडलर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में राष्ट्रीय चरित्र वाली शिक्षा व्यवस्था का जिक्र किया है । सैडलर को यद्यपि जर्मन शिक्षा का व्यापार और उद्योग से तालमेल बहुत अच्छा लगा था, परन्तु उनका कहना था, "कोई भी राष्ट्र जर्मन व्यवस्था की नकल नहीं कर सकता । जर्मन शिक्षा व्यवस्था वहाँ की विशिष्ट जीवनधारा को प्रशिक्षित करती है । समस्त शिक्षा व्यवस्था इसी से अनुशासित है । यही इस व्यवस्था की शक्ति है तथा यही इसकी कमजोरी । या तो आप पूर्ण व्यवस्था को अपने यहाँ उतार लें अथवा उसे ऐसे ही छोड़ दें ।"

यहाँ हम भली प्रकार समझ सकते हैं कि तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन में शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों पर अधिक विचार नहीं किया जाता था और न ही इस बात पर

विचार किया जाता था कि अमुक देश की शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं को किसी अन्य देश ने अपनाया है या नहीं । तुलनात्मक शिक्षा के विकास की द्वितीय अवस्था में इन सभी बातों पर ध्यान दिया जाने लगा । इस अवस्था का प्रारम्भ 19वीं शताब्दी से हुआ । इस अवस्था में अन्य देशों की शिक्षा प्रणाली के नवाचारों तथा प्रयोगों का निरीक्षण कर स्थिति के अनुरूप अपनी शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने तथा उसका विकास करने की प्रकृति का प्रारम्भ हुआ ।

यह वह समय था जब राष्ट्रीय प्रणाली तथा राष्ट्रीयता का विकास हुआ था । विभिन्न देशों ने अपने-अपने देश के शिक्षा विशेषज्ञों को अन्य देशों में वहाँ की शिक्षा प्रणाली के अध्ययन हेतु भेजना शुरू किया । इन विशेषज्ञों ने दूसरे देशों में जाकर शिक्षा सिद्धान्तों, शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रमों, शिक्षा के उद्देश्यों, प्रविधियों, अध्यापक शिक्षा का अध्ययन कर विश्लेषण कर अपने देश को रिपोर्ट दी । इस अवस्था के विकास में कई विद्वानों का योगदान रहा । इस क्षेत्र में मार्क एण्टोइनी जुलियन का उल्लेखनीय योगदान रहा । इनको तुलनात्मक शिक्षा का प्रवर्तक माना जाता है । इन्होंने सन् 1817 में तुलनात्मक अध्ययन पर एक विस्तृत योजना प्रकाशित की । इन्होंने अन्य देशों या पड़ोसी देशों से शिक्षा सम्बन्धी सूचना व विचार एकत्रित करने के लिए एक उपकरण का निर्माण किया, इन्होंने व 46 प्रश्नों वाली प्रश्नावली का भी निर्माण किया । इनके द्वारा भी देशों की शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण किया गया ।

मार्क का यह मानना था कि शिक्षा अन्य विज्ञानों की भाँति एक विज्ञान है जो तथ्यों तथा निरीक्षणों पर आधारित है । इसकी व्यवस्था विश्लेषणात्मक रूप से करके सरलता से तुलना करके निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं । इस आधार पर सिद्धान्तों और नियमों का निर्माण भी किया जा सकता है । मार्क के अनुसार शिक्षा संकुचित नियमों तथा विचारों तक सीमित नहीं है, यह एक सकारात्मक विज्ञान है । उनके अनुसार किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली के अध्ययन से तथ्यों का निरीक्षण तथा विश्लेषण करके अन्य देशों की शिक्षा प्रणाली से इसकी तुलना की जा सकती है ।

मोरस मन ने 25 वर्ष तक यूरोपीय देशों का भ्रमण किया । सन् 1844 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट शिक्षा परिषद् के सामने रखी । मन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दूसरे देशों में अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं जो उसके देश में भी लागू किए जा सकते हैं । दूसरे देश शिक्षा में व्यावहारिकता को अधिक महत्त्व प्रदान करते हैं जबकि अपने देश में सैद्धान्तिक, पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है । मन ने बताया कि दूसरे देशों में शिक्षा का प्रभाव अधिक है । तथा उसके परिणाम सार्थक हैं । इसी तरह से जॉन गरिसकॉन ने भी 1923 में यूरोप की शिक्षा प्रणाली पर 'यूरोप में एक वर्ष' नाम से एक रिपोर्ट बनाई । मैथ्यू अरनोल्ड (1822-1881) ने जर्मनी और फ्रांस की शिक्षा प्रणाली के ऐतिहासिक तथा सांख्यिकीय तथ्यों को एकत्रित कर उनका विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालने का प्रत्यन किया । जोसफ के (1822- 1888) ने भी यूरोपीय देशों का भ्रमण किया तथा उनकी शिक्षा पर लिखा । लियो एन. टाल्सटास (1823-1910) ने पाश्चात्य देशों की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया । उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि केवल पाश्चात्य शिक्षा के अंधानुकरण से प्रगति नहीं की जा सकती बल्कि अपने देश की आवश्यकताओं व परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा प्रणाली में सुधार करना चाहिए ।

इसी तरह से अमेरीकी विद्वान हेनरी बर्नार्ड (1811-1900) ने अपने अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक राष्ट्र एक स्वतन्त्र इकाई होता है । उसकी आवश्यकताएँ, स्थितियाँ व सामाजिक पर्यावरण दूसरे राष्ट्र से भिन्न होती हैं । इसलिए किसी भी देश को अन्य देश की शिक्षा अपनाने से पहले अपने देश के हितार्थ गहन चिन्तन व मनन करना चाहिए ।

उपर्युक्त जिन विद्वानों ने योगदान की चर्चा की है उन सभी विद्वानों ने दूसरे देशों की यात्रा करके निरीक्षण एवं तथ्यों के आधार पर तुलनात्मक कार्यो को आगे बढ़ाया लेकिन इनमें से अधिकतर विद्वानों ने व्यवस्थित प्रविधि का उपयोग नहीं किया । इस अवस्था के शिक्षा शास्त्रियों ने अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा की समस्याओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया इसके बावजूद शिक्षा शास्त्रियों ने बड़े पैमाने पर सूचनाएं उपलब्ध करवाई ।

3. तृतीय अवस्था (Third Phase):

इस अवस्था की शुरूआत 1950 ई. से मानी जाती है । विज्ञान की प्रगति के कारण इस समय सभी विषयों के अध्ययन में विश्लेषण अध्ययन पर विशेष बल दिया जाने लगा । यह स्वाभाविक था कि तुलनात्मक शिक्षा में भी विश्लेषण पर बल दिया जाने लगा । इसी वजह से जार्ज, जेड एफ. बियरडे ने 'विश्लेषण काल' कहा है ।

विश्लेषण पद्धति में किसी देश की शिक्षा प्रणाली को अपनाने से पहले दोनों देशों (जिसकी प्रणाली अपनाई जा रही है तथा जो देश अपना रहा है) की आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का विश्लेषण करके उस प्रणाली की अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता के सम्बन्ध में निष्कर्ष निकाला जाता है । इससे उस देश के लिए उस शिक्षा प्रणाली की अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता के सम्बन्ध में निष्कर्ष निकाला जाता है । इससे उस देश के लिए उस शिक्षा प्रणाली की सार्थकता व निरर्थकता सिद्ध हो जाती है । इस प्रकार शिक्षा के सम्बन्धित कारकों का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है ।

इस अवस्था में चार महत्त्वपूर्ण विचारों को प्राथमिकता प्रदान की गई । इन विचारों को हम निम्नलिखित प्रकार से देख सकते हैं:-

(i) अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन (1993) में किया गया जिसका प्रमुख लक्ष्य 21 वीं सदी के लिए शिक्षा की योजना के प्रारूप को तैयार करना रखा गया ।

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा सम्बन्धी सूचनाओं के संकलन के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया जिसके आधार पर संस्तुतियाँ दी गई ।

(iii) आधुनिक शिक्षण विधियों के प्रशिक्षण के लिए संस्थाओं की स्थापना ।

(iv) बहुभाषी अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिका का प्रकाशन किया गया, जिससे शिक्षा सम्बन्धी सूचनाओं का प्रसारण किया जा सके ।

इन विचारों को प्राथमिकता प्रदान करने के साथ-साथ तुलनात्मक शिक्षा के विकास की अवस्था के चार प्रकार के कार्य बताए गए हैं इनको हम निम्नलिखित प्रकार से देख सकते हैं:-

(i) **प्रथम प्रकार का कार्य:** अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं का अध्ययन किया जाए और मानवता के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए । आई.एल. कैनडाल,

निकोलस हेन्स मुनरो ने इसी प्रकार के महत्त्वपूर्ण कार्य किए । सन् 1927 में पाल मानरो(1869-1947) ने शिक्षा का विश्वकोष प्रकाशित किया जो तुलनात्मक शिक्षा के कार्य के लिए महत्त्वपूर्ण तथा सराहनीय उदाहरण है ।

(ii) **द्वितीय प्रकार का कार्य:** विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों व विद्यालयों की शिक्षा प्रणालियों के विविध पक्षों सम्बन्धी प्रदत्तों के लिए सांख्यिकीय तालिका तैयार करना दूसरे प्रकार का कार्य है । इन्हीं प्रयासों से यूनेस्को तथा आई.बी.ई. के संयुक्त प्रयास से अन्तर्राष्ट्रीय वार्षिक शिक्षा अभिलेख का प्रकाशन किया जाने लगा ।

(iii) **तृतीय प्रकार का कार्य:** इस कार्य में इस प्रकार के प्रदत्तों को प्रस्तुत किया जाता है जिसमें शिक्षा सम्बन्धी विश्वव्यापी आन्दोलन की दिशा तथा प्रकृति का ज्ञान हो सके, साथ ही सामाजिक और आर्थिक शक्तियों के अभाव को खोजा जा सके । इस आधार पर विश्व के सभी देशों की सहमति के साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्त्वपूर्ण व सार्थक निर्णय लिया जा सके ।

(iv) **चतुर्थ प्रकार का कार्य:** इस प्रकार के कार्य में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय संसाधन तथा आर्थिक संसाधन की दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करना आता है । इस दिशा में यूनेस्को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है । विश्व बैंक आर्थिक सहयोग प्रदान करता है ।

तुलनात्मक शिक्षा के विकास की तृतीय अवस्था में विश्व के देशों की उन समस्याओं का हल होने लगा जो विश्व के देशों को अलग-अलग किए हुए थी । उस अवस्था में विभिन्न देशों की शिक्षा सम्बन्धी सूचनाओं का संकलन व प्रकाशन प्रारम्भ हो गया । विद्यार्थी तथा शोधकर्ता एक-दूसरे देश में जाकर अध्ययन व अनुसंधान करने लगे । अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क हेतु विभिन्न देशों में नेटवर्क की स्थापना की गई । इससे अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव बढ़ा और विश्व के सभी शिक्षा संस्थानों की प्रगति हुई ।

तुलनात्मक शिक्षा के विकास की इस अवस्था के विकास में फ्रेडरिक रनाइडर उलिक रॉबर्ट तथा कैण्डल ने विशेष योगदान दिया । इन सभी शिक्षाविदों का मानना है कि विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन से उन देशों की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक समस्याओं को समझते हुए विश्व की मानव जाति की समस्याओं, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे, इन्हें समझेंगे । इससे विश्व की एकता की भावना प्रबल होगी ।

4. चतुर्थ अवस्था (Fourth Phase)

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक सामाजिक विज्ञानों का विकास तीव्रता से हुआ और उनका महत्त्व बढ़ गया । सामाजिक विज्ञानों के बढ़ते प्रभाव के चलते शिक्षा को समाज और राष्ट्र के साथ जोड़ा गया । शिक्षा को समाज का दर्पण कहा जाने लगा । यह माना जाने लगा कि जैसा समाज होगा वैसी ही शिक्षा होगी । विद्यालय समाज का लघुरूप माना जाने लगा । यह धारणा बलवती हुई कि शिक्षा समाज का करती है । समाज तथा शिक्षा में अन्तःक्रिया होती रहती है । इस तथ्य का बोध शिक्षा तथा समाज के ऐतिहासिक विश्लेषण से किया जा सकता है

और इससे हम परिवर्तन के कारकों को भी पहचान सकते हैं । जिस प्रकार शिक्षा प्रणाली का प्रभाव समाज और राष्ट्रीय चरित्र पर पड़ता है ठीक इसी तरह से समाज और राष्ट्र का चरित्र शिक्षा को प्रभावित करता है । शिक्षा, समाज और राष्ट्र के गहरे सम्बन्ध हैं तुलनात्मक शिक्षा के विकास की चतुर्थ अवस्था में इन सम्बन्धों को अत्यधिक महत्त्व दिया गया । इस अवस्था के विकास में माइकिल सैडलर, आई.एल. कैनडाल, निकोलस हेस, बर्नन मेलिन्स राबर्ट जैसे विद्वानों ने उल्लेखनीय योगदान दिया ।

माइकिल सैडलर ने सन् 1900 में एक निबंध में लिखा था कि विदेशी शिक्षा प्रणालियों के अध्ययन से हम किन-किन मूल्यों को सीख सकते हैं । तुलनात्मक शिक्षा के सम्बन्ध में उनका एक कथन कई बार उद्दत किया जाता है- "विदेशों की शिक्षा प्रणालियों से हम व्यावहारिक मूल्यों को सीखते हैं ।" माइकिल सैडलर का विचार था कि विदेशों की शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन करते समय हमें केवल शिक्षा संस्थानों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि इन संस्थानों से बाहर भी बहुत ही चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए । केवल शिक्षा संस्थान में हम शिक्षा प्रणाली का शुद्ध बोध प्राप्त नहीं कर सकते । राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एक सजीव प्रत्यय है जिसका आधार अतीत की घटनाएँ हैं । राष्ट्रीय शिक्षा में कुछ ऐसे गोपनीय कार्य व अवधारणाएँ होती हैं जिनका राष्ट्रीय जीवन से गहरा सम्बन्ध होता है । जब हम शिक्षा प्रणाली में सुधार की बात करते हैं तब हमें इनका ज्ञान होता है । इसी तरह से जब विदेशी शिक्षा प्रणाली की कुछ चीजों या अंशों को हम अपनी शिक्षा में सम्मिलित करना चाहते हैं तब उसके व्यावहारिक मूल्यों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए इस प्रकार हम देखते हैं कि सैडलर व्यावहारिक मूल्यों को अधिक महत्त्व देते है । इन मूल्यों का ज्ञान विद्यालय व समाज दोनों के अध्ययन से किया जा सकता है । विद्यालय विद्यार्थी को मूल्यों से परिचित करवाता है तथा समाज में विद्यार्थी उसको व्यवहार रूप में अपनाते हैं ।

तुलनात्मक अध्ययन में सैडलर सांख्यिकी की वैधता (Validity) तथा शुद्धता (Purity) के सम्बन्ध में सहमत नहीं हैं । माइकिल सैडलर के अध्ययन के आयाम का अनुसरण अनेक विद्वानों ने किया, इनमें आई.एल. कैनडाल का नाम प्रमुख है । आई.एल. कैनडाल ने 1933 में अपनी पुस्तक में शिक्षा के अनेक पक्षों की व्याख्या की तथा प्रदत्तों के संकलन में शुद्धता पर जोर दिया । इन्होंने विद्यालय एवं समाज के सम्बन्धों के लिए एक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, जिसके आधार पर विशिष्ट संस्कृति में शिक्षा प्रणाली का विकास किया जाता है । इनका विश्वास था कि किसी भी शिक्षा प्रणाली के महत्त्व की व्याख्या उसे समझने के लिए की जाए । आई.एल. कैनडाल का तुलनात्मक शिक्षा के विकास में उल्लेखनीय योगदान है, इनके योगदान की वजह से उन्हें 'तुलनात्मक शिक्षा का पिता' कहा जाता है ।

निकोलस हंस ने भी तुलनात्मक शिक्षा पर काफी कार्य किया था । एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अध्ययन 'शिक्षा के कारक एवं परम्पराएँ' (1949) था । इस अध्ययन में इन्होंने विभिन्न देशों की शिक्षा एवं संस्कृति को सम्मिलित करते हुए शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाले विशिष्ट कारकों की पहचान की थी ।

इन्होंने तथ्यों का वर्गीकरण निम्नलिखित तीन समूहों में किया:-

(अ) प्राकृतिक कारक (ब) धार्मिक कारक (स) राजनैतिक कारक

निकोलस ने इन कारकों का उपयोग शिक्षा प्रणाली में लिखा है- "इन कारकों का तुलनात्मक विश्लेषण, ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से करना और समस्याओं के समाधान की तुलना करना ही तुलनात्मक शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है ।"

निकोलस का आयाम ऐतिहासिक प्रकृति का अधिक है । परन्तु वह शिक्षा प्रणाली को अतीत तक ही सीमित नहीं रखना चाहता बल्कि विभिन्न कारकों के प्रभावों का अध्ययन एवं विश्लेषण करता है । क्योंकि तुलनात्मक शिक्षा का लक्ष्य तुलना करना ही नहीं होता बल्कि अपनी शिक्षा प्रणाली का विकास तथा सुधार करना भी है । निकोलस का विश्वास था कि भविष्य के सुधार के लिए इन कारकों की सहायता लेनी चाहिए । इन्होंने अतीत और वर्तमान के सांख्यिकीय प्रदत्तों का विश्लेषण करने का सुझाव दिया था क्योंकि इस प्रकार के निष्कर्ष सुधार हेतु वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं ।

बर्नन मेलियन्स राबर्ट की 'तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन की भूमिका' (An Introduction to the Study of Comparative Education) पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुई । इसमें उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की विषमताओं का अध्ययन राष्ट्रीय चरित्र के संदर्भ में किया । इनका मानना था कि राष्ट्रीय चरित्र को- आर्थिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, भौगोलिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा तकनीकी कारक निर्धारित करते हैं ।

इस अवस्था में उपर्युक्त सभी शिक्षाविदों ने विभिन्न देशों की शिक्षा की विषमताओं की व्याख्या करने का प्रयास किया । कुछ विद्वानों ने शिक्षा की समस्याओं तथा उनके समाधानों के कारणों की भी तुलना की तथा गुणवत्ता सुधार के लिए प्रयास किया ।

5. पंचम अथवा अन्तिम अवस्था (Fifth or the Last Phase) :

इस अवस्था को आधुनिक अवस्था भी कहा जाता है । इस अवस्था का प्रारम्भ गुणात्मक सर्वेक्षण से हुआ और धीरे-धीरे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संख्यात्मक अध्ययन की प्रकृति में वृद्धि हो गई । इस प्रकार के अध्ययनों में निम्नलिखित पक्षों को प्राथमिकता दी जाती है-

(i) संख्यात्मक प्रदत्त (Quantitative Data)

20वी शताब्दी के मध्य से सामाजिक विद्वानों में अनुभवजन्य कार्यो को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा । इसलिए अनुभवजन्य संख्यात्मक विधियों का उपयोग सामाजिक विज्ञानों, शिक्षा तथा मनोविज्ञान आदि में किया जाने लगा और इस प्रकृति में निरंतर वृद्धि होती गई । ऐसे उपकरणों तथा परीक्षणों का विकास किया गया जिससे संख्यात्मक तथ्य सरलता से उपलब्ध हो सकें । तुलनात्मक शिक्षा में भी अनुभवजन्य संख्यात्मक कार्यो का प्रारम्भ हुआ ।

(ii) विधियों की समस्या (Problem of Methodology)

तुलनात्मक शिक्षा के विद्वानों में विधियों के सम्बन्ध में अभी तक सहमति नहीं बन पाई । जार्ज ब्रेडे ने अपनी पुस्तक 'The Comparative Method of Education' (1964) में वाद-विवाद विधि को उपयुक्ता बताया । तुलनात्मक शिक्षा में विधियों की समस्या पर यह अपनी तरह की प्रथम पुस्तक लिखी गई । इस पुस्तक में

तुलनात्मक अध्ययन के चार सोपानों का उल्लेख किया गया । ये सोपान हैं:- वर्णन, अर्थापन / व्याख्या, संस्थित तथा तुलना ।

(iii) परिकल्पनाओं का प्रतिपादन (Formulation of Hypotheses)

जार्ज ब्रेडे का मानना है कि यथास्थिति में परिकल्पनाओं का प्रतिपादन किया जाता है जो समस्याओं के समाधानों की ओर संकेत करती हैं । इन परिकल्पनाओं की उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पुष्टि की जाती है और तुलना भी की जाती है । जब परिकल्पनाओं के आधार पर सार्थक तथ्यों का संकलन करना कठिन कार्य होता है तब बिना परिकल्पना सूचनाओं और तथ्यों के संकलन हेतु छात्रों को विशिष्ट प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे वे सार्थक व शुद्ध तथ्यों का संकलन कर सकें ।

इन तथ्यों को सामाजिक तथा ऐतिहासिक संदर्भ में संजोया जा सके और उनका यथास्थिति उपयोग परिकल्पनाओं के प्रतिपादन में किया जा सके । इन क्रियाओं की सहायता से तुलनात्मक कार्य किया जा सकता है ।

(iv) शिक्षा एवं समाज में सम्बन्ध (Relationship Between Education and Society)

आधुनिक समय में अधिकांश समस्याओं के अध्ययन में शिक्षा और समाज के सम्बन्धों की खोज की जाती है । इस संदर्भ में दो प्रकार के सम्बन्धों का अध्ययन अधिक किया जाता है:- (1) शिक्षा और धन में सम्बन्ध (2) शिक्षा और सामाजिक तथा राजनैतिक परिवर्तन में सम्बन्ध । फ्रेड्रिक हरविसन तथा चार्ल्स माइर ने अपने अध्ययन में बताया कि शिक्षा पर व्यय का विकास की प्रक्रिया से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है ।

(v) विकास में शिक्षा की भूमिका (Role of Education in Development)

विकास में शिक्षा की भूमिका का कई शिक्षाशास्त्रियों ने अध्ययन किया । अरनोल्ड एण्ड सन तथा मेरी जीन बोमेन ने शिक्षा और विकास के विशिष्ट कारकों पर अध्ययन किया । इस तरह के अन्य अध्ययन भी किए गए । इन अध्ययनों में पाया गया, विकास में शिक्षा की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है ।

(vi) अनुसंधान कार्य का विस्तार (Extension of Research Work)

विकास की इस अवस्था में अनुसंधान कार्य में काफी विस्तार हुआ । अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक आकलन (IEA) ने कई दशों की शिक्षा के तुलनात्मक अध्ययन का प्रकाशन किया । इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक आकलन (IEA) ने सामाजिक विज्ञानों की तुलनात्मक शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

इस समय तुलनात्मक शिक्षा की जिम्मेदारी यूनेस्को ने ले ली है । वहाँ से प्रकाशित आँकड़ों तथा राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्थाओं की चर्चा होती रहती है । आधुनिक समय में अमेरिका के फिलिप आल्टबेख, मैक्स एक्सटाइन, इंग्लैण्ड के जे.ए. लौरीज एडमंड जे किंग, ब्रियोन होम्स, फ्रांस के मिशेल दुवेवे, स्वीडन के टारसहन हयूसेन ने काफी उल्लेखनीय शोधकार्य किए हैं ।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न(Self Evaluation Question)

1. तुलनात्मक शिक्षा के विकास के प्रमुख चरणों को लिखिए ।
2. तुलनात्मक शिक्षा के विकास के अन्तिम चरण पर प्रकाश डालिए ।

2.4 भारत में तुलनात्मक शिक्षा का विकास (Development of Comparative Education in India)

भारत में भी तुलनात्मक शिक्षा उन्हीं सीढ़ियों से होकर गुजरी जिनसे यूरोप में । प्राचीन भारत में अनेक विदेशी यात्री आए जिन्होंने भारत पर लिखा । प्रसंगवश उन्होंने अपने लेखन में भारतीय शिक्षा की भी चर्चा की । प्राचीन भारत का ईरान, ग्रीस, चीन, तिब्बत, नेपाल आदि देशों से घनिष्ठ संबंध है । प्राचीन यात्रियों में चीनी यात्रियों ने भारतीय शिक्षा पर अनेक लेख लिखे । ह्येनसांग तथा फाईयान में बौद्धकालीन शिक्षा पर अत्यन्त सार्थक वर्णन किया है । इसी तरह से मेगस्थनीज ने भी भारतीय शिक्षा पर प्रकाश डाला । अलबरूनी ने भारतीयों के उच्च श्रेणी के ज्ञान के साथ-साथ संकुचित दृष्टिकोण की चर्चा की है । उन्होंने लिखा है कि भारतीय विद्वानों में विनम्रता का अभाव होता है । इसी प्रकार इब्न बतूता ने भी भारत के शैक्षिक तथा बौद्धिक स्तर की चर्चा की है ।

भारत में योरोपीय आक्रमण से काफी पहले इतावली, पुर्तगाली, डच फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी यात्री भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा कर चुके थे, इन सभी ने उस समय के भारत का वर्णन किया है, इस वर्णन में अनेक जगह भारतीय शिक्षा और ज्ञान के पक्ष भी उजागर हुए हैं । लेकिन भारतीय यात्रियों ने ऐसा लेखन कार्य नहीं किया ।

अंग्रेजों के आने के बाद भारतीयों ने योरोपीय शिक्षा को देखा, परखा तथा शिक्षा को राष्ट्रीय गर्व तथा शक्ति के साधन के रूप में पहचाना । अनेक भारतीयों ने अंग्रेजी शिक्षा पर लेख लिखे । हालांकि अब तक ये लेख भारतीय तुलनात्मक शिक्षा का हिस्सा नहीं बन पाए हैं । यूनेस्को की पत्रिका 'प्रोस्पेक्ट्स' के जनवरी, 1990 के अंक में दो चीनी विद्वानों ने लिखा कि यदि यात्रियों के लेख ही तुलनात्मक शिक्षा के प्रारम्भ के मूल माने जाते हैं, तो चीनी यात्रियों के लेख सबसे पुराने होंगे । परन्तु इन लेखों को अब तक किसी ने प्रभावी ढंग से अनुसंधान का विषय नहीं बनाया । ह्येनसांग की भारत यात्रा तथा हर्षकालीन बौद्ध शिक्षा पर महत्त्वपूर्ण पुस्तक है । नीलकंठ शास्त्री की लैटिन तथा ग्रीक साहित्य में 'भारत' नामक शोध पुस्तक प्राचीन भारत की विदेशी दृष्टि से एक तस्वीर पेश करती है । अभी तक प्राचीन भारतीय विद्वानों द्वारा किसी अन्य देश पर लिखी पुस्तक का पता नहीं लग पाया है ।

अंग्रेजों के आने के पश्चात् भारतीयों की योरोपीय शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी । तुलनात्मक शिक्षा के शुरूआती भारतीय प्रयत्नों का लेखा-जोखा हमारे अनेक नेताओं ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने इंग्लैण्ड, जर्मनी, रूस आदि की शिक्षा के आँकड़े दिए । इनके प्रयत्नों के परिणामस्वरूप भारतीय शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन आया । इस संदर्भ में राजाराम मोहन राय का संस्कृत कॉलेज खोलने का विरोध करने के पत्र लिखने को हम तुलनात्मक शिक्षा का सूत्रपात मान सकते हैं ।

शिक्षा परम्पराओं की तुलना राजा राम मोहन राय की भारतीय तुलनात्मक शिक्षा की बड़ी देन है । इसी तरह सर सैयद अहमद खाँ, दादाभाई नौरोजी आदि ने अपने लेखन में अंग्रेजी शिक्षा की सराहना की तथा उसके अनुरूप भारत में अनेक शिक्षण संस्थाएँ स्थापित भी हुई । लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक 'द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इण्डिया' में लिखा कि- "हमें समय के साथ चलना सीखना चाहिए । नए ज्ञान को केवल इसलिए हेय नहीं माना जा सकता क्योंकि वह ज्ञान भारत में कभी था । योरोपीय भाषाओं, योरोपीय साहित्य, योरोपीय विज्ञान के पढ़ाने को हेय मानना काफी बड़ी भूल होगी और कहना न होगा कि अभी तक इस दिशा में हमारे प्रयत्न काफी कमजोर रहे हैं ।" उन्होंने योरोपीय ज्ञान-विज्ञान की विस्तार से चर्चा की । ज्योतिबाराव फुले ने भी इस तरह के प्रयास किए ।

महात्मा गाँधी के दक्षिणी अफ्रीका में काउन्ट लियो ताल्सताय से बेसिक शिक्षा पर पत्रों द्वारा चर्चा भारतीय तुलनात्मक शिक्षा की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है । बाद में जाकर जाकिर हुसैन ने जर्मन लेखक कर्सचेन सटाइन द्वारा सुझाई हस्तकला द्वारा शिक्षा को भारतीय परिस्थितियों में ढालकर एक स्वावलम्बी शिक्षा-व्यवस्था को जन्म देने के लिए प्रेरित किया । इसी तरह से रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रूसी शिक्षा से काफी प्रभावित थे । उन्होंने रूसी शिक्षा को भारतीय भारत में उतारने के प्रयत्न किए ।

इसी समय जर्मनी तथा जापान की उन्नति के कारण वहाँ की शिक्षा पर भी अनेक भारतीयों का ध्यान गया । भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के कई अधिकारियों ने भारत के शैक्षिक पिछड़ेपन की चिन्ता करते हुए अन्य राष्ट्रों के शैक्षिक अनुभवों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया । इनमें आर. सी. दत्त का नाम उल्लेखनीय है । भारतीय साहित्यकारों में मुशी प्रेमचन्द ने भारतीय प्राथमिक शिक्षा की अनेक राष्ट्रों से तुलना करते हुए बताया कि अन्य राष्ट्र अपनी आय का बहुत बड़ा भाग शिक्षा पर व्यय करते हैं, भारतीय शिक्षा पर किया गया व्यय उनसे काफी कम है । भारत की शिक्षा स्वतन्त्रता के बाद बनी सभी महत्वपूर्ण रपटें और दस्तावेज विदेशी विद्वानों व शिक्षा से प्रभावित दिखलाई पड़ती हैं ।

आज हमारी जरूरत यह है कि हम न केवल अपनी संस्थाओं में विदेशी प्रेरणा का पता लगाएँ उसका इतिहास लिखें बल्कि हम उसका इतिहास भारतीय स्रोतों के सहारे लिखें तथा उसके विकास की तुलना करें तथा भविष्य के लिए सुधार के प्रयत्न करें ।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self Evaluation Question)

1. भारत की तुलनात्मक शिक्षा के विकास में विदेशी यात्रियों के योगदान का वर्णन कीजिए ।
2. अंग्रेजों के आगमन के बाद की भारतीय तुलनात्मक शिक्षा के विकास पर टिप्पणी लिखिए।

2.5 सारांश (Summary)

तुलनात्मक शिक्षा के विकास की पृष्ठ भूमि बहुत पुरानी है । प्राचीन यात्रियों द्वारा अन्य देशों की यात्रा के वर्णन में हमें तुलनात्मक शिक्षा के बीज मिलते हैं । बाद में अनेक यात्रियों ने शिक्षा के लिए ही अन्य देशों की यात्रा की । इनमें यूरोप के यात्रियों का योगदान

सबसे अधिक है । तुलनात्मक शिक्षा के विकास को पाँच चरणों में बांटा जाता है जो निम्नलिखित प्रकार से हैं-

1. **प्रथम अवस्था-** इस अवस्था की शुरूआत अन्तोइजन जूनियन के विचारों से मानी जाती है। इस अवस्था का आधार यात्रियों का विवरण है ।
2. **द्वितीय अवस्था-** इसके प्रवर्तक माइकेल सैडलर माने जाते हैं । इस अवस्था में तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन में सामाजिक वातावरण अधिक बल दिया गया ।
3. **तृतीय अवस्था-** इस अवस्था की शुरूआत 1950 ई. से मानी जाती है । इस अवस्था में तुलनात्मक के विश्लेषण पर अधिक बल दिया गया ।
4. **चतुर्थ अवस्था-** इस अवस्था में सामाजिक विज्ञानों के बढ़ते प्रभाव के चलते शिक्षा को समाज और राष्ट्र से जोड़ा गया ।
5. **पंचम अवस्था-** इस अवस्था को आधुनिक अवस्था भी कहा जाता है । इसकी शुरूआत गुणात्मक सर्वेक्षण से हुई और धीरे-धीरे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संख्यात्मक अध्ययन की प्रकृति बढ़ी ।

भारत में भी तुलनात्मक शिक्षा का विकास उसी तरह से शुरू हुआ जिस प्रकार योरोप के देशों में । प्राचीन बाहरी देशों के यात्रियों के अलावा राजाराम मोहनराय, महात्मा गाँधी, रवीन्द्रनाथ टैगोर, जाकिर हुसैन आदि ने भारतीय तुलनात्मक शिक्षा के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया ।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self Evaluation Question)

1. तुलनात्मक शिक्षा के विकास की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए ।
2. तुलनात्मक शिक्षा के विकास पर एक निबन्ध लिखिए ।
3. तुलनात्मक शिक्षा की आधुनिक अवस्था की विशेषताएँ बताइए ।
4. विभिन्न देशों के प्राचीन यात्रियों के तुलनात्मक शिक्षा में योगदान पर टिप्पणी लिखिए ।
5. भारत में तुलनात्मक शिक्षा के विकास पर टिप्पणी लिखिए ।

2.6 संदर्भ (References)

1. जायसवाल, सीताराम (1970) तुलनात्मक शिक्षा हिन्दी समिति, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. पाण्डेय, रामशकल (1963) आधुनिक शिक्षा का विकास, दिल्ली मैट्रो पोलिटन बुक कम्पनी (प्रा.लि) ।
3. मलैया, के.सी. (1966) तुलनात्मक शिक्षा, इलाहाबाद लोकभारती प्रकाशन ।
4. श्रीवास्तव, आर.एस. (1963) तुलनात्मक शिक्षा, आगरा इण्डियन बुक हाऊस ।
5. चौबे, सरयू प्रसाद (1976) भारत में शिक्षा और उसकी समस्याएँ, आगरा विनोद पुस्तक मन्दिर ।
6. मुकर्जी, श्रीधरनाथ (1960) भारत में शिक्षा,बड़ौदा आचार्य बुक डिपो ।
7. रावत, प्यारेलाल (1970) भारतीय शिक्षा का इतिहास, आगरा राम प्रसाद एण्ड सन्स ।

इकाई - 3

शिक्षा को प्रभावित करने वाले घटक
(Factors Affecting Education)

3.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of the Unit)

3.1 विषय प्रवेश (Introduction)

3.2 भौगोलिक घटक (Geographical Factor)

3.3 आर्थिक घटक (Economic Factor)

3.4 दार्शनिक घटक (Philosophical Factor)

3.5 राजनैतिक घटक (Political Factor)

3.6 ऐतिहासिक घटक (Historical Factor)

3.7 सांस्कृतिक घटक (Cultural Factor)

3.8 धार्मिक घटक (Religious Factor)

3.9 जातीय घटक (Ethnic Factor)

3.10 भाषीय घटक (Linguistic Factor)

3.11 सामाजिक घटक (Social Factor)

3.12 भूमण्डलीकरण और शिक्षा (Globalisation and Education)

3.13 सारांश (Summary)

3.14 सन्दर्भ (References)

3.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of the Unit)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप जान पाएँगे कि-

1. किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली वहाँ की भौगोलिक, आर्थिक, दार्शनिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई, जातीय, राष्ट्रीय एवं मनोवैज्ञानिक घटकों से किस प्रकार से प्रभावित होती है?
2. किसी देश की शिक्षा प्रणाली किस प्रकार विकसित होती है?
3. शिक्षा को प्रभावित करने वाले निर्णयकारी घटकों के कारण क्या हैं?

3.2 विषय प्रवेश (Introduction)

शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारकों के अध्ययन से पूर्व शिक्षा प्रणाली के अर्थ को समझना उचित होगा । यह दो शब्दों से मिलकर बना है ।

शिक्षा	+	प्रणाली
(व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया)		(प्रकार्यात्मक रूप से परस्पर सम्बन्धित इकाईयों का समूह जो एक-दूसरे को प्रभावित करते हुए

एक ही उद्देश्य की ओर अग्रसर होती है ।)

शिक्षा के प्रबन्धन, शिक्षालय संरचना एवं उनकी क्रमबद्धता, संचालन आदि से सम्बन्धित सभी इकाइयाँ शिक्षा प्रणाली के अंग है । शिक्षा समाज का उपांग है उसकी अपनी संरचना, संस्कृति (विशेषताएँ) तथा व्यक्तित्व निर्धारक (अपने विशिष्ट ढंग से व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं) तत्व हैं । यह समाज की दूसरे उपांग जैसे धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था, भौगोलिक परिस्थितियों संभाग की संस्कृति से प्रभावित होती है उन्हें करती भी है । शिक्षा प्रणाली का स्वरूप गत्यात्मक व विकासात्मक होता है । किसी राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करने के लिए यह अतिआवश्यक हो जाता है कि उस राष्ट्र के समाज को स्वरूप देने वाले सभी घटकों का अध्ययन किया जाए क्योंकि यह घटक शिक्षा प्रणाली के निर्धारक तत्व होते हैं । निकोलस हैंस (1949) ने शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारकों को तीन समूह में बाँटा है-

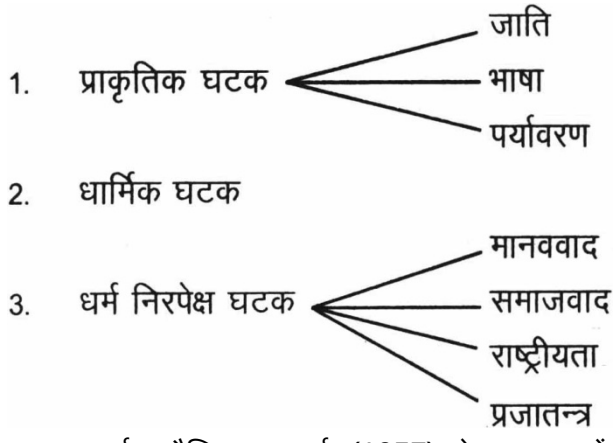

वर्नन मैलिन्सन राबर्ट (1957) ने उन कारकों का उल्लेख किया जो कि राष्ट्रीय चरित्र के स्वरूप के निर्धारक हैं:-

1. भौगोलिक व आर्थिक कारक (Geographical and Economic Factor)
2. ऐतिहासिक कारक (Historical Factor)
3. धार्मिक कारक (Religious Factor)
4. राजनैतिक कारक (Political Factor)
5. सामाजिक कारक (Social Factor)

सभी कारक सम्मिलित रूप से शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करते हैं किसी स्थान पर कोई कारक प्रधान (Dominant) तो दूसरे स्थान पर गौण (Recessive) हो सकता है । मुख्य घटक अग्रांकित चित्र में दर्शाए गए हैं:-

शिक्षा को प्रभावित करने वाले घटक

भौगोलिक घटक	धार्मिक घटक
आर्थिक घटक	जातीय घटक
दार्शनिक घटक	भाषायी घटक
ऐतिहासिक घटक	सामाजिक घटक
सांस्कृतिक घटक	भूमण्डलीय घटक

इन घटकों का अध्ययन विस्तृत रूप से करेंगे । ये सभी घटक एक-दूसरे को परस्पर प्रभावित करते है।

3.2 भौगोलिक घटक (Geographical Factor)

भौगोलिक परिस्थितियाँ स्वाभाविक व निश्चित हैं, जिनसे व्यक्ति को मुकाबला कर समायोजन करना पड़ता हैं । सभी देश अपनी शिक्षा प्रणाली का आयोजन राष्ट्रीय व स्थानीय परिस्थितियों व आवश्यकताओं से निकटत: सम्बद्ध होकर करते हैं । व्यक्ति की कार्यक्षमता, भाषाओं की संरचना तथा उच्चारण देश की जलवायु से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती हैं तथा भौगोलिक कारण शिक्षा प्रणाली की संरचना को भी प्रभावित करता है । शाला प्रणाली का ढाँचा, साज-सज्जा, आवागमन के साधन, यूनीफार्म, समय, अनिवार्य उपस्थिति की आयु सीमाएँ सभी स्थानीय जलवायु पर निर्भर करती हैं ।

भयंकर जाड़ों और बर्फानी तूफानों वाले देशों (उत्तरी देश डेनमार्क, फिनलैण्ड, नार्वे, स्वीडन) आदि देशों में बच्चों की अनिवार्य उपस्थिति की आयु सीमा, भूमध्य सागरीय देशों फ्रांस, ग्रीस, इटली की तुलना में दो-तीन वर्ष ज्यादा है । इसीलिए उत्तरी देशों में प्राथमिक विद्यालयों में शिशु विभाग ही नहीं होते जबकि भूमध्यसागरीय देशों का मन्द जलवायु तीन साल के बच्चों को भी पाठशाला जाने की इजाजत देता है । भारत में गर्मी व जाड़ों में नीलाकाश के नीचे पढ़ाई का प्रबन्ध आम बात है किन्तु अन्यत्र इसकी चर्चा भी हास्यास्पद है ।

स्थलाकृति व जलवायु जनसंख्या के फैलाव को प्रभावित करती है । जैसे- आस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में यूरोप के बराबर है एवं इस महाद्वीप में दुनिया का दूसरे नम्बर का सबसे बडा मरूस्थल है । इस महाद्वीप की या प्रतिशत आबादी छ: राज्यों की छ: राजधानियों में शेष ग्रामीण आबादी सारे देश में बिखरी-बिखरी सी फैली है । इन विसंगतियों के कारण आरट्रेलिया में दो प्रकार की प्रणालियाँ विकसित हैं । एक तो बडे शहरों के लिए और दूसरी ग्रामीण के लिए ।

इन दोनों प्रणालियों का प्रशासन व वित्तीय जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है, जो अंग्रेजी भाषी देशों के ऐतिहासिक परम्पराओं के सर्वथा प्रतिकूल है ।

3.3 आर्थिक घटक (Economic Factor)

"Knowledge itself is power."

-Francis Bacon

ज्ञान अपने आप में शक्ति है । जिसके पास ज्ञान की पूँजी है वह धनवान है । ज्ञान व्यक्ति को स्वतन्त्रता प्रदान करता है जिससे वह अपने भविष्य को बनाता है । प्रत्येक राष्ट्र की नींव उसके युवाओं की शिक्षा से ही मजबूत होती है । नीदरलैण्ड की आर्थिक स्थिति में सुधार वहाँ की शिक्षा के निरन्तर सुधार का परिणाम है ।

आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र के लिए जनता को पूर्णतया साक्षर करना आसान है वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था के लिए मिलने वाली सुविधाएँ जैसे- निःशुल्क शिक्षा, अच्छे अध्यापक, नवीन पाठ्य सामग्री, कम्प्यूटर आदि आम बात है जबकि विकासशील देशों के लिए थोड़ा कठिन है । शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता भी आर्थिक क्षमताओं से प्रभावित होती है । जैसे भारत में योग्यता की कमी नहीं है, किन्तु धनाभाव, उच्च स्तर की नवीन पत्र-पत्रिकाएँ, प्रयोगशालाएँ तथा विशेषता चर्चाओं की कमी के कारण यहाँ होने वाले अनुसंधान अधःस्तरीय होते हैं । भौगोलिक कारण भी शिक्षा व्यवस्था के व्यय को बढ़ा देता है जिन देशों में आबादी का फैलाव सामान्य रहता है वहाँ परिणाम और लाभ अधिक होता है जबकि छितरी आबादी वाले इलाकों में धन का अपव्यय होता है । वहाँ शैक्षिक संस्थाओं में पढने वाले छात्रों की संख्या कम तथा प्रत्येक विषय की कक्षाओं का आयोजन असम्भव होता है ।

भारत में जन-जातियों के लिए खोले गए स्कूलों के संगठन में बहुत-सी कठिनाइयाँ आती हैं । वहाँ पर कुशल एवं योग्य अध्यापक जाना नहीं चाहते और स्थानीय अध्यापकों को लगाने से शैक्षिक उपलब्धता में कमी होती है । कोई देश किस स्तर पर तथा किस प्रकार की शिक्षा पर कितना खर्च करेगा यह उस देश की आवश्यकता व सोच पर निर्भर करता है । जैसे इंग्लैण्ड में अठारहवीं शताब्दी के अंत में औद्योगिक विकास तीव्र गति से हुआ । औद्योगिक क्षेत्रों में आबादी कई गुना बढ़ने लगी तो इन क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या बढ़ानी पड़ी तथा औद्योगिक इकाइयों की जंग की पूर्ति के लिए तकनीकी व व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना करनी पड़ी ।

रूस का औद्योगीकरण इंग्लैण्ड के समान एक स्वत: होने वाली प्रक्रिया न होकर राज्य की नीति का परिणाम भी वहाँ औद्योगीकरण के लिए तकनीकी विद्यालय खोले गए । भारत ने भी आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सिस्टम अपनाया है जिससे शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के नाम पर अंधाधुंध शैक्षिक संस्थाएं खोली जा रही हैं जो कि गुणवत्ता में गिरावट कर पैसा कमाने का तरीका बन गई है । इनमें व्यावसायिक शिक्षा संस्थाएँ सैद्धान्तिक शिक्षा संस्थाओं की अपेक्षा ज्यादा प्रधान हो गई तथा उच्च शिक्षा केवल पूंजीपतियों का अधिकार बनती जा रही हैं, जबकि भारत में शिक्षा का समान संवैधानिक अधिकार है ।

आर्थिक विषमता भी शैक्षिक संस्थाओं में विभिन्नताओं को जन्म देती है । जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका व ब्रिटेन में । अमेरिका में काले-गौरों के शैक्षिक स्तर में जो राष्ट्र भेद है वही ब्रिटेन के पब्लिक स्कूल तथा मिशनरी स्कूल में है ।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक कौन-कौनसे हैं?
2. भौगोलिक घटक किस प्रकार से शिक्षा के व्यय को बढ़ा देते हैं?

3.4 दार्शनिक घटक (Philosophical Factor)

You can't without philosophy, since everything has its hidden meaning which we must know."

Maxim Gorky

किसी भी राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था को जानने के लिए आवश्यक है कि राष्ट्र का जीवन दर्शन क्या है, मानव के सम्बन्ध में उनकी कल्पना क्या है, तथा वे किन-किन मूल्यों का अनुपालन मानव के लिए आवश्यक समझते हैं । जैसे भारतीय दर्शन सत्यम् शिवम् सुन्दरम् में विश्वास रखता है । इसके अनुसार मनुष्य की आत्मपूर्णता ही शिक्षा का उद्देश्य है । यह उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब शिक्षा व्यवस्था में उन सभी तत्त्वों को सम्मिलित किया जाए जो मानवीय व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास में सहायक है । इसमें कोई शक नहीं कि भारत की शिक्षा पर वैदिक दर्शन की छाप है, फिर भी काफी असर पाश्चात्य दर्शन का भी पड़ा है, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत पर लम्बे समय तक शासन किया है ।

सोवियत संघ तथा चीन की शिक्षा प्रणाली साम्यवादी दर्शन पर आधारित है इसके दर्शन के अनुसार प्रजाति, धर्म, भाषा, राष्ट्र तथा लिंग से परे सारे मानवों के भाईचारे का सिद्धान्त है तथा इनका उद्देश्य सारे अत्याचार ग्रस्त समूहों का आर्थिक शोषण अथवा राष्ट्रीय या प्रजातीय पराधीनता से मोक्ष है ।

संयुक्त राज्य अमेरिका व यूरोप दोनों ही जगह शिक्षा पर प्रभाव मानववादी परम्परा के अन्तिम प्रख्यात प्रतिनिधि जॉन ड्यूई का है, जिन्होंने अपने दर्शन में तीन संज्ञाएँ दी । प्रेगमेटिज्म (फलवाद), ह्यूमनिज्म (मानववाद) और एक्सपेरीमेन्टलिज्म (प्रयोगात्मकवाद) जिसके अनुरूप शिक्षा प्रणाली को अनुभव केन्द्रित बनाया गया । प्रायोजना विधि का शिक्षण में उपयोग तथा सामूहिक क्रियाओं को विद्यालयी शिक्षा में महत्त्व इसी का परिणाम है ।

3.5 राजनैतिक घटक (Political Factor)

शिक्षा प्रणाली के विकास को दिशा देने वाले बाह्य घटकों में राजनीतिक विचारधारा का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है । प्राय: यह कहा जाता है कि शिक्षा परिवर्तन का एक शक्तिशाली माध्यम है शिक्षा स्वयं किसी प्रकार का सामाजिक परिवर्तन नहीं ला सकती है । यह तो सामाजिक और राजनैतिक विचारधाराओं का अनुसरण करती है तथा कोई भी सरकार अपनी विचारधारा के विपरीत अथवा इसकी समालोचना करने वाली शिक्षा प्रणालियों को प्रोत्साहन नहीं

देती । विभिन्न शिक्षा प्रणालियों के अध्ययन करने से बात स्पष्ट हो जाती है कि किसी देश में जैसी शासन व्यवस्था रही वहाँ वैसी ही शिक्षा प्रणाली बनाने का प्रयास किया गया ।

जैसे- राष्ट्रकुल देशों में शिक्षा के माध्यम से बच्चों में साम्यवादी विचारधारा का विकास किया जाता है । इनसे बच्चों में स्वतंत्र चिंतन क्षमता का अभाव होने लगता है जो कि प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली के विपरीत है । प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में अपने आदर्शों व विचारों का प्रचार किया जाता है किन्तु उन्हें थोपा नहीं जाता । अमेरिका इंग्लैण्ड आदि देशों का प्रजातंत्र राजनैतिक स्थिति से सम्बन्धित है । इन देशों में आर्थिक ढाँचा निजी सम्पत्ति तथा मांग पूर्ति के सिद्धान्तों पर आधारित है । ऐसे देशों में राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सहिष्णुता की नीति के परिणामस्वरूप आर्थिक शोषण व शिक्षा के अवसरों में असमानता आ जाती है । दूसरी ओर सामाजिक प्रजातंत्र में विश्वास करने वाले देशों में जीवन के न केवल आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक पक्ष पर राज्य का एकाधिकार स्थापित हो सकता है और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य द्वारा अपनाए गए राजनीतिक विचारों का बोलबाला हो सकता है । जैसे- चीन, दक्षिणी कोरिया।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. किस प्रजातांत्रिक राजनीतिक विचारधारा में शिक्षा के क्षेत्र में उसी पार्टी के विचारों का बोलबाला रहता है जिसका शासन है।
2. भारतीय शिक्षा पर किस-किस दर्शन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है?

3.6 ऐतिहासिक घटक (Historical Factor)

वर्तमान को समझने के लिए अतीत टटोलना आवश्यक है कि बीता कल आज के स्वरूप का निर्धारक होता है । भारत की शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करें तो पाएंगे कि यह वैदिक, बौद्ध, जैन, मुस्लिम अंग्रेजी काल से गुजरते हुए वर्तमान स्वरूप तक पहुँची है । आज हम जिन आदर्शों, मूल्यों (धर्म निरपेक्षता, त्रिभाषा सूत्र, समानता, सद्भावना) को शिक्षा के माध्यम से विकसित करने की बात करते हैं वास्तव में ऐतिहासिक संघर्षो का ही परिणाम है ।

अमेरिका की शिक्षा प्रणाली का मुख्य तत्व फलवाद व सापेक्षवाद वास्तव में अमेरिकी इतिहास के संघर्षो का परिणाम है । यूरोप से भागे गए लोगों को अमेरिका की असीम विकास के अवसरों व धनी बनने की ज्वलन्त आकांक्षाओं ने एक नवीन व स्वतन्त्र राष्ट्र अमेरिका को जन्म दिया इसलिए यूरोप व अमेरिका के इतिहास, संस्कृति व शिक्षा में निकटतम सम्बंध है ।

3.7 सांस्कृतिक घटक (Cultural Factor)

साधारण बोलचाल की भाषा में किसी समूह के विश्वासों, आदर्शो विचार, व्यवहारों, रीति-रिवाजों आदि व्यवहार के अनेक उपकणों तथा साधनों को संस्कृति कहते हैं । वास्तव में यह एक सामाजिक समूह के सामान्य सीखे हुए व्यवहार होते हैं जैसे- ज्ञान, धार्मिक विश्वास, कला, कानून, नैतिकता, रीति-रिवाज, व्यवहार के तौर तरीके, साहित्य, भाषा इत्यादि । संस्कृति और शिक्षा का घनिष्ठ संबंध इस तथ्य से होता है कि शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य बालक को उसकी सामाजिक विरासत और उसकी संस्कृति प्रदान करना है, चाहे वह कोई भी राष्ट्र हो ।

भारत ने अपनी शिक्षा उन उद्देश्यों, आदर्शों के अनुरूप रखी जो विरासत में पाई थी । प्राचीनकाल में शिक्षा वेदों उपनिषदों, पुराणों तथा कट्टर व उदार दर्शनों द्वारा प्रभावित थी । फिर बुद्ध और महावीर स्वामी ने अपने जमाने की संस्कृति को स्वयं संशोधन कर तत्कालीन शिक्षा प्रणाली को प्रभावित किया ।

भारत की तरह जापान ने अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को नहीं छोड़ा । जापान पश्चिम के रंग में रंगकर भी अनिवार्य रूप से पूर्वी देश ही बना हुआ है क्योंकि उसने पश्चिमी देशों के आधुनिक विज्ञान को बाह्य जीवन तक सीमित रखा है वहाँ आज भी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के ज्यादातर कालांश आदर्शों, मूल्यों, मातृभाषा व हस्तकला को दिए जाते हैं । वहाँ पर देशभक्ति विनम्रता, बड़ों का सम्मान, स्वावलम्बन की भावना का विकास करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है । अत: जापान न केवल पूर्व और पश्चिम के भौगोलिक दृष्टि से ही, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी मध्य में है ।

ऐसे भी उदाहरण पाए जाते हैं जहाँ शिक्षा की व्यवस्था अगर संस्कृति के प्रतिकूल पाई जाती है तो जनता उसे स्वीकार नहीं करती हैं । जैसे रूस में निरक्षरता निवारण के लिए स्त्री शिक्षा के बराबर के अधिकारों का प्रचार किया गया तो दक्षिणी भाग में शिक्षा प्रचारकों को मार डाला गया । भारत में भी साम्प्रदायिक सद्भावना के लिए सांस्कृतिक समन्वय पर आधारित भारतीय सांस्कृतिक चेतना के विकास पर बल दिया जा रहा है । सांस्कृतिक चेतना से राष्ट्रीयता की भावना को बल मिलता है । इस उद्देश्य की पूर्ति में शिक्षा सदैव बड़ी सहायक रही है । जापान इसका जीवन्त उदाहरण है, जिसने अपनी शिक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक मूल्यों, आदर्शों, राष्ट्रीयता की भावना को लोगों में कूट-कूट कर भरा और दो दशकों में ही युद्ध की राख से उठकर विश्व के अग्रगण्य राष्ट्रों में शामिल हो गया । संयुक्त राज्य अमेरिका में भी ठीक ऐसा ही हुआ । यूरोप से आने वाले निवासी अपनी विविध परम्पराओं, आस्थाओं विश्वासों और भाषाओं के साथ आकर अमेरिका में बसे । देश को एकता के सूत्र में बाँधने के लिए शिक्षा को सर्वश्रेष्ठ माध्यम बनाया गया । इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक देश, शिक्षा के माध्यम से अपने पूर्वजों के महान कार्यो के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न किया जाता है तथा उनके द्वारा विकसित संस्कृति को अपनाने की चेष्टा की जाती है ।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली पर किस-किस काल का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है?
2. राष्ट्रीयता की भावना का विकास शिक्षा के माध्यम से कैसे संभव है, बताइए।

3.8 धार्मिक घटक (Religious Factor)

विश्व का इतिहास इस बात का गवाह है कि शिक्षा का स्थान कोई भी हो, शिक्षा और धर्म में सह-संबंध कभी कम नहीं हुआ । भारत का ही उदाहरण लें प्रत्येक धर्म चाहे वह इसाई धर्म हो चाहे वह इस्लाम हो, सिक्ख हो या अन्य कोई, अपने प्रचार तथा निरन्तरता के लिए धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध सबसे पहले करते रहे हैं उसके बाद अन्य विषयों के अध्यापक की ।

वैदिक काल में ब्राह्मणों का काम शिक्षा प्राप्त करना तथा प्रदान करना दोनों था । राजाओं द्वारा आश्रम चलाने के लिए धन की व्यवस्था की जाती थी । उसके बाद बौद्ध धर्म के विकास के साथ संघ परम्परा का जन्म हुआ और ब्राह्मणों के आश्रम की भाँति मठों में कर्मकांडियो, तार्किकों, शिक्षकों आदि की शिक्षा की व्यवस्था की गई । मुसलमान शासकों के आगमन के बाद जो शिक्षा व्यवस्था की गई उसका आधार भी प्राय: धर्म ही था । उन्होंने मकतब व मदरसों की व्यवस्था की जो आज भी धार्मिक शिक्षा का एक अंग है । इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी अपने धार्मिक विश्वासों व सामाजिक परम्पराओं से विशेष लगाव रखते हैं तथा स्थानीय चर्च के संरक्षण में अपनी पाठशालाएं चलाते हैं । अत: यही शिक्षा की व्यवस्था स्थानीय निकाय के अधिकार में है; संघीय सरकार के क्षेत्र से शिक्षा को अलग रखा गया है ।

फ्रांस में आज भी दो प्रकार की शिक्षा प्रणालियाँ प्रचलित हैं एक चर्च से स्वतन्त्र राज्य के नियन्त्रण में और दूसरी चर्च द्वारा नियन्त्रित परन्तु राज्य से मुक्त । दोनों ही केन्द्रीकृत है । इंग्लैण्ड में धार्मिक शिक्षा की कठिनाई को दूर करने के लिए प्रशासन व वित्त से सम्बन्धित "दोहरी प्रणाली ' अपनाई गई ।

वहाँ प्रोटेस्टेन्ट व कैथोलिक दोनों ही चर्चों ने अपनी-अपनी पाठशालाओं का निर्माण करवाया । इन पाठशालाओं के नियन्त्रण का चर्च को कानूनी अधिकार तथा अनुदान भी प्रदान किया जाता था । प्रोटेस्टेन्ट ग्रुप रूढ़िवादी थे, लेकिन शिक्षा को प्राथमिकता देते थे । उन्होंने शिक्षा के सार्वजनीकरण की अनिवार्यता पर जोर दिया तथा सह-शिक्षा के सार्वजनीकरण की अनिवार्यता पर जोर दिया तथा सह-शिक्षा (Co-education) व शैक्षिक अवसरों की समानता के सम्प्रत्यय को सर्वप्रथम शामिल किया ।

दूसरी तरफ कैथोलिक ग्रुप ने प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण काफी देर से किया । इस प्रकार देखने में आता है कि जो राष्ट्र रूढ़िवादी है वहाँ बालिका शिक्षा पिछड़ी रही तथा उन देशों का विकास भी देरी से होता है । समाज शिक्षा की स्थापना अपने धर्म व मूल्यों के अनुरक्षण के लिए करता है, शिक्षा द्वारा इन मूल्यों व विश्वासों में नए ज्ञान के प्रकाश में सुधार व विकास होता है ।

3.9 जातीय घटक (Ethnic Factor)

जाति किसी भी राष्ट्र के निर्माण की महत्त्वपूर्ण कारक हैं । जाति- व्यवस्था का शिक्षा के क्षेत्र में सीधा प्रभाव पड़ता है तथा प्रत्येक जाति अपनी उन्नति, विस्तार तथा गतिशीलता के लिए शिक्षा को अपना माध्यम बनाती है । सभी जातियाँ अपने हितों की रक्षा के लिए जागरूक हैं । भारत में जाति-व्यवस्था की गहराई यहाँ के राजनेताओं ने ओर बढ़ा दी है । जाति के आधार पर वोट माँगे जाते हैं । जाति का आधार लेकर बड़े-बड़े राजनैतिक मुद्दे उठाकर छिछली राजनीति की जाती है । ऐसे में शिक्षा का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह लोगों की दिमागी संकीर्णता को खत्म करें । जाति की बहुलता को देखते हुए संविधान में शिक्षा पर समान अधिकार रखा गया तथा समानता, सद्भावना सहयोग की भावना का विकास करना शिक्षा के उद्देश्य रखे गए । पिछड़ी जातियों को समान धरातल तक लाने के लिए विशेष स्कूल व

विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं तथा आरक्षण की नीति के पोषण से इनके शैक्षिक विकास का निरंतर प्रयत्न किया जा रहा है ।

विदेशों में जाति-व्यवस्था का शिक्षा पर प्रभाव उन देशों में देखा जा सकता है जिनमें विदेशी प्रशासन रहा, जैसे अफ्रीका व एशिया के कुछ देश जिन पर यूरोपीय कोलोनियाँ थी । अफ्रीका में गोरे लोग स्वयं को अफ्रीकी लोगों से श्रेष्ठ मानते थे । उन्होंने अपने लिए विशेष शिक्षा प्रणाली विकसित की जो कि काले लोगों पर नियंत्रण कर सके ।

जाति की दृष्टि से इंसानों को समूह में बाँटना तथा शिक्षा संबंध स्थापित करना उपनिवेशवादी नीतियों का परिणाम है ।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. पिछड़ी जातियों को समानता के धरातल पर लाने के लिए भारतीय शिक्षा व्यवस्था में क्या -क्या प्रावधान हैं?
2. धर्म किस प्रकार किसी राष्ट्र की शैक्षिक संरचना को प्रभावित करता है ?

3.10 भाषीय घटक (Linguistic Factor)

भाषा किसी राष्ट्र, जाति, कबीला अथवा ग्रामवासियों का आपसी बातचीत का सहज मौखिक व लिखित माध्यम है । मानवीय भावों अनुभवों के सम्प्रेषण को संजोने का माध्यम भाषा ही है ।

भाषा शिक्षा की वृद्धि व विकास का एक प्राकृतिक घटक है अत: शिक्षा में इसकी महत्ता की उपेक्षा नहीं की जा सकती है । शिक्षा का माध्यम भाषा है इसलिए भाषा नीति शिक्षा नीति का अभिन्न अंग है । यह देखने में आया है कि एक भाषीय राष्ट्रों में एकता का सूत्र ज्यादा मजबूत होता है अपेक्षाकृत बहुभाषीय राष्ट्र के । जब कभी बहुभाषीय राष्ट्रों ने किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने का प्रयास किया दूसरे भाषीय लोगों ने विरोध किया जैसे- आयरलैण्ड में भाषीय विरोध ने राजनैतिक विवाद का उग्र रूप धारण किया । अत: उन्नत राष्ट्रों ने भाषा संबंधी नीतियों के प्रति सहनशीलता तथा उदाहरण का परिचय दिया है । ग्रेट ब्रिटेन की राष्ट्र भाषा अंग्रेजी है किन्तु स्थानीय भाषाओं को पढ़ाने का भी प्रबन्ध है । लिपि एक होने पर भी इंग्लैण्ड, वैल्स व आयरलैण्ड की भाषाएं अलग-अलग हैं । फ्रांस में फ्रेंच तथा जापान में जर्मन भाषा पूर्णरूप से सरकारी भाषाएँ है किन्तु अन्य भाषाओं के शिक्षण की भी व्यवस्था है । जापान में व्यापार व राष्ट्रीय संबंधों के लिए अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता है ।

सोवियत संघ ने शिक्षा की अनिवार्यता के कारण रूसी तथा स्थानीय दोनों भाषाओं को शिक्षा का माध्यम माना । इससे एक तो पूरे राष्ट्र में एक ही भाषा का प्रचार हुआ तथा अन्य भाषाओं को भी प्रगति करने के अवसर मिले । रूसी भाषा इतनी समृद्ध भाषा हो गई कि सोवियत संघ के टूटने के बाद भी रूसी भाषा का स्वतन्त्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल में वही दबदबा है तथा इंग्लैण्ड व अमेरिका आदि ने भी रूसी अध्ययन के लिए अलग संस्थान खोले । भारत में त्रि-सूत्री फार्मूला शिक्षा का माध्यम रखा गया है, किन्तु उच्च शिक्षा माध्यम प्राय: अंग्रेजी ही है यद्यपि भारत भाषीय मामले में बहुत उदार रहा है फिर भी बहुत से राज्यों में भाषा क्षेत्रीयता के साथ मिलकर आपसी संघर्ष का कारण बन रही है ।

सार रूप से यह कहना उचित होगा कि भाषा का महत्त्व कुछ हद तक राजनैतिक शक्तियों से जुड़ा है, जो किन्हीं अंशों में आर्थिक आधार लिए हुए है । उदाहरणत: अमेरिकी अंग्रेजी अपने विश्वव्यापी राजनैतिक दबदबे के कारण इंग्लैण्ड की अंग्रेजी का स्थान लेती नजर आ रही है ।

3.11 सामाजिक घटक (Social Factor)

प्रत्येक समाज अपनी आकांक्षाओं, आवश्यकताओं तथा आदर्शों को सामने रखते हुए शिक्षा प्रक्रिया को इस प्रकार से नियोजित करता है कि वह अपने आदर्शों को प्राप्त कर ले तथा उसके सभी व्यक्ति उपयोगी सदस्य बन जायें । अत: जब भी किसी समाज ने शिक्षा की व्यवस्था की है उसने सबसे पहले अपनी आवश्यकताओं तथा आदर्शों को सामने रखा है । शिक्षा समाज का दर्पण होती है । यदि किसी समाज की आवश्यकताएँ या आदर्श किसी कारण से बदल जाते हैं तो वहाँ की शिक्षा भी उनके अनुसार बदल जाती हैं ।

जैसे- प्राचीन से मध्यकाल तक समाज में धर्म का बोलबाला था; अत: धर्म व नैतिकता की शिक्षा पर जोर दिया जाता था । आज विज्ञान व तकनीक का जमाना है । अत: शिक्षा का स्वरूप बदला आज रटाने की बजाय शिक्षा द्वारा व्यक्ति में तर्क, चिन्तन, निर्णय क्षमता आदि मानसिक शक्तियों के विकास पर बल दिया जाता है । समाज का हर अंग विशेषीकृत हो रहा है जिससे जटिलताएँ बढ़ती जा रही हैं । सामाजिक समायोजन की समस्या उत्पन्न हो रही है । अत: आज शिक्षा में व्यावहारिकता, मनोवैज्ञानिकता तथा उपयोगिता पर जोर दिया जा रहा है । वर्तमान समाज, जाति, धर्म, ग्रामीण, शहरी वर्ग भेद के आधार पर विभिन्न रूपों में पाया जाता है । यह प्रत्येक रूप शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्यों से लेकर उसकी संरचना, व्यवस्था, संगठन, प्रबंधन सभी को प्रभावित करता है । इंग्लैण्ड में लोग स्वभाव से रूढ़िवादी तथा विचारों से प्रगतिशील होते हैं । वहाँ की जनता सहयोग और उत्तरदायित्व विभाजन के सिद्धान्त पर कार्य सम्पादन करती हैं । इसका स्पष्ट प्रभाव शिक्षा व्यवस्था की योजना, निर्णय क्रियान्वयन पर स्पष्ट देखने को मिलता है ।

इन सब कार्यो के लिए सरकार व स्थानीय निकायों के सदस्यों की समितियाँ बनाई जाती हैं एवं शक्ति व अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया जाता है । यहाँ स्त्री-पुरुष प्राय: व्यावसायिक जीवन व्यतीत करते हैं । अत: उनके बालक प्री-प्राईमरी स्कूल तथा अन्य विद्यालयों के संरक्षण में रहकर विद्याध्ययन करते हैं । वहाँ के शिक्षकों के प्रतिपूर्ण निष्ठा रखते हैं । यहाँ पर बहुत सी ऐसी शिक्षा संस्थाएँ हैं जो सरकारी अनुदान नहीं लेती, चूंकि वह अपने संचालन में सरकारी हस्तक्षेप पसन्द नहीं करते हैं । धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित स्कूल भी है । अत: यहाँ के लोग अपनी परम्पराओं मूल्यों, आदर्शों को सुरक्षित रखते हुए विकास करने में विश्वास रखते हैं एवं उसी के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करते हैं ।

संयुक्त राज्य अमेरिका प्राचीन अमेरिका व यूरोप वासियों के मिश्रण से बना है । यहाँ पर जनतंत्र को सबल बनाने के लिए योग्य नागरिकों का निर्माण करना शिक्षा का उद्देश्य है । जाति, वंश मूलक समानता की बात को ध्यान में रखकर संघीय व राज्य सरकार ने नीग्रो की शिक्षा व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया । सभी के लिए माध्यमिक स्तर तक शिक्षा

निःशुल्क रखी गई । अमेरिका में कॉलेज और विश्ववद्यालय वर्ग-भेद की पीड़ा से ग्रसित है तथा वहाँ प्राइवेट कॉलेज व विश्वविद्यालय जहाँ शिक्षा का सर्वोच्च स्तर है केवल सम्पन्न लोगों के लिए संभव है । वहाँ के अध्यापकों का वेतन, नौकरी की अवधि तथा वहाँ रहने की नियमावली राष्ट्रीय मानदंडों से भिन्न है।

चीन, फ्रांस आदि राष्ट्रों में निजी संस्थान वर्जित हैं । वहाँ भी भिन्न-भिन्न प्रकार की अवस्थाओं के अनुरूप वर्ग भेद पाया जाता है । चीन में पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामाजिक वर्चस्व के अनुसार स्कूलों में भी वर्गभेद दिखाई देता है । फ्रांस में तो जो स्कूल राष्ट्रपति निवास के पास हैं वे अन्य स्कूलों की तुलना में अभिजात्य वर्ग के बन गए हैं जबकि वहाँ गैर सरकारी स्कूल नहीं हैं, वहाँ पर स्कूलों में विभिन्नता शैक्षिक स्तर से न होकर उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों के माता-पिता के स्तर के अनुसार है । यही हाल दिल्ली के पब्लिक स्कूलों का है ।

अत: हम कह सकते हैं कि समाज की संरचना शिक्षा संस्थाओं के वर्गभेद को जन्म देती है । समाज की स्थिरता तथा गतिशीलता का उत्तरदायित्व वही की शैक्षिक संस्थाओं का है । अधिकांश शैक्षिक समस्याएँ समाज की संरचना, आकांक्षा, क्षमताओं से संबंधित होती है । शिक्षा की विभिन्नता व समस्याओं को समझने के लिए समाज को समझना आवश्यक है ।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. बहुभाषायी राष्ट्र में शिक्षा की व्यवस्था में क्या-क्या समस्याएँ आती है ?
2. किसी एक देश का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि सामाजिक परिवर्तन के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन आया हैं ?

3.12 भूमण्डलीकरण और शिक्षा (Globalisation and Education)

इस सम्प्रत्यय का प्रारम्भ यूरोपीय उपनिवेशों के एकीकरण से हुआ जिसे मिनी ग्लोबलाइजेशन कहा गया । उत्कर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्माण पर पहुँचा जिसे सुपर ग्लोबोलाइजेशन के नाम से जानते हैं इसका आधार व्यापारिक सम्बन्ध था । विज्ञान व तकनीकी ने ऐसे साधनों का विकास किया जिसने संसार को सीमित कर दिया तथा कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं रह गया है । विश्व के सभी राष्ट्र चाहे विकसित हों या विकासशील हर क्षेत्र में निर्भर हैं । फिर शिक्षा कैसे अछूती रह सकती है । शिक्षा का उद्देश्य वर्तमान को सुदृढ़ करके भविष्य की चुनौतियों का सामना करने वाले विद्यार्थियों का निर्माण करना है ।

आज विश्व के सामने जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण उर्जा संकट, आतंकवाद, भूकम्प, चक्रवात, भूचाल जैसी चुनौतियाँ हैं जिनका समाधान विश्व स्तर पर संभव है । पर्यावरण व आपदा शिक्षा के संदर्भ में विश्व स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा निर्णय लिये जा रहे हैं और विश्व स्तरीय शैक्षिक प्रारूप भी विकसित किया गया है । यूनेस्को द्वारा विश्व स्तर पर शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक कार्यक्रमों के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना का विकास व प्रसारों का आदान-प्रदान करवाया जा रहा है । शिक्षा में भूण्डलीकरण की प्रवृत्ति को विकसित करके विश्व शिक्षा-विषय का उद्भव हुआ है । अमेरिका के बहुत से विश्वविद्यालयों ने अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र में विश्व परिचय (Global Knowledge or Study) भूगोल,

मानवीय क्रियाओं का भौगोलिक परिचय, विश्व की विविध संस्कृतियों एवं क्रियाओं के ज्ञानार्जन की अपने पाठ्यक्रमों में व्यवस्था की है ।

भारत में भी केन्द्र सरकार देश भर में 14 विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय खोलने जा रही है जो कि सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP) तंत्र में बनाए जाएंगे जो कि वैश्विक पूंजी और नव उदारवादी नीति का परिणाम है ।

आज औपचारिक शिक्षा केवल कक्षा की चहारदीवारी तक सीमित न होकर डिजिटल विश्व में अपना स्थान स्थापित कर रही है । विश्वव्यापी वेबसाइट व इन्टरनेट ने कम्प्यूटर साक्षरता को अनिवार्य बना दिया है । ई-लर्निंग व ऑनलाइन लर्निंग जैसे नए सम्प्रत्यय शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश पा गए हैं जिससे किसी प्रकार की सीमा व बंधन नहीं है । भूमण्डलीकरण ने शिक्षा में नए ज्ञान का विस्फोटक ही नहीं किया बल्कि कुछ ऐसे ऋणात्मक पहलू भी शामिल कर दिए जिसे शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन कर दूर करना है : आज शिक्षा एक व्यापार बन गई है । वास्तव में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तंत्र सार्वजनिक संसाधनों पर निजी पूँजी का कब्जा स्थापित करने का यह एक तरीका है । उच्च शिक्षा केवल पूँजीपतियों का अधिकार बनती जा रही है । गुणवत्तापूर्ण उत्कृष्ट शिक्षा के नाम पर न्याय समानता, लोकतांत्रिक व धर्मनिरपेक्षता जैसे सिद्धान्त कमजोर हो रहे है । जाहिर है कि शिक्षा के द्वारा ही इन बातों पर नियंत्रण करना होगा ।

3.13 सारांश (Summary)

किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली वहाँ की राष्ट्रीय नीति, भौगोलिक परिस्थितियों, धर्म, जीवन दर्शन, अर्थव्यवस्था सभी घटकों से अन्तःक्रियात्मक रूप से प्रभावित होती है । कोई देश या राष्ट्र एक समाज होता है, जो कि गत्यात्मक है । ये सभी घटक भी गत्यात्मक हैं । वे भी गत्यात्मक होते हैं; देश काल व स्थान के साथ परिवर्तनशील होते हैं । सभी देश चाहे वे तानाशाही, समाजवादी, साम्यवादी या जनतन्त्रीय किसी भी व्यवस्था के हों अपने-अपने नागरिकों में शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीयता की भावना का विकास करते हैं तथा शिक्षा को व्यावहारिक बनाने का प्रयास करते हैं । हर राष्ट्र की अपनी विशेषता होती है । उसके अध्ययन व तुलना से दूसरे राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था के लिए नई दिशा मिलती है ।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. आज के विज्ञान व तकनीकी युग में यह कहना कहीं तक उचित है कि जातियाँ किसी राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती हैं । उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए ।
2. भाषीय कारक किस प्रकार शिक्षा प्रणाली के विकास में बाधक होती हैं?
3. इंग्लैण्ड व भारत के परिप्रेक्ष्य में समझाइए कि धर्म, शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है?
4. भूमण्डलीकरण का भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या यह भारतीयों के लिए सम्प्रत्यय है?

5.	इतिहास किस प्रकार किसी देश की शिक्षा प्रणाली के जड़ में सम्मिलित होता है?

3.14 सन्दर्भ (References)

1. Biswas, A and Aggarwal J.C. (1982) " Comparative Education", Arya book depot.
2. Chaube, S.P. and Chaube, A. 1993., Comparative Education, New Delhi, Vikas Publications.
3. Hans, Nicholas, (1974) "Comparative Education", M.P. Hindi Granth Academy,.
4. Sharma, R.A. (2007), "Comparative Education", R. Lal Book Depo.
5. Singh, Rajendrapal, Jaipur (2006) "Principles of Comparative Education", Rajasthan Hindi Granth Academy, Second revised edition,
6. http //www.jstor.org/page info/resources/librarians linking.jsp.
7. http //www.springer.link.com content.

इकाई - 4

अमेरिका में शिक्षा का विकास

(Development of Education in America)

4.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of the Unit)

4.1 प्रस्तावना (Introduction)

4.2 संयुक्त राज्य अमेरिका (History of Education)

4.3 शिक्षा का इतिहास (History of Education)

4.4 शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of Education)

4.5 अमेरिकी संविधान में शिक्षा के प्रावधान (Provisions for Educations in the American Constitution)

4.6 शिक्षा की संरचना (Structure of Education)

4.7 विशिष्टताएं (Special Features)

4.8 शैक्षिक प्रशासन (Educational Administration)

4.9 सारांश (Summary)

4.10 सन्दर्भ (References)

4.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of the Unit)

1. संयुक्त राज्य अमेरिका के संक्षिप्त ऐतिहासिक, भौगोलिक संरचना से परिचित कराना ।
2. शिक्षा को प्रभावित करने वाले ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारकों से परिचित कराना ।
3. शिक्षा के उद्देश्यों एवं नीतियों से परिचित कराना ।
4. शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित कराना ।
5. शिक्षा के संगठनात्मक संरचना से परिचित कराना ।
6. शिक्षा के माध्यम से परिचित कराना ।
7. धार्मिक, नैतिक, मूल्य एवं आध्यात्मिक शिक्षा के स्थान से परिचित कराना ।
8. शिक्षा की कुछ प्रमुख विशेषताओं जैसे निर्देशन एवं परामर्श से परिचित कराना ।
9. महिलाओं एवं अल्प संख्यकों की शिक्षा की स्थिति से परिचित कराना ।
10. शैक्षिक प्रशासन, प्रबंधन, पर्यवेक्षण तथा संघ राज्य स्थानीय शासन की भूमिका से परिचित कराना ।
11. विशिष्ट शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा आदि की स्थिति से परिचित कराना ।

4.1 विषय प्रवेश (Introduction)

अमेरिकी शिक्षा व्यवस्था विश्व में एक विशिष्ट स्थान रखती है । प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों और आदर्शो पर आधारित इसकी कुछ विशिष्टताएँ हैं जो इसे अन्य देशों के लिए भी अनुकरणीय बनाती है । प्रस्तुत इकाई में संयुक्त राज्य अमेरिका की ऐतिहासिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के सन्दर्भ में शिक्षा के विकास, उसकी संरचना, स्तर, व्यवस्था, प्रबंधन, वित्त, नीति निर्धारण आदि की चर्चा की गई है । इस इकाई में अमेरिकी शिक्षा व्यवस्था की एक सम्पूर्ण रूपरेखा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है ।

4.2 संयुक्त राज्य अमेरिका (U.S.A.)

संसार के विकसित देशों में अग्रणी संयुक्त राज्य अमेरिका का इतिहास बहुत पुराना नहीं है । सत्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ में लगभग 400 वर्ष पूर्व यूरोपीय देशों से आकर यहाँ बसना शुरू किया गया । ये लोग मुख्यत: यहाँ स्वर्ण एवं सम्पत्ति के लालच में आए थे पर यूरोपीय देशों द्वारा पीड़ित भी थे । यूरोप के खिलाफ विद्रोह के साथ नये राष्ट्र के उद्भव की शुरूआत हुई । यूरोपीय लोगों के साथ उनकी संस्कृति, सभ्यता, दर्शन, परम्पराओं भाषा आदि का भी आगमन हुआ ।

भौगोलिक दृष्टि से यह एक विशाल देश है । जिसका क्षेत्रफल 7827976 वर्ग किलोमीटर है । भौगोलिक एवं प्राकृतिक दृष्टि से यह अत्यंत संपन्न देश है । जमीन, जलवायु, जल, वनस्पति, खाद्यान्न, खनिज सभी की यहाँ विविधता और प्रचुरता है । यही कारण है कि थोड़े समय में ही यह आर्थिक रूप से समृद्ध होकर चहुंमुखी रूप से विकसित देश के रूप में दुनिया का सिरमौर बना हुआ है । विश्व के हर देश, जाति, धर्म, प्रजाति रंग व भाषाभाषी लोग यहां मिल जायेंगे । संक्षेप में कहें तो यह अपने आप में एक लघु संसार है । वर्तमान में उसकी जनसंख्या 304,150,798 है ।

1776 में संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किया गया था उस वक्त इसमें 13 राज्य शामिल थे जिनकी संख्या 1912 तक आते-आते 50 हो गई । इसके अलावा इसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया संघीय क्षेत्र भी है जहाँ वाशिंगटन में देश की राजधानी स्थित है । प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों पर आधारित संयुक्त राज्य अमेरिका 50 राज्यों का संघ है । जहाँ अध्यक्षीय प्रणाली की सरकार है । राज्यों 7 प्रांतों का प्रशासन गर्वनर के हाथ में होता है । अमेरिकी राष्ट्रपति विश्व का सर्वाधिक शक्ति संपन्न राष्ट्राध्यक्ष है । अमेरिकी संविधान में सभी राज्यों एवं संघ सरकारों के बीच सह अस्तित्व की भावना से कार्य किया जाता है । साथ ही अपने पड़ौसी देशों के साथ भी वह सहयोग की नीति पर चलता है ।

अमेरिकी जनता व्यक्तिवाद, प्रजातंत्र, स्थानीय सहकारिता और सामाजिक न्याय एवं जन कल्याण और समाज के मूल्यों और प्रवृत्तियों में विश्वास रखती है और ये उस राष्ट्र का आधार भी हैं । इन सभी बातों ने अमेरिकी शिक्षा के विकास एवं स्वरूप के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है ।

4.3 शिक्षा का इतिहास (History of Education)

अमेरिका में उपनिवेश की स्थापना के साथ शिक्षा सुविधाओं की आवश्यकता भी महसूस हुई । धनी वर्ग अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अपने मूल देशों में भेजते थे । प्रारंभ में शिक्षा व्यवस्था सिर्फ उच्च वर्ग के बच्चों के लिए उपलब्ध थी । प्रारम्भ में शिक्षा पर यूरोप का प्रभाव था पर बाद में बदलती परिस्थितियों, विचारधाराओं और आवश्यकताओं से शिक्षा का स्वरूप बदलता गया ।

1647-1682- मैसाचुसेट्स प्रांत से शुरुआत हुई बाद में अन्य राज्यों प्रांतों में भी फैलती गई । इनका प्रारंभिक स्वरूप इंगलैण्ड के ग्रामर स्कूल जैसा था । 1745 में गणित को भी जोड़ा गया । 1745 में बेंजामिन फ्रेंकलिन ने पहली एकेडेमी स्थापित की जहाँ अंग्रेजी, लैटिन, गणित व अन्य प्रायोगिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी । 1821 में बोस्टन में हाई स्कूल की स्थापना हुई जिसका स्वरूप पूर्णत: अमेरिकी था ।

1880-1930- जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ स्कूलों में 84% तक नामांकन बढ़ा। शिक्षा पर भी भार बढ़ा । इससे शिक्षा के स्तर में गिरावट आई फिर सुधार के प्रयास हुए और विकास हुआ । शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया । निर्देशन को भी शिक्षा के लिए अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया ।

उच्च शिक्षा- 1636 में पहला कॉलेज बोस्टन के पास न्यूटाउन में खुला जो आगे चलकर हार्वर्ड कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 1769 तक 9 कॉलेज खुल चके थे । 1780 में हार्वर्ड कॉलेज विश्वविद्यालय बन गया ।

प्रारंभ में सभी विश्वविद्यालय चर्च के प्रभाव में थे और उनकी सहायता पर आश्रित थे । बाद में इनका स्वरूप धर्म निरपेक्ष हो गया । बीसवीं सदी में अमेरिकी शिक्षा में जॉन ड्यूई (John Dewy) और कर्नल पारकर के प्रभाव से शिक्षा में व्यक्ति और समाज की आवश्यकता पर बल दिया जाने लगा और सामान्य शिक्षा के साथ-साथ प्रौढ़ शिक्षा, अंशकालिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, बाधितों की शिक्षा की भी व्यवस्था की गई ।

वर्तमान में अमेरिका में विभिन्न प्रकार के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान, व्यावसायिक शिक्षा केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा संस्थान मौजूद हैं । 2006 के शिक्षा संबंधी कुछ आकड़े इस प्रकार हैं:-

स्कूलों की संख्या - 98905

स्कूल डिस्ट्रिक्ट की संख्या - 14,598

प्राथमिक स्कूल - 53,075

मिडिल स्कूल - 16374

हाई स्कूल - 15,671

चार्टर स्कूल - 3900

प्रति छात्र व्यय - 9881 डालर वार्षिक

उच्च शिक्षा संस्थान - 6463

कॉलेजों में नामांकन - 18,00 मिलियन

शिक्षक - 4.6 मिलियन

79% विकलांग छात्रों ने उच्च शिक्षा अथवा प्रशिक्षण में प्रवेश लिया । जहां तक शिक्षा में व्यय की बात है 2006-07 का बजट 972.00 बिलियन डालर था । जो कि कुल जीडीपी का 7.4% था ।

शिक्षकों के वेतन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । 1959-60 में प्राथमिक स्कूल के शिक्षक का वेतन 4,815 डालर वार्षिक था जो 2006-07 में 33,452 डालर वार्षिक हो गया । माध्यमिक स्कूल के शिक्षक का वेतन 1959-60 में 5276 डालर वार्षिक था जो 2006-07 में 36,655 डालर वार्षिक हो गया।

शैक्षिक तकनीकी में भी वृद्धि देखने में आई है । औसत पब्लिक स्कूल में 154 के लगभग कम्प्यूटर हैं । 2005 तक 94% कम्प्यूटर इंटरनेट से जुड़े हुए थे ।

4.4 शिक्षा के उद्देश्य (Objective of Education)

द एजुकेशन पॉलिसीज कमीशन (The Education Policies Commission) ने 1938 में अमेरिका में शिक्षा के निम्न उद्देश्य बताये-

(i) **आत्मानुभूति-** शिक्षित व्यक्ति वह है जिसे सीखने की भूख होती है; वह अपनी मातृभाषा प्रभावी ढंग से लिख, पढ़ और बोल सकता है; सुनने और अवलोकन में कुशल हो; स्वास्थ्य, रोग आदि सम्बन्धी मूल बातों को समझता हो, खेल-कूद में भाग लेता हो, जिसे बौद्धिक रूचियां हो तथा जो अपने जीवन को जिम्मेदार दिशा दे सकता है ।

(ii) **मानवीय सम्बन्ध-** शिक्षित व्यक्ति मानवता का सम्मान करता है । वह सहयोगी एवं भद्र होता है तथा प्रजातांत्रिक पारिवारिक संबंधों को बनाये रखता है ।

(iii) **आर्थिक सामर्थ्य-** शिक्षित व्यक्ति अपने चयनित व्यवसाय में सफल रहता है और उपभोक्ता के रूप में जागरूक रहता है ।

(iv) **नागरिक जिम्मेदारी-** एक शिक्षित व्यक्ति सामाजिक न्याय में विश्वास करता है वह सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाता है, सहनशील होता है, अपने नागरिक कर्तव्यों को स्वीकार करता है और प्रजातांत्रिक आदर्शों के प्रति निष्ठावान होता है ।

द एजुकेशन पॉलिसी कमीशन 1961 ने शिक्षा को व्यक्ति एवं समाज के विकास का साधन माना है । शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करना है जो उसे सर्वश्रेष्ठ इंसान बनने में मदद करे और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की चिन्तन क्षमता का विकास करना है ।

4.5 अमेरिकी संविधान में शिक्षा के प्रावधान (Provision for Education in American Constitutes)

संघीय संविधान में शिक्षा का कोई उल्लेख नहीं है । परम्परागत एवं वैधानिक रूप से शिक्षा प्रांतीय अथवा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है । अमेरिकी संविधान प्रत्येक राज्य/प्रांत को अपनी सामर्थ्यानुसार शिक्षा की व्यवस्था एवं नियन्त्रण की जिम्मेदारी देता है । इस सन्दर्भ में संघीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियम पारित किए गए जो शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में सहयोगी साबित हुए हैं । कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार हैं:-

Morril Land Grant Act 1862 - इसके द्वारा संघीय सरकार द्वारा प्रांतीय सरकार को शिक्षा कार्यो के लिए भूमि अनुदान देने का प्रावधान है ।

Morril Act, 1890 - इसके द्वारा संघ द्वारा प्रांतीय सरकारों को शिक्षा अनुदान देने का प्रावधान है ।

Nelson's Amendnent to Morril Act 1907 - इसके अनुसार संघीय अनुदान का उपयोग कृषि, यान्त्रिकी एवं कला के शिक्षकों के लिए भी किया जा सकता है ।

Smith Hughes Act 1917 - इसके द्वारा कृषि, उद्योगों, व्यवसायों तथा घरेलु अर्थव्यवस्था के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए संघ द्वारा अनुदान की व्यवस्था की गई है जिससे शिक्षकों, पर्यवेक्षकों, निर्देशकों एवं शिक्षक प्रशिक्षकों के वेतन दिए जा सकें ।

The George-Barden Act 1949 - इसके द्वारा व्यावसायिक शिक्षा के विकास एवं निर्देशन तथा शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई ।

The Vocational Education 1963 - इसके द्वारा व्यावसायिक शिक्षा में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए ।

Higher Education Facilities Act 1962 - इसके द्वारा पब्लिक टेक्नीकल कम्यूनिटी कॉलेज, पब्लिक टेक्नीकल संस्थान एवं अन्य कॉलेज एवं टेक्नीकल संस्थाओं में शैक्षिक सुविधाओं, प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षीय कार्य के विस्तार तथा सांख्यिकीय सेवाओं के विकास के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई ।

Economic Opportuniy Act 1964 - इसके द्वारा नर्सरी स्कूलों तथा उनमें अभिभावकों के लिए कक्षाओं की व्यवस्था के लिए अनुदान का प्रावधान है ।

The Elementary and Secondary Education Act 1905 - इसके द्वारा निम्न प्रावधान किए गए-

(i) स्थानीय शिक्षण संस्थाओं को निम्न आय वर्ग के बच्चों की शिक्षा हेतु सहायता।

(ii) पब्लिक एवं निजी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में पुस्तकालय, संसाधनों पाठ्य-पुस्तकों एवं शिक्षण सामग्री के उपयोग के लिए संघीय अनुदान।

(iii) नवीन पाठ्यक्रमों के संघीय अनुदान।

(iv) शोध एवं मूल्यांकन अध्ययनों के क्षेत्र का विस्तार।

(v) विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता।

(vi) अंग्रेजी भाषा में कम दक्षता वाले बच्चों की शिक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विशेष सहायता।

(vii) शिक्षण संस्थाओं की सांख्यिकी सेवाओं के विकास हेतु मदद।

The International Education Act, 1966 - इसके द्वारा अन्य देशों, लोगों व संस्कृति के अध्ययन हेतु छात्रों की मदद का प्रावधान है।

The Education Profesion Act, 1967 - इसके द्वारा राज्य शिक्षण संस्थाओं, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों तथा व्यक्तिगत छात्रों की मदद हेतु 340 मिलियन डालर का प्रावधान है ।

Education of the Handicapped Act, 1975 - इसके द्वारा सभी विकलांग / निशक्त छात्रों को निशुल्क एवं उपयुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है । कानून में 1988 में संशोधन किया गया और इसमें छोटे बच्चों को भी शामिल किया गया ।

The Individuals with Disabilities Education Act (IDEA), 1990 - इसके द्वारा राज्यों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे विशिष्ट आवश्यकताओं से युक्त बच्चों की शिक्षा के लिए पब्लिक शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत ही अवसर उपलब्ध करायें ।

The Individuals with Disabilities Education Improvement Act, 2004 - इसके द्वारा स्कूलों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे विशिष्ट आवश्यकता युक्त बच्चों (Children with Special Need) को स्कूल में प्रवेश दें एवं उनके लिए आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय प्रावधान किए जायें ।

No Child Left Behind Act, 2001 - इसके द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि देश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाय ।

शिक्षा में सुधार - अमेरिका में शिक्षा को उच्च स्तरीय और गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए निरन्तर प्रयास होते रहे हैं । जार्ज बुश और क्लिंटन जैसे राष्ट्रपतियों ने व्यक्तिगत रूप से इसमें रूचि ली है । 1983 में National Commission Excellance On Education ने A Nation at Risk शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसने सबको चौंका दिया । इसमें ऐसे तथ्य दिए गए थे जिससे देश की शिक्षा व्यवस्था की कमियाँ उजागर होती थी । समिति ने सुधार के लिए सुझाव भी दिए ।

1 अप्रैल, 1987 को 'Higher Education: Meeting the Challenge" शीर्षक से एक श्वेत पत्र (White Paper) प्रकाशित हुआ जिसमें इस पर जोर दिया गया कि उच्च शिक्षा को देश के आर्थिक विकास में योगदान देना चाहिए । विज्ञान, आर्ट्स एवं ह्यूमैनिटीज में उच्च स्तरीय अध्ययन होने चाहिए और उनका संबंध उद्योग एवं वाणिज्य से होना चाहिए । उच्च शिक्षा संस्थानों, कॉलेजों और पॉलिटेक्निक को स्थानीय नियंत्रण से मुक्त किया जाय, साथ ही University Grant Commission के क्रियाकलापों में सुधार किया गया ।

Bennet Report 1988 - शिक्षा सचिव W.J. Bennet ने अपनी रिपोर्ट में कहा "अमेरिकी शिक्षा ने निर्विवाद रूप से पिछले वर्षो में प्रगति की है । 1983 के मुकाबले हम बेहतर कर रहे हैं, लेकिन हम पर्याप्त तेजी से नहीं कर रहे हैं ।"

President Bush's Education Strategy, 18 April, 1991 - इसमें सन् 2000 तक शिक्षा के पुर्नसंगठन एवं उसे पुनर्जीवित करने के लक्ष्य रखे गए । निम्न बातों पर विशेष जोर दिया गया ।

(i) विश्व स्तरीय एवं जिम्मेदार स्कूलों की व्यवस्था की जाय ।

(ii) पांच मुख्य विषयों- अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इतिहास और भूगोल में बच्चों की क्षमता विश्वस्तरीय बनायी जाय ।

(iii) बच्चों और अभिभावकों को स्कूलों के चयन की अधिकाधिक सुविधाएं दी जाय।

(iv) आने वाले समय के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कूल बनाये जाय ।

(v) सभी स्तरों पर नेतृत्व प्रशिक्षण की सुविधा हो ।

(vi) स्कूलों के विकास में अभिभावकों एव परिवारों का योगदान बढ़ाया जाय ।

(vii) अमेरिका को "विद्यार्थियों का देश" के रूप में विकसित करना ।

(viii) समुदाय को ऐसा बनाया जाय जहाँ सीखने-सिखाने का वातावरण हो ।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Question)

1. अमेरिकी शिक्षा व्यवस्था का विकास वहां के ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक
2. व सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर हुआ है- चर्चा करें।
3. अमेरिकी शिक्षा की विकास यात्रा का संक्षेप में वर्णन करें।
4. अमेरिकी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं ?

4.6 शिक्षा की संरचना (Structure of Education)

अमेरिका में शिक्षा की व्यवस्था मुख्य रूप से सरकारों की है जिसका नियंत्रण और वित्तीय पोषण तीन स्तरों संघ, प्रांत और स्थानीय स्तर पर होता है । प्राथमिक एवं हाई स्कूल की शिक्षा अनिवार्य और सार्वजनिक है । इन स्तरों पर पाठ्यक्रम, वित्तीय प्रबंधन, शिक्षण एवं अन्य नीति निर्धारण स्थानीय स्तर पर चयनित स्कूल बोर्ड द्वारा किया जाता है । शिक्षा का स्तर और मानकीकृत परीक्षणों संबंधी निर्णय राज्य सरकार द्वारा किए जाते हैं ।

अनिवार्य शिक्षा शुरू होने की आयु अलग-अलग प्रांतों में भिन्न-भिन्न है । यह 5 वर्ष से / 8 वर्ष से शुरू होकर 14 वर्ष से अठारह वर्ष की आयु तक हो सकती है । बच्चों को पब्लिक स्कूल, निजी स्कूल अथवा होम स्कूलों में पढने की स्वतन्त्रता है । अधिकांश पब्लिक एवं प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा तीन स्तरों में विभाजित है- Elementary School, Junior High School (जिसे मिडिल स्कूल भी कहा जाता है ।) और Senior High School/Post Secondary Education को 'कॉलेज' अथवा 'यूनिवर्सिटी' शिक्षा कहा जाता है ।

अमेरिका में अनिवार्य स्कूली शिक्षा 5/6 वर्ष की आयु में शुरू होती है और First grade से Twelth Grade तक होती है । यहां 8 वर्ष प्राथमिक शिक्षा के व चार वर्ष माध्यमिक शिक्षा के होते हैं । इस विभाजन में प्रांतों में कुछ विविधता भी पाई जाती है । नीचे के चित्र से यह स्पष्ट हो जायेगा-

शिक्षा की संरचना

सारणी-1

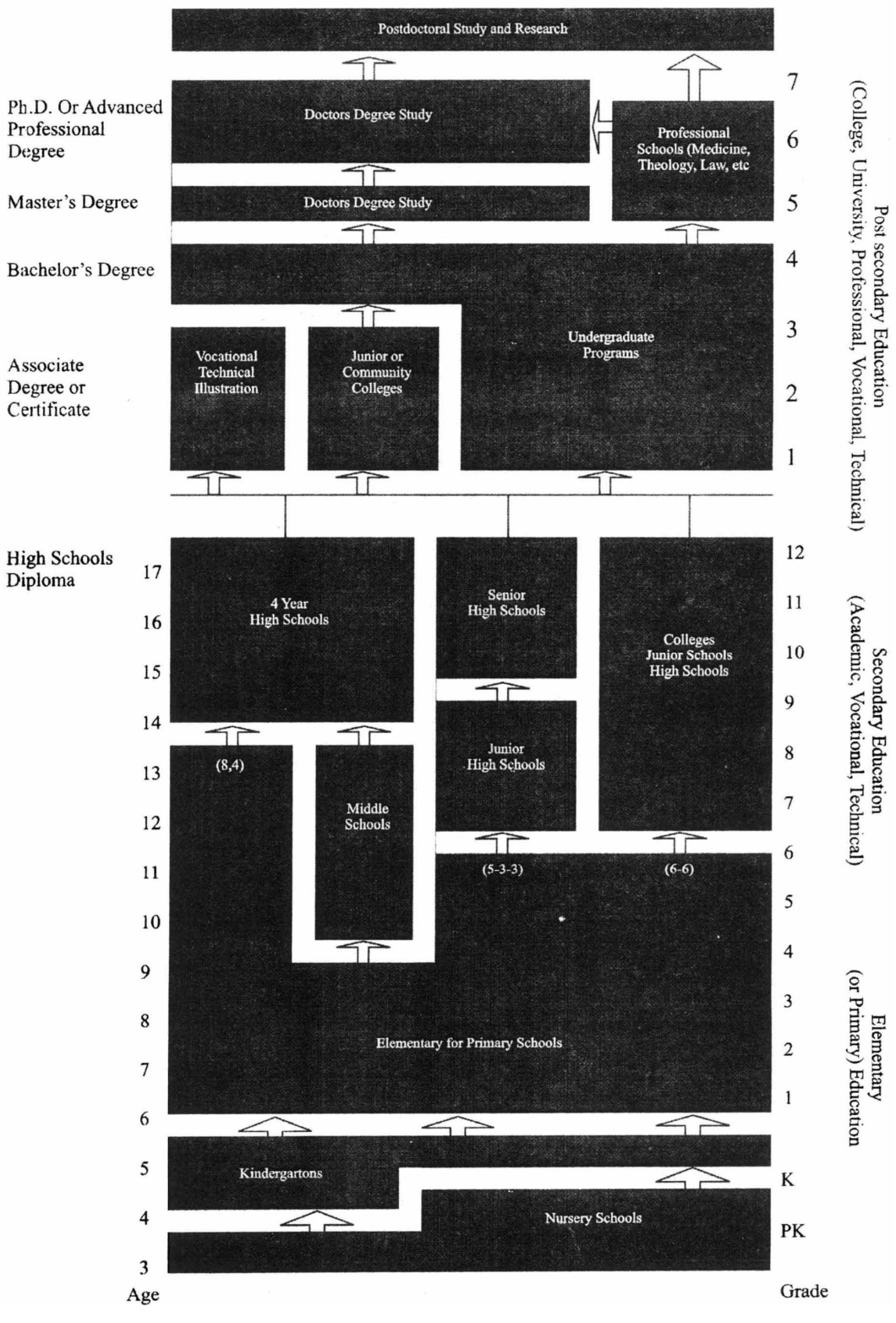

Pre School - अमेरिका में सार्वजनिक रूप से कोई प्रीकिंडरगर्टन अथवा क्रेश प्रोग्राम अनिवार्य नहीं है । अधिकांश परिवार अपने स्तर पर ऐसी व्यवस्था करते हैं ।

नर्सरी स्कूल - किंडरगार्टन स्कूल से पूर्व नर्सरी स्कूल होता है जो Pre-primary group, Child care centre अथवा Cooperative Nursery School कहलाते है। यह प्राथमिक स्कूल से जुड़े हुए अथवा उससे अलग हो सकते हैं ।

Kindergarten School - फर्स्ट ग्रेड से पूर्व किंडरगार्टन स्कूल होता है । यह प्राथमिक स्कूल से अलग अथवा उसके साथ जुड़ा हो सकता है । इसे Pre-primary अथवा Junior Primary भी कहा जाता है ।

Head Start - निम्न आय वाले परिवारों के बच्चों की मदद के लिए 1965 में Department of Health and Human Services ने यह कार्यक्रम प्रारंभ किया । यह सर्वाधिक लम्बे समय तक चलने वाला कार्यक्रम है ।

Elementary School - यह पहली से आठवीं ग्रेड तक के लिए होता है ।

Junior High School- यह माध्यमिक स्कूल होता है जो प्राथमिक स्कूल और सीनियर हाई स्कूल के बीच होता है ।

High School - प्राथमिक विद्यालय के बाद चार साल का माध्यमिक विद्यालय होता है । (8+4) योजना में या (7+4) योजना में । इसमें 4 वर्ष का व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल होता है ।

Senior High School - इसमें High School Diploma दिया जाता है जो Graduation के लिए जरूरी होता है ।

College- इसके अन्तर्गत वे संस्थाएँ आती हैं जो (1) चार वर्षीय स्नातक डिग्री देती है या 2/3 वर्षीय Associate Degree देती है (2) किसी विश्वविद्यालय का Undergraduate विभाग है । (3) उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थान ।

Community College - स्थानीय समुदाय की आवश्यकता पर आधारित 2 वर्षीय उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं । यह पब्लिक, प्राइवेट अथवा किसी पब्लिक स्कूल से जुड़ा हो सकता है । छात्रों की सुविधानुसार सुबह, दोपहर अथवा शाम की कक्षाएं होती हैं । यहाँ मुख्यत: transfer curriculam (जिसके क्रेडिट बैचलर डिग्री में स्थानांतरित किए जा सकते हैं), व्यावसायिक पाठ्यक्रम, सामान्य शिक्षा एवं वयस्क शिक्षा के पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं । वित्तीय प्रावधान एवं नियंत्रण स्थानीय समुदाय का होता है ।

Graduate School - यह विश्वविद्यालय का एक मुख्य विभाग होता है जो लिबरल आर्ट्स एवं विज्ञान विषयों में अथवा व्यावसायिक डिग्री से लेकर मास्टर्स या पी.एच.डी. तक की डिग्री देता है ।

Junior College - यह दो वर्षीय उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है । पब्लिक जूनियर कॉलेज अक्सर कम्यूनिटी कॉलेज कहलाते हैं और कार्य भी उसी की तरह होता है । प्राइवेट जूनियर कॉलेज किसी चर्च अथवा निजी ट्रस्ट द्वारा संचालित होते हैं । जूनियर कॉलेज

स्वतन्त्र रूप से संचालित (पब्लिक या प्राइवेट) संस्था अथवा पब्लिक सेकेण्डरी स्कूल का एक भाग होता है ।

Professional School - यह कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय का एक प्रमुख भाग होता है जो व्यावसायिक डिग्री के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है । दी जाने वाली मुख्य डिग्री है- B.S.E.(Engineering), B.S.Ed (Education), L.L.B. (Law), B.D. (Divinity), M.D. (Medicine) B.Arch (Architecture) इत्यादि । कुछ पाठ्यक्रमों में सैकेण्डरी स्कूल से ग्रेजुएट हुए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है । जबकि कुछ पाठ्यक्रमों के लिए किसी आर्ट/साइन्स कॉलेज से Pre-professional पाठ्यक्रम पूरा करना जरूरी होता है ।

Independently Organised Professional Schools - ऐसे संस्थान किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षण संस्थान के भाग नहीं होते हैं । इसके पाठ्यक्रम पूर्णत: व्यावसायिक क्षमताओं पर आधारित होते हैं । ये पब्लिक अथवा प्राइवेट हो सकते हैं । इसके अन्तर्गत मुख्यत: निम्न संस्थान आते हैं-

(a) टीचर्स कॉलेज जो प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करते हैं ।

(b) टेक्नोलोजिकल स्कूल जो इंजीनियरिंग अथवा भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रशिक्षण देते हैं ।

(c) थियोलोजिकल एवं धार्मिक स्कूल ।

(d) स्कूल ऑफ आर्ट्स जो चित्रकला, शिल्प, डिजाइनिंग, संगीत, नाट्य आदि विषयों के पाठ्यक्रम चलाते हैं ।

(e) अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम वाले संस्थान ।

Semi Professional - यह दो वर्षीय उच्च शिक्षा के संस्थान होते हैं । जहाँ Associate Degree दी जाती है और जो छात्रों को तुरन्त व्यवसाय/ कार्य के लिए तैयार करते हैं । यहां मेडिकल प्रयोगशाला तकनीकी, होटल मैनेजमेन्ट, कमर्शियल आर्ट, नर्सिंग, सेक्रेटरी प्रशिक्षण, बाइबिल स्टडी,एकाउन्टिंग जैसे पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं ।

Technical Institute - यह द्विवर्षीय उच्च शिक्षा संस्थान है जो इंजीनियरिंग से संबंधित पेशे /व्यवसायों के लिए पाठ्यक्रम चलाते हैं । यहां Associate Degree, Certificate अथवा Diploma दिए जाते हैं । यहां से प्राप्त क्रेडिट चार वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में जोडे जा सकते हैं । मुख्य पाठ्यक्रमों में इलेक्ट्रोनिक टेक्नोलोजी, एयरोप्लेन इंजिन मेंटेनेंस, एयर कंडीशनिंग, हीटिंग एण्ड रेफ्रिजरेशन, टूल एण्ड डाई डिजाइन, प्रोग्रामिंग टेक्नीक आदि शामिल है । कुछ संस्थानों में एक वर्षीय पाठ्यक्रम अथवा विशेष छोटे कोर्स भी उपलब्ध हैं ।

University - यह शिक्षा का सर्वोच्च केन्द्र होता है । एक विश्वविद्यालय के अर्न्तगत मुख्यत: लिबरल आर्ट्स एवं साइन्स कॉलेज, दो या अधिक प्रोफेशनल स्कूल और एक ग्रेजुएट स्कूल होता है । लेकिन अधिक जोर बैचलर डिग्री से आगे की उच्च डिग्री पर मास्टर्स एवं पीएचडी पर रहता है ।

Municipal Or Urban College - ये कॉलेज नगरपालिका अथवा नगर संस्था द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं । ये सार्वजनिक शिक्षा के केन्द्र हैं । उच्च शिक्षा परिषद जो नगर के मेयर द्वारा नियुक्त की जाती है इन कॉलेजों की देखभाल करती हैं । सबसे बड़ी नगर शिक्षा व्यवस्था न्यूयार्क शहर की कॉलेज शिक्षा व्यवस्था है ।

Land Grant College and University - इन संस्थाओं को राज्य सरकार के Morril Act के अधीन आर्थिक सहायता प्राप्त है । इस नियम के अनुसार प्रत्येक सीनेटर और कांग्रेस के सदस्य के लिए 30 हजार एकड़ भूमि अथवा उसके मूल्य की धनराशि कृषि एवं प्राविधिक शिक्षा व्यवस्था हेतु वितरण के लिए दी गई थी । इनके कार्य आवासीय निर्देशन, शोध कार्य और सेवा प्रसार है । इन कॉलेजों से स्त्री शिक्षा, नीग्रो शिक्षा एवं जनतांत्रिक भावना के विकास को बल मिला । इन कॉलेजों में प्रमुख छात्रों को अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। प्रत्येक ऐसे कॉलेज में Reserve Office Training Core (R.O.T.C.) की यूनिट होती है जो देश के लिए योग्य सैनिक अफसर तैयार करती है ।

Teacher Education - शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर ऑफ एजुकेशन की डिग्री बहुत लोकप्रिय है। यह एक व्यावसायिक डिग्री है जिसके लिए शिक्षण और शैक्षिक प्रशासन की विशेष योग्यता आवश्यक होती है ।

उच्च शिक्षा के लिए कुछ अन्य संस्थाएं हैं मिलिट्री एकेडेमी, नेवल एकेडेमी और एयर एकेडेमी आदि । इसके अतिरिक्त समर स्कूल भी चलाये जाते हैं ।

शिक्षा का माध्यम- शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है । विदेशी भाषा का अध्ययन वैकल्पिक विषय के रूप में तथा उच्च शिक्षा में किया जा सकता है ।

धार्मिक, नैतिक, मूल्यों एवं आध्यात्मिक शिक्षा-

सामान्यत: स्कूल कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों में धार्मिक अथवा नैतिक शिक्षा नहीं दी जाती है । लेकिन शैक्षिक एवं सहशैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से छात्रों में व्यक्तिगत मूल्यों प्रजातांत्रिक आदर्शो सहकारिता, समानता, बन्धुत्व, सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों को विकसित कर ने का प्रयास किया जाता है ।

कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों में दर्शनशास्त्र के पाठ्यक्रमों में नीति एवं धर्म सम्बन्धी विषयवस्तु शामिल है । बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो सेमीनरी (Seminaries) कहलाते हैं जो प्रोटेस्टेन्ट, कैथोलिक व यहूदी धर्माधिकारियों एवं पादरियों का प्रशिक्षण देते हैं ।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Question)

1. अमेरिकी शिक्षा में विद्यालयी स्तर की शिक्षा के प्रमुख स्तरों का वर्णन कीजिए।
2. उच्च शिक्षा की विभिन्न संस्थाओं का वर्णन कीजिए ।
3. अमेरिकी शिक्षा में चर्च तथा धार्मिक शिक्षा का क्या स्थान है ?

4.7 विशिष्टताएँ (Special Features)

अमेरिकी शिक्षा की कुछ ऐसी विशिष्टताएँ हैं जो इसे विश्व में एक विशिष्ट व अनुकरणीय स्थान दिलाती हैं । इसकी कुछ विशिष्टताएँ इस प्रकार हैं-

1. **केन्द्रीय नियन्त्रण से मुक्त-** परम्पराओं द्वारा निर्धारित और संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप केन्द्रीय शासन (संघ) के नियन्त्रण से मुक्त शिक्षा हमेशा से प्रांतों / राज्यों तथा स्थानीय संस्थाओं की जिम्मेदारी रही है । केन्द्र की भूमिका सहयोगी की रहती है पर हस्तक्षेप नहीं रहता है ।

2. **प्रजातांत्रिक आदर्शो पर आधारित-** अमेरिकी शिक्षा पूर्णत: प्रजातांत्रिक आदर्शो एवं सिद्धान्तों पर आधारित है । शक्ति का विकेन्द्रीकरण एवं अवसरों की समानता उसके मूल में है । सबको शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिले इसका ध्यान रखा गया है ।

3. **शिक्षा में चर्च का हस्तक्षेप नहीं-** सभी विद्यालय धर्म निरपेक्षता का पालन करते हैं । पब्लिक स्कूलों में धर्म शिक्षा का कोई स्थान नहीं है । धर्म को व्यक्तिगत और घर-परिवार विषय माना गया है ।

4. **चयन की स्वतन्त्रता-** माध्यमिक स्तर पर छात्रों के सामने अध्ययन के बहुत से विकल्प रहते हैं जो उन्हें विभिन्न व्यवसायों, कृषि, महाविद्यालयी शिक्षा अथवा तकनीकी शिक्षा के लिए तैयार करते हैं । महाविद्यालय में भी असंख्य पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं जो विभिन्न व्यवसायों की ओर ले जाते हैं ।

5. **फिलान्थ्रोपिक संस्थाएँ-** अमेरिका में शिक्षा के विकास में लोकोपकारी (फिलान्थ्रोपिक) संस्थाओं की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है । देश में 10000 से भी अधिक ऐसी संस्थाएं हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में सृजनात्मक कार्यो, नवाचारों तथा प्रयोगों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती हैं ।

6. **अधुनातन पाठ्यक्रम-** आधुनिक तकनीकी, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्र में होने वाले विकास को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रमों को हमेशा पुर्नसंशोधित किया जाता है ।

7. **निर्देशन सेवाएँ-** सभी स्तर पर विद्यार्थियों को निर्देशन सेवाएं उपलब्ध कराती जाती है और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के हित को ध्यान में रखकर उसके अनुरूप प्रयास किए जाते हैं । प्रतिभाशाली बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है । सामान्यत: प्रत्येक स्कूल में 250 छात्रों पर एक स्थायी स्कूल काउन्सलर अथवा मनोवैज्ञानिक होता है जो निर्देशन और परामर्श का कार्य करता है ।

8. **विद्यालय एवं समुदाय में निकटता-** अमेरिका में जन समुदाय शिक्षा में विशेष रूचि लेता है व सहकारिता निभाता है । सभी नागरिकों के लिए विद्यालय की समस्याएँ चिन्ता का कारण बनती है जबकि उनकी उन्नति समुदाय के लिए गर्व का विषय होता है ।

9. **शिक्षा में शोध कार्य-** शिक्षा के क्षेत्र में अधिकाधिक शोध कार्य किए जाते हैं जिनमें सरकारी, निजी संस्थाएं, विश्वविद्यालय तथा प्रांतीय एवं स्थानीय शिक्षा विभाग सहयोग करता है ।

10. **निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा-** सभी अमेरिकी बच्चों को 12 वर्ष की (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राज्य द्वारा अनिवार्यत: एवं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है ।

अभिभावक चाहें तो बच्चों को निजी विद्यालयों एवं चर्च से जुड़े विद्यालयों में भेज सकते हैं जहां फीस लगती है । यद्यपि महाविद्यालयी शिक्षा निःशुल्क नहीं है फिर भी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों की आय का सिर्फ 25 प्रतिशत फीस से आता है । बाकी 75 प्रतिशत राशि संघ व राज्य सरकारों, उद्योगों, संगठनों तथा व्यक्तियों से अनुदान के रूप में आती है।

11. **उच्च साक्षरता दर-** अमेरिका में 99 प्रतिशत साक्षरता है ।

12. **प्रभावी अभिभावक शिक्षक संघ-** अमेरिका में अभिभावक शिक्षक संघ अत्यंत प्रभावी एवं सक्रिय है जिसका प्रभाव शिक्षा के उन्नयन में देखने को मिलता है ।

13. **विशिष्ट शिक्षा-** मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एव भावात्मक रूप से बाधित बच्चों जैसे दृष्टिहीन, मूक-बधिर, विकलांग, मानसिक रूग्ण, मंदबुद्धि, प्रतिशाली पिछड़े व अपराधी बालकों के लिए विशेष शिक्षा व्यवस्था (सामन्य अथवा विशेष स्कूलों में) है । शिक्षा के साथ-साथ अन्य सुविधाएं तथा चिकित्सा भी उपलब्ध करायी जाती है ।

14. **अल्पसंख्यकों की शिक्षा-** अमेरिका में एक तिहाई जनसंख्या अश्वेत, हिस्पानिक्स अमेरिकन इंडियन तथा एशियन अमेरिकन लोगों की है । इनमें से कई समुदाय आर्थिक रूप से पिछड़े एवं लम्बे समय से सामाजिक शोषण एवं भेदभाव से ग्रस्त रहे हैं । संविधान में इन सबके लिए शिक्षा में समान अवसरों की बात कही गई है ।

15. **प्रौढ शिक्षा-** अमेरिका में प्रौढ़ शिक्षा बहुत ही लोकप्रिय, व्यापक एव मान्य शिक्षा व्यवस्था है । इसके लिए संघ एवं प्रांतीय सरकार तथा अन्य कई संस्थाएँ वित्तीय सहायता देती हैं । इसमें कई संस्थाएं जैसे विश्वविद्यालय, पत्राचार विद्यालय, रात्रि विद्यालय, जूनियर कॉलेज, श्रमिक संगठन, रेडियो व टीवी. चैनल आदि शामिल हैं । औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा उपलब्ध है ।

16. **दूरस्थ शिक्षा-** अमेरिका में दूरस्थ शिक्षा की भूमिका अत्यंत सीमित है । फिर भी अन्य देशों की तुलना में अमेरिका में दूरस्थ/पत्राचार शिक्षा काफी विस्तृत है । संघ सरकार विशेषकर सैन्य सेवाएं दूरस्थ शिक्षा का सर्वाधिक उपयोग करती हैं । सैनिक छात्र सैन्य सेवा पाठ्यक्रम लेते हैं । होम स्टडी के 75 प्रतिशत छात्र व्यवसाय संबंधित पाठयक्रम लेते हैं जबकि अन्य छात्र अकादमिक, सांस्कृतिक अथवा हॉबी के पाठ्यक्रम लेते हैं । दो प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की दूरस्थ ।शिक्षा संस्थाएँ हैं:

    (i) National Home Study Council (NHSC), Washington.

    (ii) National University Continuing Education Association (NUCEA), Washington.

17. **महिलाओं की शिक्षा-** महिलाओं की शिक्षा की शुरूआत देर से हुई । प्राथमिक स्कूलों में सहशिक्षा प्रचलित थी जिसे 18वीं सदी के उत्तरार्ध में माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक बढ़ा दिया गया । 1837 में मैसाचुसेट्स प्रांत में लड़कियों के लिए माध्यमिक विद्यालय स्थापित हुआ । साथ ही जॉर्जिया फीमेल कॉलेज भी खुला । 1849 में रॉकफोर्ड फीमेल सोनरी तथा 1851 में फीमेल नार्मल इंस्टीट्यूट की स्थापना

विस्कान्सिन प्रांत में हुई । यद्यपि अमेरिका में सह शिक्षा का प्रचलन है पर उच्च शिक्षा के 216 संस्थान सिर्फ लड़कों के लिए और 244 संस्थान सिर्फ लड़कियों के लिए हैं ।

4.8 शैक्षिक प्रशासन (Education Administration)

संयुक्त राज्य अमेरिका में शिक्षा की जिम्मेदारी प्रांतों की है लेकिन वस्तुत: शैक्षिक प्रशासन में संघ सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय प्रशासन तीनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका एवं जिम्मेदारियां है ।

संघ सरकार की भूमिका- शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन में संघ सरकार के कार्य इस प्रकार हैं-

(i) **प्रांतीय सरकारों को सहायता-** संघ सरकार प्रांतीय सरकारों को भूमि उपलब्ध कराता है, साथ ही आर्थिक अनुदान भी देता है जो प्रांत सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं को उपलब्ध कराई जाती है ।

(ii) **केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था-** केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था संघ सरकार करती है ।

(iii) **मूल निवासी (रेड इंडियन्स) की शिक्षा व्यवस्था-** रेड इंडियन्स जो वहां के मूल निवासी हैं और अब अल्पसंख्यक हैं, की शिक्षा व्यवस्था संघ सरकार की जिम्मेदारी है ।

(iv) **कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं शिक्षा-** संघीय सरकार के कर्मचारियों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण की जिम्मेदारी संघ सरकार की है ।

(v) **शिक्षा कार्यक्रमों को आर्थिक मदद-** विभिन्न शिक्षा कार्यक्रमों को पूर्ण / आंशिक आर्थिक मदद संघ सरकार देती है ।

(vi) **विदेशी शिक्षा कार्यक्रम-** अन्य देशों के साथ मिलकर शिक्षा कार्यक्रम संचालन करना संघ सरकार की जिम्मेदारी है ।

शिक्षा कार्यालय (Office of Education) - अमेरिका में राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा मंत्रालय जैसी कोई व्यवस्था नहीं है । संघ सरकार के हेल्थ, एजुकेशन एव वेलफेयर डिपार्टमेंट के अन्तर्गत ऑफिस ऑफ एजुकेशन (जिसकी स्थापना 1867 में की गई थी) शिक्षा संबंधी व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार है । इसका मुख्य अधिकारी कमिश्नर कहलाता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह डिपार्टमेंट की देखरेख में कार्य करता है ।

ऑफिस ऑफ एजुकेशन के कार्य-

(i) शिक्षा संबंधी आकड़ों को एकत्रित, तैयार एवं प्रसारित करना ।

(ii) शिक्षा की राष्ट्रीय प्रायोजनाओं का क्रियान्वयन करना ।

(iii) शैक्षिक सुधारों के लिए प्रयास करना ।

(iv) व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा पर नियन्त्रण रखना ।

(v) रेड इन्डियन्स एवं अश्वेत लोगों की शिक्षा की व्यवस्था करना ।

(vi) कोलम्बिया प्रांत एवं अन्य अमेरिकी उपनिवेशों की शिक्षा व्यवस्था करना ।

व्हाइट हाउस कॉन्फरेंस - 1955 से लेकर प्राय: हर दस वर्ष पर व्हाइट हाउस कॉन्फरेंस ऑन एजुकेशन का आयोजन किया जाता है । जिसमें पूरे देश से शिक्षा से जुड़े व उसमें रूचि रखने वाले लोग इकट्ठे होकर शिक्षा के विभिन्न पहलुओं व उसके विकास, सुधार आदि पर चर्चा करते हैं और जिसके परिणाम समय-समय पर सरकार द्वारा पारित कानूनों के रूप में सामने आते रहते हैं ।

प्रांतीय सरकार- अमेरिकी संविधान के दसवें संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि शिक्षा की जिम्मेदारी प्रांतीय सरकारों एवं जनता की है । इस तरह अमेरिका में 50 प्रांतों में अलग-अलग तरह की शिक्षा व्यवस्था है जिसकी व्यवस्था एवं नियन्त्रण में हर प्रांत को पूरी स्वायतता प्राप्त है । प्रांतीय स्तर शिक्षा की जिम्मेदारी प्रांतीय शिक्षा विभाग (State Department of Education) की है । जिसके अन्तर्गत प्रांतीय शिक्षा परिषद् (State Education Board, Chief State School Board तथा शिक्षा विभाग के समस्त कार्यकर्ता शामिल हैं ।

स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन- अपने आकार व संगठन में स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन में विभिन्न प्रांतों में पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है । तीन प्रांतों में बोर्ड के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्षत: चुने जाते हैं । तीस प्रांतों में सदस्य वहां के गर्वनर द्वारा पूर्णत: या आंशिक रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

शेष प्रांतों में सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से स्टेट लेजिस्लेटर (प्रांतीय विधायिका) द्वारा चुने जाते हैं अथवा कुछ चुने व कुछ नियुक्त किए जाते हैं । सदस्य सामान्यत: व्यावसायिक रूप से शिक्षाविद् नहीं होते हैं बल्कि विशिष्ठ नागरिक होते हैं जो विभिन्न कार्यो व व्यवसायों से आते हैं । सदस्यों को कोई वेतन नहीं दिया जाता है । इनकी संख्या 3 से 21 तक हो सकती है । क्षेत्राधिकार एवं कार्यो में प्रांतों में भिन्नता है । मुख्य कार्य शिक्षा नीति का निर्धारण, शिक्षकों को सर्टिफिकेट देना, पाठ्यक्रम निर्धारण, विद्यालय भवन, वित्तीय प्रबंधन, परिवीक्षण एवं नियंत्रण आदि है । इनके क्षेत्राधिकार में प्राथमिक, माध्यमिक, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षक महाविद्यालय, जूनियर कॉलेज तथा अंध एवं बधिर विद्यालय आते हैं ।

Chief State School Officer- प्रत्येक प्रांत में एक चीफ स्टेट स्कूल ऑफिस होता है जो स्टेट स्कूल बोर्ड की नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है । अधिकांश प्रांतों में यह सुपरिटेंडेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन कहलाता है जबकि कुछ प्रांतों में कमिश्नर ऑफ एजुकेशन, सुपरिंटेंडेंट ऑफ एजुकेशन अथवा सुपरिंटेंडेंट ऑफ स्कूल्स कहलाता है । 23 प्रांतों में इसकी नियुक्ति स्टेट एजुकेशन बोर्ड द्वारा, 5 प्रांतों में गर्वनर द्वारा तथा 22 प्रांतों में जनता के मतदान द्वारा चुना जाता है ।

स्टेट डिपार्टमेन्ट ऑफ एजुकेशन - चीफ स्टेट स्कूल ऑफिसर की मदद के लिए विभाग होता है जिसमें सलाहकार, प्रोफेशनल्स, कार्यकर्ता तथा मेंटेनेंस कर्मचारी होते हैं जिनकी नियुक्ति स्टेट बोर्ड अथवा सुपरिंटेंडेंट द्वारा की जाती है । विभाग का कार्य वित्तीय प्रबंधन, नियमों के क्रियान्वयन में मदद, पाठयक्रम सुधार, सूचना एकत्रीकरण, संधारण एवं प्रसारण, शिक्षकों का

प्रमाणीकरण, अंध एवं बधिर विद्यालयों की व्यवस्था स्थानीय विद्यालयों को सलाह एवं नेतृत्व प्रदान करना है ।

स्थानीय प्रशासन- स्कूलों का प्रबंधन स्थानीय स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसके सदस्यों का चुनाव स्थानीय जनता करती है । सदस्य मिलकर सुपरिंटेंडेंट ऑफ स्कूल्स का चुनाव करते हैं । बोर्ड का कार्यकाल निश्चित नहीं है ।

सिटी स्कूल सिस्टम- 25000 के लगभग जनसंख्या वाले शहरों एवं नगरों की शिक्षा व्यवस्था सिटी एजुकेशन बोर्ड द्वारा की जाती है जिसका प्रमुख सुपरिटेंडेंट ऑफ सिटी एजुकेशन होता है जो बोर्ड के सदस्यों द्वारा चुना जाता है ।

स्कूल डिस्ट्रिक्ट- अमेरिकी शिक्षा को अन्य सरकारी महकमों की दखलंदाजी से मुक्त रखने के लिए स्कूल डिस्ट्रिक्ट व्यवस्था विकसित की गई है । 70 प्रतिशत स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्थानीय जनता से टैक्स वसूल करते हैं । यहाँ जनता निश्चित करती है उन्हें कैसी शिक्षा चाहिए । स्कूल डिस्ट्रिक्ट आकार की दृष्टि से बहुत भिन्नता रखते हैं । सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में एक कमरे के प्राथमिक स्कूल से लेकर महानगर जहां सैकड़ों स्कूल एवं हजारों शिक्षक होते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के डिस्ट्रिक्ट स्कूल होते हैं ।

प्राइवेट स्कूल- निजी स्कूलों को अधिकांशत: चर्च द्वारा संचालित एवं वित्तीय अनुदान दिया जाता है । कुछ प्रांतीय सरकार भी इन्हें अनुदान देती है । मुख्यत: ये छात्रों की फीस तथा जन सहयोग पर निर्भर करती हैं । इन्हें भी पब्लिक स्कूलों के लिए निर्धारित मानदंड मानने पड़ते हैं, पर इन्हें अतिरिक्त पाठयक्रम शामिल करने तथा इच्छानुसार शिक्षक नियुक्त करने की स्वतन्त्रता है ।

अन्य शिक्षा प्रशासनिक इकाई- कुछ प्रांतों में अन्य प्रकार की शिक्षा प्रशासनिक इकाई इस तरह है-

काउन्टी बोर्ड- ग्रामीण क्षेत्रों में काउन्टी बोर्ड होते हैं । इनकी संख्या 3 हजार से अधिक है । ये अत्यंत सफल, मजबूत एवं व्यवस्थित इकाई हैं । मुख्य रूप से जॉर्जिया, टेनेसी, केंटुकी, वर्जीनिया आदि प्रांतों में काउन्टी बोर्ड है । इसका मुख्य प्रशासक सुपरिंटेंडेंट ऑफ काउन्टी बोर्ड होता है जिसका मुख्य कार्य स्कूलों पर नियंत्रण, पाठयक्रम निर्माण, शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना, शिक्षकों का चयन, ग्राम्य शिक्षा कार्यक्रम तैयार करना, शिक्षा का विकास तथा प्रायोजनाओं का क्रियान्वयन करना आदि है ।

टाउनशिप एजुकेशन बोर्ड- छोटे शहरों और नगरों में होते हैं । न्यूजर्सी, पेन्सिलवेनिया, आयोवा मिशीगन, इलीनोय, इंडियाना और न्यू इंगलैण्ड प्रांतों में ऐसी व्यवस्था है । ये बोर्ड अत्यंत विकसित और आधुनिक हैं ।

वित्तीय प्रबंधन- प्राथमिक एव माध्यमिक स्कूलों के कुल वित्तीय अनुदान में 8 प्रतिशत संघ सरकार द्वारा, 39 प्रतिशत प्रांतीय सरकार द्वारा तथा 53 प्रतिशत स्थानीय अनुदान द्वारा उपलब्ध होता है । इसके अलावा संघ सरकार वंचित बच्चों की शिक्षा, पुरत्तकालयों, पाठ्य-पुस्तकों, पूरक शिक्षा केन्द्रों तथा शोध कार्य के लिए भी अनुदान देती है । अधिकांश प्रांतों में अनुदान का एक न्यूनतम स्तर तय कर रखा है जो "फाउन्डेशन प्रोग्राम" कहलाता है जिसके

द्वारा प्रत्येक बालक को वित्तीय सहायता प्राप्त होती है । इसके अतिरिक्त जिन डिस्ट्रिक्ट स्कूलों की आर्थिक स्थिति अच्छी है वहां शिक्षा की बेहतर सुविधायें देखने को मिलती है ।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न(Self-Evaluation Question)

1. वे कौनसी विशिष्टताएं हैं जो अमेरिकी शिक्षा की एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान करती हैं?
2. शिक्षा के क्षेत्र में स्थानीय जनता की क्या भूमिका है?
3. प्रशासन की दृष्टि से संघ, प्रांत एवं स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका है?

4.9 सारांश (Summary)

- अमेरिकी शिक्षा व्यवस्था का विकास परम्पराओं, आवश्यकताओं एवं प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों के आधार पर हुआ है ।
- बहुत पुराना इतिहास न होने के बावजूद अमेरिका आज विश्व का सबसे शक्तिशाली, विकसित और सम्पन्न देश है ।
- प्राकृतिक, भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधताओं से युक्त यह देश अपने आप में एक लघु विश्व है जहां हर जाति, प्रजाति, वर्ण, धर्म और भाषा-भाषी लोग रहते है ।
- इसका क्षेत्रफल 7827976 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 304,150,798 है ।
- 1776 में गठित संयुक्त राज्य अमेरिका आज 50 प्रांतों का संघ है । साथ ही इसमें संघीय क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया भी है ।
- यहाँ प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों पर आधारित अध्यक्षीय शासन प्रणाली अपनाई गई है । अमेरिकी राष्ट्रपति विश्व का सर्वाधिक शक्ति संपन्न राष्ट्र प्रमुख हैं । प्रांतों का शासन प्रमुख गर्वनर होता है ।
- 1647 से प्रारंभ हुई शिक्षा व्यवस्था प्रजातांत्रिक आदर्शो, व्यक्तिवादी मूल्यों, समानता, सहकारिता और बंधुत्व के सिद्धान्तों पर आधारित है और अपने विकसित रूप में विशिष्ठ व अनुकरणीय है ।
- शिक्षा को चर्च से मुक्त रखा गया है । इसकी जिम्मेदारी प्रांतों की है । पर संघ एवं स्थानीय स्वशासन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है ।
- देश में 12 वर्षीय अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई गई है ।
- शिक्षा के विभिन्न स्तर हैं जो नर्सरी, प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, व्यावसायिक शिक्षा से लेकर कॉलेज और विश्वविद्यालय तक उपलब्ध है ।
- पब्लिक, प्राइवेट एवं चर्च द्वारा संचालित सभी शिक्षण संस्थानों में उच्च स्तर बनाये रखने का प्रयास किया जाता है ।
- विशिष्ट बालकों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा आदि इसकी कुछ और विशेषताएँ हैं ।

- सभी स्तरों पर अनिवार्य रूप से निर्देशन सेवाएँ उपलब्ध कराना अमेरिकी शिक्षा की एक अनोखी विशेषता है ।
- परिस्थितियों, आवश्यकताओं, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के अनुरूप पाठ्यक्रमों को अधुनातन बनाये रखा जाता है ।
- संवैधानिक प्रावधानों द्वारा शिक्षा में निरन्तर सुधार लाने के प्रयास किए जाते हैं । नवीनतम प्रावधान "नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड" है ।
- प्रशासन एवं प्रबंधन की दृष्टि से संघ सरकार, प्रांत सरकार एवं स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है ।
- संघीय स्तर पर ऑफिस ऑफ एजुकेशन, प्रांतीय स्तर पर स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन तथा स्थानीय स्तर पर सिटी एजुकेशन बोर्ड, स्कूल डिस्ट्रिक्ट, काउन्टी बोर्ड, टाउनशिप बोर्ड आदि प्रशासकीय एवं प्रबंधक इकाईयां हैं ।
- वित्तीय प्रबंधन में 8 प्रतिशत संघ सरकार, 39 प्रतिशत प्रांतीय सरकार तथा 53 प्रतिशत स्थानीय अनुदान द्वारा प्राप्त होता है । फाउंडेशन प्रोग्राम के द्वारा प्रत्येक बालक के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self Evaluation Question)

1. अमेरिकी शिक्षा व्यवस्था की विशिष्टताओं की चर्चा वहां की विविधताओं के सन्दर्भ में कीजिए।
2. शिक्षा के मुख्य स्तरों का वर्णन कीजिए ।
3. शैक्षिक प्रशासन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का शिक्षा के विकास की दृष्टि से मूल्यांकन कीजिए ।

4.10 सन्दर्भ (References)

1. A Nation at Risk, 1983, **Report of the National Commission on Excellance in Education,** U.S. Department of Education.
2. Biswas, A and Aggarwal J.C. (1982), **" Comparative Education "**, New Delhi, Arya Book Depot.
3. Education in the United States: **A Documentary History, Vol. 1 to 55,** Random House New York 1974.
4. Khan M.A. (2004), **Modern Comparative Education** Anmol Publication Pvt. Ltd., New Delhi.
5. Kaushik S.L. & Beejawat K.G. **तुलनात्मक शिक्षा,** राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर,1989.
6. Kandal I.L, **The New Era in Education,** Routledge and Kegan Paul, London.

7. Nicholas Hans, **Comparative Education 3rd Edition.** London. Routledge and Kegan paul Ltd. 1958.
8. Richardson, C.A. **Education of Teachers in England,** France and USA, UNESCO,1963.
9. Smith H.L., **Comparative Education,** Educational Publication, Bloomington, Indian USA.
10. Sharma R.N., **Comparative Education,** Surjeet Publication Delhi.
11. **A 2006 Ranking from THES-**QS of the World ′s Research Universities.
12. **United States Census** (2000,2005).
13. **Structure of US Education,** U.S. Network for Education Information: U.S. Department of Education, 2005.
14. **IDEA 2004 Resources** U.S. Department of Education. URL Accessed on Feb. 16.
15. **U.S. Census Bureau Report on Education Attainment in the United States 2003.**

इकाई-5

अमेरिका में विद्यालयी शिक्षा
(School Education in America)

5.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of the Unit)

5.1 विषय प्रवेश (Introduction)

5.2 नर्सरी एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा (Nursery and Pre-primary Education)

5.3 प्राथमिक शिक्षा (Primary Education)

5.4 माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education)

5.5 मूल्यांकन (Evaluation)

5.6 पाठ्येत्तर कार्यक्रम (Cocurricular Programmes)

5.7 व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education)

5.8 सेक्स एजुकेशन (Sex Education)

5.9 विशिष्ठ आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा(Education of the Special Needs Children)

5.10 पब्लिक एवं प्राइवेट स्कूल (Public and Private Schools)

5.11 चार्टर स्कूल (Charter School)

5.12 शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन (Education and Vocational Guidance)

5.13 सारांश (Summary)

5.14 सन्दर्भ (References)

5.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of the Unit)

1. विद्यालयी शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित कराना ।
2. विद्यालयी शिक्षा के उद्देश्यों से परिचित कराना ।
3. विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों, आयु वर्ग, स्कूलों के प्रकार से परिचित कराना।
4. विद्यालयी पाठ्यक्रम, सह-शैक्षिक गतिविधियों, मूल्यांकन, परीक्षण, कार्यावधि, अवकाश आदि से परिचित कराना ।
5. विद्यालय प्रशासन, प्रबंधन एवं वित्तीय प्रबंधन से परिचित कराना ।
6. विद्यालयी शिक्षा की विशेषताओं से परिचित कराना ।

5.1 विषय प्रवेश (Introduction)

किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था का आधार वहां की विद्यालयी शिक्षा होती है । इसे नींव का पत्थर कहा जा सकता है । जीवन के प्रारम्भिक वर्ष सीखने एवं सम्पूर्ण व्यक्तित्व

विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं । विद्यालयी शिक्षा के द्वारा ही बच्चों में वहां के सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों तथा नागरिक जीवन की प्रारंभिक शिक्षा दी जा सकती है । इस इकाई में संयुक्त राज्य अमेरिका की विद्यालयी शिक्षा के इतिहास, स्तर, प्रकार, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, प्रबंधन तथा अन्य सम्बन्धित बातों पर प्रकाश डाला गया है । अमेरिका में 12 वर्षीय विद्यालयी शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क है और सामान्यत: इसकी व्यवस्था प्रांतीय सरकारों द्वारा की जाती है जबकि वित्त एवं नियंत्रण संघ, प्रांत एवं स्थानीय शासन का होता है।

अमेरिका में विद्यालयी शिक्षा 12 वर्ष की होती है जो एलिमेंट्री या प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल और सीनियर हाई स्कूल में विभाजित होती है । पहली कक्षा जिसे वहां फर्स्ट ग्रेड कहते हैं 5 साल अथवा 6 साल की आयु में शुरू होती है और 12 ग्रेड 18 वर्ष की आयु में सम्पन्न होती है । विद्यालयी शिक्षा के विभाजन में प्रांतों में कुछ भिन्नता है । आयु एवं ग्रेड के आधार पर यह विभाजन नीचे की सारणी से स्पष्ट हो जाएगा ।

विद्यालयी शिक्षा

Leve/Grade	**Typical age**
Pre-School	
Various optional, yet recommended programs Such as Head Start	Under 6
Pre-kindrgarten	4-5
Kindergarten	5-6
Elementary School	
1st Grade	6-7
2nd Grade	7-8
3rd Grade	8-9
4th Grade	9-10
Middle School	
5th Grade	10-11
6th Grade	11-12
7th Grade	12-13
8th Grade	13-14
High School	
9th Grade	14-15
10th Grade	15-16
11th Grade	16-17
12th Grade	17-18

5.2 नर्सरी एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा (Nursery and Pre-primary Education)

5.2.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)

पहला नर्सरी स्कूल न्यूयार्क में 1919 में खुला था । परन्तु इसका प्रसार और प्रचलन 1940 के लगभग हुआ । औपचारिक रूप से इसका उल्लेख रिपोर्ट ऑफ द कमिश्नर ऑफ एजुकेशन 1927 में मिलता है । 1932 की रिपोर्ट में देश में 300 नर्सरी स्कूल होने का जिक्र है । वास्तव में औद्योगिक विकास के साथ आये जीवन शैली में परिवर्तन ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता को बढ़ावा दिया । यद्यपि वहां सार्वजनिक रूप से पूर्व किंडरगार्टन स्कूल अथवा क्रेश जैसी व्यवस्था अनिवार्य नहीं है । लेकिन अधिकांश परिवार इसकी आवश्यकता महसूस करते हैं और निजी तौर पर ही इसकी व्यवस्था की जाती है ।

बच्चों की शिक्षा के लिए परिवार में उपयुक्त माहौल तैयार करने के लिए परिवारों को प्रशिक्षित करने के लिए माता-पिता के निर्देशन की उपयुक्त व्यवस्था है । यह तैयारी गर्भाधान से लेकर बच्चे के 1 वर्ष का होने तक की जाती है ।

निम्न आय वर्ग वाले माता-पिता के बच्चों के लिए पूर्व विद्यालयी योजना हेड स्टार्ट (Head Start) संघ सरकार द्वारा वित्तीय अनुदान द्वारा चलायी जाती है । यह सर्वाधिक लम्बे समय तक चलने वाली योजना है ।

वहां चार प्रकार के नर्सरी स्कूल पाये जाते हैं:-

(i) स्वतंत्र रूप से संचालित ।

(ii) प्राथमिक विद्यालय से संलग्न ।

(iii) प्रांतीय शिक्षा व्यवस्था की एक इकाई के रूप में ।

(iv) माध्यमिक स्कूलों द्वारा संचालित ।

प्रशासन की दृष्टि से भी नर्सरी स्कूलों में भिन्नता देखने को मिलती है-

(i) संघ सरकार, प्रातीय सरकार तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा संचालित स्कूल ।

(ii) धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित नर्सरी स्कूल ।

(iii) निजी व्यक्ति/संस्थाओं द्वारा संचालित स्कूल ।

(iv) सहकारी नर्सरी स्कूल जो स्थानीय लोगों/अभिभावकों द्वार चलाया जाता है । इसकी वित्तीय व्यवस्था भी उन्हीं के द्वारा की जाती है। माता-पिता हर महीने स्कूल आकर बच्चों के बारे में विचार-विमर्श करते हैं ।

नर्सरी स्कूलों में आधुनिक तकनीक, गेम्स, उपकरण, मीडिया, शिक्षण प्रविधियों का उपयोग किया जाता है जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो । बच्चों के लिए उपयुक्त माहौल व अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं ताकि वे अधिकाधिक खुद खोज कर सकें, खेल सकें और दूसरों के साथ अन्तर्क्रिया कर सकें।

5.2.2 नर्सरी स्कूल के उद्देश्य (Objectives of Nursery Education)

(i) बच्चों में अपने परिवार से बाहर के लोगों तथा अन्य बच्चों के साथ अच्छे सामाजिक सम्बन्ध बनाने के लिए अनुभव प्रदान करना।

(ii) छोटे बच्चों को अपने को चित्र, संगीत, नृत्य, अभिनय, मॉडलिंग आदि के माध्यम से अभिव्यक्त करने हेतु निर्देशन उपलब्ध कराना।

(iii) बच्चों को उनकी आयु स्तर के अनुकूल कहानी व कविताओं से परिचित कराना।

(iv) बच्चों को अपने विचार एवं अनुभव बातचीत के माध्यम से लोगों से बांटने के अवसर उपलब्ध कराना।

(v) बच्चों के सर्वतोमुखी विकास के लिए स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना ।

(vi) उनमें शैक्षिक तत्परता उत्पन्न करना।

(vii) अच्छे कार्यो की आदत डालना।

(viii) पढने लिखने व बोलने का कौशल विकसित करना।

5.2.3 किंडरगार्टन स्कूल (Kindergarten School)

पहला किंडरगार्टन स्कूल 1855 में विस्कॉन्सिन प्रांत के वाटरटाउन में खुला और दूसरा ओहायो प्रांत के कोलम्बस शहर में कुछ समय बाद । इनकी स्थापना इस पद्धति को प्रणेता डी. फ्रोयबल के शिष्यों द्वारा की गई थी । यहां जर्मन भाषा में पढ़ाई होती थी । अंग्रेजी में पढ़ाने वाला पहला किंडरगार्टन स्कूल बोस्टन में खुला । राष्ट्रपति जॉनसन के कार्यकाल के दौरान 1965 में "हेड स्टार्ट" योजना के अन्तर्गत चाइल्ड केयर सेन्टर तथा पेरेंट्स कोऑपरेटिव नर्सरी स्कूलों को सरकारी मदद का प्रावधान किया गया था । राष्ट्रपति निक्सन ने प्री-स्कूल शिक्षा में सुधार के लिए इस क्षेत्र में शोध पर बल दिया । एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस, प्रिंसटन द्वारा प्री-स्कूल बच्चों के लिए टीवी. पर एक घंटे का प्रसारण किया जाने लगा जिससे बच्चों में अक्षरों, अंकों व विचारों को सीखने में फायदा देखा गया ।

सामान्यत: पहली कक्षा (फर्स्ट ग्रेड) से पूर्व किंडरगार्टन स्कूल होता है । यह प्राइमरी स्कूल के साथ अथवा उससे अलग हो सकता है । इसे प्री- 'प्राइमरी अथवा जूनियर प्राइमरी भी कहा जाता है ।

5.3 प्राथमिक शिक्षा (Elementary Education)

प्राथमिक शिक्षा कक्षा एक (फस्ट ग्रेड) से आठवीं तक की होती है । प्रवेश की आयु सामान्यत: छ वर्ष (कुछ राज्यों में 7 वर्ष) है । कई स्कूलों में यह 1-6 कक्षा तक अर्थात् 6-12 वर्ष की आयु के लिए होता है। यह अनिवार्य एवं निःशुल्क होती है। घर से सीमित दूरी पर स्कूल उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। अभिवावक अपने बच्चों को पब्लिक अथवा प्राइवेट स्कूल में भेज सकते हैं। लगभग 85% बच्चे पब्लिक स्कूलों में जाते हैं जबकि 10% प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। अभिभावक चाहें तो अपने बच्चों को घर पर भी पढ़ा सकते हैं।

ऐसे बच्चों का प्रतिशत लगभग 1.7% है। ऐसा करने वाले लोग वे होते हैं पब्लिक स्कूलों के पक्ष में नहीं है, धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ मानते हैं शिक्षा व्यवस्था को अथवा जो अपने बच्चों को इच्छानुसार धार्मिक शिक्षा देना चाहते हैं, परन्तु चर्च द्वारा संचालित प्राइवेट स्कूलों का खर्च नहीं उठा सकते। कुछ अभिभावक यह भी मानते हैं कि वे स्वयं बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। कुछ अभिभावक असामाजिक तत्वों जैसे गुंडागर्दी, नशाखोरी, अपराध आदि समस्याओं से बच्चों को बचाना चाहते हैं। अभिभावक अक्सर समूह बना लेते हैं और एक-दूसरे की मदद करने अथवा दूसरे अभिभावकों की मदद भी लेते हैं।

एलिमेंट्री स्कूल जो ग्रेड स्कूल अथवा ग्रामर स्कूल के नाम से भी जाने जाते हैं में बेसिक विषय पढाये जाते हैं और बच्चे दिनभर एक या दो क्लासरूम में ही रहते हैं सिवाय शारीरिक शिक्षा, संगीत अथवा आर्ट क्लास के। सुदूर ग्रामीण इलाकों में कई स्कूल ऐसे भी हैं, जहाँ एक ही शिक्षक एक ही कमरे में कई कक्षा के बच्चों को पढ़ाता है (सिंगल टीचर स्कूल) वैसे प्राथमिक शिक्षा में लगभग 90% शिक्षक महिलायें ही हैं।

5.3.1 कार्य दिवस एव अवधि (Working Days and Duration)

औसत कार्य दिवसों की संख्या प्रांतों में भिन्न-भिन्न है । यह 152 दिन से 187 दिन तक है। सप्ताह में 5 कार्य दिवस होते हैं। कार्य अवधि 5-6 घंटे की होती जो सुबह 9 से 12 और 1 से 3.30 बजे तक होती है। छोटी कक्षाओं में कार्यावधि छोटी होती है। ग्रीण क्षेत्रों में कार्य दिवस शहरों की अपेक्षा कम होते हैं । जून से अगस्त तक लगभग ढाई महीने का ग्रीष्मावकाश होता है। यह अवकाश अधिकांश दूसरे देशों की तुलना में अधिक लम्बा है। इसकी शुरूआत इस विचार से हुई थी कि इसमें बच्चे खेतों में काम कर सकेंगे पर अब यह सिर्फ परम्परा निर्वहन के तौर पर ही लागू है।

5.3.2 पाठ्यक्रम (Curriculum)

सामान्यत: पाठ्यक्रम सम्बन्धित स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है जो उन निर्देशों और गाइडलाइन के अनुरूप होते हैं जो "नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड (NCLB)" योजना के अन्तर्गत एडक्वेट इयरली (adequate yearly) प्रोग्रेस (AYD) प्राप्त करने के लिए 'लर्निंग स्टैण्डर्ड' को पूरा करते हों। ऐतिहासिक रूप से देखें तो 19वीं शताब्दी तक 3 'R' (रीडिंग, राइटिंग और अर्थमैटिक) की शिक्षा महत्वपूर्ण मानी जाती थी पर 20वीं शताब्दी की शुरूआत से ही बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाने लगा और 3 'R' के साथ स्पेलिंग, ग्रामर, लिटरेचर, कंपोजिशन, संगीत, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, मनोविज्ञान, हाइजिन आदि भी पढाये जाने लगे। अब 5 'R' (रीडिंग, राइटिंग, अर्थमैटिक, रिलेशनशिप और रिक्रिएशन) को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। पाठ्यक्रम निर्धारण में स्कूल डिस्ट्रिक्ट के साथ शिक्षकों की भी भूमिका रहती है। साथ ही यह भी कि शिक्षण की कौनसी विधियों और उपागम काम में लिए जायेंगे।

एक सामान्य कक्षा में 20-30 छात्र होते हैं, जिनमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक भी होते हैं। उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री रखने का प्रयास किया जाता है। कई स्कूल डिस्ट्रिक्ट पाठ्यक्रम को टीवी. पर या वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराते हैं। शिक्षकों को एक पुस्तक दी जाती है जिसमें बताया जाता है कि उनसे क्या और कैसे पढ़ाने की अपेक्षा की जाती है।

5.3.3 प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of Primary Education)

मोटे तौर पर प्राथमिक शिक्षा के निम्न उद्देश्य हैं-

1. छात्रों में संप्रेषण कला का विकास करना।
2. चरित्र निर्माण
3. शारीरिक स्वास्थ्य का विकास।
4. मापन, गणित एवं समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना।
5. मानवीय संबंधों की समझ विकसित करना।
6. वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास।
7. जिम्मेदारी की भावना का विकास।
8. प्रजातांत्रिक वातावरण के अनुभव प्रदान करना।
9. सृजनात्मक रूचियों का विकास।
10. अन्तर्राष्ट्रीयता की समझ विकसित करना।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. पूर्व विद्यालयी शिक्षा का क्या स्वरूप है?
2. विद्यालयी शिक्षा के मुख्य स्तर कौनसे हैं?
3. प्राथमिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य कौनसे हैं?

5.3.4 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of Primary Teacher Education)

प्राइमरी/एलीमेन्ट्री टीचर्स के प्रशिक्षण में मानव के ज्ञानात्मक एवं मनोवैज्ञानिक विकास, पाठ्यक्रम निर्माण एवं शिक्षण के सिद्धान्तों पर जोर दिया जाता है। उनके लिए अर्ली चाइल्डहुड एवं एलीमेन्ट्री एजुकेशन में बैचलर अथवा मास्टर्स की डिग्री होना आवश्यक है। शिक्षकों के लिए सर्टिफिकेशन का स्तर वहां के प्रांत द्वारा तय किया जाता है। कुछ प्रांतों में विषय की परीक्षा के साथ-साथ शिक्षण कौशल की परीक्षा भी शिक्षक बनने के लिए जरूरी है।

5.3.5 प्राथमिक शिक्षा की विशेषताएँ(Characteristic of Primary Education)

अमेरिकी प्राथमिक शिक्षा की कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं:-

1. औपचारिक शिक्षण अपेक्षाकृत नहीं होता है।
2. समय सारणी में लचीलापन होता है।

3. एक ही समय में विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ चलती रहती हैं।
4. सह शिक्षा।
5. बच्चों की वेशभूषा आकर्षक व चटक रंगों की होती है।
6. डेस्क, कुर्सी, टेबल आवश्यकतानुसार हटाये व लगाये जा सकते हैं।
7. शिक्षक पूरी कक्षा में घूमता रहता है ताकि प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दे सके।
8. शिक्षक बच्चों के उपर अपनी बात थोपते नहीं।
9. शिक्षण छात्र केन्द्रित होता है।
10. कक्षा का वातावरण सहकारिता एवं समूह-समादर का होता है।
11. छात्र योजनाएं बनाते हैं और शिक्षक उन्हें स्कूल की समय सारणी में समायोजित करता है।
12. शिक्षण के अतिरिक्त सहशैक्षिक गतिविधियों पर विशेष जोर दिया जाता है।
13. शिक्षण सहायक सामग्री प्रचुरता से काम में ली जाती है।
14. अधिकांश कक्षाओं में CCTV लगे होते हैं।
15. शिक्षण में आधुनिक विधियों एवं तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

द नॉन ग्रेडेड स्कूल (Non Graded Schools)

प्राथमिक एवं माध्यमिक दोनों स्तरों पर नवाचारों के रूप में नॉन ग्रेडेड स्कूल स्थापित किए गए हैं। उन स्कूलों में पहली, पाँचवी या नवीं ग्रेड जैसा कुछ नहीं होता है। छात्र न पास होते हैं ना फेल और न ग्रेड रिपीट करते हैं। छात्र विभिन्न विषयों में अलग-अलग गति से प्रगति करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा का आधार व्यक्तिगत भिन्नता को बढ़ावा देना है। यूनिवर्सिटी एलीमैन्ट्री स्कूल जो कि लॉस एंजेल्स, कैलिफोर्निया में स्थित है, में प्रत्येक छात्र के लिए अलग पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है।

5.4 माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education)

प्राथमिक शिक्षा की अगली सीढ़ी के रूप में आता है माध्यमिक शिक्षा (सेकेण्डरी एजुकेशन) जिसमें जूनियर एवं सीनियर हाई स्कूल आते हैं। इसके बारे में राष्ट्रपति L.B. Johnson ने कहा था- "The secondary education is the keystone of American Education for million of our young people it lies on the threshold of higher learning; for million more it is the pathway into adult life and useful citizenship."

5.4.1 माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य(Secondary Education)

1918 में प्रकाशित 'cardinal principles of secondary education' ने देश के सभी प्रांतीय शिक्षा विभाग को प्रभावित किया है। इन सिद्धान्तों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के निम्न उद्देश्य हैं-

1. स्वास्थ्य संवर्धन एवं सुरक्षा।

2. मौलिक क्षमताओं में वृद्धि।
3. घरेलू जिम्मेदारियों के प्रति सही अभिवृत्ति का विकास।
4. व्यावसायिक निर्देशन के प्रभावी कार्यक्रम का विकास।
5. नागरिकता की शिक्षा देना ताकि व्यक्ति समुदाय, शहर, प्रांत व राष्ट्र में अपनी भूमिका सही ढंग से निभा सकें तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को समझ सकें।
6. अवकाश के समय के सदुपयोग करने का प्रशिक्षण।
7. विषयों एवं उपयुक्त शिक्षण विधि के चयन द्वारा नैतिक चरित्र का विकास, सामाजिक संपर्क एवं व्यक्तिगत जिम्मेदारी, सेवा भावना तथा प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों के अवसर उपलब्ध कराना ।

1947 में संघ सरकार द्वारा नियुक्त "Commission on Life Adjustment Education" ने अपनी रिपोर्ट में माध्यमिक शिक्षा के निम्न उद्देश्य बताये-

1. सफल नागरिकता की शिक्षा।
2. जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की शिक्षा।
3. परिवार के उपयुक्त सदस्य निर्माण हेतु शिक्षा।
4. सीखने के मूलभूत नियमों को समझने के लायक बनाने की शिक्षा।
5. व्यक्ति को व्यवसाय के लिए तैयार करना।
6. अवकाश के समय के सदुपयोग की शिक्षा।
7. सौन्दर्यबोध एवं प्रशंसा की क्षमता विकसित करने की शिक्षा।
8. विज्ञान के महत्व एवं विधियों की शिक्षा।
9. मानसिक स्वास्थ्य एवं शारीरिक तंदरूस्ती की शिक्षा।
10. नैतिकता एवं मूल्यों के विकास की शिक्षा।

5.4.2 स्कूल व्यवस्था (School System)

अमेरिका में पहला माध्यमिक विद्यालय बोस्टन शहर में ईसाइयों के पयूरिटन सेक्ट के द्वारा 1635 में खोला गया था। आज वहाँ विभिन्न प्रकार के माध्यमिक स्कूल चल रहे हैं। वास्तव में माध्यमिक स्तर पर शिक्षा में एकरूपता नहीं है। सामान्यत: इस स्तर में 9 से 12वीं कक्षा (ग्रेड) को शामिल किया गया है। प्रचलित व्यवस्था के अनुसार शिक्षा में 6+3+3+2 प्रणाली है जिसमें प्रथम 6 वर्ष प्राथमिक स्तर के, 3 वर्ष जूनियर स्कूल, 3 वर्ष सीनियर स्कूल तथा 2 वर्ष जूनियर कॉलेज के होते हैं।

जूनियर हाई स्कूल- यह प्राथमिक एवं सीनियर हाई स्कूल के बीच की कड़ी है । सामान्यत: इसमें 7वीं और 8वीं और कहीं-कहीं नवीं को शामिल किया गया है। कहीं-कहीं सिर्फ नवीं कक्षा को भी जूनियर हाई स्कूल माना जाता है।

इसमें 12 से 14 वर्ष के किशोरों के लिए विशेष पाठ्यक्रम होता है। भविष्य की शिक्षा/ व्यवसाय की दृष्टि से यह स्तर बहुत महत्वपूर्ण होता है ।

सीनियर हाई स्कूल- इसे हाई स्कूल अथवा हायर सैकेण्डरी भी कहा जाता है। उसमें 10,11 एवं 12वीं कक्षा (ग्रेड) शामिल होते हैं।

कम्प्रेहेन्सिव हाई स्कूल- इसमें 9वीं से 12वीं कक्षा सम्मिलित होती है। यह 8 वर्षीय प्राथमिक विद्यालय के बाद होता है। ऐसे स्कूल विषयों, उपकरणों एवं सुविधाओं की बहुतायत से युक्त होते हैं। किसी-किसी स्कूल में 200 तक विषय उपलब्ध होते हैं। इन स्कूलों में प्रवेश सभी के लिए खुला है। प्रजातांत्रिक आधारों पर निर्मित ये विद्यालय अत्यंत किफायती होते हैं। स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ विभिन्न विषयों की पढ़ाई होती है।

विशिष्ट विद्यालय (Specialized School)- इनमें तकनीकी, वाणिज्यिक, कला, कृषि एवं व्यापार विषयों की शिक्षा हेतु प्रारंभिक व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

वोकेशनल एवं इंडस्ट्रियल स्कूल- देश के अधिकांश औद्योगिक शहरों में ये स्कूल हैं ये भी विशिष्ट विद्यालयों की ही श्रेणी में आते हैं।

पार्ट-टाइम स्कूल- ये दो प्रकार के होते हैं-

(i) **कन्टिन्यूएशनल स्कूल-** जो वर्ष में 144 घंटे की शिक्षा (3/4 घंटे प्रति सप्ताह) देते हैं।

(ii) **इवनिंग एडल्ट स्कूल-** जिनमें शाम को नियमित कक्षाएं लगती हैं।

जूनियर कॉलेज- इसमें 12वीं और 13वीं कक्षा शामिल है और जो बच्चे कॉलेज शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना चाहते उनके लिए उपयोगी हैं। हाई स्कूल की समाप्ति के बाद हाई स्कूल डिप्लोमा दिया जाता है।

5.4.3 पाठ्यक्रम (Curriculum)

स्कूल पाठ्यक्रम निर्धारित करने की जिम्मेदारी प्रांतीय सरकार की विधायिका, स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन एवं स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की होती है। स्थानीय शिक्षा बोर्ड की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हर प्रांत की आवश्यकता एवं प्राथमिकता भिन्न-भिन्न होती है फिर भी सामान्यत: निम्न विषयों का अध्ययन शामिल होता है-

अनिवार्य विषय-

- विज्ञान (जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिक शारत्र) - 3 वर्ष
- गणित (अलजबरा, ज्योमेट्री, ट्रिगनोमेट्री) - 4 वर्ष
- सामाजिक विज्ञान (इतिहास, प्रशासन, अर्थशास्त्र, अमेरिकी इतिहास) - 2/3 वर्ष
- शारीरिक शिक्षा (एक वर्ष)

कई प्रांतों में स्वास्थ्य का भी एक पाठ्यक्रम होता है जिसमें शरीर विज्ञान, न्यूट्रीशन, फर्स्ट एड, सेक्सुअलिटी एवं बर्थ कंट्रोल की शिक्षा दी जाती है। एन्टी ड्रग यूज प्रोग्राम भी स्वास्थ्य पाठ्यक्रम का हिस्सा होते हैं। कुछ स्कूलों में विदेशी भाषा एवं आर्ट एजुकेशन भी अनिवार्य पाठ्यक्रम का हिस्सा है।

वैकल्पिक विषय- अनिवार्य विषयों के साथ-साथ स्कूलों में विभिन्न वैकल्पिक विषय भी होते हैं जिन्हें छात्र अपनी रूचि के अनुसार चुन सकते हैं। इनमें प्रमुख हैं-

- विजुअल आर्ट- फिल्म, ड्राईंग, पेन्टींग, स्कल्पचर, फोटोग्राफी।
- टेक्नोलोजी एजुकेशन- शॉप, वुडवर्क, मेटलवर्क, ऑटोमोबिल रिपेयर, रोबोटिक्स।
- कम्प्यूटर- वर्ड प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिजाइन।
- एथलेटिक्स- क्रॉस कंट्री, फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केट बॉल, ट्रैक एंड फील्ड, स्वीमिंग, टेनिस, जिमनास्टिक, वाटरपोलो, सॉकर, रेसलिंग, चीयरलीडिंग।
- विदेशी भाषा- स्पैनिश, फ्रेंच अधिक प्रचलित; चीनी, लैटिन, ग्रीक, जरमन, जापानी कम प्रचलित।

एडवान्स कोर्स- बहुत से स्कूलों में "एडवान्स प्लेसमेंट (A.P.) अथवा "इंटरनेशनल बोकालोरिएट International Baccaloureate (IB) कोर्स उपलब्ध है। ये विशिष्ट ऑनर्स पाठ्यक्रम हैं जिनमें पाठ्यक्रम सामान्य से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण एवं तीव्र गति वाला होता है। ये कोर्स 11वीं एवं 12वीं ग्रेड में लिए जाते हैं। कुछ विषयों (गणित, अलजबरा) में 9वीं और 10वीं ग्रेड में भी लिए जा सकते हैं। इन पाठ्यक्रमों के परिणाम को उच्च शिक्षा में प्रवेश में महत्व दिया जाता है। क्योंकि इनका स्तर कॉलेज के प्रथम वर्ष के समतुल्य होता है। इनमें क्रेडिट दिए जाते हैं जिसे कॉलेज शिक्षा में जोड़ा जाता है। फलत: छात्र निर्धारित अवधि से कम में ग्रेजुएशन कर सकता है।

जिन प्रांतों में कम्यूनिटी कॉलेज हैं वहाँ प्रतिभाशाली छात्र डिस्ट्रिक्ट स्कूल की अनुमति से ग्रीष्मावकाश में एवं स्कूल वर्ष के दौरान कॉलेज की कक्षाएं कर सकते हैं। यहाँ प्राप्त क्रेडिट यूनिट्स को आगे यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर कर दिया जाता है जिससे वह जल्दी ग्रेजुऐशन कर सकता है।

5.5.7 मूल्यांकन- छात्रों का सतत् मूल्यांकन शिक्षकों द्वारा किया जाता है और रिपोर्ट कार्ड समय-समय पर अभिभावकों को भेजा जाता है। आजकल छात्रों के रिपोर्ट कार्ड ऑन लाइन उपलब्ध रहते हैं। वैसे तो ग्रेडिंग सिस्टम में भी स्कूलों में भिन्नता है फिर भी सामान्यत: 100 प्वाइंट स्केल पर आधारित ग्रेडिंग प्रणाली प्रचलित है। कुछ प्रांतों जैसे टेक्सास, वर्जीनिया में "D" ग्रेड (70% से कम) का मतलब फेल होता है।

Grade Scale

+	A	-	+	B	-
100-97	96-93	92-90	86-87	86-83	82-80
+	C	-	+	D	-
79-77	76-73	72-70	69-67	66-63	62-60
E,N,U or F Below 60 Percent					

स्टैण्डर्डाइज्ड टेस्ट- 'नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एक्ट' के अन्तर्गत हर प्रांत के लिए यह आवश्यक है कि हर छात्र का प्रांत स्तर पर मूल्याँकन किया जाय ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारित न्यूनतम स्वर की शिक्षा उन्हें मिल रही है। उदाहरण के लिए न्यूयार्क का 'रीजेन्ट

एक्जामिनेशन अथवा 'पेनसिलवेनिया का पेन्सिलवेनिया सिस्टम ऑफ स्कूल एसेसमेंट' (PSSA)। इसमें प्राइवेट एवं घर पर पढ़ने वाले छात्रों को नहीं शामिल किया जाता। कानून में यह भी प्रावधान है कि छात्रों और स्कूलों को हर वर्ष सुधार दिखाना आवश्यक है जिसे "एडेक्वेट इयरली प्रोग्रेस" (AYP) कहा गया है।

कुछ राज्यों में स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने (MAP) "मेजर्स ऑफ एकेडेमिक प्रोग्रेस" परीक्षण व्यवस्था शुरू की है जिससे समय-समय पर छात्रों की प्रगति कम्प्यूटर के माध्यम से जाँची जाती है। कमजोर छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण (रिमेडियल टीचिंग) की व्यवस्था है जो समर स्कूल अथवा ट्यूशन के माध्यम से किया जाता है।

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य स्टैण्डर्डाइज्ड टेस्ट और भी है जो उनकी ज्ञानात्मक क्षमता एवं अभिक्षमता का परीक्षण करते हैं और इनके प्राप्तांक उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए आवश्यक समझे जाते हैं । उदाहरण के लिए SAT और ACT इस तरह के टेस्ट हैं।

5.4.8 पाठ्येत्तर कार्यक्रम (Co-curricular Programmes)

अमेरिकी विद्यालयी शिक्षा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि यहाँ स्कूलों में खेलकूद, क्लब और अन्य गतिविधियों को छात्रों, अभिभावकों एवं समुदाय के द्वारा बहुत महत्व दिया जाता है। इसमें स्कूल की कार्य अवधि के अतिरिक्त काफी समय लगता है। स्पोर्ट्स एवं अन्य खेलों विशेषकर फुटबॉल और बास्केटबॉल बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। स्कूलों की स्पोर्ट्स टीम उन खेलों के आयोजन से पैसा भी जुटा लेती है। एथेलेटिक एवं जिम्नास्टिक प्रतियोगिताओं में स्टेडियम भरे रहते हैं।

खेलकूद के अलावा स्कूल बैंड, आर्केस्ट्रा, स्कूल मैगजीन/न्यूज पेपर, छात्र प्रशासन, विज्ञान मेले, वाद-विवाद, तथा क्लब गतिविधियाँ प्रमुख होती हैं।

स्टूडेंट काउंसिल- जूनियर एवं सीनियर दोनों ही स्कूलों में स्टूडेंट काउंसिल होती है। छात्र प्रशासन का यह रूप छात्रों और अध्यापकों के बीच भी कड़ी होता है और समस्त छात्रों एवं स्कूल के हित में कार्य करता है। इसका अधिकांश समय स्कूल में सामाजिक कार्यो में लगता है जिसमें स्कूल पिकनिक, नृत्य, कार्निवाल, पार्टी तथा सामाजिक उत्सवों के आयोजन शामिल हैं।

स्कूल मैगजीन - छात्रों को साहित्यिक और लेखन क्षमता की अभिव्यक्ति स्कूल के अखबार पत्रिकाएँ और इयरबुक के माध्यम से होती है।

क्लब गतिविधियाँ- अधिकांश स्कूलों में स्कूल समय के बाद क्लब की गतिविधियों होती हैं जो छात्रों को उनकी रूचि के अनुरूप गतिविधि में भाग लेने का अवसर प्रदान करती हैं और सुविधायें और प्रशिक्षण भी देते हैं। ये क्लब आर्ट, ड्रामा, साहित्य, विज्ञान, विदेशी भाषा, कविता, फोटोग्राफी आदि विभिन्न विषयों और क्षेत्रों से संबंधित होते हैं।

5.5 व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education)

अमेरिका में व्यावसायिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा का एक अभिन्न एवं आवश्यक अंग है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों की व्यावसायिक दक्षता के विकास के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि और वातावरण उपलब्ध कराना है। इसके लिए संघ सरकार विभिन्न सामुदायिक अभिकरणों एवं शिक्षा

संस्थानों को आर्थिक मदद भी देती है। माध्यमिक स्कूल इसे अन्य विषयों की तरह ही पढ़ाते हैं। माध्यमिक स्कूलों में मुख्य चार प्रकार के व्यावसायिक पाठ्य विषय होते हैं-

(i) इंडस्ट्रियल एजुकेशन

(ii) बिजनेस एण्ड कॉमर्स एजुकेशन

(iii) एग्रीकल्चर एजुकेशन

(iv) होम इकॉनोमिक्स एजुकेशन

5.6 सेक्स एजुकेशन (Sex Education)

किशोर छात्रों को एड्स के प्रति जागरूक करने एवं यौन संबंधित समस्याओं से बचाने के लिए देश के कुछ राज्यों में स्कूलों में सेक्स एजुकेशन अनिवार्य कर दिया गया है पर कुछ राज्य इसे लागू नहीं करना चाहते हैं । देश में किशोरावस्था में गर्भधारण भी एक समस्या है जिससे लड़कियाँ स्कूल छोड़ देती हैं । कुछ स्कूलों में ऐसी लड़कियों की शिक्षा व्यवस्था भी है जबकि अधिकांश स्कूल विजिटिंग टीचर के द्वारा घर पर ही शिक्षा की व्यवस्था करते हैं।

इसी तरह किशोरों में बढ़ती ड्रग की लत, अपराध, हिंसा, और आवारागर्दी की समस्याओं को सुलझाने के लिए स्कूलों में नियम भी बनाये हैं, जिसमें बच्चों को इससे दूर रखने की जिम्मेदारी माता-पिता पर डाली गई है । स्कूलों में काउन्सलर की व्यवस्था भी होती है ।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self Evaluation Questions)

1. प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ कौन-सी है?
2. माध्यमिक स्तर की शिक्षा में पाठ्यक्रम एवं पाठ्येत्तर गतिविधियों की चर्चा कीजिए।
3. विभिन्न प्रकार के स्कूलों का वर्णन कीजिए।

5.7 विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा(Education for Special Children)

अमेरिका में 'इंडिविजुअल विथ डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट' (IDEA) 1990 के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान है । इसमें प्रांतों को पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में उनके लिए शिक्षा व्यवस्था करने को कहा गया है । उन्हें मुख्य धारा के स्कूलों में जहां तक संभव हो रखने का प्रावधान है । कुछ मामलों में उनके लिए विशेष स्कूल भी होते हैं । संघ सरकार ने विशेष आवश्यकता युक्त बालकों की 13 श्रेणी बनाई है जिसमें ऑटिज्म, बधिर, दृष्टिहीन, श्रवण, दोष मानसिक मंदता, मल्टीपल डिसेबिलिटी, ऑर्थोपेडिक दोष, अन्य स्वास्थ्य समस्याएं, गंभीर संवेगात्मक समस्याएँ, लर्निंग डिसेबिलिटी, बोलने एवं भाषाजन्य समस्याएँ, मस्तिष्काघात एवं दृष्टिदोष शामिल हैं । इन बच्चों के लिए दो तरह की व्यवस्थाएँ हैं-

5.8 पब्लिक एवं प्राइवेट स्कूल (Public and Private Schools)

अमेरिका में बच्चों के लिए पब्लिक एवं प्राइवेट दोनों विकल्प उपलब्ध हैं । पब्लिक स्कूल संघ सरकार, प्रांत एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा वित्तपोषित होते हैं । इसमें पाठ्यक्रम प्रांत एवं स्थानीय स्तर पर निर्धारित होते हैं । कक्षा में छात्रों की संख्या भी अलग-अलग होती है। सबसे बड़ा पब्लिक एजुकेशन सिस्टम न्यूयार्क शहर का है जहाँ एक मिलियन से भी अधिक बच्चे 1200 अलग-अलग पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं। पब्लिक स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है । प्रवेश का आधार उस क्षेत्र में निवास होता है। बड़े-बड़े शहरों के कुछ उच्च स्तरीय स्कूल मैगनेट स्कूल होते हैं, जो अनिवासी छात्रों को भी लॉटरी अथवा विशेष योग्यता के आधार पर प्रवेश देते हैं। इन स्कूलों में प्रवेश पाने की बच्चे में होड़ रहती है।

प्राइवेट स्कूलों के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित, नॉन प्रोफिट स्वतन्त्र स्कूल एवं फॉर प्रोफिट प्राइवेट स्कूल आते हैं। इनमें फीस की दर में पर्याप्त भिन्नता है। इनके आय के स्रोत छात्रों की फीस के अतिरिक्त और भी होते हैं। कुछ प्राइवेट स्कूल खिलाड़ी छात्रों एवं प्रतिभावान छात्रों को बढ़ावा एवं सुविधायें देते हैं। प्राइवेट स्कूलों में कक्षा में छात्रों की संख्या अत्यंत सीमित (20 के लगभग) होती हैं। अनुशासन कड़ा होता है। गंभीर दोषी पाने पर छात्र को स्कूल से निकाल दिया जाता है। यहाँ छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। बच्चों को कॉलेज में प्रवेश के लिए तैयार किया जाता है। यद्यपि यहाँ शिक्षकों को कुछ कम वेतन दिया जाता है पर उन्हें व्यावसायिक उन्नति के अधिक एवं उच्च स्तरीय अवसर तथा आगे की पढ़ाई के लिए ट्यूशन ग्रांट मिलती है।

सामान्यत: प्राइवेट स्कूल का स्तर उच्च होता है एवं उनकी सेवाएं उच्च गुणवत्तायुक्त होती हैं। अमेरिका के, सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल सिस्टम के रूप में रोमन कैथोलिक आर्कडिओसिस ऑफ शिकागो ऑफिस ऑफ कैथोलिक स्कूल्स का नाम लिया जाता है । प्राइवेट स्कूल में लगभग 28000 डालर प्रति बालक वार्षिक खर्च होता है।

5.9 चार्टर स्कूल (Charter School)

1990 के चार्टर कानून बनने के बाद से नये, नॉन सेक्टेरियन पब्लिक स्कूलों का खुलना जारी है। तबसे लगभग 3000 चार्टर स्कूल खुल चुके हैं। इन स्कूलों को परम्परागत पब्लिक स्कूल सिस्टम से स्वतन्त्र होकर स्कूल चलाने, समुदाय की आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम बनाने की अनुमति होती है। अधिक स्वायत्तता, उच्च अकादमिक स्तर, छोटी कक्षाएं एवं शिक्षण के नवीनतम तरीके इन स्कूलों की विशेषता होते हैं। सामान्यत: उसे 5 साल की अवधि के लिए 'चार्टर' की अनुमति दी जाती है पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

5.10 शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन (Education and Vocational Guidance)

अमेरिका को "निर्देशन आन्दोलन की मातृभूमि" कहा जाता है। बोस्टन शहर को "क्रेडल ऑफ वोकेशनल गाइडेन्स" कहलाने का श्रेय जाता है। वहीं के फ्रेंक पारसन को निर्देशन

आन्दोलन का जनक कहा जाता है जिन्होंने 1908 में वोकेशनल गाइडेन्स ब्यूरो की स्थापना की। शैक्षिक निर्देशन पर कार्य जेसी बी.डेविस ने 1898- 1907 तक किया लेकिन स्कूलों में इसकी अनिवार्यता स्थापित करने का श्रेय केली को जाता है जिन्होंने "एजुकेशनल गाइडेन्स" के ऊपर अपना शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किया।

राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल वोकेशनल गाइडेन्स एसोसियेशन की स्थापना 1930 में हुई। संघ सरकार के शिक्षा विभाग ने वोकेशनल इन्फोरमेशन एण्ड गाइडेन्स सर्विस की स्थापना 1939 में की। अमेरिकी शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य यह माना गया है- "Every young person from the day he first enters in school, shall have an opportunity to develop his gifts to the fullest"

इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में निर्देशन सेवा अनिवार्यत: उपलब्ध कराई गई है ।

निर्देशन की आवश्यकता - अमेरिका में छात्रों की इच्छा व रूचि के अनुसार विषय चयन करने की स्वतन्त्रता है। हाई स्कूल में छात्रों के सामने विषयों के असंख्य विकल्प होते है जो उन्हें किसी विशेष व्यवसाय अथवा अकादमिक पाठ्यक्रम की ओर ले जाता है। द डिक्शनरी ऑफ ऑक्यूपेशन टाइटल्स में 22000 व्यवसायों की सूची दी गई है जिसका इस्तेमाल कउंसलर और एम्पलायमेंट ऑफिसर करते है। ऐसी स्थिति में विषय व्यवसाय चयन करने में निर्देशन की आवश्यकता अपरिहार्य हो जाती है। जेम्स बी.कोनेन्ट ने इसीलिए कहा है कि Guidance is the keystone of American Education."

निर्देशन सेवाओं की विविधता- स्कूलों में विभिन्न प्रकार की निर्देशन सेवा उपलब्ध है। सामान्यत: प्रत्येक स्कूल में 250 छात्रों पर एक स्थायी स्कूल काउन्सलर अथवा स्कूल साइकोलॉजिस्ट होता है जो मनोविज्ञान में प्रशिक्षित होता है। निर्देशन में मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साक्षात्कार, शिक्षको की राय, शैक्षिक उपलब्धि का उपयोग किया जाता है। साल में कम से कम 1 घंटा प्रत्येक छात्र पर मनोवैज्ञानिक परीक्षणों तथा 3 से 6 घंटे शैक्षिक परीक्षणों में दिए जाते हैं।

प्राथमिक स्कूलों में काउन्सलर का कार्य विशिष्ट बालकों की पहचान करना और उसके लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करना होता है। साथ ही उसकी संवेगात्मक, समस्याओं को सुलझाना भी उसका कार्य होता है। सैकेण्डरी स्तर पर काउन्सलर का मुख्य कार्य छात्रो को 14 वर्ष की आयु में यह निर्णय लेने में मदद करना होता है कि उन्हें आगे किस पाठ्यक्रम अथवा व्यवसाय में जाना है।

काउन्सलर छात्रों को अपनी क्षमताओं, रूचियों तथा कमियों को पहचानकर उनके अनुरूप निर्णय लेने में मदद करता है, साथ ही विभिन्न प्रकार की शैक्षिक और व्यावसायिक सूचनाएं भी उपलब्ध कराता है। छात्रों की व्यक्तिगत, (समायोजनात्मक संवेगात्मक) समस्याओं के लिए परामर्श देना तथा प्लेसमेंट और फोलोअप सर्विस देना भी काउन्सलर का कार्य होता है।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Question)

1. विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा की क्या व्यवस्था है?
2. अमेरिका में पब्लिक एवं प्राइवेट स्कूलों में क्या अन्तर है?
3. अमेरिकी शिक्षा व्यवस्था में निर्देशन सेवा के महत्व एवं स्वरूप पर प्रकाश डालें।

5.11 सारांश (Summary)

- किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था का आधार वहाँ की विद्यालयी शिक्षा होती है।
- अमेरिकी विद्यालयी शिक्षा को वहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों ने प्रभावित किया है।
- अमेरिकी विद्यालयी शिक्षा प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों पर आधारित है।
- शिक्षा को प्रांतों की जिम्मेदारी माना गया है।
- हर प्रांत की शिक्षा व्यवस्था अपने आप में अलग है।
- संघ सरकार की भूमिका वित्तीय अनुदान और नियम बनाने की है।
- व्यवस्था एवं नियंत्रण प्रांतीय एवं स्थानीय प्रशासन का होता है।
- विद्यालयी शिक्षा सामान्यत: 12 वर्ष की है जिसका प्रारंभ 6 वर्ष की आयु में होता है और 18 वर्ष की आयु तक चलती है।
- विद्यालयी शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क है।
- पूर्व विद्यालयी शिक्षा यद्यपि अनिवार्य नहीं है फिर भी आवश्यकता को देखते हुए देश में नर्सरी एवं किंडरगार्टन स्कूल हैं।
- कक्षा को ग्रेड कहा जाता है।
- विद्यालयी शिक्षा प्राथमिक एवं माध्यमिक में विभाजित है।
- प्राथमिक शिक्षा पहली ग्रेड से छठी ग्रेड तक की होती है।
- माध्यमिक शिक्षा को जूनियर और सीनियर हाई स्कूल में विभाजित किया गया है।
- 12 वर्षीय विद्यालयी शिक्षा को प्रांतों में अलग-अलग तरह से विभाजित किया गया है। कहीं यह 4+4+4 (प्राइमरी, मिडल, हाई स्कूल) है तो कहीं 5+3+3 (प्राइमरी, जूनियर, सीनियर हाई स्कूल) तो कहीं 6+6 (प्राथमिक, माध्यमिक) तो कहीं 3+4+4 (प्राथमिक, मिडल, हाई स्कूल) है।
- मूल्यांकन सतत् किया जाता है और रिपोर्ट कार्ड समय-समय पर अभिभावकों के पास भेजे जाते हैं।
- मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम अपनाया गया है जो 100 प्वाइंट स्केल पर आधारित होता है। कुछ प्रांतों में D ग्रेड को फेल माना जाता है। उत्तीर्ण होने के लिए 60%-70%(D ग्रेड) जरूरी है। कुछ राज्यों के स्टेण्डर्डाइज्ड टेस्ट भी होते हैं जिनके प्राप्तांक कॉलेज में प्रवेश के लिए जरूरी होते हैं। जैसे 841, SAT, ACT आदि।
- पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रांतों में विविधता है परन्तु सामान्यत: गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक ज्ञान (इतिहास, भूगोल, प्रशासन) विषय अनिवार्य होते हैं।

- वैकल्पिक विषय भी लेने होते हैं जिनकी संख्या में एकरूपता नहीं है। कहीं-कहीं इनकी संख्या 200 के लगभग है।
- पाठ्य विषयों के अलावा हर छात्र को पाठ्येत्तर गतिविधियों जैसे- खेलकूद, संगीत, ड्रामा, क्लब गतिविधि, स्कूल मैगजीन, छात्र काउन्सिल, आर्केस्ट्रा, नृत्य, कोरस, बैंड आदि हो सकते हैं।
- हाई स्कूल की समाप्ति के बाद हाई स्कूल डिप्लोमा दिया जाता है।
- स्कूलों में हर स्तर पर निर्देशन सेवा अनिवार्यत: उपलब्ध है।
- पब्लिक स्कूलों के अलावा प्राइवेट स्कूल, नॉन ग्रेडेड स्कूल, चार्टर स्कूल, कॉम्प्रेहेन्सिव स्कूल आदि विभिन्न प्रकार के स्कूल हैं।
- व्यावसायिक शिक्षा सेकेण्डरी स्कूल का अभिन्न एवं अनिवार्य अंग हैं।
- कुछ स्कूलों में एडवान्स कोर्स भी उपलब्ध हैं जैसे- AB और IB.
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी अन्य बच्चों की तरह शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है।
- विद्यालयी शिक्षा को विशिष्ठ रूप देने में NCLB तथा IDEA जैसे नियमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. अमेरिका की विद्यालयी शिक्षा के मुख्य उदेश्य क्या हैं?
2. विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों का विस्तार से वर्णन करें।
3. विद्यालयी शिक्षा की विशिष्ठतों का वर्णन करें।

5.12 सन्दर्भ सूची (References)

1. A Nation at Risk,1983, **Report of the National Commission on Excellance in Education,** U.S. Department of Education.
2. Biswas, A and Aggarwal J.C., **Comparative Education,** New, Delhi,Arya Book Depot.
3. Education in the United States: **A Documentary History, Vol. 1 to 55,** Random House New York 1974.
4. Khan M.A.(2004), **Modern Comparative Education** Anmol Publication Pvt. Ltd., New Delhi.
5. Kaushik S.L. & Beejawat K.G. **तुलनात्मक शिक्षा**, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर,1989
6. Kandal I.L, **The New Era in Education,** Routledge and Kegan Paul, London.

7. Nicholas Hans, **Comparative Education 3rd Edition.** London. Routledge and Kegan paul
8. Richardson, C.A. **Education of Teachers in England,** France and USA, UNESCO, 1963.
9. Smith H.L., **Comparative Education,** Education Publication, Bloomington, Indian USA.
10. Sharma R.N., **Comparative Education,** Surjeet Publication, Delhi.
11. **A 2006 Ranking from THES-**QS of the World's Research Universites.
12. **United States Census (2000,2005).**
13. **Structure of US Education,** U.S. Network for Education Infopmation: U.S. Department of Education, 2005.
14. **IDEA 2004 Resources.** U.S. Department of Education. URL Accessed on Feb. 16.
15. **U.S. Census Bureau Report on Education Attainment in the United States 2003.**

इकाई-6

अमेरिका में विश्वविद्यालय शिक्षा
(University Education in America)

6.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of the Unit)

6.1 विषय प्रवेश (Introduction)

6.2 उच्च शिक्षा की विशेषताएँ (Characteristics of Higher Education)

6.3 उच्च शिक्षा (Higher Education)

6.4 उच्च शिक्षा संस्थाएँ (Institutes of Higher Education)

6.5 उच्च शिक्षा संस्थाओं के आय के स्रोत (Sources of Income for Institutes of Higher Education)

6.6 प्रशासन (Administration)

6.7 शिक्षण विधिया (Teaching Methods)

6.8 मूल्यांकन एवं परीक्षा (Evaluation and Examinations)

6.9 शोध (Research)

6.10 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग (Ranking of Universities)

6.11 शिक्षक शिक्षा (Teacher Education)

6.12 प्रौढ़ शिक्षा/वयस्क शिक्षा (Adult Education)

6.13 दूरस्थ शिक्षा (Distance Education)

6.14 नयी प्रवृतियॉ (New Trends)

6.15 सारांश (Summary)

6.16 सन्दर्भ (References)

6.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of the Unit)

1. उच्च शिक्षा की विशेषताओं से परिचित कराना।
2. उच्च शिक्षा के स्वरूप से परिचित कराना।
3. उच्च शिक्षा के विभिन्न संस्थानों की जानकारी देना।
4. उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों से परिचित कराना।
5. उच्च शिक्षा के प्रशासन, प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन से परिचित कराना।
6. उच्च शिक्षा में होने वाले व्यय से परिचित कराना।
7. उच्च शिक्षा की मूल्यांकन पद्धति से परिचित कराना।
8. उच्च शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षक शिक्षा से परिचित कराना।
9. प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों से परिचित कराना।
10. दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों से परिचित कराना।

6.1 विषय प्रवेश (Introduction)

प्रारंभ में अमेरिका में उच्च शिक्षा का स्वरूप यूरोपीय देशों जैसा था। बाद में आवश्यकताओं और अमेरिकी जीवन दर्शन में आये परिवर्तनों के अनुरूप इसमें परिवर्तन आता गया। यह अधिकाधिक विशिष्ठ एवं शोधोन्मुख होती गई। 1860 तक उच्च शिक्षा का तेजी से विकास हुआ। शिक्षा के नये-नये केन्द्र खुले और विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की मांग बढ़ी। गृह युद्ध के अन्त तक 21 प्रांतीय विश्वविद्यालय (स्टेट यूनिवर्सिटी) स्थापित हो चुकी थी जो लैंड ग्रान्ट योजना के अन्तर्गत थीं। 225 निजी विश्वविद्यालय और कॉलेज खुल चुके थे। अधिकांश कॉलेज और यूनिवर्सिटी बैचलर डिग्री तक ही सीमित थे। 1825 में हारवर्ड विश्वविद्यालय ने पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा प्रारंभ की।

1872 में उसके लिए अलग से विभाग स्थापित हुआ जो ग्रेजुएट डिपार्टमेंट कहलाया। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षण और शोध कार्य होते थे। 1983 तक यूनिवर्सिटी की संख्या 200 और कॉलेज की 1500 हो गयी थी। आज वहां 1800 संस्थाएं हैं जो हाई स्कूल के बाद शिक्षा देती हैं। 1300 यूनिवर्सिटी हैं। 1200 शिक्षक महाविद्यालय हैं। 300 अन्य तकनीकी व व्यावसायिक संस्थान हैं। 3800 से अधिक कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं।

6.2 उच्च शिक्षा की विशेषताएँ (Characteristic of Higher Education)

अमेरिकी उच्च शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि इसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं है। टी. आरसी मेक्कोनेल (T.R.C. Mc. Conell) के अनुसार अमेरिका में उच्च शिक्षा के अन्तर्गत 2 वर्षीय तकनीकी शिक्षा, 2 वर्षीय जूनियर या कम्यूनिटी कॉलेज, स्वतन्त्र लिबरल आर्ट कॉलेज, टीचर्स कॉलेज, बहुउद्देशीय स्टेट कॉलेज, विश्वविद्यालय, लैंड ग्रान्ट कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी, संगीत और आर्ट के विशिष्ट कॉलेज, थियोसाफिकल स्कूल एवं अत्यंत उच्च स्तरीय विशिष्ट एडवांस साइन्टिफिक एण्ड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आते हैं। उच्च शिक्षा की कुछ विशिष्टताएं इस प्रकार हैं:-

1. उच्च शिक्षा के लिए एक छात्र के सामने विश्वविद्यालय, कॉलेज, प्रोफेशनल स्कूल एवं जूनियर कॉलेज में चयन का अवसर रहता है।
2. छात्र पब्लिक अथवा प्राइवेट संस्था के बीच चयन कर सकता है।
3. उच्च शिक्षण संस्था किसी चर्च से संबंधित अथवा नॉन सेक्टेरियन हो सकती है।
4. छात्र अपनी बौद्धिक क्षमता एवं रूचि के अनुरूप उच्च शिक्षा संस्थान का चयन कर सकता है क्योंकि हर संस्था का स्तर अलग होता है।
5. उच्च शिक्षा संस्थाएं स्वायत्तशासी होती है। क्योंकि उनका नीति निर्धारण संस्था के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, फैकल्टी और प्रशासकों द्वारा किया जाता है। विश्वविद्यालयों में भी सामान्यत: प्रांतीय सरकार प्रशासन में दखलंदाजी नहीं करती है।

6. कॉलेज और यूनिवर्सिटी के आकार में पर्याप्त भिन्नता है। यहां छात्रों की संख्या 100 से लेकर 10000 तक हो सकती है।

7. छात्रों को प्रतिभा अथवा प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। अमेरिका के 18-21 वर्ष की आयु के लगभग एक तिहाई युवा उच्च शिक्षा में प्रवेश लेते है।

8. 1954 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद से सभी शिक्षण संस्थाओं में बिना किसी भेदभाव के सबको प्रवेश दिया जाता है।

9. **सह शिक्षा-** अधिकांश शिक्षण संस्थाओं में सह शिक्षा है पर कुछ कॉलेजों में लड़कियों अथवा सिर्फ लड़कों के लिए भी कोर्स चलाये जाते हैं। उच्च शिक्षा के सिर्फ लड़कों के लिए 216 तथा सिर्फ लड़कियों के लिए 244 संस्थान हैं।

10. **विवाहित छात्रों की संख्या-** लगभग एक चौथाई छात्र विवाहित होते हैं।

11. **पूर्णकालिक एवं अंशकालिक छात्र-** लगभग हर चार में से एक छात्र पूर्णकालिक अध्ययन करता है जबकि अन्य छात्र अंशकालिक अथवा साँयकालीन कक्षा में अध्ययन करते हैं।

12. **विश्वविद्यालय प्रशासन में पूर्व छात्रों की भूमिका-** कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संगठन संस्थान के क्रियाकलापों में निरन्तर रूचि रखते हैं एवं वित्तीय सहयोग प्रदान करते हैं। लेकिन सामान्यत: नीति निर्धारण में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। वार्षिक बैठकों, स्कॉलरशिप, प्रकाशन एवं कोष संग्रह जैसे कार्यो के माध्यम से वे सक्रियता से जुड़े रहते हैं।

13. **एक्रेडिटेशन एण्ड मिनिमम स्टेण्डर्ड-** अमेरिकी उच्च शिक्षा की एक विशेषता एक्रेडिटेशन (Accreditation) की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के कार्य की गुणवत्ता, स्तर आदि के निर्धारित मानदंड (जो किसी उच्च स्तरीय संस्था द्वारा निर्धारित किए गए हों) के आधार पर ग्रेड प्रदान किए जाते हैं। ये संस्थाएँ गैर सरकारी होती हैं लेकिन कुछ प्रांतीय संस्थाएँ भी इसमें लगी हुई हैं। यदपि इन संस्थाओं को कोई संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है लेकिन उच्च शिक्षा की गुणवत्ता निर्धारण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अमेरिका में 6 क्षेत्रीय एक्रेडिटेशन संस्थाएं हैं जो पूरे देश की उच्च शिक्षण संस्थाओं पर निगरानी रखती है।

14. **कैरियर काउन्सलर-** सामान्यत: फैकल्टी एडवाइजर की जिम्मेदारी होती है कि वे छात्रों को उनकी आजीविका की योजना बनाने के लिए परामर्श दें, लेकिन कुछ संस्थानों में विशिष्ट कैरियर काउन्सलर होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के एप्टीट्यूड टेस्ट एवं अन्य परीक्षणों के माध्यम से छात्रों को उनमें उपयुक्त व्यवसाय चयन में मदद करते हैं तथा संबंधित सूचनाएं भी उपलब्ध कराते हैं।

15. **फिजीकल फिटनेस प्रोग्राम-** प्रत्येक कॉलेज में यह अनिवार्य है कि प्रत्येक छात्र 2 वर्ष का स्वास्थ शिक्षा का पाठ्यक्रम करे। इसके लिए छात्र 2 घंटे प्रति सप्ताह के हिसाब से किसी खेल गतिविधि में भाग लेकर यह अनिवार्यता पूरी करते हैं।

16. **डिग्री के साथ रिमार्क-** सामान्यत: अमेरिका में डिग्री के साथ रिमार्क भी दिए जाते हैं जैसे with honours cum Laude (with distinction) अथवा Magna Cum Laude with great distiction).

17. **छात्र शिक्षक संबंध-** छात्र एव शिक्षक के बीच संबंध अनौपचारिक होते हैं। संबंधों की निकटता संस्था के आकार पर निर्भर करती है।

18. **पुस्तकालयों की भूमिका-** अमेरिकी कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों में अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट एवं शोध छात्रों के लिए पुस्तकालयों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यहां लगभग 2000 कॉलेज और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय है। सबसे बडा पुस्तकालय हारवर्ड विश्वविद्यालय का है।

19. **धार्मिक शिक्षा-** सामान्यत: कॉलेज और विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है लेकिन दर्शन शास्त्र के पाठ्यक्रमों में नीति एवं धर्म सम्बन्धी विषय वस्तु शामिल है। बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो सेमीनरी (seminaries) कहलाते हैं जो प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक एवं यहूदी धर्माधिकारियों एवं पादरियों को प्रशिक्षण देते हैं।

6.3 उच्च शिक्षा (Higher Education)

सामान्यत: उच्च शिक्षा संस्थाएं कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी के रूप में हैं, जिनमें चार वर्षीय पाठ्यक्रम होता है। अंडरग्रेजुएट ग्रेड्स को फ्रेशमैन, सोफोमोर जूनियर और सीनियर इयर (अथवा फर्स्ट इयर, सेकेंड इयर कहा जाता है । कॉलेज में प्रवेश का आधार प्र वेश परीक्षा, हाई स्कूल परीक्षा में प्राप्त ग्रेड, उसकी GPA, कक्षा में क्रम एवं स्टेण्डराईज्ड टेस्ट के प्राप्तांक जैसे- SAT,ACT आदि। कुछ कॉलेज छात्र की सह-शैक्षिक गतिविधियों की उपलब्धि, निबंध लेखन तथा साक्षात्कार को भी महत्व देते हैं। हर कॉलेज का अपना एक निर्धारित मानदंड होता है जिससे नीचे के छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता है। अंडरग्रेजुएट स्टडी के बाद उन्हें बैचलर डिग्री मिलती है। यह आर्ट्स, साइन्स, फाइन आर्ट, सोशल वर्क, इंजीनियरिंग, फिलोसफी, अर्किटेक्चर (5 वर्षीय पाठ्यक्रम) विधि एवं चिकित्सा की डिग्री ग्रेजुएट स्टडी के बाद दी जाती है। कुछ छात्र कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पूर्व कम्यूनिटी कॉलेज में प्रवेश लेते हैं जहां से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में एसोसियेट की डिग्री मिलती है जैसे एसोसियेट ऑफ आर्ट अथवा एसोसिएट ऑफ साइन्स। कम्यूनिटी कॉलेज के बाद छात्र चार वर्षीय कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है। जहां उन्हें बैचलर और मास्टर्स की डिग्री मिलती है।

ग्रेजुएट स्टडी के पश्चात् मास्टर्स की डिग्री मिलती है जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स (MA), मास्टर ऑफ साइन्स (MS), मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA), मास्टर ऑफ एजुकेशन (M.Ed.) तथा मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स (MFA)। इसके बाद डॉक्टर्स डिग्री होती है। जिसमें Ph.D. के अलावा डॉक्टर ऑफ आर्ट/एजुकेशन थियोलोजी, मेडिसिन/फारमेसी/फिजिकल थेरेपी अथवा ज्यूरिस्प्रूडेन्स आदि होती है। चिकित्सा विज्ञान में एप्रेन्टिशिप एवं इन्टर्नशिप जरूरी होता है। इसके बाद ही व्यक्ति पूर्ण प्रशिक्षित माना जाता है। कानून एव बिजनेस में

एप्रेन्टिसशिप नहीं है परन्तु कानून के छात्रों को प्रेक्टिस करने से पूर्व बार एक्जाम (Bar Exam) उत्तीर्ण करना होता है।

ग्रेजुएट प्रोग्राम में प्रवेश के लिए अंडर ग्रेजुएट प्राप्तांक के साथ-साथ कार्यानुभव तथा स्टेण्डराईज्ड टेस्ट (GRE, MCAT अथवा LSAT) के प्राप्तांक को आधार माना जाता है। पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में सिर्फ 8-9% छात्र ही प्रवेश लेते है अन्य छात्र बैचलर डिग्री के बाद नौकरी में चले जाते है।

6.4 उच्च शिक्षा संस्थाएँ (Institutes of Higher Education)

अमेरिका में कई तरह की संस्थाएं हैं जो उच्च शिक्षा के दायरे में आती हैं।

विश्वविद्यालय - सामान्यत: यहां दो प्रकार के विश्वविद्यालय हैं-

(1) निजी विश्वविद्यालय

(2) राज्य विश्वविद्यालय

निजी विश्वविद्यालय- ये पुराने और परम्परावादी हैं और मुख्यत: यूरोपीय परम्पराओं से प्रभावित हैं। यहां विशिष्ठीकृत एवं शोधोन्मुख शिक्षा दी जाती है। यहाँ सिर्फ प्रतिभाशाली छात्र ही प्रवेश ले सकते हैं। राज्य सहायता नहीं होने से छात्रों की फीस बहुत अधिक होती है। सैंफोर्ड, नॉर्थ वेस्टर्न, जॉनहापकिन्स कोलम्बिया, प्रिंसटन, येल और हारवर्ड इसी तरह के विश्वविद्यालय हैं।

राज्य विश्वविद्यालय- ये विश्वविद्यालय राज्य द्वारा संचालित एवं अनुदानित होते हैं। यहाँ छात्रों की संख्या बहुत अधिक होती है। फीस बहुत अधिक नहीं होती है। अन्य राज्यों से आने वाले छात्रों से अधिक फीस ली जाती है। इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा देश व छात्रों की आवश्यकतानुसार एवं व्यावहारिक और उपयोगी होती है।

विश्वविद्यालय से संबंधित संस्थान (Institute Related of University)

1. **लिबरल आर्ट कॉलेज-** ये कॉलेज ग्रेजुएट की डिग्री देते हैं। ये कॉलेज अधिकांशत: धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित होते हैं।
2. **अंडरग्रेजुएट कॉलेज-** इसके अन्तर्गत इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, होम साइंस, म्यूजिक, फिजियोलॉजी तथा फिजिकल एजुकेशन के कॉलेज आते हैं।
3. **ग्रेजुएट कॉलेज-** ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद ग्रेजुएट कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं, जैसे लॉ कौलेज मेडिकल कॉलेज, आर्ट्स एण्ड साइन्स कॉलेज आदि।

कुछ अन्य उच्च शिक्षा संस्थान (Some more Institutes of Higher Education)

चिकित्सा संस्थान- फिलोडेल्फिया अकादमी ने 1765 में चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई शुरू की थी। 1767 में किंग्स कॉलेज, न्यूयार्क और 1778 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चिकित्सा की पढ़ाई शुरू हुई तब से निरन्तर वृद्धि होती गयी है। कुछ स्वतन्त्र मेडिकल कॉलेज भी स्थापित हुए जो किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नहीं हैं। 1821 में फिलोडेल्फिया में स्कूल ऑफ फारमेसी और 1840 में स्कूल ऑफ डेंटल सर्जरी, बाल्टीमोर में खुला।

कानून - कानून की पढ़ाई की शुरूआत 1764 में कनेक्टीकट प्रांत के लेच फील्ड (Leichfield) में लॉ स्कूल की स्थापना के साथ हुई।

प्रोफेशनल स्कूल - ये कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय का एक प्रमुख हिस्सा होते हैं और व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाते हैं । यहाँ मुख्यत: दी जाने वाली डिग्री है- B.S.E. (इंजीनियरिंग), B.S.Ed. (एजुकेशन), L.L.B. (कानून), B.D. (डिवाइनिटी), M.S. (मेडिसिन), B.Arch (आर्किटेक्चर), इत्यादि । कुछ पाठ्यक्रमों में ग्रेजुएट डिग्री वालों को प्रवेश दिया जाता है जबकि कुछ के लिए किसी आर्ट्स/साइन्स कॉलेज से प्री-प्रोफेशनल पाठ्यक्रम पूरा करना जरूरी होता है।

स्वतंत्र प्रोफेशनल स्कूल - स्वतन्त्र रूप से चलाये जाने वाले ये संस्थान किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य शिक्षण संस्थान के भाग नहीं होते हैं। इनके पाठ्यक्रम पूर्णत: व्यावसायिक क्षमताओं पर आधारित होते हैं। ये पब्लिक अथवा प्राइवेट हो सकते हैं। इनमें मुख्य संस्थान हैं:-

- टीचर्स कॉलेज जो प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करते हैं।
- टेक्नोलोजिकल स्कूल जो इंजीनियरिंग अथवा भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रशिक्षण देते हैं।
- थियोलोजिक एवं धार्मिक स्कूल।
- स्कूल ऑफ आर्ट्स जो चित्रकला, शिल्प, डिजाइनिंग, संगीत, नाट्य आदि के पाठ्यक्रम चलाते हैं।
- अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम वाले संस्थान।

अर्ध व्यावसायिक स्कूल (सेमी प्रोफेशनल स्कूल)- यह दो वर्षीय पाठ्यक्रम वाले संस्थान हैं जहां एसोसिएट डिग्री दी जाती है। ये छात्रों को सीधे व्यवसाय / कार्य के लिए तैयार करते हैं। यहां मेडिकल प्रयोगशाला, तकनीकी, होटल मैनेजमेंट, कमर्शियल आर्ट, नर्सिंग, सेक्रेटरी प्रशिक्षण, बाइबिल स्टडी, अकाउटिंग जैसे पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं।

तकनीकी संस्थान- तकनीकी शिक्षा की शुरूआत 1882 में वेस्ट प्वाइंट में मिलिटरी इंस्टीट्यूशन के साथ हुई। 1824 में न्यूयार्क राज्य के सिटी ऑफ ट्रॉय में पहला सिविलियन इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नीकल एजुकेशन स्थापित हुआ जो बाद में रेसलर पोलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के नाम से जाना गया।

तकनीकी संस्थानों में इंजीनियरिंग से संबंधित पेशे / व्यावसायों के लिए 2 वर्षीय पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं जो एसोसिएट डिग्री, सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा देते हैं। यहाँ से प्राप्त क्रेडिट चार वर्षीय इंजीनियरिंग (डिग्री) पाठ्यक्रम में जोड़े जा सकते हैं। मुख्य पाठ्यक्रमों में इलेक्ट्रोनिक टेक्नोलॉजी, एयरोप्लेन इंजिन मेंटेनेंस, एयरकंडीशनिंग, हीटिंग एण्ड रेफ्रिजरेशन, टूल एण्ड डाइ डिजाइन, प्रोग्रामिंग टेक्नीक आदि शामिल हैं। कुछ संस्थानों में एक वर्षीय अथवा विशेष छोटे कोर्स भी उपलब्ध हैं।

लैंड ग्रांट कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी- सरकार के मौरिल एक्ट के अन्तर्गत प्रत्येक सीनेटर और कांग्रेस के सदस्य के लिए 30 हजार एकड भूमि अथवा उसके मूल्य की राशि उच्च शिक्षा

व्यवस्था के लिए दी जाती है। इन कॉलेजों में स्त्री शिक्षा, नीग्रो शिक्षा को अत्यधिक बल मिला। इन कॉलेजों में पुरुष छात्रों को अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। प्रत्येक ऐसे कॉलेज में रिजर्व ऑफिसर ट्रेनिंग कोर (ROTC) की यूनिट होती है जो देश के लिए योग्य सैन्य अफसर तैयार करती है।

6.5 आय के स्रोत (Source of Income)

मुख्यत: दो स्रोत से आय होती है। (1) निजी स्रोत (2) सरकारी स्रोत। आय में योगदान की दृष्टि से 21% ट्यूशन फीस, 51% सरकारी स्रोत, अनुदान 17% निजी उपहार एवं दान, धर्मार्थ दान, 4% एव अन्य 7% होता है।

दान- दान विभिन्न रूपों में हो सकता है जैसे- भूमि, भवन अथवा राशि के रूप में।

फीस- संस्थाओं की आय का काफी हिस्सा छात्रों द्वारा ली जाने वाली फीस का होता है। प्राइवेट संस्थाओं में फीस काफी अधिक होती है, निष्पत पब्लिक संस्थाओं के। प्राइवेट संस्थाएं ट्यूशन फीस के अलावा अन्य भी कई फीस वसूल करती है। यदपि फीस में पर्याप्त भिन्नता है। फिर भी यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के नेशनल सेन्टर फॉर एजुकेशन स्टेटिस्टिक्स (2007) के अनुसार 2005-06 सत्र में पब्लिक कॉलेज में वार्षिक फीस 10,454 डालर थी जबकि प्राइवेट कॉलेज में यह 26,889 डालर वार्षिक थी।

इस तरह फीस 5000 डालर से लेकर 30,000 डालर वार्षिक तक हो सकती है। लगभग 70% छात्र फीस चुकाने में असमर्थ होते हैं और इसके लिए उन्हें छात्र ऋण अथवा छात्रवृत्ति का सहारा लेना पड़ता है, जो यूनिवर्सिटी, संघ सरकार अथवा किसी निजी स्रोत से संभव हो पाता है। फीस के अतिरिक्त रहने, खाने आदि का खर्च भी 6000 से 12000 डालर वार्षिक के करीब होता है । उच्च शिक्षा दिन पर दिन महंगी होती जा रही है।

छात्रों को स्कॉलरशिप, एसिस्टेंटशिप, ट्यूशन फीस में छूट एवं विभिन्न विभिन्न प्रकार के शिक्षा ऋणों के द्वारा आर्थिक मदद मिलती है। विदेशी छात्रों को कोई आर्थिक मदद नहीं मिलती है। यूनिवर्सिटी प्रोफेसरों के पास रिसर्च ग्रांट होती है जिससे वे अपने रिसर्च स्टूडेंट की आर्थिक मदद करते हैं। इसके अलावा छात्र कैम्पस के अन्दर अथवा बाहर कार्य करके भी कुछ पैसा कमा सकते हैं। विदेशी छात्र सिर्फ कैम्पस के अन्दर ही कार्य कर सकते हैं। विदेशी छात्र जो ट्रेनिंग वीजा (12 महीने का) लेकर जाते हैं वे ग्रीष्मावकाश में पूर्णकालिक अथवा ग्रेजुएशन के बाद कार्य कर सकते हैं।

डोनेशन - निजी संस्थाओं को जनता समय-समय पर दान देती है जो विभिन्न कारणों से हो सकता है और अमेरिकी जनता इसमें बहुत रूचि लेती है। निजी संस्थाओं को सरकारी अनुदान न लेने की स्थिति में भी अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक मदद मिलती है। धमार्थ राशि अथवा दान पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। अभिभावकों को भी कुछ राशि पर टैक्स नहीं देना पड़ता है।

सरकारी विश्वविद्यालय - सरकारी कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों को नगरपालिका तथा राज्य खजाने से अनुदान मिलता है । इसके अलावा उपहारों और दान से भी आय होती है।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. अमेरिकी उच्च शिक्षा की कुछ विशेषताएँ बताइए।
2. उच्च शिक्षा के प्रमुख संस्थान कौन-कौन से हैं?
3. उच्च शिक्षा संस्थानों के आय के प्रमुख स्रोत क्या हैं?

6.6 प्रशासन (Administration)

विश्वविद्यालयों का प्रशासन मुख्य प्रशासक के हाथ में होता है जो प्रेसीडेंट कहलाता है जिसका चयन बोर्ड ऑफ ट्रस्टी द्वारा किया जाता है जिसमें राजनेता, शिक्षक और वरिष्ठ / विशिष्ठ नागरिक शामिल होते हैं। इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। प्रेसीडेंट का कार्य वित्तीय प्रबंध देखना और स्थानीय, प्रांतीय शासन, व्यवसायों, उद्योगपतियों तथा दानदाताओं से संपर्क बनाये रखना है।

प्रशासकीय विभाग - प्रत्येक फैकल्टी का एक डीन होता है वह संबंधित कॉलेज के विभागों का भी प्रमुख होता है। कुछ कॉलेज में अलग-अलग विभागाध्यक्ष होते हैं। विभिन्न विभाग छात्रों की भर्ती, परीक्षा, शिक्षा नीति, व्यावसायिक निर्देशन आदि की व्यवस्था करते हैं। प्रशासन की सुविधा के लिए अन्य विभाग भी बना लिए जाते हैं।

प्रशासनिक नियंत्रण - नियंत्रण की दृष्टि से तीन तरह की संस्थाएं हैं - (1) केन्द्र द्वारा नियंत्रित (2) प्रांतीय एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा नियंत्रित (3) धार्मिक एवं निजी संस्थाओं द्वारा नियन्त्रित। लगभग 1/3 संस्थाएँ संघ, प्रांत अथवा सार्वजनिक प्रशासन द्वारा नियंत्रित है। निजी एवं धार्मिक संस्थानों पर भी प्रांतीय सरकार का कुछ नियंत्रण होता है पर बावजूद इसके उन्हें पर्याप्त स्वतन्त्रता होती है।

समय सारिणी- सामान्यत: अगस्त / सितम्बर से मई / जून तक शिक्षण सत्र होता है। विश्वविद्यालयों में सितम्बर के अन्तिम सप्ताह से जून मध्य तक अकादमिक सत्र होता है। ग्रीष्मावकाश में विश्वविद्यालय द्वारा प्रौढ़ शिक्षा, दैनिक कक्षा, रात्रि कक्षाएं, काउन्सलिंग सेन्टर, हेल्थ सेन्टर, व्यावसायिक निर्देशन तथा विदेशियों के लिए अंग्रेजी की कक्षाएं चलायी जाती हैं।

6.7 शिक्षण विधियाँ (Teaching Methods)

अधिकांश कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों में व्याख्यान विधि काम में ली जाती है। व्याख्यान में छात्रों की संख्या 50 से 1000 तक हो सकती है। छात्रों की प्रगति की जाँच के लिए छात्रों को 10-25 के चर्चा समूहों (डिसकशन ग्रुप) में बाँट दिया जाता है जिसकी सप्ताह में एक या दो बार मीटिंग होती है।

6.8 मूल्यांकन एवं परीक्षा (Evaluation and Examination)

एक छात्र की उपलब्धि की गुणवत्ता का मापन इस आधार पर किया जाता है कि वह छात्र कक्षा में कितना समय बिताता है। 50 मिनट के एक कालांश के लिए 1 क्रेडिट दिया जाता है। एक कोर्स सामान्यत: 3-5 क्रेडिट का होता है जबकि पूरा प्रोग्राम 12-15 क्रेडिट का होता है। एक टर्म में 4-5 कोर्स होते हैं। प्रयोगशाला कार्यो के लिए 2-3 घंटे के कार्य पर 1

क्रेडिट दिया जाता है। पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों में छात्र 15-16 घंटे के व्याख्यान प्रति सप्ताह अटेण्ड करते हैं। पाठ्यक्रम की अवधि पर भी क्रेडिट की संख्या निर्भर करती है।

सेमेस्टर प्रणाली में सत्र में $4\frac{1}{2}$ महीने के दो सेमेस्टर होते हैं। इस अवधि को सेमेस्टर क्रेडिट अवर कहा जाता है ।

ट्राइसेमेस्टर में सत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। वहां इसे ट्राइसेमेस्टर क्रेडिट कहते हैं।

क्वार्टर पद्यति में सत्र को चार भागों में बांटा जाता है। वहां क्वार्टर क्रेडिट कहा जाता है।

मूल्यांकन में भी भिन्नता है । कुछ कॉलेज में मूल्यांकन के लिए छात्रों का क्यूमूलेटिव रिकॉर्ड, जिसमें उसके व्यक्तित्व, चरित्र, स्वास्थ्य, शारीरिक क्षमता, पाठ्येत्तर गतिविधियों एवं शैक्षिक उपलब्धि संबंधी सूचनाएं रहती हैं को आधार बनाया जाता है। अत्यधिक प्रचलित मूल्यांकन विधि पाँच बिन्दु मापनी है जिसे ग्रेड के माध्यम से व्यक्त किया जाता है।

ग्रेड	स्तर
A	सर्वोत्तम
B	औसत से ऊपर
C	औसत
D	औसत से नीचे
F	अनुत्तीर्ण

परीक्षा- अधिकांशत: बाह्य परीक्षा की व्यवस्था नहीं है। जो प्रोफेसर छात्र को कोर्स देता है, वही उसकी परीक्षा लेता है और ग्रेड देता है। अन्तिम परीक्षा कोर्स की समाप्ति पर, सेमेस्टर / क्वार्टर की समाप्ति पर होती है। यह 2-3 घंटे की लिखित परीक्षा होती है। इसके अतिरिक्त एक मध्य सत्र (मिड टर्म) परीक्षा होती है एक घंटे की। प्रोफेसर साप्ताहिक प्रश्नावली भी देते हैं। अंतिम ग्रेड इंस्ट्रक्टर के निर्णय पर आधारित होता है जिसमें छात्र परीक्षाओं के परिणाम, समूह चर्चा में प्रतिभागिता, प्रायोगिक एवं फील्ड वर्क का मूल्यांकन शामिल होता है। बैचलर की डिग्री अंडर ग्रेजुएट कोर्स की समाप्ति पर दी जाती है। बी.एस. विथ ऑनर्स, मास्टर्स और पीएच.डी. के लिए अतिरिक्त परीक्षा ली जाती है। छात्रों की मदद के लिए एक एकेडमिक एडवाइजर (फैकल्टी) होता है।

6.9 शोध (Research)

यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज में शोध एक मुख्य कार्य होता है। कुछ प्रसिद्ध एवं बड़ी यूनिवर्सिटी को उनके उच्च स्तरीय शोध की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। रिसर्च को विभिन्न संस्थाएं स्पान्सर करती हैं। वहां कई ऐसी संस्थाएं है। इसके अलावा कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी के भी रिसर्च फंडिंग प्रोग्राम होते हैं जिससे शोध को मदद और प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे कुछ प्रोग्राम इस प्रकार हैं:-

— लिमिटेड सब मिशन प्रोग्राम

— फैकल्टी प्राइज / एवार्ड

— इक्विपमेंट ग्रांट (उपकरण अनुदान)
— न्यू एंड यंग फैकल्टी ग्रांट
— ट्रेवेल ग्रांट
— वीमेन एण्ड माइनॉरिटी ग्रांट
— पोस्ट डॉक्टरेट फंडिंग इन बायोसाइन्स / ह्यूमैनिटीज / सोशल साइन्सेज
— ग्रेजुएट रिसर्च फेलोशिप
— अंडरग्रेजुएट रिसर्च फैलोशिप

इसके अलावा भी बहुत्सी संस्थाएँ एवं एजेन्सीज हैं जो शोध के लिए आर्थिक मदद देती है।

6.10 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग (Ranking of Universities)

कई संस्थाओं एवं प्रकाशन समूहों द्वारा विश्व की यूनिवर्सिटीज को उनकी प्रसिद्ध, पहचान, प्रवेश, परिणाम, शोध एवं फैकल्टी के आधार पर रैंकिंग किया जाता है। अमेरिका की 55 यूनिवर्सिटी विश्व की सर्वोत्तम 200 यूनिवर्सिटीज में आती है (THESQS World University Ranking) देश में भी यूनिवर्सिटीज कॉलेज एवं उच्च संस्थाओं को समय-समय पर रैंकिंग (Top tier एवं Middle tier) की जाती है। इससे उनमें आगे बढ़ने की होड़ रहती है।

अमेरिका में हर प्रांत में स्टेट यूनिवर्सिटी है। न्यूयार्क और कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है। किसी-किसी प्रांत में दो स्टेट यूनिवर्सिटी भी है जैसे कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया।

इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए कुछ अन्य संस्थाएं भी हैं। जैसे मिलिट्री एकेडेमी, नेवल एकेडेमी और एयर ऐकेडेमी जो अत्यंत सम्मानित संस्थाएं हैं। कुछ समर स्कूल्स भी उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम चलाते हैं।

ऑन लाइन यूनिवर्सिटीज - सूचना एवं शिक्षा प्रौद्योगिकी के बढ़ते स्वरूप ने अब उच्च शिक्षा को ऑन लाइन उपलब्ध करा दिया है। अमेरिका में अनेक संस्थाएं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑन लाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराती हैं जो गुणवत्ता की दृष्टि से अत्यंत उच्च स्तरीय होते हैं और विभिन्न विषयों में बैचलर, मास्टर्स और डॉक्टरेट की डिग्री देती हैं। वर्तमान समय में युवा-पीढ़ी में इसका चलन बढ़ता जा रहा है साथ ही प्रौढ़ों में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ी है। कैपेला यूनिवर्सिटी ऐसी ही एक ऑन लाइन यूनिवर्सिटी है। इसके अतिरिक्त और भी कई संस्थाएं हैं।

6.11 शिक्षक शिक्षा (Teacher Education)

अमेरिका में टीचर एजुकेशन अथवा एजुकेशन ऑफ टीचर्स शब्द का इस्तेमाल शिक्षक प्रशिक्षण के लिए होता है और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को कॉलेज ऑफ एजुकेशन, टीचर्स कॉलेज, स्कूल ऑफ एजुकेशन तथा विश्वविद्यालयों में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कहा जाता है।

6.11.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)

पहला शिक्षक शिक्षा संस्थान 1839 में मैसाचुसेट्स प्रांत में स्थापित हुआ। यहाँ प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए 2 वर्षीय पाठ्यक्रम चलता था जिसमें उन लोगों को भी प्रवेश दे दिया जाता था जिन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पूरी न की हो। 1860 से नार्मल स्कूल शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य कर रहे थे। 1879 में मिशीगन विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरूआत हुई। 1887 में न्यूयार्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय ने शिक्षक प्रशिक्षण के साथ-साथ स्कूल मैनेजर का प्रशिक्षण भी शुरू किया।

19वीं शताब्दी के अन्त में पेस्टॉलोजी एवं हरबर्ट के विचारों से शिक्षा में परिवर्तन आने शुरू हुए। 20वीं शताब्दी में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। शिक्षक शिक्षा को एक तकनीकी स्वरूप प्राप्त हुआ। शिक्षा को एक पाठ्य विषय के रूप में मान्यता मिली और नार्मल स्कूल के पाठ्यक्रम में शिक्षक शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाया गया। 1952 तक 452 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हो चुके थे इनमें से 315 प्रांतीय सरकार तथा अन्य स्थानीय प्रशासन एवं अन्य अभिकरणों द्वारा संचालित थे। 661 और भी संस्थाएं थी जो शिक्षकों को प्रशिक्षित करती थी। कुल मिलाकर 1093 संस्थाएं थी। अमेरिका में शिक्षक प्रशिक्षण को अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण की तरह महत्व दिया जाता है।

6.11.2 प्रवेश (Admissions)

प्रशिक्षण में प्रवेश के समय शैक्षिक उपलब्धि के साथ-साथ पिछले संस्थान के प्रिंसीपल की राय, चारित्रिक रिकार्ड, पाठ्य सहगामी गतिविधियों के रिकॉर्ड्स, व्यक्तिगत साक्षात्कार, शारीरिक क्षमता आदि को भी ध्यान में रखा जाता है।

6.11.3 शिक्षक शिक्षा संस्थान (Institutes of Teacher Education)

अमेरिका में मुख्यत: चार प्रकार के शिक्षक शिक्षा संस्थान हैं-

(i) नार्मल स्कूल- उन्नीसवीं शताब्दी तक नार्मल स्कूल से शिक्षा प्राप्त व्यक्ति शिक्षक बनता था। भावी शिक्षकों के लिए कोई विशेष पाठ्यक्रम नहीं था। बाद में क्रमश: एक और 2 वर्ष के पाठ्यक्रम शुरू किए गए। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षो में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रचलित था जिसमें एक वर्ष सामान्य शिक्षा और एक वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण शामिल था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षो में इस व्यवस्था को समाप्त करके इन नार्मल स्कूल्स को शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज में परिवर्तित कर दिया गया। शिक्षक शिक्षा के विकास में इन नार्मल स्कूल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

(ii) एजुकेशन डिपार्टमेंट- ग्रेजुएशन के बाद शिक्षा को एक विषय के रूप में अनेक विश्वविद्यालयों में (डिपार्टमेंट) तथा लिबरल आर्ट्स कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। 1873 में आयोवा विश्वविद्यालय से इसकी शुरुआत हुई जिसे बाद में मिशीगन

एवं अन्य विश्वविद्यालयों में भी अपनाया गया। इनमें शिक्षा विषय, शिक्षण विधियों पर शोध भी किए जाते हैं। साथ ही शिक्षक शिक्षा के शिक्षक एवं प्रशासकों के लिए एडवांस कोर्स भी उपलब्ध हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण भी यहाँ शामिल है।

(iii) स्कूल ऑफ एजुकेशन - इन्हें कॉलेज ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। ये किसी विश्वविद्यालय अथवा उच्च स्तरीय शिक्षा केन्द्रो से संबंधित होते हैं। 1882 में मिशीगन विश्वविद्यालय ने इसकी शुरूआत की और आर्ट ऑफ टीचिंग में पूर्णकालिक शिक्षा की व्यवस्था की। न्यूयार्क विश्वविद्यालय ने 1888 में ग्रेजुएट स्कूल ऑफ पेडागॉजी स्थापित किया। ये स्कूल विश्वविद्यालय के पूर्ण विकसित विभागों की तरह अपनी व्यवस्था एवं नियंत्रण के माध्यम से कार्य करते हैं। इनके पाठ्यक्रम टीचर्स कॉलेज जैसे ही होते हैं। इनमें प्रशिक्षण के पश्चात् बी.ए., एम.ए, पीएच.डी. एवं डी.एड की डिग्री दी जाती है।

(iv) टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज - पहला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज 1657 में इलिनॉय में खुला था। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को उच्च स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना था। ये स्टेट कॉलेज था। 1920 से 1950 के बीच शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में नये विचारों का उद्भव हुआ। शिक्षक शिक्षा के अन्तर्गत सामान्य शिक्षा, शिक्षण की व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षण अभ्यास तथा शिक्षण के किसी एक क्षेत्र में विशिष्टता (स्पेशलाइजेशन) शामिल हैं। यहाँ शिक्षकों को प्राथमिक एवं माध्यमिक दोनों ही स्तरों के लिए तैयार किया जाता है। यह पाँच वर्षीय पाठ्यक्रम होता है जिसके बाद बैचलर, मास्टर अथवा डाक्टरेट डिग्री दी जाती है। ये ट्रेनिंग कार्यक्रम कॉलेज सरकार द्वारा चलाये जाते हैं।

6.11.4 पाठ्यक्रम (Curriculum)

सभी शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में पाठ्यक्रम के मुख्य दो भाग होते हैं-

(i) सामान्य शिक्षा

(ii) शिक्षण विधियों में प्रशिक्षण - लगभग 40 प्रांतों में 4 वर्षीय और अन्य में 5 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं। कुछ प्रांतों में चारों वर्षों में सामान्य शिक्षा का पाठ्यक्रम चलता है जबकि शिक्षण विधियों में व्यावसायिक प्रशिक्षण 2 भागों में विभाजित किया गया है। कुछ विषयों में प्रथम 2 वर्षों में और कुछ विषयों में अन्तिम 2 वर्षों में प्रशिक्षण दिया जाता है। कुछ संस्थानों में 2 वर्ष सामान्य शिक्षा, 2 वर्ष व्यावसायिक शिक्षा और 1 वर्ष शिक्षण विधियों का अभ्यास प्रशिक्षण दिया जाता है।

सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम - भाषा (राष्ट्रभाषा एवं एक विदेशी भाषा) साहित्य, गणित, अर्थशास्त्र, संगीत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम में आते हैं।

व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम - इसके अन्तर्गत स्वास्थ्य शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा, बाल मनोविज्ञान, अन्तर्राष्ट्रीय समझ की शिक्षा, संस्कृति शिक्षा आदि तथा शिक्षण विधियाँ भी शामिल होते हैं।

पाठ्य सहगामी क्रियाएँ - विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है ताकि शिक्षक इनका आयोजन स्कूल में कर सके।

6.11.5 शिक्षक बनने के लिए आवश्यक योग्यताएँ (Essential Qualifications for Becoming Teacher)

शिक्षक के लिए टीचिंग लाइसेंस होना जरूरी होता है जो प्रांत द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद स्टेट बोर्ड अथवा स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वारा दिए जाते हैं।

तीन प्रांतों में माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के लिए मास्टर्स डिग्री अथवा इसके समकक्ष 5 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। यह प्रांतों में बैचलर डिग्री अथवा 4 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण जरूरी है। एक प्रांत में 2 वर्षीय कॉलेज शिक्षा जरूरी है।

प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के लिए 38 प्रांतों में 2 वर्षीय कॉलेज शिक्षा अथवा नार्मल स्कूल में 2 वर्ष का प्रशिक्षण आवश्यक हैं जबकि अन्य प्रांतों में बैचलर डिग्री अथवा चार वर्षीय व्यावसायिक प्रशिक्षण आवश्यक माना गया है।

विशिष्ठ शिक्षा- विशिष्ठ शिक्षा के लिए विशिष्ठ शिक्षकों की मांग को देखते हुए नर्सरी एवं किंडरगार्टन स्कूल के लिए डिप्लोमा इन नर्सरी एजुकेशन अथवा डिप्लोमा इन किंडरगार्टन एजुकेशन होना जरूरी है। इसी तरह विशिष्ठ बालकों की शिक्षा के लिए स्पेशल एजुकेशन का प्रशिक्षण जरूरी होता है।

6.11.6 शिक्षकों की स्थिति (Status of Teachers)

अमेरिका में शिक्षकों, प्रिंसीपल एवं सुपरिटेंडेंट को एक से तीन वर्ष के करार पर रखा जाता है।

- अन्य विकसित देशों की तुलना में अमेरिका में शिक्षकों का वेतन कम है।
- शिक्षकों की एक बड़ी संख्या गर्मी की छुट्टियों में अन्य कार्य करती है।
- नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन (NEA) अमेरिका में शिक्षकों का सबसे बड़ा व्यावसायिक संगठन है जिसके एक मिलियन से भी ज्यादा सदस्य है। यह संगठन देश में शिक्षकों के हित के लिए और देश में शिक्षा की बेहतरी के लिए कार्य करता है। इससे जुड़े 63 क्षेत्रीय और प्रांतीय शिक्षा संगठन एवं 9 हजार स्थानीय समूह व्यावसायिक अभिवृत्ति के विकास और शिक्षा में सुधार तथा शिक्षकों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं।

6.11.7 सेवारत शिक्षक शिक्षा (Inservice Teacher Education)

विभिन्न कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी के द्वारा ग्रीष्मावकाश में सैकड़ों समर स्कूल चलाये जाते हैं जो सेवारत शिक्षकों को अंशकालिक आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं उन शिक्षकों को जिन्होंने शिक्षक बनने से पहले एक या दो वर्ष की कॉलेज शिक्षा प्राप्त की है।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. उच्च शिक्षा के प्रशासन का क्या स्वरूप है? चर्चा करें।
2. उच्च शिक्षा में मूल्यांकन एवं परीक्षा की क्या व्यवस्था है? उल्लेख कीजिए।

3.	अमेरिका में शिक्षक शिक्षा की क्या स्थिति है? विस्तार से वर्णन करें।

6.11.8 शिक्षक शिक्षा में आ रहे बदलाव (New Trends in Teacher Education)

- शिक्षक शिक्षा को एक सतत् प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है।
- शिक्षक के लिए विषय में निपुणता के साथ-साथ बच्चों के बारे में जानना विशेषकर उनकी सीखने की प्रक्रिया को समझने पर जोर दिया जा रहा है ।
- शिक्षकों को तैयार करने में विभिन्न विश्वविद्यालयों, शिक्षा विभागों और कॉलेजों के बीच सहयोग में वृद्धि हो रही है।
- शिक्षक शिक्षा और शिक्षण व्यावसाय की प्रगति के लिए शिक्षण संस्थाओं व्यावसायिक संगठनों द्वारा एक्रेडिटेशन को एक आवश्यक शर्त के रूप में स्वीकारा जा रहा है।
- सरकारी इकाइयों एवं व्यावसायिक संगठनों के बीच साझेदारी को सुदृढ़ किया जा रहा है। शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने में एजुकेशनल टेक्नोलोजी का महत्व समझकर उसका उपयोग बढ़ता जा रहा है।
- शिक्षक शिक्षा में नये एवं प्रभावी तरीके अपनाये जा रहे हैं।
- सांस्कृतिक तौर पर वंचित बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक तैयार करने पर संघ सरकार विशेष जोर दे रही है।
- विकलांग बच्चों के लिए शिक्षक तैयार करने के लिए संघ सरकार अनुदान दे रही है।
- शिक्षक शिक्षा में सुधार के लिए बहुत से प्रोग्राम बनाये गये हैं।

6.12 प्रौढ़ शिक्षा / वयस्क शिक्षा (Adult Education)

अमेरिका में एडल्ट एजुकेशन बहुत ही व्यापक एवं मान्य शिक्षा व्यवस्था है। इसे प्रोत्साहित करने के लिए संघ एवं प्रांतीय सरकारें भी अनुदान देती हैं।

6.12.1 उद्देश्य (Objectives)

1. आजीवन शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना।
2. लोगों को उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का ज्ञान कराकर परिवार का उपयोगी सदस्य बनाना।
3. एक प्रजातांत्रिक नागरिक के गुण विकसित करना।
4. लोगों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता पैदा करना।
5. विभिन्न संस्कृति के लोगों को साथ लाकर नागरिकता एवं सामाजिक जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण विकसित करना।
6. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं से परिचित कराना।
7. व्यावसायिक दक्षता के विकास के अवसर उपलब्ध कराना।
8. प्राथमिक विषयों जैसे भाषा (अंग्रेजी), गणित, भूगोल आदि एवं फाइन आर्ट, संगीत, चित्र कला, हस्तशिल्प आदि की शिक्षा देना।
9. विकलांग लोगों को आजीविका कमाने हेतु शिक्षा एवं प्रशिक्षण देना।

6.12.2 वयस्क शिक्षा संगठन (Organisation of Adult Education)

अमेरिका में वयस्क शिक्षा दो प्रकार की है-

(i) औपचारिक (फॉरमल)

(ii) अनौपचारिक (इनफॉर्मल)

6.12.3 औपचारिक प्रौढ़ / वयस्क शिक्षा (Formal Education/Adult Education)

इसके लिए निम्न संस्थाएं हैं-

1. **स्कूल फॉर एडल्ट्स -** इन स्कूलों में प्रौढ़ों के लिए नियमित पाठ्यक्रम है। प्रवेश के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। इनका प्रबंधन विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षाविदों के हाथ में रहता है।
2. **एडल्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स -** इनमें प्रौढ़ों की रूचि के विषयों पर व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। बोस्टन का लोवेल संस्थान इस तरह का सबसे पुराना एवं सम्मानित संस्थान है जो 1839 में स्थापित किया गया था।
3. **सामाजिक शोध के नये स्कूल -** उनके द्वारा उच्च शिक्षा के प्रगतिशील सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मुख्य विषयों में राजनीति, इतिहास, समाज मनोविज्ञान, श्रमिक व्यवहार, मानसिक स्वास्थ्य एवं अपराध विज्ञान होते हैं। शिक्षण विधियों में व्याख्यान,चर्चा एव पत्राचार शामिल है।

अनौपचारिक प्रौढ़/वयस्क शिक्षा - बहुत-सी संस्थाएँ और संगठन हैं जिनमें प्रौढ़ शिक्षा का कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है जैसे लाइसियम (Lyceums), संग्रहालय, वाचनालय, नाट्य क्लब, रेडियो, टी.वी., फिल्म एवं प्रेस।

6.12.4 प्रौढ शिक्षा अभिकरण (Agencies of Adult Education)

1. **विश्वविद्यालय -** प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में इनका बहुत बड़ा हिस्सा होता है।
2. **पत्राचार विद्यालय -** लगभग 700 पत्राचार स्कूल हैं जो आवश्यकतानुसार डाक द्वारा कोचिंग उपलब्ध कराते हैं। ये सभी निजी संस्थाएँ हैं।
3. **रात्रि विद्यालय -** ये विद्यालय सामान्य, व्यावसायिक, वाणिज्यिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं घरेलू सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं।
4. **जूनियर कॉलेज -** रात्रि कक्षाओं के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा उपलब्ध कराते हैं।
5. **श्रमिक संघ / संगठन -** बड़े औद्योगिक शहरों में श्रमिकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था इनके द्वारा की जाती है।
6. **कम्यूनिटी एडल्ट एजुकेशन काउन्सिल -** स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न बहुद्देशीय एवं कॉम्प्रिहेन्सिव कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे-

   (a) कार्यकर्ता शिक्षा

   (b) सिविल सुरक्षा शिक्षा

   (c) व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा

(d) रोजगार में दक्षता बढ़ाने हेतु शिक्षा

(e) परिवार के उपयोगी सदस्य बनने हेतु शिक्षा

(f) सामाजिक एवं तकनीकी परिवर्तन की शिक्षा

(g) प्रांतीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं की शिक्षा

(h) मनोरंजनात्मक गतिविधियों के माध्यम से सृजनात्मक कार्य की शिक्षा

(i) विकलांग लोगों की शिक्षा

6.12.5 कामगारों की शिक्षा (Education for Workers)

उन लोगों के लिए जिनका खुद का व्यवसाय नहीं है, ऐसे कामगारों की कार्यदक्षता बढ़ाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम चलाये जाते हैं। ये कार्यक्रम ट्रेड यूनियन,प्रांतीय सरकार, श्रमिक शिक्षा केन्द्र, अमेरिकी श्रम संगठन तथा कामगार स्कूलों द्वारा चलाये जाते हैं।

6.12.6 युवा शिक्षा (Youth Education)

इसके अन्तर्गत उन युवक-युवतियों को शिक्षा दी जाती है जिन्होंने स्कूल-कॉलेज छोड़ दिया है पर किसी व्यवसाय में नहीं है। उन्हें शिक्षा, संरक्षण एवं व्यवसाय की आवश्यकता होती है। कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं इनकी मदद करती हैं।

6.12.7 वित्तीय प्रबंध (Financial Management)

प्रौढ़ शिक्षा का वित्तीय प्रबंधन विभिन्न स्रोतों से होता है जैसे- संघ सरकार, प्रांतीय सरकार, धार्मिक संस्थाएं, वाणिज्यिक कम्पनियां, सार्वजनिक पुस्तकालय, विश्वविद्यालय एवं निजी संस्थाएं आदि।

19वीं शताब्दी में अनेक ऐसी संस्थाएं थी जो प्रौढ़ शिक्षा का कार्य करती थी जैसे- अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइन्स, कूमर यूनियन, रेडक्रॉस, पब्लिक लाइब्रेरी, वीमेन्स क्लब, पेरेन्ट्स-टीचर्स एसोसियेशन। 1831 में मैसाचुसेट्स प्रांत में लाइसियम पद्धति शुरू हुई जिसके द्वारा व्याख्यान, चर्चा आदि के कार्यक्रम होते थे। गृह युद्ध के बाद स्कूल और कॉलेज में ये कार्यक्रम होने लगे। 1926 में अमेरिकन एडल्ट एजुकेशन एसोसियेशन की स्थापना हुई। वर्तमान में कारनेगी कॉरपोरेशन केलोग फाउण्डेशन, फोर्ड फाउण्डेशन आदि कई संस्थाएं इसके लिए आर्थिक सहायता देती है। रेडिया एवं टी.वी. के द्वारा भी इस तरह के कार्यक्रम चलाये जाते हैं।

6.13 दूरस्थ शिक्षा (Distance Education)

अमेरिका में माध्यमिक, कॉलेज एवं विश्वविद्यालयी शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा की भूमिका अत्यंत सीमित है। आकार, शैक्षिक प्रक्रिया एवं प्रशासन की दृष्टि से इनमें पर्याप्त विविधता पायी जाती है।

संघ सरकार विशेषकर सैन्य सेवाएं दूरस्थ शिक्षा का सर्वाधिक उपयोग करती है। सैनिक छात्र सैन्य सेवा पाठ्यक्रम लेते हैं। घर पर पढने वाले (होम स्टडी) 75% छात्र व्यवसाय

संबंधित पाठ्यक्रम लेते हैं, जबकि अन्य छात्र अकादमिक, सांस्कृतिक अथवा हॉबी पाठ्यक्रम लेते हैं। दो प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की दूरस्थ शिक्षा संस्थाएं हैं-

1. नेशनल होम स्टडी काउन्सिल (NHSC), वाशिंगटन।
2. नैशनल यूनिवर्सिटी कन्टीन्यूइंग एजुकेशन एसोसिएशन (NCCEA), वाशिंगटन

इनके अतिरिक्त विभिन्न कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों में वैकल्पिक शैक्षिक प्रावधानों का नेटवर्क है जो यूनिवर्सिटी विदाउट वॉल्स (UWW) के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरूआत 1967-69 में समर कोर्स में भाग लेने वाले 100 प्रोफेसरों के प्रस्ताव से हुई थी। इसका निर्माण यूनियन फॉर एक्सपेरिमेंटिंग कॉलेजेस एण्ड यूनिवर्सिटीज द्वारा किया गया है। इसको संघ सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड वेल्फेयर के द्वारा वित्तीय अनुदान दिया जाता है। फोर्ड फाउंडेशन भी इसे आर्थिक मदद देता है।

UWW कक्षा के बाहर अध्ययन के असीमित अवसर उपलब्ध कराता है। प्रत्येक छात्र अपने लिए फैकल्टी एडवाइजर के निर्देशन एवं मदद से एक कार्य योजना तैयार करता है। इसके लिए न किसी विशेष डिग्री की आवश्यकता है न कोई निर्धारित समयावधि है। छात्र अपने उद्देश्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार से कार्य / अनुभव प्राप्त करते हैं जैसे- नियमित पाठ्यक्रम कार्य, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, फील्ड अनुभव, स्वतन्त्र अध्ययन, व्यक्तिगत एवं समूह प्रोजेक्ट, भ्रमण, प्रोग्राम मेटेरियल, कैसेट एवं अन्य तकनीकी सामग्री। इसमें 16 वर्ष से 70 वर्ष तक की आयु के लोग पढ़ सकते हैं।

6.14 नयी प्रवृत्तियाँ (New Trends)

अमेरिकी शिक्षा में नये-नये प्रयोग होते रहते हैं। शिक्षा का संख्यात्मक और गुणात्मक विकास जारी है। कुछ प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं जैसे-

- पत्राचार पाठ्यक्रम बढ़ रहे हैं।
- लिबरल शिक्षा पर जोर बढ़ रहा है।
- धार्मिक शिक्षा को पुन: महत्व दिया जा रहा है।
- अनेक शिक्षण संस्थाओं के अपने रेडियो स्टेशन और टी.वी. चैनल है।
- ऑन लाइन शिक्षा का प्रसार बढ़ रहा है।
- कोर्स क्रेडिट और परीक्षाओं को भी समाप्त करने पर विचार चल रहा है।
- अर्ली एडमिशन के द्वारा मेधावी छात्रों को कम समय में स्कूली शिक्षा में प्रवेश दिया जाता है।
- नये विषय जैसे कोर्टशिप, सेक्स एजुकेशन, कम्यूनिकेशन, म्यूजिक थेरेपी, हिब्रू, रूसी,उर्दू,हिन्दी भाषाओं की शिक्षा की तरफ रूझान बढ़ा है।
- कुछ नयी डिग्री भी शुरू हुई हैं जैसे बैचलर ऑफ साइन्स इन एडिटिंग एंड पब्लिशिंग,डाक्टर ऑफ सोशल वर्क, मास्टर इन पब्लिक सर्विस आदि।
- एक्सचेंज प्रोग्राम के अन्तर्गत दूसरे देशों के शिक्षक एवं छात्रों के आदान-प्रदान के कार्यक्रम बढ़ रहे हैं।

6.15 सारांश (Summary)

- यूरोपीय शैली के अनुरूप विकसित हुई उच्च शिक्षा व्यवस्था में अमेरिकी जीवन दर्शन में आये परिवर्तन ने एक विशिष्ट रूप ले लिया है।
- आज अमेरिका में 3800 से अधिक कॉलेज एवं यूनिवर्सिटीज हैं और वहां के उच्च स्तरीय, गुणवत्ता युक्त शिक्षा संस्थान पूरी दुनिया से विद्यार्थियों के लिए आकर्षण का केन्द्र हैं।
- अमेरिकी उच्च शिक्षा की विविधता, अत्यधिक चयन की सुविधा एवं लचीलापन उसे एक विशिष्ठ स्वरूप प्रदान करती है।
- पब्लिक, प्राइवेट एवं चर्च द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की संस्थाएँ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं।
- पाठ्यक्रमों की दृष्टि से उच्च शिक्षा में असंख्य विकल्प उपलब्ध हैं।
- उच्च शिक्षा महंगी है पर छात्रों को विभिन्न प्रकार की आर्थिक मदद की योजनाएँ उपलब्ध हैं।
- मूल्यांकन में क्रेडिट प्वाइंट आधारित ग्रेड प्रणाली है। क्रेडिट स्थानांतरित किए जा सकते हैं।
- प्रशासन की दृष्टि से भी उच्च शिक्षा संस्थानों में विविधता है।
- सेमेस्टर, ट्राइसेमेस्टर तथा क्वार्टर प्रणाली प्रचलित है।
- मूल्यांकन में विषय ज्ञान के अलावा अन्य कई आधारों को ध्यान में रखा जाता है।
- शोध के क्षेत्र में उच्च स्तर एवं गुणवत्ता प्रशंसनीय है। विश्वविद्यालयों में शोध के लिए उच्च स्तरीय सुविधायें एवं आर्थिक अनुदान उपलब्ध हैं। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो शोध को स्पॉन्सर करती हैं।
- अमेरिका की 50 यूनिवर्सिटी विश्व की उच्चतम 200 यूनिवर्सिटी में स्थान रखती हैं।
- शिक्षक शिक्षा, वयस्क शिक्षा, सतत् अथवा दूरस्थ शिक्षा भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ठता बनाए हुए हैं।
- शिक्षा में हो रहे नित नये प्रयोगों से शिक्षा में संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों तरह से प्रगति हो रही है। संघ सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय प्रशासन सभी इसके लिए प्रयत्नशील हैं।
- ऑन लाइन स्टडी का प्रचलन बढ रहा है और कई यूनिवर्सिटी एवं संस्थाएं ऑन लाइन अध्ययन कराती एवं डिग्री देती हैं। जिनकी गुणवत्ता किसी भी तरह से कम नहीं है।
- तकनीकी का बढ़ता उपयोग उच्च शिक्षा को पूरे विश्व में अनुकरणीय बना रहा है।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. शिक्षक शिक्षा में आ रहे बदलावों की चर्चा कीजिए।
2. अमेरिका में वयस्क शिक्षा के क्या प्रयास हो रहे हैं?
3. दूरस्थ शिक्षा की स्थिति पर प्रकाश डालें।
4. अमेरिका की उच्च शिक्षा की विशेषताओं की चर्चा कीजिए।

5. उच्च शिक्षा के विभिन्न संस्थानों का परिचय दीजिए।
6. उच्च शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों का वर्णन कीजिए।

6.16 सन्दर्भ सूची (References)

1. A Nation at Risk,1983, **Report of the National Commission on Excellance in Education,** U.S. Department of Education.
2. Biswas, A and Aggarwal J.C., **Comparative Education,** New, Delhi,Arya Book Depot.
3. Education in the United States: **A Documentary History, Vol. 1 to 55,** Random House New York 1974.
4. Khan M.A.(2004), **Modern Comparative Education** Anmol Publication Pvt. Ltd., New Delhi.
5. Kaushik S.L. & Beejawat K.G. **तुलनात्मक शिक्षा,** राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर,1989
6. Kandal I.L, **The New Era in Education,** Routledge and Kegan Paul, London.
7. Nicholas Hans, **Comparative Education 3rd Edition.** London. Routledge and Kegan paul
8. Richardson, C.A. **Education of Teachers in England, France and USA,** UNESCO, 1963.
9. Smith H.L., **Comparative Education,** Education Publication, Bloomington, Indian USA.
10. Sharma R.N., **Comparative Education,** Surjeet Publication, Delhi.
11. **A 2006 Ranking from THES-**QS of the World's Research Universites.
12. **United States Census** (2000,2005).
13. **Structure of US Education,** U.S. Network for Education Information: U.S. Department of Education, 2005.
14. **IDEA 2004 Resources.** U.S. Department of Education. URL Accessed on Feb. 16.
15. **U.S. Census Bureau Report on Education Attainment in the United States 2003.**

इकाई-7

ब्रिटेन में शिक्षा का विकास

(Development Education in Britain)

7.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of the Unit)

7.1 विषय प्रवेश (Introduction)

7.2 ब्रिटेन का भूगोल एवं इतिहास (British Geography and History)

7.3 शिक्षा को प्रभावित करने वाले भौगोलिक एवं ऐतिहासिक घटक (Geographical and Historical Factors)

7.4 वर्तमान में शिक्षा प्रणाली (Present Education System)

7.5 मनोवैज्ञानिक चिकित्सा केन्द्र (Psychological Clinic)

7.6 सारांश (Summary)

7.7 सन्दर्भ सूची (References)

7.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of the Unit)

इस इकाई को पढ़कर आप-

1. ब्रिटेन के इतिहास, भूगोल, संस्कृति, भाषा, धर्म एवं संस्कृति की सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
2. ब्रिटेन की शिक्षा प्रणाली को जान सकेंगे।
3. ब्रिटेन की शैक्षिक विकास यात्रा को जान सकेंगे।
4. ब्रिटेन के शिक्षा अधिनियमों को जान सकेंगे।
5. ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक चिकित्सा केन्द्रों के बारे में जान सकेंगे।

7.1 विषय प्रवेश (Introduction)

जीवन और शिक्षा का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। जीवन के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है इस कारण इनका घनिष्ठ सम्बन्ध माना जाता है। जिस प्रकार भौगोलिक दशाएँ, जातीय एवं चारित्रिक गुण, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक परम्पराएँ देश के जन-जीवन को प्रभावित करती है उसी प्रकार इन सबका प्रभाव उस देश की शिक्षा पर भी पड़ता है। यह बात प्रत्येक देश की शिक्षा पर लागू होती है। इंग्लैण्ड, जिसे ग्रेट ब्रिटेन अथवा यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। इस पुस्तक में इंग्लैण्ड एवं यूनाइटेड किंगडम के स्थान पर ब्रिटेन शब्द का ही उपयोग किया गया है। किन्ही-किन्ही पुस्तकों में इंगलैण्ड की शिक्षा प्रणाली का उल्लेख मिलता है। वास्तव में उन्नीसवीं शताब्दी में इंग्लैण्ड शब्द अधिक प्रचलित था और इसी कारण से कुछ पुस्तकों में इंग्लैण्ड की शिक्षा प्रणाली का उल्लेख मिलता है।

ब्रिटेन विश्व का विकसित व प्रभुत्व रखने वाला राष्ट्र है। इसका अतीत गौरवशाली है व वर्तमान सम्पन्न है। ये 4 राष्ट्रों से मिलकर बना है व उनकी संस्कृति अपना प्रभाव जीवन के हर पक्ष में प्रदर्शित करती है। ब्रिटेन की शिक्षा प्रणाली जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है व राष्ट्र को उन्नति की राह पर ले जाने योग्य है।

7.2 ब्रिटेन का भूगोल एवं इतिहास (Geography and history Britain)

ब्रिटेन एक प्रधान द्वीप राष्ट्र है जो कि यूरोप के उत्तर पश्चिम तट की ओर स्थित है। ग्रेट ब्रिटेन, ऑयरलैण्ड का उत्तरी पूर्वी अंश व अन्य छोटे द्वीप इसका हिस्सा हैं। ब्रिटेन, अटलांटिक सागर, नार्थ सी, इंग्लिश चैनल व आइरिश सी से घिरा हुआ है। ब्रिटेन का सबसे बड़ा द्वीप ग्रेट ब्रिटेन है जो कि फ्रांस से चैनल टनल द्वारा जुड़ा हुआ है।

ब्रिटेन चार राष्ट्रों से मिलकर बना है- इंग्लैण्ड, उत्तरी ऑयरलैण्ड, स्कॉटलैण्ड व वेल्स। ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र है। लंदन सरकारी केन्द्र व राजधानी है। महारानी एलिजाबेथ राष्ट्र की संवैधानिक प्रमुख है। ब्रिटेन के 14 ओवरसीज राज्य हैं। ब्रिटेन की महारानी कॉमनवेल्थ राष्ट्रों की मुखिया है। ब्रिटेन एक विकसित राष्ट्र है। यह विश्व की छठ्ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यू.एन. सीक्यूरिटी काउन्सिल, जी-8, नॉटो, डब्ल्यू.टी.ओ., यूरोपियन यूनियन व कॉमनवेल्थ राष्ट्रों में ब्रिटेन की स्थायी सदस्यता है। संसदीय जनतंत्र ब्रिटेन के पश्चिमी विचारों की देन है। इण्डस्ट्रीयल आंदोलन में ब्रिटेन की प्रमुख भूमिका रही और आज ब्रिटेन एक उन्नत देश है।

लम्बे समय तक अनेक राष्ट्रों पर राज्य कर (कॉलोनीज) कॉमनवेल्स राष्ट्र संगठन स्थापित किया। इसके फलस्वरूप ब्रिटेन में विभिन्न जाति, धर्म व भाषा भाषी लोग मिलते हैं। अंग्रेजी यहाँ की प्रमुख भाषा है जिसको अन्तर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है।

ब्रिटेन सदियों से अपनी परम्पराओं के अन्तर्गत साम्यवादी व्यवस्था वाला देश रहा है और वही प्रजातंत्र के दृष्टिकोण के विकास के पहले जागीरदारी प्रथा का बोलबाला रहा है। ब्रिटेन के सामाजिक ढॉचे की इस स्थिति को एक सीमा तक भारत में प्रचलित जाति प्रथा एवं उससे बनने वाले समाज के उच्च, मध्यम एवं निम्न इत्यादि वर्गों की स्थिति को तुलनात्मक दृष्टि से देखा जा सकता है तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि बीसवीं शताब्दी के नए शिक्षा सम्बन्धी दृष्टिकोणों के अभाव को पूर्वकालिक स्थिति में ब्रिटेन एवं भारत के शिक्षा सुविधा की स्थिति लगभग समान थी। लेकिन ब्रिटेन में सम्पन्न हुई उन्नीसवीं शताब्दी की क्रान्ति का वहाँ की सामाजिक व्यवस्था पर गहरा प्रभुत्व पड़ा और ब्रिटेन के वर्ग आधारित समाज के अस्तित्व को झकझोर डाला। फलस्वरूप एक राष्ट्र के रूप में ब्रिटेन में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक परिवर्तनों का प्रादुर्भाव हुआ।

ब्रिटेन में प्राथमिक स्तर से पहले ही बालकों की शिक्षा प्रारम्भ कर देने के विचार को बीसवीं शताब्दी से ही बल मिल गया था परन्तु ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली में सुधार एवं विकास की दृष्टि से सन् 1944 में लागू किया गया। 1944 में ब्रिटेन की शिक्षा प्रणाली में कई नए आयाम जोड़े गए। उसी के फलस्वरूप वर्तमान में ब्रिटेन में अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। बालक-बालिकाओं के लिए प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश की न्यूनतम आयु 5 वर्ष है।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. ब्रिटेन किन-किन राष्ट्रों से मिलकर बना है?
2. ब्रिटेन के कितने राज्य हैं?
3. ब्रिटेन की मुख्य भाषा कौनसी है?

7.2 भौगोलिक एवं ऐतिहासिक घटक (Geographical and Historical Factors)

भौगोलिक दशाएँ, जातीय एवं चारित्रिक गुण, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक परम्पराएँ देश के जन जीवन व उसकी शिक्षा प्रणाली पर भी व्यापक प्रभाव रखती है।

ब्रिटेन एक शक्तिशाली व उन्नत देश है। यह मुख्यत: एक औद्योगिक देश है न कि ग्रामीण या कृषि प्रधान। इसके औद्योगिक विकास में सहायक है यहाँ का स्वास्थ्यप्रद वातावरण व इसके सागरीय तट पर गल्फस्ट्रीम की गर्मधारा का होना। गर्मधारा के कारण सागर तट वर्ष भर खुले रहते हैं, जमते नहीं और इस कारण बन्दरगाहों का विकास यहाँ किया जा सका। विकसित बन्दरगाहों द्वारा विश्व व्यापार व यातायात सम्पर्क बने रहते हैं। जलवायु तथा समुद्र मध्य की स्थिति ब्रिटेन के लोगों को परिश्रमी बनाती है व इसका प्रभाव यहाँ के विद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में देखा जा सकता है।

ब्रिटेन में औद्योगिक प्रभाव के चलते प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं का जाल सा फैला है। यहाँ का जीवन उच्च स्तरीय है, जिसके लिए लोग अधिकाधिक अर्थोपार्जन में व्यस्त रहते हैं। इस स्थिति में बच्चे पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों में विद्याध्यायन करते हैं। इस प्रकार ब्रिटेन के विद्यालयों तथा शिक्षकों पर भारी राष्ट्रीय उत्तरदायित्व होता है और वे इसे निष्ठापूर्वक निभाते हैं। इस कारण ब्रिटेन के शिक्षक जनता में बहुत प्रतिष्ठा रखते हैं। ब्रिटेन निवासी स्वभाव से रूढ़िवादी व विचारों से प्रगतिशील है। वे अपनी परम्पराओं का दिल से सम्मान करते हैं। वे स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं व साझेदारी में विश्वास रखते हैं। शक्ति का केन्द्रीकरण उन्हें पसंद नहीं है व राष्ट्र प्रेम से वह ओतप्रोत हैं। ये सभी चारित्रिक गुण शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करते हैं। सन् 1944 का शिक्षा अधिनियम इस परिदृश्य का उदाहरण है। इस अधिनियम के अनुसार विद्यालय भवनों के नवीन प्रकार निर्धारित किए गए व बल दिया गया कि नवीन प्रकार के विद्यालय भवन बनवाए जाए, परन्तु जनता ने इसे पूर्णत: स्वीकार नहीं किया। आज भी ब्रिटेन में पुरातन परम्पराओं के विद्यालय भवन पाए जाते है जिन्हें अधिनियम के विरूद्ध होते हुए भी सरकार स्वीकृत करती है। राज्य के प्रति निष्ठावान होते हुए भी स्वतंत्रता प्रेम के कारण बहुत से विद्यालय राज्य द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता अस्वीकार कर देते हैं ताकि राज्य उनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सके।

शक्ति की साझेदारी में विश्वास, जनतंत्र को लोकप्रिय बनाता है। ब्रिटेन की जनता प्रत्येक बात के लिए संसद को ही उत्तरदायी मानती हैं। किसी जन योजना अथवा निर्णय कार्यान्वयन की सत्ता को किसी एक व्यक्ति में केन्द्रित न करके विविध समितियों में विभाजित कर दिया जाता है। ब्रिटेन की शिक्षा में इसका स्पष्ट उदाहरण दिखता है। ब्रिटेन का शिक्षामंत्री

संसद के प्रति उत्तरदायी है जिसके प्रति स्थानीय शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी है विविध शिक्षा अधिकारी अपने कर्त्तव्य की पूर्ति एवं उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए विविध अधिकारियों एवं समितियों पर निर्भर रहते हैं। यही बात विविध शिक्षा समितियों और शिक्षालयों के संगठन में भी पाई जाती है। सभी पारस्परिक निर्भरता द्वारा कार्य करते हैं। सहयोग और उत्तरदायित्व विभाजन के सिद्धान्त पर कार्य सम्पादन ब्रिटेन की विशेषता है

ब्रिटेन निवासी धर्म के प्रति आस्थावान होते हैं हालांकि यहाँ धर्म निरपेक्षता का पर्याप्त महत्व है। शिक्षा में धर्म का अमिट प्रभाव है। ब्रिटेन में काउंटी विद्यालय व वॉलण्टरी विद्यालय दो वर्ग पाए जाते हैं जिनका वर्गीकरण धार्मिक विचारधाराओं के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार ब्रिटेन की जनता की जीवनधारा वहाँ की शिक्षा को प्रभावित करती है।

7.3.1 विशिष्ट घटनाएँ (Special Events)

ब्रिटेन की शिक्षा व्यवस्थाओं में वही की जनता के स्वाभाविक गुण ही प्रमुख आधार रहे हैं। अठारहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में ब्रिटेन के शिक्षालयों की स्थिति सन्तोषजनक नहीं थी परन्तु फिर भी कुछ शिक्षालयों की स्थिति सन्तोषजनक थी बाद में शुल्कप्रथा का प्रचलन होने से शिक्षालयों की व्यवस्था परिवर्तित हो गई। सुविधा की दृष्टि से इस इकाई में ब्रिटेन के शिक्षा इतिहास को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं जो निम्नानुसार है :-

(1) 18वीं सदी तक ब्रिटेन में शिक्षा का विकास

(2) 18वीं सदी से ब्रिटेन में शिक्षा का विकास

(1) 18वीं सदी तक ब्रिटेन में शिक्षा का विकास

अठारहवीं सदी में प्रचलित शिक्षालयों की व्यवस्था का तथा उन व्यवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख इस प्रकार किया जा सकेगा।

1. बाल दिवा विद्यालय (Common Day Schools) एवं शिशु दिवा विद्यालय Dame Schools-

आयु भेद को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन में उस समय दो प्रकार के विद्यालय प्रचलित थे (1) शिशुओं के प्रचलित दिवा विद्यालय जिन्हें 'डेम स्कूल' और 'बालकों' के प्रचलित थे। इन विद्यालयों में उन्हीं छात्रों को शिक्षा दी जाती थी जो शिक्षा शुल्क दे सकते थे। हालांकि इन विद्यालय में शिक्षा शुल्क ज्यादा नहीं था फिर भी निर्धन विद्यार्थी उसे नहीं चुका पाते थे।

2. दान पर आधारित विद्यालय (Charity Schools)

निर्धन छात्र-छात्राओं की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सन् 1698 ई. में ईसाई धर्म का ज्ञान देने के लिए इन विद्यालय की स्थापना की गई। यहाँ पर पढ़ाने वाले शिक्षकों की आय का साधन दान ही होता था। इन विद्यालय में विद्यार्थियों को धार्मिक शिक्षा, लिखना, पढ़ना और साधारण गणित हल करना सीखाया जाता था। साथ ही छात्रों को परिश्रमी बनाने हेतु हल चलाना, बागवानी करना, कातना, बुनना, सिलाई करना इत्यादि व्यावहारिक कार्य सीखाया जाता था। इन विद्यालय की आय का साधन मात्र जनता से प्राप्त दान ही होता था। विद्यार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। इन विद्यालय के शिक्षक जनता के समक्ष अपनी

आवश्यकताएं रखते थे और रविवार के दिन होने वाले उपदेश दिवसों पर जनता से दान लिया जाता था।

3. आद्यौगिक विद्यालय (Industrial Schools)

ब्रिटेन में औद्योगिक क्रान्ति हुई और इसके परिणामस्वरूप उद्योगों एवं औद्योगालयों का सृजन हुआ और उसी समय ब्रिटेन में इन विद्यालय की स्थापना हुई। इन विद्यालय में लघु उद्योग करने वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। इनमें विद्यार्थियों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। यहाँ पर कताई, बुनाई, सिलाई एवं बागवानी की शिक्षा दी जाती थी। साथ ही बालकों को लिखना, पढ़ना और गणित की भी शिक्षा दी जाती थी। इन विद्यालय के व्यय की पूर्ति विद्यालय में ही छात्रों द्वारा उत्पादित माल से ही होती थी। छात्रों को भोजन भी विद्यालय में ही करवाया जाता था। यही पर छात्रों को धार्मिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। ब्रिटेन सरकार का भी इन विद्यालय के प्रति सकारात्मक रूख था। परन्तु उद्योगशालाओं के स्वामियों ने बालकों को उद्योगों में लगाकर जीविका देना प्रारम्भ कर दिया जिसके परिणामस्वरूप अभिभावकों को इनसे सहायता मिली। फलस्वरूप धीरे-धीरे सभी अभिभावकों ने अपने बच्चों को शालाओं में भेजना प्रारम्भ कर दिया और इसके फलस्वरूप इनका विकास अवरूद्ध हो गया।

4. रविवार विद्यालय (Sunday Schools)

ब्रिटेन में औद्योगिक विद्यालय के पश्चात् उद्योग शालाओं का विकास होने लगा। इन उद्योग शालाओं में बालक सेवा और श्रम करने लगे। अत: इन बालकों हेतु शिक्षा समस्या का समाधान ढूंढना आवश्यक हो गया। पूरे सप्ताह बालक इन उद्योगशालाओं में कार्य करते थे। केवल उन्हें रविवार के दिन अवकाश मिलता था। अत: उन बालकों को शिक्षा देने के उद्देश्य से ब्रिटेन में रविवार के दिन शिक्षा देने के रूप में इन विद्यालय की स्थापना की गई। इन विद्यालय की स्थापना करने का श्रेय रोबर्ट रेक्स (Robert Raikes) को है। इन विद्यालय के सुदृढीकरण के लिए ब्रिटेन में एक "रविवार विद्यालय संगठन" की भी स्थापना की गई।

इन विद्यालय में धार्मिक शिक्षा, हस्तकार्य, पढ़ना, लिखना एव साधारण गणित की शिक्षा दी जाती थी। उच्च वर्ग के लोग इन विद्यालय को आर्थिक सहयोग देते थे। इन विद्यालय में अध्यापन करने वाले शिक्षकों का वेतन कम ही होता था। इन विद्यालय ने सार्वजनिक एव निःशुल्क शिक्षा का प्रारम्म किया। इन विद्यालय ने उन बालकों को शिक्षा देने का कार्य किया जो आर्थिक क्षीणता के कारण उधोग शालाओं में कार्य करते थे। इस प्रकार ब्रिटेन में इन विद्यालय ने प्रारम्मिक शिक्षा के विकास में बहुत योग दिया।

5. परिभ्रमण विद्यालय (Circulating Schools)

इन विद्यालय की स्थापना निर्धन छात्रों को मातृभाषा में बाइबिल की शिक्षा देने के उद्देश्य से की गई। इनकी स्थापना ग्रिफिथ जोन्स (Griffith Jones) ने सन् 1737 में की थी। इन विद्यालय में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। इन विद्यालय के शिक्षक एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते / परिभ्रमण करते हुए शिक्षा प्रदान करते थे। अत: इन्हें परिभ्रमण विद्यालय कहते हैं। ये अध्यापक किसी भी स्थान पर उस 6 माह तक रूककर अध्यापन कार्य करते थे। बालक और प्रौढ़ सभी इन विद्यालय में विद्या प्राप्त करते थे। इन

विद्यालय के आय का मुख्य साधन दान द्वारा प्राप्त धन एवं एस.पी.सी.के. (Society for the promotion of Children Knowledge) से प्राप्त अनुदान था। इनका समय 10वीं सदी के उतरार्द्ध से 19वीं सदी के पूर्वार्द्ध तक माना जाता है।

6. कक्षा नायक प्रणाली (Class Prefect System)

भारत में प्राचीन काल में कक्षा नायक प्रणाली प्रचलित थी। ब्रिटेन में भी इस प्रणाली को अपनाने का प्रयास किया गया। ब्रिटेन में निर्धन समाज के बालकों को भी शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध करवाने एवं शिक्षकों की कमी दूर करने के उद्देश्य से इस प्रणाली की आवश्यकता अनुभव की गई। धीरे- धीरे ब्रिटेन में यह भावना तीव्रतर होती गई। इसके परिणामस्वरूप ब्रिटेन में इस प्रणाली का प्रारम्भ हुआ। इस शिक्षण प्रणाली में वरिष्ठ छात्र निम्न स्तर के छात्रों को शिक्षण देते थे। ब्रिटेन में इस प्रणाली को एण्ड्रू बैल (Andrew Bell) और जोसेफ लंकास्टर (Joseph Lankaster) ने प्रारम्भ किया। एण्ड्रू बेल एक पादरी थे और भारत में एक सदर से विद्यालय में प्रधानाध्यापक रह चुके थे । भारत से ब्रिटेन जाने पर इन्होंने कक्षा नायक प्रणाली को दान पर आधारित विद्यालय में लागू किया। इसी प्रकार जोसेफ लंकास्टर ने भी साउथ वार्क (South Wark) में एक विद्यालय स्थापित किया। इन्होंने भी कक्षानायकों को कुछ निर्देश देकर सम्पूर्ण कक्षा का दायित्व उन पर छोडकर शिक्षण कार्य करवाया।

ब्रिटेन में इन दोनों ने प्रारम्भिक शिक्षा का विकास कर उसे सार्वजनिक बनाने का प्रयास किया परन्तु इससे प्रारम्भिक शिक्षा का महत्व और स्तर गिरता गया। शिक्षक का छात्रों से घनिष्ठ सम्पर्क नहीं रहा और छात्रों को छात्रों द्वारा वास्तविक ज्ञान नहीं प्राप्त हो सका फलस्वरूप ब्रिटेन में कक्षा नायक प्रणाली सफल नहीं हो पायी।

7. रोबर्ट ओवन (Robert Owen) विल्डर स्पिन (Wilder Spin) तथा डेविड स्टो (David Stow)

उक्त तीनों व्यक्तियों ने ब्रिटेन की प्रारम्भिक शिक्षा के विकास में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। रोबर्ट ओवन व्यावहारिक सिद्धान्तों के व्यक्ति थे इन्होंने उद्योगशालाओं की स्थापना की थी। प्रारम्भिक स्तर पर इन्होंने कक्षा नायक प्रणाली की स्थापना की थी परन्तु बाद में शिक्षाविदों एवं शिक्षाशास्त्रियों के सम्पर्क में आने के फलस्वरूप इन्होंने उद्योगशालाओं की स्थापना की थी। इन उद्योगशालाओं में 10 वर्ष से ऊपर की आयु के बालकों को शिक्षा एवं कार्य दिया जाता था। रोबर्ट ओवन का जन्म सन् 1771 में एवं देहावसान सन् 1858 में हुआ था।

बिल्डर स्पिन का जन्म सन् 1792 में एवं देहावसान 1866 ई. में हुआ था। इन्होंने शिक्षक के लिए कहा है कि शिक्षक को बच्चों को पढ़ाते समय अपने आपके बालक जैसा बनना पड़ेगा। उन्होंने बच्चों के साथ दया, सहानुभूति एवं धैर्यपूर्ण व्यवहार करने पर बल दिया। इनकी शिक्षा में क्रियाओं और मनोरंजन पर विशेष जोर दिया गया है।

इसी प्रकार ब्रिटेन में डेविड स्टो ने भी प्रारम्भिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया है। डेविड स्टो का जन्म. सन् 1793 में एवं देहावसान 1866 ई. में हुआ। ये व्यापारी थे परन्तु साथ ही शिक्षा प्रेमी थे। इन्होंने प्रारम्भ में सन् 1816 में रविवार विद्यालय की स्थापना की थी। परन्तु

इसमें इन्हें आशानुकूल सफलता नहीं प्राप्त हुई जिसके फलस्वरूप इन्होंने पुन: सन् 1826 में ग्लासगो शिशु समाज (Glasgow Infant Society) की स्थापना की। धीरे-धीरे स्काटलैण्ड में शिशु शिक्षा का विकास हुआ।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. ब्रिटेन के शिक्षा इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता हैं?
2. ब्रिटेन के परिभ्रमण विद्यालय के बारे में आप क्या जानते हैं?
3. 18वीं सदी तक ब्रिटेन की शिक्षा में कौन-कौनसे परिवर्तन हुए?

(2) 18वीं सदी से ब्रिटेन में शिक्षा का विकास

ब्रिटेन में अठारहवीं सदी से पूर्व शिक्षा का कुछ विकास हुआ परन्तु यह बहुत धीमा एवं अपर्याप्त था। उस समय ब्रिटेन की परिस्थितियॉ अनुकूल नहीं थी। कोई भी वर्ग शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं देना चाहता था। उच्च एवं धनाढ्य वर्ग यह चाहता था कि निर्धन वर्ग शिक्षा प्राप्त नहीं करे। उच्च वर्ग को यह शंका थी कि निर्धन वर्ग पढ़-लिख लेने के पश्चात् अपने अधिकारों की माँग करेगा। साथ ही धनाढ्य वर्ग को यह भी संदेह था कि यदि निर्धन वर्ग का बालक पढ़ लेगा तो वह उनकी उद्योगशालाओं एवं कार्यशालाओं में नहीं आएगा। राज्य ने 8वीं सदी के अन्त तक प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में कोई रूचि नहीं ली और व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा ही शिक्षा-विकास सन्तोषजनक माना जाने लगा। परन्तु शनैः-शनै: औद्योगिक विकास के फलस्वरूप जनक्रान्ति को ध्यान में रखकर सरकार को शिक्षा विकास पर ध्यान देना पड़ा। उद्योग शालाओं में कार्यरत बालकों के शोषण को देखते हुए कुछ क्रान्तिकारी व्यक्तियों ने सरकार को शिक्षा की ओर ध्यान देने हेतु प्रेरित किया। उस समय उद्योगपति बालकों को कठोर परिश्रम करने के लिए बाध्य करते थे एवं उनका शोषण करते थे। बालक दिन-रात श्रम करते हुए नारकीय जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें किसी प्रकार की धार्मिक, नैतिक एवं बौद्धिक शिक्षा नहीं प्रदान की जाती थी। तत्पश्चात् ब्रिटेन में शिक्षा के सन्दर्भ में निम्नलिखित कदम उठाए गए -

(1) 1802 ई. का रॉबर्ट पोल विधेयक

सर राबर्ट पोल ने सन् 1802 में मिल के सेवारत बालकों के प्रति मिल मालिकों के दुर्व्यवहार एवं शोषण को ध्यान में रखकर संसद में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव का कई मिल-मालिकों एवं संसद सदस्यों द्वारा विरोध किया गया। परन्तु यह कर्माभ्यासी अधिनियम (Factory Act) के नाम से पारित हो गया। उद्योग क्षेत्र में संचालित किया जाने वाला यह प्रथम विधेयक था। इसके फलस्वरूप औद्योगिक क्षेत्र में अनेक अधिनियम बनने प्रारम्भ हुए। इनमें मिलों में काम करने वाले बालकों के सुधार की बात कही कई। यह शोषित बालकों के लिए कल्याणकारी साबित हुआ । इस विधेयक में निम्नलिखित सुधार करने का प्रयास किया गया -

(1) बालकों से केवल दिन में ही कार्य करवाया जाए।

(2) मिल मालिक अपनी मिलों को प्रकाशयुक्त बनायेंगे एवं स्वच्छता का ध्यान रखेंगे।

(3) बालकों को पढ़ना, लिखना और गणित लगाना अवश्य सिखाया जाए।

(4) रविवार के दिन न्यूनतम एक घण्टा बालकों को धार्मिक शिक्षा अवश्य दी जाए।

(5) बालक को महिने में एक बार चर्च में अवश्य भेजा जाए।

यह अधिनियम बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ और इसी के आधार पर 1870 ई. का शिक्षा विधेयक बन सका।

(2) 1807 ई. का ग्रामीण विद्यालय विधेयक

सन् 1807 में व्हाअट ब्रेड (White Bred) ने वर्ष निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाले ग्रामीण विद्यालय की स्थापना करने का सुझाव दिया गया। परन्तु पूंजीपति वर्ग एवं चर्च ने इसका विरोध किया। इस कारण यह विधेयक का रूप नहीं ग्रहण कर पाया।

(3) 1815 ई. का सर रोबर्ट पील विधेयक

मिलों में कार्य करने वाले बालकों की स्थिति सुधारने के लिए सर रोबर्ट पील ने सन् 1815 ई. में विधेयक प्रस्तुत किया। इसके फलस्वरूप एक गुप्त समिति (Silent Committee) की नियुक्ति की गई। इस समिति ने मिल में काम करने वाले बालकों का गुप्त निरीक्षण किया और यह पाया कि मिलों में बालकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है एवं 14 से 16 घण्टे कार्य करवाया जाता है, वहीं साप्ताहिक 100 घण्टे से ऊपर कार्य करवाया जाता है। कोई गलती होने पर निर्दयता से दण्ड दिया जाता है। सन् 1819 ई. में इसे पारित कर दिया गया। परन्तु सन् 1802 ई. के अधिनियम की भाँति ढील दी गई और यह केवल सूती मिलों तक सीमित कर दिया गया। इसके अन्तर्गत 9 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालकों को काम पर रखने से रोका गया और 9 से 13 वर्ष तक की आयु के बालकों से 12 घण्टे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता था।

(4) 1816 ई. की संसदीय समिति

ब्रिटेन में व्हाइट ब्रेड ने संसद में एक लोकप्रिय शिक्षा आन्दोलन चलाया। इनकी असामयिक मृत्यु के पश्चात् हेनरी ब्रोधम (Henery Brougham) ने इस आन्दोलन को चलाये रखा। हेनरी के प्रयासों के फलस्वरूप एक संसदीय समिति का गठन किया गया। इस समिति ने निरीक्षण करके यह पाया कि जो बालक विद्यालय में पढने जातें हैं उन्हें पूर्ण सुविधाएँ नहीं मिलती है। विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति नहीं होती है। हेनरी ब्राथम ने इस सूचना पर माँग की कि विद्यालय द्वारा समर्पित धन का पूर्णरूपेण निरीक्षण किया जाए परन्तु इस पर बहुत से विद्यालय ने विरोध किया फिर भी 1820 ई. में संसद के समक्ष ब्रोथम के पेरिस बिल के रूप में इसे लाया गया।

(5) 1820 ई. का ब्रोधम ग्रामीण क्षेत्र-शिक्षालय अधिनियम

हेनरी बोधम का यह बिल संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य ब्रिटेन और वेल्स के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा सुलभ कराना था। परन्तु रोमन कैथोलिकों एवं चर्चो ने इसका विरोध किया। जिसके फलस्वरूप इस विधेयक को वापस ले लिया गया। परन्तु पुन: जॉन आर्थर रोबेक ने इसका समर्थन किया।

(6) जॉन आर्थर रोबेक (John Aurther Roeback)

ने हेनरी ब्रोधम के शैक्षिक विचारों का समर्थन किया और अपनी बात संसद में रखने का प्रयास किया। उन्होंने चार प्रकार के विद्यालय को स्थापित करने पर बल दिया- (1) शिशु विद्यालय (Infant Schools) (2) उद्योग विद्यालय (School of Industry) (3) प्रौढ़ों तथा किशोरों के लिए विद्यालय में संध्याकालीन विद्यालय (4) शिक्षकों के प्रशिक्षण के दीक्षा विद्यालय (Normal स्कूल)।

यद्यपि सभी ने रोबेक के प्रस्ताव और सुझावों को मौलिक मानकर समर्थन भी किया फिर भी यह विधेयक पारित नहीं हो सका।

(7) 1833 से 1959 ई. तक शैक्षिक विकास

ब्रिटेन में 1833 से 1859 ई. तक शिक्षा में तीव्र गति से विकास हुआ जो कि इस समय से ब्रिटेन के सरकार ने शिक्षा विकास हेतु योगदान देना प्रारम्भ कर दिया। राज्य ने विद्यालय भवन एवं सुविधाएँ हेतु अनुदान देना प्रारम्भ कर दिया था। इस समयावधि में ब्रिटेन में हुई शैक्षिक प्रगति को हम निम्नलिखित बिन्दुओं में समझ सकते हैं -

(अ) 1833 ई. की प्रारम्भिक शिक्षा प्रेक्षा (Elementary Education Enquiry)

1833 ई. में ब्रिटेन में शिक्षा हेतु प्रथम राजकीय अनुदान मिला फलस्वरूप 1833 ई. में प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित सुविधाओं का पता लगाने के लिए एक प्रेक्षा समिति का गठन किया गया। प्रेक्षा समिति द्वारा निरीक्षण के फलस्वरूप यह पता चला कि ब्रिटेन में उतम विद्यालय की कमी है। औसतन 10 बालकों में से एक छात्र ही उपयुक्त शिक्षा प्राप्त कर रहा है शेष 2 बालक अनुपयोगी शिशु विद्यालय में तथा 3 व्यक्तिगत दिवा विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं और शेष 4 कहीं पर भी नहीं पढ़ते हैं। प्रेक्षा समिति की इस रिपोर्ट ने शिक्षा प्रेमियों को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने राज्य सरकार से तत्काल शिक्षालयों की स्थापना की माँग की। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि सम्पूर्ण राज्य में एक केन्द्रीय शिक्षा समिति गठित की जानी चाहिये जो राज्य में नवीन विद्यालय की स्थापना कर सके एवं राजकीय अनुदान वितरित कर सके। साथ ही आवश्यक कर भी लगा सके। इसके फलस्वरूप 1836 ई. में शिक्षा के केन्द्रीय समाज (Central Society of Education) की स्थापना की गई एवं इसके उपयुक्त सुझावों के अधिवक्तव्य का अधिकार प्रदान किया गया।

(ब) 1839 ई. में प्रीवी परिषद् (Privy Council) की स्थापना

1839 ई. में ब्रिटेन में महारानी (क्राउन) ने प्रीवी परिषद की स्थापना की। इस परिषद का मुख्य कार्य जन शिक्षा को प्रभावित करना था। इस परिषद का यह दायित्व संसद द्वारा दिए जाने वाले अनुदान के उपयोग का निरीक्षण करना था।

(स) 1843 ई. का मिल विधेयक

ब्रिटेन में निर्धन व्यक्तियों में सुधार करने के उद्देश्य से गृह सचिव (Home Secretary) सर जेम्स ग्राहम (Jemes Graham) ने मिल विधेयक 1843 का गठन किया। इस विधेयक में यह निम्नलिखित प्रावधान रखे गए-

1. जो बालक कार्यगृहों एवं कपड़े की मिलों में कार्य करते है और जिनकी उम्र 8 से 13 वर्ष के मध्य है वो पूरे दिन में साढ़े छः घण्टे से अधिक कार्य नहीं करेंगे और उन्हें प्रतिदिन न्यूनतम तीन घण्टे की शिक्षा अवश्य दी जाए।
2. इन विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति करने का अधिकार विद्यालय उत्तराधिकारी समिति

   (School Trustee) का होगा परन्तु इसके लिए पादरी की स्वीकृति होनी आवश्यक है। साथ ही विद्यालय की उत्तराधिकारी समिति में ग्रामीण क्षेत्र का उपदेशक अवश्य रखा जाएगा।
3. ब्रिटेन के चर्च की शिक्षा छात्रों को अवश्य होनी होगी और प्रत्येक रविवार को चर्च में उपस्थित रहना पड़ेगा।
4. छात्र शुल्क एवं राजकीय ऋण से विद्यालय की आर्थिक व्यवस्था और आवश्यकताएँ पूर्ण होगी।

परन्तु विरोधी सम्प्रदाय के लोगों ने इसका विरोध किया जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय विकास की यह योजना असफल हो गई और विधेयक वापस ले लिया गया।

(द) 1848 ई. की के. योजना

ब्रिटेन में 1846 को एक प्रशिक्षा योजना का गठन किया गया जिसकी विधिवत् घोषणा शिक्षा परिषद् समिति (Committee of Council of Education) द्वारा की गई। इस योजना में यह प्रावधान था कि जिन छात्राध्यापकों का 5 वर्ष के कर्माभ्यास के लिए चयन कर लिया हो उन्हें सहायता वृति (Stipends) दिया जाए, इन छात्राध्यापकों का निरीक्षण महारानी के विद्यालय निरीक्षक करेंगे। शिक्षक प्रशिक्षकों को अनुदान मिलेगा। न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् शिक्षकों द्वारा सेवानिवृति लेने पर पेंशन दी जाए एवं इन प्रशिक्षण महाविद्यालय को वार्षिक अनुदान दिया जाए। इस योजना को बहुत बल मिला। जिसके फलस्वरूप सरकार द्वारा पर्याप्त अनुदान मिलने लगा। इस प्रकार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में व्यावहारिक रुचि बताई।

(य) 1850 ई. का डब्ल्यू.जे. फॉक्स का विधेयक

ब्रिटेन में 1850 ई. में धर्म निरपेक्ष व्यक्तियों ने एक रूपरेखा तैयार की जिसे डब्ल्यू. जे. फॉक्स ने संसद में प्रस्तुत किया। इसमें किसी साम्प्रदायिक विद्यालय को स्थान नहीं दिया गया। इसमें यह प्रावधान रखा गया कि 7 से 13 वर्ष की आयु के बालकों की शिक्षा व्यवस्था करने वाले करदाताओं को शिक्षा कर लगाने का अधिकार देना चाहिए जो निःशुल्क एवं धर्म निरपेक्ष शिक्षा प्रदान करना चाहते हों। परन्तु चर्च और साम्प्रदायिक लोगों के बाहुल्य के कारण यह विधेयक पारित नहीं किया जा सका।

(र) शिक्षा विभाग की स्थापना

ब्रिटेन में सरकार ने देश में शिक्षा की आवश्यकता को महसूस करते हुए सन् 1856 ई. में शिक्षा विभाग की स्थापना की। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पदों का सृजन किया गया। व्यय

सम्बन्धी समस्त मामलों में समस्त दायित्व एवं कार्य उपाध्यक्ष का होता था। इस विभाग का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उपाध्यक्ष का होता थे अध्यक्ष केवल नाममात्र का होता था।

(ल) 1858 ई. का रॉयल आयोग

ब्रिटेन में प्रचलित शिक्षा की दशाओं / स्थितियों का अध्ययन कर समाज के सभी वर्गो को सस्ती एवं स्वस्थ शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से न्यू कौन्सिल के साम्राज्याधिकारों की अध्यक्षता में सन् 1858 में रॉयल आयोग का गठन हुआ।

इस आयोग का भी विरोध हो गया और इसे कार्यान्वित नहीं कराया जा सका।

(व) 1870 ई. का अधिनियम

ब्रिटेन में 1865 ई. में सम्पन्न हुए निर्वाचन के फलस्वरूप उदार दल स्पइमतंस च्तंजलद्ध फिर से बहुमत में आई। इस दल की सत्ता आने से प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में भारी परिवर्तन हुआ। विद्यालय परिषदों द्वारा संचालित प्रारम्भिक शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ। उस समय विद्यालय परिषद् तथा स्वैच्छिक स्वतंत्र संस्थाएं प्रारम्भिक शिक्षा साथ-साथ प्रदान कर रही थी। स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालय की संख्या विद्यालय परिषद् द्वारा संचालित विद्यालय की अपेक्षा अधिक थी। 19वीं शताब्दी के अन्त तक स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालय में केवल 46 प्रतिशत छात्र रह गए। विद्यालय परिषद के विद्यालय को करों से अपेक्षाकृत अधिक अनुदान प्राप्त होने से अधिक लाभ पहुँचा। इस प्रतियोगिता में स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालय पिछड़ गए।

— **जनता प्रारम्भिक शिक्षालय**

1882 ई. में ब्रिटेन सरकार द्वारा विद्यालय को अनुदान देने की प्रणाली में बदलाव आया। 1882 ई. में छात्रों की व्यक्तिगत उपस्थिति की अपेक्षा विद्यालय की मध्य उपस्थिति को ध्यान में रखकर अनुदान दिया जाने लगा। विद्यालय निरीक्षक के प्रतिवेदन को आधार मानकर विद्यालय के लिए अनुदान पर विचार किया जाता था। अनुदान विद्यालय निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर दो प्रकार से दिया जाने लगा। प्रथम अनुदान गुण आधारित और द्वितीय अनुदान निर्धारित (निश्चित) अनुदान था।

— **किण्डरगार्टन (Kindergarten) विद्यालय की स्थापना**

किण्डरगार्टन विद्यालय की सर्वप्रथम स्थापना उनके शिष्यों के द्वारा 1854 ई. में की गई। 1874 ई. में ब्रिटेन की मेरया ग्रे नामक महिला ने फोबेल समाज की स्थापना की ओर कई कन्या जनता दिवा विद्यालय की स्थापना की। कॉउडन का हाई स्कूल उनमें से एक था। इस प्रकार के विद्यालय से एक किण्डरगार्टन विद्यालय सम्बद्ध होता था।

इस प्रणाली के विद्यालय की सफलताओं को देखकर अन्य लोगों ने भी विद्यालय स्थापित किए। जिसके फलस्वरूप उच्च एवं मध्यम वर्ग के बालक इन विद्यालय में जाने लगे।

9. 1886 ई. का रॉयल आयोग - 1886 ई. में सर रिचर्ड क्रॉस (Sir Richard Cross) की अध्यक्षता में प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्य का मूल्यांकन करने के लिए रॉयल आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने 2 वर्ष की समयावधि में प्रारम्भिक शिक्षा का अध्ययन

कर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अनुदान की आवश्यकता पर बल दिया। इस आयोग की संस्तुतियों के फलस्वरूप प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सुधार हुए।

10. एण्डाउड स्कूल अथवा ग्रामर स्कूल - ब्रिटेन में इन विद्यालय की स्थापना मुख्य पादरियों द्वारा की गई। इन विद्यालय में शास्त्रीय भाषाएं पढाई जाती थी। इन विद्यालय में केवल वे व्यक्ति ही शिक्षक बन सकते थे जिनके पास शिक्षण स्वीकृति का (Teaching Licence) होता था। ब्रिटेन में लेटिन भाषा पढ़ना-पढ़ाना होता था। धीरे-धीरे यही पर गणित एवं लेखन कार्य को भी महत्व दिया जाने लगता। इन विद्यालय में विद्यालय व्यवस्था एव अनुशासन सन्तोषजनक नहीं था। अनुशासन की व्यवस्था भय द्वारा होती थी छात्रों को डण्डे से पीटा जाता था। जुआ खेलना, शराब पीना जैसे दुराचरण भी यहाँ पाये जाते थे।

11. व्यक्तिगत विद्यालय - ब्रिटेन में व्यक्तिगत विद्यालय में अनुशासन सन्तोषजनक था। पब्लिक स्कूल के दूषित वातावरण को देखते हुए इन विद्यालय की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई। इन विद्यालय में अंग्रेजी, फ्रेंच, इतिहास, भूगोल, आधुनिक भाषाएं, कला, गणित जैसे विषय सम्मिलित थे। छात्र स्वयं ही एक समिति गठित करने के जो विद्यालय संचालन के नियम बनाती थी। जो भी छात्र इन नियमों कोतोड़ता उसे न्याय समिति के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ता था। न्याय समिति उसे जो दण्ड देती उसे स्वीकार करना पड़ता था।

इन विद्यालय में छात्राओं के शिक्षण की व्यवस्था थी। ये छात्राएं उच्च एवं मध्यम वर्ग के परिवारों की होती थी। यहां पर सुयोग्य गृहिणी की शिक्षा दी जाती थी। छात्राओं को सुयोग्य गृहिणी (House Wives) बनाने का प्रयास किया जाता था। छात्राओं को फ्रेंच और इटालियन भाषाओं का अध्ययन करने के साथ-साथ वाद्ययन्त्र संगी (Instrumental Music), चित्रकला तथा सामान्य ज्ञान जैसे विषय पढाये जाते थे।

यहाँ पर शास्त्रीय भाषाओं के पाठ्य क्रम की आलोचना हुई। मिशनरियों ने इन विद्यालय की आलोचना की। इनके द्वारा की गई आलोचनाओं का प्रभाव जनता पर पड़ा जिसके फलस्वरूप जनता इन विद्यालय के कार्य से असन्तुष्ट हो गई।

12. 1861 का रॉयल आयोग- ब्रिटेन में सन् 1861 में सरकार ने लार्ड क्लेरण्डन (Lard Clerendon) की अध्यक्षता में एक रॉयल आयोग का गठन किया। इस आयोग को ब्रिटेन के 9 पब्लिक स्कूलों की आर्थिक व्यवस्था का दायित्व सौंपा। इस आयोग ने सन् 1864 ई. के अध्ययन के पश्चात् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस आयोग ने समस्त जन शिक्षा व्यवस्था को दोषपूर्ण नहीं मानकर केवल प्रचलित पाठ्यक्रम एवं शिक्षण प्रणाली को ही दोषपूर्ण माना।

रॉयल आयोग ने पाठ्यक्रम सुधारने की संस्तुति दी। इस विषय में आयोग ने कहा कि शास्त्रीय भाषाओं तथा धार्मिक शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हुए पाठ्यक्रम में अंकगणित, विज्ञान, जर्मन भाषा, फ्रांसीसी भाषा, प्रकृति विज्ञान, संगीत अथवा कला को भी स्थान देना चाहिए।

इस आयोग की संस्तुतियों के फलस्वरूप 1868 ई. में पब्लिक स्कूल अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम में रॉयल आयोग की संस्तुतियों को स्थान दिया गया।

13. 1864 का विद्यालय प्रेच्छा आयोग (The School Enquiry Commission 1864)

ब्रिटेन में प्रारम्भिक तथा पब्लिक विद्यालय के अतिरिक्त अन्य विद्यालय की प्रेच्छा (Enquiries) करने के लिए सन् 1864 ई. में प्रेच्छा आयोग का गठन किया गया। इन आयोग ने कुल 1749 विद्यालय का अध्ययन कर 21 भागों वाला वृहत् प्रतिवेदन 1868 ई. में प्रस्तुत किया। इस आयोग ने अपनी अनुशंसा में तीन प्रकार के विद्यालय की बात रखी है :-

(1) प्रथम प्रकार के विद्यालय धनाढ्य एवं समृद्ध व्यक्तियों के बालकों के लिए थे।

(2) द्वितीय प्रकार के विद्यालय उन अभिभावकों के बालकों के लिए थे जो व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे एवं अभिभावकों के पास आय के सीमित साधन थे।

(3) तृतीय प्रकार के विद्यालय निर्धन बालकों के लिए थे। यहाँ पर श्रमिकों, किसानों और सामान्य व्यापारियों के बालक अध्ययन करते थे।

14. माध्यमिक शिक्षा का संगठन - रॉयल आयोग 1861 ई. एवं प्रेच्छा आयोग 1884 ई. ने ब्रिटेन को माध्यमिक शिक्षा संगठन की स्थापना की संस्तुतियॉ दी। इनमें कहा गया कि इन विद्यालय में योग्य एवं सक्षम अध्यापक लगाए जाएं। विद्यार्थियों की योग्यता, शैक्षिक उपलब्धि और कार्य क्षमता जानने के लिए परीक्षा व्यवस्था की संस्तुति की गई। परन्तु उपर्युक्त संस्तुतियों को व्यवहार में नहीं लाया गया।

15. 1889 का एण्डाउमेण्ट अधिनियम (The Endowment School Act. 1869)

ब्रिटेन में सन् 1889 ई. में मि. ग्लैडस्टन (Mr. Gladstone) की सरकार ने एण्डाउड अधिनियन पारित किया। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि लड़कियों को शिक्षा पाने में अधिकाधिक अवसर मिल सके। परन्तु यह अधिनियम सफल नहीं हो सका क्योंकि रॉयल आयोग 1861 ई. एवं प्रेक्षा आयोग 1864 ई. की संस्तुतियों के अनुसार कार्य नहीं किया जा सका। फिर भी माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था के लिए जागृति और प्रेरणा उत्पन्न करने में इन दोनों ही अधिनियमों ने बहुत योग दिया।

16. प्रथम विश्व युद्ध का शिक्षा पर प्रभाव - सन् 1914-18 ई. में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इसका ब्रिटेन की शिक्षा व्यवस्था पर जबर्दस्त प्रभाव पड़ा। एक तरफ यह युद्ध शिक्षा क्षेत्र के लिए घातक सिद्ध हुआ वहीं दूसरी तरफ शिक्षा के क्षेत्र में कुछ लाभ भी हुए। विश्वयुद्ध का प्रभाव प्रारम्भिक शिक्षा पर पडा जिससे माध्यमिक शिक्षा प्रभावित हुई। विश्व युद्ध से विद्यालय भवन तथा उपकरण टूट गए जिससे आर्थिक संकट उत्पन्न हुए। कई शिक्षक शिक्षण व्यवसाय छोडकर सेना में चले गए जिससे शिक्षकों का अभाव हो गया।

विश्व युद्ध का अच्छा प्रभाव यह पड़ा कि युद्ध के समय बालकों ने कृषि कार्य किया जिससे जनता ने अनुभव किया कि शिक्षा का प्रसार ऐसे सेवक उत्पन्न करने के लिए अवश्य होना चाहिए।

17. फिशर अधिनियम- 1918 ई.

ब्रिटेन में सन् 1918 ई. में संसद ने फिशर अधिनियम पारित किया। उस समय शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष फिशर थे। ब्रिटेन की शिक्षा व्यवस्था में यह अधिनियम विशिष्ट स्थान रखता है। इस अधिनियम के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क कर दी गई और शिक्षा शुल्क, अनुदान प्रणाली स्थानीय सत्ताओं की व्यवस्था में पुनर्परिवर्तन किया गया। इस अधिनियम के

फलस्वरूप स्थानीय शिक्षा सत्ताओं के अधिकार बढ़ा दिए गए। इसके अनुसार 12 वर्ष की कम आयु के बालक किसी उद्योग या व्यवसाय में श्रमिक के रूप में कार्य नहीं करेंगे।

इस अधिनियम के अनुसार विद्यालय और उद्योगों में सम्पर्क और बढ़ गए। परन्तु विद्यालय भवनों और शिक्षकों का अभाव, उद्योगपतियों के असहयोग की भावना इत्यादि कारणों से इस अधिनियम की संस्तुतियों को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सका फिर इस अधिनियम ने शिक्षा के क्षेत्र में नर्सरी विद्यालय तथा सतत विद्यालय को राष्ट्रीय शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान दिलाया।

18. मजदूर दल और शिक्षा - ब्रिटेन में सन् 1924 ई. में मजदूर दल की सरकार बनी। इसने अपने शैक्षिक विचारों को शिक्षा के क्षेत्र में लाने का प्रयास किया। इस सरकार ने माध्यमिक शिक्षा को सार्वजनिक (Universal) बनाने का प्रयास किया। यह दल राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सामान्य समुचित शिक्षा व्यवस्था करने के साथ-साथ बाल रुचियों के अनुरूप विविध पाठ्यक्रम बनाना चाहता था।

19. 1926 ई. का हैडो समिति का प्रतिवेदन (Hadow Committee Report, 1926)

ब्रिटेन में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से 1926 ई. में सर डब्ल्यू.एच. हेडो (W.H. Hadow) की अध्यक्षता में शिक्षा परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 1926 ई. में बालापराधियो की शिक्षा के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस समिति ने सुझाव दिया कि 11 वर्ष की आयु तक प्रत्येक बालक प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करें एवं तत्पश्चात् 11 से 15 वर्ष की आयु तक प्रत्येक बालक माध्यमिक शिक्षा अवश्य प्राप्त करें। इस समिति ने बालकों के लिए चार वर्ष का उद्योग प्रधान पाठ्यक्रम बनाया। इस समिति के सुझाव बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए और 1928 ई. से ही माध्यमिक शिक्षा को अधिकाधिक लोकप्रिय बनाने का प्रयास किए गए। 1928 में शिक्षा परिषद ने हेडो समिति की संस्तुतियों के पालन में आने वाली कठिनाइयों पर आधारित एक सुनना पत्र प्रकाशित किया। इस पत्र में हेडो समिति की संस्तुतियों के पालन में आने वाली कठिनाइयों के समाधान बताए गए। फिर भी उस समय देश की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी इस कारण उन सुझावों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सका।

20. 1938 ई. का शिक्षा अधिनियम

हेडो समिति के सुझावों को क्रियान्वित करने में कठिनाइयाँ आ रही थी इसका समाधान खोजना आवश्यक था। इसके लिए 1936 ई. में एक अधिनियम पारित किया गया। परन्तु अवांछित घटनाओं ने इस अधिनयम के प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी जिसके फलस्वरूप यह अधिनियम पारित नहीं हो सका।

21. 1938 का स्पेन्स प्रतिवेदन (Spens Report 1938)

ब्रिटेन में सन् 1938 में परार्शदात्री समिति के अध्यक्ष सर विल स्पेन्स (Sir Will Spens) थे। इस समिति ने माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में 11 वर्ष से उच्च आयु वर्ग के बालकों को शिक्षा देने वाले विद्यालय के संगठन तथा अन्तर्सम्बन्धों का विवेचन किया गया है। पूर्व में गठिन हेडो समिति के सुझावानुसार इस

समिति ने भी यही अनुशंसा की कि उत्तर प्राथमिक स्तर की शिक्षासमान माध्यमिक स्तर की होनी चाहिए चाहे वह किसी भी विद्यालय द्वारा क्यों नहीं दी गई हो। ऐसा होने पर जनता किसी एक विद्यालय के प्रति आकर्षित न होकर सुविधानुसार प्रत्येक विद्यालय में अपने बालकों को भेज सकेगी। सभी बालकों को अपनी रूचियों क्षमताओं के अनुसार शिक्षा मिल सकेगी।

स्पेन्स समिति ने बालक के बहुदिश (Multilateral) शिक्षा की बात कही परन्तु यह योजना केवल सैद्धान्तिक थी यह व्यावहारिकता की दृष्टि से कुछ जटिल प्रतीत होती थी। उच्चतर तकनीकी विद्यालय की स्थापना कर अल्प वयस्क बालकों को तीन वर्षीय तकनीकी पाठ्यक्रम दिया जाए। साथ ही पाठ्यक्रम में अनेक विषयों का समावेश करके बालकों की व्यक्तिगत रुचियों, आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुरूप ढाला जाए जिससे प्रत्येक बालक का विकास हो सके।

इस प्रकार स्पेन्स समिति ने बहुदिश विद्यालय की स्थापना की अनुशंसा की।

22. 1941 ई की नॉरवुड समिति (Norwood Committee, 1941)

ब्रिटेन में 1941 ई. सर साइरिल नॉरवुड (Sir Cyril Norwood) की अध्यक्षता में शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा एक विशेष समिति गठित की गई। सम्पूर्ण देश के बच्चों के लिए माध्यमिक शिक्षा की रूपरेखा देते हुए अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन की 1943 ई. में प्रकाशित कर दिया गया। इस समिति विद्यार्थियों को तीन भागों में विभाजित किया - प्रयोगात्मक एवं व्यावहारिक कार्यो में रूचि लेने वाले विद्यार्थी, कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में रूचि लेने वाले विद्यार्थी एवं ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी।

इस समिति ने सुझाव दिया कि इन तीनों श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिए पृथक-पृथक विद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए। विद्यार्थी का श्रेणीवार चिह्नीकरण का कार्य प्राथमिक शिक्षक का होना चाहिए।

नॉरवुड समिति की संस्तुतियों की आलोचना हुई और यह कहा गया कि इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था से राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक असमानताएँ उत्पन्न होगी। साथ ही बालकों का इस प्रकार का मात्र तीन क्षेत्रों में वर्गीकरण करना भी अपने आप में जटिल होगा।

23. 1942 ई. की फ्लेमिंग समिति (The Fleming Committee of 1942)

ब्रिटेन में सन् 1942 ई. में आर.ए. बटलर (R.A. Butler) अध्यक्ष, शिक्षा परिषद् ने लॉर्ड फ्लेमिंग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति के गठन के पीछे मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन और बेल्स की सामान्य शिक्षा का पब्लिक स्कूलों से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करना था। फलत: इस समिति ने पब्लिक स्कूलों का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि बालक को उसकी योग्यता के आधार पर पब्लिक स्कूलों में प्रवेश दिया जाए न कि माता-पिता की आर्थिक स्थिति के आधार एवं विद्यालय की 'ए' एवं 'बी' दो सूचियॉ बनाई जाए। 'ए' योजना के अन्तर्गत वे सब विद्यालय आने चाहिए जो सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं। एवं 'बी' योजना में साधारण वर्ग के सभी पब्लिक स्कूलों को रखा जाना चाहिए।

इस समिति द्वारा प्रस्तावित योजना की आलोचना की गई । इस प्रकार यह समिति राजकीय संस्थाओं (State Institute) तथा जनता विद्यालय के मध्य सम्पर्क और सामंजस्य

स्थापित करने में सफल नहीं हो सकी। फिर भी इस समिति ने इन दोनों प्रकार की संस्थाओं में पारस्परिक सम्पर्क स्थापित करने का आधार अवश्य बनाया।

24. 1944 ई. का शिक्षा अधिनियम

ब्रिटेन में शिक्षा सुधार के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सन् 1944 ई. में शिक्षा परिषद् के तत्कालीन अध्यक्ष आर.ए. बटलर (R.A. Butler) ने संसद में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह प्रस्ताव 1944 के शिक्षा अधिनियम के रूप में जिसे बटलर का शिक्षा अधिनियम भी कहा जाता है पारि हो गया। इस शिक्षा अधिनियम के पीछे मूल भावना ब्रिटेन की राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार करने की थी। ब्रिटेन में माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की स्थापना करना स्थानीय शिक्षा सत्ताओं (Local Education Agency) का दायित्व हो कि वे अपने-अपने क्षेत्र में विशिष्ट बालक-बालिकाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा व्यवस्था सम्बन्धी प्रयोग और निर्णय करें।

ब्रिटेन के शिक्षा इतिहास में यह अधिनियम विशेष महत्व रखता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित बिन्दु रखे गए :-

(1) प्रथम प्रचलित शिक्षा परिषद् को शिक्षा-मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया था एवं शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष का स्थान शिक्षा मंत्री को दे दिया गया जो कि शिक्षा मंत्रालय का सर्वोच्च अधिकारी होता है।

(2) शिक्षा मंत्री के निम्नलिखित कार्य निर्धारित कर दिए गए-

1. स्थानीय शिक्षा सत्ताओं की देखभाल करना।
2. देश के लिए शिक्षा नीति निर्धारित करना।
3. शिक्षा प्रगति का वर्णित ब्यौरा संसद के समक्ष प्रस्तुत करना।
4. संसद सचिव तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करना।
5. एक ब्रिटेन के लिए तथा दूसरी वेल्स के लिए केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषदें (Central Advisory Councils) नियुक्त करे ।

(3) शिक्षा का उद्देश्य बालकों का शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं आत्मिक विकास करना हो। इस दायित्व स्थानीय शिक्षा सत्ताओं का होगा। ये शिक्षा सत्ताएँ प्राथमिक माध्यमिक एवं अग्रिम शिक्षा की व्यवस्था करेगी। प्राथमिक शिक्षा के व्यवस्थापकों को प्रबन्धक (Manager), एवं माध्यमिक विद्यालय के प्रबन्धक में गवर्नर (Governor) कहा जाएगा।

(4) शिक्षा व्यवस्था बच्चों की आवश्यकता, योग्यता, रूचि एवं क्षमता के अनुसार की जाएगी। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा अलग-अलग भवनामें में दी जाएगी।

(5) विद्यालयी छात्रों के लिए छात्रावास व्यवस्था की जाए।

(6) स्थानीय शिक्षा सत्ताएँ अपनी शैक्षिक योजनाएँ निर्धारित समयावधि में शिक्षा मंत्री के पास भेजें।

(7) विद्यालयों के तीन वर्ग होंगे -

1. नियन्त्रित (Controlled) विद्यालय - इन पर स्थानीय शिक्षा सत्ताओं का नियंत्रण रहेगा परन्तु धार्मिक शिक्षा एवं शिक्षकों की नियुक्ति के सन्दर्भ में स्वतंत्र रहेंगे।
2. सहायता (Aided विद्यालय - इन विद्यालय की स्थानीय सत्ताओं से आधी सहायता प्राप्त होगी और इनके प्रबन्धक तथा गवर्नर शिक्षकों की नियुक्ति एवं धार्मिक शिक्षा देने में स्वतंत्र होंगे।
3. विशेष अनुबंध विद्यालय (Special Agreement Schools) - ये विद्यालय विद्यालय भवनों के जीर्णोद्धार के लिए आशिक अनुदान प्राप्त करेंगे।

(8) विद्यालय भवन की स्थित तथा आकार के लिए नियम शिक्षा मंत्री बनाएगा।

(9) जो व्यक्ति अनिवार्य विद्यालय आयु पार कर चुके हैं उनके लिए अंशकालीन एव पूर्ण कालीन अग्रिम शिक्षा व्यवस्था स्थानीय शिक्षा सत्ताएँ करेंगी।

(10) विद्यार्थियों का समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण होगा।

(11) दूरस्थ स्थानों से आने वाले विद्यार्थियों को यातायात सुविधाएँ दी जाएगी एव शिक्षा व्यवस्था अभिभावकों की इच्छानुसार की जाएगी।

(12) शिक्षा मंत्री स्वैच्छिक विद्यालय के निरीक्षण के लिए एक रजिस्ट्रार नियुक्त करेगा।

(13) विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियाँ तथा अन्य सहायताएँ उपलब्ध करवाई जाएगी।

(14) शिक्षा में शोधकार्य की व्यवस्था होगी। सम्बन्धित शोधकार्य संस्थाएं स्थानीय शिक्षा सत्ताओं से आर्थिक सहायता प्राप्त करेंगी।

(15) बर्नहम समिति (Burnhnam Committee) के सुझावानुसार अध्यापकों को वेतन एवं अन्य सुविधाएं मिलेगी।

(16) सामूहिक प्रार्थना (Mass Prayer) तथा धार्मिक शिक्षा प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य होगी।

(17) स्थानीय शिक्षा सत्ताएँ प्रतिवर्ष शैक्षिक बजट शिक्षामंत्री के पास भेजेगी।

(18) अग्रिम शिक्षा से सम्बन्धित संस्थाएँ और विद्यालय समुचित सहायता प्राप्त करेंगे।

यद्यपि इस अधिनियम की बहुत आलोचना हुई परन्तु फिर भी इस अधिनियम द्वारा ब्रिटेन की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन और सुधार हुए।

25. 1948 ई. का शिक्षा अधिनियम

ब्रिटेन की सरकार ने 1946 में पुन: एक शिक्षा अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम को पारित करने का मुख्य उद्देश्य 1944 ई. के शिक्षा अधिनियम की कुछ धाराओं को स्पष्ट करना था। इस उद्देश्य के लिए ब्रिटेन सरकार ने 22 मई 1946 को यह अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित थे :-

(1) स्थानीय शिक्षा सत्ताएँ (L.E.A.) स्वैच्छिक विद्यालय को अस्थायी स्थान सुविधा (Temporary Accommondation) दे सकती है।

(2) नियंत्रित विद्यालय के भवनों के निर्माण तथा जीर्णोद्धार के लिए स्थानीय शिक्षा सत्ताएँ (L.E.A.) उत्तरदायी होंगी।

(3) व्यवस्थित आवासीय विद्यालय (Maintained Boarding School) एव नर्सरी विद्यालय के बच्चों को निःशुल्क वस्त्र सहायता दी जाएगी।

(4) यदि स्वैच्छिक संस्थाएँ अपने विद्यालय-भवनों को किराये पर चलाएँ तो उनका किराया स्थानीय शिक्षा सत्ताओं (L.E.A.) को मिलेगा।

(5) सामूहिक प्रार्थनाएँ विद्यालय प्रांगण (School Campus) में ही होगी।

26. 1948 ई. का शिक्षा अधिनियम

ब्रिटेन में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा की आयु संशोधित करने के लिए यह शिक्षा अधिनियम बनाया गया। यह शिक्षा अधिनियम 30 जून, 1948 ई. को पारित हुआ था। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटेन में प्राथमिक शिक्षा की अधिकतम आयु सीमा 10.5 वर्ष होगी तथा माध्यमिक शिक्षा 10.5 वर्ष की आयु से प्रारम्भ होगी। जो छात्र-छात्राएँ अत्यधिक कुशाग्र (specially bright) होंगे। वे 10.5 वर्ष से कम आयु पाने पर भी माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश ले सकेंगे।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. 18वीं सदी के पश्चात ब्रिटेन की शिक्षा में कौन-कौन से परिवर्तन हुए?
2. 1944 ई. के शिक्षा अधिनियम के विषय में आप क्या जानते है?
3. ब्रिटेन में शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई?

7.4 वर्तमान में शिक्षा प्रणाली (Present Education System)

ब्रिटेन की साक्षरता 99 प्रतिशत है जो कि विश्व में उसे 14वीं स्थान दिलाती है। ब्रिटेन का नागरिक यूरोपियन यूनियन के दूसरे राष्ट्रों से विदेशी भाषाओं की जानकारी में पिछड़ा हुआ है, जो कि चिन्ता का विषय है। इस कारण भाषा ज्ञान को अधिक महत्त्व दिया जा रहा है। एज्यूकेशन व स्किल्स का राज्य अध्यक्ष ब्रिटेन की शिक्षा के लिए उत्तरदायी है। प्रतिदिन की शासन व्यवस्था स्थानीय शिक्षा सत्ता का कार्य है।

7.4.1 शिक्षा प्रणाली की संरचना (Structure of Education)

5 से 16 वर्ष तक की शिक्षा अनिवार्य है। अधिकांश बच्चे सरकारी विद्यालय में अध्ययन करते हैं, जो कि निःशुल्क है। 7 प्रतिशत बच्चे स्वतंत्र विद्यालय में अध्ययनरत है। ब्रिटेन में विश्वविख्यात ऑक्सफोर्ड, केम्ब्रिज व लंदन विश्वविद्यालय हैं। स्कॉटलैण्ड में एज्यूकेशन व लाइफलॉन्वा लर्निंग का केबिनेट अध्यक्ष, शिक्षा के लिए स्कॉटिश संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। प्रतिदिन की व्यवस्था स्थानीय शिक्षा सत्ता का कार्य है। 4 प्रतिशत बच्चे स्वतंत्र विद्यालय में अध्ययनरत हैं। स्कॉटिश विश्वविद्यालय निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं।

वेल्स में नेशनल एसेम्बली शिक्षा के लिए उत्तरदायी है। आमतौर पर यहाँ वेल्स भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती है व इस भाषा का शिक्षण 16 वर्ष तक की आयु तक अनिवार्य है। उत्तरी आयरलैण्ड एसेम्बली, उत्तरी आयरलैण्ड में शिक्षा के लिए जिम्मेदार है। यहाँ का स्थानीय प्रशासन 5 शिक्षा बोर्ड व पुस्तकालय बोर्ड के द्वारा संभाला जाता है। वर्तमान शिक्षा 1944 के

शिक्षा- अधिनियम व समय-समय उसमें किए गए बदलाव एवं सुधार का नतीजा है। ब्रिटेन में 1988,1999,2002,2006 में अनेक परिवर्तन हुए। 2006, मे नेशनल करीकुलम (राष्ट्रीय पाठ्यक्रम) के अनुसार बिटेन की शिक्षा प्रणाली की संरचना निम्नानुसार है :-

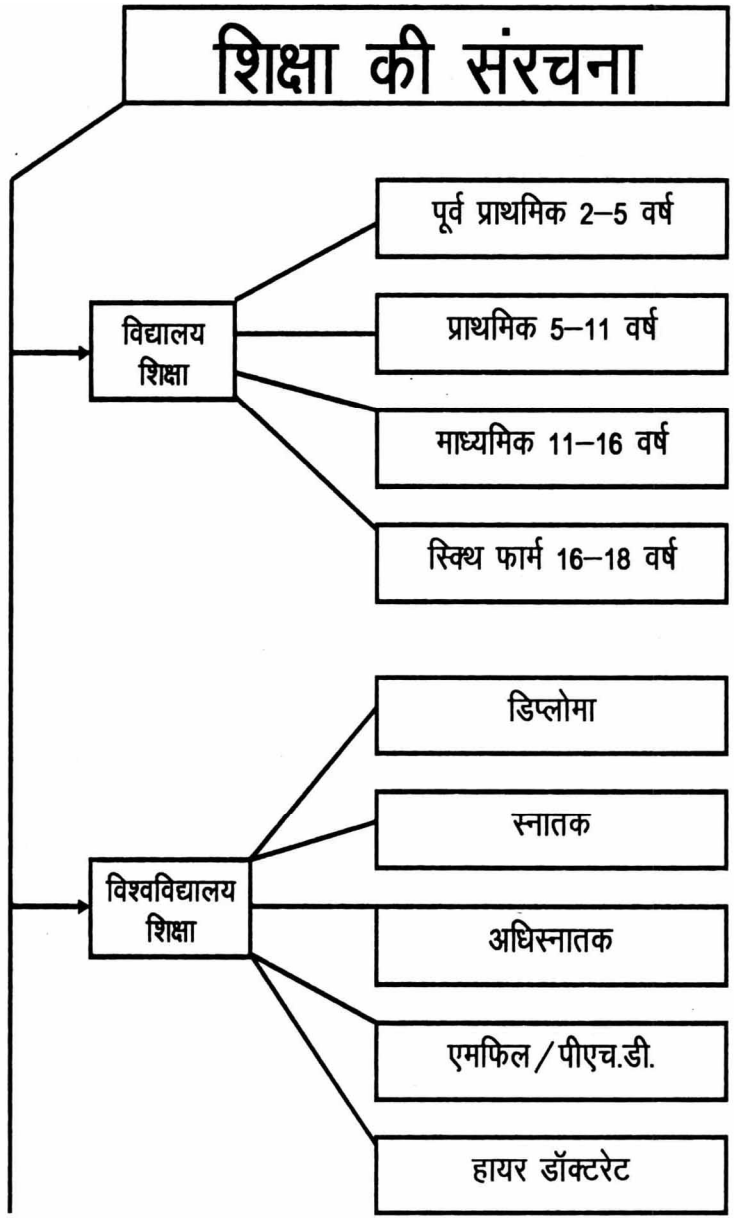

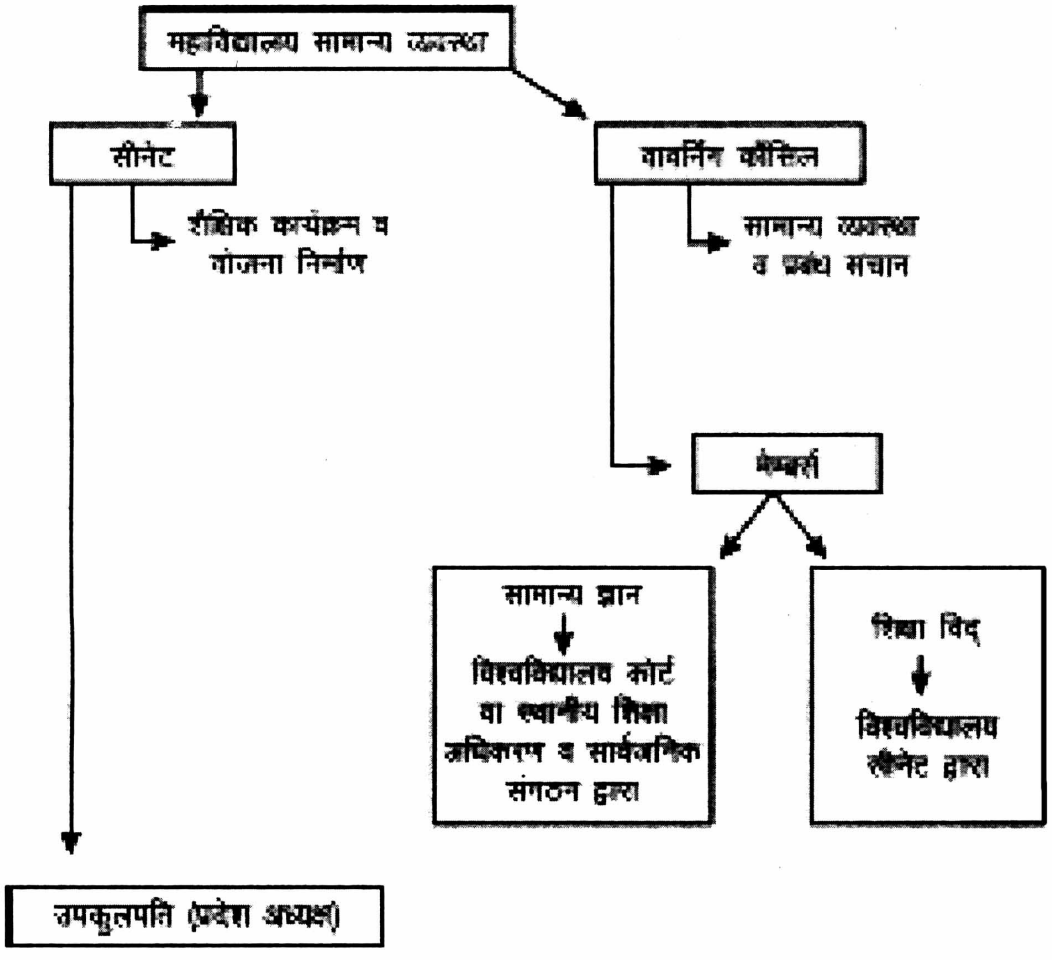
महाविद्यालय सामान्य व्यवस्था
सीनेट
शैक्षिक कार्यक्रम व योजना निर्माण
गवर्निंग कौंसिल
सामान्य व्यवस्था व प्रबंध संचान
मेम्बर्स
सामान्य ज्ञान
विश्वविद्यालय कोर्ट या स्थानीय शिक्षा अधिकारण व सार्वजनिक संगठन द्वारा
शिक्षा विद्
विश्वविद्यालय सीनेट द्वारा
उपकुलपति (प्रदेश अध्यक्ष)

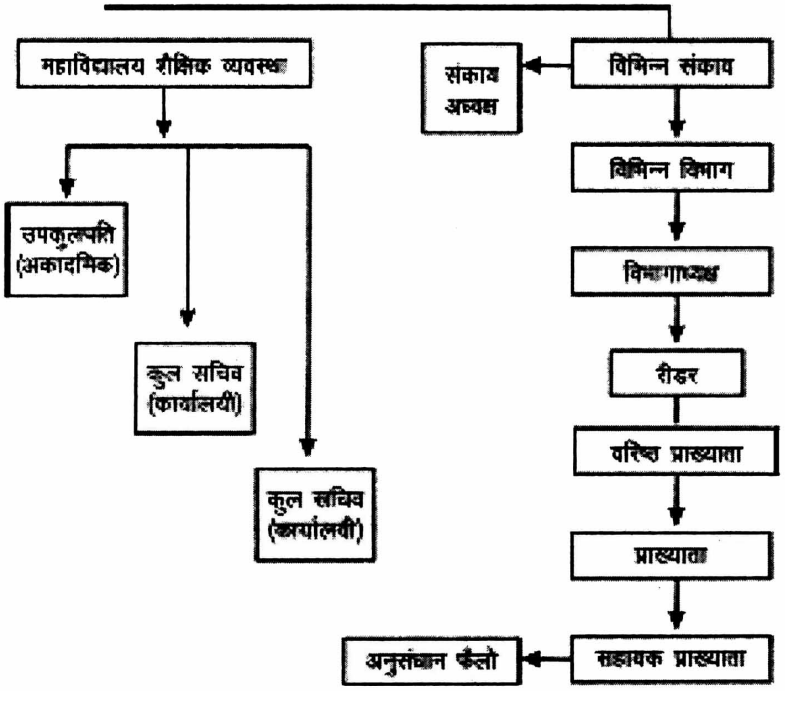
महाविद्यालय शैक्षिक व्यवस्था
उपकुलपति (अकादमिक)
कुल सचिव (कार्यालयी)
कुल सचिव (कार्यालयी)
संकाय अध्यक्ष
विभिन्न संकाय
विभिन्न विभाग
विभागाध्यक्ष
रीडर
वरिष्ठ प्राध्यापक
प्राध्यापक
सहायक प्राध्यापक
अनुसंधान फैलो

7.4.2 अनुदेशन माध्यम (Medium of Instruction)

अंग्रेजी, वेल्स व स्कॉट्सि भाषा अनुदेशन के प्रमुख माध्यम हैं।

धार्मिक शिक्षा: सभी काउण्टी एवं स्वयंसेवी विद्यालय में कानूनी रूप से दैनन्दिन कार्य एवं ईश प्रार्थना होती है, जिसमें पूरा विद्यालय सम्मिलित होता है। इन विद्यालय में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती है, जिसके लिए पाठ्यक्रम निर्धारित रहता है। परन्तु यदि अभिभावक चाहें तो उनके बालकों को इससे छूट मिल सकती है। सहायता प्राप्त एवं विशेष सहमति के विद्यालय में मत विशेष की धार्मिक शिक्षा दी जाती है। यह शिक्षा सप्ताह में दो कालांशों से अधिक नहीं दी जा सकती और केवल उन्हीं छात्रों को दी जाती है जिनके अभिभावक ऐसी इच्छा व्यक्त करें।

7.4.3 विशेषताएँ (Special Features)

शिक्षा प्रणाली सहभागिता पर आधारित है। सभी को पढने के लिए प्रेरित किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यावसायकि दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। विद्यालय शिक्षा अनुदानित व अनिवार्य है। उच्च शिक्षा लचीली व विस्तृत विषयों के लिए उपलब्ध है। शैक्षिक व सामान्य प्रशासन नीचे से ऊपर की ओर कार्य करता है।

7.5 मनोवैज्ञानिक चिकित्सा केन्द्र (Psychological Clinic)

स्थानीय शिक्षा अधिकरणों द्वारा मनोवैज्ञानिक केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इनमें मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति की जाती है। ये चिकित्सा केन्द्र समस्यात्मक बालकों के लिए स्थापित किए जाते हैं। ये क्षेत्र के प्रमुख शिक्षा अधिकारी के सहयोग से मनोवैज्ञानिक समस्यात्मक बालकों के लिए व्यवहारात्मक उपचार नियत करते हैं और उन बालकों के अभिभावकों एवं शिक्षकों को उनके सम्बन्ध में सुझाव देते हैं।

युवक रोजगार सेवा: (Youth Employment Service) ब्रिटेन में द्वितीय विश्व युद्ध द्वारा उत्पन्न बेरोजगारी से प्रेरित होकर विद्यालय में पढ़ने वाले युवक-युवतियों के लिए शिक्षा मंत्रालय तथा श्रम मंत्रालय के सहयोग से रोजगार देने की व्यवस्था की गई थी, जो आज तक संचालित है। क्षेत्र विशेष में इन मंत्रालयों द्वारा एक युवक रोजगार अधिकारी (Youth Employment Service) की नियुक्ति की जाती है। जिसका उत्तरदायित्व है कि वह अपने क्षेत्र में संचालित विद्यालय में पढ़ने वाले इच्छुक युवक व युवतियों को इनकी रुचियों, क्षमताओं एव आवश्यकताओं के अनुरूप रोजगार दिलाने में सहायता करें।

शिक्षा कल्याण सेवा: (Education Welfare Service)- समाज और विद्यालय के मध्य सम्पर्क एवं सहयोग स्थापित करने के लिए इस सेवा की आवश्यकता अनुभव की गई। इस सम्पर्क का ध्येय यह होता है। कि कहीं अनिवार्य उपस्थिति अधिनियम (Compulsory School Attendence Law) अवहेलना तो नहीं हो रही है। इससे समाज के गृह उद्योग तथा व्यापारिक संस्थान अनिवार्य उपस्थिति के प्रति सचेत रहने लगते हैं। इस व्यवस्था से विशेष लाभ यह होता है कि अधिकाधिक बालक शैक्षिक अवसरों का लाभ उठा पाते हैं और बाल

अपराधी अपने व्यवहार में सुधार करने लगते हैं। प्राय: अभिभावक भी अपने बालकों के अपराधों पर ध्यान देकर उनके सुधार के लिए प्रयत्नशील रहते हैं।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. ब्रिटेन की साक्षरता प्रतिशत क्या है?
2. ब्रिटेन में मनोवैज्ञानिक चिकित्सा केन्द्र क्यों स्थापित किए गए?
3. ब्रिटेन की शिक्षा संरचना के विषय में आप क्या जानते हैं?

7.6 सारांश (Summary)

ब्रिटेन एक विकसित एवं प्रभुत्व सम्पन्न राष्ट्र है। इसका अतीत गौरवशाली एवं वर्तमान सम्पन्न है। यह एक प्रधान द्वीप है जो कि यूरोप के उत्तर-पश्चिम तट की ओर स्थित है। ब्रिटेन सदियों से अपनी परम्पराओं के अन्तर्गत सामन्तवादी व्यवस्था वाला देश रहा है। यह शक्तिशाली एवं उन्नत देश है साथ ही यह एक औद्योगिक देश है। यहाँ पर प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं का जाल सा फैला हुआ है। ब्रिटेन की शिक्षा व्यवस्थाओं में वहाँ की जनता ने स्वाभाविक गुण प्रमुख आधार रहे है। प्रारम्भिक समय में ब्रिटेन की शिक्षा व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं थी परन्तु 18वीं शताब्दी के बाद से वही की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होने लगे। वहाँ पर अनेक आयोग गठित हुए, शिक्षा अधिनियम पारित हुए। ब्रिटेन की साक्षरता प्रतिशत 99 प्रतिशत है एवं वहाँ की शिक्षा प्रणाली सहभागिता पर आधारित है।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. ब्रिटेन के भूगोल एवं इतिहास के बारे में आप क्या जानते है? बताइए।
2. 18वी शताब्दी में ब्रिटेन की शिक्षा-विकास की यात्रा का वर्णन विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।
3. ब्रिटेन के विभिन्न शिक्षा अधिनियमों के विषय में आप क्या जानते है? स्पष्ट कीजिए।
4. ब्रिटेन की वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर एक निबन्ध लिखिए।
5. ब्रिटेन में स्थापित मनोवैज्ञानिक चिकित्सा केन्द्रों पर टिप्पणी लिखिए।

7.7 सन्दर्भ सूची (References)

1. जायवाल सीताराम (1970). **तुलनात्मक शिक्षा.** लखनऊ, सूचना विभाग।
2. कौशिक, श्याम लाल (1973). **तुलनात्मक शिक्षा.** जयपुर : हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
3. चौबे, सरयू प्रसाद (2005). **तुलनात्मक शिक्षा.** आगरा: विनोद पुस्तक मन्दिर।
4. शर्मा, बी.एस. (1989). **तुलनात्मक शिक्षा.** जयपुर: राजस्थान प्रकाशन।
5. हंस, निकोलस (1974). **तुलनात्मक शिक्षा.** मध्यप्रदेश: हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
6. मलैया. के.सी. (1996). **तुलनात्मक शिक्षा.** इलाहाबाद लोक भारती प्रकाशन।
7. किंग, एडमण्ड एण्ड वर्मा, आई.बी (1973). **विद्यालय शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन.** जयपुर: राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।

8. Chaube, S.P. (1965). **Comparative Education.** Agra: Ram Prasad and Sons.
9. पाण्डेय, रामशकल (1970). **देश-विदेश में शिक्षा,** आगरा. लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रेस।
10. Oad, L.K. (1968) **Current Issues in Education.** Delhi: Young Man and Company
11. Bready, George Z.F.(1967). **Comparative Methods in Education.** Oxford: IBH Publishing Co.
12. Sinha, L.S. (1978). **Secondary School Practices in England Wales and India: A Comparative Study.** Allahabad: Chugh Publication.
13. Holmes, Brain (1981). **Comparative Education: Some Considertations of Method.** London George Allen And Unwin.
14. Chinnappa, S.Paul. (1988). **The British System of Education in India.** Delhi: Swati Publication.
15. चौबे, सरयू प्रसाद (1962). **विदेशों में शिक्षा.** इलाहाबाद : रामनारायण प्रकाशन।
16. श्रीवास्तव. आर.एस. (1963) **तुलनात्मक शिक्षा.** आगरा: इण्डियन बुक हाउस।
17. Meyer, A.E. (1949). **The Development of Education in the Twentieth Century.** New York: Prentice Hall Inc.
18. Ulich, Rober (1961). **The Education of Nations.** Cambridge: Harvard University Press.
19. Smith, H.I. (1941). **Comparative Education.** Bloomington: Educational Publications.

इकाई-8

ब्रिटेन में विद्यालयी शिक्षा
(School Education in Britain)

8.0 इकाई के उद्देश्य(Objectives of the Unit)

8.1 विषय प्रवेश (Introduction)

8.2 विद्यालय शिक्षा की संरचना (Structure of School Education)

8.3 विद्यालय के प्रकार (Types of Schools)

8.4 पूर्व प्राथमिक शिक्षा (Pre-Primary Education)

8.5 पाठ्यक्रम (Curriculum)

8.6 शिक्षण विधियाँ (Methods of Teaching)

8.7 तकनीकी एवं सूचना सम्प्रेषण तकनीकी (Technology and ICT)

8.8 प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम (Certificate Courses)

8.9 दूरस्थ शिक्षा (Distance Education)

8.10 अनुसंधान (Research)

8.11 शिक्षक प्रशिक्षण (Teacher Education)

8.12 अध्यापकों का वर्गीकरण (Classification of Teachers)

8.13 प्रशासन (Administration)

8.14 विशेषताएँ (Special Features)

8.15 समस्याएँ (Problems)

8.16 परिवर्तन (New Trends)

8.17 सारांश (Summary)

8.18 सन्दर्भ सूची (References)

8.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of the Unit)

इस इकाई को पढ़कर आप -

1. ब्रिटेन की विद्यालय शिक्षा प्रणाली की संरचना को जान सकेंगे।
2. ब्रिटेन के विद्यालय के प्रकार जान सकेंगे।
3. ब्रिटेन ब्रिटेन में विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों को जान सकेंगे।
4. ब्रिटेन में मूल्यांकन, दूरस्थ शिक्षा, अनुसंधान, शिक्षक प्रशिक्षण के बारे में जान सकेंगे।
5. ब्रिटेन के शिक्षा प्रशासन एवं प्रबन्धन के बारे में जान सकेंगे।

8.1 विषय प्रवेश(Introduction)

ब्रिटेन सम्पूर्ण विश्व का एक विकसित देश है। यह औद्योगिक (Industrial) देश है। ब्रिटेन भारत के समान ग्रामीण देश नहीं है। ब्रिटेन की सभ्यता नगरों की सभ्यता है। अत: वही की शिक्षा संरचना वही की आवश्यकताओं के अनुसार संचालित होती है। ब्रिटेन में शिक्षा की विकास यात्रा शिक्षा अधिनियमों एवं आयोगों पर आधारित रही है। वर्तमान में ब्रिटेन की शिक्षा प्रणाली 1944 के शिक्षा अधिनियम पर आधारित है। इसके चार स्तर हैं पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक एवं विश्वविद्यालयी शिक्षा। इनमें से प्रथम तीन विद्यालय शिक्षा से सम्बन्धित है और एक विश्वविद्यालयी एवं महाविद्यालय शिक्षा से सम्बन्धित है। इस इकाई में हम विद्यालय शिक्षा से सम्बन्धित तीन स्तरों का अध्ययन करेंगे। ब्रिटेन में शिक्षा का बहुत महत्व है इसके उच्चतम विकास एवं हर बच्चे कों शिक्षा उपलब्ध हो इसके लिए ब्रिटेन का शिक्षा मंत्रालय सदैव तत्पर रहता है। यही की शिक्षा व्यवस्था का दायित्व स्थानीय शिक्षा सत्ताओं (L.E.A.) का है। इन स्थानीय शिक्षा सत्ताओं को अपने-अपने क्षेत्र में शिक्षा के पर्याप्त विकास पर ध्यान देना होता है। स्थानीय शिक्षा सत्ताएँ प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में छात्रों की योग्यता एवं रुचि के अनुरूप एवं अन्य व्यवस्थाऐं उपलब्ध करवाती है।

8.2 विद्यालय शिक्षा की संरचना (Structure of School Education)

ब्रिटेन में 5 वर्ष से 16 वर्ष तक की शिक्षा अनिवार्य व राज्य अनुदानित है। इसके प्रमुखत: चार चरण हैं- पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व सिक्स्थ फार्म। इसका उद्देश्य चरित्र विकास, शारीरिक विकास मानसिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समयावधि 3 वर्ष है। बालक दो वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश लेता है एवं पाँच वर्ष की आयु पूर्ण करने पर उसकी पूर्व प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करता है। प्राथमिकता शिक्षा की अवधि 6 वर्ष है। जूनियर विद्यालय व इन्फ़ैट विद्यालय प्राथमिक शिक्षा प्रदान करते हैं। 5 से 11 वर्ष तक की आयु में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की जाती है। माध्यमिक शिक्षा की अवधि 5 वर्ष है। विभिन्न प्रकार के विद्यालय माध्यमिक शिक्षा प्रदान कर छात्रों को जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सैकण्डरी एज्यूकेशन के लिए तैयार करते हैं।

सोलह वर्ष की आयु के पश्चात् छात्र दो वर्ष के लिए सिक्स्थ फार्म विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर जी.सी.ई.ए. या जी.सी.ई.ए.एस. (जनरल सर्टिफिकेट ऑफ एज्यूकेशन एडवान्स्ड सप्लीमेण्टरी) या जी.एन.वी.क्यू. (जनरल नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन) का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं।

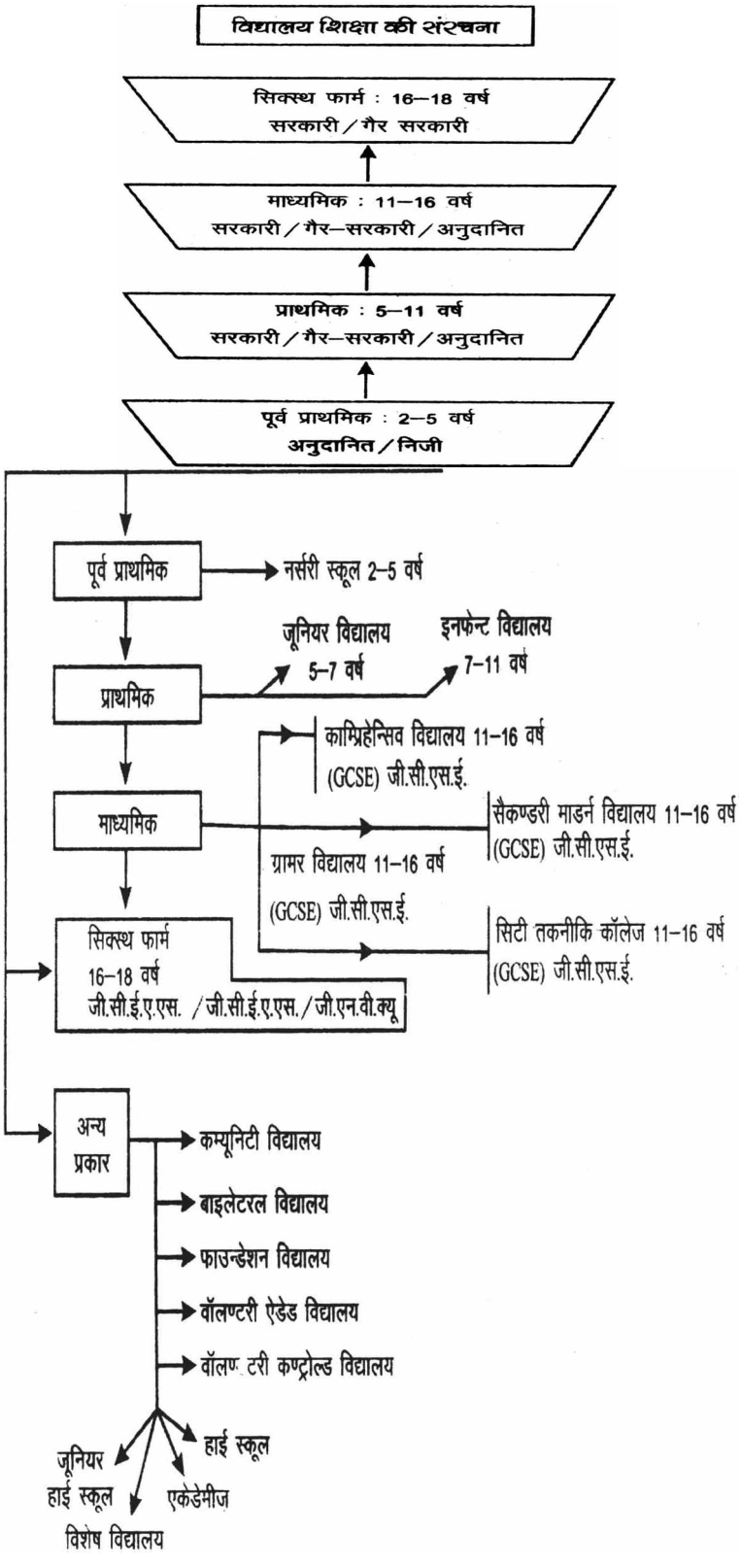
विद्यालय शिक्षा की संरचना
सिक्स्थ फार्म : 16–18 वर्ष
सरकारी / गैर सरकारी
माध्यमिक : 11–16 वर्ष
सरकारी / गैर–सरकारी / अनुदानित
प्राथमिक : 5–11 वर्ष
सरकारी / गैर–सरकारी / अनुदानित
पूर्व प्राथमिक : 2–5 वर्ष
अनुदानित / निजी
पूर्व प्राथमिक
नर्सरी स्कूल 2–5 वर्ष
प्राथमिक
जूनियर विद्यालय 5–7 वर्ष
इनफेन्ट विद्यालय 7–11 वर्ष
माध्यमिक
काम्प्रिहेन्सिव विद्यालय 11–16 वर्ष (GCSE) जी.सी.एस.ई.
सैकण्डरी माडर्न विद्यालय 11–16 वर्ष (GCSE) जी.सी.एस.ई.
ग्रामर विद्यालय 11–16 वर्ष (GCSE) जी.सी.एस.ई.
सिटी तकनीकि कॉलेज 11–16 वर्ष (GCSE) जी.सी.एस.ई.
सिक्स्थ फार्म 16–18 वर्ष जी.सी.ई.ए.एस. / जी.सी.ई.ए.एस. / जी.एन.वी.क्यू
अन्य प्रकार
कम्यूनिटी विद्यालय
बाइलेटरल विद्यालय
फाउन्डेशन विद्यालय
वॉलण्टरी ऐडेड विद्यालय
वॉलण्टरी कण्ट्रोल्ड विद्यालय
जूनियर हाई स्कूल
हाई स्कूल
एकेडेमीज
विशेष विद्यालय

8.3 पूर्व प्राथमिक शिक्षा (Pre-Primary Education)

पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए ब्रिटेन में नर्सरी विद्यालय की व्यवस्था है। इसमें दो वर्ष की आयु के बालक प्रविष्ट होते हैं और चार या पाँच वर्ष की आयु तक रहते हैं।

किसी भी प्रकार की औपचारिक शिक्षा इन विद्यालय में नहीं दी जाती। बालकों को स्वच्छंद रूप से खेलने-कूदने चित्रकारी करने व घरोंदे बनाने के अवसर यही प्रदान किए जाते है। उनके विभिन्न प्रकार के खिलौने एवं अन्य सामान काफी मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। ये अध्यापिकाओं से कहानियाँ सुनते हैं, संगीत एवं नृत्य सिखते हैं। दुकान एवं घर-गृहस्थी के खेलों द्वारा उन्हें सिक्कों, बॉटों एवं मापों का ज्ञान कराया जाता है। इन विद्यालय में बालकों में स्वस्थ आदतों एवं अभिवृत्तियों के निर्माण, सामाजिक व्यवहार तथा शारीरिक स्वास्थ्य के विकास पर ही ध्यान केन्द्रित रखा जाता है। इस प्रकार ये उन्हें औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करते हैं। जनसेवी संस्थाएँ ही उन्हें चलाती हैं जिन्हें सरकार की ओर से सहायता मिलती है।

8.4 विद्यालय के प्रकार (Type of School)

8.4.1 शिशु विद्यालय (Infant School)

इन विद्यालय में पाँच वर्ष की आयु का बालक प्रवेश प्राप्त करता है और सात वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पढ़ना, लिखना और अंकगणित सीखता है। इस प्रकार यही साविधिक शिक्षा प्रदान की जाती है। इन विद्यालय में मॉण्टेसरी एवं किण्डरगार्टन प्रणाली के आधार पर शिक्षण प्रदान किया जाता है। यही पर बालकों को विविध खेलों में भाग लेने का अवसर भी दिया जाता है। सभी शिशु विद्यालय में लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ते है। शिक्षकों के रूप में केवल महिलाएँ होती है। सात वर्ष की आयु पूर्ण करने पर बालकों को यही से जूनियर विद्यालय में अध्ययन हेतु भेज दिया जाता है। कुछ शिशु विद्यालय को जूनियर विद्यालय के साथ सम्बद्ध कर लिया जाता है। इन शिशु विद्यालय में सह शिक्षा व्यवस्था (Co-Education) है। यहाँ पर गायन एवं मातृभाषा के माध्यम से विद्यार्थियों में आत्म-अभिव्यक्ति (Self-expression) का विकास करने का प्रयास किया जाता है।

8.4.2 निम्नतर विद्यालय (Lower School)

इन विद्यालय में 7 वर्ष की आयु के बालक-बालिकाएँ प्रविष्ट होते है और 11 वर्ष की आयु तक यही पर अध्ययन करते है। इनमें सह-शिक्षा (Co-education) संचालित होती है। इन विद्यालय में प्रकृति अध्ययन, मातृभाषा, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, बागवानी तथा स्वास्थ्य शिक्षा के विषय पढ़ाए जाते हैं। परन्तु स्थान विशेष की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जा सकता है। छात्र-छात्रा साथ-साथ 4 अथवा 5 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करते हैं और स्वतंत्रतापूर्वक भ्रमण करते है। आत्माभिव्यक्ति (Self-expression) की दृष्टि से अभिनय (Dramatization) तथा कहानी-कथन (Story Telling) को महत्व दिया जाता है। बालकों को कातना, टोकरी बनाना, मिट्टी का कार्य करना और शिल्प सीखने के अवसर

दिए जाते हैं। विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 40 छात्र-छात्राएं होती हैं। शिक्षक वर्ग में पुरुष एवं महिला दोनों अध्यापक होते हैं।

8.4.3 ग्रामर स्कूल (Grammar School)

ये माध्यमिक शिक्षा के लिए चलने वाले प्राचीन विद्यालय हैं। इनका प्रारम्भ सत्रहवीं शताब्दी में हुआ। इनमें दी जाने वाली शिक्षा प्रमुख रूप से बौद्धिक होती है। इनके पाठ्य-विषयों में अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य प्राचीन तथा आधुनिक यूरोपीय भाषाएँ, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, ललित कलाएँ तथा कुछ उद्योग सम्मिलित हैं। छात्रों को धातुकर्म (Metal Work) का अभ्यास दिया जाता है। खेलकूद की भी समुचित व्यवस्था रहती है। धार्मिक शिक्षा अनिवार्य है। पाठ्य सहगामी प्रवृतियों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं अनेक क्लब व समितियाँ होती है। इन विद्यालय का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना होता है। सभी ग्रामर स्कूल अपने छात्रों को जी.सी.ई (जनरल सर्टिफिकेट ऑफ एज्युकेशन) परीक्षाओं के लिए तैयार करते है और इनके अधिकांश छात्र इन परीक्षाओं में समिलित भी होते है।

ग्रामर विद्यालय में विधि स्वैच्छिक गोष्ठियाँ, साहित्यिक, वाद-विवाद सम्बन्धी, वैज्ञानिक, संगीत सम्बन्धी एवं अभिनवन समाज व्यवस्थाएं पाई जाती है। पर्वतारोहण, शतरंज, जर्मन अथवा फेंच वृत गोष्ठियों इत्यादि भी इन विद्यालय में संचालित है। विद्यालय समय के बाद के समय में इन कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है।

सामान्य शिक्षा प्रमाण पत्र (General Certificate of Education) उन्हीं छात्रों को दिया जाता है जो इसके इच्छुक होते हैं। इस हेतु छात्र-छात्राओं को परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र-छात्राओं की आयु 15 अथवा 16 वर्ष होनी चाहिए। इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के बाद छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं देनी पड़ती है। उन्हें विश्वविद्यालय में सीधे प्रवेश मिल जाता है।

8.4.4 माध्यमिक तकनीकी विद्यालय (Secondary Teaching Schools)

इन विद्यालय का संबंध किसी उद्योग अथवा व्यवसाय विशेष या उद्योगों अथवा व्यवसायों के समूह से हैं। इन विद्यालय की स्थापना तकनीकी विषयों में रुचि रखने वाले बालकों के लिए की गई। ग्रामर स्कूल के समान ही माध्यमिक तकनीकी विद्यालय भी अपने छात्रों को जी.सी.ई के लिए तैयार करते हैं तथा कुछ को विश्वविद्यालयों में भी भेजते हैं। इसके अतिरिक्त ये इन्हें विभिन्न तकनीकी परीक्षाओं के लिए भी तैयार करते हैं।

इन प्राविधिक माध्यमिक विद्यालय की संख्या ग्रामर विद्यालय की तुलना में बहुत कम है। 1945 से 1959 ई. तक इन विद्यालय की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई परन्तु इन विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या दुगुनी हो गई। ब्रिटेन के लोगों की यह धारणा बन गई कि ग्रामर विद्यालय तकनीकी विद्यालय की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए ग्रामर विद्यालय की तुलना में तकनीकी विद्यालय की संख्या अधिक नहीं बढ़ पाई। यद्यपि शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह घोषणा की गई कि समान बुद्धिलब्धि और स्तर वाले बालक ग्रामर अथवा तकनीकी किसी भी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु अभिभावक अपने

बालकों को ग्रामर विद्यालय में भेजते पाए गए। अथक प्रयास करने पर भी जिन बालकों को ग्रामर विद्यालय में प्रवेश नहीं प्राप्त हुआ उन बालकों ने प्राविधिक विद्यालय में प्रवेश लेना चाहा। प्रवेश की कमी पाए जाने के फलस्वरूप इन विद्यालय के निजी भवन नहीं बन सके और सदैव शिक्षकों का अभाव बना रहा।

इनमें से अधिकांश विद्यालय ने माध्यमिक शिक्षा विकास में कोई प्रशंसनीय योग नहीं दिया। फिर भी ये प्राविधिक विद्यालय छात्र' -छात्राओं को सामान्य शिक्षा प्रमाण पत्र के लिए तैयार करके विश्वविद्यालयों के लिए तैयार करते हैं। जो विद्यार्थी प्राविधिक महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं अधिकांशत: इन्हीं माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय से आते हैं।

8.4.5 आधुनिक माध्यमिक विद्यालय (Modern Secondary Schools)

ये विद्यालय शिक्षा को परम्परागत स्थिति से निकाल कर उसे आधुनिक रूप देने के उद्देश्य से प्रारम्भ किए गए और सन् 1945 में ग्रेट ब्रिटेन के सभी सीनियर एलीमेण्टरी स्कूलों को सैकण्डरी मॉडर्न स्कूलों में परिवर्तित कर दिया गया। इन विद्यालय में विशेष प्रकार के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई, जो पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से व्यावसायिक थे। इन विद्यालय के पाठ्यक्रम में कला तथा उद्योग, गृहकला, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मशीनी उद्योग, गृह-सज्जा, ग्रामीण-विज्ञान, कृषि तथा बागवानी, संगीत, सामान्य विज्ञान, विद्युत विज्ञान, व्यापारिक विषय तथा नर्सिंग आदि के अतिरिक्त जी.सी.ई के बौद्धिक विषय सम्मिलित है। सैकण्डरी मॉडर्न स्कूलों को बाह्य परीक्षाओं से मुक्त रखने की योजना थी। परन्तु सर्वसाधारण में यह धारणा बनने लगी थी कि सैकण्डरी मॉडर्न स्कूल, परीक्षा (बाह्य) में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के लिए है। अत: इनके शिक्षक अपने छात्रों की बौद्धिक योग्यता सिद्ध करने के लिए बाह्यय परीक्षाओं की ओर झुके और अपनी बात को सिद्ध करने में सफलता पाई।

इन विद्यालय की स्थापना शिक्षा को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से की गई। इन विद्यालय ने जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा की व्यवस्था की। इसलिए जनता ने भी इनको सहायता प्रदान की। सन् 1994 में 875 माध्यमिक आधुनिक विद्यालय से 9327 छात्र तथा इनमें से 721 छात्र अग्रिम (Advance) स्तर के विद्यार्थी थे। इस प्रकार इन विद्यालय ने सामान्य शिक्षा प्रमाण पत्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य किया है।

8.4.6 द्विभुज (द्विदिश) तथा व्यापक विद्यालय (Bilateral and Comprehansive School)

ब्रिटेन में 1950 ई. के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में द्विभुज (द्विदिश) तथा व्यापक विद्यालय की स्थापना की जाने लगी। द्विभुज विद्यालय वे विद्यालय थे जिनमें उपर्युक्त ग्रामर माध्यमिक, आधुनिक माध्यमिक एवं प्राविधिक विद्यालय में से किन्हीं दो को समन्वित करके व्यापक माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गई।

इन द्विभुज माध्यमिक विद्यालय में दो प्रकार के माध्यमिक विद्यालय थे - एक मान्यता प्राप्त तथा दूसरे अमान्यता प्राप्त। ये द्विभुज विद्यालय पूर्व प्रचलित ग्रामर, आधुनिक

एवं प्राविधिक माध्यमिक विद्यालय से अधिक भिन्न नहीं थे। अनेक आधुनिक माध्यमिक विद्यालय ने ग्रामर विद्यालय के पाठ्यक्रम को स्वीकार कर लिया था।

इन द्विभुज माध्यमिक विद्यालय को व्यापक (Comprehensive) माना जाता था। परन्तु वास्तव में ये व्यापक नहीं थे। व्यापक विद्यालय वे ही माने जाते है जो सभी बालक-बालिकाओं को सामान्य शिक्षा देते थे उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं पर आधारित थे परन्तु इन विद्यालय में यह विशेषता नहीं थी। इनमें से अधिकांश विद्यालय में एक ही लिंग के छात्रों को ही शिक्षा दी जाती थी एवं ये विद्यालय छात्रों की आवश्यकतानुसार शिक्षा नहीं देते थे।

अत: कुछ अभिभावक तो आज भी अपने बच्चों (Wards) को निकटवर्ती ग्रामर विद्यालय में भेजना पसन्द करते हैं परन्तु इस द्विभुज (व्यापक) विद्यालय में भेजना पसन्द नहीं करते हैं।

8.4.7 अराजकीय विद्यालय (Non-Govt. School)

ब्रिटेन की शिक्षा व्यवस्था में स्वयं सेवी संस्थाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है और अनेक अराजकीय विद्यालय कार्यरत हैं। इन सभी में शिक्षण शुल्क लिया जाता है और इनमें अधिकांश को किसी प्रकार का सरकारी अनुदान नहीं मिलता परन्तु इन सभी विद्यालय को अपने को पंजीकृत कराना पड़ता है और शिक्षा विभाग के निरीक्षक इनका निरीक्षण कर सकते हैं।

इन विद्यालय में ग्रामर विद्यालय की अपेक्षा अधिक विषय पढाये जाते थे अतिरिक्त विषयों में इतिहास, भूगोल, आधुनिक भाषाएं, कला, गणित, जैसे विषय को इन विद्यालय में पढ़ाया जाता था इन विद्यालय में अनुशासन स्थापना का उत्तम ढंग था। छात्र स्वयं ही एक समिति का चयन करते थे जो विद्यालय संचालन के नियम बनाती थी जो कोई भी उन नियमों को भंग करता था उसे इस न्याय समिति के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ता था।

इन विद्यालय में छात्राओं के शिक्षण की भी व्यवस्था थी। ये छात्राएं सामान्यत: उच्च एवं मध्यम वर्ग के परिवारों से आती थी। इन्हें यहां पर परम्परागत आवश्यकताओं के अनुरूप छात्राओं को सुयोग्य गृहिणी (House Wives) बनाने का प्रयास किया जाता था।

8.4.8 विशेष विद्यालय (Special Schools)

इन विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी बहरे, ऊँचा सुनने वाले, अंधे, दूषित दृष्टि वाले, अन्य प्रकार के शारीरिक रूप से बाधित, शैक्षिक दृष्टि से असामान्य, मिर्गी के रोगी, खराब स्वास्थ्य वाले, कुसमायोजित तथा वाणी के दोषों से पीड़ित होते है। यही पर इन बालकों के लिए विशेष उपचार की व्यवस्था भी होती है। ये विद्यालय द्वारा संचालित होते हैं।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. ब्रिटेन में विद्यालय शिक्षा की सरंचना के बारे में बताइए।
2. ब्रिटेन में विद्यालय के कितने प्रकार हैं?

8.5 पाठ्यक्रम (Curriculum)

ब्रिटेन में 1944 के शिक्षा अधिनियम व पाठ्यक्रम सुधार 1988 के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। पूर्व प्राथमिक स्तर पर बिना दबाव खेलकूद, भोजन करना, वस्तुओं की पहचान कराई जाती है। लिखना-पढ़ना, गणित, संगीत, नृत्य, मिट्टी का कार्य सम्मिलित है। लिखना, पढना व गणित की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्राथमिक स्तर पर अभिनय, कहानी कथन, प्रकृति अध्ययन, मातृभाषा, गणित, विज्ञान, कला, भूगोल, इतिहास, स्वास्थ्य, शिक्षा व बागवानी पाठ्यक्रम के विषय हैं। घरेलू शिल्प भी सिखाया जाता है। पाठ्यक्रम लचीला होता है। माध्यमिक शिक्षा में अंग्रेजी, गणित, विज्ञान पर खास बल दिया जाता है। अन्य विषय-इतिहास, भूगोल, तकनीकी, संगीत, विदेशी भाषा अनिवार्य विषय होते हैं। शारीरिक शिक्षा का भी महत्व है। 14 वर्ष की आयु में छात्र उस विषय का चयन करते हैं जिसमें जी.सी.एस.ई. परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहते हैं। धार्मिक शिक्षा अनिवार्य है। 16 वर्ष की आयु में कुछ छात्र एडवान्स्ड स्तर पर व्यावसायिक विषयों का चयन करते हैं।

स्कॉटलैण्ड का अपना राष्ट्रीय पाठ्यक्रम नहीं है परन्तु वह राष्ट्रीय दिशा-निर्देश का अनुसरण करता है। शिक्षण एवं अधिगम स्कॉटलैण्ड विद्यालय में पाठ्यक्रम सुधार में अहम् भूमिका निभाता है।

8.6 शिक्षण विधियों (Teaching Methods)

प्राथमिक स्तर पर पुस्तकों व उचित शिक्षण विधियों द्वारा इच्छित व्यवहारगत परिवर्तन लाए जाते हैं। निम्न विधियाँ आमतौर पर प्रचलित हैं -

1. करके सीखना
2. खेल-खेल में सीखाना
3. प्रदर्शन विधि
4. कहानी कथन विधि
5. चित्रकला, हस्तकला व मिट्टी से काम करना।
6. नाटक व वार्तालाप
7. उपवर्ग समूह (Tutorial group)

माध्यमिक स्तर पर विषय के अनुसार शिक्षण विधि का चुनाव किया जाता है। अन्तःक्रिया पर खास ध्यान दिया जाता है। छात्रों की सहभागिता का विशेष ध्यान रखा जाता है।

1. भाषा शिक्षण में आगमन निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है ड्रिल तकनीक उच्चारण सुधार के लिए प्रयुक्त की जाती है।
2. प्रश्न-उत्तर विधि
3. पुस्तकालय विधि
4. नरेशन विधि
5. क्षेत्रीय कार्य विधि

6. प्रदर्शन विधि
7. समीक्षा विधि
8. दत्तकार्य विधि
9. प्रयोगशाला विधि
10. प्रयोग विधि
11. आई.सी.टी. का प्रयोग-सी.डी. रोम, इण्टरनेट, कम्प्यूटर, प्रोग्राम्ड-लर्निंग।

8.7 तकनीकी एवं सूचना सम्प्रेषण तकनीकी (L.C.T.)

तकनीकी व सूचना सम्प्रेषण तकनीकी का उपयोग शिक्षा के प्रसार एवं उसे प्रभावी बनाने के लिए होता है। विभिन्न विषयों की बेहतर प्रस्तुति व अधिगम के लिए तकनीकी का उपयोग किया जाता है। उपयोग में आने वाले तकनीक इस प्रकार हैं -

1. विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग
2. वेब कॉन्फ्रेन्सिंग
3. ऑडियो कैसेट
4. ई-मेल
5. मेसेज बोर्ड
6. प्रिण्ट सामग्री
7. वाईस मेल/फैक्स
8. विडियो कैसेट
9. टीवी/रेडियो
10. कम्प्यूटर
11. सीडी रोम
12. टेलीफोन

इनका उपयोग सटीक, स्पष्ट, व्यापक एवं विश्वसनीय शैक्षिक अनुसंधान व मूल्यांकन में भी किया जाता है।

8.8 प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम (Certificate Course)

सन् 1951 में जी.सी.ई (General Certificate of Education) परीक्षाएँ प्रारम्भ की गई। ये आठ पृथक-पृथक परीक्षा संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाती है, जिनमें से अधिकांश किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होती है। इन परीक्षाओं में विषयों के समूह का बंधन नहीं है। परीक्षार्थी एक समय में एक या एक से अधिक विषयों में परीक्षा पास करके सर्टीफिकेट प्राप्त कर सकता है। उसे यह सुविधा भी प्राप्त है कि एक के बाद एक-दूसरे अनेक विषयों में परीक्षा पास करता चला जाए। ये परीक्षाएँ दो स्तरों पर होती है, जिन्हें सामान्य तथा उच्च कहा जाता है। सामान्य स्तर की परीक्षाओं में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 26 वर्ष है। इससे कम आयु के उन्हीं छात्रों को इनमें प्रवेश दिया जा सकता है जिनकी शैक्षिक योग्यता के बारे में प्रधानाध्यापक अपनी ओर से प्रमाण पत्र दें।

उच्च स्तर की परीक्षा दो वर्ष पश्चात् दी जा सकती है। जी.सी.ई (General Certificate of Education) परीक्षाएँ सर्वथा ऐच्छिक हैं, परन्तु अधिकांश छात्र इनमें सम्मिलित होना पसन्द करते हैं। इसका कारण यह है कि इन परीक्षाओं की प्रतिष्ठा बहुत है और उपर्युक्त विषयों में जी.सी.ई (General Certificate of Education) प्राप्त छात्रों को विश्वविद्यालयों एवं प्रमुख व्यावसायिक प्रशिक्षणालयों को प्रवेश परीक्षाएँ नहीं देनी पड़ती। जी.सी.ई (जनरल Certificate of Education) की परीक्षाओं में आगे की शिक्षा (Further Education) प्राप्त कर रहे एवं किसी भी राष्ट्रीयता के छात्र सम्मिलित हो सकते हैं।

सर्टिफिकेट ऑफ सैकण्डरी एज्यूकेशन (सी.एस.ई.)- यह परीक्षा 1965 में प्रारम्भ की गई है और उन छात्रों के लिए, जो अपने आयु वर्ग में सामान्य योग्यता रखते हैं। परीक्षा में माध्यमिक स्तर की पाँच वर्ष की शिक्षा पूर्ण करने वाले छात्र सम्मिलित हो सकते हैं और चाहे जितने विषय ले सकते हैं इन परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाता। उन्हें प्रत्येक परीक्षा विषय में पाँच में से स्तर प्रदान किए जाते हैं। जो निम्नतम स्तर भी प्राप्त नहीं कर पाते, उन्हें कोई भी स्तर नहीं दिया जाता। इस परीक्षा का प्रथम स्तर जी.सी.ई (General Certificate of Education) के सामान्य स्तर के समकक्ष माना जाने लगा है।

परीक्षा का नियन्त्रण कार्यरत शिक्षकों की 14 क्षेत्रीय परिषदों के हाथ में है। प्रश्न पत्र माध्यमिक विद्यालय के सामान्य कार्य पर आधारित होते हैं। यद्यपि एक क्षेत्र के प्रश्न पत्र दूसरे क्षेत्र से और एक विद्यालय के दूसरे विद्यालय से भिन्न हो सकते है, परन्तु इनका स्तर पूरे देश में समान होता है।

8.9 दूरस्थ शिक्षा (Distance Education)

दूरस्थ शिक्षा द्वारा मुख्यत: अंग्रेजी भाषा एवं गणित की शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। आई.सी.टी. का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है। स्कूलों की तुलना में उच्च शिक्षा के लिए इसका ज्यादा व्यापक उपयोग होता है।

8.10 अनुसंधान (Research)

निरन्तर अनुसंधान द्वारा शिक्षा की समस्याएँ दूर कर शिक्षण प्रणाली को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाया जाता है। वर्तमान में अनुसंधान के विषय इस प्रकार हैं -

1. पाठ्यक्रम सुधार
2. पाठ्यक्रम लागू करने की समस्याएँ
3. विद्यालय प्रभावशीलता
4. शैक्षिक चुनाव
5. शैक्षिक बाजार, पसन्द एवं सामाजिक वर्ग
6. विद्यालयी बच्चों में स्वास्थ्य एवं व्यवहार
7. विद्यालयी परीक्षा परिणाम
8. विद्यालय नेतृत्व

9. विद्यालय पुन:संरचना
10. पाठ्यक्रम
11. क्रियात्मक अनुसंधान

8.11 शिक्षक शिक्षा (Teacher Education)

ब्रिटेन में शिक्षा अधिनियम 1944 से पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण व्यवस्था स्वैच्छिक एवं स्वतंत्र थी। उस समय शिक्षकों के प्रशिक्षण विद्यालय चर्च अथवा किसी धार्मिक संगठन से सम्बन्धित होते थे। शिक्षक केवल आत्मसन्तुष्टि अथवा अपनी शिक्षण क्षमता की वृद्धि के लिए ही प्रशिक्षण लिया करते थे। वर्तमान में इन प्रशिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था स्थानीय शिक्षा सत्ताओं (L.E.A.) के हाथ में है जिसे उन्होंने स्वेच्छा से अपने हाथ में लिया है। ब्रिटेन में अध्यापक प्रणाली कमिक रूप से निकटतम अतीत से विकसित हुई है। ब्रिटेन में शिक्षा मंत्रालय का कर्तव्य है कि वह शिक्षकों की योग्यता का न्यूनतम स्तर निर्धारण करे। प्रशिक्षण की समस्याओं पर विचार करने तथा इस प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था का निर्धारण करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की सहायता के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा परामर्शदात्री परिषद् (National Council of Education) की नियुक्ति की गई। यह परिषद् देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अध्यापक प्रशिक्षण में मुख्य है। इससे सभी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं सम्बद्ध रहती हैं।

ब्रिटेन में दो प्रकार की शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएँ संचालित होती है। प्रथम तो वे स्थानीय शिक्षा संस्थाओं (L.E.A.) द्वारा संचालित होती है और इन्हीं के द्वारा उनका व्यय वहन किया जाता है और दूसरी वे जो स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित की जाती है। इनका व्यय स्वैच्छिक संगठनों द्वारा जनकोष (Public fund) द्वारा वहन किया जाता है। प्रथम प्रकार की संस्थाओं को आंशिक अनुदान शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्राप्त होता है। दूसरे प्रकार की संस्थाओं को उनके व्यय का आधा भाग शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुदान में मिलता है और शेष सम्बन्धित स्वैच्छिक संगठन ही वहन करता है। यह छात्राध्यापकों के शुल्क द्वारा वहन किया जाता है।

8.12 अध्यापकों का वर्गीकरण (Classification of Teachers)

ब्रिटेन में शिक्षण स्तर के आधार पर निम्नलिखित चार प्रकार के अध्यापक पाए जाते है-

(1) प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक - इन अध्यापकों का प्रशिक्षण, प्रशिक्षण विद्यालय में होता है। इस प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं न्यूनतम योग्यता सामान्य विद्यालय शिक्षा होता है। सामान्य शिक्षा के पश्चात् 2 वर्षीय अध्यापक प्रशिक्षण दिया जाता है। तत्पश्चात् उस शिक्षक को शिक्षण कार्य के लिए योग्य मान लिया जाता है। यद्यपि ब्रिटेन में इस स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण आवश्यक नहीं हैं फिर भी अधिकांश शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त ही होते हैं।

(2) माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक - ब्रिटेन में माध्यमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए भी यद्यपि प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं होता है परन्तु फिर भी अधिकांश शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं। इनको इस प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है कि ये अध्यापक इस प्रशिक्षण के पश्चात् किसी भी माध्यमिक विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय में भी अध्यापन कार्य कर सकते हैं। इन अध्यापकों की प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष होती है।

(3) विशिष्ट विषयों के शिक्षक -कला, संगीत, गृह विज्ञान, नृत्यकला, चित्रकला एवं शारीरिक शिक्षा जैसे विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था पृथक प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रदान की जाती है। इन शिक्षकों को प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान प्रदान करते हैं। इन विषयों में प्रशिक्षण की समयावधि प्रत्येक में एक समान नहीं होकर भिन्न भी हो सकती है। किसी में यह अवधि तीन वर्ष किसी में यह चार वर्ष की होती है। इनमें प्रवेश न्यूनतम जी.सी.ई (General Certificate of Education) होती है।

(4) अग्रिम शिक्षा (Further Education) देने वाले शिक्षक - ब्रिटेन में इन अध्यापकों का प्रशिक्षण कार्यानुभव (Work Experience) पर आधारित होता है। इन शिक्षकों के प्रशिक्षण देने हेतु सम्बन्धित विषयों के अनुभवी व्यक्तियों को विविध औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थानों से लेकर नियुक्त कर लिया जाता है। इन प्रशिक्षकों के लिए उच्च स्तरीय योग्यता रखना आवश्यक नहीं होता है अपितु कार्यानुभव पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(5) प्रशिक्षणार्थ प्रशिक्षणार्थी का चयन (Selection of Trainee) - ब्रिटेन में प्रशिक्षार्थी के चयन की नियमित प्रकिया नहीं है। महिला, प्रशिक्षार्थी का चयन उन लड़कियों में से किया जाता है जो अपनी शिक्षा समाप्त कर चुकी होती है और 1-2 वर्ष का औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक संस्थाओं का कार्यानुभव रखती है। कुल प्रशिक्षणार्थियों की 1/3 प्रतिशत संख्या महिलाओं की होती है। तकनीकी विषयों में प्रशिक्षण देने के लिए छात्राध्यापकों के विषय जान एवं अनुभव के आधार पर औद्योगिक संस्थाओं में से कर लिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद 1 वर्ष परीक्षण (Probation) में रहकर करना होता है। तत्पश्चात् स्थाई नियुक्ति प्रदान की जाती है।

(6) अध्यापकों की नियुक्ति एवं सेवा दशाएं (Appointment of Teachers and Service Conditions)- ब्रिटेन में शिक्षकों की नियुक्ति प्रबन्धक (Manager) और शिक्षक के मध्य स्थापित सेवा दशाओं (Service Conditions) के आधार पर ही होती है। प्रबन्ध समिति ही शिक्षकों की नियुक्ति करने में स्वतंत्र होती है। ब्रिटेन में दो प्रकार के विद्यालय संचालित होते हैं। प्रथम-सहायता प्राप्त विद्यालय एवं द्वितीय-स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित विद्यालय। सहायता प्राप्त विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति प्रबन्धक करता है एवं स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित विद्यालय में पूर्ण प्रबन्ध समिति द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है।

बर्नहम समिति (Burnham Committee) के सुझावानुसार शिक्षक संघ एवं स्थानीय शिक्षा सत्ताएँ सम्मिलित रूप से अध्यापकों की सेवा दशाओं का निर्धारण करती है। प्रधानाध्यापक को 3 माह की सूचना देकर अध्यापक को 2 माह की सूचना देकर सेवा कार्य से

हटाया जा सकता है। परन्तु शिक्षक को हटाने के लिए स्थानीय शिक्षा अधिकारी (L.E.A.) की स्वीकृति लेनी पड़ती हैं। सामान्यत: अध्यापक को सत्र के अन्त में ही कार्य से हटाया जाता है और इसे पूर्ण गोपनीय रखा जाता है क्योंकि यह ध्यान रखा जाता है कि उस शिक्षक की प्रतिष्ठा नहीं गिरे एवं उसे अन्यत्र कार्य मिलने में कठिनाई नहीं आए।

शिक्षक को कार्य से एकदम नहीं हटाया जाता है। शिक्षक को हटाए जाने का मानस तब बनाया जाता है जब उस शिक्षक के कार्यो के फलस्वरूप विद्यालय एवं छात्र का विशेष अहित होता हो। प्रारम्भ में उसे छात्र घातक कार्यो के न करने की चेतावनी दे दी जाती है और शिक्षा मंत्रालय को भी उन कार्यो के सम्बन्ध में सूचित कर दिया जाता है। यदि बार-बार चेतावनी देने पर भी अध्यापक अपने व्यवहार में कोई सुधार नहीं लाता तो उसे दोषारोपित (Charge sheeted) करके यह अवसर भी दिया जाता है कि वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा लगाए गए दोषों की सफाई में उत्तर दे। यदि अध्यापक कोई सन्तोषजनक दोष निवारण व्यवस्था नहीं दे पाता हो उसे पद से हटा दिया जाता है। ब्रिटेन का शिक्षक संघ भी नहीं चाहता है कि छात्र अहित में कार्य करने वाला अध्यापक पद पर बना रहे। शिक्षा मंत्रालय भी ऐसे अध्यापक के विरूद्ध कार्यवाही करता है। वह अध्यापक के शिक्षक प्रमाण पत्र को रद्द कर देता है।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. ब्रिटेन में शिक्षक प्रशिक्षण का संचालन कौन करता है?
2. ब्रिटेन की अध्यापक शिक्षा को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है?
3. बर्नहम समिति के बारे में बताइए।

8.13 प्रशासन (Administration)

ब्रिटेन की शिक्षा व्यवस्था की सफलता में व्यक्ति शासन तथा शिक्षा समितियों और संस्थाओं का आपसी सम्पर्क एवं सहयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। ब्रिटेन में शिक्षा विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी सकारात्मक भूमिका निभाता हुआ जिम्मेदारी निभाता है जिसके फलस्वरूप वही की शिक्षा में उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है।

ब्रिटेन में सम्पूर्ण शैक्षिक क्रियाएं संसद द्वारा संचालित होती है। यही पर शिक्षा मंत्री सम्पूर्ण वर्ष की उपलब्धियों एवं असफलताओं का ब्यौरा संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। इस ब्यौरे पर संसद का प्रत्येक सदस्य वाद-विवाद करने का अधिकारी होता है। यही का शिक्षा मंत्री जैसे नियम और संविधियॉ बनवाना चाहता है उसे संसद के सम्मुख पेश करता है। संसद को इन प्रस्तावों पर वाद-विवाद और विचार-विमर्श करने के लिए चालीस दिन का समय मिलता है। इस समयावधि में हाऊस ऑफ कॉमन्स का प्रत्येक सदस्य शिक्षा मंत्री से शिक्षा से सम्बन्धी किसी भी विषय पर विवाद कर सकता है। इस प्रकार ब्रिटेन की शिक्षा व्यवस्था का नियंत्रण और दिशा संसद के हाथ में होती है। परन्तु प्रचलित पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तकों, शिक्षण-विधियों आदि से सम्बन्धित नियम बनाने का कार्य स्थानीय शिक्षा अधिकारियों, प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों का ही होता है। इन कार्यो में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। शिक्षा नीति का क्रियान्वयन वही का शिक्षा मंत्री ही करवाता है। शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्रालय का अध्यक्ष होता है। वह संसद द्वारा निर्धारित नियमों के कार्यान्वयन में चाहने वाले प्रशासन के प्रति भी उत्तरदायी

होता है। नीतियों और नियमों के अनुपालन के लिए अपेक्षित सभी क्रियाएं शिक्षा मंत्री द्वारा ही निर्धारित की जाती है। शिक्षा मंत्री का कार्य क्षेत्र एवं अधिकार केवल माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित है। विश्वविद्यालयों के कार्यक्षेत्र इसका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। विश्वविद्यालय अपने कार्य संचालन में स्वतंत्र होते हैं।

ब्रिटेन में शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्रालय एवं निरीक्षकों के अतिरिक्त स्थानीय स्वशासन के शिक्षा अधिकारी भी शिक्षा-विकास में महत्वपूर्ण योग देते हैं। स्थानीय शिक्षा अधिकारी शिक्षा मंत्रालय के समान शैक्षिक कार्यो की पूर्ति के लिए एक शिक्षा कार्यालय स्थापित करती है जिसमें स्थानीय सत्ता के कार्यकर्ता कार्य करते हैं। इस शिक्षा कार्यालय का प्रमुख शिक्षा निदेशक (Director of Education) होता है जिसे प्रमुख शिक्षा अधिकारी (Chief Education Officer) भी कहा जाता था। इसके अतिरिक्त अन्य प्रशासननिक (Administrative) एवं कार्यकारिणी अधिकारी भी होते हैं जो लिपिकों की सहायता से अपना कर्तव्य पालन करते हैं। इस शिक्षा कार्यालय में प्राथमिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग और आगामी शिक्षा का विभाग (Further Education Department) होते है। प्रमुख शिक्षा अधिकारी ही नियुक्ति में शिक्षा मंत्री की मुख्य भूमिका होती है। स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमुख शिक्षा अधिकारी के पद के लिए तैयार की जानी वाली सूची का अवलोकन शिक्षा मंत्री करता है। शिक्षा मंत्री को अधिकार होता है कि वह जिसे अनुपयोगी एवं अयोग्य समझे उसका नाम सूची से काट सकता है।

स्थानीय शिक्षा अधिकारी की कार्य प्रणाली - स्थानीय स्वशासन के समान स्थानीय शिक्षा सत्ता भी विशिष्ट ढंग से अपना कार्य करती है। निर्णय लिये जाने वाले मुद्दे को शिक्षा समिति (Education Committee) के सम्मुख रखा जाता है। यह समिति उसे उपसमिति के पास भेज देती है। उप समिति पर्याप्त विचार-विमर्श करने के बाद अपनी संस्तुतियों के साथ इसे मुख्य समिति (Main Committee) को वापस भेज देती है। मुख्य समिति अधिकार होता है कि वह उप समिति की संस्तुति में परिवर्तन कर दे, अस्वीकार कर दे अथवा उसे पूर्णत: स्वीकार कर लें। यदि मुख्य समिति द्वारा लिया गया निर्णय शिक्षा समिति का विश्वासपूरक होता है तो वह शिक्षा परिषद् के पास भेज दिया जाता है। अन्यथा मुख्य समिति स्वयं ही अन्तिम निर्णय ले लेती है। यह निर्णय स्थानीय शिक्षा अधिकारी का निर्णय मान लिया जाता है।

स्थानीय शिक्षा अधिकारी-सस्ता, प्रबन्धक परिषद् एवं प्रशासन परिषद् (Local Education Authority, Board of Managers & Board of Governers) - 1944 ई. के अधिनियम के अनुसार उन प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय की सुव्यवस्था के लिए जो पूर्ण रूप से स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा आर्थिक सहायता के आधार पर चलाये जाते हैं। प्रबंध परिषद् एवं प्रशासन परिषद् का गठन कर दिया गया है। इन विद्यालय को अनुपालित (Maintained) विद्यालय के बाद से सम्बोधित किया जाता है। प्रबंधक परिषद् में कम से कम छ: सदस्य होने आवश्यक है परन्तु प्रशासक परिषद् में सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है। प्रत्येक प्रबन्धक परिषद् प्रबंध नियमों के आधार पर तथा प्रशासक परिषद् शासन के अधिनियमों

के आधार पर अपना कर्तव्य पालन करती है। वैधानिक रूप में प्रबन्ध परिषद् और प्रशासक परिषद् सीमित अधिकार रखती है। सभी मुख्य अधिकारी स्थानीय शिक्षा अधिकारी के हाथ में रहते है। परन्तु यदि स्थानीय शिक्षा अधिकारी चाहे तो प्रबंधक परिषद् और प्रशासक परिषद् की महत्वपूर्ण कार्यो में मदद ले सकता है। सहायता प्राप्त विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्तियाँ स्थानीय शिक्षा अधिकारी, सत्ता, प्रबंधक परिषद् और प्रशासक परिषद् द्वारा शासकीय अधिनियमों एवं प्रबंध नियमों के आधार पर होती है।

सार रूप में यह कहा जा सकता है ब्रिटेन में सम्पूर्ण शिक्षा उत्तरदायित्व शिक्षा मंत्री पर होता है परन्तु व्यावहारिक रूप में शिक्षा मंत्री स्थानीय शिक्षा अधिकारी सत्ताओं अन्य संगठनों और परिषदों के कर्तव्य पालन की अवहेलना नहीं कर पाता। इस प्रकार शिक्षा कार्य सभी अधिकारियों के पूर्ण सहयोग से सम्पादित होता है।

8.13.1 प्रमुख केन्द्रीय सरकारी संगठन (Major Central Govt. Organisations)

— डी.सी.एस.एफ (डिपार्टमेन्ट फॉर चिन्ड्रन स्कूल्स एण्ड फेमिलिज), इंग्लैण्ड।

— डी.आई.यू.एस. (डिपार्टमेन्ट ऑफ इनोवेशन यूनिवर्सिटीज एण्ड स्किल्स), स्कॉटलैण्ड।

— डी.ई.एन.आई. (डिपार्टमेन्ट ऑफ एज्यूकेशन), नर्दन आयरलैण्ड।

— एन.ए.डब्ल्यू.डी. (नेशनल एसेम्बली फॉर वेल्स एज्यूकेशन डिपार्टमेन्ट), वेल्स।

— एन.जी.एफ.एल. (नेशनल ग्रीड फॉर लर्निंग), स्कॉटलैण्ड।

— ओ.एफ.एस.टी.ई.डी. (दी ऑफिस फॉर स्टेण्डर्डस इन एज्यूकेशन), इंग्लैण्ड व वेल्स।

— एस.ई.ई.टी. (दी स्कॉटिश एक्जीक्यूटिव एज्यूकेशन एण्ड ट्रेनिंग), स्कॉटलैण्ड।

शिक्षा की जिम्मेदारी केन्द्रीय संगठनों की है परन्तु साधारण व वित्तीय प्रबंधन के लिए एल.ई.ए. (लोकल एज्यूकेशनल ऑथोरिटी) जिम्मेदार होती है।

ब्रिटेन के शैक्षिक प्रशासन में लोकतंत्र के स्पष्ट दर्शन होते हैं। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषता, जिसे सफलता का रहस्य भी कह सकते हैं, शैक्षिक प्रशासन से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों के बीच विद्यमान भागीदारी की भावना है। ब्रिटेन की शैक्षिक प्रशासन की चोटी पर शिक्षामंत्री होता है। शिक्षामंत्री का मुख्य दायित्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करना होता है। यह कार्य वह मंत्रीमण्डल के सहयोगियों और विशेष रूप से प्रधानमंत्री की सहमति से करता है। शिक्षा सम्बन्धी सभी निर्णय एवं उनके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी भी शिक्षामंत्री की होती है। शिक्षामंत्री का दायित्व-

(i) शैक्षिक सुविधाओं एवं सहायक सेवाओं की पर्याप्त व्यवस्था करना।

(ii) शैक्षिक संस्थाएँ एव सहायक सेवाएँ सुचारू रूप से संचालित हो, उनमें कर्मचारियों एवं आवश्यक सामग्री की समुचित व्यवस्थाएँ देखना।

(iii) यह देखना कि अभिभावकों, शिक्षकों तथा शिक्षा से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों को स्वतन्त्रता प्राप्त हो।

(iv) यह देखना कि ऐसे शिक्षक एवं चिकित्सक नियुक्त किए जाएं जो छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति की योजना रखते हों।

(v) यह देखना कि विद्यार्थियों से लिए जाने वाले शुल्क तथा शिक्षकों के वेतन भत्ते आदि उचित हो।

(vi) यह देखना कि जा शिक्षा दी जाती है वह वांछनीय मानदण्ड के अनुरूप है।

शिक्षामंत्री की सहायता के लिए दो राज्यमंत्री दो, पार्लियामेंट्री अंडर सैक्रेट्री तथा एक पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी होता है। वह शैक्षिक समस्या पर विचार करने के लिए शिक्षा नीति को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए सन् 1944 के अधिनियम के अन्तर्गत 9 समितियों का निर्माण किया गया है, जो क्रमश: विद्यालय भवन के मानदण्ड, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय, अतिरिक्त शिक्षा, स्थानीय शैक्षिक अधिकारियों, बच्चों के दूध एवं भोजन की व्यवस्था, विद्यालय स्वास्थ्य सेवा, बाधित एवं पंगु विद्यार्थियों की शिक्षा, छात्रवृत्तियाँ एवं अन्य छात्र कल्याण सेवाओं तथा शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था से सम्बन्धित है।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. ब्रिटेन के शिक्षा प्रशासन के बारे में आप क्या जानते हैं?
2. स्थानीय शिक्षा अधिकारी की कार्य प्रणाली बताइए।

8.13.2 शैक्षिक निरीक्षण (Educational Inspection)

शैक्षिक निरीक्षण के लिए इंग्लैण्ड में निरीक्षक नियुक्त रहते हैं, जिनमें सर्वोच्च स्थान पर एक सीनियर चीफ इंस्पेक्टर होता है, उसकी सहायतार्थ छह चीफ इंस्पेक्टर होते हैं, जिनके निम्नलिखित छह शैक्षिक विभाग होते हैं-

1. प्राथमिक एवं विशेष शिक्षा
2. माध्यमिक शिक्षा
3. व्यावसायिक अतिरिक्त शिक्षा
4. अव्यावसायिक अतिरिक्त शिक्षा
5. शिक्षक प्रशिक्षण
6. शैक्षिक विकास

शैक्षिक प्रशासन एवं निरीक्षण की दृष्टि से इंग्लैण्ड को दस डिवीजनों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक डिवीजन में कई जिले होते हैं। इनमें क्रमश: डिवीजनल इंस्पेक्टर तथा डिस्ट्रीक्ट इंस्पेक्टर नियुक्त रहते हैं, जो चीफ इंस्पेक्टरों के अधीन कार्य करते हैं। इंस्पेक्टरो की नियुक्ति लोक सेवा आयोग द्वारा खुले विज्ञापन के माध्यम से केवल शिक्षकों में से की जाती है। इंग्लैण्ड में शैक्षिक निरीक्षकों के जिन्हें वहाँ हर गैजेस्टीज, इंस्पेक्टर कहते हैं, निम्नलिखित तीन दायित्व होते हैं-

1. शिक्षण संस्थाओं के कार्यो का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करना तथा प्रतिवेदन तैयार करना।
2. प्रशासकीय मामलों पर शिक्षा मंत्रालय के स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना।
3. शैक्षिक सिद्धान्तों एवं उनके कार्यान्वयन सम्बन्धी मामलों पर शिक्षा मन्त्रालय की ओर से परामर्शक के रूप में कार्य करना।

8.13.3 स्थानीय शिक्षा अधिनियम (Local Education Act)

स्थानीय शिक्षा अधिकरण का दायित्व प्राथमिक, माध्यमिक एवं अतिरिक्त शिक्षा की व्यवस्था करने के अतिरिक्त अपने क्षेत्र के निवासियों के आध्यात्मिक, नैतिक, मानसिक एवं शारीरिक विकास का समुचित प्रबंध करना भी है। ये अधिकरण ग्रामीण क्षेत्रों में काउंटी कौंसिल तथा नगरीय क्षेत्रों में काउंटी बरो कौंसिल कहलाती है। ये कौंसिल क्षेत्र के करदाताओं द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि संस्थाएँ होती हैं और स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र के मामलों की देखभाल करती है। शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रत्येक कौंसिल एक मुख्य शिक्षा समिति की नियुक्ति करती है, जो प्राय: शिक्षा के भिन्न-भिन्न पक्षों अथवा स्तरों के लिए उपसमितियों की नियुक्ति करती है। प्रत्येक शिक्षा समिति में काउंसिल के सदस्यों का बहुमत रहता है परन्तु साथ ही यह भी अनिवार्य है कि उनमें शैक्षिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व मिले। प्रत्येक स्थानीय शिक्षा-अधिकरण के अन्तर्गत एक शिक्षा कार्यालय होता है, जिसमें वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते हैं। एक मुख्य शिक्षा अधिकारी होता है, जो प्राय: शिक्षा निदेशक कहलाता है। इसके अधीन शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए प्रभारी, अधिकारी, लिपिक आदि होते हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी के अतिरिक्त एक मुख्य विद्यालय चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य विद्यालय दन्त चिकित्सक की नियुक्ति करना प्रत्येक स्थानीय शिक्षा अधिकरण के लिए अनिवार्य होता है

किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने से पूर्व स्थानीय शिक्षा-अधिकरणों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उसका अनुमोदन शिक्षा मंत्रालय से कराएँ। शिक्षा मंत्रालय की ओर से इस कार्य के लिए क्षेत्रीय प्रिन्सिपल नियुक्त रहते हैं। एक क्षेत्रीय प्रिन्सिपल के अधीन एक या एक से अधिक स्थानीय शिक्षा-अधिकरण होते हैं। क्षेत्रीय प्रिन्सिपल का यह दायित्व भी होता है कि वह शिक्षा मंत्रालय द्वारा बनाए गए नियमों का पालन भी स्थानीय शिक्षा-अधिकरणों से कराए।

8.13.4 सम्भागीय अधिकारी (Zonal Officers)

सन् 1944 के शिक्षा अधिनियम ने काउंटी काउंसिल को अपने को सुविधाजनक क्षेत्रों में विभक्त करके, प्रत्येक क्षेत्र में डिविजनल एक्जीक्यूटिव नामक संस्था शिक्षा की देखरेख के लिए बनाने का प्रावधान भी किया। कुछ स्थानीय शिक्षा-अधिकरणों के अन्तर्गत ये संस्थाएँ सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। इनका शिक्षा-अधिकरणों से लगभग वैसा ही सम्बन्ध रहता है जैसा कि शिक्षा अधिकरणों का शिक्षा मन्त्रालय से।

8.13.5 विद्यालय प्रशासन (School Administration)

ब्रिटेन के शैक्षणिक प्रशासन में प्रबन्ध समितियों का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है और विद्यालय के मैनेजरों के बोर्ड तथा विद्यालय के गवर्नरों के बोर्ड का योगदान भी उल्लेखनीय है। विद्यालय के संचालन एवं पाठ्यक्रम को सामान्य निर्देशन देना इन मैनेजरों एवं गवर्नरों की जिम्मेदारी है, जिसे ये प्रधानाध्यापकों के परामर्श से निभाते हैं। शिक्षकों की नियुक्ति भी इन्हीं के द्वारा की जाती है। काउंटी विद्यालय में मैनेजरों एवं गवर्नरों की नियुक्ति स्थानीय

अधिकरणों द्वारा की जाती है। नियंत्रित विद्यालय में दो-तिहाई की नियुक्ति अधिकरणों द्वारा और शेष एक-तिहाई की स्वयंसेवी संस्था द्वारा की जाती है। सहायता प्राप्त विद्यालय में स्वयंसेवी संस्था दो-तिहाई की नियुक्ति करती है।

8.14 विशेषताएँ (Special Feature)

ब्रिटेन की शिक्षा प्रणाली निरन्तर प्रगतिशील है। बदलते परिप्रेक्ष्य, वैश्वीकरण व वर्तमान समय की परिस्थितियाँ के अनुसार इसमें सुधार होते रहते हैं।

ब्रिटेन की शिक्षा मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक है। ये अनिवार्य व निःशुल्क है।

बच्चों के चरित्र, ज्ञान, राष्ट्रीयता की भावना व बिना बोझ के पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता है। शिक्षा प्रणाली जनतांत्रिक व सहयोग की भावना पर आधारित है।

ब्रिटेन का अपनी पाठ्यक्रम होने से यहाँ के शिक्षण में भिन्नताएँ मिलती है।

8.15 समस्याएँ (Problems)

विद्यालय में बढ़ती हिंसा, अनुशासन की कमी, विदेशी भाषाओं का कम ज्ञान, विज्ञान व आई.सी.टी. का अपर्याप्त उपयोग कुछ मूल समस्याएँ हैं।

8.16 परिवर्तन (New Trends)

एज्यूकेशन एक्ट 2002 व राष्ट्रीय पाठ्यक्रम (क्यू.सी.ए. में 2007 में प्रकाशित) में परिवर्तन विद्यमान हैं।

— इनके अनुसार व 1 वर्ष व 14 वर्ष की आयु (End of key stage 2 & key state 3) में राष्ट्रीय परीक्षाओं द्वारा अंग्रेजी, गणित व विज्ञान का परीक्षण किया जाएगा।
— नवाचार के लिए विद्यालय को छूट।
— पाठ्यक्रम को व्यक्तिगत करना।
— अधिगमकर्ता को फोकस्ड सहायता।
— विषयों में बेहतर सहसंबंध।
— सफल अधिगमकर्ता जो सीखने में आनन्द ले।
— आत्मविश्वासी व्यक्ति का निर्माण जो स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन जिए।
— जिम्मेदार नागरिक का निर्माण जो समाज में धनात्मक योगदान करें।
— विद्यालय को स्वायत्ता अर्जित करने का क्षेत्र।
— विद्यालय को कम्पनी निर्माण का प्रावधान।
— पारदर्शी विद्यालय फन्डिंग।
— राज्य का असफल विद्यालय में दखल का अधिकार।
— नवीन माध्यमिक विद्यालय स्थापना के लिए विज्ञप्ति।
— शिक्षा के स्तर 1 से 3 को, स्तर 4 से पृथक करना ताकि स्तर 4 को छात्रों के आवश्यकता अनुरूप ढाला जा सके।
— छात्र का मूल्यांकन उसके वर्ष भर के प्रदर्शन पर आधारित।
— अन्तर विद्यालयी शिक्षकों की साझेदारी से बेहतर शिक्षा।

— चाइल्ड केयर व नर्सरी विद्यालय में सुधार।
— छात्रों के हित की सुरक्षा व उनकी उन्नत सहभागिता का प्रयत्न।
— बेहतर गाइडेन्स व काउंसलिंग सुविधाएँ।
— एज्यूकेशन मेन्टेनेन्स अलाउन्स की सुविधा।
— शिक्षण परिसर में असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. ब्रिटेन में अनुसंधान के कौन-कौनसे विषय है?
2. ब्रिटेन के शिक्षक-प्रशिक्षण के विषय में आप क्या जानते हैं?
3. ब्रिटेन में शैक्षिक निरीक्षण से सम्बन्धित कितने विभाग हैं? नाम बताइए।

8.17 सारांश (Summary)

ब्रिटेन की विद्यालय शिक्षा 1944 के शिक्षा अधिनियम पर आधारित है। यह तीन स्तर में विभाजित है। पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक व माध्यमिक। पूर्व प्राथमिक में 2 से 5 वर्ष के बच्चे सहज शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके लिए नर्सरी विद्यालय (जो निजी होते हैं) की सुविधा है।

प्राथमिक शिक्षा 5 से 11 व वर्ष की आयु तक प्राप्त करते हैं। जूनियर विद्यालय व इन्फ़ेन्ट विद्यालय प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराते हैं।

माध्यमिक शिक्षा 11 से 16 वर्ष तक प्राप्त की जाती है जिसके लिए विभिन्न प्रकार के विद्यालय हैं। 5 से 11 वर्ष तक की शिक्षा अनुदानित एवं अनिवार्य है। 16 वर्ष से 18 वर्ष तक सिक्स्थ फॉर्म में अध्ययन किया जा सकता है। शिक्षामंत्री का पद इस प्रणाली का सर्वोच्च पद है व स्थानीय प्रशासन के लिए "स्थानीय शिक्षा'' सत्ता (L.E.A.) उत्तरदायी है।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. ब्रिटेन की विद्यालय शिक्षा की संरचना को संक्षेप में बताइए।
2. ब्रिटेन के विद्यालयों के प्रकारों की विवेचना कीजिए।
3. ब्रिटेन के विद्यालयों के पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों पर प्रकाश डालिए।
4. ब्रिटेन के शिक्षक-परीक्षण के बारे में आप क्या जानते हैं?
5. ब्रिटेन की शिक्षा व्यवस्था पर एक निबन्ध लिखिए।

8.18 सन्दर्भ सूची (References)

1. जायवाल सीताराम (1970). **तुलनात्मक शिक्षा.** लखनऊ, सूचना विभाग।
2. कौशिक, श्याम लाल (1973). **तुलनात्मक शिक्षा.** जयपुर : हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
3. चौबे, सरयू प्रसाद (2005). **तुलनात्मक शिक्षा.** आगरा: विनोद पुस्तक मन्दिर।
4. शर्मा, बी.एस. (1989). तुलनात्मक शिक्षा. जयपुर: राजस्थान प्रकाशन।
5. हंस, निकोलस (1974). **तुलनात्मक शिक्षा.** मध्यप्रदेश: हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
6. मलैया. के.सी. (1996). **तुलनात्मक शिक्षा.** इलाहाबाद लोक भारती प्रकाशन।

7. किंग, एडमण्ड एण्ड वर्मा, आई.बी (1973). **विद्यालय शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन.**जयपुर: राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
8. Chaube, S.P. (1965). **Comparative Education.** Agra: Ram Prasad and Sons.
9. पाण्डेय, रामशकल (1970). **देश-विदेश में शिक्षा,** आगरा. लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रेस।
10. Oad, L.K. (1968) **Current Issues in Education.** Delhi: Young Man and Company
11. Bready, George Z.F.(1967). **Comparative Methods in Education.** Oxford: IBH Publishing Co.
12. Sinha, L.S. (1978). **Secondary School Practices in England Wales and India: A Comparative Study.** Allahabad: Chugh Publication.
13. Holmes, Brain (1981). **Comparative Education: Some Considertations of Method.** London George Allen And Unwin.
14. Chinnappa, S.Paul. (1988). **The British System of Education in India.** Delhi: Swati Publication.
15. चौबे, सरयू प्रसाद (1962). **विदेशों में शिक्षा.** इलाहाबाद : रामनारायण प्रकाशन।
16. श्रीवास्तव. आर.एस. (1963) **तुलनात्मक शिक्षा.** आगरा: इण्डियन बुक हाउस।
17. Meyer, A.E. (1949). **The Development of Education in the Twentieth Century.** New York: Prentice Hall Inc.
18. Ulich, Rober (1961). **The Education of Nations.** Cambridge: Harvard University Press.
19. Smith, H.I. (1941). **Comparative Education.** Bloomington: Educational Publications.

इकाई-9

ब्रिटेन में विश्वविद्यालयी शिक्षा
(University Education in Britain)

9.0 इकाई के उद्देश्य(Objectives of the Unit)
9.1 प्रस्तावना (Introduction)
9.2 संरचना (Structure)
9.3 उच्च शिक्षण संस्थान के प्रकार (Types of Institutes of Higher Education)
9.4 अकादमिक व व्यासायिक कार्यक्रम (Academic And Vocational Programme)
9.5 विश्वविद्यालयी स्तर की शिक्षा (University Level Education)
9.6 तकनीकी शिक्षा (Technical Education)
9.7 शिक्षण विधियॉ (Educational Methods)
9.8 मूल्यांकन (Evaluation)
9.9 विवृत विश्वविद्यालय (Open University)
9.10 दूरवर्ती शिक्षा (Distance Education)
9.11 अग्रिम शिक्षा (Continuing Education)
9.12 अग्रिम शिक्षा का स्वरूप (Structure of Continuing Education)
9.13 प्रौढ़ शिक्षा (Adult Education)
9.14 शोधकार्य (Research)
9.15 शिक्षक-शिक्षा (Teacher Education)
9.16 शिक्षा एवं प्रशासन (Education and Administration)
9.17 वित्त (Finance)
9.18 विशेषताएँ (Special Features)
9.19 समस्याएँ (Problems)
9.20 परिवर्तन (New Trends)
9.21 सारांश (Summary)

9.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of the Unit)

इस इकाई को पढ़कर आप -

1. ब्रिटेन की शिक्षा संरचना एवं उच्च शिक्षण संस्थान के बारे में जान सकेंगे।
2. ब्रिटेन की विश्वविद्यालय एवं तकनीकी स्तर की शिक्षा के विषय में जान सकेंगे।
3. ब्रिटेन के विवृत विश्वविद्यालय एवं दूरवर्ती शिक्षा के विषय में जान सकेंगे।
4. ब्रिटेन की प्रौढ़ शिक्षा, शोधकार्य एवं शिक्षक प्रशिक्षण के विषय में जान सकेंगे।
5. ब्रिटेन की समग्र शिक्षा व्यवस्था के बारे में जान सकेंगे।

9.1 विषय प्रवेश (Introduction)

ब्रिटेन में विश्वविद्यालय शिक्षा का विकास अन्य विकासशील देशों की तरह ही उच्च स्तर पर हुआ है। ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों की विशेषता है कि वे पूर्ण रूप से इन विश्वविद्यालयों के अपने कार्यो एवं स्वायतशासी व्यवस्थाओं में राज्य द्वारा किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। अध्यापक वर्ग ही नियुक्ति, प्रशासन व्यवस्था एवं वित्तीय मामलों में विश्वविद्यालय पूर्णरूपेण स्वतंत्र होते हैं। विश्वविद्यालयों के अनुसंधान के लिए उन्हें राज्य की ओर से आर्थिक एवं अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध होते रहते हैं। ये विश्वविद्यालय स्वैच्छिक (Voluntary) संगठन होते है। इन विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्र-छात्राओं के लिए स्थान आरक्षित होते हैं। ब्रिटेन में बाहर से आने वाले छात्र-छात्राओं के लिए आवास व्यवस्था की बड़ी समस्या है। विश्वविद्यालयों में 25 प्रतिशत छात्र-छात्राओं को ही आवास सुविधा मिल पाती है। इन विश्वविद्यालयों में विभिन्न छात्रवृत्तियाँ और आर्थिक सहायताएँ छात्र-छात्राओं के लिए आकर्षण केन्द्र बने रहते हैं। विगत वर्षो के ऑकड़ों के आधार पर लगभग 80 प्रतिशत छात्र किसी न किसी प्रकार की सहायता अवश्य प्राप्त करते हैं। कुछ विश्वविद्यालयों में महाविद्यालय को सम्बद्ध करने की परम्परा है। ब्रिटिश विद्यालय अन्य देशों के विश्वविद्यालयों के लिए आदर्श बन सके हैं। ब्रिटेन के शिक्षा-शास्त्रियों ने इच्छुक प्रौढ़ों को विश्वविद्यालयीय शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विवृत/खुला विश्वविद्यालयों (Open Universities) की स्थापना करवाई। इसी के फलस्वरूप विश्व के अन्य विकसित तथा विकासशील देशों ने भी इस परम्परा को प्रारम्भ किया।

9.2 संरचना (Structure)

ब्रिटेन में उच्च शिक्षा तीन प्रमुख प्रकार के संस्थानों द्वारा दी जाती है-

(i) विश्वविद्यालय

(ii) महाविद्यालय

(iii) उच्च शिक्षण संस्थान व कला एव संगीत महाविद्यालय

सभी विश्वविद्यालय स्वराज्य अधीन (Autonomous) संस्थान होते हैं। वे रॉयल चार्टर या पार्लियामेन्ट के किसी एक्ट के द्वारा अधिकृत होते हैं। फर्दर व हायर एज्यूकेशन एक्ट 1992 द्वारा विश्वविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक का अन्तर समाप्त कर दिया गया। पॉलिटेक्निक को विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। विश्वविद्यालय ब्रिटेन विश्वविद्यालयों से जुड़े सभी मामलों की देखरेख करता है। डिपोर्टमेन्ट ऑफ एज्यूकेशन एण्ड स्किल्स सभी विश्वविद्यालयों के लिए जिम्मेदार हैं।

गैर विश्वविद्यालयी उच्च शिक्षण संस्थान भी डिग्री कार्सेस, गैर डिग्री कोर्सेस व पोस्ट ग्रेज्युट योग्यताएँ प्रदान कर सकते हैं। इनमें से कुछ उच्च डिग्रियाँ भी प्रदान कर सकते हैं। फर्दर एण्ड हायर एज्यूकेशन एक्ट, 1992, फर्दर एज्यूकेशन संस्थानों को हायर एज्यूकेशन वर्ग में स्थानान्तरित करने की अनुमति प्रदान करता है।

9.3 उच्च शिक्षण संस्थान के प्रकार (Type of Institutes of Higher Education)

ब्रिटेन में उच्च शिक्षण संस्थान निम्न प्रकार हैं-

(i) विश्वविद्यालय

(ii) खुला विश्वविद्यालय

(iii) महाविद्यालय व उच्च शिक्षा संस्थान

(iv) खुला महाविद्यालय

(v) तकनीकी महाविद्यालय

(vi) शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय

(vii) ऑन लाइन महाविद्यालय

(viii) कम्यूनिटी अथवा जूनियर महाविद्यालय

(ix) लिबरल आर्ट महाविद्यालय

(x) कृषि, तकनीकी व विशिष्ट महाविद्यालय

(xi) अपर डिवीजन विद्यालय

(xii) पब्लिक व निजी महाविद्यालय

ब्रिटिश विश्वविद्यालय में छात्र तीन वर्ष के कोर्स के पश्चात् डिग्री प्राप्त करते हैं। (साधारण व ऑनर्स डिग्री) सेंडविच कोर्स में एक वर्ष अधिक लगता है। सभी विश्वविद्यालय अण्डर गेज्यूएट कोर्स की समाप्ति पर बेचलर डिग्री प्रदान करते हैं। अकादमिक डिग्री का विभाजन इस प्रकार किया जाता है-

(1) फर्स्ट क्लास (I)

(2) अपर सैकण्ड क्लास (II-1)

(3) लोअर सैकण्ड क्लास (II-2)

(4) थर्ड क्लास (III)

साधारण डिग्रियाँ व्यावसायिक कोर्स की समाप्ति पर दी जाती है।

स्कॉटिश विश्वविद्यालय तीन साल में साधारण डिग्री व चार साल में ऑनर्स डिग्री प्रदान करता है। सैंडविच कोर्स में वर्क प्लेसमेन्ट की सुविधा दी जाती है व इसमें एक वर्ष अधिक लगता है।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. ब्रिटेन में उच्च शिक्षा मुख्यता: किन-किन संस्थानों द्वारा प्रदान की जाती है?
2. ब्रिटेन के उच्च शिक्षण संस्थान के कौन-कौन से प्रकार हैं? नामोल्लेख कीजिए।
3. स्कॉटिश विश्वविद्यालय आनर्स डिग्री कितने वर्ष के अध्ययन के फलस्वरूप प्रदान करता है।

9.4 अकादमिक व व्यावसायिक कार्यक्रम (Academic and Professional Programmes)

1. गैर विश्वविद्यालयी स्तर (तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा)

गैर विश्वविद्यालयी पोस्ट सैकण्डरी तकनीकी शिक्षा, तकनीकी कॉलेजों, फर्दर एज्यूकेशन कॉलेजों, हायर एज्यूकेशन कॉलेजों, स्वतन्त्र कॉलेजों द्वारा प्रदान की जाती है। इनके द्वारा प्रदान किए जाने वाली डिग्रियाँ इस प्रकार हैं-

(i) बीटेक फर्स्ट डिप्लोमा (एक वर्ष पूर्ण कालिक)

(ii) बीटेक नेशनल डिप्लोमा (दो से तीन वर्ष पूर्ण कालिक)

(iii) हायर नेशनल डिप्लोमा (तीन वर्ष) ये डिप्लोमा बिजनेस टेक्नोलॉजी एज्यूकेशनल काउंसिल (बी.टी.ईसी) द्वारा प्रदान की जाती है।

9.5 विश्वविद्यालयी स्तर की शिक्षा (Educational at the University Level)

9.5.1 विश्वविद्यालय स्तर- प्रथम सोपान (Under Graduate)

इनकी अवधि तीन से चार वर्ष की होती है। इसके द्वारा कला, विज्ञान, तकनीकी, कानून, इंजीनियरिंग में बेचलर्स डिग्री प्राप्त की जा सकती है। कुछ स्कॉटिश विश्वविद्यालयों में फर्स्ट डिग्री ही मास्टर्स डिग्री है। कुछ विश्वविद्यालय व महाविद्यालय दो वर्ष के कोर्स की समाप्ति पर डिप्लोमा इन हायर एज्यूकेशन प्रदान करते हैं।

9.5.2 विश्वविद्यालय स्तर- द्वितीय सोपान (Masters Degree)

मास्टर्स डिग्री के लिए विशिष्ट फील्ड के लिए पढ़ाई की जाती है व इसकी प्राप्ति एक या दो वर्ष के कोर्स के उपरान्त होती है।

9.5.3 विश्वविद्यालयी स्तर- तृतीय सोपान : मास्टर्स ऑफ फिलासॉफी, डॉक्टर ऑफ फिलासॉफी (Ph.D.)

ये स्तर पूर्णत: अनुसंधान केन्द्रित हैं दो वर्ष की शिक्षा व थीसिस की सफल प्रस्तुति पर मास्टर्स ऑफ फिलोसॉफी (एम. फिल) की डिग्री प्रदान की जाती है। तीन वर्ष के अनुसंधान शिक्षण पश्चात् डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी (डी. फिल या पीएच.डी.) प्रदान की जाती है।

9.5.4 विश्वविद्यालय स्तर- चतुर्थ सोपान : हॉयर डॉक्टरेट (Higher Doctorate)

एम. फिल या डी. फिल के पश्चात् कानून, हयूमेनिटीज, विज्ञान, मेडिकल साइन्स, संगीत व थियोलॉजी में विशिष्ट व उच्च कोटि के प्रकाशनों पर हायर डाक्टरेट की डिग्री प्रदान की जाती है।

9.6 तकनीकी शिक्षा (Technical Education)

ब्रिटेन में टेक्निकल एवं टेक्नोलॉजिकल शिक्षा चार स्तरों पर दी जाती है। सबसे उच्च स्तर पर उच्च टेक्नोलॉजी के महाविद्यालय हैं। इनमें उच्च स्तर के अध्ययन की व्यवस्था है। विद्यार्थियों को डिप्लोमा इन टेक्नोलॉजी की परीक्षा के लिए भी तैयार किया जाता है, जो विश्वविद्यालय की विशिष्ट पाठ्यक्रम के साथ प्रथम उपाधि के समकक्ष है।

द्वितीय स्तर पर टेक्नोलॉजी के क्षेत्रीय महाविद्यालय हैं, इनमें भी उच्च शिक्षा की व्यवस्था है। ये सभी विद्यार्थियों की स्नातक, उच्च स्तर के डिप्लोमा एव उपाधियों के लिए तैयार करते हैं। अधिकांश पूर्णकालिक छात्र होते हैं, जो वर्ष के प्राय: छ: मास कार्य में और छ: मास इन महाविद्यालय में अध्ययन करने में बिताते हैं। ऐसे विद्यार्थी सेण्डविच विद्यार्थी के नाम से पुकारे जाते हैं।

तीसरे स्तर पर एरिया कॉलेज आते हैं। एरिया कॉलेजों का मुख्य कार्य विद्यार्थियों को सामान्य राष्ट्रीय प्रमाण पत्र एवं लन्दन इंस्टीट्यूट की प्रमाण पत्र परीक्षाओं के लिए तैयार करना होता है। ये सामान्य राष्ट्रीय प्रमाण पत्र जो ओ.एन.सी. के नाम से जाने जाते हैं। इनके लिए अनिवार्य शर्त यह है कि विद्यार्थी अपने अध्ययन के पूरे समय लगातार कहीं भी कार्य करता रहा हो।

चौथे और निम्न स्तर पर विभिन्न धंधों से सम्बन्धित वे अनेक पाठ्यक्रम हैं, जिनका आयोजन सिटी एंड गिल्ड इंस्टीट्यूट लन्दन करती है। इस संस्था के प्रमाण पत्र देश तथा विदेश दोनों में ही काफी लम्बे समय से प्रतिष्ठित है। दोनों प्रमाण पत्र कार्य करते रहने के साथ प्राप्त किए जाते हैं। माध्यमिक प्रमाण पत्र के लिए सामान्यत: दो वर्ष के अध्ययन की आवश्यकता होती है। अन्तिम प्रमाण पत्र में इनके बाद दो वर्ष और लगते हैं।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. ब्रिटेन में विश्वविद्यालय स्तर पर कितने सोपान होते हैं?
2. ब्रिटेन में तकनीकी शिक्षा किन-किन स्तरों पर प्रदान की जाती है?
3. ब्रिटेन में गैर विश्वविद्यालयी स्तर पर कौन-कौनसी डिग्रियाँ प्रदान की जाती है?

9.7 शिक्षण विधियाँ (Teaching Methods)

ब्रिटेन के विभिन्न विश्वविद्यालयों में एक समान शिक्षण प्रणाली प्रयुक्त नहीं होती। ऑक्सफोर्ड एव केम्ब्रिज विश्वविद्यालयों ने सम्बद्ध महाविद्यालय से सम्पर्क बनाए रखने के लिए पूरक कक्षा प्रणाली चला रखी है। व्याख्यान प्रणाली ही अधिकांशत: प्रयोग में आती है। सप्ताह में एक दिन ट्यूटोरियल कक्षाएँ लगा ली जाती है जिनके द्वारा पूर्व अर्जित ज्ञान तथा पाठों की पुनरावृत्ति करने, ज्ञान को सघन बनाने तथा शोधकार्य करने का अवसर सुलभ हो जाता है। ट्यूटोरियल कक्षा में अध्यापक प्रमुखतम स्थान रखता है। वह छात्र-छात्राओं की किसी विषय की समस्या अथवा कठिनाई को लेकर उसका समाधान प्रस्तुत करता है और शंका निवारण कराता है। यह व्यवस्था केवल कला विषय के छात्र-छात्राओं के लिए ही है। विज्ञान कक्षाओं के

विद्यार्थियों के लिए एक ट्यूटोरियल अध्यापक प्रदर्शक की दृष्टि से प्रयोगात्मक कार्य कराता है तथा उपयोगी प्रयोग प्रदर्शन प्रस्तुत करता है।

स्नातकोत्तर कक्षाओं में ट्यूटोरियल कक्षाओं का स्वरूप परिवर्तित होता है। यहाँ छात्र-छात्राओं के कार्य की व्यक्तिगत शिक्षण अथवा अभ्यास देने का प्रयास किया जाता है। यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति न होकर निरीक्षकों, पर्यवेक्षकों (Supervisors) की नियुक्ति की जाती है जो छात्र-छात्राओं के कार्य की व्यक्तिगत रूप से देखभाल करते हैं। इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य में पूरक कक्षा प्रणाली महत्वपूर्ण बनती जा रही है। इस प्रणाली द्वारा व्याख्यान के अभाव की पूर्ति करने के लिए लोकतांत्रिक जन दृष्टिकोण उत्पन्न करने का सफल प्रयास किया जाता है। वे विद्यार्थी जो कक्षा प्रणाली द्वारा अधिक लाभान्वित नहीं होते, पूरक कक्षा प्रणाली से अधिक लाभ प्राप्त कर लेते हैं।

9.7.1 तकनीकी एवं आई.सी.टी. (I.C.T.)

उच्च शिक्षा में ई. लर्निंग, इन्टरनेट, डिजिटल तकनीक, लर्निंग टेक्नोलॉजी, कम्प्यूटर का प्रयोग, प्रभावी शिक्षण व अधिगम के लिए किया जाता है। दूरस्थ शिक्षा, खुला विश्वविद्यालय में तो इसका विस्तृत उपयोग है। लेपटॉप व पी.सी. का उपयोग सामान्य है।

9.8 मूल्यांकन (Evaluation)

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर परीक्षा परिषद् परीक्षा लेती है। बाह्य परीक्षक भी नियुक्त किए जाते हैं। सामान्य डिग्री में छः, ऑनर्स डिग्री में आठ क्रेडिट्स होते हैं जो कि आधारभूत विषयों पर आधारित होते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम भी प्रचलन में है। नवीन प्रवृतियों में वर्ष भर के प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

9.9 विवृत विश्वविद्यालय (Open University)

उच्च शिक्षा पाने के इच्छुक सभी व्यक्तियों के लिए ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में स्थान का अभाव अनुभव होने पर विवृत विश्वविद्यालयों की परम्परा प्रारम्भ की गई। जून 1969 में सरकार ने विवृत विश्वविद्यालय को मान्यता दी एवं वह एक स्वायत्तशासी संस्था बन गई। विवृत विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। विवृत विश्वविद्यालय का कोई भौगोलिक क्षेत्र एवं सीमा नहीं है। अध्यापकों के स्थान पर इस विश्वविद्यालय में श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य उपकरण, रेडियो टेपरिकॉर्डर, दूरदर्शन आदि होते है। यदाकदा स्थानीय शिक्षक समूहों की सहायता से भी शिक्षण व्यवस्था की जाती है।

विवृत विश्वविद्यालय में किसी एक शिक्षण विधि पर निर्भर नहीं रहा जाता। इनमें निम्न शिक्षण तकनीकों का प्रयोग होता है।

- रेडियो।
- टेपरिकॉर्डर।
- टेलीविजन।
- पत्राचार द्वारा पाठ व निर्देश भेजना तथा इनके आधार पर प्राप्त निष्कर्षो का
- मूल्यांकन।

- अंशकालीन अध्यापन आयोजित करना।
- अभियोजित पुस्तकें तैयार करना।
- कभी-कभी कक्षा शिक्षण तथा सामूहिक विचार-विमर्श का आयोजन।
- सम्पर्क कक्षाओं का आयोजन।
- खुले पुस्तकालय, कार्यशालाओं तथा प्रयोगशालाओं का आयोजन।

ब्रिटेन विश्वविद्यालय में पास व ऑनर्स दो प्रकार के पाठ्यक्रम होते हैं। एक सत्र के लिए निर्धारित क्रेडिट्स को पूरा करने पर विद्यार्थी को उत्तीर्ण माना जाता है। सामान्य पास कोर्स में 8 क्रेडिट्स व ऑनर्स कोर्स में छ क्रेडिट्स पास करने होते हैं। 4 वर्ष की शिक्षा अवधि होती है। क्रेडिट्स निम्न आधारभूत पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं-

- गणित
- सामान्य विज्ञान
- सामान्य सामाजिक विज्ञान
- साहित्य व संस्कृति

विवृत विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी होते है व इनमें अंशकालीन अध्यापन हेतु अंशकालीन अध्यापक नियुक्त किए जाते हैं। एक कुलपति के अतिरिक्त निम्नलिखित अधिकारियों की भी प्रशासन हेतु नियुक्ति की जाती है :-

- अध्ययन, गृह शिक्षण तथा पत्राचार हेतु निदेशक।
- स्थानीय केन्द्रों और शिक्षण सेवाओं द्वारा अध्ययन के लिए निदेशक।

ये दोनों निदेशक अपने-अपने विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञों की नियुक्ति द्वारा उनसे पाठ लिखाते हैं व पुस्तकें तैयार करवाते हैं। व्याख्यान, प्रदर्शन कार्य, कार्य निरीक्षण तथा मूल्यांकन करवाते हैं।

विवृत विश्वविद्यालय उन व्यक्तियों के लिए बहुत उपयोगी है जो किसी कारणवश सामान्य विश्वविद्यालयों में शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। ये विश्वविद्यालय बौद्धिक व व्यावसायिक दोनों प्रकार की शिक्षा देने में सक्षम हैं।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. ब्रिटेन में विवृत विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों महसूस की गई?
2. ब्रिटेन के विभिन्न विश्वविद्यालयों की शिक्षण प्रणाली के बारे में बताइए।
3. ब्रिटेन विश्वविद्यालय की मूल्यांकन प्रकिया बताइए।

9.10 दूरवर्ती शिक्षा (Distance Education)

सन् 1969 में ब्रिटेन में केन्यीज मिल्टन ने दूरवर्ती शिक्षा के विकास के रूप में मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस विश्वविद्यालय ने व्यक्तियों की उम्र, लिंग, निवास स्थान एवं उनकी औपचारिक शैक्षिक योग्यता को पृथक कर सभी व्यक्तियों के लिए प्रभावी पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करके विश्वव्यापी प्रभाव डाला। इस विश्वविद्यालय में साठ हजार से अधिक छात्रों को प्रवेश दिया गया। विश्वविद्यालय के दूरदर्शन तथा रेडियो द्वारा प्रसारित कार्यक्रम उच्च शैक्षिक मूल्यों पर आधारित होते हैं तथा सभी ने अत्यधिक रुचि ली। इस विश्वविद्यालय ने

अनेक विकासशील देशों में मुक्त विश्वविद्यालयों तथा दूरवर्ती शिक्षा संस्थानों की स्थापना हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया है। इसने अपने शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए अत्यधिक बहु माध्यम का विकास किया है। उदाहरणार्थ- इसने एक अत्यधिक परिवर्तनीय अस्थिर दृश्य-श्रव्य शिक्षण माध्यम को विकसित किया जो कि पारम्परिक टेलीविजन सेट, प्रामाणिक ऑडियो कैसेट तथा सूक्ष्म कम्प्यूटर पर आधारित है।

ब्रिटेन के मुक्त विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम सामग्री ने कुछ अमेरिकी विश्वविद्यालयों, विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका के हंगस्टन विश्वविद्यालय तथा न्यूजर्सी के स्टेट विश्वविद्यालयों का ध्यान आकर्षित किया। इन विश्वविद्यालयों ने प्रयोग के रूप में अपने छात्रों को चयनित ब्रिटिश मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए। इनमें से अधिकांश पाठ्यक्रमों का बाद में उपयोग किया गया।

केम्ब्रिज का एक ऐसा सुपरिचित संस्थान है, जो दूरवर्ती शिक्षा पाठ्यक्रमों को सुविधा प्रदान करने के अतिरिक्त कुछ विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करता है। यह संस्थान लन्दन विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के सहयोग से विकासशील देशों के लिए दूरवर्ती शिक्षा के विषय में एक अत्यन्त उपयोगी समाचार पत्र प्रकाशित करता है।

ब्रिटेन में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे निजी पत्राचार शिक्षा संस्थान हैं, जो बाहरी छात्रों को विभिन्न पब्लिक स्कूलों, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं तथा विभिन्न प्रकार के पत्राचार पाठ्यक्रम की सुविधा प्रदान करते हैं।

9.11 अग्रिम शिक्षा (Continuing Education)

ब्रिटेन की शिक्षा व्यवस्था में अग्रिम शिक्षा का बहुत महत्व है। अग्रिम शिक्षा का सूत्रपात 1944 ई. के शिक्षा अधिनियम के आधार पर हुआ। इस अधिनियम की 40वीं धारा में अग्रिम शिक्षा को इस प्रकार व्यक्त किया है-

(1) जिन्होंने अनिवार्य विद्यालयी आयु (Compulsory School Age) पार कर ली है इनके लिए पूर्णकालिक अथवा अंशकालीन शिक्षा व्यवस्था करना ही अग्रिम शिक्षा व्यवस्था है।

(2) यदि किसी ने अनिवार्य विद्यालयी आयु पार कर ली है तो उसके अवकाश के समय को यदि वह इच्छा और योग्यता रखता है, ऐसा कार्य संपादन से पूर्ण करना जो इसकी आवश्यकता को पूरा करे, मनोरंजन प्रदान करे तथा सांस्कृतिक विकास की ऐसी ही व्यवस्था अग्रिम शिक्षा के अन्तर्गत की जाएगी।

इस प्रकार उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अग्रिम शिक्षा 1944 ई. के शिक्षा अधिनियम से पूर्व प्रचलित माध्यमिक प्राविधिक शिक्षण प्रशिक्षण सम्बन्धी एवं प्रौढ़ शिक्षा से सम्बन्धित शिक्षा से भिन्न है। स्थानीय शिक्षा सत्ताओं (L.E.A.) द्वारा संचालित उच्चतर शिक्षा (Higher Education) इसके अन्दर नहीं आती, फिर भी इस शिक्षा व्यवस्था में उन सभी क्रियाओं को समाविष्ट किया गया है जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है और उसके अवकाश का सदुपयोग करने में सहायक है।

अग्रिम शिक्षा व्यवस्था का संचालन स्थानीय शिक्षा सत्ताएँ (L.E.A.) तथा अन्य संगठन करते हैं। प्रमुख व्यवस्था स्थानीय सत्ताओं के हाथ में ही है।

अन्य अग्रिम कक्षा व्यवस्थाओं में अर्द्ध स्वतन्त्र एवं स्वैच्छिक संस्थाएँ कार्यरत है। अर्द्ध स्वतन्त्र संस्थाओं को शिक्षा मन्त्रालय द्वारा आर्थिक अनुदान मिलता है तथा स्वैच्छिक संस्थाओं में से कुछ को शिक्षा मन्त्रालय आर्थिक सहयोग देता है। इनके अतिरिक्त कुछ व्यक्तिगत संस्थाएँ भी हैं, जो किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं पाती और अग्रिम शिक्षा व्यवस्था करती है।

9.12 अग्रिम शिक्षा का स्वरूप (Structure of Continuing Education)

ब्रिटेन में प्रचलित अग्रिम शिक्षा का स्वरूप सामान्यत: निम्नलिखित तीन प्रकार की शिक्षाओं में सम्मिलित है-

(1) व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education)

(2) नियमित प्रौढ़ शिक्षा (Formal Adult Education)

(3) सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाएँ (Social and Cultural Activities)

9.13 प्रौढ़ शिक्षा (Adult Education)

ब्रिटेन में प्रौढ़ शिक्षा के लिए शिक्षा व्यवस्था करने का कार्य अग्रिम शिक्षा का उत्तरदायित्व वहन करने वाली संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इस प्रकार ब्रिटेन में प्रौढ़-शिक्षा से सम्बन्धित संगठन निम्नलिखित हैं-

(1) स्थानीय शिक्षा सताएँ (Local Education Authorities)

(2) उत्तरदायी संस्थाएँ (Responsible Bodies)

(3) महारानी की सैन्य शक्तियाँ (H.M. Forces)

(4) स्वैच्छिक संगठन (Voluntary Organisation)

9.14 शोधकार्य (Research)

शिक्षा की दृष्टि से विश्वविद्यालय सर्वोच्च शिक्षा केन्द्र होता है-

ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में विज्ञान और कला दोनों में ही शोधकार्य की व्यवस्था पाई जाती है। कला के विषयों का वैज्ञानिक अध्ययन कराने की व्यवस्था भी इन विश्वविद्यालयों में की गई है। इस दृष्टिकोण से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय सभी विद्यालय का नेतृत्व करता है। इस विश्वविद्यालय में एक सम्बद्ध महाविद्यालय केवल शोधकार्य की व्यवस्था के लिए ही स्थापित किया गया है। इससे कोई छात्र शिक्षा नहीं पाता। यहाँ शिक्षक चाहे वे विश्वविद्यालय के हों अथवा कोई भी हों, राष्ट्रीय समृद्धि व प्रगति की समस्याओं पर तल्लीन होकर शोधकार्य करते हैं। शोधकार्य करना केवल विश्वविद्यालयों के व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं हैं वरन् उसे कोई भी उत्तर स्नातक नागरिक कर सकते हैं। केम्ब्रिज तथा ऑक्सफोर्ड के विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों, अध्यापकों के लिए शोधकार्य के लिए पूर्ण सुविधाएँ उपलब्ध हैं। ऐसी ही सुविधाएँ अन्य विश्वविद्यालय भी जुटा रहे हैं।

विश्वविद्यालयों के अध्यापक ज्ञानार्जन के लिए अन्वेषण कार्य एवं शोधकार्य करते हैं तथा इनका प्रसार भी करते हैं।

9.15 शिक्षक-शिक्षा (Teacher Education)

सन् 1944 के शिक्षा अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम शिक्षामन्त्री को यह दायित्व सौंपा गया कि वह यह देखे कि सार्वजनिक शिक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध हैं।

9.15.1 वर्तमान व्यवस्था (Present System)

ब्रिटेन में शिक्षक-प्रशिक्षण की जिम्मेदारी विश्वविद्यालयों पर है। प्रत्येक विश्वविद्यालय के अन्तर्गत एक शिक्षा-संस्थान (अथवा स्कूल) की स्थापना की गई है। शिक्षा संस्थाएँ मुख्यत: दो प्रकार की हैं- (1) विश्वविद्यालयों के शिक्षा-विभाग एवं (2) शिक्षा महाविद्यालय । विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों में केवल विश्वविद्यालयों से स्नातक की उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को प्रवेश मिलता है। प्रशिक्षण काल एक वर्ष है और केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण ही दिया जाता है। शिक्षा महाविद्यालय में से भी कुछ स्नातकों को प्रशिक्षित करते हैं, परन्तु इनमें से अधिकांश का कार्य इससे निम्न योग्यता वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना है। शिक्षा महाविद्यालय भी सामान्य तथा विशिष्ट दो प्रकार के होते हैं। सामान्य शिक्षा महाविद्यालय का पाठ्यक्रम सामान्यत: तीन वर्ष का होता है और व्यक्तिगत शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दोनों ही साथ-साथ चलते हैं। विशिष्ट शिक्षा महाविद्यालय तीन मुख्य प्रकार के हैं- (1) महिला शारीरिक शिक्षिकाओं के लिए (2) गृहकला की महिला शिक्षिकाओं के लिए तथा (3) तकनीकी विषयों के पुरुष एवं महिला शिक्षकों के लिए। प्रथम दो में पाठ्यक्रम तीन वर्ष का होता है और तीसरे में केवल एक वर्ष का।

विश्वविद्यालय के शिक्षा विभागों की व्यवस्था एव संचालन विश्वविद्यालयों द्वारा और शिक्षा महाविद्यालय का स्थानीय शिक्षा अधिकरणों एव स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया जाता है।

9.15.2 पाठ्यक्रम एवं परीक्षा (Curriculum and Exam.)

सभी प्रकार के शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक दोनों विषयों का समावेश होता है। पाठ्यक्रम के अन्त में लिखित परीक्षा या क्रमिक मूल्यांकन अथवा दोनों का सम्मिश्रण द्वारा छात्रों की परीक्षा ली जाती है। परीक्षा का स्वरूप कुछ भी हो, परीक्षक आन्तरिक एवं बाह्य दोनों ही होते हैं।

9.15.3 शिक्षक शिक्षा (Teacher Education)

विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग के अध्यक्ष प्राध्यापक कहलाते हैं। उनके अधीन वरिष्ठ प्राख्याता, प्राख्याता एवं सहायक प्राख्याता होते हैं। इनकी नियुक्ति विश्वविद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालय (विशेष रूप से ग्रामर स्कूलों) के शिक्षकों में से की जाती है।

शिक्षा महाविद्यालय में प्रधानाचार्य, उपप्रधानाचार्य, मुख्य प्राख्याता, वरिष्ठ प्राख्याता एवं प्राख्याता होते हैं। इनकी नियुक्ति पूर्णतया विद्यालय शिक्षकों में से की जाती है। तकनीकी प्रशिक्षण महाविद्यालय के लिए उपयुक्ता तकनीकी योग्यता एव अनुभव अनिवार्य होता है।

प्रशिक्षण की विधियों में व्याख्यान, प्रदर्शन, संगोष्ठी, ट्यूटोरियल वर्ग, व्यक्तिगत अध्ययन, पर्यवेक्षण एवं अध्यापनाभ्यास सम्मिलित हैं। अनेक शारीरिक, सांस्कृतिक तथा मनोरंजनात्मक पाठ्येत्तर प्रवृतियों की भी व्यवस्था है, जो मुख्यत: छात्रों द्वारा ही आयोजित की जाती है।

शिक्षक-प्रशिक्षण के विषय में शिक्षामंत्री को परामर्श देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर "नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ऑन दी ट्रेनिंग एण्ड सप्लाई ऑफ टीचर्स" नामक संस्था कार्य करती है। इसके सदस्यों में विश्वविद्यालयों, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संगठनों, शिक्षा महाविद्यालय, स्थानीय शिक्षा अधिकरणों एवं शिक्षकों के व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधि शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं विद्यालय निरीक्षक होते हैं।

9.16 शिक्षा प्रशासन (Educational Administration)

9.16.1 सामान्य प्रशासन (General Administration)

सभी ब्रिटिश विश्वविद्यालय स्वयंशासी संस्थाएँ हैं और उनकी अपनी स्वतन्त्र प्रशासनिक व्यवस्था है। यद्यपि इन्हें अपना कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता, जो कुल व्यय के तीन-चौथाई से भी अधिक होती है, मिलती है, परन्तु वह इनके कार्यो में सामान्यत: किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती और ये कर्मचारियों को नियुक्ति व वित्तीय मामलों आदि सभी में पूर्ण स्वतन्त्र है।

विश्वविद्यालय प्रशासन के दो प्रमुख पक्ष होते हैं- (1) सामान्य व्यवस्था एवं प्रबन्ध तथा (2) वित्तीय व्यवस्था।

9.16.2 सामान्य व्यवस्था एव प्रबन्ध (General System and Management)

ब्रिटेन में विश्वविद्यालयों की सामान्य व्यवस्था के लिए जो समितियाँ व संगठन आदि कार्य करते हैं उन्हें विभिन्न विश्वविद्यालयों में भिन्न-भिन्न नामों से जाना जाता है। दो संगठन इस कार्य को सम्पन्न करते हैं उन्हें सीनेट तथा गवर्निंग काउंसिल कहते हैं सीनेट का कार्य शैक्षिक कार्यक्रम एवं योजनाएँ तैयार करना होता है। गवर्निंग कौंसिल परामर्श देने का कार्य करती है। उपकुलपति इसका प्रदेश अध्यक्ष होता है और विभिन्न विभागों के अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। गवर्निंग काउंसिल का कार्य सामान्य व्यवस्था एवं प्रबन्ध का संचालन करना होता है। इसके सदस्यों में सामंजस्य तथा शिक्षाविद् दोनों ही होते हैं। शिक्षाविदों का चुनाव विश्वविद्यालय सीनेट करती है। यद्यपि शैक्षिक मामलों पर भी अन्तिम रूप से गवर्निंग काउंसिल का ही नियन्त्रण रहता है, परन्तु प्राय: सभी निर्णय सीनेट द्वारा लिए जाते हैं और गवर्निंग काउंसिल का कार्य मात्र औपचारिक स्वीकृति देना होता है।

कोई भी नीति गवर्निंग काउंसिल अथवा सीनेट में जन्म नहीं लेती। शैक्षिक नीतियाँ सम्बन्धित विभाग में शुरू होती है और पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात् सीनेट के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

9.16.3 शैक्षिक व्यवस्था (Educational System)

प्रत्येक विश्वविद्यालय के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी उपकुलपति एवं कुल सचिव तथा बर्सर होते हैं, जो क्रमश: अकादमिक, कार्यालयी व्यवस्था तथा वित्तीय व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते हैं।

शिक्षण अनुसंधान एवं परीक्षा कार्य के लिए अधिकांश विश्वविद्यालय संकायों में विभाजित है। प्रत्येक संकाय में विभिन्न विषय विभाग होते हैं। प्रत्येक संकाय का एक अध्यक्ष होता है, जो प्राध्यापकों में से कुछ निश्चित वर्षो के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, विभिन्न विभागों में विभागाध्यक्ष होते हैं जो प्राध्यापक कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त रीडर, वरिष्ठ प्राख्याता, प्राख्याता एवं सहायक प्राख्याता होते हैं। प्रत्येक विभाग में कुछ अनुसंधान फैलो एवं अनुसंधान सहायक भी होते हैं।

छात्रों के प्रवेश, निलम्बन तथा निष्कासन आदि के विषय में विश्वविद्यालय को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार के अधिकार उन्हें अकादमिक शिक्षकों की नियुक्ति एव निष्कासन के बारे में भी प्राप्त है। प्रवेश के लिए किसी छात्र को या तो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है अन्यथा उसे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित चार या पाँच विषयों में जी.सी.ई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में शोधकार्य की प्रकिया बताइए।
2. ब्रिटेन के विश्वविद्यालय के शिक्षक-प्रशिक्षकों के बारे में आप क्या जानते है।
3. ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों की शैक्षिक व्यवस्थाओं को स्पष्ट कीजिए।

तकनीकी शिक्षा का प्रशासन

तकनीकी शिक्षा का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी अन्य सभी प्रकार की शिक्षा के समान ही शिक्षामंत्री होता है। में से कुछ निश्चित वर्षो के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, विभिन्न विभागों में विभागाध्यक्ष होते हैं जो प्राध्यापक कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त रीडर, वरिष्ठ प्राख्याता, प्राख्याता एवं सहायक प्राख्याता होते हैं। प्रत्येक विभाग में कुछ अनुसंधान फैलो एवं अनुसंधान सहायक भी होते हैं।

छात्रों के प्रवेश, निलम्बन तथा निष्कासन आदि के विषय में विश्वविद्यालय को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार के अधिकार उन्हें अकादमिक शिक्षकों की नियुक्ति एवं निष्कासन के बारे में भी प्राप्त है। प्रवेश के लिए किसी छात्र को या तो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है अन्यथा उसे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित चार या पाँच विषयों में जी.सी.ई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में शोधकार्य की प्रकिया बताइए।
2. ब्रिटेन के विश्वविद्यालय के शिक्षक-प्रशिक्षकों के बारे में आप क्या जानते है।
3. ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों की शैक्षिक व्यवस्थाओं को स्पष्ट कीजिए।

तकनीकी शिक्षा का प्रशासन

तकनीकी शिक्षा का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी अन्य सभी प्रकार की शिक्षा के समान ही शिक्षामंत्री होता है।

9.17 वित्त (Finance)

वित्तीय व्यवस्था- वित्तीय अनुदान वर्तमान वर्षा में, यह कुल व्यय के तीन-चौथाई से भी अधिक मिलने लगा है।

विश्वविद्यालय अनुदान समिति- राजकीय अनुदान एक संस्था के माध्यम से दिया जाता है, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान समिति के नाम से पुकारा जाता है। वर्तमान समय में यह एक महत्वपूर्ण सुव्यवस्थित संस्था है। इसके अधिकांश सदस्य विश्वविद्यालयों से ही लिए जाते हैं, परन्तु स्थानीय शिक्षा-अधिकरणों, ग्रामर स्कूलों तथा उद्योगों आदि को भी इसमें प्रतिनिधित्व मिलता है। इसके पूर्णकालिक एवं वेतनभोगी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं, जो प्राय: विश्वविद्यालयों से आते हैं। विभिन्न विश्वविद्यालय अपनी वित्तीय आवश्यकताएँ विश्वविद्यालय अनुदान समिति के सामने रखते हैं, जो आवश्यक विचार-विमर्श व संशोधन आदि के पश्चात् उन्हें अपनी अभिशंसा के साथ संसद के समक्ष प्रस्तुत करती है। इस समिति का कार्य उपसमितियों के द्वारा संचालित होता है।

9.18 विशेषताएँ (Special Features)

ब्रिटैन की उच्च शिक्षा की सुलझी हुई प्रणाली, विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत है। ये बेहतर लचीली व उन्नत है। प्राविधिक से लेकर, विज्ञान, कला, व्यावसायिक विषयों में डिप्लोमा, अधिस्नातक स्नातक, अधिस्नातक, डॉक्टरेट व हायर डॉक्टरेट की सुविधा उपलब्ध हैं। दूरस्थ शिक्षा, विवृत विश्वविद्यालय, अग्रिम शिक्षा विकसित हैं व पूर्णकालिक शिक्षा से वंचित लोगों के शिक्षा / अध्ययन में सहायक है। शिक्षक प्रशिक्षण की भी विस्तृत सुविधाएँ हैं।

9.19 समस्याएँ (Problems)

कौशल का विकास व इन्फोर्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन तकनीक का पूर्ण व पर्याप्त विकास व उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस कारण विकसित उद्योग में मेन पावर की कमी हो रही है।

9.20 परिवर्तन (New Trends)

आई.सी.टी. का शिक्षण में बढ़ते प्रयोग के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रयत्न। अनेक अनुसंधान व प्रोजेक्ट द्वारा ई-लर्निंग, डीजिटल तकनीक, नेट, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा शिक्षण व अधिगम को प्रभावी बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। ब्रिटेन विश्वविद्यालय आई.सी.टी. के उपयोग के अनेक प्रयोग कर रहे हैं।

9.21 सारांश (Summary)

ब्रिटेन विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान, व महाविद्यालय उच्च शिक्षा के लिए उत्तरदायी हैं। ऑक्सफोर्ड व केम्ब्रिज ब्रिटेन विश्वविख्यात विश्वविद्यालय है। ब्रिटेन में विज्ञान, कला, तकनीकी, भाषा, प्रविधि सभी विषयों में उच्च शिक्षा की सुविधा है। अनुसंधान की भी विकसित सुविधा है। स्कॉटलैण्ड में उच्च शिक्षा निःशुल्क है।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. ब्रिटेन की समग्र शिक्षा व्यवस्था पर एक निबन्ध लिखिए।
2. ब्रिटेन की विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा कितने सोपानों (स्टेजेज) में विभक्त है? स्पष्ट कीजिए।
3. ब्रिटेन के विवृत विश्वविद्यालयों एवं दूरवर्ती शिक्षा पर टिप्पणियाँ लिखिए।
4. ब्रिटेन में अग्रिम शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त कीजिए।
5. ब्रिटेन में शिक्षक प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था है?
6. ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों की शैक्षिक व्यवस्था एवं वित्त व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए।

9.22 सन्दर्भ सूची (References)

1. जायवाल सीताराम (1970). **तुलनात्मक शिक्षा.** लखनऊ, सूचना विभाग।
2. कौशिक, श्याम लाल (1973). **तुलनात्मक शिक्षा.** जयपुर : हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
3. चौबे, सरयू प्रसाद (2005). **तुलनात्मक शिक्षा.** आगरा: विनोद पुस्तक मन्दिर।
4. शर्मा, बी.एस. (1989). **तुलनात्मक शिक्षा.** जयपुर: राजस्थान प्रकाशन।
5. हंस, निकोलस (1974). **तुलनात्मक शिक्षा.** मध्यप्रदेश: हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
6. मलैया. के.सी. (1996). **तुलनात्मक शिक्षा.** इलाहाबाद लोक भारती प्रकाशन।
7. किंग, एडमण्ड एण्ड वर्मा, आई.बी (1973). **विद्यालय शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन.** जयपुर: राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
8. Chaube, S.P. (1965). **Comparative Education.** Agra: Ram Prasad and Sons.
9. पाण्डेय, रामशकल (1970). **देश-विदेश में शिक्षा,** आगरा. लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रेस।
10. Oad, L.K. (1968) **Current Issues in Education.** Delhi: Young Man and Company
11. Bready, George Z.F.(1967). **Comparative Methods in Education.** Oxford: IBH Publishing Co.
12. Sinha, L.S. (1978). **Secondary School Practices in England Wales and India:** A Comparative Study. Allahabad: Chugh Publication.

13. Holmes, Brain (1981). **Comparative Education:Some Considertations of Method.** London George Allen And Unwin.
14. Chinnappa, S.Paul. (1988). **The British System of Education in India.** Delhi: Swati Publication.
15. चौबे, सरयू प्रसाद (1962). **विदेशों में शिक्षा.** इलाहाबाद : रामनारायण प्रकाशन।
16. श्रीवास्तव. आर.एस. (1963) **तुलनात्मक शिक्षा.** आगरा: इण्डियन बुक हाउस।
17. Meyer, A.E. (1949). **The Development of Education in the Twentieth Century.** New York: Prentice Hall Inc.
18. Ulich, Rober (1961). **The Education of Nations.** Cambridge: Harvard University Press.
19. Smith, H.I. (1941). **Comparative Education.** Bloomington: Educational Publications.

इकाई - 10

रूस में शिक्षा का विकास

(Development of Education in Russia)

10.0 इकाई के उद्देश्य (Objective of the Unit)

10.1 विषय प्रवेश (Introduction)

10.1.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)

10.1.1.1 रूस का विघटन से पूर्व का इतिहास (History of Russia Before Break up)

10.1.1.2 सोवियत संघ का विघटन (Break up of the Soviat Union)

10.1.1.3 एशियन फेडरेशन का उदय (Emergence of Russian Faderation)

10.2 शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक (Factors of Affecting Education)

10.2.1 भौगोलिक कारक (Geographical Factor)

10.3.1 रूस का शैक्षिक इतिहास (Educational History of Russia)

10.3.2 वर्तमान रूस की सांख्यिकी (Stastistics of the Present Russia)

10.4.1 वर्तमान रूस की शिक्षा के उद्देश्य (Educational Objectives of the Present Russia)

10.4.2 रूस की शिक्षा नीति (Education Policy of Russia)

10.5 रूस की शैक्षिक संरचना (Educational Structure of Russia)

10.6 शिक्षा का माध्यम (Medium of Instruction)

10.7 रूसी शिक्षा प्रणाली के विशेष पक्ष (Special Features of Russian Education System)

10.8 रूस में शिक्षा प्रशासन (Educational Administration in Russia)

10.9 सारांश (Summary)

10.10 सन्दर्भ सूची (References)

10.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of the Unit)

इस इकाई को पढ़कर आप यह जान सकेंगे कि-

1. रूस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है तथा विकेन्द्रीकरण के पश्चात् वहां क्या परिवर्तन हुए।
2. रूस के शैक्षिक इतिहास को जानते हुए यह समझ सकेंगे कि देश के विभिन्न घटक (कारक) शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करते है।
3. रूस में शिक्षा की वर्तमान स्थिति को जान सकेंगे तथा वहां की शिक्षा के उद्देश्यों को समझ सकेंगे।
4. आप यह जान सकेंगे कि रूस की शिक्षा नीति क्या है तथा शैक्षिक प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है।

5. रूस की शैक्षिक संरचना को समझते हुए वहां की शिक्षा प्रणाली की विभिन्न विशेषताओं को जान सकेंगे।

10.1 विषय-प्रवेश (Introduction)

सोवियत संघ, जिसने 1917 से 1990 के बीच की अवधि में एक विशाल और सशक्त देश के रूप में समूचे विश्व में अपनी पहचान बनाई थी, वह 1990 में विघटित होकर 15 स्वतंत्र गणराज्यों में विभक्त हो गया। वर्तमान समय में एशियन फेडरेशन अथवा एशिया या रूस नाम से जाना जाने वाला यह देश 15 गणराज्यों रशियन फेडरेशन, कजाकिस्तान, कर्जिस्तान तजाकिस्तान, उजेकिस्तान, तुकमेनिस्तान, अजरबेजान, अर्मेनिया, उक्रेन, मोल्डोवा, बेलरस, ज्योर्जिया लियोनिया लेटविया तथा इस्टोनिया में फैला हुआ है। वर्तमान में रूस नाम से प्रसिद्ध यह देश 1990 तक सोवियत रूस के नाम से जाना जाता था। अपनी बौद्धिक क्षमता और साम्यवादी विचारधारा के कारण विश्व में सबसे समृद्ध और समर्थ देश के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त यह देश वर्षो तक विश्व के तमाम विकसित देशों में शीर्षस्थ स्थान पर रहा है। गुणात्मक शिक्षा के लिए आज भी शीर्षस्थ स्थान पर स्थित है। वैश्विक शैक्षिक प्रवाह के साथ इस देश ने स्वयं को मोड़ने का प्रयास किया है। देश में शिक्षा के एकीकरण (Integration of Education) पर उठे विवाद पर 1984 में विज्ञान और उत्पादन को शिक्षा में महत्व दिया गया तथा रूस की प्रदेश समितियों की संयुक्त कांग्रेस ने "शिक्षा के उच्च स्तर के लिए मानवीकरण एवं प्रजातंत्र की ओर" (Onwards Higher Standards of Education through its humanization and Democratisation) का दिसम्बर, 1988 में प्रकाशन एवं प्रसारण किया। इसके परिणामस्वरूप इस देश का शैक्षिक दर्शन भी प्रभावित हुआ। रूस के विभाजन के बाद से शिक्षा को अधिक स्वतंत्रता दी गई तथा शिक्षा में अधिक स्वायत्तता दी जाने लगी।

10.1.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)

10.1.1.1 रूस का विघटन से पूर्व का इतिहास (History of Russia Before Break up)

मार्क्स, लेनिन तथा स्तालिन के साम्यवादी सिद्धान्तों पर आधारित कम्यूनिस्ट पार्टी द्वारा 6 जुलाई 1923 को रूस के लिए **सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स का यूनियन (USSR)** नाम की घोषणा की गई। 'सोवियत' शब्द का अर्थ मजदूरों की समिति होता है। सोवियत रूस में मजदूरों की 70 हजार समितियां थीं जो स्थानीय सोवियत अथवा मजदूर संस्थाओं के ऊपर जिले, प्रान्त तथा देश के स्तर पर संगठित की गई थी। इन सबके ऊपर सोवियत संघ की सुप्रीम कौंसिल होती थी। 1936 में सुप्रीम कौंसिल के दो भाग किए गए, जिनमें एक जातियों की कौंसिल (Council of Nationalities) थी तथा दूसरी यूनियन की कौंसिल (Council of Unions) थी किन्तु सोवियत रूस की कम्युनिस्ट पार्टी ही कानून बनाती तथा उसे इन कौंसिल में पारित किया जाता था।

प्रथम ईस्ट स्लेविक स्टेट- कीवन रूस ने सन् 988 में बाइजेनटाइन एम्पायर से ईसाईयत को अपनाया और यहीं से बाइजेनटाइन और स्लेविक संस्कृति का समन्वय प्रारम्भ हुआ जो अगले हजारों वर्षो तक जारी रहा। सन् 1230 में मंगोल आक्रमणकारियों के दबाव में कीवन रूस विभाजित होकर मंगालों के आधिपत्य में चला गया। तथापि कई क्षेत्रीय सामन्तों ने मंगोलों का जमकर विरोध किया और कीवनरूस की संस्कृति को बचाए रखा जिनमें नोवगोरोड एवं स्कॉल (Pskov) प्रमुख थे।

13वीं शताब्दी के बाद मोस्को का तेजी से तथा विशेष रूप से प्रादुर्भाव हुआ और उसने रूसी संस्कृति को बचाए रखा। 18वीं शताब्दी में ग्रेण्डड्यूची ऑफ मोस्को (Grand Duchy of Moscow) एक विशाल रूसी साम्राज्य के रूप में उभरा जिसका साम्राज्य पोलेण्ड के पूर्व से लेकर पेसिफिक महासागर तक फैला हुआ था। इसके बाद 19वीं सदी में 1861 में रूसी सर्फडोम फैला हुआ था। इसके बाद 19वीं सदी में 1861 में रूसी सर्फडोम (Russian Serfdom) का प्रादुर्भाव हुआ किन्तु किसानों के द्वारा भारी विरोध करने पर इसका शीघ्र ही विघटन हो गया और साम्राज्य में क्रांतिकारियों का दबाव बढ़ने लगा।

रूस के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में सर्फडोम के विघटन एवं 1914 के प्रथम विश्वयुद्ध के प्रारम्भ के साथ-साथ रूस में कई क्रांतिकारी परिवर्तन हुए जिनमें स्टोलीपिन सुधार (Stolypi Reforms), 1906 का संविधान एवं स्टेट डूगा (State Duma) का प्रादुर्भाव प्रमुख था तथापि रूस के जार (trars) अभी भी अपनी अधिनायकवादी सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे।

आर्थिक विफलताओं, युद्ध के दुष्परिणामों का प्रभाव एवं अधिनायकवादी सत्ता के उग्र विरोध से उदारवादी सोशलिस्टों की एक मिली-जुली सरकार के रूप में एक नए शासनतंत्र का प्रादुर्भाव हुआ किन्तु उसकी अपनी नीतियों के क्रियान्वयन में त्रुटियों के कारण शीघ्र ही कमुनिस्ट बोल शेविक (Communist Blsheviks) ने उससे सत्ता छीन ली।

1922 से 199। के बीच का इतिहास प्रमुख रूप से सोवियत यूनियन का इतिहास है जो मुख्यत: समान विचारधारा एवं समान हितों का पोषण करने वाले समूह द्वारा संचालित शासन-तंत्र था।

रूसी इतिहास के विभिन्न कालों में समाजवाद की अवधारणा का सतत् निर्माण होता रहा जिसमें 1920 की मिश्रित अर्थव्यवस्था से लेकर स्तालिन (Stalin) युग की शासन-नियंत्रित अर्थव्यवस्था एवं 1920 की गतिहीन अर्थव्यवस्था प्रमुख थी।

10.1.1.2 सोवियत संघ का विघटन (Break up of the Soviat Union)

1918 से निरन्तर सोवियत संघ में कम्युनिस्टों का एक पार्टी शासन चलता रहा जो 1980 तक आते-आते अपनी आर्थिक एवं राजनैतिक तंत्र की विफलताओं के कारण विचलित हुआ तथा यह सोवियत यूनियन 1991 में विघटित होकर समाप्त हो गया।

सोवियत यूनियन के विघटन के पश्चात् रूस विघटित सोवियत यूनियन के प्रमुख उत्तराधिकारी के रूप में उभरकर सामने आया। विश्वशक्ति के रूप में उसकी पहचान समाप्त

होने तथा आर्थिक नीतियों की विफलता के कारण कई विरोधों का सामना करते हुए रूस ने शासन-नियंत्रित अर्थव्यवस्था एवं केन्द्रीय समाजवादी योजना का त्याग करते हुए बाजार आधारित पूंजीवाद के युग में प्रवेश किया। 1991 में सोवियत यूनियन के विघटन के पश्चात् अगले वर्षो में दो विशेष परिवर्तन हुए जिनमें प्रथम-अर्थतन्त्र व राजनैतिक तंत्र की विफलता तथा द्वितीय इनके सुधार हेतू किए गए छुट-पुट प्रयास थे। यूरी आन्द्रोपोव (Yuri Andropov) एव कोन स्टैनटाइन चेटनेन्को (Konstantion Chernenko) के पश्चात् मिखाईल गोरबाचोव (Mikhail Gorbachev) ने परेस्ट्रीकिया (Perestrikiya) पार्टी के नेतृत्व में प्रमुख फेरबदल एव ग्लासनोस्ट (glaunost) नीतियों को लागू कर सोवियत कम्युनिज्म को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया। इनके कुछ अवांछित परिणाम भी सामने आए तथा सरकारी सूचना एवं नीतियों की आम-जन को जानकारी दिए जाने की घोषणा के कारण आम-जन का प्रभाव शासन पर बढ़ता गया और कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव कम होता गया।

10.1.1.3 रशियन फेडरेशन का उदय (Emergence of Russian Federation)

सोवियत संघ (USSR) के विघटन के पश्चात् का इतिहास रूस का इतिहास कहलाता है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् कुछ वर्षो तक रूस में आर्थिक विफलताओं, बढ़ती महंगाई, खाद्यान्न की कमी एवं राजनैतिक विफलताओं का दौर चलता रहा। 1993 में येल्तसिन (Yeltsin) ने रूसी राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च सत्ता हासिल की एवं वे एक प्रभावशाली तथा शक्ति सम्पन्न सत्ताधीश के रूप में उभरकर सामने आए।

पश्चिमी देशों, विश्व बैंक एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के दबाव में रूस में अब तक के सबसे बड़े एवं सबसे त्वरित निजीकरण का युग विश्व के मानचित्र पर उभरा, जिसने रूस के समस्त खुदरा व्यापार सेवा एवं लघु उद्योगों को निजी हाथों में सौंप दिया। इसके बाद सन् 1998 में आर्थिक संकट के पश्चात् येल्तसिन ने सत्ता त्याग दी। येल्तसिन द्वारा सत्ता त्यागने के पश्चात सन् 2000 में वाल्दमीर पूतिन (Valdmir Putin) ने रूस की सत्ता सम्भाली। पूतिन के शासनकाल में रूस पिछले आठ वर्षो से लगातार विकास के पथ पर अग्रसर हैं तथा इसने 6.7 की वार्षिक विकास दर प्राप्त कर ली है।

10.1.1.4 वर्तमान रूस के मुख्य घटकों की संख्यात्मक स्थिति निम्नाकिंत तालिका में दर्शाई गई हैं-

Data and Statistics 2007		
1. Population	:	143 Min
2. Area	:	17 Mln, Sq.Km.
3. Pop Density	:	9 per, Sq.Km.
4. GNI (2005)	:	638 Bln.
5. GNI Rank (2005)	:	16
6. GNI Per Cap.	:	$4460

7. PPP GNI	:	1522 b/n
8. PPP GNI Per Cap.	:	$10640
9. GDP (Current US$)	:	764 bin
10. GDP growth (annual)	:	6.2%

10.2 शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Affecting Education)

प्रत्येक देश की शिक्षा को उस देश के भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक व अन्य कई कारक प्रभावित करते हैं तथा उसकी संरचना व प्रणाली के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। रूस की शिक्षा भी मुख्यत: अग्रलिखित तीन कारकों से प्रभावित रही है।

10.2.1 भौगोलिक कारक (Geographical Factors)

आकार और क्षेत्रफल के अनुसार रूस यूरोप व एशिया के बीच स्थित एक विशाल देश है। पूर्व में पेसिफिक सागर को स्पर्श करता हुआ, पश्चिम में अनेक यूरोपीय देशों की सीमाओं से जुड़ा हुआ। रूस विस्तृत रूप से फैला हुआ है, जिसका विस्तार कई किलोमीटर में अनेक स्थानों तक व्याप्त है। पूर्व सोवियत संघ के विकेन्द्रीकरण के बाद इस देश की जनसंख्या लगभग 8-10 करोड़ से अधिक मानी जाती है।

रूस की जलवायु विविधता लिए हुए है जिसमें कभी अत्यधिक ठंड, कभी गर्मी तथा कभी ध्रुवीय स्थिति रहती है। साथ ही देश का मध्यभाग ग्रीष्मकालीन वर्षा से प्रभावित रहता है। इस देश का भू-भाग प्राकृतिक सम्पदाओं से सम्पन्न है तथा कृषि और औद्योगिक जन-जीवन समान प्रणाली पर आधारित है। रशियन और यूरोपीयन दोनों प्रकार के भागों से युक्त इस देश में रशियन भाग खनिज सम्पदा से परिपूर्ण है। अत्यधिक विद्युत उत्पन्न करने वाली यहां की नदियों का बिजली उत्पादन में पूर्ण उपयोग लिया जाता है। एशिया विभिन्न प्रकार के पेड़ों वाली वन सम्पदा के साथ ही तेल के कुओं से भी समृद्ध है। इस देश की राजधानी मॉस्को समृद्धि का केन्द्र स्थल है।

2. राजनैतिक कारक (Political Factors) - 1991 के पूर्व रूस साम्यवादी (communist) देश रहा है तथा वहां राज्य समाजवाद (State Socialism) कायम रहा है। रूस में विविध जातियां भाषाएं और समुदाय हैं जिन्होंने वहां की राजनीति को समस्यात्मक बना दिया था। परिणामस्वरूप पूरे राष्ट्र को एकरूपता में बांधने के लिए तथा राष्ट्र की प्रगति के लिए तात्कालिक कम्युनिस्ट पार्टी का पूरे देश पर नियन्त्रण स्थापित किया गया। इन साम्यवादी आदर्शो ने रूस की शिक्षा प्रणाली को भी प्रभावित किया तथा इस क्षेत्र में निम्नांकित कार्य किए-

1. विद्यार्थियों को साम्यवादी सिद्धान्तों से परिचित कराया गया।
2. सबको राष्ट्रीय समृद्धि में योगदान देने हेतु अवसर प्रदान किए गए।
3. देश की सभी संचार व्यवस्थाओं और शिक्षा संस्थाओं पर राज्य का नियन्त्रण रखा गया।

4. कृषक और श्रमिक वर्ग को राज्य की ओर से अत्यधिक महत्व दिया गया।
5. शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए।
6. देश में शिक्षा की व्यवस्था एक सामान्य नागरिक की आवश्यकता व आशा के अनुरूप की गई।
7. विश्व में साम्यवाद के प्रसार हेतु शिक्षा प्रणाली को अत्यधिक सक्षम बनाने का प्रयत्न किया गया।
8. पूरे राष्ट्र में एक छत्र कम्युनिस्ट पार्टी का शासन सुदृढ़ किया गया।

अपनी प्रतिष्ठा की पुन: प्राप्ति के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह वैश्विक परिदृश्य में अपनी शैक्षिक प्रणालियों में संशोधन करे।

वर्तमान रूस 1992 के बाद से धीरे-धीरे साम्यवाद से लोकतंत्रात्मक मूल्यों की ओर बढ़ रहा है, परिणामस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों एव कर्तव्यों में क्रांतिकारी दृष्टिकोण जागृत हो रहा है। इसका प्रभाव वहां की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन हेतु बाध्य कर रहा है और रूस को 1990 में रूस में बहु राजनीतिक पार्टीयां थी और किसी एक के द्वारा सरकार बनाना कठिन था। इसको दो कारण थे। प्रथम संसद और प्रेसिडेन्ट के बीच झगड़ा चलता रहता था। द्वितीय पादरियों की प्रणाली अव्यवस्थित थी। अन्य और भी कई कारण थे जिनमें निम्नांकित प्रमुख थे-

1. केन्द्रीय सरकार का शासित प्रदेशों पर से नियन्त्रण समाप्त हो गया था।
2. केन्द्रीय सरकार का उसके अधिकारियों पर से भी नियन्त्रण समाप्त हो गया था।
3. उस समय देश के अर्थतन्त्र पूर्णत: अनियन्त्रित हो चुका था।
4. सरकार की आय घटने लगी थी।

इस प्रकार सरकार के निराश में चलते 1998 में देश में वित्तीय संकट उपस्थित हो गया। प्रेसिडेन्ट का राजनैतिक कैरियर समाप्ति कगार पर आ गया। परिणामस्वरूप 1 जनवरी, 2000 को प्रेसिडेन्ट ने अपना त्यागपत्र देकर प्रधानमंत्री पुतीन को चुनावी प्रक्रिया से कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया। इसके बाद मार्च 2000 में पुतीन ने अपने विरोधियों को परास्त कर दिया, तत्पश्चात 2004 तक पुतिन का पूरे देश में संसद, नागरिक संस्थाएं तथा क्षेत्रीय पदाधिकारियों पर पूर्ण नियन्त्रण हो गया किन्तु इस समय पुन: समाजवादी अर्थ तंत्र की ओर मुड़ना उसके लिए सम्भव नहीं था। आज वर्तमान समय में सन् 2006 से रूस का विकास तंत्र पुतिन के मार्गदर्शन में ही अग्रसर हो रहा है।

3. सामाजिक कारक (Social Factors) - समानता, श्रम और उत्पादन पर आधारित रूस की साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था ने पूरे राष्ट्र को एक वृहत् समाज का रूप प्रदान किया है। सोवियत संघ के विघटन से पूर्व तथा सोवियत संघ के निर्माण के बीच की अवधि में रूस के सामाजिक स्वरूप का नवनिर्माण किया गया तथा रूस में वर्ग विहीन समाज की स्थापना पर बल दिया गया। वहां पूर्ण धर्मनिरपेक्षता के आधार पर जाति, वर्ग, धर्म, भाषा तथा अन्य वर्गाधारित समस्त झगड़े समाप्त कर दिए गए। सबका लक्ष्य राष्ट्र के वर्गविहीन समाज की स्थापना करना हो गया था। पूंजीवाद का विरोध तथा सभी आर्थिक संसाधनों पर राज्य का नियन्त्रण हो चुका था। सभी व्यक्ति चाहे वे कोई भी हो, उनके लिए श्रम करना आवश्यक था।

साम्यवादी समाज ने जहां सामाजिक स्वरूप को सुदृढ़ किया वहीं शिक्षा व्यवस्था को भी सार्वजनिक व गुणात्मक बनाने का प्रयास किया। साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था में निम्नांकित विचारधारा को आधार बनाया गया-

साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था

1. सामाजिक प्रगति में ही व्यक्ति की प्रगति निहित है।
2. व्यक्ति का समाज से पृथक रहकर कोई अस्तित्व नहीं है।
3. व्यक्ति की जन्मजात शक्ति का वैयक्तिक रूप में कोई आदर नहीं होता, अपितु सामाजिक रूप में ही वह मान्य होता है।
4. व्यक्ति की कुशलता इसी बात पर निर्भर करती है कि वह समाज में स्वयं को व्यवस्थित कर ले।
5. समाज का वातावरण इस प्रकार का हो कि व्यक्ति स्वत: ही आत्मानुशासित रहे। शिक्षा द्वारा आत्मानुशासन न आकर स्वत: ही अविर्भूत होता चला जाए।
6. शैक्षिक प्रक्रियाओं में भी समाजवादी, साम्यवादी दृष्टिकोण हो जिससे समाज लाभान्वित हो सके।

उपर्युक्त विचारधारा ने रूस की सामाजिक-शैक्षिक व्यवस्था को वर्षो तक बांधे रखा किन्तु 1992 तक आते-आते अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की विचारधारा ने रूस के सशक्त साम्यवादी समाज को भी विचलित कर दिया। अब लोकतांत्रिक समाज की ओर बढ़ता हुआ यह देश विश्व में अपनी पहचान बनाने में अग्रसर है, किन्तु देश की सामाजिक शाखाएं अभी भी साम्यवादी जड़ों से जुड़ी हुई है।

10.3.1 रूस का शैक्षिक इतिहास (Educational History of Russia)

विज्ञान के क्षेत्र में किसी समय विश्व के मानचित्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला रूस विकेन्द्रीकरण से पूर्व जार के शासनकाल में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ था।

19वीं शताब्दी तक सोवियत रूस में 90% जनता निरक्षर थी। लोगों की बुरी स्थिति का कारण गरीबी और बेरोजगारी था तथा लोग पादरियों की दमनकारी नीतियों के शिकार बने हुए थे। इस देश में विभिन्न भाषाएँ व धर्म प्रचलित थे तथापि विकास की दृष्टि से यह एक पिछड़ा हुआ देश था। देश की जनता का पिछड़ा हुआ वर्ग पूर्णत: उपेक्षित था। यद्यपि वैज्ञानिक शोध, शिक्षा, संगीत, संस्कृति आदि के कुछ केन्द्र विद्यमान थे किन्तु वे सबके लिए नहीं थे। शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए उपलब्ध थी और रूसी जार लोगों (राजाओं) का शिक्षा पर सख्त नियन्त्रण था। अपने अधिकार की मांग करने वाले तथा विद्रोही विद्यार्थियों को आजीवन जेल में बन्द कर दिया जाता था।

इसके पश्चात् 1682 से 1725 तक पीटर महान् (Peter the Great) के कार्यकाल में शिक्षा का कुछ विकास हुआ। इन्हें रूसी शिक्षा के जनक के रूप में आज में याद किया जाता है। पीटर ने 1633 में कीव (Keiv) में शैक्षिक बोर्ड (Board of Education) की स्थापना की तथा उससे सम्बद्ध 50 विद्यालय की स्थापना की जिनमें उस समय 3 हजार विद्यार्थी थे। इसी

काल में सन् 1726 में विज्ञान की रूसी अकादमी (Russian Academy of Education) की स्थापना की गई । सन् 1729 से 1746 के बीच कैथरीन द्वितीय (Catherine II) द्वारा शिक्षा की राज्य स्तरीय नीति तैयार की गई जिसमें जिला स्तरीय विद्यालय में द्विवर्षीय तथा प्रान्तीय विद्यालय में पांच वर्षीय पाठ्यक्रम आरम्भ किए गए साथ ही 1764 में बालकों के लिए विशिष्ट आवासीय विद्यालय भी खोले गए।

सन् 1801 से 1825 के बीच अलेक्जेण्डर प्रथम (Alexander I) के शासनकाल में शिक्षा ने अच्छी प्रगति की। अलेक्जेण्डर ने 1802 में शिक्षा मंत्रालय की स्थापना करके शिक्षा की निःशुल्क एवं सार्वजनिक घोषणा की तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ ही प्रादेशिक विद्यालय में चार वर्षीय पाठ्यक्रम आरम्भ किया। इनके शासनकाल में ही विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति तथा विशिष्ट वित्तीय सहयोग प्रारम्भ किए गए जिसके परिणामस्वरूप उस समय लगभग 1,400 विद्यालय में 7000 विद्यार्थियों ने अध्ययन आरम्भ किया।

सन् 1825-1855 के मध्य निकोलस प्रथम (Nicholas I) ने अपने पूर्ववर्ती अधिकारियों के समान ही शिक्षा के विकास में रूचि ली तथा उच्चवर्गीय बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालय की स्थापना की। इसने लड़कियों की शिक्षा को विस्तार प्रदान करते हुए उन्हें शिक्षा प्राप्ति हेतु प्रेरित किया। इसके शासनकाल में शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य विद्यार्थियों को राज्य के प्रति वफादार बनाना था। इन्होंने ही तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ ही शिक्षा के मुख्य आधार के रूप में राष्ट्रीयता, अन्धविश्वास एवं स्वायतता को स्वीकार किया। माध्यमिक विद्यालय केवल उच्च वर्ग के लिए थे तथा विश्वविद्यालयों में कड़ा अनुशासन था।

सन् 1855 से 1881 में अलेक्जेण्डर द्वितीय (Alexander II) का समय रूसी शिक्षा के इतिहास में शिक्षा की पुन:संरचना का समय माना जाता है। इस काल में माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन किया गया तथा अनेक राज्यों में प्राथमिक विद्यालय खोले गए। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सन् 1663 में नारी प्रशिक्षण विद्यालय एवं मेडिकल कॉलेज आरम्भ किए गए। इसके साथ ही विज्ञान शिक्षण को प्रोन्नत करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था आरम्भ की गई। सन् 1881 में अलेक्जेण्डर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात् शिक्षा के विकास में रूकावट आ गई। परिणामस्वरूप विद्यार्थियों में आक्रोश उत्पन्न हो गया और उनके द्वारा विद्रोह किए जाने पर उन्हें जेल भेज दिया गया। इस अवधि में जेस्टोव (Zestov) द्वारा कुछ जेस्टोव विद्यालय की स्थापना की गई। सन् 1905 में रूस में पुन: क्रांति आई जिसमें कुछ दल (Groups) जार (Zar) के विरोध में खड़े हो गए तथापि इसके पश्चात् 1906 और 1907 में शिक्षा और आर्थिक नीति में कुछ आवश्यक परिवर्तन किए गए।

1917 में अलेक्जेण्डर डेरेनस्की (Alexender Derenskky) द्वारा राजकीय शासन तंत्र को उखाड़ने के लिए एक क्रांतिकारी सरकार की स्थापना की गई।

लेनिन (Lenin) और त्रोटस्की (Trotsky) के नेतृत्व में बोलशेविस्ट (Bolshevists) की स्थापना की गई तथा शिक्षा पर जो चर्च व पादरियों का नियन्त्रण था वह पूर्णत: समाप्त कर दिया गया। रूस में शिक्षा के उन्नयन का यह क्रांतिकारी संक्रमण काल था जब कम्युनिस्ट सरकार द्वारा निरक्षरता को पूर्णत: समाप्त करने का संकल्प लिया गया एव इसी प्रयास में उस

समय में रूस में विभिन्न भाषाओं में व्याकरण, पाठ्यपुस्तकें, शब्द कोष आदि पुस्तकें प्रकाशित की गई। 1918 में शिक्षा में विशेष रूप से निम्नांकित क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए।

1. विद्यालयी शिक्षा चार वर्ष की गई।
2. आयु अवधि 13 से 17 वर्ष के बीच रखी गई।
3. 8 से 13 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए और विद्यालय खोले गए।
4. 8 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए माध्यमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया।
5. शिक्षण संस्थाओं को पाठ्यक्रम और पुस्तक निर्माण का अधिकार दिया गया।

1921 से 1927 के मध्य माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा का पुनर्गठन किया गया जिसमें प्राथमिक शिक्षा चार वर्षीय तथा माध्यमिक शिक्षा सात से नौ वर्षीय निश्चित की गई। पाठ्यक्रम में कम्युनिस्ट सिद्धान्तों तथा सोवियत क्रांति का अध्ययन अनिवार्य किया गया तथा श्रमिकों के बच्चों को विद्यालय में प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहित किया गया। इस प्रकार शैक्षिक प्रणाली में उथल-पुथल (काया पलट) होने से विद्यार्थियों के समक्ष शिक्षा प्राप्ति सम्बंधी अस्पष्टता उत्पन्न हो गई।

1823 से 1932 में स्तालिन (Stalin) के समय में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1928 से 1932 के अन्तर्गत केन्द्रीय कार्यकारी समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि ग्रामीण क्षेत्र के बालक जो आठ वर्ष से बड़े हो गए हैं उनके लिए चार वर्षीय पाठ्यक्रम बनाया जाए तथा इसी आयु के औद्योगिक क्षेत्र के बच्चों हेतु सात वर्षीय कार्यक्रम तैयार करवाया गया। शोधकार्य, तकनीकी तथा उच्च शिक्षा हेतु यथेष्ट व्यवस्था करवाई गई। गरीब विद्यार्थियों को कपड़े, पुस्तकें, भोजन तथा आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इसी समय में उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु प्रवेश परीक्षाएं आरम्भ की गई तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित किए गए। 1929-33 की अवधि में प्रति वर्ष शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों की संख्या निरन्तर बढ़ती गई। इसके पश्चात् सोवियत प्रशासन द्वारा विद्यालय स्तर के सामान्य एवं सांस्कृतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का पुनर्निमाण किया गया तथा उच्च तकनीकी विद्यालय के लिए सरकार ने एक सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। इसके साथ ही तात्कालिक शिक्षा व्यवस्था में कम्युनिस्ट सिद्धान्तों को समाविष्ट किया गया।

द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जर्मनों द्वारा हमला करने पर रूस में अध्यापकों एव विद्यार्थियों को भी सैनिक सेवा में नियुक्त किया गया जिससे अधिकांश विद्यालय बन्द करने पड़े किन्तु कुछ विद्यालय में आवश्यक शैक्षिक सेवाएं चलती रहीं। इस समय में मॉस्को विश्वविद्यालय द्वारा पन्द्रह सौ वैज्ञानिक पेपर्स प्रकाशित किए गए साथ ही प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित करने हेतु स्वर्ण पदक, रजत पदक तथा प्रमाण पत्र प्रदान करने की प्रथा आरम्भ की गई। लड़के और लड़कियों के लिए पृथक विद्यालय आरम्भ किए गए। सन् 1944 में लेनिनग्रेड और रोस्टॉव (Leningrad and Rostov) विश्वविद्यालय के विकास हेतु एक योजना तैयार की गई। इसी अवधि में राष्ट्रीय आर्थिक पक्ष के क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए पांच सौ शिक्षकों को सम्मानित कर उन्हें पदक प्रदान किए गए। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् 1946 से 1950 की अवधि में शिक्षा के क्षेत्र में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 120

उच्च शिक्षण संस्थान और खोले गए। पूरे देश के विभिन्न भागों में विकासात्मक कार्यो में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त 13 लाख लोग तथा उच्च शिक्षा प्राप्त 7 लाख लोग नियुक्त किए गए । 1950 में 3,75,000 विद्यार्थियों ने पत्राचार पाठ्यक्रम तथा अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्राप्त किया। सरकार राष्ट्रीय आय का शिक्षा पर 12.6% व्यय किया गया। 1951 से 1955 में 19वीं कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा उच्च शिक्षा की योजना निर्धारित की गई। जिसमें विश्व के विभिन्न शहरों में प्रचलित माध्यमिक शिक्षा के विस्तार की योजना भी बनाई गई। इसके साथ ही तकनीकी, प्रौढ़, सामान्य, पत्राचार तथा सायंकालीन शिक्षा की व्यवस्था भी की गई।

10.3.2 वर्तमान रूस की सांख्यिकी (Statistics of the Present Russia)

वर्तमान रूस 1991 से अब तक अपने पतन व प्रगति के कई पक्षों से संघर्ष करते हुए पुन: विकास के मानदण्डों के अनुरूप स्वयं को स्थिर करने में लगा है। पुनरुत्थान में अपने प्रयासों में इस देश द्वारा किए गए परिवर्तन और प्रगति का तथ्य परक विवरण निम्नानुसार है।

1. रूस (रशियन फेडरेशन) एक बहुराष्ट्रीय देश है, जिसमें 160 देशों के नागरिकों को नागरिकता प्रदान की गई है।
2. रशियन फेडरेशन (Russian Federation) द्वारा वर्तमान राज्य क्षेत्रों का विस्तार 170754 हजार वर्ग किलोमीटर है।
3. फेडरेशन में 89 शासित इकाइयां हैं।
4. देश की जनसंख्या 116 मिलियन है।
5. 1095 शहर, 1963 शहरी समुदाय तथा 24456 ग्रामीण क्षेत्र हैं ।
6. जिनकी भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिक सम्बन्ध आदि भिन्न हैं, उन्हें भी इस देश ने आधुनिक औद्योगिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकास में सम्मिलित कर लिया है।
7. पिछले 10 वर्षो में इस देश में अत्यधिक परिवर्तन का कारण लोकतांत्रिक मूल्यों का आविर्भाव तथा बाजार की आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन प्रमुख हैं।
8. शिक्षा के क्षेत्र में कानून व नए नियम बनाने से ही लोकतंत्र और आर्थिक परिवर्तन सम्भव हो सका जो इस देश की पुन: पहचान बनाने में सहयोगी हो रहा है।
9. शिक्षण संस्थानों को स्वायतता दी गई, जिससे ये संस्थान शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा को लचीली बना सकते हैं। इसके साथ ही 85% माध्यमिक विद्यालय को कानूनी रूप से मान्यता दी गई।
10. स्वायतता से इन संस्थाओं को विविध प्रकार के पाठ्यक्रम चलाने व परिवर्तन के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं।
11. 488 हजार प्री-स्कूल शिक्षा इकाइयाँ व्यापक रूप रो कार्यरत हैं तथा इनमें कई प्रकार के पाठ्यक्रम प्रचलित हैं।
12. 16 हजार इकाइयों द्वारा शिक्षा में आने वाली कमी (Gap) की क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कार्य किया गया।
13. 12 हजार विशेष देखभाल व विकास संबंधी कार्य सम्पन्न किए गए।

14. 65 हजार इकाइयों द्वारा सभी प्रकार के कार्यों के सम्पादन में सहयोग प्रदान किया गया।

15. स्वायतता मिलने के बाद सामान्य शिक्षा (General Education) में भी विद्यालय ने मांग के अनुरूप परिवर्तन किए तथा अभी कुल माध्यमिक विद्यालय के 25% विद्यालय चयनित विषयों का गहन अध्ययन करवाने का कार्य करते हैं, 12% विद्यालय व्याकरण अध्ययन करवाते हैं तथा 9% लाइसिया (Lycea) का कार्य करते हैं।

16. व्यावसायिक शिक्षा हेतु जो उच्च स्तरीय संस्थाएं बनाई गई, वे मानव संसाधन को उच्च स्तर के कौशलों का प्रशिक्षण प्रदान करती है। इस स्तर की संस्थाएं शिक्षा की कुल संस्थाओं का 25% प्रतिशत हैं।

इस प्रकार रूस की शैक्षिक स्थिति पुन: सुदृढ़ होती जा रही है। पहले सभी शिक्षा संस्थान समान शिक्षा प्रदान करते थे किन्तु परिवर्तन के पश्चात् ये संस्थान अपनी सुविधानुसार योजनाएं बनाते हैं तथा उन्हें क्रियान्वित करते हैं।

शिक्षा का तथ्यात्मक विवरण (Statistics of Education)

विकीपीडिया वेबसाइट पर उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान रूस में शिक्षा संबंधी तथ्य निम्नानुसार है-

1.	साक्षारता दर	99.4%
2.	छात्र संख्या लगभग	3 मिलियन
3.	उच्च शिक्षा संस्थान	519
4.	विश्वविद्यालय	48
5.	शासकीय उच्च शिक्षा संस्थान	685
6.	निजी उच्च शिक्षा संस्थान	619
7.	शैक्षिक गतिविधियों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान	367
8.	उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या	594 $[Govt. - 5228700]$ $[NonGovt. - 718800]$

रूस में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है तथा रशियन चिकित्सा, गणितीय, विज्ञान, अन्तरिक्ष और वैमानिकी संबंधी शोधकार्य सामान्यतया उच्च स्तर के किए जाते हैं।

स्वमूल्यांकन प्रश्न (Self Evaluation Question)

1. रूस का 1991 से पहले क्या नाम था? पूरा नाम लिखिए।
2. सोवियत यूनियन का विघटन क्यों हुआ? कोई दो कारण बताइए।
3. किसके शासनकाल में रूस में माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन हुआ और कब हुआ?
4. लेनिन और त्रोटस्की द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य किया गया? कोई चार कार्य लिखिए।

5. रूस की शिक्षा के वर्तमानकालिक किन्हीं चार तथ्यों की संख्यात्मक जानकारी दीजिए।

10.4 रूस की शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of the Russian Education)

1992 से पहले जब सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ, तब तक शिक्षा का उद्देश्य और शिक्षा की समस्त प्रणाली कम्यूनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थी। सोवियत संघ का इस बात में विश्वास था कि इस देश का प्रत्येक नागरिक कम्यूनिस्ट विचारधारा को अपने जीवन में आत्मसात कर ले और देश के कर्णधारों की यह धारणा थी कि यह कार्य सबको शिक्षित किए बिना नहीं हो सकता। अत: आरम्भ से ही इस देश ने अपने नागरिकों को अनिवार्य रूप से शिक्षित करने का प्रयास किया है जिसके परिणामस्वरूप ही यह देश विश्व के मानचित्र पर सबसे अग्रणी और सशक्त देश के रूप में अपनी पहचान बना सका। 1990 में सोवियत संघ के विघटित हो जाने से यह देश एक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में उभरकर सामने आया है। अब राजनैतिक व आर्थिक परिप्रेक्ष्य में आमूल परिवर्तन के परिणामस्वरूप शिक्षा प्रणाली में भी पुनर्निमाण की प्रक्रिया आरम्भ की है तथा वर्तमान शिक्षा विकास की प्रक्रिया को रूस ने सन् 2010 तक आधुनिकीकरण की ओर उन्मुख करते हुए कई नए आयामों को पूर्ण करने का संकल्प किया है। इसके योजनागत उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

योजनागत उद्देश्य-

1. शिक्षा के विस्तार हेतु प्रतिबद्ध होना।
2. शिक्षा की गुणात्मकता को उन्नत करना।
3. बौद्धिक एवं अन्य संसाधनों के प्रयोग की प्रभावित को बढ़ाना।
4. शिक्षा में राज्य एवं स्थानीय प्रशासन के स्वरूप को विकसित करना।
5. वैश्विक स्तर पर अपनी शैक्षिक व्यवस्था को प्रतिष्ठित करना।

प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of the Primary Education)- रूस की प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य निम्नानुसार हैं-

1. रूस की भाषाओं के कौशलों का विकास करना।
2. शारीरिक विकास करना।
3. प्राकृतिक विज्ञान का बोध कराना।
4. शारीरिक श्रम के प्रति आदरभाव विकसित करना।
5. तकनीकी एव उत्पादक कार्यों का ज्ञान प्रदान करना।
6. गायन एवं संगीत में रूचि विकसित करना।
7. प्राकृतिक अध्ययन में रूचि विकसित करना।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रथम कक्षा से तृतीय कक्षा तक 24 अध्याय पढ़ाए जाते हैं, जिनमें क्रमश: रूसी भाषा, गणित, प्राकृतिक विज्ञान, कला तथा संगीत, भौतिक संस्कृति शारीरिक श्रम आदि विषय पढाए जाते हैं जिनमें भी 12 पाठ रूसी भाषा पर होते हैं।

माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of the Secondary Education)

आधुनिक संघीय रूस की माध्यमिक शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन के परिणामस्वरूप विद्यालयी पाठ्यक्रम में परिवर्तन के परिणामस्वरूप शिक्षा के उद्देश्य भी परिवर्तित हुए। शिक्षा में मानवीय गुणों के विकास को अधिक महत्व दिया गया इस प्रकार परिवर्धित और परिवर्तित वर्तमान माध्यमिक शिक्षा के उदेश्य निम्नलिखित है।

1. शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों में मानवीय गुणों का विकास करना।
2. अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना।
3. तकनीकी शिक्षा द्वारा तकनीकी कौशलों का विकास करना।
4. छात्रों को किसी व्यवसाय के लिए तैयार करना।
5. उनके व्यक्तित्व का विकास करना।
6. उनमें सामाजिक एवं सांस्कृतिक गुणों का विकास करना।
7. छात्रों की व्यक्तिगत क्षमताओं एवं योग्यताओं का विकास करना।
8. उनमें व्यावसायिक क्षमताओं का विकास करना।
9. नागरिकता के गुणों का विकास करना।
10. छात्रों में स्थानीय तथा रूसी भाषाओं के कौशल का विकास करना।
11. छात्रों में राष्ट्रीय भावना का विकास करना।
12. उनमें विदेशी भाषाओं के कौशल का विकास करना।

उच्च शिक्षा के उद्देश्य (The Objectives of Higher Education)

उच्च शिक्षा प्रदान करने में विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तकनीकी शिक्षक-शिक्षा तथा चिकित्सा शिक्षा के 4 वर्षीय पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। रूस एक राष्ट्र के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा के लिए इस शिक्षा पर विशेष ध्यान देता है। विश्व स्तर एवं गुणात्मकता को देखते हुए वर्तमान समय में इस देश द्वारा उच्च शिक्षा के निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं-

1. विद्यार्थियों में अपने विषय में स्नातक एवं अधिस्नातक की योग्यता का विकास करना।
2. उन्हें व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित करना।
3. श्रेष्ठ शिक्षक एवं चिकित्सकों को तैयार करना।
4. विद्यार्थियों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
5. उनमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन करने और उन्हें देखकर समझने की योग्यता का विकास करना।
6. उच्च शिक्षा का विस्तार करना।
7. अकादमिक स्वतंत्रता का विस्तार, उच्च शैक्षिक संस्थानों की स्वायतता का विकास और उच्च शिक्षा का विकेन्द्रीकरण करना।
8. बाजार की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप उच्च शिक्षा के कार्यक्रम और शोधकार्य में परिवर्तनों को लागू करना।
9. शैक्षिक-व्यावसायिक कार्यक्रमों में आधारभूत विज्ञानों व मानविकी पाठ्यक्रमों का विस्तार करना।

10.4.2 रूस की शिक्षा नीति (The Educational Policy of Russia)

शिक्षा नीति और कम्युनिस्ट पार्टी (Education Policy and the Communist Party)- रूस में कम्युनिस्ट पार्टी का राजनीति के साथ शिक्षा नीति के निर्धारण में भी पूर्ण वर्चस्व रहता है। राज्य स्तरीय तंत्र को चलाने में कम्युनिस्ट पार्टी प्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय स्तर से प्रभावित रहती है तथा शिक्षा की समस्त नीतियां एवं निर्णय इस पार्टी के द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी राज्य के लिए एक शक्ति का कार्य करती है। राज्य और पार्टी के लिए शक्ति और अधिकार दोनों ही परस्पर ओवरलेप करते है। यह पार्टी कार्यकर्ता नागरिकों के लिए केवल सैद्धान्तिक रूप से ही नेतृत्व नहीं करती अपितु अपनी पार्टी के संगठन द्वारा गणराज्यों पर शासन नियन्त्रण व संचालन भी करती है। कम्युनिस्ट पार्टी सरकार की प्रत्येक इकाई के समकक्ष अपनी एक इकाई रखती है जो कार्य का संचालन करवाती है तथा इसके अतिरिक्त सरकार भी पार्टी की कमियों को दूर करने का प्रयास करती है। इस प्रकार सरकार व कम्युनिस्ट पार्टी एक-दूसरे के पूरक होते हुए शिक्षा के नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण करते हैं।

शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions for Education)- सन् 1992 के बाद से ही शिक्षा के राज्यीय नियमों के द्वारा ही राज्य में शिक्षा के नियम व कानूनों का नियमन नियंत्रण व संचालन किया जाता है। संविधान में 58 अनुच्छेद में शिक्षा संबंधी 6 भाग सम्मिलित किए गए हैं जो निम्नानुसार हैं:-

1. भाग-1 में शिक्षा पर राज्य-नीति संबंधी 7 अनुच्छेद पर चर्चा की गई है।
2. भाग-2 में शिक्षा की संरचना से संबंधित नियमों का 20 अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है।
3. भाग 3 में शिक्षा की प्रणाली व प्रबन्धन पर 18 अनुच्छेदों में विवरण दिया गया है।
4. भाग-4 में शिक्षा की प्रणाली के आर्थिक पक्ष से सम्बन्धित उल्लेख में किया गया है।
5. भाग 5 में शिक्षा प्राप्ति नागरिकों का मौलिक अधिकार है, इस नियम के क्रियान्वयन की विशिष्ट जवाबदारी सम्बन्धी 7 अनुच्छेद उपलब्ध हैं।
6. भाग 6 में शिक्षा प्रणाली की गतिविधियों व कार्यक्रमों के :अन्त: राज्यीय व अन्तःप्रशासकीय नियमों का 3 अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है।

2. वर्तमान शिक्षा नीति (Present Education Policy)- रूस में शिक्षा को मौलिक अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में मान्यता दी गई है। समाज के मानवीकरण, सांस्कृतिक विकास, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास तथा सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए शिक्षा को एक उपकरण के रूप में स्वीकार किया गया है। रूस में राज्य और समुदाय के श्रेष्ठ समन्वय की क्रियान्विति द्वारा शिक्षा के मौलिक अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की उपलब्धि की प्रतिबद्धता, शैक्षिक विकास के उद्देश्यों और लक्ष्य को स्थापित करने एवं लोगों की सहमति के आधार पर शैक्षिक नीति तैयार की जाती है।

वर्तमान समय में रूसी शिक्षा की नीति के योजनागत उद्देश्य, राज्य, समाज और व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा वास्तविकता के सन्दर्भ में समसामयिक व आधुनिक गुणात्मकता को ध्यान में रखकर शिक्षा की नीति तैयार की जाती है। इसके लक्ष्य व कार्य निम्नानुसार हैं:-

3. आधुनिक शिक्षा नीति के लक्ष्य और प्राथमिक कार्य

1. शिक्षा की सामाजिक और आर्थिक प्राथमिकता को सशक्त बनाना।
2. शिक्षा की निरन्तरता और व्यापकता को सुनिश्चित करना।
3. अच्छी शिक्षा की गुणात्मकता को बनाए रखना।
4. शिक्षा की सहायता से रूस के लोगों की संस्कृति व राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देना।
5. देश के विभिन्न गणराज्यों के राष्ट्रीय कार्यों और उनकी धार्मिकता को बनाए रखना।
6. शिक्षा में जनता और राज्य प्रशासनिक नियन्त्रण की पद्धति का विकास करना।
7. कानून सम्मत परिभाषा बनाकर शिक्षा के विषयों की भूमिका और उत्तरदायित्व को बनाए रखना।
8. प्रत्येक बालक को शिक्षा से जोडना तथा उन्हें शैक्षिक स्तर व लक्ष्य से परिचित कराना।

4. शिक्षा नीति के आधारभूत तत्व (The Basic Elements of Education Policy)

1. अपेक्षित शैक्षिक संरचना और आधुनिक विषयवस्तु की उपलब्धता।
2. शिक्षा की संरचना का अधिकतम उपयोग।
3. प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा की प्राप्ति का संकल्प।
4. शैक्षिक क्रियाकलापों के आधारभूत विषयों के लिए राज्य तथा समाज द्वारा प्रशिक्षणार्थी,शिक्षक तथा शिक्षा संस्थानों को उनके शिक्षा के स्तर के उन्नयन हेतु सम्बल।
5. राज्य द्वारा शिक्षा के लिए उपलब्ध कराने वाले संसाधनों का सुनिश्चयन।
6. शैक्षिक नीतियों 7के निर्वहन का उत्तरदायित्वपूर्ण प्रबन्धन।
7. सन् 2025 तक रूसी संघ की मान्यतानुसार राष्ट्रीय प्रामाणिकता।
8. 2010 तक रूसी शिक्षा के आधुनिकीकरण के सम्प्रत्यय का निर्माण।
9. रूसी नागरिकों की राष्ट्रभक्तिपूर्ण शिक्षा संबंधी संघ के कार्य लक्ष्य का निष्पादन।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. रूस की सरकार सन् 2010 तक शिक्षा के आधुनिकीकरण हेतु लिए गए
2. संकल्प के किन्ही तीन योजनागत उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए।
3. रूस की शिक्षा नीति के निर्धारण में किस राजनैतिक संगठन का वर्चस्व रहता है?
4. वर्तमान शैक्षिक नीति के कोई चार लक्ष्य बताइए।
5. शिक्षा नीति के किन्हीं तीन आधारभूत तत्वों का वर्णन कीजिए।

10.5 रूस की शैक्षिक संरचना (Educational Structure of Russia)

रूस में लम्बे समय से सभी नागरिकों के लिए उच्चस्तरीय शिक्षा प्रदान करने की परम्परा रही है। पश्चिम यूरोप के देशों में विशाल स्तर पर शिक्षा प्रदान करने का श्रेय रूस को जाता है, जिसका साक्षरता दर 98% रहा है क्योंकि इस देश द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए बेसिक शिक्षा की अनिवार्यता लागू की गई। वहां सार्वजनिक शिक्षा एकल प्रणाली पर बल दिया जाता है, जिसके अन्तर्गत पूर्व विद्यालयी शिक्षा, सामान्य प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विद्यालय तथा उच्च शिक्षा का प्रावधान है। जिसे पृथक् रूप से आगे समझा जा सकता है।

1. **पूर्व प्राथमिक शिक्षा (Pre-Primary Education/Basic Education)-** पूर्व प्राथमिक शिक्षा 7 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए होती है। इसके प्रमुख प्रकार निम्नानुसार हैं:-

   (i) नर्सरी- 3 वर्ष तक की आयु के लिए।

   (ii) किण्डरगार्टन- 3 से 7 वर्ष की आयु के लिए।

   किण्डरगार्टन शिक्षा व्यवस्था को तीन भागों में विभाजित किया गया है।

   (i) जूनियर- 3 से 5 वर्ष के बालकों के लिए।

   (ii) मध्यम- 5 से 6 वर्ष के बालकों के लिए।

   (iii) उच्च- 7 वर्ष के बालकों के लिए।

2. **विद्यालयी शिक्षा (School Education) -** विद्यालयी शिक्षा 7 से 18 वर्ष तक की आयु वाले समूह के लिए होती है जो निम्नानुसार विभक्त की गई है-

   (i) प्राथमिक अवस्था (Primary State)- कक्षा 1 से 3 तक जो 7 से 13 वर्ष की आयु वाले समूह के लिए होती है जो प्राथमिक विद्यालय अथवा 8 वर्षीय विद्यालय में होते हैं।

   (ii) अर्ध-माध्यमिक अवस्था (Half Secondary Stage)- कक्षा 8 तक तथा 15-16 आयु वाले समूह के लिए होती है जो 8 वर्षीय विद्यालय में प्रदान की जाती है।

   (iii) पूर्व माध्यमिक अवस्था (Pre Secondary Stage)- इस अवस्था में निम्नांकित पक्ष होते हैं-

   (A) सामान्य एवं पोलिटेक्निक विद्यालय- ये कक्षा 10 तक तथा 17-18 वर्ष की आयु तक के लिए होते हैं।

   (B) तकनीकी तथा दूसरे विशिष्टता माध्यमिक विद्यालय- ये 3-4 वर्षीय पाठ्यक्रम- सामान्य तथा विशिष्ट माध्यमिक शिक्षण प्रदान करते हैं।

   (C) व्यावसायिक एवं तकनीकी विद्यालय- ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विभिन्न शाखाओं हेतु कुशल कामगारों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इनमें व्यापार पर आधारित 1 या 2 अथवा 2 या 3 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है।

(D) सायंकालीन अथवा पारीवाले माध्यमिक विद्यालय- ये अतिरिक्त समय में प्रौढ़ कामगारों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

(E) पत्राचार पाठ्यक्रम- ये दूरस्थ लोगों को शिक्षित करते हैं।

उच्च शिक्षा (Higher Education)- यह 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के बच्चों के लिए होती है। जिसकी प्रणाली निम्नानुसार होती है-

(i) प्रथम अवस्था (First Stage)

(A) विश्वविद्यालय- यह 5 वर्षीय शिक्षा प्राय: 18-23 आयु वर्ग से सम्बन्धित हैं।

(B) शिक्षाशास्त्रीय शिक्षा संस्थाएं- ये 4 वर्षीय शिक्षा प्रदान करती हैं।

(C) व्यावसायिक एवं वैज्ञानिक शिक्षण संस्थाएं- इनमें 4 से 6 वर्ष की शिक्षा प्रदान की जाती है। जैसे

कृषि पाठ्यक्रम - 4 वर्ष

तकनीकी पाठ्यक्रम - 5 वर्ष

विज्ञान पाठ्यक्रम - 6 वर्ष

(D) सायंकालीन एवं पत्राचार पाठ्यक्रम इसमें 6 वर्षीय पाठ्यक्रम चलाया जाता है।

(ii) द्वितीय अवस्था (Second Stage)

(A) व्यक्ति उपाधि- इसका 3 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है।

(B) डॉक्ट्रेट- इसमें 2 से 3 वर्षीय अनुसंधान कार्य किया जाता है।

4. विशिष्ट विद्यालय (Special Schools)- विशिष्ट विद्यालय पांच प्रकार के प्रचलित है, जिनमें सामान्य से लेकर विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। ये विद्यालय इस प्रकार है:-

1. **सामान्य शिक्षा विद्यालय-** इस प्रकार के विद्यालय में छात्रों को अपने परिवेश के विस्तार में सहायता देने, उनकी योग्यताओं का विकास करने तथा एक व्यवसाय चुनने के अवसर दिए जाते हैं तथा उनके लिए वैकल्पिक अध्ययन का प्रबन्ध भी किया जाता है।
2. **रोगी व्यक्तियों हेतु निरन्तर कक्षाएं-** बच्चे तथा किशोर, जिनको लम्बी अवधि के उपचार की आवश्यकता होती है, उनके स्वास्थ्य निर्माण को सामान्य शिक्षा में सम्मिलित किया जाता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के निकट होते हैं। जो बच्चे अस्पताल अथवा सैनेटोरियम (आवासीय उपचार गृह) में रहते हैं उन्हें तथा जो घर पर अधिक समय से बीमार पड़े रहते हैं उनको भी लगातार पाठ्यसामग्री दी जाती है। इस प्रकार सबको शिक्षा के अवसर दिए जाते हैं।
3. **अपंगों हेतु विद्यालय-** शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपंग बालक विशिष्ट सामान्य शिक्षा विद्यालय में पढ़ते हैं अथवा आवासीय विद्यालय में पढ़ते हैं, वहां उनकी शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल की जाती है।

4. **व्यावसायिक प्रशिक्षण विद्यालय-** सन् 1950 तक कामगार युवक अपना व्यावसायिक प्रशिक्षण सीधे मुख्य कारखानों से प्राप्त करते थे। कुछ वर्ष पश्चात् व्यावसायिक प्रशिक्षण विद्यालय की राजकीय प्रणाली बनाई गई। जिसके परिणामस्वरूप इससे व्यावसायिक विद्यालय विद्यार्थियों को एक व्यवसाय देने के अतिरिक्त एक पूर्ण माध्यमिक शिक्षा भी प्रदान करते हैं।

5. **विशिष्ट माध्यमिक विद्यालय(Special Secondary Schools) -** इन विद्यालय में 8 या 10 वर्षीय विद्यालयी शिक्षा पूर्ण करने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। इन विद्यालय में 500 से ऊपर विभिन्न विशिष्टताएं प्रदान की जाती है। इन विशिष्टताओं के शिक्षण में विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है तथा निम्नांकित विशिष्ट प्रकार के विद्यालय में विशिष्ट कार्य किए जाते हैं।

(A) **विशिष्ट शिक्षा के प्रकार (Types of Special Education)-** विशिष्ट माध्यमिक विद्यालय मुख्यत: दो वर्गो में विभाजित किए गए हैं:-

1. **तकनीकी विद्यालय-** इनमें उद्योग निर्माण, यातायात एव संचार, कृषि,अर्थशास्त्री आदि विशिष्ट व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।
2. **प्रशिक्षण विद्यालय-** इनमें अध्यापक, चिकित्सा से जुड़े व्यक्ति, संगीतज्ञ,कलाकार, नाविक आदि व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाता है।

(B) **विशिष्ट शिक्षा का पाठ्यक्रम-** ये विशिष्ट माध्यमिक विद्यालय मुख्य रूप से मैकेनिक, टेक्नोलोजी, मेटालरार्जिस्ट रेडियो विशेषज्ञ, कृषि व्यवसाय आदि से सम्बन्धित पाठ्यक्रम द्वारा विशेषज्ञों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। शिक्षण शास्त्र, संगीत, कला, चिकित्सा, सहचिकित्सक औषधि निर्माण तथा अन्य कई प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(C) **विशिष्ट पाठ्यक्रम-** सामान्य माध्यमिक शिक्षा के अतिरिक्त विशिष्ट माध्यमिक विद्यालय में छात्र सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। इसके अन्तिम वर्षों में अधिकतम समय व्यावहारिक कार्य पर दिया जाता है तथा प्रत्येक छात्र राज्य परीक्षा हेतु एक शोध प्रबन्ध तैयार करता है। यह इस प्रकार का पाठ्यक्रम है जिसमें 8 वर्षीय विद्यालयी शिक्षा पूरी कर लेने वाले विद्यार्थियों के लिए 3 से 4 वर्ष का अध्ययन काल होता है तथा जिन्होंने माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की है उनके लिए 2 से 3 वर्ष का अध्ययन काल होता है। इसके साथ ही विशिष्ट माध्यमिक विद्यालय द्वारा दिए गए डिप्लोमा से छात्र उच्च शिक्षा की शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश कर सकते हैं।

(D) **उच्च शिक्षा-** इस स्तर की शिक्षा विश्वविद्यालय, पॉलीटेक्निक विद्यालय और अन्य विशिष्ट संस्थाओं में प्राप्त की जाती है। इससे विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा सांस्कृतिक शिक्षा में व्यक्ति द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है।

रूस की शैक्षिक उपाधियाँ एवं अवधि

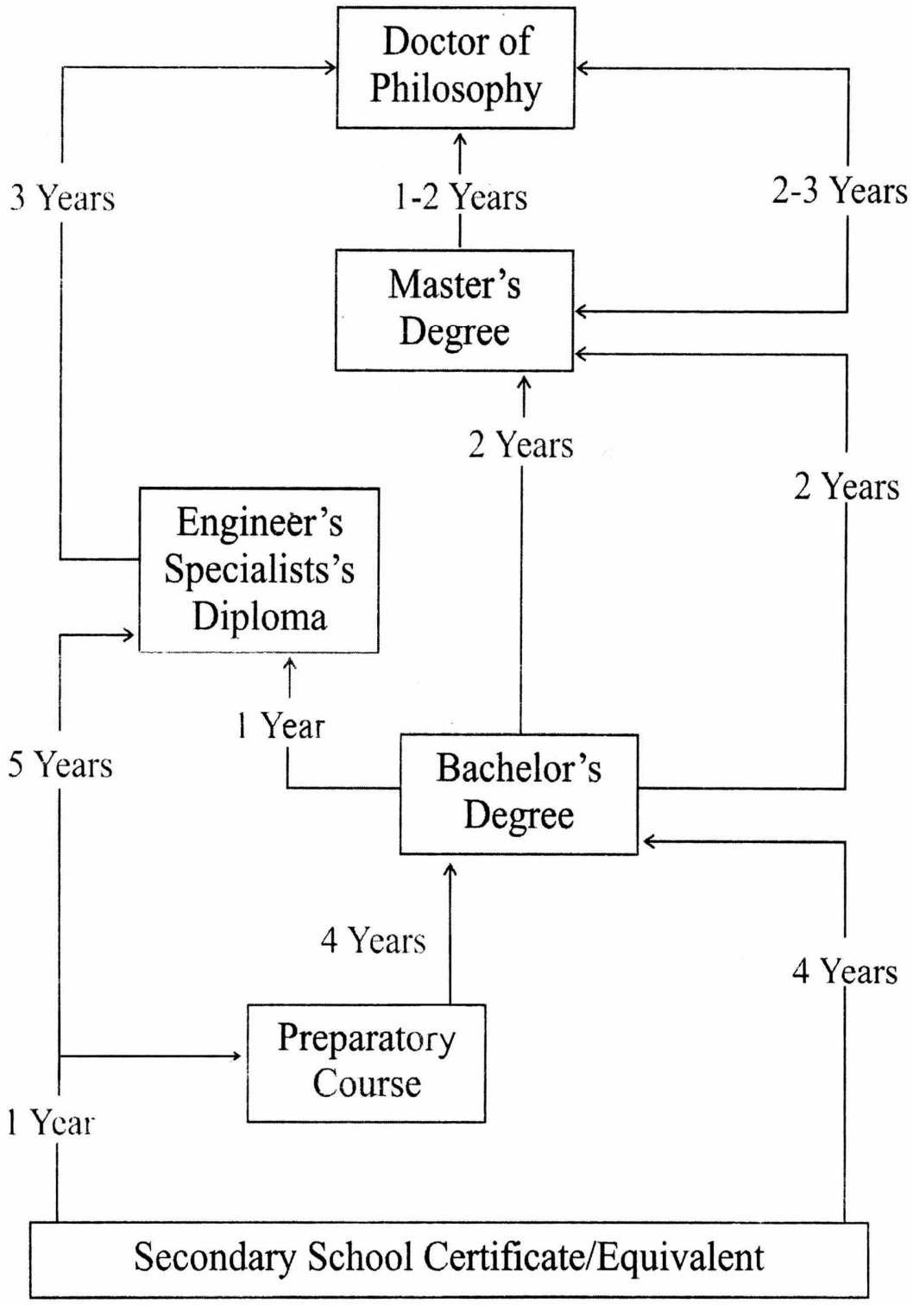

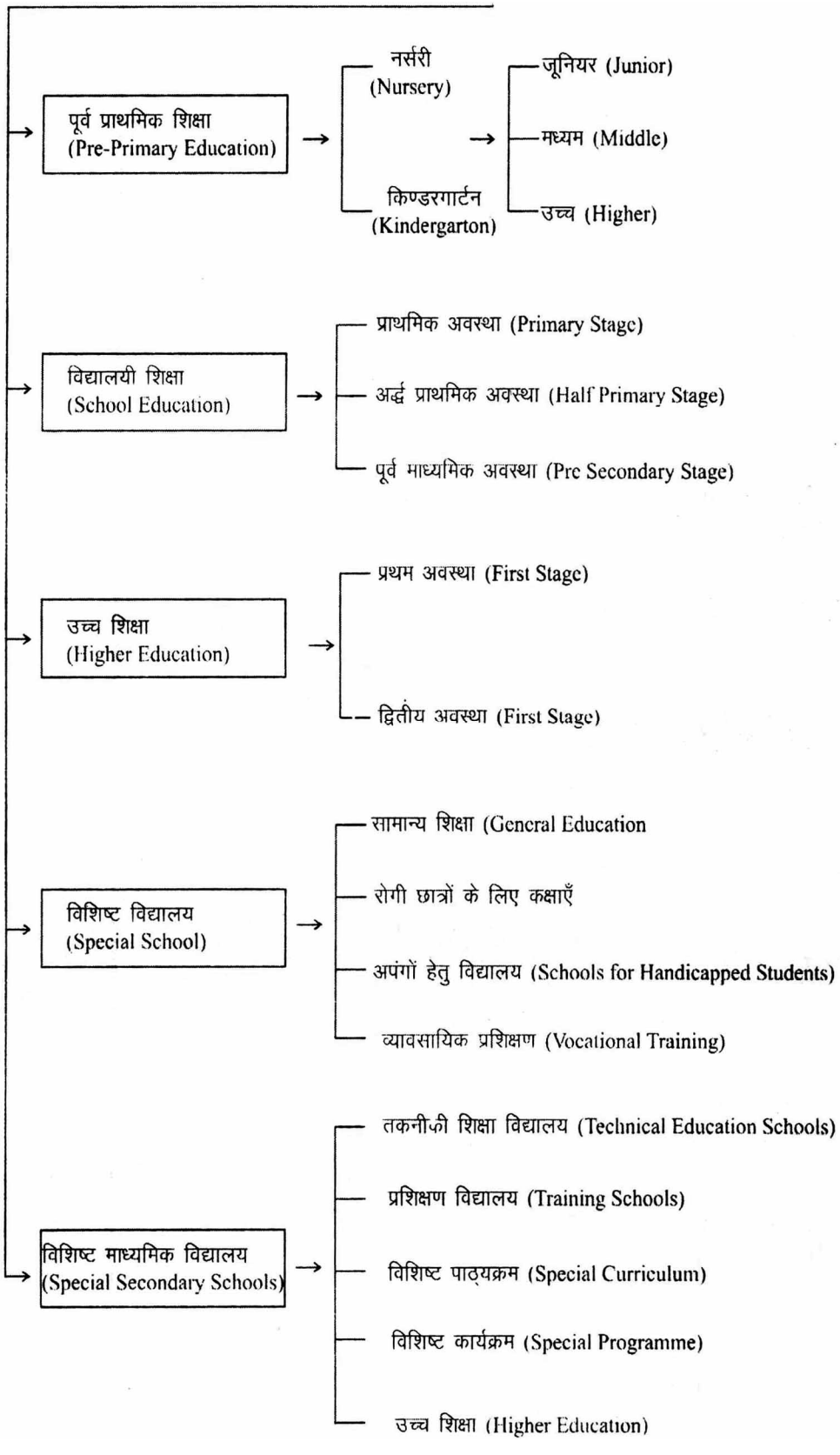
पूर्व प्राथमिक शिक्षा
(Pre-Primary Education)
नर्सरी
(Nursery)
किण्डरगार्टन
(Kindergarton)
जूनियर (Junior)
मध्यम (Middle)
उच्च (Higher)
विद्यालयी शिक्षा
(School Education)
प्राथमिक अवस्था (Primary Stage)
अर्द्ध प्राथमिक अवस्था (Half Primary Stage)
पूर्व माध्यमिक अवस्था (Pre Secondary Stage)
उच्च शिक्षा
(Higher Education)
प्रथम अवस्था (First Stage)
द्वितीय अवस्था (First Stage)
विशिष्ट विद्यालय
(Special School)
सामान्य शिक्षा (General Education
रोगी छात्रों के लिए कक्षाएँ
अपंगों हेतु विद्यालय (Schools for Handicapped Students)
व्यावसायिक प्रशिक्षण (Vocational Training)
विशिष्ट माध्यमिक विद्यालय
(Special Secondary Schools)
तकनीकी शिक्षा विद्यालय (Technical Education Schools)
प्रशिक्षण विद्यालय (Training Schools)
विशिष्ट पाठ्यक्रम (Special Curriculum)
विशिष्ट कार्यक्रम (Special Programme)
उच्च शिक्षा (Higher Education)

स्व-मूल्यांकन-प्रश्न (Self Evaluation Questions)

1. रूस की शैक्षिक संरचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए?
2. रूस में दी जाने वाली विशिष्ट शिक्षा किन्हें प्रदान की जा सकती है?
3. रोगी और अपंग विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था की जाती है?

10.6 शिक्षा का माध्यम (Medium of Instruction)

रूस चूंकि बहुभाषी देश है, अत: वहां प्रचलित कई भाषाओं और बोलियों का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान किया जाता है, किन्तु 15 स्थानीय गणराज्यीयी श्रेत्रीय भाषाओं को ही मान्यता दी गई है और रूसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। रूस में 55% लोग रूसी भाषा का प्रयोग करते हैं तथा 45% लोग क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करते हुए विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। विभिन्न राज्यों की अपनी विभिन्न भाषाएं हैं, किन्तु शिक्षा मातृभाषा द्वारा आरम्भ करके उच्च स्तर तक प्रदान की जाती है। एक बालक अपनी शिक्षा का आरम्भ मातृभाषा से करता है, दो वर्ष बाद वह रूसी भाषा (राष्ट्रीय भाषा) सीखना आरम्भ करता है तथा पांचवी कक्षा से विदेशी भाषा सीखना आरम्भ कर देता है। यदि उसकी मातृभाषा राष्ट्रीय भाषा (रूसी भाषा) होती है तो वह दो विदेशी भाषाएँ सीखता है तथा इसके साथ ही एक क्षेत्रीय भाषा भी सीखता है। सामान्यत: वहां का बालक युवावस्था तक आते-आते तीन भाषाएं सीख लेता है। रूस में भाषा की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पाठ्यपुस्तकें मूलरूप से रूसी भाषा में लिखी जाती हैं। इसके ठीक विपरीत जो पुस्तकें स्थानीय या श्रेत्रीय भाषाओं में लिखी जाती हैं उनमें रूसी भाषा में अनुवाद भी दिया जाता है। इस प्रकार शिक्षा प्राप्ति में बालक प्रारम्भिक शिक्षा से उच्च शिक्षा प्राप्ति तक तीन से भी अधिक भाषाएँ सीख लेता है या सीख सकता है किन्तु नियमानुसार उसकी शिक्षा का माध्यम निम्नानुसार रहता है -

क्र.सं.	स्तर	माध्यम
1.	शिक्षा का प्रारम्भ	मातृभाषा
2.	दो वर्ष पश्चात्	मातृभाषा+रूसी भाषा (राष्ट्रीय भाषा)
3.	कक्षा पाँच से	मातृभाषा+रूसी भाषा, विदेशी भाषा

10.7 रूस की शिक्षा प्रणाली की विशेषताएँ (Special Features of Education System)

शिक्षा का लोकतांत्रिक दर्शन (Democratic Philosophy of Education)- 1992 में से सोवियत रूस के विकेन्द्रीकरण पर कई स्वतंत्र गणराज्य बने तथा कम्युनिस्ट विचारधारा के स्थान पर जनतांत्रिक विचारधारा को महत्व दिया जाने लगा। अब इन गणराज्यों के प्रत्येक व्यक्ति को एक नागरिक के रूप में उसके कर्तव्य और अधिकार दोनों को ध्यान में रखकर शिक्षित किया जाता है। इस बड़े परिवर्तन ने रूस के नागरिकों की अभिवृत्ति और जीवनशैली को परिवर्तित किया है। अब रूस के नागरिकों को उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जिम्मेदारी के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है जिसमें वे भी दूसरों के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं

करते हैं। इसका प्रभाव यह हो रहा है कि रूस में धीरे-धीरे कम्युनिस्ट विचारधारा के स्थान पर प्रजातांत्रिक विचारधारा को स्वीकार किया जा रहा है।

धार्मिक शिक्षा का बदलता स्वरूप (The Changing Shape of Religious Education)- रूस में क्युनिस्ट पार्टी के शासन से पूर्व पूरे देश में जार शासन का प्रभाव था तथा विद्यालयी व्यवस्थाओं पर भी चर्च संस्कृति का अत्यधिक हस्तक्षेप था। किसी न किसी रूप में शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का वर्चस्व बना हुआ था। सन् 1992 से रूस के शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर संघीय कानून बनाया गया तथा विद्यालय में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा पर नियंत्रण किया गया। 24 अप्रैल, 2004 को अत्यन्त तीव्रता से इस स्थिति में परिवर्तन करने के लिए रूस की संसद में धार्मिक शिक्षा: 'समस्या एवं प्रयास' (Religious Education in Russia) नामक एक गोलमेज बैठक आयोजित की गई जिसमें धार्मिक शिक्षा के उन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की गई जिन्हें विद्यालय में दिए जाने पर चर्चा आवश्यक थी। इसी दिशा में रूस में कुछ शिक्षाविदों ने सरकार को यह संकेत भी दिया था कि राज्य के विद्यालय में धार्मिक विषयों की शिक्षा देना संविधान के नियमों का उल्लंघन करना है, अत: इस पर विचार किया जाए। इसीलिए सरकार द्वारा उपर्युक्त बैठक आयोजित की गई। जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि धार्मिक शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? इस बैठक में विचार-विमर्श के बाद निम्नांकित निष्कर्ष निकल कर आया कि-

"महत्वपूर्ण यह है कि धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के पीछे विचारधारा व मूल्य क्या है? और यदि वे उपयोगी और लाभकारी हैं तो शिक्षा के मुख्य सिद्धान्त व उद्देश्य के आधार पर धार्मिक शिक्षण-शास्त्र प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।" साथ ही यह निर्णय लिया गया कि इस दृष्टिकोण के आधार पर रूस के शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का भविष्य वृहत परिप्रेक्ष्य पर निर्भर करेगा। जिसमें यह देखा जाएगा कि धार्मिक शिक्षा की विचारधारा औचित्यपूर्ण है या नहीं।

2. **पूर्व विद्यालयी शिक्षा (Pre-School Education)-** रूस में बच्चों के लिए पूर्व विद्यालयी शिक्षा अपेक्षित नहीं है, किन्तु अधिकांश अभिभावक 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिशु विहार संस्थानों (Kindergarton) में भेजते हैं। इन संस्थानों में 5 दिवसीय सप्ताह में कार्य किया जाता है, जिसका समय प्रात: 7 से सायं 7 बजे तक रहता है। 1 से 6 वर्ष के बच्चे, इस आयु सीमा में किसी भी वर्ष में किण्डरगार्टन में प्रवेश ले सकते हैं। इन संस्थानों में प्रतिदिन के कार्यक्रम में बच्चों को सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन तथा सायंकालीन भोजन दिया जाता है तथा दिन में विश्राम का समय भी रखा जाता है। बच्चों के लिए सृजनात्मक कौशल तथा बौद्धिक विकास हेतु कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इसके साथ ही बच्चों से सम्बन्धित खेलों का आयोजन भी किया जाता है।

3. **मातृभाषा द्वारा शिक्षा (Education Through Mother Tongue)-** सीखने की प्रारम्भिक अवस्था में भाषाविद् यह मानते हैं कि बालक सीखने की प्रारम्भिक अवस्था में अपनी मातृभाषा में जल्दी और ज्यादा सीखता है। इस सिद्धान्त का अक्षरश: पालन

करते हुए रूस ने अपने देश में विद्यालयी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखा है। इसके अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में 45% लोग मातृभाषा में संवाद करते हैं। साथ ही राष्ट्रीय भाषा जो कि रूसी भाषा कहलाती है उसे भी उचित स्थान दिया गया है। मातृभाषा को गणराज्यों में शिक्षा का माध्यम भले ही बनाया गया है तथापि अन्य समीपवर्ती गणराज्यों की भाषाएं, रूसी भाषा तथा विदेशी भाषाओं को भी शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया है।

4. **अनिवार्य शिक्षा (Compulsory Education) -** अनिवार्य शिक्षा रूस की शैक्षिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है। मानव जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान लोगों के शिक्षित होने पर सरलता से किया जा सकता है। इस समझ के क्रियान्वयन हेतु रूस ने विश्व का नेतृत्व किया है। रूस की अनिवार्य शिक्षा को निम्नांकित बिन्दुओं से समझा जा सकता है-

1. 6 से 15 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए शिक्षा प्राप्ति अनिवार्य है।

2. माध्यमिक विद्यालयी शिक्षा को ही अनिवार्य शिक्षा कहा जाता है।

3. माध्यमिक विद्यालय को प्राथमिक (Elementary) माध्यमिक (Middle) तथा उच्च (High) इस प्रकार तीन वर्गो में विभक्त किया गया है।

4. **माध्यमिक (Elementary)** विद्यालय की शिक्षा पूर्ण कर लेने पर विद्यार्थी चाहे तो उच्च विद्यालय (High School) विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं अथवा किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में सम्बन्धित विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। यदि कोई विद्यार्थी किसी या उच्च संस्थान में विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा (Higher Education) प्राप्त करना चाहें तो उसे उच्च विद्यालय (High School) से स्नातक की डिग्री लेना अनिवार्य होती है।

5. **शिक्षा प्राप्ति के समान अवसर (Equal Opportunities for All People)-** रूस में प्रत्येक नागरिक, जो वहां की राष्ट्रीयता रखता है, उसे शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है, चाहे व स्त्री हो या पुरूष। वे अपनी मातृभाषा में किसी भी स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं।

6. **अतिरिक्त शिक्षा (Additional Education)-** रूस में विद्यार्थियों के लिए औपचारिक एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त सम्पूरक शिक्षा Additional Education की व्यवस्था भी है जिसकी निम्नांकित विशेषताएं हैं:-

1. सम्पूरक शिक्षा हेतु विभिन्न प्रकार के विद्यालय और क्लब होते हैं जहां विद्यार्थी अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और विभिन्न कौशलों का विकास कर सकते हैं।
2. विद्यार्थी इन विद्यालय एवं क्लब में उनका अनिवार्य कक्षाओं तथा विद्यालय के समय से पहले अथवा बाद में कभी भी अपनी उपस्थिति दे सकते हैं।
3. इन सम्पूरक संस्थानों की विद्यार्थियों से विषय चयन हेतु कोई अपेक्षाएं नहीं होती अपितु विद्यार्थी अपनी इच्छा एवं रूचि के अनुसार किसी भी विषय व क्षेत्र का चयन कर सकते हैं

4. इन सम्पूरक शिक्षा के विविध प्रकार के विद्यालय रूसी शिक्षा की एक श्रेष्ठ व्यवस्था है।

रूस के अधिकांश शहरों में निम्नांकित प्रकार के सम्पूरक संस्थान प्रचलित हैं:-

1. कला विद्यालय (Art Schools)
2. भाषा विद्यालय (Language Schools)
3. संगीत विद्यालय (Music Schools)
4. विविध खेल क्लब (Different Sports Clubs)
5. आर्थिक विद्यालय (Economic Schools)
6. नृत्य विद्यालय (Dance Schools)
7. शतरंज विद्यालय (Chess Club)
8. रंगमंच स्टूडिओ (Theater studios)
9. फैशन डिजाईन क्लब (Fashion Design Clubs) इत्यादि।

इन सम्पूरक विद्यालय एवं क्लब के संचालन के पीछे रूस की सरकार का विचार बच्चों को हमेशा व्यस्त रखने तथा उन्हें बुरी आदतों से बचाने से है। जिससे उनके पास अतिरिक्त समय नहीं रहे और वे अपराध करने, ड्रग्स लेने तथा अन्य बुराइयों से बच सकें। यह बच्चों को प्रजातांत्रिक समाज में रहने के लिए व अपने भविष्य के संदर्भ में, लाभप्रद और महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। इससे वे अपने अधिकाधिक समय का नियोजन करना भी सीख लेते हैं। ये विद्यालय और क्लब दो प्रकार के होते हैं। राज्यीय तथा अराज्यीय। शैक्षिक नीति के अनुसार ये व्यावसायिक नहीं होते, किन्तु इन्हें संचालित करने के लिए संघीय अनुज्ञा (Licence) की आवश्यकता होती है। इनमें राज्यीय विद्यालय भी उनके बच्चों के लिए इस शिक्षा हेतु वित्त प्रदान करते हैं। जो विद्यालय राज्यीय नहीं होते उनका वित्तीय व्यय विद्यार्थियों द्वारा वहन किया जाता है।

7. **(Education Through Work)-** रूस में शिक्षा प्रदान करने के लिए कार्यानुभव को अधिक महत्व दिया जाता है। किसी प्रायोगिक कार्य को करवाकर शिक्षा प्रदान करना ही 'कार्य द्वारा शिक्षा' से तात्पर्य है। स्वचालित इन्जीनियरिंग, रेडियो तकनीकी, इलेक्ट्रोनिक्स, व्यावहारिक गणित, प्लास्टिक कला पौध संवर्धन, टाईपिंग तथा अन्य और भी कई विषयों से सम्बन्धित कार्य करवाकर विद्यार्थियों को शिक्षित किया जाता है। संस्थान द्वारा पूरे सत्र में किए जाने वाले प्रायोगिक कार्यो की सूची बना ली जाती है तथा विद्यार्थियों को उनमें से किसी भी कार्य को करने हेतु चयन की स्वतंत्रता दी जाती है। विद्यार्थियों को उनकी रूचि और क्षमता के अनुरूप कार्य चयन की सुविधा बालकों में कार्य करने की आदत को सुदृढ़ करती है तथा उन्हें अपने भावी विषयों के चयन में मदद करती है। इस प्रकार इन प्रायोगिक कार्यो की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामान्य रूप से ये प्रायोगिक कार्य शिक्षा के उपयोगी उद्देश्यों के सन्दर्भ में अच्छे परिणाम देते हैं तथा इनसे उत्पादित सामग्री कक्षा-कक्ष, प्रयोगशाला, कार्यशाला तथा किण्डरगार्टन में काम में ली जा सकती है।

8. वैश्विक स्तर पर शिक्षा (Education for Globalization)- विश्व स्तर पर तीव्रगति से शिक्षा में होने वाले नए प्रयोग, अवसर एवं गुणात्मक तथा बहुआयामी विस्तार को देखते हुए रूस ने अपने देश की शिक्षा के कतिपय निम्नांकित पक्षों पर विशेष ध्यान देने का संकल्प किया है-

1. तेजी से परिवर्तित परिस्थितियों में जीवन की तैयारी की आवश्यकता।
2. औद्योगीकरण के एक स्थिति से दूसरी में पहुंचने के कारण सूचनात्मक समाज, अन्त: सांस्कृतिक अन्तःक्रिया के सीमा की सार्थक विस्तार, सूचनात्मक समाज के सन्दर्भ में सम्प्रेषण कौशल और सहिष्णुता का विशेष रूप से महत्व।
3. जनता की जागरूकता और तत्परता को बढ़ाने की आवश्यकता बनाना जो समाज को लोकतंत्रात्मकता तथा राजनैतिक और सामाजिक आकांक्षाओं की परिधि को विस्तार दे सके।
4. कार्यकर्ताओं के व्यावसायिक गतिशीलता को बढ़ाने के लिए योग्यता के विकास और प्रशिक्षण की निर्धारित अनन्त आवश्यकता, एम्प्लोयमेन्ट के क्षेत्र में गहरे संरचनात्मक परिवर्तन।

आर्थिक तंत्र का गतिशील परिवर्तन, प्रतिस्पर्धाओं की वृद्धि, अयोग्य लोगों का अभाव और केवल योग्य श्रमिकों की उपलब्धता युवा और तरूण जनता की शिक्षा के तीव्र एवं अधिक विकास के लिए निर्धारित तथा आवश्यकता को ध्यान में रखकर मानव संसाधन (शक्ति) का सार्थक विकास।

10.8 रूस में शिक्षा प्रशासन (Educational Administration in Russia)

रूस के शैक्षिक प्रशासन को न तो पूर्णत: केन्द्रीकृत कह सकते हैं न ही विकेन्द्रीकृत। यह एक मिली-जुली संरचना है।

रूस में शैक्षिक प्रशासन राष्ट्रीय योजना का एक अभिन्न एवं महत्वपूर्ण अंग है। इसके अन्तर्गत रूस के प्रत्येक नागरिक के जीवन का प्रत्येक पक्ष नियोजित किया जाता है। औद्योगिक व वाणिज्यिक इकाइयों के समान ही शिक्षा की प्रशासनिक योजना की भी इकाई होती है जो शिक्षा की प्रशासनिक संरचना तैयार करती है, जिसे निम्नांकित डायग्राम से समझ सकते हैं:-

शैक्षिक प्रशासनिक संरचना

Education Structure of Russia

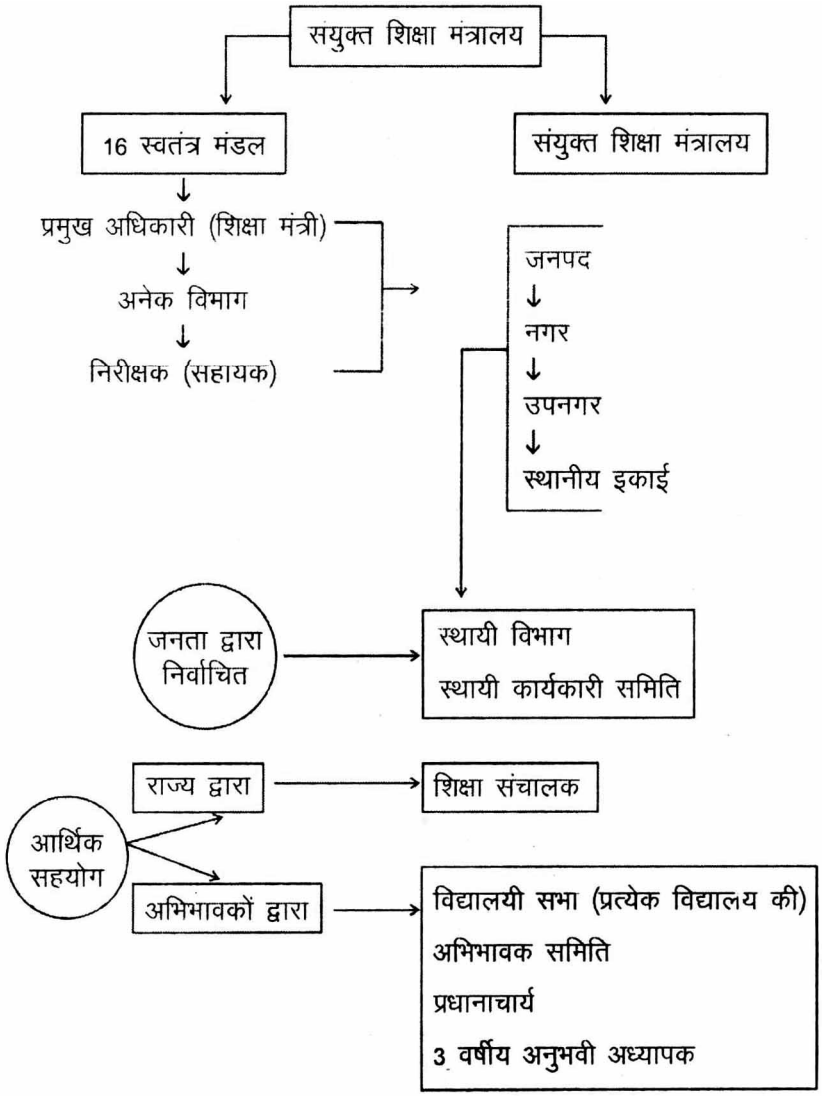

1. **संघीय स्तर पर शिक्षा प्रशासन (Educational Administration at Central Level)-**शिक्षा को नियन्त्रित व प्रशासित करने के लिए आधारभूत प्रशासनिक सिद्धान्तों का निर्माण एवं क्रियान्वयन करना सर्वोच्च रूसी सरकार का दायित्व माना जाता है। संघीय स्तर पर सबसे प्रमुख एजेन्सी शिक्षा मन्त्रालय है जो उच्च तथा माध्यमिक, विशिष्ट सभी शिक्षा से सम्बद्ध है। शिक्षा मंत्रालय का कार्य समस्त संघीय राज्य में होता है किन्तु साथ ही गणराज्य स्तर पर दूसरे मंत्रालय भी इस कार्य क्षेत्र में सहयोग प्रदान करते हैं। जो शिक्षा मंत्रालय गणराज्य तथा स्वायत्त गणराज्य में स्थित है, उनके कार्य को नियन्त्रित करने के लिए वहां कोई भी प्राथमिक या माध्यमिक संघीय मंत्रालय नहीं होता। समय-समय पर नीतियों को लागू करने के लिए गणराज्यों में शिक्षा मंत्री सम्मेलनों व बैठकों में मिलते हैं तथा निर्णय लेते हैं। कुछ अन्य केन्द्रीय

मंत्रालय शिक्षा के गणराज्यीय मंत्रालयों से सम्बन्ध रखते हैं। जैसे- स्वास्थ्य मंत्रालय चिकित्सा शिक्षा से तथा विद्यालय में नामांकित छात्रों के कल्याण से सम्बन्ध रखता है। रेले तथा संचार मंत्रालय विशिष्ट प्रशिक्षण विद्यालय चलाते हैं। संस्कृति मंत्रालय कम्युनिस्ट विचारधारा में उचित राजनैतिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी से घनिष्ठता रखते हुए कार्य करता है। 1990 से विकेन्द्रीकरण के बाद भी राज्य योजना समितियां भी सभी मंत्रालयों पर अभी तक नियन्त्रण रखती हैं।

2. **गणराज्य क्षेत्र तथा स्थानीय स्तर पर शिक्षा प्रशासन (Educational Administration at the Republic, Regional and Local Levels) -** संघ गणराज्यों में प्रत्येक गणराज्य का अपना शिक्षा मंत्रालय होता है। इसी प्रकार पांच गणराज्यों के अन्तर्गत 20 स्वायत्त राज्यों में प्रत्येक का अपना शिक्षा मंत्रालय है। संघीय संरचना के आधार पर चार मुख्य प्रकार की प्रशासनिक इकाइयां हैं। संघ क्षेत्र (क्राई) - बड़े प्रान्त के समान हैं, क्षेत्र (ओबलास्ट) छोटे प्रान्त के समान हैं, जनपद (राइओन) ग्राम के समान हैं तथा नगर या कस्बा (गोरोड) के समान हैं जिसमें एक से अधिक जनपद होते हैं। उनमें प्रत्येक प्रशासनिक इकाई का अपना शैक्षिक विभाग होता है जो स्थानीय सरकार तथा इसके गणराज्य का शिक्षा मंत्रालय होने के प्रति उत्तरदायी होता है।

स्वमूल्यांकन प्रश्न (Self Evaluation Questions)	
1.	रूस की राष्ट्रभाषा क्या है तथा शिक्षा के विभिन्न स्तर पर शिक्षा का माध्यम कौनसी भाषा होती है?
2.	रूस की शिक्षा की किन्हीं दो विशिष्ट प्रवृत्तियों (Special Trends) का उल्लेख कीजिए।
3.	रूस में प्रचलित अतिरिक्त शिक्षा (Additional Education) प्रदान करने वाले किन्हीं चार संस्थानों के नाम लिखिए।
4.	संघीय स्तर पर शिक्षा प्रशासन के कार्य समझाइए।

10.9 सारांश (Summary)

रूस विश्व का एक विशाल और सशक्त राष्ट्र है जो 1992 से पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। आज रशियन फेडरेशन अथवा रूस की पहचान उसके 15 गणराज्यों के रूप में की जाती है। विश्व का विशालतम देश सोवियत संघ 1992 में अपनी आर्थिक राजनैतिक सफलताओं के कारण विघटित होकर रूस में रूपान्तरित हो गया।

1. रूस को विश्व में अपनी सर्वोपरी पहचान बनाने तथा शिक्षा में अग्रणी बनाए रखने में वहां की साम्यवादी पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण हाथ रहा है।
2. यद्यपि शिक्षा का एकीकरण किया गया किन्तु संसार में अपने देश के सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य शिक्षा लागू करने का श्रेय रूस को ही प्राप्त है जिसके द्वारा बहुत पहले ही यह जान लिया गया था कि यदि देश को सर्वश्रेष्ठ व अग्रणी बनाना है तो देश के सभी नागरिकों का शिक्षित होना अनिवार्य है।

3. विघटित होने पर भी आज रूस की साक्षरता दर अन्य देशों की तुलना में सर्वाधिक और 99.47 प्रतिशत है।
4. रूस में शिक्षा का उद्देश्य साम्यवादी शासन काल में प्रत्येक विद्यार्थी को अपने जीवन में साम्यवादी विचारधारा आत्मसात् कर लेने से था, जिसमें अब मानवीय गुणों के विकास तथा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का समावेश भी कर लिया गया है।
5. रूस की शैक्षिक सामाजिक व्यवस्था में जहां पहले पूर्णत: साम्यवादी विचारधारा थी वहीं अब लोकतांत्रिक दृष्टिकोण विकसित हो रहा है।
6. रूस की शिक्षा नीति पर कम्युनिस्ट पार्टी का ही वर्चस्व रहा है तथा वर्तमान समय में भी प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा की नीति निर्धारण में सरकार की पूरक बनती हुई यह पार्टी केन्द्र व राज्य स्तर पर सक्रिय है।
7. रूस में आरम्भ से ही नागरिकों को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने की परम्परा में रूस की शैक्षिक संरचना का पश्चिम-यूरोप के देशों में महत्वपूर्ण स्थान है।
8. रूस में पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो अनिवार्य शिक्षा से पहले की स्थिति है, उसमें 1 से 7 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए नर्सरी तथा किण्डरगार्टन स्कूल चलाए जाते हैं।
9. विद्यालयी शिक्षा 10 से 11 वर्ष तक की होती है, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक, पोलिटेक्निक, व्यावसायिक व तकनीकी प्रशिक्षण, सायंकालीन कक्षा तथा पत्राचार पाठ्यक्रम से सम्बन्धित शिक्षा प्रचलित है।
10. उच्च शिक्षा के अन्तर्गत विश्वविद्यालय, व्यावसायिक वैज्ञानिक शिक्षण संस्थाएं, शिक्षण शास्त्र, डॉक्टरेट आदि से सम्बन्धित संस्थान प्रचलित हैं।
11. इनके अतिरिक्त विशिष्ट विद्यालय, रोगी व्यक्तियों के लिए शिक्षा एवं अपंग बालकों हेतु विद्यालय भी चलाए जाते हैं।
12. शिक्षा का माध्यम प्रारम्भ में मातृभाषा रखी जाती है। दो वर्ष पश्चात् मातृभाषा के साथ रूसी भाषा तथा कक्षा पांच से इन दोनों के साथ विदेशी भाषा भी सिखाई जाती है।
13. रूस देश की शिक्षा की कई विशेषताएं हैं, जिनमें पूर्व विद्यालयी शिक्षा, मातृभाषा द्वारा शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, शिक्षा प्राप्ति के समान अवसर, अतिरिक्त शिक्षा, कार्य द्वारा शिक्षा आदि व्यवस्था अनुकरणीय है।
14. रूस का शैक्षिक प्रशासन संघीय स्तर पर किया जाता है। वर्तमान में शिक्षा-संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश के समस्त गणराज्यों में नियुक्त शिक्षा मंत्री का अपना शिक्षा मंत्रालय होता है। संघीय संरचना के आधार पर प्रशासनिक इकाइयां होती है जो स्थानीय सरकार के साथ शिक्षा की व्यवस्था करती है।
15. विद्यालयी अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क होती है तथा शेष शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था राज्य तथा अभिभावकों द्वारा की जाती है।

10.10 संदर्भ सूची (References)

1. Biswas, A.and Aggarwal, J.C. (2004). **Comparative Education,** New Delhi: Arya Book Depot, 30, Naiwara, Karol Bagh.
2. बुल्के, फादर कामिल(2005), **अंग्रेजी-हिन्दी कोश,** राँची: काथलिक प्रेस
3. चौबे, डी. सरयू प्रसाद (1995), **तुलनात्मक शिक्षा,** आगरा: विनोद पुस्तक मन्दिर, रांगेय राघव मार्ग
4. चौबे, प्रो. सरयूप्रसाद(1995), **स्वदेश विदेश में शिक्षा,** आगरा: विनोद पुस्तक मन्दिर, रांगेय राघव मार्ग।
5. Khan, Mohammad Abbas (2004) **Modern Comparative Education,** New Delhi Anmol Publication pvt++. Ltd. Ansari Road, Dariyaganj.
6. Sharma, R.A. (2007), **Comparative Education,** Meerut: Vinay Rakheja C/o R. Lall Book Depot, Near Govt. Inter College.
7. शर्मा, आर.ए.(2008),**तुलनात्मक शिक्षा (विश्व की शिक्षा प्रणालियों एवं समस्याएँ)** मेरठ : आर..लाल बुक डिपो, निकट गवर्नमेण्ट इण्टर कॉलेज।

Webliography

1. www.Education Russia.htm
2. www.Education in Russia for foreigners.htm
3. www.euroeducation.net/prof/russio.htm
4. ww.education system in Russia_Institute for International Education and Language Communication.htm
5. www.History of Russia_wikipedia,.htm
6. www.general background of all RE.htm
7. www.go.world bank.Org-N1GG90QBCO
8. www.Objectives of higher education ijn Russia.htm
9. www.Religions freedom in Ressia.htm
10. www.RussN.htm
11. www.Russian-crafts.com/customs/educatineducation.htm
12. www.STRUCTURE OF EDUCATION SYSTEM IN RUSSIA IN RUSSIAN.htm
13. www.studyrussion.com(Higher Education)
14. www.way to russia
15. www.Weblist; Russia-Education.htm
16. www.en.wikipedia.org.ru

17. www.wikpedia.org/wiki/education_in_Rusia
18. www.worldbank.org.ru
19. www.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEX_

इकाई - 11

रूस में विद्यालयी शिक्षा

(School Education in Russia)

इकाई की रूपरेखा (Outline of The Unit)

11.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of the Unit)

11.1 विषय प्रवेश (Introduction)

11.2 पूर्व प्राथमिक शिक्षा (Pre-Primary Education)

11.3 प्राथमिक शिक्षा (Primary Education)

11.4 माध्यमिक शिक्षा की संरचना
(Structure of Secondary Education of School)

11.5 व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण (Vocational and Technical Training)

11.6 शिक्षा में तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग
(Use of Technology and IT in Education)

11.7 शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (Teacher Education Programme)

11.8 रूस और भारत की माध्यमिक शिक्षा में अंतर
(Difference Between Russian and Indian Secondary Education)

11.9 सारांश (Summary)

11.10 सन्दर्भ सूची (References)

11.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of the Unit)

इस इकाई को पढ़कर आप यह जान सकेंगे कि-

1. रूस में विद्यालयी शिक्षा की संरचना एवं प्रणाली क्या है?
2. वहां विभिन्न स्तर के बच्चों के लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था है?
3. विद्यालय के प्रकार क्या हैं तथा पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम, प्रशासन, वित्त, शिक्षण विधि एवं मूल्यांकन की पद्धति क्या है?
4. रूस में अध्यापक शिक्षा का स्वरूप क्या है तथा इसे जानने के साथ ही उनके शैक्षिक एवं जीवन स्तर को भी जान सकेंगे।
5. शिक्षा में तकनीकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोग तथा प्रशिक्षण के बारे में जान सकेंगे। साथ ही रूस और भारत की माध्यमिक शिक्षा के अन्तर को जान सकेंगे।

11.1 विषय-प्रवेश (Introduction)

अन्य देशों की भांति रूस की विद्यालयी शिक्षा को भी तीन भागों में विभक्त किया गया है। यूं तो शिक्षा का आरम्भ प्राथमिक स्तर से किया जाता है किन्तु आधुनिक

मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी युग में प्राथमिक शिक्षा से पूर्व ही पूर्व प्राथमिक को जोडकर इस स्तर पर शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था विधिवत् की जाती है। रूस में भी इसी प्रकार विद्यालयी शिक्षा निम्नांकित स्तर पर संचालित की जाती है-

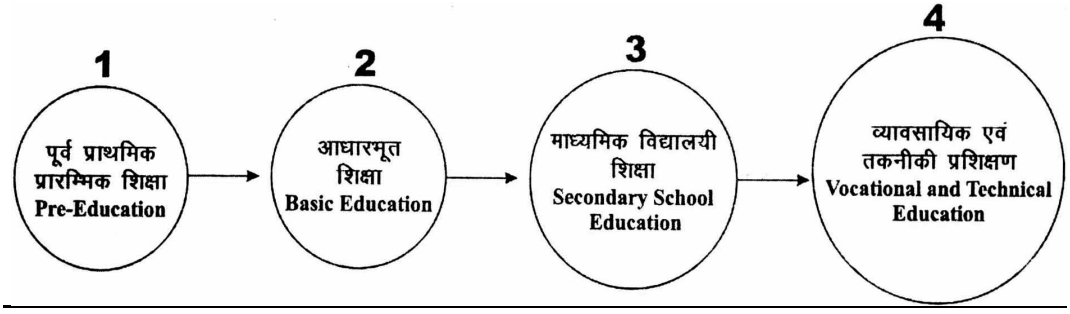

11.2 पूर्व प्राथमिक / प्रारम्भिक शिक्षा (Pre Primary Education)

1. पूर्व प्राथमिक शिक्षा की संरचना (Structure of Pre Primary Education)

रूस में पूर्व प्राथमिक शिक्षा यद्यपि शिक्षा मंत्रालय का दायित्व है किन्तु इसकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्रालय को दी जाती है। यह पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए होती है तथा इसमें बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार किया जाता है।

रूस में पूर्व प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था श्रमिक महिलाओं द्वारा दिन में मजदूरी करने के कार्यकाल में उनके बच्चों की देख-रेख और शिक्षा व्यवस्था के लिए आरम्भ की गई चूंकि रूस की सरकार शैक्षिक वातावरण पर बहुत अधिक ध्यान देती है अत: सरकार ने यह अनुभव किया कि श्रमिक महिलाओं को अपने बच्चों के प्राकृतिक विकास की चिन्ता से मुक्त किया जाए। क्योंकि कामगार महिलाओं के मजदूरी पर चले जाने पर उनके बच्चों का ध्यान अन्य बच्चों के समान रखा जाय तथा उन्हें घर जैसा वातावरण मिले साथ ही उन्हे आवश्यक व्यवहार सिखाया जा सके इस उदेश्य से इस शिक्षा की व्यवस्था की गई । अत: उनके बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी स्वयं सरकार ने ली किन्तु शिक्षा मंत्रालय ने इन बच्चों की शिक्षा का व्यय कामगार महिलाओं से सम्बन्धित उद्योग, मिल, कारखानों आदि को वहन करने हेतु प्रतिबन्धित नीति निर्धारण किया। यह व्यवस्था अभी भी कायम है तथा सम्बन्धित क्षेत्रों में ये विद्यालय चलाए जाते हैं। उद्योग केन्द्र अपने बोर्ड के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करते हैं। समस्त प्रबन्धन उद्योग संगठन के कोष से किया जाता है।

इन विद्यालय में कार्यरत शिक्षिकाओं की कार्य अवधि 6 घण्टे की होती है। यद्यपि इन विद्यालय का समय प्रात: 7 से सायं 7 बजे तक का होता है; किन्तु कर्मचारी महिलाएं 6-6 घण्टे की शिफ्ट में कार्य करती हैं। बच्चों के प्रवेश से पूर्व इन्हें उचित वातावरण का निर्माण करना होता है। ये शिक्षिकाएं घर-घर जाकर माताओं को बालकक्ष विद्यालय जैसे वातावरण के निर्माण की सलाह देती हैं। संवेदनशील बालकों को 6-7 दिन बालकक्ष-शिक्षकों के सम्पर्क में रखा जाता है ताकि वे बाल विहार विद्यालय के वातावरण से परिचित हो सके।

सरकार लोगों को उनके सम्बन्धित क्षेत्रों में बालकक्ष विद्यालय खोलने के लिए प्रेरित करती है तथा अपने संगठन में सम्मिलित करती है।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य-

1992 की शैक्षिक नीति के अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

1. बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल तथा सुरक्षा करना।
2. उनका बौद्धिक और सांवेगिक विकास करना।
3. उनमें सृजनात्मकता, कल्पना शक्ति तथा योग्यता का विकास करना।
4. बच्चों में मानवीय मूल्यों का विकास करना।
5. बच्चों के व्यक्तित्व का सुसंगत (Harmonius) विकास करना।

विद्यालय के प्रकार (Types of Schools)

पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत निम्नांकित दो प्रकार के विद्यालय भी चलाए जाते हैं:

(1) नर्सरी विद्यालय (Nursery School)

(2) बाल विहार (Kindergarton)

1. **नर्सरी विद्यालय (Nursery School)-** नर्सरी विद्यालय की स्थापना 1-3 वर्ष तक के बालकों के लिए होती है। इसमें बच्चों को स्वस्थ रखा जाता है तथा उन्हें अच्छी आदतें सिखाई जाती हैं। स्वास्थ्य निरीक्षिकाएं बच्चों में शारीरिक श्रम, अभ्यास और अनुकूलता उत्पन्न करने का प्रयास करती है। खेलों द्वारा सहयोग की सामाजिक भावनाओं का विकास किया जाता है। इस प्रक्रिया से बच्चों को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अपनत्व प्रदान किया जाता है तथा श्रमिक व कामगार माताओं को बच्चों की चिन्ता से मुक्ता रखा जाता है।

2. **बाल विहार (Kindergarten)-** बाल विहार या किण्डरगार्टन जैसे विद्यालय का प्रारम्भ भी श्रमिक महिलाओं को उनके कार्य के समय निश्चित रखने के उद्देश्य से किया गया। इसमें 3 से 7 वर्ष तक की आयु के बच्चे प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों के प्रवेश से पूर्व उनके लिए उपयुक्त वातावरण परिवारों या नर्सरी विद्यालय में तैयार कर दिया जाता है। जिससे उनमें इन विद्यालय में समायोजित होने में कठिनाई न हो। इन विद्यालय में बच्चों को भाषा ज्ञान, बोलना, पढ़ना लिखना तथा अंकगणित सिखाया जाता है। स्वस्थ आदतों व शारीरिक अभ्यास द्वारा स्वस्थ बनने का प्रयास करवाया जाता है तथा शिक्षिकाएं मातृवत् व्यवहार करती है। इन विद्यालय में बच्चों के शुल्क की व्यवस्था अभिभावक द्वारा की जाती है किन्तु युद्ध पीड़ित, पेन्शन प्राप्त या अविवाहित महिलाओं से न्यूनतम शुल्क ही ग्रहण की जाती है।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम (The Curriculum of Pre-Primary Education Institutes)

रूस के नर्सरी विद्यालय तथा किण्डरगार्टन में बच्चों की रूचि पसन्द और सामर्थ्य को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। जिनकी योजना सत्र के आरम्भ में ही बना ली जाती है। पाठ्यक्रम पर आधारित सम्पन्न किए जाने वाले कार्यक्रमों में कुछ इस प्रकार हैं:-

व्यायाम, नृत्य, संगीत, खेल, भ्रमण आदि। इसके साथ ही शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है। खेलों तथा इन कार्यक्रमों में प्राय: वे उपकरण प्रयुक्त किए जाते हैं जो बच्चों में सहयोग की भावना का विकास करते हैं। ये उपकरण पुनर्निर्माण तथा सीखने की प्रक्रिया में उपयुक्त होते हैं। यद्यपि बच्चों को सैद्धान्तिक शिक्षा के लिए तैयार किया जाता है किन्तु प्रायोगिक व्यवहार तथा समझ के लिए भ्रमण पर उन स्थानों पर ले जाया जाता है जहां उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव हों। जैसे- कृषि के क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, उपवन, मेले आदि। इन स्थानों पर ले जाकर उनसे विवरणात्मक अभिव्यक्ति का अभ्यास करवाया जाता है।

साहित्यिक सांस्कृतिक क्रियाकलापों के संचालन द्वारा विभिन्न साहित्यिक व सांस्कृतिक व्यक्तित्व-कवि, लेखक, नर्तक आदि के परिचय द्वारा बच्चों का अनुरंजन किया जाता है। बच्चों से कार्य करवाते समय पूर्णत: लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। पूर्व प्राथमिक विद्यालय से सरकार द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि वे बच्चों का बड़ों से सम्बन्ध वास्तविक सम्भागित्व के आधार पर तैयार करे तथा शिक्षक बच्चों की भावनाओं का सम्मान करे।

पूर्व प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा विधि (Teaching Method of Pre-Primary Schools)

पाठ्यक्रम आधारित कार्यक्रमों के संचालन में बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य का विकास किया जाता है। सहयोग की भावना से बच्चों को सामाजिक विकास में सही दिशा में बच्चों के स्वत: झुकाव हेतु सही दिशा प्रदान करने का प्रयास करने के लिए निम्नांकित प्रक्रिया की जाती है-

1. शिक्षा प्रक्रिया में खिलौनों का प्रयोग किया जाता है।
2. खेल के उपकरणों से शिक्षण प्रक्रिया सम्पादित की जाती है।
3. जिन बच्चों से अकेले नहीं खेला या कार्य किया जाता, उन्हें सहायता प्रदान की जाती है।
4. विभिन्न उपकरणों द्वारा शारीरिक अभ्यास करवाया जाता है।
5. खेल-खेल में अच्छी आदतों का निर्माण किया जाता है।
6. सीखते या कार्य करते समय कार्य बिगड़ जाने पर बच्चों के साथ संवेदनशील व्यवहार किया जाता है तथा उन्हें पुन: कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाता है।
7. सीखने की समस्त प्रक्रिया में बच्चों के साथ मातृत्व एवं मित्रवत् व्यवहार किया जाता है।
8. सीखने की प्रक्रिया प्राय: बच्चों द्वारा ही स्वत: स्फूर्त होती है।
9. इन विद्यालय की शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षिकाएं बालकों के घर के वातावरण को सुधारने का भी प्रयास करती हैं।
10. स्वास्थ्य निरीक्षक घर जाकर माताओं को बच्चों के हितार्थ निर्देश देते हैं।
11. सार्वजनिक केन्द्रों जैसे- दुग्ध वितरण केन्द्र आदि पर माता-पिता को बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी मार्गदर्शन की सूचना दी जाती है।

12. बाल विहार के शिक्षक बच्चों के घर जाकर घर का निरीक्षण करते हैं तथा माता-पिता को यह सलाह देते हैं कि बाल विहार में प्रवेश से पहले बच्चों को किस प्रकार तैयार किया जाए।

पूर्व प्राथमिक विद्यालय में 1 वर्ष से 7 वर्ष के बालकों की संख्यात्मक स्थिति लगभग निम्नानुसार रहती है:-

क्र.सं.	**बच्चों का आयु समूह**	**पूर्व प्राथमिकता विद्यालय में बच्चों का प्रतिशत**
1.	3 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का पूर्व प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश।	30%
2.	3 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों का पूर्व प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश।	40%
3.	6 वर्ष के बच्चों द्वारा पूर्व प्राथमिक विद्यालय का त्याग	15%
4.	7 वर्ष के बच्चों द्वारा पूर्व प्राथमिक विद्यालय को छोड़कर चले जाना।	45%
5.	6 वर्ष के बच्चों का पूर्व प्राथमिक विद्यालय में छोड़कर चले जाना।	10%
6.	बच्चों का उनकी मांग के अनुसार स्वास्थ्य केन्द्र तथा संस्थानों पर उपस्थिति।	0.5%

पूर्व प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता हेतु नवीन योजना (The New Plan for Quality of Pre-Primary Education)

वर्तमान रूस की सरकार ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता के लिए एक नई योजना तैयार की है, जिसके अन्तर्गत 2010 तक के लिए सामान्य शिक्षा की गुणात्मकता के लिए एक अस्थायी (Provisional) कार्यक्रम बनाया है। जिसका उद्देश्य बच्चों के विकास, वृद्धि एवं प्रशिक्षण में गुणात्मकता लाना है। यह एक प्रोजेक्ट है जो सामान्य शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा दोनों के लिए तैयार किया गया है। जिसका क्रियान्वयन करने से पहले पूर्व परीक्षण हेतु विद्यालय में भेजा गया ताकि उसकी उपयोगिता ज्ञात की जा सके इसके पश्चात् सभी विद्यालय में इस प्रोजेक्ट को भेजा गया जहां वर्तमान में इसका उपयोग करके शिक्षा की गुणात्मकता के प्रयास किए जाते हैं।

इस कार्यक्रम के निम्नांकित प्रभाव परिलक्षित हो रहे हैं-

1. सभी विद्यालय में शिक्षा की गुणात्मकता के प्रयास किए जा रहे हैं।
2. ऐसे अभिभावक जो अपने बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहीं नहीं भेजते उनके लिए भी इस योजना में ऐसा कार्यक्रम हैं जिससे वे घर में ही अपने बच्चों का शैक्षिक विकास करते हैं।

3. पूर्व प्राथमिक शिक्षा की लगभग 4000 हजार संस्थाएं कार्य कर रही हैं तथा इस कार्यक्रम के द्वारा सामान्य बेसिक शिक्षा से अपना निरन्तर तादात्म्य बनाए रखने का कार्य करती हैं।
4. ऐसे कई किण्डरगार्टन (पूर्व प्राथमिक संस्थान) बनाए गए हैं, जो बच्चों का बहुआयामी विकास कर रहे हैं।
5. किण्डरगार्टन संस्थानों में इस समय लगभग 7 लाख शिक्षक कार्यरत हैं, जिनमें से 99% प्रतिशत शिक्षक ऐसे हैं, जो विशेष व्यावसायिक परीक्षण प्राप्त कर चुके हैं और शिक्षा की गुणात्मक वृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं।

स्वमूल्यांकन प्रश्न (Self Evaluation Questions)

1. रूस के पूर्व प्राथमिक विद्यालय कि स्थापना क्यों कि गई?
2. पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु किस प्रकार के विद्यालय संचालित किए जाते हैं?
3. पूर्व प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश हेतु बच्चों कि आयु सीमा क्या है?
4. बाल विहार के शिक्षक बच्चों के घर क्यों जाते हैं?

11.3 प्राथमिक शिक्षा (Primary Education)

रूस में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों के शैक्षिक विकास पर रूस की सरकार पर्याप्त व्यय करती है तथा शिक्षा के इस प्रारम्भिक स्तर को भी दृष्टि से मजबूत बनाने का प्रयास करती है। इसीलिए रूस की सरकार द्वारा 7 से 10 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा के रूप में लागू किया गया है।

प्राथमिक शिक्षा की संरचना (Structure of Primary Education)

विश्व व्यापक तथा विस्तीर्ण रूस की प्राथमिक शिक्षा दो प्रकार से चलाई जाती है जिसे निम्न दो भागों में विभक्त किया गया है-

प्रथम- प्राथमिक शिक्षा में 7 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए 3 वर्ष की अवधि तथा 3 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है।

द्वितीय- प्राथमिक शिक्षा में 7 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए 8 वर्ष की अवधि तथा 8 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है। इसकी अवधि दो वर्ष और बढ़ा दी गई है। अब यह शिक्षा 10 वर्ष की तथा अनिवार्य शिक्षा के रूप में प्रचलित है।

प्राथमिक शिक्षा (Primary Education)

	विद्यार्थी	वर्ष	पाठ्यक्रम
प्राथमिक शिक्षा के प्रकार	7 से 10 वर्ष	3 वर्ष की अवधि	3 वर्षीय
Types of Primary Education	7 से 15 वर्ष	10 वर्ष की अवधि	10 वर्षीय अनिवार्य

प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of the Primary Education)

रूस की प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य निम्नांकित रूप से निर्धारित किए गए हैं:-

1. बच्चों में रूसी भाषा तथा अन्य भाषाओं के कौशलों का विकास करना।

2. बच्चों का शारीरिक विकास करना।
3. उन्हें प्राकृतिक विज्ञान का बोध कराना।
4. उनमें शारीरिक श्रम के प्रति आदर भाव विकसित करना।
5. उन्हें तकनीकी तथा उत्पादक कार्यो का ज्ञान प्रदान करना।
6. उनमें गायन एवं संगीत में रूचि विकसित करना।
7. उनकी प्राकृतिक अध्ययन में रूचि विकसित करना।

प्राथमिक शिक्षा प्रशासन एवं प्रबन्धन (Administration and Management of Primary Education)

देश की 10वीं कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा रूस की प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय को दी गई है। सन् 1930 के बाद से ही प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एव अनिवार्य रूप से प्रदान करने के लिए देश में विभिन्न प्रकार के संस्थान खोले गए। द्वितीय युद्ध के समय प्राथमिक शिक्षा पूर्णत: बाधिक हो चुकी थी क्योंकि शिक्षकों, छात्रों व युवाओं को भी सेना में सहायतार्थ नियुक्त कर दिया गया था।

प्राथमिक शिक्षा प्रशासन एवं प्रबन्धन की नीतियों का निर्माण एवं निर्वहन का दायित्व पूर्णरूप से शिक्षा मंत्रालय का है जिसके अन्तर्गत प्रशासकीय व प्रबन्धकीय नीतियों के अन्तर्गत रूस की प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था निम्नानुसार की जाती है-

1. विद्यालय पक्के भवनों में लगाए जाते हैं। कभी-कभी तम्बुओं में भी चलाए गए क्योंकि पिछड़े क्षेत्रों में खानाबदोश होने के कारण यह व्यवस्था की गई और इसके पीछे बच्चों को सार्वजनिक व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का उद्देश्य रहा है।
2. रूसी शिक्षा पद्धति में मनोवैज्ञानिक पद्धति के साथ क्या शिक्षण पद्धति पर भी बल दिया जाता है।
3. मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बालकों के शिक्षा कार्यक्रम का समय 15-20 मिनट से अधिक नहीं रखा जाता है।
4. बड़ी आयु के बालकों के कालांश 45 मिनट होते हैं।
5. विद्यालय का समय प्राय: प्रात: 9 बजे से 2.30 या 3 बजे तक का रहता है।
6. वातावरण के अनुसार विद्यालय का समय परिवर्तित होता रहता है।
7. छोटे बच्चों की छुट्टी दोपहर 1 बजे कर दी जाती है।
8. अध्यापक वर्ग प्रतिदिन लगभग 6 घण्टे कार्य करते हैं।
9. जहां अध्यापकों का अभाव होता है और शिफ्ट में विद्यालय चलते हैं, वहां अध्यापकों को अतिरिक्त समय में किए गए कार्य के लिए पारिश्रमिक दिया जाता है।
10. पाठ्यक्रम निर्माण एवं परीक्षा पत्र का निर्माण शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

एकल शिक्षा (Single Education)- प्राथमिक विद्यालय में एकल शिक्षा प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। एक ही शिक्षक सभी विषयों को पढ़ाता है। (One Class One Teacher) इसमें कक्षा अध्यापक छात्रों की समस्त प्रगति का ध्यान रखता है। उनके चारित्रक विकास तथा आचरण सम्बन्धी व्यवहारों का आकलन करता है तथा साथ ही सभी विषयों का अध्यापन कार्य

भी करता है। वह बालकों को नाटक, विभिन्न स्थलों, विद्यालय कैन्टीन, विद्यालय परिसर, अजायबघर आदि स्थानों पर श्रम कार्य हेतु प्रेरित करता है तथा सभी छात्रों के संबंध में अधिकाधिक जानकारी रखने का प्रयास करता है। रूस की इस एकल शिक्षा का अनुकरण भारत के भी कई निजी प्राथमिक विद्यालय में प्रयोग की दृष्टि से किया गया था किन्तु अध्यापक की सभी विषयों में दक्षता न होने के कारण यह पद्धति स्थगित करनी पड़ी किन्तु वर्तमान समय में भारत के कई ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों के अभाव में कई प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण के साथ-साथ विवशतावश सभी कार्यो का निर्वाह एक ही अध्यापक द्वारा किया जा रहा है। रूस में एक अध्यापक एक वर्ग को कहीं-कहीं 4 वर्ष तक भी निरन्तर पढ़ाता है।

वित्तीय व्यवस्था (Financial Arrangement)- प्राथमिक शिक्षा पर केन्द्रीय सरकार द्वारा बहुत कम व्यय किया जाता है। संस्थानों की वित्तीय व्यवस्था का भार प्राय: उन्हीं संस्थानों एवं अभिभावकों पर रहता है जिनके बच्चे उन विद्यालय में पढ़ते हैं। राज्य स्तर पर सरकारी संस्थाएं इस सम्बन्ध में अवश्य सहायता करती है किन्तु धनी व सम्पन्न परिवार के बच्चों के अभिभावक भी स्वेच्छा से अपने वेतन में से वित्तीय मदद करते हैं। जो विद्यार्थी गरीब परिवार के होते हैं उनके लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था की जाती है तथा उन्हें अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।

प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम (Curriculum of Primary Education)- प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों का दायित्व शिक्षा मंत्रालय का होता है। सम्पूर्ण देश में समान पाठ्यक्रम व समान पुस्तकों का उपयोग किया जाता है। पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन राज्य द्वारा किया जाता है तथा राज्य सरकार योग्य और अनुभवी शिक्षकों द्वारा पाठ्यपुस्तकें लिखवाने का कार्य करती हैं। प्राथमिक शिक्षा में भाषा, गणित, भूगोल, इतिहास, कला, अभिनय, भ्रमण तथा अन्य सहायक सामग्री द्वारा पाठ्यक्रम पढ़वाया जाता है। विद्यार्थियों के शब्दोच्चारण, शब्द प्रयोग तथा उनके सन्दर्भगत व्यवहार पर अधिक बल दिया जाता है। सप्ताह में 6 दिन में क्रमानुसार 25 से 27 पाठों तक की व्यवस्था की जाती है। विद्यालय में पाठ्यक्रम के अनुसार निम्नांकित गतिविधियां की जाती है।

1. **शारीरिक श्रम सम्बन्धी क्रिया (Activities Related to Physical Labour)-** शारीरिक श्रम के लिए छात्रों को कक्षा की सफाई, पेड़ों को पानी देना, विद्यालय के बगीचे में कार्य, वृद्धों की सहायता तथा विद्यालय परिसर की औषधीय जड़ी-बूटियों का संकलन करने हेतु प्रेरित किया जाता है।
2. **भाषायी क्रिया (Langualtic Activities)-** भाषायी क्रियाओं में भाषा के समस्त कौशल,बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना आदि से सम्बन्धित क्रीड़ाएं करवाई जाती हैं तथा सुलेख पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
3. **प्रकृति अध्ययन (Nature Study)-** प्रकृति अध्ययन के अन्तर्गत बालकों को मौसम के पौधे में के बारे में जानकारी दी जाती है तथा पौधे लगाने, उगाने व बड़े करने संबंधी क्रियाओं का बोध कराया जाता है। इस कार्य में उन्हें हवा, पानी, पौधे एव जीव-

जन्तु की जानकारी दी जाती है तथा मनुष्य के लिए इनके उपयोग व लाभ का बोध कराया जाता है।

4. **खेलकूद (Sports)-** प्राथमिक स्तर पर छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है; अत: उनके लिए उनके अनुकूल खेलों की व्यवस्था विद्यालय में ही की जाती है। नियमित रूप से प्रतिदिन खेलों के कालांश निर्धारित होते हैं जिनमें सभी बच्चे अपनी रूचि के अनुसार खेल में भाग लेते हैं।

5. **श्रमिक प्रशिक्षण (Labour Training)-** रूस की जीवन शैली में श्रम का महत्वपूर्ण स्थान है। शारीरिक श्रम बच्चों को कर्मशील बनाता है तथा वे अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, इसी आशय से रूस की प्राथमिक शिक्षा से ही श्रमिक प्रशिक्षण के अन्तर्गत तकनीकी ज्ञान तथा उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। इस शिक्षा से उत्पादक कार्यों में व्यावहारिक श्रम के कौशलों का विकास किया जाता है जिससे आवश्यकता पड़ने पर वे कभी उत्पादन कार्य भी कर सकें। इस कार्य से बच्चों में कार्य के प्रति निष्ठा उत्पन्न होती है और श्रम के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास होता है।

6. **शैक्षिक पर्यटन (Educational Tours)-** प्राकृतिक अध्ययन के लिए शैक्षिक पर्यटन को एक विधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसके अन्तर्गत विद्यार्थियों को प्रकृति, नदी, पर्वत झरने, मैदान, पशु-पक्षी आदि का प्रत्यक्ष अवलोकन करवाया जाता है तथा इससे उन्हें पर्यावरणी तंत्र को समझने का अवसर दिया जाता है।

7. **सामाजिक सेवा (Social Service)-** वयोवृद्ध सेवानिवृत एव पारिवारिक सदस्यों की सेवा करना सिखाया जाता है।

मुख्य विषयों के अन्तर्गत निम्नांकित विषयों का अध्ययन करवाया जाता है।

1. प्राथमिक स्तर के 4 वर्षो में भाषा का बोलना, पढ़ना, लिखना तथा व्याकरण सम्बन्धी प्रयोग सिखाया जाता है।
2. भूगोल शिक्षण में स्थानीय भूगोल के माध्यम से राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर का भूगोल समझाया जाता है।
3. इतिहास में राष्ट्र विकास की विषय-वस्तु का अध्ययन करवाया जाता है।
4. गणित के अन्तर्गत जीवन में व्यावहारिक प्रयोग में आने वाली संस्थितियों के सन्दर्भगत प्रयोग सिखाए जाते हैं।

शिक्षण विधि-प्रविधि (Methods and Techniques of Teaching)- रूस की प्राथमिक शिक्षा में चूंकि मुख्य रूप से भाषायी कौशल एवं शारीरिक विकास पर बल दिया जाता है; अत: ज्ञानार्जन में प्राय: प्रायोगिक विधियों का प्रयोग अधिक किया जाता है। बच्चों की शारीरिक व मानसिक दोनों रूप से सीखने की प्रक्रिया में सहभागिता व संलग्नता बनी रहे इस दिशा में शिक्षण की प्राय: नई एवं पुरानी दोनों प्रकार की विधियों एव प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। कुछ प्रायोजना (Projects) कार्य भी बच्चों में सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास तथा शारीरिक श्रम के विकास हेतु लिए जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर प्रयुक्त की जाने वाली शिक्षण विधियों में कुछ विधियां निम्नानुसार हैं:-

1. रूसी भाषाओं के बोलने, पढ़ने व लिखने का अभ्यास व प्रशिक्षण विधि।
2. प्रकृति अध्ययन के लिए अवलोकन एवं भ्रमण विधि।
3. शारीरिक शिक्षा हेतु व्यायाम व अभ्यास विधि।
4. आनन्ददायी शिक्षा हेतु खेल विधि
5. कहानी कथन विधि
6. संगीत-कला हेतु सामूहिक प्रशिक्षण
7. भूगोल अध्ययन हेतु भ्रमणविधि (शैक्षिक पर्यटन)
8. समझ द्वारा सीखना (Learning through understanding)
9. प्रश्नोत्तर

रूसी भाषाओं, शारीरिक श्रम, प्रकृति अध्ययन, गणित, कला व संगीत सभी विषयों के लिए एक समान कालांश निर्धारित किए जाते हैं।

परीक्षा पद्धति (Examination System)- रूस में प्राथमिक शिक्षा की परीक्षा पद्धति पर भी शिक्षा मंत्रालय का पूर्ण नियन्त्रण रहता है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय सम्बन्धित विषय का संक्षिप्त विवरण देने वाला एक परीक्षा-पत्र (Examination Card) प्रसारित करता है। इस कार्ड में दिए गए विवरण के आधार पर राज्यों के अध्यापक परीक्षा के प्रश्न पत्रों का चयन करते हैं तथा पाठ्यक्रम में कभी-कभी संशोधन भी करते हैं।

परीक्षा-प्रक्रिया (Process of Examination)

1. प्राथमिक स्तर पर परीक्षा कार्य के संचालनार्थ प्रधानाध्यापक तथा अन्य अध्यापकों के संगठन से एक परीक्षा समिति बनाई जाती है।
2. विद्यालय निरीक्षकों (Inspectors of Schools) के शिक्षा मण्डल (Education Region) का कोई एक सदस्य प्राथमिक विद्यालय में परीक्षा के समय उपस्थित रहता है तथा मौखिक परीक्षा की व्यवस्था की जाती है।
3. चौथे वर्ष के अन्त में एक स्थानान्तरण परीक्षा (Transfer Examination) होती है जो प्राथमिक स्तर की अन्तिम परीक्षा मानी जाती है।
4. इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने पर विद्यार्थी को 5वीं कक्षा में प्रवेश दिया जाता है।
5. पांचवी कक्षा निम्न माध्यमिक स्तर का प्रथम वर्ष माना जाता है।
6. परीक्षक मौखिक परीक्षा के समय शुद्ध उच्चारण, प्रश्न हल करने के उपयुक्त ढंग तथा शैली पर बल देता है, जिसका प्रभाव बच्चों के परीक्षण व मूल्यांकन पर पड़ता है।
7. परीक्षक द्वारा परीक्षार्थी के साथ सद्भावपूर्ण व्यवहार का प्रयत्न किया जाता है, इससे मूल्यांकन का ढंग स्वरूप और सीमा इतनी विस्तृत हो जाती है कि छात्र सहज बने रहते हैं तथा उन्हें परीक्षक में कोई पक्षपात नहीं दिखाई देता है।
8. मूल्यांकन में पूर्णत: विश्वसनीयता रखी जाती है।

अनुशासन (Discipline)- प्राथमिक शिक्षा में यू तो बच्चों की रूचियों और क्षमताओं का पूर्ण ध्यान रखा जाता है किन्तु अनुशासन भी उतनी ही सख्ती से लागू किया जाता है। इसका मुख्य

उद्देश्य बच्चों को दुर्गुणों से रोकना तथा उनके द्वारा सद्गुणों को आदत में ढालने का प्रयास करवाना होता है।

रूस के प्रशासन द्वारा व्यक्तिगत, सामाजिक, अन्तर्व्यवहार एवं बाह्य व्यवहार को चाहे वह समाज के किसी भी व्यक्ति अथवा अध्यापक के साथ क्यों न हो उसे अनुशासित करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् 1943 में 20 नियम निर्धारित किए गए। विद्यालय में भाषा शिक्षण के माध्यम से इन नियमों को कण्ठस्थ करवाकर, अर्थ स्पष्ट करके दोहरवाया व समझा जाता है तथा व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ इन नियमों का पालन करवाने का प्रयास करवाया जाता है। इस प्रकार के अनुशासनात्मक वातावरण में छोटे बच्चों को जीवन की तैयारी के प्रति जागरूक किया जाता है तथा अनुशासित जीवन की तैयारी करवाई जाती है। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अनुशासन सम्बन्धी निम्नांकित उपक्रम किया जाता है-

1. स्वच्छता का पालन करना।
2. विद्यालयी कार्य दिवसों में 16 वर्ष से कम आयु वाले बालकों द्वारा बिना अनुमति के चलचित्र या नाटक न देखना।
3. रात्रि 10 बजे बाद सड़क पर न घूमना।
4. विद्यालयी नियमों का पालन करना।

इन उपर्युक्त नियमों को बालक के घरेलू एवं सामाजिक सभी क्षेत्रों में लागू किया जाता है।

यदि कोई बालक अनियमित या अमान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है तो उसे स्वास्थ्य चिकित्सकों एवं मनोचिकित्सकों को दिखाया जाता है। स्वास्थ्य सम्बन्धी शारीरिक व मानसिक विकार का पता लगाकर बालक के पारिवारिक वातावरण की भी जांच की जाती है। अनियमित व्यवहार के कारकों को ज्ञात करके विद्यालयी अधिकारियों को ऐसे बालकों की सूचना देकर उन्हें सुधारने के प्रयास किए जाते हैं।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. प्राथमिक शिक्षा के किन्हीं दो उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए।
2. एकल शिक्षा प्रणाली से क्या तात्पर्य हैं?
3. पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कितनी भाषाएँ सिखाई जाती है?
4. प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए निर्धारित अनुशासन संबंधी किन्हीं दो नियमों की चर्चा कीजिए

विद्यालयी माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education of Schools)

रूस की सरकार द्वारा फरवरी 1991 में एक अस्थायी अधिनियम पारित किया गया, जिसमें सामान्य माध्यमिक शिक्षा में सुधार किया गया। विद्यालय को शैक्षिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता दी गई जिसमें उन्होंने अपने पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तकें तथा अन्य कार्यक्रमों का स्वयं निर्धारण करना आरम्भ किया। इसमें माध्यमिक कार्यक्रमों का स्वयं निर्धारण करना आरम्भ किया। इससे माध्यमिक स्तर के लिए अनेक प्रकार के पाठ्यक्रमों का विकास हुआ। शिक्षा मंत्रालय द्वारा इन कार्यक्रमों को आवश्यक निर्देश दिए गए तथा स्वीकृति प्रदान की गई।

परिणामस्वरूप व्यापक माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए। इन विद्यालय में प्राथमिक, बेसिक तथा पूर्ण माध्यमिक विद्यालय सम्मिलित किए जाते हैं।

माध्यमिक शिक्षा की संरचना (Structure of Secondary Education)

रूस में प्रारम्भिक अवस्था में सरकार ने 7 से 17 साल के बच्चों के लिए दस वर्ष की विद्यालयी योजना बनाई थी, जिसका प्रमुख कारण विद्यालय का केन्द्रीयकरण करना था। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् यह योजना विफल हो गई तथा दस वर्ष की यह विद्यालय योजना तीन से चार समूहों में विभक्त कर दी गई। इसे नई शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है, जो इस प्रकार है:-

दस वर्षीय विद्यालयी शिक्षा योजना

1. प्राथमिक विद्यालय (Primary Schools
2. बेसिक विद्यालय (Basic Schools)
3. हाई स्कूल (High Schools)

रूस में प्राय: 70 प्रतिशत विद्यार्थी 7 वर्ष की आयु में विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तथा 10 वर्ष तक अध्ययन करते हैं। 20 प्रतिशत विद्यार्थी 6 वर्ष की आयु में प्रवेश लेकर 11 वर्ष तक विद्यालय में अध्ययन करते हैं और 10 प्रतिशत विद्यार्थी 7 वर्ष की आयु में प्रवेश लेते हैं और 11 वर्ष तक अध्ययन करते हैं। इस प्रकार बच्चे 6-7 वर्ष की आयु में विद्यालय में प्रवेश लेकर वहां 10-11 वर्ष अध्ययन करके 17- 18 वर्ष की आयु में शिक्षा पूर्ण कर लेते हैं। विद्यालयी शिक्षा के पश्चात् 55 प्रतिशत विद्यार्थी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, 30 प्रतिशत उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेते हैं और शेष 15 प्रतिशत विद्यार्थी अन्य कार्य करते हैं या सेवारत छात्र के रूप में शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेते हैं।

रूस की शिक्षा प्रणाली का मुख्य कार्य सामान्य माध्यमिक शिक्षा प्रदान करना है। जो पूर्व लिखित तीन प्रकार की होती है। इन्हें क्रमश: प्रथम स्तर पर सामान्य माध्यमिक शिक्षा, द्वितीय स्तर पर सामान्य माध्यमिक शिक्षा तथा तृतीय स्तर पर सामान्य माध्यमिक शिक्षा कहा जाता है। प्रथम स्तर की माध्यमिक शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा) चार वर्ष की होती है जिसमें कक्षा 1 से 4 तक पाठ्यक्रम होता है तथा इसमें 7 से 10-11 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। द्वितीय स्तर की सामान्य शिक्षा (बेसिक शिक्षा) 3 वर्ष की होती है, जिसमें कक्षा 5 से 7 तक का पाठ्यक्रम होता है और इसमें 11 से 14-15 वर्ष के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। तृतीय स्तर की सामान्य शिक्षा (हाई स्कूल शिक्षा) भी 3 वर्ष की होती है। जिसमें कक्षा 8 से 10 तक का पाठ्यक्रम होता है और इसमें 15 से 17- 18 वर्ष तक विद्यार्थी अध्ययन करते हैं।

उपर्युक्त तीनों स्तर की माध्यमिक शिक्षा की संरचना को अग्रिम तालिका द्वारा समझा जा सकता है-

क्र.सं.	विद्यालय	शिक्षा का स्तर	कक्षाएँ	अवधि	छात्रन्वय
1.	प्राथमिक विद्यालय (Primary School)	प्रथम स्तर सामान्य (First stage, General Secondary Education)	1-4	4 वर्ष (Years)	7-10 वर्ष (Years)
2.	बेसिक विद्यालय	द्वितीय स्तर सामान्य माध्यमिक स्तर (Second stage, General Secondary Education)	5-7	3 वर्ष (Years)	11-14 वर्ष (Years)
3.	उच्च विद्यालय	तृतीय स्तर सामान्य माध्यमिक स्तर (Third stage, General Secondary Education)	8-10	3 वर्ष (Years)	15-17 वर्ष (Years)
4.	तकनीकी प्रशिक्षण	पृथक व्यवस्था तकनीकी प्रशिक्षण	8-12	6 माहसे 4 वर्ष (Years)	15-18 वर्ष (Years)

माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of Secondary Education)

वर्तमान संघीय रूस की माध्यमिक शिक्षा में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन के परिणामस्वरूप शिक्षा के उद्देश्यों में भी परिवर्तन हुआ है और अब शिक्षा में मानवीय गुणों के विकास को अधिक महत्व दिया जाता है। इसी पृष्ठभूमि पर माध्यमिक शिक्षा के निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं:-

1. शिक्षा द्वारा मानवीय गुणों का विकास करना।
2. अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना।
3. तकनीकी शिक्षा द्वारा तकनीकी कौशलों का विकास करना।
4. छात्रों को किसी व्यवसाय के लिए तैयार करना।
5. छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना।
6. छात्रों में सामाजिक और सांस्कृतिक गुणों का विकास करना।
7. छात्रों में व्यावसायिक क्षमताओं का विकास करना।
8. उनमें नागरिकता के गुणों का विकास करना।
9. छात्रों में व्यक्तिगत क्षमताओं और योग्यताओं का विकास करना।
10. उनमें स्थानीय रूसी भाषाओं के कौशलों का विकास करना।
11. छात्रों में राष्ट्रीय भावना का विकास करना।
12. उनमें विदेशी भाषाओं के कौशलों का विकास करना।

माध्यमिक शिक्षा: प्रशासन, प्रबन्धन एवं वित्तीय व्यवस्था (Secondary Education: Administration, Management and Finance)

प्रशासन -

रूस की माध्यमिक शिक्षा मुख्यत: केन्द्र प्रशासित होती है। यद्यपि समस्त व्यवस्था राज्यों द्वारा की जाती है तथापि नियंत्रण केन्द्र सरकार का ही रहता है।

यह शिक्षा सामान्य शिक्षा भी कही जाती है जो अनिवार्य भी होती है। देश में जितने भी बालक, जो इस शिक्षा की आयु वाले होते हैं उन्हें विद्यालय भेजना अनिवार्य होता है।

माध्यमिक शिक्षा की सम्पूर्ण देश में एक ही प्रकार की संरचना अनिवार्य है और यह केन्द्रीय सरकार की नीति है जिसमें राज्यों को परिवर्तन की स्वतंत्रता नहीं है। इस शिक्षा की व्यवस्था के आधारभूत पक्ष निम्नानुसार हैं:-

1. रूस में माध्यमिक शिक्षा की योजना 10 वर्ष की होती है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा और उच्च शिक्षा सम्मिलित है। साथ ही सह शिक्षा को भी अलग से परिभाषित किया गया है।
2. पाठ्यक्रम के अन्तर्गत सभी सामान्य विषय, रूसी भाषा, सैनिक शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा अनिवार्य रूप से लागू की गई है।
3. विद्यालय का समय प्रात: 8 से आरम्भ करने के निर्देश दिए गए हैं।
4. विद्यालयी सत्र 1 सितम्बर से 30 जून तक चलाया जाता है तथा 30 दिसम्बर से 10 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहता है।
5. प्रत्येक कालांश 45 मिनट का निर्धारित किया गया है।
6. ग्रामीण विद्यालय में कार्य के घण्टे 7 तथा शहरों में 6 निर्धारित किए गए हैं।
7. विषयाध्यापक व्यवस्था प्रचलित है, जो सामान्य कक्षा-शिक्षण करते हैं किन्तु पिछड़े तथा कमजोर छात्रों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण के निर्देश भी दिए जाते हैं।
8. छात्रों का आयु के अनुसार वर्गीकरण (Grading) किया जाता है तथा 11,14 व 17 वर्ष की आयु में स्थानानतरण परीक्षा (Transfer Examination) की व्यवस्था भी छात्रों के हित में करने के निर्देश दिए जाते हैं, जो राज्यों को मानने पड़ते हैं।
9. पाठ्यपुस्तकों का लेखन व प्रकाशन का उत्तरदायित्व शिक्षा मंत्रालय का ही होता है।

वित्तीय व्यवस्था- प्राथमिक एवं द्वितीय माध्यमिक शिक्षा (Basic Education) स्तर पर पूरे देश में शिक्षा का समस्त व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं ग्रहण किया जाता है तथा अनाथ, असमर्थ व असहाय माता-पिता के बच्चों एवं सैनिकों के बच्चों से तो किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। साथ ही प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है और कक्षा 8 तक कोई शुल्क नहीं लिया जाता। शेष कक्षा 9 व 10 तथा उच्चतर व्यावसायिक एवं प्राविधिक संस्थाओं में शुल्क लिया जाता है, जो माध्यमिक शिक्षा पर होने वाले कुल राष्ट्रीय व्यय का 3% प्रतिशत भाग होता है।

माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम (Curriculum of Secondary Education)

प्रशासन (Administration)- माध्यमिक शिक्षा में दो स्तरों पर अलग-अलग पाठ्यक्रम प्रचलित है। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम निर्माण एव विकास हेतु अग्रलिखित नीतिगत निर्देशों के पालन का आदेश दिया गया है-

पाठ्यक्रम के निर्देश-

1. पाठ्यक्रम की विविधता एवं गहनता के लिए शिक्षकों को विशिष्ट ज्ञान हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए तथा विद्यालय को प्रशिक्षण दिया जाए।
2. पाठ्यपुस्तकों तथा उत्तम आव्यूहों के चयन में प्रतियोगी आधार को अपनाकर शैक्षिक कार्यक्रमों का विकास किया जाए।
3. प्रजातन्त्र के लिए पाठ्यवस्तु के चयन में तथा पाठ्यक्रम के विकास में विदेशी विशेषज्ञों को भी सम्मिलित किया जाए।
4. आज शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का विकास तीव्रता से हो रहा है; अत: नवीन पाठ्य सामग्री का शीघ्र ही रूसी भाषा में अनुवाद किया जाए।
5. ऐसे उपयोगी पाठ्यक्रम का विकास किया जाए, जिसे विदेशों में भी मान्यता दी जा सके।
6. संघीय तथा क्षेत्रीय स्रोतों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के आधार पर पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्रायोजनाओं (Projects) का आयोजन किया जाए।

   उपर्युक्त निर्देशों को ध्यान में रखकर ही माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है जिसमें निम्नांकित बातों का ध्यान रखा जाता है-

पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत तत्व-

1. प्रथम शिक्षा की पाठ्यवस्तु इस प्रकार रखी जाती है जो छात्रों को विश्व के साथ चलने योग्य बनाती है । द्वितीय शिक्षा की पाठ्यवस्तु में मानवता एवं अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास सम्बन्धी तथ्यों को समाविष्ट करने का प्रयास किया जाता है।
2. विद्यालयी पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत भिन्नता के विकास को भी महत्व दिया जाता है।
3. शिक्षा समस्याओं, नवीन सीखने जैसे कार्यक्रमों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है।
4. नवीन पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है। प्राचीन समय में लगभग 100 पुस्तकों का उपयोग किया जाता था किन्तु वर्तमान समय में 400 से 500 पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन आवश्यक होता है।
5. अब सामाजिक विज्ञान, मानवीय विषय, अर्थशास्त्र तथा पर्यावरण शिक्षा जैसे विषयों को विशेष महत्व दिया जाता है।

विषयों का समावेश- रूस में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम प्रचलित हैं। जिनमें रूसी भाषा, विदेशी भाषाएँ, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विषय, विज्ञान आदि का

अध्ययन करवाया जाता है। किसी भी विषय की नवीन विषयवस्तु का शीघ्र ही रूसी भाषा में अनुवाद करके पाठ्यपुस्तकों में संलग्न कर दिया जाता है। विषय सम्बन्धी उपयोगी और महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी के लिए कार्यशालाएँ आयोजित की जाती है। विषयानुसार परामर्श दिया जाता है तथा रूस में इस क्षेत्र में शिक्षा शास्त्र का श्रेष्ठ स्तर पर विकास भी किया गया है।

बेसिक शिक्षा- माध्यमिक स्तर पर बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत निम्नस्थ विषयों को समाविष्ट किया गया है-

बेसिक शिक्षा (The Subjects of Basic Education)

1. रूसी तथा स्थानीय भाषाएँ
2. सामान्य विज्ञान
3. गणित (अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति)
4. इतिहास
5. भूगोल
6. कला
7. प्रावैधिक चित्रकला (Mechanical Drawing)
8. शारीरिक शिक्षा
9. सामाजिक ज्ञान अथवा आधुनिक राजनीति विज्ञान
10. भौतिक शास्त्र
11. रसायन शास्त्र (कक्षा 6 से आरम्भ किया जाता है)

उपर्युक्त विषयों में यदि संस्था रूसी भाषा के क्षेत्र में स्थित है, तो तीसरी कक्षा से ही रूसी भाषा सिखाना आरम्भ किया जाता है, अन्यथा रूसी भाषा पांचवी कक्षा से स्थानीय भाषा के साथ सिखाना प्रारम्भ किया जाता है।

उच्च माध्यमिक शिक्षा के विषय (The Subjects of High School Education)

उच्च माध्यमिक शिक्षा की विशिष्टता तथा आवश्यकता के अनुसार इसमें बेसिक शिक्षा से कुछ भिन्न पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है जिसमें निम्नांकित विषयों पर अधिक बल दिया जाता है।

1. गणित
2. विज्ञान
3. तर्कशास्त्र
4. रूसी साहित्य
5. प्राविधिक कला
6. विदेशी भाषाएं (फ्रैंच, जर्मन, अंग्रेजी इत्यादि)
7. नागरिक शिक्षा
8. शारीरिक शिक्षा
9. सैनिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा का यह स्तर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए रूस में इस पर अधिक ध्यान दिया जाता है। छात्रों को विश्व के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक संगठनों का परिचय देकर रूस की राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विचारधाराओं से परिचित कराया जाता है। शारीरिक शिक्षा का शिक्षण, सैनिक महत्व की दृष्टि से द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से 1944 से ही अनिवार्य रूप से किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा के सभी स्तर पर शारीरिक शिक्षा अनिवार्य है किन्तु अन्तिम तीन वर्षो- कक्षा 8 से 10 तक में यह सैनिक प्रशिक्षण (Formal Military Training) का रूप ले लेती है। इसके अन्तर्गत विद्यार्थियों को प्रशिक्षित अध्यापक ड्रिल करवाते हैं, छात्रों की उपस्थिति लगाते हैं तथा नियमित शिक्षण आरम्भ होने से पूर्व 15 मिनट तक एवं सम्प्रेषण की आधुनिक तकनीकी का ज्ञान भी करवाया जाता है।

इस स्तर पर रूसी भाषा को चूंकि बेसिक शिक्षा के स्तर पर बालक सीख लेता है अत: रूसी साहित्य का अध्ययन करवाया जाता है। सामान्य कला की जगह तकनीकी कलाएं सिखाई जाती हैं। रूस में यद्यपि सभी अध्यापक स्वभाव से धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं तथापि वे विद्यालय में कहीं भी धार्मिक आदेश नहीं देते हैं।

सम्पूर्ण माध्यमिक शिक्षा धर्मरहित तथा विज्ञान पर आधारित होती है। समस्त अध्यापन कार्य बिना किसी धार्मिक आधार के सम्पन्न करवाया जाता है। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान विषय का अध्यापन धार्मिक अन्धविश्वासों को दूर करने में मदद करता है। विदेशी भाषाओं में फ्रेंच, जर्मन तथा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है किन्तु अंग्रेजी भाषा को वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाने का प्रावधान है। इन भाषाओं का अध्यापन एक निर्धारित अवधि तक किया जाता है।

शिक्षण विधि एवं प्रविधि (Teaching Method and Techniques)- रूस की माध्यमिक शिक्षा में चूंकि विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम हैं, अत: उनके शिक्षण की विधियों में भी विभिन्नता व्याप्त हैं। शिक्षण की कई विधियों एवं प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणस्वरूप कुछ विधियां निम्नानुसार हैं:-

शिक्षण विधियॉ

1. व्याख्यान तथा प्रश्नोत्तर विधि (Lecture and Questionaing)
2. प्रायोजना पद्धति (Project Method)
3. क्षेत्रीय कार्य पद्धति (Field work)
4. समूह चर्चा (Group Discussion)
5. कार्यशाला (workshop)
6. अवलोकन (Observation)
7. प्रदर्शन (Demonstration)
8. सांस्कृतिक कार्यक्रम (Cultural Programme)
9. शैक्षिक भ्रमण (Educational Tour)

उपर्युक्त विधियों व प्रविधियों के अतिरिक्त भी अन्य युक्तियों से शिक्षण को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाता है। प्राथमिक स्तर के 3-4 वर्षो में भाषाओं का सुनना बोलना, पढ़ना, लिखना तथा व्याकरण के प्रयोग सिखाने के लिए बार-बार अभ्यास व ड्रिल करवाया जाता है। भूगोल शिक्षण में स्थानीय भूगोल के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर व वैश्विक स्तर के भूगोल को समझने के लिए विविध स्थानीय भ्रमण आयोजित किए जाते हैं।

परीक्षा पद्धति (Examination System)- रूस में माध्यमिक स्तर पर मौखिक व लिखित दोनों प्रकार की परीक्षा पद्धति प्रचलित है किन्तु मुख्यत: मौखिक मूल्यांकन को ही स्वीकृत किया जाता है। व्यावसायिक और औद्योगिक प्रायोगिक परीक्षाएं पूर्णत: मौखिक पद्धति पर आधारित होती है। मूल्यांकन में छात्र की वर्ष पर्यन्त की अनुशासन प्रियता, कार्य पूर्ति, व्यवहार एवं नियमितता को प्रमुख आधार बनाया जाता है। परीक्षा-प्रक्रिया निम्नानुसार की जाती है-

सामान्य रूप से परीक्षाएँ मौखिक होती है। परीक्षा की पूर्व तैयारी में शिक्षाधिकारी, प्रधानाचार्य, कक्षाध्यापक तथा दो अन्य अध्यापों का एक परिषद तैयार की जाती है जो परीक्षा व्यवस्था करती है, प्रश्नपत्र बनाती है और वर्ष भर के कार्य, अनुशासन तथा व्यवहार का मूल्यांकन करती है। प्राय: परीक्षाएं जून मास में होती हैं। जिनमें परीक्षा प्रक्रिया के दौरान छात्रों को उनकी क्षमता और योग्यता प्रदर्शित करने के लिए कई अवसर एवं सुविधाएँ दी जाती हैं। परीक्षा-प्रकिया निम्नानुसार की जाती है-

परीक्षा प्रक्रिया के सोपान (Types of Examination Process)

1. परीक्षा के समय दिए गए प्रश्न पत्रों में से विद्यार्थी अपनी इच्छा से प्रश्न-पत्र का चयन करते हैं।
2. इसके बाद उस प्रश्न-पत्र पर चिन्तन करने के लिए उन्हें 10-15 मिनट का समय दिया जाता है।
3. तत्पश्चात् पूछे गए प्रश्नों के उत्तर छात्र मौखिक रूप से देते हैं।
4. परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को उनकी उपलब्धि के आधार पर स्वर्ण या रजत पदक दिए जाते हैं।
5. असफल छात्र अगस्त माह में पुन: परीक्षा देते हैं।
6. असाधारण योग्यता वाले छात्रों को बिना मैट्रिक किए भी विश्वविद्यालय में प्रवेश दे दिया जाता है।
7. विद्यार्थी रूसी भाषा में जवाब देते हैं।
8. गणित की परीक्षा मौखिक और लिखित दोनों होती है।

इस प्रकार माध्यमिक स्तर पर मूल्यांकन केवल बाह्य परीक्षा के आधार पर ही नहीं किया जाता अपितु छात्र के आन्तरिक मूल्यांकन को भी आधार बनाया जाता है।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Question)

1. रूस के बच्चों के लिए किस स्तर की भी शिक्षा को अनिवार्य किया गया तथा क्यों?

2. माध्यमिक शिक्षा की सरंचना समझाइए।
3. बेसिक शिक्षा की कोई तीन विशेषताएं बताइए।
4. माध्यमिक स्तर की परीक्षा पद्धति लिखिए।
5. माध्यमिक शिक्षा के वित्तीय प्रबन्धन का उल्लेख कीजिए।

11.5 व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण (Vocational and Technical Training)

रूस में अनिवार्य शिक्षा नियम के अनुसार 14 वर्ष की आयु तक अर्थात् कक्षा 7 तक के विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से विद्यालय में उपस्थित रहना पड़ता है। 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी प्रकार के उद्योग या कृषि संस्थानों में कार्य पर नहीं लगाया जा सकता। इस आयु तक वे कक्षा 7 तक पढ़ाई कर लेते हैं और कक्षा 7 के बाद विद्यार्थियों का जीवन-व्यवसाय प्राय: निश्चित हो जाता है। व्यवसाय चयन तथा प्रशिक्षण हेतु भी वहां की सरकार ने छात्रों के लिए एक अच्छी व्यवस्था बना रखी है जिसके व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु विद्यार्थियों का चयन निम्नांकित प्रक्रिया द्वारा किया जाता है और उन्हें उस व्यवसाय का तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

चयन प्रक्रिया (Section Process)

1. 7वीं कक्षा में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को उच्च अध्ययन तथा प्राविधिक प्रशिक्षण के लिए चयनित किया जाता है।
2. द्वितीय श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों को सामान्य व्यावसायिक प्रशिक्षण या यान्त्रिक प्रशिक्षण (Mechanical Training) हेतु भेजा जाता है।
3. सामान्य स्तर या कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का चयन औद्योगिक संस्थानों, कृषि फार्मों अथवा साधारण श्रम कार्य करने के लिए किया जाता है।

रूस में कोई भी व्यवसाय छात्रों पर थोपा नहीं जाता अपितु छात्रों की रूचि, योग्यता एवं क्षमता को ध्यान में रखकर ही उन्हें उनका व्यवसाय चुनने हेतु अवसर दिया जाता है। विद्यालय में औपचारिक तथा अनौपचारिक व्यावसायिक निर्देशन व परामर्श विभाग (Vocational Guidance Department) की व्यवस्था होती है। इसके साथ ही समाचार पत्रों, पत्र-पत्रिकाओं, आकाशवाणी, दूरदर्शन, इन्टरनेट आदि माध्यम से विद्यार्थियों को व्यावसायिक निर्देशन प्राप्त होता है। सैनिक क्षेत्र, उच्च तकनीकी तथा विज्ञान के क्षेत्र में योग्यतम छात्र ही भेजे जाते हैं।

प्राविधिक शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण व्यवस्था (Technological Education and Industrial Training System Technicums)

प्रशिक्षण संस्थान (Technicums)- रूस में प्राविधिक एवं औद्योगिक शिक्षा द्वारा मध्यवर्गीय विशेषज्ञ (Middle Grade Sepcialists) तैयार करने के लिए लगभग 8000 हजार से भी अधिक टेक्नीकम्स संस्थाएं (Technicums) है। ये टेक्नीकम्स संस्थाएँ उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य,

कानून, सेवा, अर्थशास्त्र, शिक्षण, यातायात, संवहन आदि क्षेत्रों का प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। कक्षा 7 उत्तीर्ण करने वाले द्वितीय श्रेणी के स्तर वाले छात्रों को तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इन टेक्नीकम्स संस्थाएँ में भेजा जाता है, जहाँ वे अपनी रूचि के क्षेत्र का चयन करने हैं और 3 से 5 वर्षीय पाठ्यक्रम को पूर्ण करके तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रशिक्षणार्थियों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम सम्बन्धी विभिन्न केन्द्र बनाए गए हैं तथा इनमें चलने वाले पाठ्यक्रम का निर्धारण शिक्षा मंत्रालय द्वारा ही किया जाता है।

उल्लेखनीय बात यह है कि- 7वीं कक्षा के पश्चात् जब छात्रों को इन व्यावसायिक टेक्नीकम्स में प्रशिक्षण दिया जाता है तब इनकी हाई स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था भी इन्हीं तकनीकी केन्द्रों पर कर दी जाती है। इसकी प्रक्रिया व पाठ्यक्रम निम्नानुसार होता है, जिसमें छात्र कुशल श्रमिक बनते हैं।

2. कक्षा 7 में जो छात्र सामान्य स्तर के अंक प्राप्त करते हैं उन्हें अभ्यास स्कूलों (Practice Schools) में भर्ती किया जाता है। इन स्कूलों में पढ़कर छात्र विभिन्न क्षेत्रों के कुशल श्रमिक बनते हैं। ये अभ्यास स्कूल तीन प्रकार के होते हैं।

कुशल श्रमिक

1. अर्द्ध कुशल श्रमिक (Half skilled laborers)
2. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम (मिस्त्री) (Two Year Course for Mechnic)
3. त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम यंत्रविद् (Three Year Course for Technician)

- प्रथम प्रकार के स्कूल में अर्द्ध कुशल श्रमिक तैयार होते हैं जो 6 माह तक खनिज केन्द्रों, रचनात्मक योजनाओं तथा अन्य उद्योगों का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।
- द्वितीय प्रकार के विद्यालय में द्विवर्षीय पाठ्यक्रम होता है तथा उनमें यातायात, मशीन निर्माण करने वाली फैक्ट्री तथा अन्य यांत्रिक कार्यो में श्रमिक बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है।
- तृतीय प्रकार के विद्यालय रेडियो, टेलिफोन, टीवी., रेल तथा अन्य क्षेत्रों का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त समस्त प्रशिक्षण टेक्निकम्स विद्यालय में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पूर्ण करके ही छात्र विद्यालय छोड़ सकता है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद भी छात्रों को कुछ समय तक निर्धारित नियमों का पालन करना होता है। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक टेक्निकम स्नातक (Graduate) को 4-5 वर्ष तक सेवा कार्य करना पड़ता है। यह सेवाकार्य वे शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित क्षेत्र अथवा औधोगिक संस्थानों में करते हैं। इसके लिए सरकार इन प्रशिक्षणार्थियों के आवास, भोजन तथा शिक्षा सम्बन्धी सभी कार्यो के व्यय-भार को वहन करती है।

अनुशासन (Discipline) - रूस की विद्यालयी शिक्षा में छात्रों को किसी भी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जाता है। पहले कम्युनिस्ट पार्टी के नियमों का पालन करना पड़ता था। किन्तु अब सभी संस्थानों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो जाने से शिक्षण संस्थानों में छात्रों को भी कुछ सीमा तक स्वतंत्रता मिली है। इस स्वतंत्रता का तात्पर्य स्वच्छन्दता या अनुशासनहीनता नहीं है अपितु उनमें आत्मानुशासन की भावना का विकास करना है। माध्यमिक

स्तर पर विभिन्न विषयों के चयन एवं प्रशिक्षण में रूचि का ध्यान रखना भी विद्यार्थियों की स्वतंत्रता की रक्षा करना ही है। जनतांत्रिक परिवेश में रहते हुए भी विद्यार्थियों को विद्यालय के नियंत्रित वातावरण में ही रहना होता है, किन्तु उन पर कठोर अनुशासन लागू नहीं किया जाता।

विद्यालय एवं कक्षाओं का समय-चक्र (Time table of School and Classes)

1. विद्यालय अवधि (School Duration)

रूस के विद्यालय में शिक्षा सत्र 1 सितम्बर से 30 जून तक चलाया जाता है। अलग-अलग कक्षाएं अलग-अलग तिथियों पर जून माह में समाप्त होती है। 30 दिसम्बर से 10 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश तथा 26 मार्च से 31 मार्च तक बसन्तकावकाश रहता है। कहीं-कहीं बसन्तावकाश 26 मार्च से 26 अप्रैल तक एक माह का होता है। यह अन्तर स्थानीय जलवायु के अनुकूल रखा जाता है।

2. कक्षाओं का समय (Time of Classes)

- विद्यालय सप्ताह में 6 दिन चलाए जाते हैं। सप्ताह के अन्तिम दिन अवकाश रहता है। शहरों में पाँच दिवसीय सप्ताह चलाया जाता है जबकि ग्रामीण विद्यालय में छः दिवसीय सप्ताह रखने का संवैधानिक प्रावधान है।
- विद्यालय का समय प्रातः 8-9 बजे से आरम्भ होता है।
- प्रत्येक कालांश की अवधि 45 मिनट की रखी जाती है।
- शहर में प्रति सप्ताह कक्षा 5 से 25 घण्टे तथा अन्य कक्षाओं में 27 घण्टे अध्यापन कार्य किया जाता है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 5 में 31 घण्टे तथा अन्य कक्षाओं में 32 घण्टे अध्यापन कार्य किया जाता है।

सह शिक्षा प्रणाली (Co-Education) - सह-शिक्षा (co-education) को महत्वपूर्ण मानते हुए रूस की केन्द्रीय सरकार ने सन् 1943 तक प्रत्येक शिक्षा स्तर पर बालक-बालिकाओं की सह-शिक्षा को कायम रखा किन्तु उस समय सहशिक्षा में कुछ अनुशासनात्मक समस्याओं के बढ़ जाने के कारण 1943 में माध्यमिक स्तर के विद्यालय में बालक-बालिकाओं की शिक्षा की पृथक-पृथक व्यवस्था करनी पड़ी। धीरे-धीरे यह परिवर्तन निम्न माध्यमिक कक्षाओं तक भी पहुंच गया, किन्तु व्यावसायिक और ग्रामीण क्षेत्रों में सह शिक्षा निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक दोनों स्तर पर चलती रही। अब चूंकि वैश्विक स्तर पर कई देशों में सह-शिक्षा के बढ़ते चलन व प्रभाव से रूस भी अछूता न रह सका तथा सरकार द्वारा पुनः सह शिक्षा को बढ़ावा मिला। 1992 के विकेन्द्रीकरण से रूस में आई वैचारिक और लोकतांत्रिक क्रांति के परिणामस्वरूप वर्तमान समय में प्रायः शिक्षा के सभी स्तर पर सह-शिक्षा प्रचलित है।

11.6 शिक्षा में तकनीकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग (Use of Technology and Information Technology in Education)

रूस की शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार की तकनीकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी का आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जाता है।

वहां की शिक्षा प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी को पर्याप्त महत्व दिया जाता है। रूस में 15 संघीय शैक्षिक पोर्टल्स बने हुए हैं, जो शैक्षिक संसाधनों के लिए नेटवर्क का कार्य करते हैं। इसके इलेक्ट्रोनिक्स संसाधनों के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों व शिक्षकों को अत्याधुनिक जानकारी से अवगत कराना है तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इस क्षेत्र में निम्नांकित व्यवस्था कायम की गई-

1. शैक्षिक संसाधनों का केन्द्रीय पुस्तकालय है, जो संगठनात्मक तथा विधिवत् शैक्षिक प्रक्रिया के सहयोग के लिए कार्य करता है।
2. इस पुस्तकालय में पाठ्यपुस्तकें, सन्दर्भ साहित्य तथा अन्य शैक्षिक सामग्री का संकलन उपलब्ध है।
3. रूस में शैक्षिक संसाधनों व सूचना संरचना तक अपनी पहुंच बनाने के लिए संघीय इलेक्ट्रोनिक शिक्षा माध्यम (media) डिपोजिटेरियम बने हुए हैं।
4. वहां पर विभिन्न विषयों के अतिरिक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण विज्ञान, मानविकी विज्ञान अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र तथा प्रबन्धन सम्बन्धी सूचना तकनीकी (Information Technology) उपलब्ध है।
5. दूरस्थ शिक्षा के लिए इन्टरनेट का प्रयोग किया जाता है। उसमें ज्ञान का विकास, कुशल प्रशिक्षण तथा परीक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम नियत किए गए हैं।
6. रूस में दूरस्थ प्रशिक्षण के 17 क्षेत्रीय केन्द्र बने हुए हैं जहां पर प्रत्येक केन्द्र का अपना एक डिजीटल सम्प्रेषण चैनल है।
7. प्रत्येक केन्द्र के अन्तर्गत रूसी संघ के 50 विषयों के लिए आधारभूत इकाइयाँ कार्यरत हैं।
8. सेटेलाईट के माध्यम से 7500 रिसेप्शन सूचना प्रसारण का कार्य करते हैं।
9. ये रिसेप्शन उन विद्यालय की मदद भी करते हैं जहां पर कम्प्यूटर तकनीकी का उद्देश्यपूर्ण प्रयोग किया जाता है।
10. वर्ष 2003 के आकड़ों के अनुसार रूस के सभी ग्रामीण और शहरी विद्यालय का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है।
11. बच्चों के घरों में, बोर्डिंग स्कूल्स, अनाथालयों के बच्चों के लिए कम्प्यूटर की तकनीक का व्यापक प्रयोग किया जाता है।
12. विद्यालय में तथा विश्वविद्यालयों व अन्य सभी शिक्षण संस्थानों में अब समस्त कार्य- शिक्षण, मूल्यांकन परीक्षा परिणाम आदि कार्य कम्प्यूटर आधारित होता है।

11.7 शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (Teacher Education Programme)

रूस में शिक्षक शिक्षा पर आरम्भ से ही विशेष बल दिया गया है। रूस में सन् 1917 में हुई जन क्रांति के पश्चात् विद्यालयी शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए इसका पर्याप्त प्रसार किया गया जिससे छात्रों की संख्या में सौ प्रतिशत वृद्धि हुई। इस बढ़ती छात्र संख्या को शिक्षित करने के लिए रूस की सरकार ने योग्य शिक्षक तैयार करने हेतु अल्पकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों को भी शिक्षण कार्य में लगा दिया। इसके साथ ही विद्यालय में पारी प्रणाली (shift system) भी संचालित किया गया। यह व्यवस्था सन 1936-37 तक प्रत्येक विद्यालय में अध्यापकों की उपलब्धता हेतु की गई। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् अध्यापक शिक्षा की इस योजना में व्यवधान उपस्थित हो गया। इसके पश्चात् देश में व्यावसायिक और औद्योगिक विकास के लिए तथा अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की प्रगति के लिए शिक्षकों की आवश्यकता अनुभव हुई जिसके परिणामस्वरूप पुन: अध्यापक शिक्षा पर ध्यान दिया गया।

पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक एवं माध्यमिक अध्यापकों के लिए गैर विश्वविद्यालयी स्तर की संस्थाएं प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती हैं जिसके पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष से 4-6 वर्ष तक की होती है। इन अध्यापकों के लिए कुछ विश्वविद्यालयी संस्थाएं भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती हैं जिनकी अवधि 5 वर्ष की होती है। माध्यमिक शिक्षकों के लिए विश्वविद्यालयी स्तर की संस्थाएं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करती हैं जिनकी अवधि 5 वर्ष की होती है।

वर्तमान समय में सेवारत एवं सेवापूर्व दोनों शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। सेवापूर्व शिक्षकों के प्रशिक्षण को शिक्षा के स्तरानुसार विभाजित किया गया है जो निम्नानुसार हैं:-

शिक्षक प्रशिक्षण के स्तर (Stages of Teachers Training)

1. पूर्व प्राथमिक स्तर के अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण।
2. प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण।
3. बेसिक माध्यमिक स्तर के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण।
4. माध्यमिक स्तर के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण।

सेवापूर्व अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण (Training for Pre Service Teacher)

1. **पूर्व प्राथमिक स्तर के अध्यापक-** पूर्व प्राथमिक स्तर के अध्यापक तैयार करने के लिए रूस में 3 वर्ष का पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है। इस 3 वर्षीय पाठ्यक्रम को 16 भागों में विभाजित किया गया है जिन्हें वर्ष में 170 से 175 घण्टों में पूर्ण कर दिया जाता है। इस प्रशिक्षण में उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, मनोविज्ञान शिक्षा, इतिहास, शिक्षण पद्धति, व्याख्यान पद्धति, कहानी, कलाएं, प्रकृति अध्ययन, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन व शिक्षण-प्रशिक्षण करवाया जाता है।

अध्यापक शिक्षा के निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित किए गए-

1. अध्यापक व्यवसाय हेतु प्रशिक्षण लेने वाले छात्राध्यापकों को शिक्षण-शास्त्र (pedagogy) का बोध कराना।
2. शिक्षण सिद्धान्तों का बोध कराना।
3. शिक्षण वृत्ति का विकास करना
4. शिक्षण अभिवृत्ति का विकास करना।
5. शिक्षण कौशलों का विकास करना।
6. सामुदायिक तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता का विकास करना।
7. राष्ट्रीय एवं नैतिक गुणों का विकास करना।

2. प्राथमिक स्तर के अध्यापक के लिए प्रशिक्षण (Training for Primary Teachers)- रूस में प्राथमिक स्तर के अध्यापकों का प्रशिक्षण प्राथमिक अध्यापक शिक्षा संस्थान (Teacher Institute for Elementary Teachers) में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम द्वारा किया जाता है। इन अध्यापकों की नियुक्ति की व्यवस्था शहरों में नगरपालिका तथा गांवों में राज्य द्वारा की जाती है किन्तु नियन्त्रण मण्डलीय शिक्षा विभाग का ही रहता है। इस प्रशिक्षण हेतु शिक्षक की योग्यता 7वीं कक्षा पास रखी गई है। इन अध्यापकों के प्रशिक्षण अभ्यास एवं अध्ययन के लिए प्रशिक्षण विद्यालय की व्यवस्था की गई है जो प्रशिक्षण केन्द्रों से सम्बन्धित होते हैं। यहां इन अध्यापकों को समस्त विषयों के अध्ययन के साथ ही किसी वाद्य-यन्त्र (Musical Instrument) में दक्षता प्राप्त करना आवश्यक होता है।

3. अवर बेसिक माध्यमिक स्तर के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण (Training for aver Secondary Teachers)- इस स्तर के अध्यापक शिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तथा इनकी पात्रता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण रखी गई है। इसके साथ ही मैट्रिकुलेट परीक्षा अथवा उच्च शिक्षा की संस्था की प्रवेश परीक्षा भी अनिवार्य मानी जाती है। ये शिक्षक, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, मनोविज्ञान तथा शिक्षण शास्त्र (Pedagogy) का अध्ययन करते हुए किसी एक विषय की विशेष योग्यता प्राप्त करते हैं। अध्यापक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम निम्नानुसार तीन वर्गो में विभाजित किया गया है-

1. प्रथम वर्ग में - भौतिक शास्त्र, गणित
2. द्वितीय वर्ग में - रूसी साहित्य, इतिहास
3. तृतीय वर्ग में - रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं भूगोल

प्रत्येक प्रशिक्षण संस्था के साथ एक अवर (बेसिक) माध्यमिक विद्यालय होता है, जहां छात्राध्यापक शिक्षण अभ्यास तथा विज्ञान का प्रयोग करते हैं।

माध्यमिक स्तर के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण (Training for Secondary Teachers) - माध्यमिक स्तर के अध्यापकों के प्रशिक्षणार्थ माध्यमिक शैक्षिक संस्था (Secondary Education Institute) की स्थापना की गई, जो माध्यमिक शिक्षा स्तर के शिक्षकों हेतु 4

वर्षीय प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम आयोजित करती है। पाठ्यक्रम के विषयों की व्यवस्था तीन विभागों में की जाती है जो निम्नानुसार है-

अध्यापन शास्त्र

शिक्षा विकास का इतिहास

अध्यापन पद्धति

मनोविज्ञान

द्वितीय वर्ग ——— सामाजिक दर्शन विषय

रूसी भाषा

इतिहास

रूसी साहित्य

राजनीतिक मितव्ययता

तृतीय वर्ग ——— विशिष्ट योग्यता वाला विषय

प्रथम व द्वितीय वर्ग के सभी विषयों का अध्ययन अनिवार्य रूप से करवाया जाता है किन्तु तृतीय वर्ग में छात्राध्यापक उस विशिष्ट विषय का अध्ययन करते है जिसे उन्हें सेवाकाल में पढ़ाना होता है।

इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम वर्ष में सैद्धान्तिक शिक्षण दिया जाता है तथा अन्य वर्षा में सैद्धान्तिक शिक्षण के साथ प्रायोगिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। अर्द्ध प्रशिक्षित अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण सुलभ कराने की दृष्टि से अल्पकालीन प्रशिक्षण व्यवस्था भी संचालित की जाती है। इस प्रशिक्षण की प्राप्ति पर उस अध्यापक को अध्यापन का प्रमाण-पत्र दिया जाता है।

2. सेवारत अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम (Training Programme for In-Service Teachers)

सेवारत अध्यापक जो किसी विद्यालय में अध्यापन कार्य करते हैं इनके शिक्षण कार्य के अभिनवीकरण Orientation) के लिए रूस के प्रशासन ने दो प्रकार की व्यवस्था की है, जो उनके उद्देश्यों के आधार पर निर्धारित की गई है:-

प्रथम उद्देश्य केन्द्रित व्यवस्था- यह अभिनव प्रशिक्षण के नाम से जानी जाती है। इसमें प्रशिक्षित अध्यापक अपने सेवाकाल में उन अनुसंधानों, नवीन शिक्षण विधियों आदि से परिचित हो जाते हैं, जो आधुनिकतम और वैज्ञानिक होती है।

द्वितीय उद्देश्य केन्द्रित व्यवस्था- इसमें अर्द्ध प्रशिक्षण एवं अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए अभिनवन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसे पूरा करके वे अध्यापन प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेते हैं।

सामान्य कार्यक्रम

- प्रत्येक जनपदों में से किसी एक क्षेत्र को सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु चयन कर लिया जाता है और वहां प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है।
- नगरों में माध्यमिक शैक्षिक संस्थाएं सेवाकालीन प्रशिक्षण व्यवस्था में अत्यधिक सहयोग प्रदान करती है।
- सम्बन्धित शिक्षण केन्द्र अध्यापकों के लिए द्विवर्षीय संध्याकालीन पाठ्यक्रम का संचालन भी करते हैं।
- सभी अध्यापकों के लिए वाद-विवाद, सूचना प्रसारण, प्रदर्शनी गोष्ठियां (Seminar) व सभाएँ (conferences) आयोजित की जाती हैं।
- ये माध्यमिक संस्थाएं सम्बद्ध शिक्षण केन्द्रों पर अपने द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाएँ और पुस्तिकाएँ भेजती हैं।

पत्राचार प्रशिक्षण

रूस में सेवारत अध्यापकों के लिए पत्राचार द्वारा भी प्रशिक्षण की व्यवस्था है। शिक्षा मंत्रालय के अध्यापक प्रशिक्षण विभाग तथा प्रशिक्षण विद्यालय द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। प्रशिक्षण अधिकारी इस प्रकार की व्यवस्था से महिला अध्यापक वर्ग तथा सेवारत शिक्षकों को अधिक प्रशिक्षित करते है।

आधारभूत विषयों एवं विधियों का प्रशिक्षण

जिला परिषदें विद्यालय के शिक्षण विषयों के लिए सामान्य निर्देशन तथा विधियों की जानकारी देने की व्यवस्था करती है। जिला परिषद के मुख्य कार्य इस प्रकार होते हैं-

1. अध्यापकों के लिए सेमीनार तथा विचार गोष्ठियों का आयोजन।
2. नवीन विधियों के प्रयोग में सहायता।
3. अध्यापकों के लिए विशिष्ट विषयों की जानकारी हेतु व्याख्यानों का आयोजन।
4. छात्रों की योग्यताओं ज्ञान एवं कौशलों का विश्लेषण करना तथा इसके आधार पर सुझाव देना।
5. विद्यालय विषयों के लिए योजना निर्माण और कार्यक्रम की व्यवस्था।
6. अध्यापकों द्वारा उन विद्यालय को अवलोकन जो शिक्षण सहायक सामग्री, संसाधनों, प्रणालियों आदि से सुसज्जित हैं।
7. अध्यापकों का प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों तथा अन्य साहित्य से परिचय व आदर्श प्रतिमानों का अवलोकन।

8. प्रत्यक्षीकरण तथा प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु अध्यापकों के लिए शैक्षिक पर्यटनों का आयोजन।

रूस में अध्यापकों की स्थिति (Status of Teachers in Russia)

1. रूसी अध्यापक का वेतन अध्यापक के शिक्षा स्तर, व्यक्तिगत शिक्षण एवं प्रशिक्षण योग्यता तथा प्राप्त अध्यापन अनुभव पर निर्भर करता है। विशिष्ट योग्यता और उपाधि प्राप्त शिक्षक को लगभग 2000 रूपए के वेतन के साथ 200 रुपए प्रतिमाह तत्कालीन वेतन वृद्धि प्राप्त होती है।
2. रूसी अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जाती हैं, उन्हें आवास तथा चिकित्सा सम्बन्धी राजकीय सुविधाएँ दी जाती हैं।
3. महिला शिक्षिकाओं को प्रजनन के समय की सभी राजकीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। ये सुविधाएं अन्य श्रमिक महिलाओं को भी मिलती है।
4. अध्यापकों का वेतन 4 घण्टे प्रतिदिन के अनुमान से लगाया जाता है। जबकि अध्यापक अतिरिक्त घण्टे कार्य करके और भी वेतन प्राप्त कर अपनी स्थिति सुदृढ़ कर लेता है।

11.8 रूस और भारत की माध्यमिक शिक्षा में अन्तर (Difference Between Russian and Indian Secondary Education)

1. रूस की माध्यमिक शिक्षा सरकार के नियन्त्रण में होती है तथा उस पर राज्य का एकाधिकार होता है। जबकि भारत में शिक्षा कई निकायों (Agency) के हाथ में है जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन, ट्रस्ट, सोसायटी तथा व्यक्तिगत आदि स्तर पर शिक्षा का प्रबन्धन किया जाता है।
2. रूस में जितने भी शिक्षा प्राप्ति के योग्य बालक होते हैं वे सब विद्यालय जाते हैं, जबकि भारत में 25 प्रतिशत बालक ही विद्यालय जाते हैं।
3. रूस में माध्यमिक स्तर की शिक्षा में बालकों के लिए विषय चयन की प्रक्रिया में कुछ भी ऐच्छिक नहीं है जबकि भारत में इस प्रक्रिया में रूस से अधिक स्वतंत्रता दी गई है।
4. रूस देश में उसके राज्यों के जितने भी विद्यालय हैं उनकी संरचना में एकरूपता है,जबकि भारत में अन्त:राज्यीय स्तर पर भी भिन्नता है। यहाँ प्रत्येक राज्य की शिक्षा प्रणाली दूसरे राज्य की शिक्षा प्रणाली से भिन्न है।
5. रूस के माध्यमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षा अनिवार्य रूप से लागू की गई है जो सैनिक शिक्षा के समकक्ष होती है जबकि भारत के विद्यालय में एन.सी.सी., स्काउट, व गाइड कार्यक्रम प्रचलित हैं, वे भी ऐच्छिक हैं।
6. रूस की माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, हाई स्कूल शिक्षा, तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा तथा सह शिक्षा प्रचलित है जबकि भारत में कई तरह के संस्थान हैं- जैसे माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, जूनियर हाई स्कूल शिक्षा, बेसिक शिक्षा,नवोदय विद्यालयी शिक्षा व अन्य प्रशिक्षण संस्थान हैं।

7. भारत में त्रिभाषा सूत्र है और विभिन्न पाठ्यक्रम हैं किन्तु रूस में केन्द्रीकृत पाठ्यक्रम हैं जिसमें चयन की स्वतंत्रता कम है, किन्तु विद्यालयी स्तर पर सभी पाठ्यपुस्तकों में विषय सामग्री का रूसी भाषा में अनुवाद उपलब्ध है।

11.9 सारांश (Summary)

- रूस की विद्यालयी शिक्षा भी अन्य देशों की भांति पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर विभाजित की गई है, तथापि पाठ्यक्रम की दृष्टि से भिन्नता लिए हुए है।
- पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो कि 3 से 7 वर्ष तक के बच्चों के लिए होती है वह मूल रूप से श्रमिक व कार्य करने वाली महिलाओं के बच्चों के स्वास्थ्य, उचित देखभाल व शिक्षा के उद्देश्यों से आरम्भ की गई जो वर्तमान में भी प्रचलित हैं।
- पूर्व प्राथमिक विद्यालय में दो प्रकार की संस्थाएं प्रचलित हैं- प्रथम- नर्सरी विद्यालय, जिसमें 1 से 3 वर्ष के बालकों का खेलों द्वारा सामाजिक विकास किया जाता है तथा स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है।
- द्वितीय - किण्डरगार्टन जैसे संस्थानों में 7 से 7 वर्ष के बच्चों को भाषा ज्ञान, पढ़ना, बोलना आदि सिखाया जाता है।
- यद्यपि पूर्व प्राथमिक विद्यालय में कामगार महिलाओं के बच्चों के शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है किन्तु शिक्षा का व्यय उन महिलाओं से सम्बन्धित उद्योग, कारखानों आदि को वहन करना होता है।
- वर्तमान रूस की सरकार ने सन् 2010 तक के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता हेतु एक अस्थायी प्रोजेक्ट लिया है जिसके द्वारा बच्चों के विकास, वृद्धि एवं प्रशिक्षण में गुणात्मकता लाने का प्रयास किया जा रहा है।
- माध्यमिक शिक्षा को 10 वर्षीय विद्यालयी शिक्षा के रूप में संचालित किया जाता है जो चार स्तरों पर दी जाती है। प्राथमिक, बेसिक, उच्च एव तकनीकी प्रशिक्षण के रूप में दी जाने वाली माध्यमिक शिक्षा रूस की विद्यालयी शिक्षा की अपनी एक विशिष्ट योजना मानी जाती है।
- माध्यमिक शिक्षा में विद्यार्थी 7 से 17- 18 वर्ष की आयु तक अध्ययन करता है।
- रुस की शिक्षा प्रणाली का मुख्य कार्य यह सामान्य (प्राथमिक स्तर) माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान करना माना गया है।
- प्राथमिक शिक्षा 7 से 10 वर्ष के बालकों के लिए 3 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है जिसमें रूसी भाषा, प्राकृतिक विज्ञान, संगीत, शारीरिक श्रम आदि की शिक्षा दी जाती है।
- रुस की प्राथमिक शिक्षा की समस्त जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय की होती है जो निःशुल्क रख अनिवार्य होती है। कहीं-कहीं एकल शिक्षक व्यवस्था भी है जिसमें अध्यापक एक वर्ग को 4 वर्ष तक पढाता है।

- माध्यमिक शिक्षा मुख्यत: केन्द्र प्रशासित होती है तथापि समस्त व्यवस्था राज्यों द्वारा की जाती है किन्तु नियन्त्रण केन्द्र सरकार का ही होता है।
- द्वितीय माध्यमिक शिक्षा की संरचना सम्पूर्ण देश में एक समान होती है इसमें राज्यों के परिवर्तन की स्वतंत्रता नहीं है। इसमें वित्तीय व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है।
- यह शिक्षा 5 से 7 कक्षाओं में 11 से 14 वर्ष, तक के बच्चों के लिए होती है जिसे बेसिक शिक्षा भी कहा गया है।
- उच्च माध्यमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें कक्षा 8 से 10 तक 15 से 17 वर्ष तक के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं।
- इस स्तर पर बालकों का सर्वांगीण विकास करने के उद्देश्य से उन्हें तकनीकी कक्षाएँ, विदेशी भाषाएं तथा अन्य कई विषय पढ़ाए जाते हैं। शिक्षण की कई विधियां प्रयुक्त की जाती हैं परीक्षाएं मौखिक व लिखित दोनों प्रकार से ली जाती हैं। परीक्षा पद्धति की उनकी अपनी विशेष प्रणाली प्रचलित है।
- उच्च माध्यमिक स्तर पर ही इसके समकक्ष प्रथक रूप से तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण से सम्बन्धित विद्यालय चलाए जाते हैं। जिनमें 14- 15 से 17- 18 वर्ष के बालक प्रवेश लेते हैं। इसमें 7वीं कक्षा के बाद विद्यार्थी प्रवेश ले सकता है।
- कुछ प्रशिक्षण संस्थान टेक्नीकम्स (Technicums) नाम से प्रचलित हैं। उपर्युक्त इन दोनो प्रकार के तकनीकी संस्थानों में प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ उच्च माध्यमिक विद्यालय (High School) की शिक्षा की व्यवस्था वहीं केन्द्रों पर कर दी जाती है।
- विद्यालयी शिक्षकों हेतु सेवारत एवं सेवापूर्व दोनों के लिए प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। साथ ही पत्राचार प्रशिक्षण की व्यवस्था भी प्रचलित है।
- रूस और भारत की शिक्षा व्यवस्था में बहुत अन्तर है। रूस की विद्यालयी शिक्षा पर राज्य का एकाधिकार होता है तथा केन्द्र सरकार का नियन्त्रण। जबकि भारत में यह कई निकायों के नियन्त्रण में होती है। रूस में शिक्षा प्राप्ति योग्य सभी बालक विद्यालय जाते हैं जबकि भारत में इन पर नियन्त्रण नहीं है।

11.10 सन्दर्भ सूची (References)

1. Biswas, A.and Aggarwal, J.C. (2004). **Comparative Education,** New Delhi:Arya Book Depot, 30, Naiwara, Karol Bagh.
2. बुल्के, फादर कामिल(2005), **अंग्रेजी-हिन्दी कोश,** राँची: काथलिक प्रेस
3. चौबे, डी. सरयू प्रसाद (1995), **तुलनात्मक शिक्षा,** आगरा: विनोद पुस्तक मन्दिर, रांगेय राघव मार्ग
4. चौबे, प्रो. सरयूप्रसाद(1995), **स्वदेश विदेश में शिक्षा,** आगरा: विनोद पुस्तक मन्दिर, रांगेय राघव मार्ग।
5. Khan, Mohammad Abbas (2004) **Modern Comparative Education,** New Delhi Anmol Publication pvt++. Ltd. Ansari Road, Dariyaganj.

6. Sharma, R.A. (2007), **Comparative Education,** Meerut: Vinay Rakheja C/o R. Lall Book Depot, Near Govt. Inter College.
7. शर्मा, आर.ए.(2008),**तुलनात्मक शिक्षा (विश्व की शिक्षा प्रणालियों एवं समस्याएँ)** मेरठ : आर..लाल बुक डिपो, निकट गवर्नमेण्ट इण्टर कॉलेज।

Webliography

1. www.Education Russia.htm
2. www.Education in Russia for foreigners.htm
3. www.euroeducation.net/prof/russio.htm
4. www.education system in Russia_Institute for International Education and Language Communication.htm
5. www.History of Russia_wikipedia,.htm
6. www.general background of all RE.htm
7. www.go.world bank.Org-N1GG90QBCO
8. www.Objectives of higher education ijn Russia.htm
9. www.Religions freedom in Ressia.htm
10. www.RussN.htm
11. www.Russian-crafts.com/customs/educatineducation.htm
12. www.STRUCTURE OF EDUCATION SYSTEM IN RUSSIA IN RUSSIAN.htm
13. www.studyrussion.com(Higher Education)
14. www.way to russia
15. www.Weblist; Russia-Education.htm
16. www.en.wikipedia.org.ru
17. www.wikpedia.org/wiki/education_in_Rusia
18. www.worldbank.org.ru
19. www.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEX_

इकाई-12

रूस में विश्वविद्यालयी शिक्षा

(University Education In Russia)

12.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of the Unit)

12.1 विषय प्रवेश (Introduction)

12.2 उच्च शिक्षा के प्रकार (Types of Higher Education)

12.3 उच्च शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of Higher Education)

12.4 उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम (Curriculum of Higher Education)

12.5 शिक्षण विधि (Teaching Methods)

12.6 मूल्यांकन विधि (Methods of Evaluation)

12.7 उच्च शिक्षा: प्रशासन, प्रबन्धन एवं वित्तीय व्यवस्था (Higher Education: Administration, Management and Finance)

12.8 पत्राचार पाठ्यक्रम (Correspondence Curriculum)

12.9 पुस्तकालय व्यवस्था (Facility of Library)

12.10 स्त्री शिक्षा (Women Education)

12.11 उच्च शिक्षा की समस्याएँ (The Problems of Higher Education)

12.12 रूस में सतत् शिक्षा (Continuing Education in Russia)

12.13 शोध कार्य (Research Work)

12.14 उच्च शिक्षा में गुणात्मकता हेतु बोलोगना- घोषणा (Bologna Declaration for Quality Higher Education)

12.15 सारांश (Summary)

12.16 सन्दर्भ सूची (References)

12.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of the Unit)

इस इकाई को पढ़कर आप यह जान सकेंगे कि-

1. रूस में उच्च शिक्षा की संरचना कैसी है तथा उसकी प्रणाली क्या है?
2. उच्च शिक्षा के प्रकार कौनसे हैं तथा इसके लिए किस प्रकार की संस्थाएँ कार्य कर रही हैं।
3. उच्च शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन पद्धति क्या है तथा उच्च शिक्षा की प्रशासनिक, प्रबन्धकीय एवं वित्तीय व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है?
4. दूरस्थ विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का पत्राचार पाठ्यक्रम चलाया जाता है तथा पुस्तकालय की सुविधाएं कैसी है?
5. स्त्री शिक्षा हेतु रूस की सरकार क्या व्यवस्था करती है तथा अन्य कौनसे शैक्षिक पक्ष महत्वपूर्ण हैं।

6. उच्च शिक्षा की समस्याएँ क्या हैं तथा विश्व में रूस की उच्च शिक्षा का स्तर कैसा है?
7. रूस अपने देश की उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु क्या प्रयास करता है?

12.1 विषय प्रवेश (Introduction)

रूस में विश्वविद्यालयी शिक्षा (University Education In Russia)

रूस में विश्वविद्यालयी शिक्षा को उच्च शिक्षा कहा जाता है। शिक्षा का सर्वोच्च स्तर विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा संस्थान माने जाते हैं, जहां विद्यार्थी चयनित विषयों का विस्तृत ज्ञान प्राप्त कर अपने व्यावसायिक भविष्य का निर्माण करते हैं। रूस में विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा विद्यालय तथा उच्च शिक्षा संस्थान हैं, जो उच्च शिक्षा देने वाले संस्थान कहे जाते हैं। रूस में उच्च शिक्षा के सभी संस्थान सरकार द्वारा नियन्त्रित किए जाते हैं तथा वे पूर्णत: सरकारी होते हैं। जो प्रशिक्षण संस्थान के विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करते हैं, वे संस्थान भी शिक्षा आयोग द्वारा नियन्त्रित किए जाते हैं। रूस के संविधानानुसार किसी को भी वहां उच्च शिक्षा प्राप्ति का वैश्विक अधिकार है जिसमें केवल प्रवेश परीक्षा ली जाती है।

रूस में उच्च शिक्षा की प्रगति और विकास में विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। महाविद्यालय के शिक्षकों को स्नातक तथा अधिस्नातक दो प्रकार के लिए शिक्षण हेतु प्रशिक्षण देती है और शैक्षिक योग्यता भी प्रदान करती है।

रूस की उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देश के विकास में इनके द्वारा दिए जाने वाले 4 वर्षीय पाठ्यक्रमों में तकनीकी शिक्षा, शिक्षक-शिक्षा तथा चिकित्सा शिक्षा का सबसे अधिक योगदान रहता है। इस देश की विश्वविद्यालयी शिक्षा के प्रकार को हम उसकी शैक्षिक संरचना से समझ सकते हैं।

उच्च विश्वविद्यालयी शिक्षा की संरचना (Structure of Higher Education)

रूस में उच्च शिक्षा की संरचना में निम्नानुसार चार प्रकार की संस्थाएँ होती हैं-

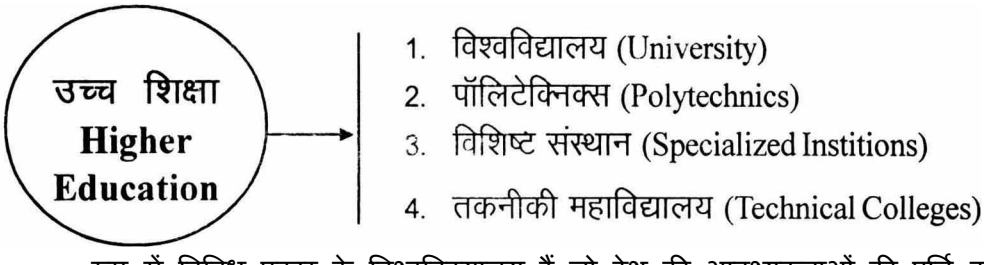

रूस में विविध प्रकार के विश्वविद्यालय हैं जो देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तथा विद्यार्थियों को स्नातक एवं अधिस्नातक की उपाधि प्रदान करते हैं। ये चार प्रकार की संस्थाएँ विविध प्रकार के पाठ्यक्रमों को संचालित करती हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों में अन्य प्रकार की संस्थाएं भी होती हैं जिनका वर्गीकरण शिक्षण प्रवृति के आधार पर किया गया है। जैसे-

1. दिवसीय या पूर्णकालिक कक्षा
2. सायंकालीन कक्षा
3. पत्राचार शिक्षा

अधिकतर संस्थान इन तीनों प्रकार की कक्षाओं का आयोजन करते हैं। कहीं-कहीं सायंकालीन कक्षाएं व पत्राचार पाठ्यक्रम दोनों की कक्षाएं सम्मिलित भी चलाई जाती हैं। तीनों प्रकार के कक्षाओं के छात्रों को एक ही प्रकार की परीक्षा देनी होती है तथा इन छात्रों को संस्था द्वारा दी गई उपाधियां भी समान होती हैं।

रूस में उच्च शिक्षा के अध्ययन का विस्तार 4-6 वर्ष तक का होता है। प्रत्येक प्रकार के पाठ्यक्रम की अवधि निम्नानुसार अलग-अलग होती है। जैसे-

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	अवधि
1.	चिकित्सा (Medical Education)	6 वर्ष
2.	अध्यापक शिक्षा (Teacher Education)	4 वर्ष
3.	कृषि शिक्षा (Agriculture Education)	4 वर्ष
4.	तकनीकी शिक्षा (Technical Education)	5 वर्ष

प्रवेश हेतु माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण छात्र सरकार द्वारा निर्देशित व्यवसाय चुनकर प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। जो छात्र पदक प्राप्त करते हैं, उन्हें प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होती है। उच्च शिक्षा प्राप्ति की आयु 17 से 35 वर्ष रखी गई है। साहित्य समूह के विद्यार्थी की रूसी भाषा, राष्ट्रीय इतिहास तथा किसी भी एक विदेशी भाषा से सम्बन्धित प्रवेश परीक्षा ली जाती है तथा इसके अतिरिक्त तकनीकी उच्च शिक्षा के लिए गणित, विज्ञान, रूसी भाषा व किसी भी एक विदेशी भाषा से सम्बन्धित परीक्षा भी ली जाती है। इस समय रूस में जो उच्च शिक्षा संस्थान कार्यरत है उनकी सन् 2003-04 तक की तथ्यात्मक स्थिति बोलोगना प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रीय रिपोर्ट, रूस (Bologna Process International Report: Russia) विकिपीडिया वेबसाईट के अनुसार निम्नस्थ तालिका में दी जा रही है, जिसमें शासकीय, निजी एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रत्यायन तथा विद्यार्थियों सम्बन्धी आकड़े दिए गए हैं-

क्र.सं.	संस्थान के प्रकार	संख्या	कुल संख्या	विद्यार्थी	कुल संख्या
1.	राजकीय उच्च शिक्षा संस्थान	685		5228700	
2.	निजी उच्च शिक्षा संस्थान	619	1304	718800	5947500
3.	प्रत्यायित उच्च शिक्षा संस्थान	1162			
4.	विश्वविद्यालय	48			

रूस में 48 विश्वविद्यालय हैं उनमें से मुख्य विश्वविद्यालय के नाम निम्नानुसार हैं:-

रूस के मुख्य विश्वविद्यालय (The Major University of Russia)

1. Taganrog Technological Institute of South Federal University (Taganrog State Radio Technical University)
2. Moscow State University
3. Moscow Aviation Institute
4. Saint Petersburg State University
5. Rostov State Medical University

6. St. Petersburg State Medical University
7. St. Petersburg State Pavlov Medical University
8. St. Petersburg State Electrotecnical University
9. Samara State University
10. Moscow Engineering Physics Institute
11. Moscow Institute of Physics and Technology
12. Moscow State Technical University (aka Bauman Moscow State Technical University)
13. Moscow State Textile University named after A.N. Kosygin
14. Moscow State Institute of International Relations
15. Ulyanovsk State University
16. Ural State University in Yekaterinburg
17. Ural State Technical University
18. Irkutsk State University
19. Plekhanov Russian Academy of Economics
20. Novosibirsk State University
21. Tomsk Polytehnic University
22. Tomsk State University
23. Kazan State University
24. Russian State Agricultural University (aka Moscow Agricultural Timiryazev Academy)

12.2 उच्च शिक्षा संस्थान के प्रकार (Types of Higher Education Institutes)

रूस में उच्च शिक्षा संस्थानों में विविध पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं तथा पाठ्यक्रम के आधार पर उन्हें चार श्रेणियों में विभक्त किया गया है-

1. विश्वविद्यालय (University)
2. पॉलिटेक्निक्स (Polytechnics)
3. तकनीकी संस्थान (Technological Institute)
4. विशिष्ट संस्थान (Special Institute)

उच्च शिक्षा संस्थानों की अन्य प्रकार की संस्थाएं होती हैं, जिनका वर्गीकरण शिक्षण की प्रवृति के आधार पर किया गया है। जैसे-

1. पूर्णकालिक कक्षा (Full time classes)
2. सायंकालीन कक्षा (Evening Classes)

3. पत्राचार शिक्षा (Correspondence Classes)

उपर्युक्त संस्थानों में ये तीनों प्रकार की कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इन सभी संस्थाओं की प्रकृति एवं कार्य का क्रमश: वर्णन आगे किया जा रहा है।

1. विश्वविद्यालय (Universities) - विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है। रूस में विश्वविद्यालय का प्रमुख प्रशासक रेक्टर (Rector) होता है तथा उसके प्रबन्धकीय और वित्तीय कार्य में सहयोग के लिए दो सहायक नियुक्त किए जाते हैं। विभिन्न संकायों (Faculties) के गठन से डीन (Dean) की नियुक्ति होती है तथा प्रत्येक संकाय (Faculty) में डीन, प्रोफेसर एवं छात्र होते हैं। विश्वविद्यालय की प्रवेश विधि, पाठ्यक्रम, सत्र आदि का उल्लेख प्रशासन पद्धति में किया जा चुका है।

अध्ययन-अवधि एवं पाठ्यक्रम (Study Duration and Curriculum)

विश्वविद्यालय स्तरीय अध्ययन 4 प्रकार के होते हैं तथा उनकी अवधि भी निम्नानुसार भिन्न होती है-

1. प्रथम स्तर पर उच्च शिक्षा में 2 वर्षीय कार्यक्रम होता है।
2. द्वितीय स्तर पर स्नातक कार्यक्रम 4 वर्षीय एवं पूर्णकालिक होता है।
3. तृतीय स्तर पर दो वर्षीय डिग्री कार्यक्रम होता है। इसमें शोधकार्य भी सम्मिलित होता है। एक वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर इसमें डिप्लोमा दिया जाता है तथा दो वर्ष पूर्ण करने पर डिग्री।
4. चतुर्थ स्तर पर वह पाठ्यक्रम है जिसमें डॉक्टरेट की उपाधि सम्बन्धी कार्यक्रम संचालित होता है। प्रतियोगिता में चयनित छात्र जो पहले से मास्टर डिग्री प्राप्त होते हैं उन्हें प्रवेश दिया जाता है। इस तीन वर्षीय कार्यक्रम में शोध के अतिरिक्त विभिन्न शिक्षण विधियों, सूचना प्रौद्योगिकी (IT) इत्यादि कार्य भी सीखते हैं। अपना स्वतंत्र शोध करके ही वे डॉक्टर की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें अपने शोध को जनता के समक्ष प्रस्तुत करना होता है तथा जनता द्वारा पूछे गए सवालों का सन्तोषप्रद उत्तर देना होता है।

2. इतर (अन्) विश्वविद्यालय (Non University)- विद्यालय के अतिरिक्त भी उच्च शिक्षा के लिए जो संस्थाएँ कार्य करती हैं उन्हें इतर विश्वविद्यालय (Non Univeristy) नाम से जाना जाता है। इनकी पहचान व कार्य निम्नानुसार है:-

1. माध्यमिक शिक्षा के पश्चात् तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए राज्य के अन्य महाविद्यालय जो उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं। वे इतर विश्वविद्यालय (Non University) कहलाते हैं।
2. ये संस्थान मध्यम स्तर के विशेषज्ञ जैसे- तकनीकी विशेषज्ञ और कुशल नर्स आदि को प्रशिक्षित करते हैं।
3. 4 वर्षीय आधारभूत शिक्षा तथा 2 वर्षीय सामान्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्रों को डिप्लोमा प्रदान किया जाता है।

4. यदि कोई छात्र ऐसे डिप्लोमा करने के बाद उसी क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय-स्तरीय संस्था में प्रवेश लेता है तो उसकी दो वर्ष की शिक्षा को उच्च शिक्षा के कार्यक्रम में जोड़ दिया जाता है तथा उसे तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम से अध्ययन प्रारम्भ करने की अनुमति दी जाती है।

रूस के विश्वविद्यालय प्राय: बड़े शहरों में स्थित हैं। सन् 1755 में स्थापित मॉस्को स्टेट विश्वविद्यालय (Moscwu State University) लोकप्रिय एव श्रेष्ठता में अग्रणी हैं, जहां विद्यार्थियों की संख्या 28,000 तथा शिक्षकों की संख्या 80,000 हैं। मॉस्को में रूसी लोगों का एक मित्र विश्वविद्यालय (Friendship University) भी है जिसमें 6,500 विद्यार्थी तथा 1500 शिक्षक विद्यमान हैं। सैंट पीटर्स बर्ग (St. Petersburg State University) में 21,000 विद्यार्थी तथा 2100 शिक्षक कार्यरत हैं।

1992 में विकेन्द्रीकरण के बाद व्यापारिक व व्यावसायिक शिक्षा के अधिक विस्तार की आवश्यकता प्रतीत हुई तथा शिक्षा प्रणाली को नई वित्तीय व्यवस्था के अनुरूप पुनर्संरचित किया गया तथा उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि की गई। यूरोप के अन्य देशों की तुलना में आज रूस में स्नातकों की संख्या सर्वाधिक है।

3. पोलिटेक्निक संस्थान (Polytechnics) - रूस की उच्च शिक्षा में पॉलिटेक्निक संस्थानों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन संस्थानों के अन्तर्गत अनेक प्रकार के विभाग होते हैं, जिनमें इन्जीनियरिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। लेनिनगार्ड पोलिटेक्निक (Leningard Polytechnic) संस्थान में 8 विभाग है जिनमें 82 प्रकार की शाखाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। रूस में इसके अतिरिक्त अन्य विशिष्ट संस्थान भी है।

4. तकनीकी संस्थान (Technical Institute) - इनमें विभिन्न क्षेत्रों की तकनीकी शिक्षा व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। रूस की साम्यवादी प्रणाली में उत्पादन पर विशेष बल दिया जाता रहा है। इसके परिणामस्वरूप तकनीकी क्षेत्र में बड़ी तीव्रता से वृद्धि हुई है। इन्जीनियरिंग शक्ति के लिए निरन्तर विकास हुआ है और इसकी श्रेष्ठता बनाए रखने का प्रयास भी किया गया है। रूस में लगभग 50 लाख से अधिक श्रेष्ठ इन्जीनियर्स और टेक्नीशियन्स हैं, जिनमें से 38 प्रतिशत विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य करते हैं। इन विश्वविद्यालय में विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों की ही नियुक्ति की जाती है।

5. विशिष्ट संस्थान (Special Institutions) - रूस में विश्वविद्यालयी शिक्षा में कुछ विशिष्ट शिक्षा के संस्थान भी हैं जो निम्नानुसार हैं-

1. फैक्ट्री प्रशिक्षण महाविद्यालय (The College of Factory Training) - देश के विकासार्थ रूस ने एक नए प्रकार के शिक्षा संस्थानों की स्थापना की, जिन्हें फैक्ट्री प्रशिक्षण महाविद्यालय कहा जाता है। इन महाविद्यालय में राज्य की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। रूस के प्रत्येक राज्य में विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियां व कारखाने हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। जैसे- मैटल उत्पादन फैक्ट्री, ओटोमोबाईल प्लान्ट, मशीनरी कार्य आदि प्रमुख हैं, अत: इन कार्यो के

उत्कृष्ट निष्पादन के लिए कुशल कर्मचारियों को इन फैक्ट्री प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रशिक्षित किया जाता है।

2. कृषि शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (Institutes of Agriculture Education and Training)

- कृषि शिक्षा का सम्बन्ध क्षेत्रीय कार्यो से अधिक है, इसके अन्तर्गत विद्यार्थियों को खेती का प्रशिक्षण दिया जाता है। कृषि के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन व अद्यतन (Latest) जानकारी से विद्यार्थियों को अवगत कराया जाता है। इसके साथ ही रूस में सहकारी शिक्षा संचालित की जाती है तथा उसी के अनुरूप विद्यार्थियों को भी प्रशिक्षित किया जाता है। इसके साथ ही रूस के प्रत्येक राज्य में एक वैज्ञानिक केन्द्र स्थापित किया गया है जो राज्य की कृषि के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. रूस में उच्च शिक्षा हेतु कितने प्रकार के संस्थान प्रचलित हैं?
2. रूस में विश्वविद्यालय की चतुर्थ स्तर की उपाधि क्या है तथा उसकी विशेषता क्या है?
3. रूस में फैक्ट्री प्रशिक्षण महाविद्यालय की कार्यशैली समझाइए।
4. रूस में विभिन्न पाठ्यक्रमों की अवधि कितनी होती है?

12.3 उच्च शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of Higher Education)

रूस में 1991 के बाद से सरकार द्वारा यह निश्चित किया गया कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं की अधिकाधिक संख्या बढ़ाना है ताकि देश की अन्तर्राष्ट्रीय पहचान पुन: बनाई जा सके। इस परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा प्रणाली तथा शैक्षिक उद्देश्यों की पुर्नसंरचना की गई तथा नए उद्देश्यों का निर्माण किया गया जो निम्नानुसार है-

1. विद्यार्थियों में अपने विषय की स्नातक एवं अधिस्नातक स्तर की योग्यता विकसित करना।
2. उन्हें व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित करना।
3. योग्य डॉक्टर तथा शिक्षक तैयार करना।
4. उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
5. उनमें अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन और समझ का दृष्टिकोण विकसित करना।
6. उच्च शिक्षा के लिए अधिकाधिक धन व्यय करना।
7. बाजार की आर्थिक आवश्यकता के अनुरूप उच्च शिक्षा के कार्यक्रम तथा शोधकार्य के परिवर्तन में विश्वास करना।
8. उच्च शिक्षा की प्रणाली का विकेन्द्रीकरण करना।
9. उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वायत्तता देना तथा उन्हें शैक्षिक विस्तार की स्वतंत्रता देना।
10. शैक्षिक एवं व्यावसायिक कार्यक्रम में आधारभूत विज्ञान एवं मानविकी पाठ्यक्रम का विस्तार करना।

इसमें सरकार ने कुछ संस्थानों पर नियंत्रण हेतु विभिन्न मंत्रालयों को यह कार्य सौंप रखा है। कुछ महाविद्यालय विशिष्ट मंत्रालयों की देख-रेख में चलते हैं। जैसे- यातायात संबन्धी महाविद्यालय रूस के यातायात मंत्रालय की देखरेख में अपना कार्य करता है, सम्प्रेषण सम्बन्धी महाविद्यालय, सम्प्रेषण मंत्रालय के पास, कृषि और वानिकी महाविद्यालय, कृषि मंत्रालय के पास, मेडिकल और शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, गणराज्यीय मंत्रालय के पास, कला सम्बन्धी महाविद्यालय, संस्कृति मंत्रालय के पास तथा वाणिज्य महाविद्यालय, वाणिज्य मंत्रालय के पास होते हैं तथा उनके नियन्त्रण में कार्य करते हैं।

12.4 उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम (Curriculum of Higher Education)

रूस की उच्च शिक्षा संस्थाएँ राज्य द्वारा संगठित व संचालित की जाती हैं। इसमें उत्पाद को विशेष महत्व दिया जाता है। इसलिए उच्च शिक्षा में कृषि, शिक्षा, कलाएं, सैनिक शिक्षा, वाणिज्य उद्योग, सामाजिक तथा अर्थशारत्र जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। पाठ्यक्रम का चयन सरकार द्वारा किया जाता है तथा पाठ्यक्रम संस्कृति व शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्मित व स्वीकृत किया जाता है। शिक्षक व छात्र उसको यथावत् अपनाते हैं और अपना दायित्व निभाते हैं। प्रत्येक शिक्षक और छात्र को सम्बन्धित पाठ्यक्रम की प्रति दी जाती है। किसी भी शाखा (Faculty) के सभी विभागों में एक ही विषय तथा पाठ्यक्रम प्रारम्भ होते हैं, किन्तु अन्तिम वर्षों में वैज्ञानिक विषयों की विविध शाखाएँ (Branches) पढ़ाई जाती हैं तथा विविध प्रकार के रचनात्मक कार्य करवाए जाते हैं।

पाठ्यक्रम में अभ्यास कार्य (Practice in Curriculum) - उच्च शिक्षा के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या संघ सरकार द्वारा निश्चित की जाती है। प्रत्येक संस्था में छात्रों की संख्या निश्चित होती है। उन्हें पाठ्यक्रम में प्रयोगात्मक कार्य भी करने होते हैं, जो आगे चलकर उनकी जीवनवृति से जुड़ जाते हैं। इन्जीनियर्स, फोरमेन आदि विद्यार्थी अपने-अपने क्षेत्र में प्रयोगात्मक अभ्यास कार्य करते हैं।

अभ्यास कार्य की प्रक्रिया (Process of Practical Work) - सम्बन्धित नियोजन निकाय (Planning Bodies) विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने पर उनकी वार्षिक संख्या निर्धारित करता है तथा प्रशासन आर्थिक योजना का एक आंशिक रूप मानकर उसे स्वीकृति प्रदान करता है। इसके बाद ही विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम से सम्बन्धित कार्यक्षेत्र से परिचित होते हैं।

वे उस क्षेत्र में कारखानों में अभियन्ता व फोरमेन बनकर अभ्यास कार्य करते हैं। जैसे लेनिनग्रेड जसपोल निर्माण संस्था (Leningrad Ship-Building Institute) अपने विद्यार्थियों को जलपोत कारखाने में भेजकर अभ्यास कार्य करवाती है तथा इस अभ्यास कार्य के मध्य ही उन्हें उत्पादन कार्य के लिए उत्तरदायी ठहरा देती है। अभ्यास कार्य की समाप्ति पर परीक्षा उत्तीर्ण करते ही उन्हें विभिन्न वर्गो में रख दिया जाता है। इन्हीं वर्गो में उन्हें निर्देशन (Direction) देना होता है। इसके पश्चात् उपाधि (Degree) मिल जाने पर राज्य सेवा आयोग

(State Service Commission) उनकी इच्छा तथा प्रवृत्ति के अनुसार उन्हें पदों पर नियुक्त कर देता है।

उपर्युक्त पाठ्यक्रम तीन स्तरों पर पूर्ण किए जाते हैं तथा उनके अनुसार उन्हें उपाधि (Degree) प्रदान की जाती है। उच्च शिक्षा की 4 से 6 वर्ष की अवधि में विद्यार्थी द्वारा पूर्ण किए गए पाठ्यक्रम की उपाधियों के प्रकार निम्नानुसार होते हैं-

उपाधियों के प्रकार (Types of Degrees)

1. अधिस्नातक उपाधि - Bakalavr Degree (Bachelor Degree)
2. अधिस्नातक उपाधि - Magistr's (Master Degree)
3. अधिस्नातक उपाधि - Post Graduate Degree
4. विधा वाचस्पति उपाधि - Ph.D. (Doctor of Philosophy)

1. **स्नातक उपाधि (Bachelor Degree)** यह स्नातक उपाधि विश्वविद्यालयी स्तर की उपाधि होती है जिसकी अध्ययन अवधि 4 वर्ष तक की होती है। विद्यार्थी को इसे नियमित रूप से अध्ययन करके प्राप्त करना होता है। इसके पाठ्यक्रम में 80 प्रतिशत विषयवस्तु राज्य द्वारा निर्धारित की जाती है तथा अन्य 20% प्रतिशत विषयवस्तु विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की जाती है। इसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ ही विशिष्ट पाठ्यक्रम में, मानविकी, सामाजिक, आर्थिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण, सम्मिलित किए जाते हैं तथा शोध प्रोजेक्ट व पत्र तथा वार्षिक परीक्षा आयोजित की जाती है। स्नातक उपाधि सभी विषयों के क्षेत्रों में प्रदान की जाती।

2. **मास्टर्स डिग्री (Master's Degree)** और विशिष्ट डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त करने के लिए पहले स्नातक उपाधि प्राप्त करने के लिए पहले स्नातक उपाधि प्राप्त करना अनिवार्य है। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के बाद द्विवर्षीय पूर्णकालिक पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर ही विद्यार्थी को 'मास्टर' की उपाधि प्रदान की जाती है। इस पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को एक साल के शोधकार्य तथा अभ्यास कार्य के साथ-साथ एक लघु शोध (Dissertation) तैयार करना होता है और इस कार्य के पूर्ण करने पर ही उसे इसकी अन्तिम परीक्षा में बैठने दिया जाता है।

3. **अधिस्नातक उपाधि (Post Graduate Degree)** में प्रवेश से पूर्व मास्टर डिग्री अथवा किसी विशिष्ट शाखा (Branch) में डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त करना आवश्यक है। इसके बाद ही कोई विद्यार्थी अधिस्नातक अध्ययन हेतु किसी विश्वविद्यालय अथवा विज्ञान-संस्थान में प्रवेश पा सकता है। इस पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को तीन प्रकार की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करनी पड़ती हैं। प्रथम-विद्यार्थी द्वारा चयनित क्षेत्र में, द्वितीय-उसकी रूचि की किसी विदेशी भाषा में तथा तीसरी- विज्ञान और दर्शन के इतिहास में। इसके साथ ही उसे Peer-Revied जर्नल्स में वैज्ञानिक विधि से स्वयं द्वारा लिखे गए तीन लेख (Articles) प्रकाशित करवाने होते हैं तथा एक लघु शोध (Dissertation) भी

लिखना होता है। यह उपाधि लगभग अमेरिका में दी जाने वाली पी.एच.डी. (Ph.D) की उपाधि के समकक्ष ही होती है।

4. **पीएच.डी Ph.D. Doctorautura (Doctorate**) की अवधि 2-4 वर्ष मानी जाती है। यदि विद्यार्थी अपने द्वारा पूर्व में लिखे गए लघु शोध (Thesis) के महत्वपूर्ण व वैज्ञानिक परिणाम प्राप्त करता है तथा उसे प्रकाशित करवाकर दूसरा शोध कार्य (Thesis) लिखना आरम्भ करता है तो उसे 'डॉक्टर' की उपाधि प्रदान कर दी जाती है। इस उपाधि (Ph.D.) के लिए लिखे गए शोध प्रबन्ध को जनता के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है जहां जनता द्वारा शोध पर प्रश्नोत्तर प्रक्रिया की जाती है। इसके पश्चात् शोधकर्ता को विधिवत् पीएचडी. (Ph.D.) की उपाधि प्रदान की जाती है। प्राय: 10 वर्ष की अवधि में ही कोई विद्यार्थी अपना पीएच.डी (Ph.D.) का शोधकार्य पूर्ण कर पाता है।

डॉक्टर की उपाधि के बाद व्यक्ति सहायक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर तथा वैज्ञानिक संस्थानों में वरिष्ठ शोधकर्ता बन सकता है अथवा वह प्रयोगशाला का प्रमुख या पूर्णकालिक प्रोफेसर भी बन सकता है।

12.5 शिक्षण विधि (Methods of Teaching)

उच्च शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों की शिक्षण विधियाँ सैद्धान्तिक तथा प्रायोगिक दोनों विषयवस्तु के लिए अलग-अलग प्रयुक्त की जाती हैं तथापि सभी संस्थानों में प्राय: समानता लिए होती है जो निम्नानुसार होती है-

1. सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम प्राय: व्याख्यान पद्धति से पढ़ाया जाता है किन्तु उसकी पूर्ति के लिए तथा समझाने की दृष्टि से प्रश्नोत्तर और विचार-विमर्श पद्धति भी काम में ली जाती है।
2. इस पाठ्यक्रम हेतु पुस्तकालय अध्ययन विधि भी प्रयुक्त की जाती है।
3. व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रदर्शन, क्षेत्रीय कार्य, प्रयोगशाला तथा परीक्षण विधियां प्रयुक्त की जाती हैं।
4. विद्यार्थियों के लिए प्रायोगिक अनुभव (Practical Orientation) के लिए कार्यशालाएँ भी आयोजित की जाती हैं।
5. कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में कार्योत्पादन के लिए विद्यार्थियों को कुछ प्रायोजनाएं भी (Project Work) दी जाती हैं जिसे वे स्वयं कार्य करके पूर्ण करते हैं।
6. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अध्ययन हेतु सेमीनार (Seminars) और अधिवेशन (Conferences) भी आयोजित किए जाते हैं।

उच्च शिक्षा में सब जगह अनुदेशन व निर्देश के लिए रूसी भाषा का ही प्रयोग करना होता है। उच्च शिक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक विधियाँ एवं प्रविधियाँ मुख्यत: निम्नलिखित होती हैं:-

उच्च शिक्षा की प्रमुख विधियाँ
Main Methods of Higher Education

1. सामान्य व्याख्यान – (General Lecture)
2. कार्यशाला – (Workshops)
3. प्रयोगशाला कार्य – (Laboratory work)
4. सेमीनार – (Seminars)
5. स्वाध्याय – (Self Studies)
6. प्रदर्शन – (Demonstrations)
7. क्षेत्रीय कार्य – (Field Work)
8. प्रयोग – (Experiments)
9. प्रायोजना – (Project Work)
10. परीक्षण – (Testing)

12.6 मूल्यांकन पद्धति (Evaluation System)

रूस की शिक्षा प्रणाली में विद्यालय तथा विश्वविद्यालय दोनों स्तर पर पांच श्रेणी में (5 Scale) में मूल्यांकन कर अंकों में ग्रेड (Grade) प्रदान की जाती है जो निम्नानुसार होती है-

श्रेणी (Grade)			अंक (Number)
1.	Excellent (उत्तम)	=	5
2.	Good (अच्छा)	=	4
3.	Satisfactory (सन्तोषजनक)	=	3
4.	Unsatisfactory (असन्तोषजनक)	=	2
5.	Failed (अनुत्तीर्ण)	=	1

5 अंक सबसे अच्छे नम्बर होते हैं तथा 2 सबसे निम्नस्तर के होते हैं। 1 अंक होने पर अनुत्तीर्ण माना जाता है। 1 से 10 अंकों में भी ग्रेड दी जा सकती है, इसके साथ ही धन (+) और ऋण (-) के चिह्न भी अंकित करके संख्या या ग्रेड को ज्यादा या कम बताया जाता है। जैसे- "4+", इसका तात्पर्य है अधिक अच्छा, और "3, इसका तात्पर्य है कम सन्तोषजनक। '+' और '-' के चिह्न औपचारिक रजिस्टर में नहीं लिखे जाते हैं, किन्तु अधिकांश अध्यापक अनौपचारिक रजिस्टर में उनका रिकोर्ड रख सकते हैं।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. रूस में शैक्षिक मूल्यांकन प्रणाली क्या है?
2. रूस में उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में अभ्यास कार्य से क्या तात्पर्य है?
3. रूस में उच्च शिक्षा में कितने प्रकार की उपाधियां प्रचलित हैं?

4.	रूस में उच्च शिक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली किन्हीं पांच विधियों के नाम लिखिए।

12.7 उच्च शिक्षा प्रशासन, प्रबन्धन एवं वित्तीय व्यवस्था (Administration Management and Finance of Higher Education)

उच्च शिक्षा प्रशासन (Administration of Higher Education) -

रूस में विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु उच्च शिक्षा संस्थान, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इन सभी संस्थाओं पर राज्य सरकार का पूर्ण नियन्त्रण रहता है तथा इनका व्यय एव अनुरक्षण भी राज्य द्वारा ही किया जाता है। इसमें कुछ सहकारी एवं पब्लिक संगठन भी होते हैं जो अपने संस्थान संचालित करते तथा सहयोग करते हैं।

विश्वविद्यालयों को किसी भी प्रकार की स्वायत्तता नहीं दी जाती है। प्रबन्धन समिति का निर्माण प्रशासकीय कार्यो के क्रियान्वयन के उद्देश्य से किया जाता है। इस कमिटी के सदस्यों में पदानुक्रम से रेक्टर, डीन, छात्र प्रतिनिधि अध्यापक सदस्य होते हैं। शैक्षिक संगठन और प्रशासन राज्य द्वारा लिए गए निर्देशानुसार कार्य करते हैं। पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक कार्यक्रम में इन्हें किसी भी प्रकार की स्वंत्रता नहीं दी जाती है। इन्हें राज्य के निर्देशों का ही पालना करना होता है। इस प्रबन्धन समिति की पदानुक्रम संरचना को निम्नानुसार समझा जा सकता है-

प्रबन्धन समिति

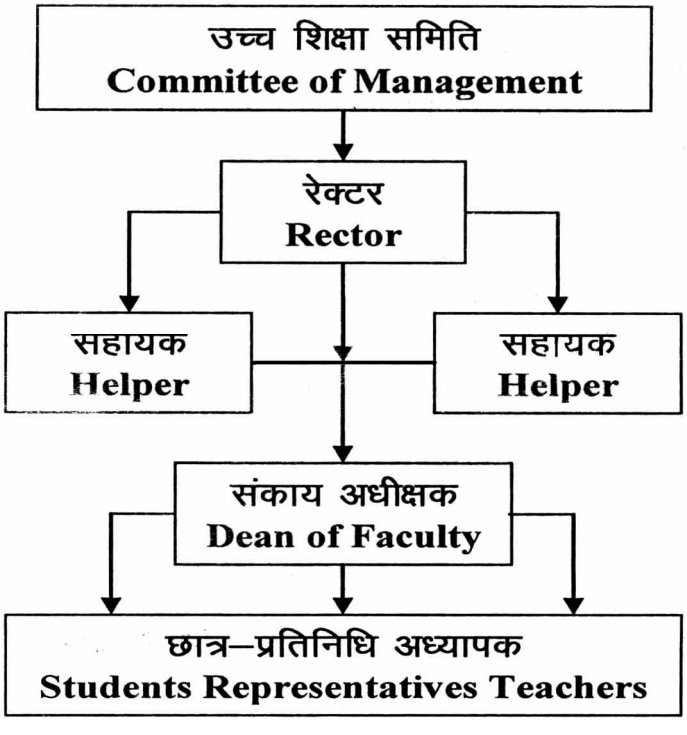

रेक्टर (Rector) - रेक्टर विश्वविद्यालय का प्रमुख प्रशासन अधिकारी होता है तथा उसके दो सहायक (Assistants) होते हैं, जिनमें से एक शिक्षा कार्यक्रमों की व्यवस्था करता है तथा दूसरा वित्तीय व्यवस्था तथा प्रशासन में सहायता करता है। रेक्टर को अध्यक्ष भी कह सकते हैं।

संकाय अधीक्षक (Dean of Faculty) - विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों के संकाय (faculty) होते हैं तथा जिनके अध्यक्ष डीन (Dean) कहलाते हैं। 4 से 9 संकायों को मिलाकर उन पर एक प्रशासक डीन (Dean) नियुक्त किया जाता है।

विद्यार्थियों के निर्वाचित प्रतिनिधि प्राध्यापक (Professors) - विभिन्न विषयों के प्राध्यापक जो अपने विषयों का शिक्षण करते हैं तथा अनुसंधान कार्य के लिए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं।

विभिन्न विभाग (Various Departments) - इन उच्च शिक्षा संस्थानों में विभिन्न विषयों के अनुसार प्रत्येक विषय के अपने विभाग होते हैं जो साम्यवादी दर्शन, सामाजिक एवं आर्थिक प्रशिक्षण तथा औद्योगिक अभ्यास देने के साथ-साथ सम्बन्धित विषयों का ज्ञान देते हैं। इन सभी विषयों के प्रशिक्षण के लिए विशिष्ट विश्वविद्यालय होते हैं, जो अपने-अपने विषय में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

उच्च शिक्षा प्रबन्धन (Management of Higher Education) - विश्वविद्यालय प्रणाली में विभिन्न विभागों में व्यावसायिक चुनाव की व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है तथा इसमें रेक्टर (Rector) की प्रमुख भूमिका रहती है। रेक्टर, डीन, प्राध्यापक, विद्यार्थी आदि के सहयोग से प्रबन्धन करता है। व्यवस्था में राज्य निर्देशन से पाठ्यक्रमों का विकास किया जाता है तथा उनका संचालन करवाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की शैक्षिक स्वायतता नहीं होती। विश्वविद्यालयों को शैक्षिक कार्यक्रमों तथा पाठ्यक्रम के प्रारूप के लिए सरकार के निर्देशों का पालन करना होता है।

विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने वाले संस्थान शिक्षा सचिवालय (Commissionarate of Education) द्वारा नियन्त्रित होते हैं तथा उच्च तकनीकी शिक्षा (Higher Technical Education) देने वाले संस्थान उच्च तकनीकी शिक्षा समिति (Union Committee for Higher Technical Education) द्वारा नियन्त्रित किए जाते हैं। 1946 ई. से पूर्व उच्च शिक्षा, मंत्रालय द्वारा नियन्त्रित की जाती थी और उच्च शिक्षा संस्थानों में विभिन्न प्रकार के श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जाता था किन्तु इस प्रक्रिया में कुछ कठिनाई आने के कारण उच्च शिक्षा समिति ने अपने नियन्त्रण में इन संस्थानों की कार्य प्रणाली में परिवर्तन किया। बाद में यही उच्च शिक्षा समिति, उच्च शिक्षा मंत्रालय में परिवर्तित हो गई। इसके पश्चात् 1953 ई. में उच्च शिक्षा मंत्रालय का सम्बन्ध संस्कृति मंत्रालय (Ministry of Culture) के साथ जोड़ दिया गया।

यद्यपि 1990 के विघटन के पश्चात् देश की प्रशासनिक व्यवस्था में निरन्तर सुधार व प्रगति हुई है तथापि अभी भी उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा संक्रमण काल से गुजर रही है। उच्च शिक्षा में अभी भी निरन्तर सुधार जा रहा है तथा उसका अधिकाधिक विकेन्द्रीकरण किया जा

रहा है। इस प्रशासनिक प्रक्रिया के अन्तर्गत नया वित्तीय तंत्र तैयार किया जा रहा है तथा शिक्षक और छात्रों को सुविधाएँ तथा शैक्षिक स्वतंत्रता दी जा रही है।

प्रवेश प्रणाली (Admission System)- किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेने के लिए रूस में प्रवेश परीक्षा होती है। 17 से 35 वर्ष तक के सभी युवा जो उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाना चाहते हैं, वे माध्यमिक शिक्षा पूरी कर लेने पर एक प्रवेश परीक्षा (Entrance Examination) में बैठते हैं। इस प्रकार उच्च शिक्षा में प्रवेशार्थ निम्नांकित तीन बातों का होना अनिवार्य होता है-

1. माध्यमिक विद्यालय का प्रमाण-पत्र
2. सन्तोषप्रद परिणाम
3. माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा में डिप्लोमा

यह प्रवेश परीक्षा व्यवसाय आधारित होती है। जो छात्र जिस व्यवसाय में जाना चाहते हैं और उसमें उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रवेश परीक्षा भी उसी व्यवसाय से सम्बन्धित होती है। प्राय: अन्य देशों में उच्च शिक्षा की समाप्ति पर विद्यार्थी व्यवसाय चयन करते हैं तथा उससे सम्बन्धित प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं किन्तु रूस की सरकार इस प्रकार के चयन को प्रोत्साहन नहीं देती है क्योंकि इससे शिक्षा की दिशा निर्धारित नहीं होती है। वहां की सरकार ने जबकि उस व्यवसाय के विशिष्ट क्षेत्र (Specialization Area) की चयन पद्धति को भी महत्व देते हुए प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था की है।

साहित्य वर्ग के प्रवेशार्थी रूसी भाषा, जर्मन, या फ्रैंच, भूगोल तथा अंग्रेजी में परीक्षा देते हैं। उच्च तकनीकी शिक्षा में प्रवेश चाहने वाले गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, रूसी भाषा व साहित्य तथा किसी एक विदेशी भाषा में प्रवेश परीक्षा देते हैं। प्रवेश परीक्षा लिखित तथा मौखिक दोनों प्रकार की होती है। जो विद्यार्थी माध्यमिक परीक्षा के परिणामस्वरूप स्वर्ण पदक या रजत पदक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें इस प्रवेश परीक्षा से मुक्त कर दिया जाता है तथा उन्हें उच्च शिक्षा संस्थानों में सीधे प्रवेश मिल जाता है।

शिक्षा सत्र एवं अवधि (Academic Session and Duration)

शिक्षा सत्र- रूस में पूरा शिक्षा-सत्र दो भागों में चलाया जाता है। प्रथम 1 सितम्बर से 23 जनवरी तक चलता है और इसके पश्चात् दो सप्ताह का शीतकालीन अवकाश रहता है। द्वितीय सत्र 7 फरवरी से जुलाई तक चलता है और उसके बाद दो माह का अवकाश रहता है। प्रत्येक सत्र के पश्चात् एक बाह्य परीक्षा होती है। इसमें उत्तीर्ण होने पर विद्यार्थी को द्वितीय सत्र के पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है। प्रत्येक छात्र को प्रयोगात्मक कार्य में नियमित रहना पड़ता है और अनियमित होने पर अगले पाठ्यक्रम के अध्ययन की अनुमति नहीं दी जाती है।

अवधि- रूस की उच्च शिक्षा के अध्ययन का विस्तार 4 से 6 वर्ष तक का होता है विभिन्न प्रकार के प्रत्येक पाठ्यक्रम की अवधि भिन्न होती है-

चिकित्सा पाठ्यक्रम (Medical Course) - 6 वर्ष

कृषि पाठ्यक्रम (Agriculture Course) - 4 वर्ष

उच्च तकनीकी पाठ्यक्रम (High Technology Course) - 5 वर्ष

रूस की शैक्षिक उपाधि (Degree) वैश्विक स्तर मान्यता प्राप्त है। यहां 48 मेडिकल कॉलेज हैं तथा इसी प्रकार अन्य संकायों के प्रतिष्ठित संस्थान हैं जिनमें मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी अत्यधिक लोकप्रिय व प्रतिष्ठित है। विदेशों के कई छात्र रूस की इस यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु प्रयास करते हैं

विदेशी छात्रों के लिए प्रवेश पद्धति (Methods of Entrance for Foreign Students)- रूस में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्य देशों के विद्यार्थियों के लिए निम्नांकित नियम निर्धारित किए गए हैं। उन्हें इन नियमों का पालन करने पर ही उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययन हेतु प्रवेश दिया जाता है तथा विदेशी छात्र वह होता है जिसे रूस में नागरिकता प्राप्त नहीं हो।

प्रवेश नियम (Entrance Rules)

1. विदेशी छात्र माध्यमिक शिक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. उसको उच्च शिक्षा के किसी पाठ्यक्रम को आरम्भ करने से पहले 1 साल रूसी भाषा सीखना आवश्यक है।
3. उसके पास वीजा होना आवश्यक है।
4. उसकी आयु 28 वर्ष से अधिक न हो।
5. यदि वह प्रि-यूनिवर्सिटी (माध्यमिक) में कमजोर रहा है तो उसे एक साल का पूर्व अकादमिक (Academic) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करना पड़ता है।
6. प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है।
7. यदि डाक्टरेट करना चाहता है तो उसकी आयु 35 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए।
8. उसकी वित्तीय ग्यारन्टी होनी चाहिए।
9. उसे अपने पाठ्यक्रम से सम्बन्धित व्यक्तिगत संस्था में प्रार्थना पत्र देना होता है।
10. वह प्रार्थना पत्र रूस के शिक्षा मंत्रालय में दिखाकर वहां से मान्य होने व अनुमोदित करवाने के बाद जमा करवाना होता है।
11. गैर विश्वविद्यालय संस्थानों में प्रवेश पत्र जमा कराने की अन्तिम तिथि 15 जुलाई होती है किन्तु अन्य विश्वविद्यालयों की तिथि 1 अप्रैल होती है।
12. यदि कोई विदेशी छात्र घर बैठकर पढ़ना चाहता है तो उसे भी रूसी शिक्षा मंत्रालय में प्रवेश पत्र भेजना होता है।
13. रूस में गैर मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान भी डिप्लोमा प्रदान करते हैं किन्तु उन डिप्लोमा को सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है।

वित्तीय व्यवस्था एवं शुल्क (Financial Management and Fees)- रूस में राज्य द्वारा शिक्षा और संस्कृति के लिए वृहत् स्तर और बड़ी संख्या में वित्तीय सहयोग दिया जाता है। प्रथम दृष्टया शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था के लिए राज्य सरकार ही उत्तरदायी होती है। राष्ट्रीय योजना निर्माताओं द्वारा शिक्षा पर होने वाले व्यय पर विशेष महत्व दिया जाता है। गणराज्य के बजट में 33 से 40 प्रतिशत शिक्षा के नाम पर निर्धारित किया जाता है तथा उच्च शिक्षा में भी इसी अनुपात पर व्यय किया जाता है।

सोवियत संघ काल में सभी प्रकार की शिक्षा पूर्णत: निःशुल्क थी तथा शिक्षा पर होने वाले समस्त व्यय का भार सरकार द्वारा वहन किया जाता था किन्तु 1992 में विकेन्द्रीकरण के पश्चात् शिक्षा पर होने वाला व्यय अत्यधिक हो जाने पर उच्च शिक्षण संस्थानों ने छात्रों की छात्रवृत्तियां, शुल्क, शिक्षकों का वेतन, रख-रखाव तथा अन्य सुविधाओं के व्यय का भार उठाने तथा उन्हें उपलब्ध कराने में स्वयं को असमर्थ पाया। इसके परिणामस्वरूप बहुत से राज्यीय संस्थान ने खुले रूप में अपनी व्यवसायिक स्थिति के मुद्दों को अभिव्यक्त करने लगे। सन् 2004 में उच्च शिक्षा में अध्ययन करने वाले प्रथम वर्षीय 35% छात्रों ने अपने खर्च से राज्य की संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त की तथा 2004 प्रति छात्रों ने निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लिया। पहले सभी प्रकार की संस्थाओं को वित्तीय सहयोग सरकार से मिलता था किन्तु वर्तमान समय में उच्च शिक्षा संस्थानों में सरकार द्वारा भी खर्च किया जा रहा है तथा विद्यार्थी स्वयं अपने खर्च से शुल्क (Fee) जमा करके अध्ययन कर रहे हैं। निजी तथा सरकारी दोनों प्रकार के उच्च शिक्षा संस्थानों में फीस लेकर शिक्षा प्रदान की जा रही हैं।

उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति एवं वृत्तिका (Scholership and Stipends in Higher Education)- प्रगतिशील और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्ति में छात्रवृतियाँ दी जाती है। ये छात्रवृत्तियां शिक्षा निदेशक (Director of Education) द्वारा निर्धारित की जाती है। सर्वोत्तम समूह के छात्र को सामान्य छात्रवृति के अतिरिक्त विशेष आर्थिक अनुदान (Stipends) भी दिया जाता है। यह वृत्तिका (Stipends) सामान्यत: 500 से 800 रूबल दिया जाता है। इससे छात्र निश्चित होकर अपना अध्ययन कार्य कर सकता है। छात्रवृति का निर्धारण शिक्षा के प्रकार और शिक्षा, ये सब वर्ष के बजट पर निर्भर करते हैं। जो छात्र शोधकार्य और विशिष्ट योग्यता के लिए छात्रवृति पाते हैं। उन्हें ये छात्रवृत्तियां किसी राजनेता या वैज्ञानिक के नाम पर मिलती है। अपंग सैनिकों के बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु सरकार कोई शुल्क नहीं लेती तथा सभी छात्रों को आवास व चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त होती हैं।

12.8 पत्राचार पाठ्यक्रम (Correspondence Courses)

रूस में सेवारत कर्मचारियों तथा अन्य दूरस्थ एवं व्यस्त विद्यार्थियों के लिए पिछले 40 वर्षो से पत्राचार पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। 1991 में रूस में लगभग 100 से भी अधिक पत्राचार पाठ्यक्रम केन्द्र प्रचलित थे। इन पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रवेश, पाठ्यक्रम, परीक्षा पद्धति आदि कार्य से सम्बन्धित नियम, नियमित छात्रों पर लागू होने वाले नियमों जैसे ही होते हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उन्हें भी नियमित छात्रों के समान ही मानद-उपाधि प्रदान की जाती है तथा शिक्षा प्रणाली में नियमित और पत्राचार द्वारा पढने वाले छात्र-छात्राओं की मान्यता में कोई भेदभाव नहीं रखा जाता है।

12.9 पुस्तकालय व्यवस्था (Facility of Library)

रूस की पुस्तकालय व्यवस्था अन्य देशों की तुलना में विद्यार्थियों की सुविधा की दृष्टि से अग्रणी मानी जाती है। पुस्तकालयी व्यवस्था यहां पूर्णत: निःशुल्क होती है, कोई भी विद्यार्थी किसी भी पुस्तकालय में प्रविष्ट होकर अध्ययन कर सकता है तथा सन्दर्भ साहित्य का लाभ

उठा सकता है। मॉस्को विश्वविद्यालय के पुस्तकालय संसार में अपनी सम्पन्नता के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। रूसी पुस्तकालय निम्नांकित सुविधायुक्त होते हैं-

1. पुस्तकालय, विविध पाठ्यक्रम की पठन सामग्री (Study Material) एवं पाठ्य-पुस्तकों से पूर्ण होते हैं।
2. पुस्तकालय की शाखाएं (Branches of Library) प्रत्येक विषय के संकाय में स्थापित होती है, जिससे सम्बन्धित डीन प्रोफेसर और छात्रों को अपनी पुस्तकें वहीं सुलभ हो जाती है और यदि उपलब्ध नहीं होती है तो तत्काल उसकी व्यवस्था कर दी जाती है।
3. प्रोफेसर एवं वरिष्ठ छात्रों के लिए अध्ययन एवं शोधकार्य संबंधी सहयोगी पुस्तकों पुस्तकालय में सुलभ हो जाती है और यदि उपलब्ध नहीं होती है तो तत्काल उसकी व्यवस्था कर दी जाती है।
4. प्रत्येक संकाय के विविध विभागों के लिए भी सन्दर्भ पुस्तकें पुस्तकालय में उपलब्ध रहती हैं।
5. वर्तमान समय में रूस के सभी पुस्तकालय कम्प्यूटरीकृत हो जाने से विद्यार्थियों को अधिकांश विषयी सामग्री इन्टरनेट से तथा ऑनलाईन भी प्राप्त हो जाती है।
6. उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी प्राय: ई-लाइब्रेरी (E-Library) का उपयोग करते हैं तथा अपने क्षेत्र की नवीनतम जानकारी प्राप्त करते हैं।

12.10 स्त्री शिक्षा (Women Education)

रूस में स्त्री शिक्षा की स्थिति भारत की अपेक्षा बहुत अच्छी है और वहाँ लगभग 81% प्रतिशत महिलाएं शिक्षित होती हैं। आरम्भ से ही रूस की सरकार का यह प्रयास रहा है कि राष्ट्रीय विकास एवं उन्नति में देश के स्त्री और पुरुष बराबर की भागीदारी निभाएँ, इसीलिए बालक या बालिका दोनों के 7 वर्ष के होने पर शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। यद्यपि देश में उच्च पदों पर महिलाओं की संख्या कम है तथापि अन्य क्षेत्रों में शिक्षित महिला कर्मचारियों की संख्या कम नहीं है। वे पुरुषों के साथ काम करती हैं तथा शिक्षा भी ग्रहण करती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लड़कियों के लिए सह शिक्षा में व्यवधान उपस्थित हुआ किन्तु 1991 में विकेन्द्रीकरण तथा आधुनिकीकरण में पुन: सह शिक्षा को बढ़ावा मिला है। परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा के प्रति महिला विद्यार्थियों का रूझान बढ़ा है। वर्तमान समय में देश में शिक्षित महिलाओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में पूर्ण योगदान दिया जा रहा है।

रूस में विभिन्न कार्यस्थलों पर महिलाओं की स्थिति- रूस में नौकरी पर नियुक्त कुल जनसंख्या के 46.9% प्रतिशत पदों पर महिलाएँ नियुक्त हैं। लोक स्वास्थ्य सेवा में सबसे अधिक 85% महिलाएं ही कार्यरत हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 81% प्रति महिलाएं नियुक्त हैं तथा आर्थिक एवं वित्तीय मामलों में 78% प्रतिशत, सूचना एवं लेखांकन सेवाओं में 75% तथा शेयर में आंशिक सहभागिता के साथ 22% प्रतिशत महिलाएँ कारखानों (Industries) में कार्यरत हैं।

वर्तमान समय में 1992 से 2000 के मध्य उच्च शिक्षा में पुरुषों की अपेक्षा महिला विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है। पुरुष छात्रों की 327,000 अर्थात् 25% प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि महिला छात्राओं की 763, 000 अर्थात् 50% प्रतिशत वृद्धि हुई है।

12.11 उच्च शिक्षा की समस्याएँ (The Problems of Higher Education)

रूस में विकेन्द्रीकरण के पश्चात् लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता के परिणाम स्वरूप शिक्षा की पुनर्संरचना में जो कठिनाई अनुभव हुई उससे यह देश आज भी पूर्णत: मुक्त नहीं हो पाया है। वर्षा तक कम्युनिस्ट पार्टी के एक छत्र शासन एवं नियन्त्रण से जहां देश ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक पहचान बनाई थी वहीं आर्थिक एवं वैश्विक मूल्यों के प्रभाव से विघटित यह देश कई गणराज्यों में विभक्त हो गया। यद्यपि शिक्षा की अधिकांश नीतियां यथावत सोवियत संघ की नीतियां ही रखी गई तथापि राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों में तीव्रगति से होने वाले परिवर्तन से शिक्षा भी प्रभावित हुई। विद्यालयी शिक्षा में यद्यपि इतनी समस्याएं सामने नहीं आई किन्तु युवाओं की विकसित समझ के समक्ष शैक्षिक व्यवस्था में अनुकूल परिवर्तन हेतु वहां का प्रशासन आज भी प्रयत्नशील है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान समय में जो समस्याएं प्रतीत होती हैं उन्हें निम्नानुसार समझा जा सकता है।

उच्च शिक्षा की समस्याएँ (Problems of Higher Education)

1. अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक समुदाय में अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आदान-प्रदान बढ़ाने में रूस में शिक्षा का एकीकरण एक समस्या है, अत: इस दिशा में इस देश को अन्य देशों के साथ शैक्षिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है।
2. अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक सेवाओं को देखते हुए रूस की शैक्षिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है।
3. रूस की शैक्षिक क्षमता का पर्याप्त उपयोग नहीं हो पा रहा है, अत: उसका उचित व प्रभावी उपयोग करने की आवश्यकता है।
4. शिक्षा में केन्द्रीकरण की प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाती, अत: इस सन्दर्भ में संशोधन की आवश्यकता है।
5. विद्यार्थियों को विषय चयन की सुविधा नहीं होने से उनकी वैयक्तिक विभिन्नता का विकास नहीं हो पाता; अत: अध्ययन में स्वतन्त्रा दी जानी चाहिए।
6. रूस में समस्त विषयवस्तु रूसी भाषा में अनुदित होने से विद्यार्थियों के लिए उनके अध्ययन काल में दी गई यह सुविधा उन्हें अन्य विदेशी भाषाओं के सीखने की इच्छा को कम करती है। विषयवस्तु पाठ्यक्रम संबंधी होने से, वे अन्य भाषा में निहित अतिरिक्त विषयवस्तु से अनभिज्ञ रह जाते हैं क्योंकि उच्च शिक्षा में अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं में निहित साहित्य छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करने में सहायक होता है।

7. उच्च शिक्षा की मुख्य समस्या यह है कि राज्य उच्च संस्थाओं को किसी भी प्रकार की स्वायतता प्रदान नहीं करता है। इन संस्थाओं को किसी भी नए पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है।
8. उच्च स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन के विदेशी भाषाओं में अध्ययन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है।

12.12 सतत् शिक्षा (Continuing Education in Russia)

पूरे देश को शिक्षित करने और देश को समृद्ध बनाने के लिए जहाँ रूस ने अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की नीति बनाई वहीं जो लोग निरक्षर-प्रौढ़ थे, उन पर भी विशेष ध्यान दिया गया और प्रौढ़ों को शीघ्रातिशीघ्र शिक्षित करने (साक्षर करने) के लिए रूस की सरकार ने कई कार्य किए। इनमें लैनिगगार्ड द्वारा प्रौढ़ों के लिए सामान्य शिक्षा-संस्थान की स्थापना प्रमुख है तथा रूस के अन्तर्गत शोध-कार्य करने वाले छात्रों को भी इस शिक्षा के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक विकास के दोनों कार्यों में लगा दिया गया। इसे ही सतत् शिक्षा भी कहा जाता है।

यह सतत् शिक्षा इससे पूर्व समृद्धशाली तथा वैज्ञानिक वर्गों को ही उपलब्ध होती थी। वर्तमान युग में सतत् शिक्षा का उपयोग करने के लिए सबको अवसर दिए जाते हैं। वस्तुतः यह शिक्षा मुख्य रूप से प्रौढ़ लोगों के लिए ही है।

सतत् शिक्षा प्रणाली के लक्षण (The Aims of Continuing Education)

सतत् शिक्षा के मुख्य लक्षण निम्नानुसार हैं-

1. सतत् शिक्षा प्रणाली का मुख्य लक्षण- जो सामान्य शिक्षा की कमियों को पूरा करती है।
2. जो सतत् अभिवृद्धि, राजनैतिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक आचरणों एवं मूल्यों के अनुकूल करती है।
3. जो बिना किसी बाधा के व्यक्ति की सर्जनात्मक योग्यताओं का विकास करती है।

रूस की सतत् शिक्षा प्रणाली में पूर्णकालिक, अंशकालिक तथा पत्राचार शिक्षा को सम्मिलित किया गया है। यह व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में की जाती है। इसके अतिरिक्त अधिस्नातक महाविद्यालय, उच्च प्रशिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों में सतत् शिक्षा की व्यवस्था की जाती है।

सतत् शिक्षा प्रणाली का सम्बन्ध उपर्युक्त संस्थाओं की व्यवस्था से सामंजस्य करना ही नहीं है, अपितु व्यक्तियों की आवश्यकताओं और सुविधाओं के आधार पर व्यवस्था करना भी होता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने ढंग से उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है। व्यक्ति के पूर्व ज्ञान और योग्यताओं का भी पूरा ध्यान रखा जाता है।

सतत् शिक्षा की प्रक्रिया (Process of Continuing Education)

सतत् शिक्षा प्रदान करने के लिए रूस में निम्नांकित प्रक्रिया की जाती है-

1. सतत् शिक्षा के लिए सामान्य व्यक्तियों हेतु अधिगम प्रक्रिया की आवश्यकता तथा मानवीय क्रियाओं की पहचान की जाती है।

2. इसके अन्तर्गत जीवन की विभिन्न अवस्थाओं की आवश्यकताओं का निरन्तर ऐसा ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिससे प्रत्येक अवस्था के लिए अद्यतन (Update) ज्ञान हो सके।
3. पूर्व अवस्थाओं के ज्ञान और कौशलों का शिक्षार्थी द्वारा समुचित उपयोग किया जाता है।
4. उनकी प्रतिभाओं तथा सांस्कृतिक स्तर का विकास करवाया जाता है।
5. रूस के संविधान के अनुरूप रूस के नागरिकों से अधिकार एवं कर्त्तव्यों का समुचित उपयोग करवाया जाता है।

उपर्युक्त आधारभूत प्रक्रिया के साथ ही रूस की सरकार ने कई वर्षों से प्रौढ़ों को शिक्षित करने के लिए चलने-फिरने वाले पुस्तकालय, संग्रहालय, सिनेमा हॉल, क्लब, प्रदर्शनी, विद्यालय आदि की व्यवस्था की है, जहाँ उन्हें पाठ्य सामग्री उपलब्ध हो सके। इस प्रकार यह सतत् (अनवरत) शिक्षा प्रौढ़ों को भी शिक्षा की मुख्य धारा में समायोजित करने का प्रयास करती है।

12.13 शोध कार्य (Research Work)

रूस में शैक्षिक शोधकार्य के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित शोध संस्थान कार्यरत हैं, जिनमें शिक्षा के सभी स्तरों पर शोधकार्य सम्बन्धी प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था की जाती है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक शोध संस्थान भी हैं जहाँ देश के श्रेष्ठतम वैज्ञानिक शोधकार्य में संलग्न रहते हैं। अन्तरिक्ष विज्ञान के अध्ययन में आरम्भ से ही रूस की रूचि रही है और इस देश ने इस दिशा में विशेष शोधकार्यो से पूरे विश्व का मार्गदर्शन भी किया है। शैक्षिक शोधकार्य में भी रूस में गुणात्मकता का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है। वर्तमान में वहाँ शैक्षिक शोधकार्य के लिए मुख्य रूप से निम्नांकित शोध संस्थान कार्यरत हैं:-

1. रूसी अकादमी
2. शिक्षा मंत्रालय के अधीन शोध संस्थान
3. शिक्षण शास्त्र की शिक्षा शोध संस्थाएं

उपर्युक्त शोध संस्थानों द्वारा शिक्षा के सुधार और विकास के लिए परिणाम प्राप्त करना ही शैक्षिक शोध का उद्देश्य है।

शोधकार्य में कार्य की स्थिति निम्नांकित रूप से की जाती है:-

1. विद्यालय के अध्यापक प्रायोगिक व वैज्ञानिक शोध और विकास में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।
2. शिक्षा मंत्रालय इस बात का विशेष ध्यान रखते हें कि शोधकार्य से प्राप्त निष्कर्ष एवं निहितार्थ से शिक्षण संस्थानों को पूर्ण सहयोग मिले।
3. शोध से प्राप्त निष्कर्ष एवं सुझावों का उपयोग शिक्षा की विषय-वस्तु के विस्तार तथा शैक्षिक नवाचार में किया जाता है।
4. मानवीय विषयों पर शोधकार्य करवाया जाता है।

5. विभिन्न क्षेत्रों एवं विभिन्न नवाचारों पर किए गए शोध के निष्कर्षो के क्रियान्वयन में शिक्षण संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा भी करवाई जाती है जिससे सम्बन्धित संस्थान तुलनात्मक दृष्टि से गुणात्मक कार्य करता है।

उच्च शिक्षा में शोधकार्य के क्षेत्र (The Areas of Research work in Higher Education)

रूस में उच्च शिक्षा में शोध कार्य हेतु जिन शोध संस्थानों की स्थापना की गई है या जिन केन्द्रों पर शोध कार्य किया जाता है, उनमें प्राय: निम्नांकित क्षेत्रों में शोध कार्य किया जाता है-

1. मानविकी अध्ययन
2. आधारभूत विषय
3. मानविकी विज्ञान तथा उसकी गतिविधियों की व्यावहारिक समस्याएँ
4. विश्वविद्यालयी समस्याएँ
5. शिक्षा के नये कार्यक्रम का विस्तार
6. नए विचारों पर प्रयोगात्मक शोध
7. तकनीकी विषय
8. युवाओं की शैक्षिक समस्याएँ

रूस शैक्षिक क्षेत्र के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी वैश्विक स्तर पर शोध कार्यों में नेतृत्व की क्षमता रखता है। इस स्तर के शोध कार्य हेतु राष्ट्रीय स्तर के कुछ प्रतिष्ठित शोध-केन्द्र निम्नस्थ हैं, जहाँ भौतिक, अन्तरिक्ष, परमाणु कम्प्यूटर, जीवविज्ञान तथा अन्य कठिनतम विषयों से सम्बन्धित शोधकार्य सम्पन्न किए जाते हैं।

राष्ट्रीय स्तर के शोध केन्द्र-

- Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics
- Institute of Mechanics
- Stremberg Astronomical Institute
- A.N. Belozersky Institute of Physico-Chemical Biology
- Research Cmputing Center
- N.N. Bogoliubov Institute for Theoretical Problems of Microhysics
- White Sea Bioloical Station

25 जनवरी 1755 में स्थापित रूस की मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी (Morcow State University) के वर्तमान रेक्टर (Rector) विक्टर सेडोविन्ची के नेतृत्व में विभिन्न विषयों के 29 संकायों (Faculies) में 15,000 शिक्षक कार्य कर रहे हैं तथा 40000 स्नातक एवं 7000 अधिस्नातक (Undergraduate and pastgraduate) विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय के 15 शोध केन्द्र हैं जहाँ विभिन्न संकायों में किए गए शोधकार्य न केवल रूस

के विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्याओं का निदान करते हैं अपितु विश्व स्तर पर भी मार्गदर्शन करते हैं। शोधकार्य हेतु विश्वप्रसिद्ध मॉस्को यूनिवर्सिटी में विज्ञान के क्षेत्र में किए जाने वाले शोध के मुख्य विषय निम्नानुसार हैं-

- Education and the well-educated person of the 21st century
- The problems of ecology, sustainable development and world culture
- Russia and the globalization of human development
- Regularities and dynamics of social processes
- Youth as the strategic resource of the nation
- Russian culture in the world context
- Social and economic relations in transitional periods
- The state and priorities of Russian legislation
- The dynamics of psychology of the individual, the group and the community in a changing society.
- Modern advertising: trends and peculiarities of development in Russia

12.14उच्च शिक्षा में गुणात्मकता हेतु बोलोगना घोषणा (Bologma Declaration in Higher Education for Quality)

बोलोगना (Bologna) प्रक्रिया, उच्च शिक्षा में गुणात्मकता लाने वाली एक प्रक्रिया का नाम है। इसकी संरचना बोलोगना में निर्धारित की गई थी इसीलिए इसे इसी नाम से जाना जाता है। इसका आरम्भ उच्च शिक्षा में यूरोपीय देशों को गुणवत्ता के लिए प्रतिबद्धता हेतु आश्वस्त करने के लिए किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सन् 2010 तक यूरोपीय देशों की उच्च शिक्षा में पारदर्शिता लाना तथा उसका विस्तार करना है। इसमें विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम चयन की विस्तृत एवं पारदर्शी प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। साथ ही यूरोपीयन उच्च शिक्षा को अधिक उच्चतम, सक्षम एवं प्रतिस्पर्धात्मक रूप निम्नांकित प्रदान किया जाता है। इसमें 47 देश सम्मिलित हैं।

बोलोगना प्रक्रिया की निम्नांकित तीन प्राथमिकताएँ हैं जिनका सभी देश ध्यान रखते हैं।

1. स्नातक, अधिस्नातक एवं डॉक्टरेट इन तीनों की चक्रवत प्रणाली का परिचय (Introduction of three cycle system of UG, PG and Ph.D.)
2. योग्यता का बोध एवं गुणात्मकता की प्रतिबद्धता (Quality Assurance and Recognition of Qualifications)
3. अध्ययन-अवधि (Periods Studies)

रूस में ही नहीं अपितु पूरे आप में उच्च शिक्षा के आदान-प्रदान तथा उसकी गुणात्मकता के लिए 19 जून, 1999 को बोलोगना (Bologna) में यूरोपीय शिक्षा मंत्रियों द्वारा बोलगना घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। जिसके प्रमुख सिद्धान्त निम्नानुसार रखे गए-

1. उच्च शिक्षा का एक मिली-जुली प्रणाली बनाई जाए जिससे यूरोप के हर देश की डिग्री एक समान हो।
2. जिसके अन्तर्गत स्नातक से नीचे तथा स्नातक (undergraduate/graduate) डिग्री ही हो।
3. जिसमें छात्रों और अध्यापकों के लिए एक-दूसरे देश में आवागमन पर रोक न लगाई जाए।
4. उच्च शिक्षा में गुणात्मकता बढ़ाने के लिए आपसी सहयोग को बढ़ावा मिले।

उपर्युक्त सिद्धान्तों को आधार बनाकर यूरोपीय देशों ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक भावी योजना बनाई जिसके मुख्य सुझाव निम्नानुसार थे-

1. सारे यूरोप में उच्च शिक्षा का एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाए जो यूरोपीयन नागरिकों की जीवन शैली के नजदीक हो।
2. उसमें यूरोप के विद्यार्थी आसानी से यूरोप के एक-दूसरे देशों में जा सके तथा उन्हें शैक्षिक रूप से मान्यता मिल सके।
3. छात्रों का अधिगम अनुभव (Learning Experience) परिवर्तित श्रम की मांग के परिवर्तन के अनुरूप ढल सके या निर्मित हो सके।
4. छात्रों को उच्च शिक्षा की प्रतिस्पर्धात्मकता में मान्यता मिल सके।

उपर्युक्त बोलोगना घोषणा-पत्र के आधार पर रूस ने अपनी उच्च शिक्षा में विशेष प्रगति की तथा अभी भी यूरोपीय देशों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में लगातार वृद्धि की जा रही है। इसी दिशा में मई 2005 में मॉस्को में यूरोपीय देशों की एक शीर्ष बैठक हुई जिसमें शोध, शिक्षा और संस्कृति के कॉमन प्रोग्राम का मानचित्र तैयार किया गया। इस कार्य गोष्ठी के उद्देश्य निम्नानुसार थे-

1. अनौपचारी शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना।
2. जीवन कौशल की शिक्षा प्रदान करना।
3. बोलोगना प्रक्रिया के सिद्धान्त के अनुसार यूरोपीयन उच्च शिक्षा के क्षेत्र को यथार्थ स्वरूप प्रदान करना।
4. इस योजना के लिए रूस व दूसरे देशों के विश्वविद्यालयों के बीच सम्पर्क करना।
5. संयुक्त रूप से डिप्लोमा या डबल डिप्लोमा प्रदान करना।
6. संस्था की आन्तरिक गुणात्मकता के मूल्यांकन की समान प्रणाली बनाना।
7. रूस की पाठ्यचर्या की गुणात्मकता की मोनिटरिंग करना।
8. रूस और यूरोप के देशों में राष्ट्रीय स्तर पर संचालित कार्यक्रमों में परस्पर सहभागिता बढ़ाना।

9. यूरोप में रूस की भाषा और विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रम चलाना तथा इसी प्रकार यूरोप के देशों के पाठ्यक्रम व भाषाएँ रूस में पढाना।

उच्च शिक्षा के उपर्युक्त अन्तर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान से विद्यार्थियों में विदेशी शिक्षा के प्रति रूचि उत्पन्न हुई है और रूस में उच्च शिक्षा में गुणात्मकता की वृद्धि भी हुई है। प्रत्येक वर्ष सभी मंत्री प्रगति का मूल्यांकन करने तथा अगले कार्यक्रम प्राथमिकता के आधार पर तय करने हेतु बैठक करते हैं। सम्भावित बैठक सन 2009 में Leuren/Louvain-La-Neuve में रखी गई है जिसमें सम्मिलित होने वाले सदस्य देशों के नाम निम्नानुसार हैं:-

आस्ट्रिया, अजरबेजान, अल्बेनिया, अनेबोरा अर्मेनिया, आइसलैण्ड, स्पेन, इटली, रोमानिया, साइबेरिया, स्लोवक रिपब्लिक, बेल्जियम, बोस्निया, हरजेयोविना, होलीसी, ब्रिटेन, हंग्री, ग्रीस, ज्योर्जिया, डेनमार्क, आयरलैण्ड, साइप्रस, लेटविया, लिट्वा, लग्जम्बर्ग, मैकेडोनिया, माल्टा, मोल्डोवा, नीदरलैण्ड, नोर्वे, पोलैण्ड, पोर्तुगाल, रूस, स्लोवेनिया, तुर्की, उक्रेन, फिनलैण्ड, फ्रांस, क्रोएटिया, जेक रिपब्लिक, मोनटेनेग्रो, स्वीट्जरलैण्ड, स्वीडन, इस्टोनिया इत्यादि।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. रूस में उच्च शिक्षा की प्रबन्ध समिति की संरचना लिखिए।
2. रूस में उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु किस परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
3. रूस में उच्च शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था क्या है?
4. रूस में उच्च शिक्षा की किन्हीं दो समस्याओं का उल्लेख कीजिए।

12.15 सारांश (Summary)

1. रूस की विश्वविद्यालयी शिक्षा में चार प्रकार की संस्थाएँ विद्यमान हैं जिनमें विद्यार्थी चयनित विषयों का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करके अपने व्यावसायिक भविष्य का निर्माण करते हैं। ये चार प्रकार की संस्थाएँ-विश्वविद्यालय, पोलिटेक्निक्स विशिष्ट संस्थान तथा तकनीकी महाविद्यालय के नाम से जाने जाते हैं। इसके साथ ही फैक्ट्री प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा कृषि शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भी उच्च शिक्षा में कार्यरत है।
2. विश्वविद्यालयी, ये उच्च संस्थाएँ राज्य द्वारा संगठित व संचालित की जाती हैं तथा इन पर राज्य सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता है और इनकी वित्तीय व्यवस्था एवं अनुरक्षण भी राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही कुछ सहकारी एवं पब्लिक संगठन भी होते हैं जो अपने संस्थान स्वयं संचालित करते हैं।
3. प्रशासकीय कार्यो के क्रियान्वयन हेतु प्रबन्ध समिति होती है, जिसका प्रमुख रेक्टर (Rector) कहलाता है जो डीन, अध्यापक एवं विद्यार्थियों के सहयोग से उच्च शिक्षा का प्रबन्धन कार्य करता है।
4. उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करना अनिवार्य है तथा इसके पश्चात् प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही प्रवेश दिया जाता है। विदेशी छात्रों के लिए अलग से नियम बनाए गए हैं।

5. विभिन्न पाठ्यक्रमों की अवधि भिन्न होती है तथा सेवारत, दूरस्थ व व्यस्त विद्यार्थियों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है।
6. रूस की पुस्तकालयी व्यवस्था अन्य देशों की तुलना में समृद्ध एवं सुविधापूर्ण मानी जाती है। विद्यार्थी ई-लाइब्रेरी का उपयोग कर नवीनतम जानकारी प्राप्त करते हैं।
7. रूस में लगभग 81 प्रतिशत महिलाएँ शिक्षित होती हैं तथा पुरुष के बराबर राष्ट्रीय विकास में अपनी भागीदारी निभाती हैं।
8. कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा रूस ने विश्व में जो पहचान बनाई थी वह विकेन्द्रीकरण के पश्चात् वैश्विक मूल्यों के प्रभाव से यद्यपि सिमट गई तथापि अनुकूल परिवर्तन में यह देश प्रयत्नशील है और अपने उच्च शिक्षा के तंत्र को पुन: सुदृढ़ करने में लगा हुआ है।
9. निरक्षर एवं प्रौढ़ लोगों के लिए सतत् शिक्षा के अन्तर्गत लैनिनगार्ड द्वारा सामान्य शिक्षा संस्थान विशेष रूप से प्रयत्नशील है।
10. उच्च शिक्षा में शोधकार्य हेतु वहां के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शोध संस्थान स्थापित किए गए हैं जिनमें- रूसी अकादमी, शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ शोध संस्थान तथा शिक्षण-शास्त्र की शोध संस्थाएँ मुख्य हैं। इन संस्थानों में होने वाले शोधकार्यों में विद्यालय के शिक्षक भी सक्रिय भाग लेते हैं तथा निष्कर्षो के क्रियान्वयन में सहयोग करते हैं।
11. उच्च शिक्षा में गुणात्मकता लाने के लिए रूस भी यूरोपीय देशों की साझेदारी में बोलोगना प्रक्रिया में एक सदस्य देश है, जो अपने विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम चयन की विस्तृत एवं पारदर्शी प्रक्रिया पूर्ण करता है तथा उच्च शिक्षा के अन्तर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान से उनमें विदेशी शिक्षा के प्रति रूचि उत्पन्न करता है।

12.16 सन्दर्भ (Reference)

Bibliography

1. Biswas, A.and Aggarwal, J.C. (2004). **Comparative Education,** New Delhi:Arya Book Depot, 30, Naiwara, Karol Bagh.
2. बुल्के, फादर कामिल(2005), **अंग्रेजी-हिन्दी कोश,** राँची: काथलिक प्रेस
3. चौबे, डी. सरयू प्रसाद (1995), **तुलनात्मक शिक्षा,** आगरा: विनोद पुस्तक मन्दिर, रांगेय राघव मार्ग
4. चौबे, प्रो. सरयूप्रसाद(1995), **स्वदेश विदेश में शिक्षा,** आगरा: विनोद पुस्तक मन्दिर, रांगेय राघव मार्ग।
5. Khan, Mohammad Abbas (2004) **Modern Comparative Education,** New Delhi Anmol Publication pvt++. Ltd. Ansari Road, Dariyaganj.
6. Sharma, R.A. (2007), **Comparative Education,** Meerut: Vinay Rakheja C/o R. Lall Book Depot, Near Govt. Inter College.
7. शर्मा, आर.ए.(2008),**तुलनात्मक शिक्षा (विश्व की शिक्षा प्रणालियों एवं समस्याएँ)** मेरठ : आर..लाल बुक डिपो, निकट गवर्नमेण्ट इण्टर कॉलेज।

Webliography

1. www.Education Russia.htm
2. www.Education in Russia for foreigners.htm
3. www.euroeducation.net/prof/russio.htm
4. ww.education system in Russia_Institute for International Education and Language Communication.htm
5. www.History of Russia_wikipedia,.htm
6. www.general background of all RE.htm
7. www.go.world bank.Org-N1GG90QBCO
8. www.Objectives of higher education ijn Russia.htm
9. www.Religions freedom in Ressia.htm
10. www.RussN.htm
11. www.Russian-crafts.com/customs/educatineducation.htm
12. www.STRUCTURE OF EDUCATION SYSTEM IN RUSSIA IN RUSSIAN.htm
13. www.studyrussion.com(Higher Education)
14. www.way to russia
15. www.Weblist; Russia-Education.htm
16. www.en.wikipedia.org.ru
17. www.wikpedia.org/wiki/education_in_Rusia
18. www.worldbank.org.ru
19. www.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEX_

अध्याय-13

जापान में शिक्षा का विकास

(Development of Education in Japan)

13.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of the Unit)

13.1 प्रस्तावना (Introduction)

13.2 जापान से सम्बन्धित तथ्य (Facts about Japan)

13.3 विभिन्न तथ्यों का शिक्षा पर प्रभाव (Effect of Various factors on Education)

13.4 जापानी शिक्षा प्रणाली का ऐतिहासिक विकास (Historical Development of Japanese Education System)

13.5 शिक्षा के आधारभूत सिद्धान्त/नीतियाँ (Fundamental Principal/Policies of Education)

13.6 शिक्षा प्रणाली की संरचना (Structure of Education System)

13.7 शिक्षा का माध्यम (Medium of Instruction)

13.8 निर्देशन एवं परामर्श (Guidance and Counceling)

13.9 नैतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा (Moral, Religious and Spiritual Education)

13.10 स्त्री शिक्षा (Women Education)

13.11 शैक्षिक प्रशासन (Educational Administration)

13.12 शिक्षा पर खर्च (Expenditure on Education)

13.13 जापानी शिक्षा की विशेषताएँ (Special Features of Education System)

13.14 सारांश (Summary)

13.15 संदर्भ सूची (References)

13.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of the Unit)

इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप-

1. जापान से सम्बन्धित तथ्यों- भौगोलिक, जनसंख्या विशेषताएं, धार्मिक एवं सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, आर्थिक, भाषा, स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली, सूचना प्रौद्योगिकी व खेल से अवगत हो सकेंगे।
2. उपरोक्त सम्बन्धित तथ्यों का शिक्षा पर प्रभाव स्पष्ट कर सकेंगे।
3. जापानी शिक्षा प्रणाली के ऐतिहासिक विकास को समझ सकेंगे।
4. जापानी शिक्षा के आधारभूत सिद्धांतों, शिक्षा का माध्यम, नैतिक शिक्षा, धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा से अवगत हो सकेंगे।
5. जापानी शिक्षा प्रणाली की संरचना को समझ सकेंगे।
6. जापानी शिक्षा की प्रशासनिक संरचना व वित्त व्यवस्था को स्पष्ट कर सकेंगे।

7. जापानी शिक्षा की विशेषताओं को स्पष्ट कर सकेंगे।

13.1 विषय प्रवेश (Introduction)

जापान पूर्वी एशिया में स्थित देश है, जिसकी राजधानी टोक्यो है। यहां लगभग सभी जनसंख्या जापानी वंश से है। यहां के प्रमुख धर्म बौद्ध और शिंटो हैं और राजकीय भाषा जापानी है। यहां के लोगों का जीवनकाल दुनिया में सबसे लम्बा है और शिशु मृत्यु दर कम है। जापान के परम्परागत खेलों में सूमो प्रमुख है।

जापान की गिनती विश्व के प्रमुख आर्थिक रूप से विकसित देशों में की जाती है। जापान ने औद्योगिक विकास के साथ-साथ तीव्र गति से शैक्षिक विकास की ओर कदम बढ़ाए। वहाँ शिक्षा की नींव इडोकल (1603-1867) में रखी गई थी और सन् 1872 में मैजी काल में शिक्षा मंत्रालय का गठन किया गया और शिक्षा का आदेश पारित किया गया इस काल में जर्मन और फ्रेंच मॉडल के आधार पर जापानी शिक्षा प्रणाली में सुधार किया गया। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् अमेरीकन्स ने जापानी शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जिसके अंतर्गत छः वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा, तीन वर्षीय जूनियर, तीन वर्षीय सीनियर हाई स्कूल तथा चार वर्षीय यूनिवर्सिटी / दो वर्षीय जूनियर कॉलेज प्रदान की जाने लगी। शिक्षा के इस आधारभूत ढांचे का विवरण आगे इसी अध्याय में दिया गया है।

13.2 जापान से संबंधित तथ्य (Facts About Japan)

जापान से सम्बन्धित विभिन्न तथ्य निम्नलिखित हैं-

13.2.1 भौगोलिक (Geographical)

जापान प्रशांत महासागर की द्वीप श्रृंखला पर पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। जापान की राजधानी टोक्यो (Tokyo) है। इसका क्षेत्रफल लगभग कैलीफोर्निया के क्षेत्रफल के बराबर है व इसके अंतर्गत चार बड़े द्वीप होंशु (Honshu), होक्काईडो (Hokkaido), क्युशु (Kyushu) और शिकोशु (Shikoshu) व कुछ छोटे द्वीप ओगासवारागुंटों (Ogasawaragunto), मिनामी जिमा (Minami-Jima), नानसेई-शोटो (Nansei-Shoto), तथा अन्य आते हैं। जापान का दक्षिणी अक्षांश (Latitude) लॉस एंजिलिस व मेडिटेरियन समुद्र से मिलता है।

यहां के प्रमुख शहर हैं: ओसाका (Osaka), टोक्यो (Tokyo), योकोहामा (Yokohama), नागोया (Nagoya), क्योटो (Kyoto) और कोबे (Kobe)।

13.2.2 जनसंख्या विशेषताएँ (Population Characteristics)

जापान की जनसंख्या 1,26,771,660 (2001 के अनुसार) है। यहां जनसंख्या घनत्व 336 लोग प्रति वर्ग किमी है। यहां की जनसंख्या सजातीय (homogeneous) है, जिसमें 98.5% जापानी वंश से है। बाकी के समूह, जिसका 15% से अधिक प्रतिनिधित्व नहीं है, में चीनी व कोरियाई लोग सम्मिलित हैं।

13.2.3 धार्मिक एवं सांस्कृतिक (Religous and Cultural)

जापान के प्रमुख धर्म बौद्ध व शिंटो है, जो सम्मिलित रूप से देश के 84% धर्मो का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिंटो जिसका अर्थ है "ईश्वर का तरीका" The Way of Gods जो जापान का स्थानीय धर्म है, ने बौद्ध धर्म जो 539 ईसा पश्चात् में आया था, से बहुत करीब से समन्वय बिठाया है। देखने में सभी शिन्टोवादी बौद्ध अनुयायी भी है। बाहर से आए ताओवाद व कंफ्यूशनवाद अधिक प्रचलित नहीं है व ईसाई धर्म का पालन तो केवल 0.7% जनसंख्या करती है। आधुनिक जापान के कृषि पर्व व परम्पराएं शिंटो की पुरातन विश्वास प्रणाली से ही उपजे हैं। उन्नीसवीं सदी के मध्य के बाद शिन्टो को राज्य धर्म बना दिया था, परंतु 1947 में संविधान द्वारा पूर्ण रूप से धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई।

13.2.4 ऐतिहासिक (Historical)

जापान 17वीं सदी के आरंभ से पहले तक बाकी दुनिया के सम्पर्क से अछूता था। उसके पश्चात् 1854 में, कानागावा संधि (Treaty of Kanagawa) पर हस्ताक्षर करने के बाद जापान ने सघन आर्थिक औद्योगिकरण का पथ चुना और शीघ्र ही वह एशिया का मुख्य राजनैतिक व आर्थिक शक्ति वाले देश के रूप में उभरा। उन्नीसवीं के अंत व बीसवीं सदी के आरंभ तक उसके क्षेत्रीय राजनैतिक व सैन्य प्रभाव का इतना वर्चस्व था कि उसने रूस व चीन दोनों के सैन्य बलों को मात दी व उसने एशिया के कई भागों पर खासकर कोरिया, ताईवान, मंचूरिया व अन्य पड़ोसी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध में हार के पश्चात् भी जापान ने राजनैतिक व आर्थिक शक्ति को शीघ्रता से पुन: प्राप्त कर लिया।

13.2.5 राजनैतिक (Political)

आज जापान की गिनती विश्व के प्रमुख आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्रों में होती है। एशिया में उसका राजनैतिक व आर्थिक प्रभाव है। यहाँ संवैधानिक राजतन्त्र (monarchy) है। जापान का राजा अभी भी राष्ट्र का प्रतीक है, परंतु राजनैतिक शक्ति संसदीय सरकार के पास है और वास्तव में यह कुछ चोटी के राजनीतिज्ञों और उच्च उद्योगपतियों के पास केंद्रित है।

जापान की राजधानी टोकियो है और यह देश 47 प्रशासनिक प्रीफेक्चर्स (administrative) में बंटा हुआ है। यहां की आधुनिक कानून प्रणाली जरमन सिविल ली से व्युत्पन्न की गई है और इस पर अंग्रेजी व अमेरिकी कानून का प्रभाव है। जापान Universal Sufferage एक मतदान प्रणाली, जो देश में करीब बीस वर्षो से है, का पालन करता है। यहाँ के मुख्य राजनैतिक दल हैं- जापान डेमोक्रेटिक पार्टी, जापान कम्यूनिस्ट पार्टी और कुछ कम प्रभावी लिबरल डेमोक्रेटिक (Liberal Democratic) व सोशल डेमोक्रेटिक (Social Democratic) पार्टियाँ।

13.2.6 आर्थिक (Economic)

आर्थिक रूप से, जापान उद्योग व सरकार के मध्य सहयोगात्मक संबंध, कार्य के प्रति (work ethic), रक्षा पर कम खर्च (जो कुल बजट का केवल 1% है) व उच्च तकनीकों व वैज्ञानिक नवाचारों पर बल देता है। जापान की काफी शहरी जनसंख्या को आजीवन रोजगार गारंटी दी गई है। यही कारण है कि जापान आज दुनिया की दूसरी मुख्य तकनीकी शक्ति व तीसरी मुख्य आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। इसके कमजोर पक्ष हैं- बढ़ती वृद्ध जनसंख्या व कुल बड़ा राष्ट्रीय कर्ज (देश के वार्षिक राष्ट्रीय बजट का 176%)।

13.2.7 भाषा (Language)

जापान की राजकीय भाषा जापानी है। इसे तीन भिन्न लिपियों में लिखा जाता है। इस भाषा की लिखने की प्रणाली अत्यधिक जटिल होने के पश्चात् भी जापान ने लगभग शत-प्रतिशत साक्षरता प्राप्त कर ली है। कई जापानी कुछ अंग्रेजी भी जानते हैं और वहां अंग्रेजी को माध्यमिक पाठ्यक्रम का अपेक्षित अंग भी बना रखा है।

13.2.8 स्वास्थ्य रक्षा (Health Care)

जापान में शिशु मृत्यु दर कम है और यहां के लोगों का जीवनकाल दुनिया में सबसे दीर्घ है, जिसका प्रमुख कारण देश की सुसंगठित व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली (Health Care System) है। यहाँ के स्वास्थय बीमा प्रणाली के प्रावधान के कारण देश का प्रत्येक नागरिक, उपलब्ध छः स्वास्थ्य बीमा योजना में से किसी एक में आता है। यहाँ के कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा के फायदों का लाभ उठाते हैं।

13.2.9 सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग (Use of Information Technology)

जापान सूचना प्रधान समाज है, जहाँ प्रेस व बोलने की स्वतंत्रता संविधान से प्रत्याभूत (Guaranteed) है और परम्परागत मास मीडिया (Mass Media) के साथ-साथ इंटरनेट जैसे आधुनिक मीडिया का भरपूर उपयोग करता है।

13.2.10 खेल (Sports)

जापान में अनुशासन के लिए और स्वस्थ समय बीताने के लिए खेलों को मूल्यवान माना जाता है। जापान के परम्परागत खेल समुराई केण्डो (Samurai's Kendo), क्यूडो (तीरंदाजी), कराटे, जूड़ो और अन्य मार्शल आर्ट्स (Martial Arts), सूमो (कुश्ती), आदि है। सूमो (Sumo) जो कि 2000 वर्ष से भी पुराना है, को जापान का प्रथम राष्ट्रीय खेल माना जाता है। सन् 1870 के दशक से जब जापान में विद्यालय प्रणाली की स्थापना हुई तब से खेल पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा हो गए हैं। जापान ने अब तक तीन ओलम्पिक खेलों का आयोजन किया है। आधुनिक जापान ने कई अंर्तराष्ट्रीय खेल, जैसे- सॉकर (Soccer), आईस-स्केटिंग, वॉलीबॉल, टेनिस, बेसबॉल, जिमनास्टिक, आदि अपना लिए हैं।

13.3 विभिन्न कारकों का शिक्षा पर प्रभाव (Effect of Various Factors on Education)

(1) **धार्मिक (Religious) -** जापान की धार्मिक सामाजिक परम्पराओं के प्रभाव के कारण ही वहाँ शिक्षकों को अत्यधिक महत्व व आदर दिया जाता है, और शिक्षा में जापानी मूल्यों, परम्पराओं और आदर्शों को स्थान दिया जाता है । क्योंकि संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है इसलिए जापान में सरकार द्वारा विद्यालय में औपचारिक रूप से धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है।

(2) **आर्थिक (Economic) -** जापान ने औद्योगिक विकास के साथ-साथ तीव्र गति से शैक्षिक विकास की ओर कदम बढ़ाए और सन् 1995 में साक्षरता दर (प्रौढ़) 99% थी। तीव्र औद्योगिक विकास से वहां पर व्यावसायिक शिक्षा पर बड़ा बल है।

(3) **वंशानुगत (Racial) -** जापान की जनसंख्या सजातीय है क्योंकि वहां 98.5% लोग जापानी वंश से हैं। इसलिए जापान में शिक्षा का माध्यम जापानी है।

(4) **प्रशासनिक (Administrative) -** जापान या प्रशासनिक प्रीफेक्चर्स और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में बंटा हुआ है। इससे वहाँ की स्थानीय शिक्षा व्यवस्था का जिम्मा इन्हीं प्रीफेक्चर्स और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशनों पर है तथा राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का नियंत्रण शिक्षा मंत्रालय के पास है।

(5) **जनसंख्या (Population) -** जापान में वृद्ध लोगों की जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है और वहाँ की शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थियों के नामांकन में गिरावट होती जा रही है।

(6) **ऐतिहासिक (Historical) -** द्वितीय विश्व युद्ध में हार के कारण जापान पर अमेरिकी शिक्षा का प्रभाव है और युद्ध के बाद के शिक्षा के बदलाव में जापान ने 6-3-3-4 शिक्षा अपनाई, जो अमेरिकी पद्धति के काफी करीब है।

(7) **भाषा (Language) -** जापानी भाषा की लिखने की जटिल प्रणाली के कारण, शिक्षकों को इसे सिखाने में काफी मुश्किलें आती है, फिर भी जापान में लगभग शत-प्रतिशत साक्षरता है।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. जापान के प्रमुख धर्म कौनसे हैं?
2. जापान में शिक्षा का माध्यम है?
3. जापानी देश प्रीफेक्चर्स में बटा हुआ है?
4. जापान की शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची बनाइए।

13.4 जापानी शिक्षा प्रणाली का विकास (Development of Japanese Education System)

13.4.1 इडोकाल (Edo Period)

छठीं सदी में चीनी संस्कृति अपनाने के साथ ही जापान में औपचारिक शिक्षा का प्रारम्भ (1603-1867) हुआ। वहां आधुनिक शिक्षा की नींव इडो काल (Edo Period) में रखी गई थी। उस काल के अंत में देश में विद्यालयी शिक्षा का फैलाव हुआ। इडो (वर्तमान में टोक्यो) की टोकूगावा शोगुनेट (Takugawa Shogunate) सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में एक उन शिक्षा संस्थान की थी। इस काल में आम जनता, जैसे- - कृषक, आदि की शिक्षा के लिए 'टेंपल स्कूल' (Temple Schools) जिन्हें टेराकोया (Terakoya) कहा जाता था विद्यमान थे। उन्नीसवीं सदी के मध्य तक संपूर्ण देश में करीब 50,000 'टेराकोया विद्यालय' थे।

13.4.2 मैजी काल (Meiji Period)

जापान में 1868 के मैजी पुनरुद्धार के कुछ समय बाद, 1872 में सरकार ने शिक्षा मंत्रालय का गठन किया जिसने शिक्षा का आदेश (Order of Education) जारी किया। इसी के साथ जापान में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास प्रारंभ हुआ और सीखने की पश्चिमी विधियों व संरचनाओं में मुख्य रूप से अमरीकी शिक्षा मॉडल को अपनाया गया ताकि जापान एक मजबूत, आधुनिक देश बन सके। शिक्षा के इस आदेश के अंतर्गत तीन विकसित स्तरों- प्रारम्भिक, मिडिल व विश्वविद्यालय में शिक्षा प्रणाली को संगठित किया गया। बौद्ध मंदिरों द्वारा संचालित 'टेराकोया विद्यालय' को प्रारम्भिक विद्यालय तथा डेम्यो (daimyo) द्वारा संचालित जमींदारों के विद्यालय को मिडिल विद्यालय घोषित किया गया व टोकूगावा शोगुनल अकेडमी (Academy) 'टोक्यो इम्पिरीयल विश्वविद्यालय' का आधार बने। इन्हीं सुधारों के कारण जापान एक आधुनिक राष्ट्र जिसके पास पश्चिम की तरह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली थी, के रूप में उभरा।

13.4.2.1 मैजी काल में शिक्षा नीति (Educational Policy during Meiji Period)

हालांकि 1879 के शिक्षा के आदेश के अनुसार शिक्षा के विकेंद्रीकरण का प्रयास किया गया था, परंतु संशोधित 1880 के शिक्षा आदेश ने केंद्रीय नियंत्रण पर बल दिया और एक नवीन पाठ्यक्रम को जोड़ा जो जापानी मूल्यों, परम्पराओं व आदर्शों पर आधारित था।

सन् 1885 में सरकार की केबिनेट प्रणाली की स्थापना की गई व मोरी अरीनोरी (Mori Arinori) जो जापान के प्रथम शिक्षा मंत्री बने ने कई नियम बनाकर शिक्षा को तीन स्तरों में संगठित किया। सन् 1872 से प्रारम्भिक विद्यालय को अनिवार्य किया व उनका उद्देश्य सम्राट के लिए स्वामीभक्त प्रजा तैयार करना था। मिडिल विद्यालय विद्यार्थियों को किसी इम्पीरियल विश्वविद्यालय में प्रवेश देने के लिए थे और विश्वविद्यालय पश्चिमी प्रभाव

वाले नेताओं को तैयार करने के लिए थे जिससे कि वे जापान के आधुनिकीकरण में दिशा प्रदान कर सकें।

जापान में बढ़ते औद्योगीकरण के साथ ही राज्य व्यावसायिक (Vocational) विद्यालय की स्थापना हुई। साथ ही स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अलग बालिका विद्यालय प्रणाली विकसित की गई। सन् 1907 में अनिवार्य शिक्षा को 6 वर्ष तक बढ़ाया गया। नवीन नियम के अनुसार शिक्षा मंत्रालय की स्वीकृति से ही पाठ्यपुस्तक प्रदान (issue) की जा सकती थी। पाठ्यक्रम नैतिक शिक्षा (मुख्यत: देशभक्ति भावना), गणित, लिखना व पढ़ना, जापानी केलीग्राफी, जापानी इतिहास, भूगोल, विज्ञान, कला, गायन और शारीरिक शिक्षा केंद्रित था। एक ही आयु के सभी बच्चे समान पाठ्यपुस्तकों की श्रृंखला (Series) से प्रत्येक विषय पढ़ते थे।

13.4.3 सन् (1912-1937) में जापानी शिक्षा(Education in Japan from 1912 to 1937)

इस काल में शिक्षा व्यवस्था अधिक केन्द्रीयकृत (Centralized) हो गई। सन् 1917-1919 में सरकार ने शिक्षा पर विशेष काउन्सिल (Extraordinary) बनाई जिसने शैक्षिक सुधार पर कई रिपोर्ट व अनुशंसाएं की। इस काउन्सिल का मुख्य तल उच्च शिक्षा पर था तथा गई निजी विश्वविद्यालयों ने सरकारी मान्यता प्राप्त की।

इस काल में नवीन सामाजिक धाराएँ जिनमें साम्यवाद, कम्यूनिज्म (communism), राजतंत्रवाद और उदारवाद सम्मिलित हैं, ने शिक्षक व शिक्षण विधियों पर प्रभाव डाला। नवीन शिक्षक संघों की स्थापना हुई तथा राष्ट्रीय, शैक्षिक पाठ्यक्रम के प्रति विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन हुए, जिन्हें सरकार ने दमन किए तथा देशप्रेम की भावना जाग्रत करने के लिए और जापान में सैन्यीकरण को बढ़ावा देने के लिए, सैनिकों और नाविकों के लिए शाही राजघोषणा को पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया।

दृष्टिबाधितों, श्रवणबाधितों के लिए विशिष्ट विद्यालय (Specialized Schools) की स्थापना सन् 1878 में की गई और उन्हें दृष्टिहीन, बधिर तथा मूक विद्यालय Blind, Deaf and Dumb Schools Order, 1926 के तहत नियमित व माननीकृत किया गया।

13.4.4 द्वितीय विश्वयुद्ध के समय जापानी शिक्षा(Education in Japan During World War II)

सन् 1937 में द्वितीय विश्वयुद्ध के आरंभ के बाद जापानी पाठ्यक्रम अत्यधिक सैन्यकृत हो गया । सन 1941 में प्रारम्भिक विद्यालय का नाम राष्ट्रीय जन विद्यालय (Kokumi Gakko) रखा गया। विद्यार्थियों को स्नातक पर व्यावसायिक प्रशिक्षण विद्यालय, युवा विद्यालय (Seinen Gakko) जहां पर व्यावसायिक शिक्षा के साथ लड़कों को सैन्य प्रशिक्षण और लड़कियों को गृह अर्थशास्त्र (home economics) सिखाते थे, जाना होता था।

जापानी शिक्षा का मुख्य शैक्षिक उद्देश्य पारम्परिक राजनीतिक मूल्य, धर्म व नैतिकता सिखाना था जो मैजी काल से प्रचलित था। जापान ने अपने राष्ट्रीय आदर्शों को कायम रखते हुए आधुनिकीकरण की ओर कदम बढ़ाए। सरकार ने लोगों को आधुनिक स्कूलों में सीखने के लिए यह कहकर प्रेरित किया कि "गांवों में कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जो सीखेगा नहीं और घर में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं होगा जो सीखेगा नहीं"। इस प्रकार शिक्षा का विकास शीघ्रता से हुआ और बीसवीं सदी के प्रारम्भ तक प्रारम्भिक विद्यालय का नामांकन अनुपात (Enrolment Ratio) 90% से अधिक हो गया।

13.4.5 द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात शिक्षा (Education after the World War II)

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् शिक्षा प्रणाली में सुधार किया गया व 6-3-3-4 की नई प्रणाली 1947 में लागू की गई। इसमें 6 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा और 3 वर्ष की निम्न माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य की गई। पहले से ही प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन अनुपात (कुल) 99.79% और निम्न माध्यमिक शिक्षा में 99.57% था। युद्ध के बाद जैसे-जैसे आर्थिक विकास हुआ, उच्च माध्यमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा ने भी विकास के कई कदम आगे बढ़ाए। उन्नीस सौ निन्यान्वे (1999)ए में, समान आयु जनसंख्या की उच्च माध्यमिक विद्यालय तक की विकास दर 96.9% तक बढ़ी (पुरूष 96.1%, स्त्री 97.7%) और महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों/जूनियर कॉलेजों की 44.2% (पुरुष 40.2% स्त्री 48.1%) तक बढ़ी। सन् 2003 तक जापानी शिक्षण संस्थाओं में करीब 20.7 मिलियन विद्यार्थी किंडरगार्टन से विश्वविद्यालय स्तर तक नामांकित थे।

परम्परागत रूप से, जापानी शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं और शिक्षकों का समाज में आदर किया जाता है। ये शायद कन्फूशियनवाद, जिसका उनकी सोच और व्यवहार पर गहरा प्रभाव है, की देन है। विद्यालय शिक्षा के सफलतापूर्वक परिणामों का कारण मुख्य रूप से विद्यालय में उच्च योग्यता के शिक्षकों का होना है।

13.5 शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत /नीतियॉ(Fundamental Principles/Policies of Education)

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार व बदलाव हुए। सन् 1946 में लागू हुए संविधान में लोगों के शिक्षा ग्रहण करने के कर्तव्य व अधिकार को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है-

''सभी लोगों को कानून द्वारा प्रदत्त समान शिक्षा, अपनी क्षमता के अनुसार ग्रहण करने का अधिकार होगा। लोगों को अपने संरक्षण में सभी लड़के व लड़कियों को कानून द्वारा प्रदत्त सामान्य शिक्षा ग्रहण करवाना अनिवार्य होगा। इस तरह की अनिवार्य शिक्षा मुफ़्त होगी।

सन् 1947 में लागू शिक्षा के मूल नियम (Fundamental Laws of Education) में संविधान की भावनाओं के अनुसार शिक्षा के लक्ष्यों और सिद्धांतों को करने के लिए अधिक विस्तार दिया। इस नियम का संकलन जापान में द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् शिक्षा को आधार

प्रदान करने के लिए किया था। इसके अनुसार शिक्षा के मूल सिद्धांतो में सबको शिक्षा का समान अधिकार और नौ वर्ष की नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सम्मिलित है। (आर्टिकल 4) यह नियम शिक्षा से सम्बन्धित सभी नियमों, जिसमें विद्यालय शिक्षा नियम और सामाजिक शिक्षा नियम सम्मिलित हैं को आधार प्रदान करना है। शिक्षा के मूल नियम के आमुख के अनुसार ''हम व्यक्तिगत गरीमा का आदर करेंगे और ऐसे व्यक्तियों के निर्माण का प्रयत्न करेंगे जो सत्य व शांति प्रिय हो, जबकि ऐसी शिक्षा का दूर तक प्रसार करेंगे जिसका लक्ष्य सार्वभौमिक परंतु उच्चतम व्यक्तिगत संस्कृति का सृजन करना हो।''

नियम में दूसरा मूल सिद्धांत जो प्रतिपादित किया है, वह है सबको अपनी क्षमता के अनुसार शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना। यह नियम जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्थिति या पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव का निषेद करता है। विद्यार्थियों को सहशिक्षा का हक है। पब्लिक विद्यालय पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन पर बल दिया है। यह शिक्षा के मूल नियम के अंतर्गत आता है, जिसमें सामाजिक शिक्षा को बढ़ावा दिया है। इसके लिए राज्य व स्थानीय अधिकारियों को पुस्तकालय, म्यूजियम व नागरिक हॉल जैसी संस्थाओं की स्थापना के लिए कहा गया है।

शैक्षिक संविधान (Statutes) की श्रेणियाँ, जिन्होंने शिक्षा के मूल अधिकार का अनुकरण किया है, ने पब्लिक शिक्षा का विकेन्द्रीकरण, 6-3-3-4 विद्यालय संरचना की स्थापना, पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, पाठ्यपुस्तकों व शिक्षण विधियों का पुन: अभिमुखीकरण तथा संपूर्ण देश में शैक्षिक प्रशासन का पुन: संगठन किया है।

जापान में शिक्षा इसी मूल नियम की आत्मा के आधार पर करीब आधी सदी से प्रदान की जा रही है। समाज व शिक्षा में समय के साथ आए बदलावों को देखते हुए मार्च, 2003 की Central Council for Education Report, Fundamental Law of Education and Basic Promotional Plan for Education Befitting to the New Times" ने शिक्षा के मूल नियम में संशोधन का अनुमोदन किया और इस ओर प्रयास किए जा रहे हैं।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. जापान में आधुनिक शिक्षा की नींव किस काल में राखी गई?
2. जापान में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद शिक्षा को आधार प्रदान करने के लिए कौनसा नियम लागू हुआ?
3. जापान में प्रारम्भिक व निम्न माध्यमिक शिक्षा में नामांकन कितना प्रतिशत है?
4. 'शिक्षा के मूल नियम' द्वारा प्रतिपादित कोई दो सिद्धान्त लिखिए।

13.6 शिक्षा प्रणाली की संरचना (Structure of Education)

जापान में 1872 में स्कूल प्रणाली लागू होने के बाद ही आधुनिक स्कूल प्रणाली की नींव रख दी गई थी। शिक्षा का मूल सिद्धांत और स्कूल शिक्षा नियम 1947 में लागू किये गए और 6-3-3-4 स्कूली शिक्षा संरचना की स्थापना हुई, जिससे कि शिक्षा का समान अवसर का लक्ष्य प्राप्त हो सके।

उच्च माध्यमिक विद्यालय 1948 में स्थापित हुए जो पूर्णकालिक और अंशकालिक पाठ्यक्रम प्रदान करते थे, और 1961 में पत्राचार पाठ्यक्रम भी इस प्रणाली में जोड़े गए। विश्वविद्यालयों की नवीन प्रणाली की स्थापना 1949 में हुई और जूनियर कॉलेज provisional आधार पर 1950 में, और स्थाई आधार पर 1964 में, School Education Law में संशोधन के पश्चात् स्थापित हुए।

तकनीकी कॉलेज (Colleges of Technology) 1962 में निम्न माध्यमिक विद्यालय के ग्रेज्यूएट्स को पांच वर्षीय लगातार शिक्षा प्रदान करने को आरंभ किए गए।

जो विद्यार्थी अक्षम हैं, उन्हें उचित शिक्षा दृष्टिहीनों, बधिरों, मानसिक अक्षमताओं, शारीरिक अक्षमताओं, स्वास्थ्य बाधितों के लिए विशेष विद्यालय में अथवा उनकी अक्षमता के प्रकार और स्तर के अनुसार प्रारम्भिक और निम्न माध्यमिक स्कूलों की विशेष कक्षाओं में अथवा यदि अक्षमता बहुत कम है तो दोनों सामान्य कक्षाओं और विशेष सहायता सेवाओं के लिए रिसोर्स कक्षों में दी जाती है।

साथ ही विद्यालय-पूर्व बच्चों की शिक्षा के लिए किंडरगार्टन हैं, और तकनीकी पाठ्यक्रमों या विभिन्न प्रायोगिक प्रयोजन के लिए विशेष ट्रेनिंग कॉलेज और अन्य विविध वोकेशनल स्कूल हैं।

13.6.1 जापान में शिक्षा के स्तर (The Stages of the Education System in Japan)

जापानी शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश, फ्रेंच व अमेरिकी प्रणालियों का मिश्रण है। इनमें से सर्वाधिक प्रभाव अमेरिकी शिक्षा प्रणाली का है। शिक्षा का वर्तमान स्वरूप जिसमें जूनियर, मिडिल व सीनियर हाई स्कूल छः से आठ वर्ष के लिए, जिसके बाद चार वर्ष विश्वविद्यालय में और फिर स्नातकोत्तर शिक्षा है, लगभग अमेरिकी प्रणाली जैसी ही है।

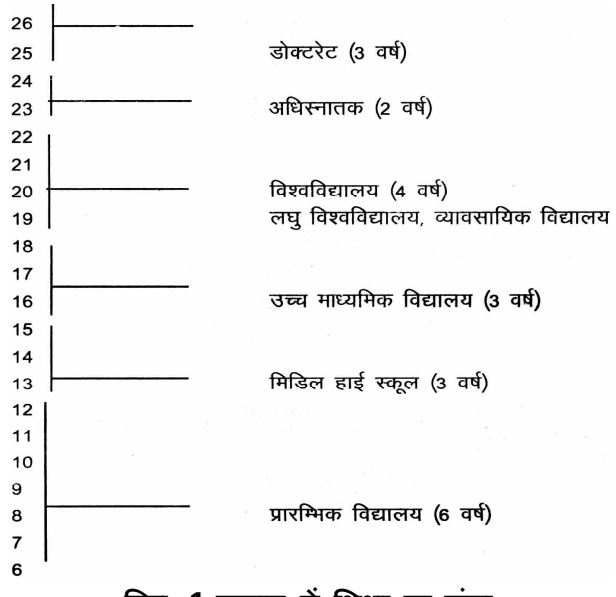

चित्र: 1-जापान में शिक्षा का ढांचा

जापानी शिक्षा का आधारभूत ढांचा निम्नलिखित है।

1. किंडरगार्टन (Kindergarton)
2. प्रारम्भिक विद्यालय (Shogakou)
3. निम्न माध्यमिक/जूनियर/मिडिल हाई स्कूल (Chugakou)
4. उच्च माध्यमिक/हाई स्कूल (Kaukon, Kaugtougakau)
5. विश्वविद्यालय

हालांकि, मूल ढांचे में विकल्प भी है, और कई सेनमॉनगेक्कोउ (Sen mongakou) या व्यवसायिक स्कूल (Vocational School) भी प्रचलित हैं। अधिक विस्तृत संरचना निम्नलिखित है-

1. किंडरगार्टन (Kindergarten)
2. प्राथमिक विद्यालय (Primary Schools)
3. निम्न माध्यमिक विद्यालय (Lower Secondary Schools)

इसके पश्चात् निम्नलिखित में से कोई एक किया जा सकता है, जिनमें से कुछ अंशकालीन या पत्राचार आधार पर भी किए जा सकते हैं-

1. उच्च माध्यमिक स्कूल (Kouou; Koutongakou)
2. तकनिकी कॉलेज (College of Technology)
3. दृष्टिबाधितों के लिए (Schools for the Deaf)
4. श्रवण बाधितों के लिए स्कूल (Schools for the Deaf)
5. अन्य विकलांगों के लिए स्कूल (Schools for Other Disabled)
6. विशिष्ट प्रशिक्षण महाविद्यालय (Specialized Training Colleges)

इसके पश्चात् उच्च शिक्षा होती है, जो निम्नलिखित में से कहीं भी हो सकती है। (यहाँ भी अक्सर, अंशकालीन व पत्राचार विकल्प मिल सकते हैं)-

विशिष्ट प्रशिक्षण महाविद्यालय (नर्सिंग, इंजीनियरिंग आदि)

1. जूनियर कॉलेज (Junior College)
2. विश्वविद्यालय (University)
3. स्नातक स्कूल (स्नातकोत्तर, विद्यावाचस्पति (Doctoral) पाठ्यक्रम)
4. विविध स्कूल (Miscellaneous)

13.7 शिक्षा का माध्यम (Medium of Instruction)

जापान में हर स्तर पर शिक्षा का माध्यम जापानी है। वहाँ काफी मात्रा में जापानी भाषा स्कूल हैं, जिनमें से सबसे अधिक टोक्यो में है। जापान में जापानी भाषा अनुदेशन पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है, विशेषकर जापानी भाषा लिखने में कठिन होने के कारण।

विदेशी विद्यार्थी जो जापान में विश्वविद्यालयी या अन्य उपाधि प्राप्त करने में इच्छुक है, को विश्वविद्यालय में जाने से पहले सामान्यत: एक वर्ष के लिए जापानी भाषा स्कूल (या

एकदम आरंभकर्ता के लिए दो वर्ष तक) में अध्ययन करना होता है। विश्वविद्यालय में केवल अंग्रेजी भाषा में बहुत ही कम कार्यक्रम हैं। फिर भी दुनियाभर से कई विदेशी जापानी भाषा सीखने में जापानी विश्वविद्यालयों ममें अध्ययन में रूचि ले रहे हैं।

मिनिस्ट्री सभी विदेशी भाषाओं के शिक्षण विशेषकर अंग्रेजी को बेहतर बनाने की आवश्यकता महसूस करती है। प्रत्येक जापानी सातवीं कक्षा से हाई स्कूल पूर्ण करने तक अंग्रेजी भाषा पाठ्यक्रम लेता है। अंग्रेजी में अनुदेशन को बेहतर करने के लिए सरकार अंग्रेजी के युवा स्थानीय वस्तुओं को विद्यालय बोर्ड में (जापान विनिमय तथा शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत) सहायक तथा प्रीफेक्चर्स के रूप में सेवाएं देने के लिए जापान में आमंत्रित करती है।

13.8 निर्देशन एवं परामर्श (Guidance and Counseling)

जापानी विद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय नहीं जाना, हिंसक प्रवृति का होना आदि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों के व्यवहार से सम्बन्धित बढ़ती समस्याओं को देखते हुए वहां का शिक्षा मंत्रालय शैक्षिक काउंसलिंग प्रणाली को सुधारने के लिए प्रयासरत है। विद्यालय में अधिक संख्या में परामर्शदाताओं को नियुक्त किया जा रहा है।

विद्यालय में रोजगार मार्गदर्शन के अभाव में भी वहाँ बेरोजगारी की समस्या है। अत: वहाँ रोजगार सम्बन्धी मार्गदर्शन की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्रालय का एलिमेन्ट्री और सैकण्डरी एजुकेशन ब्यूरो विद्यार्थियों को शैक्षिक और रोजगार सम्बन्धी मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। सन् 1997 में 'रोजगार शिक्षा व परामर्श अनुसंधान समूह' शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से केरियर विकास दक्षताओं और मानव संबंध के विकास के लिए प्रयासरत है।

13.9 जापान में नैतिक. धार्मिक व आध्यात्मिक शिक्षा (Moral, Religious and Spiritual Education in Japan)

जापान में पूर्वकाल से आधुनिक काल तक तीन प्रमुख धर्म रहे हैं - शिंटो, बौद्ध और कम्फ्यूशियस, जिन्होंने एक-दूसरे को प्रभावित किया और जापानी मूल्य प्रणाली का केन्द्र बन गए। यह मूल्य प्रणाली इडोकाल में सुविकसित थी और साथ ही मैजी पुनरूद्धार (1867) और द्वितीय विश्वयुद्ध (1995) ने जापान की नैतिक शिक्षा को बहुत अधिक प्रभावित किया।

इडोकाल (1603-1887) में जब सैनिक (समुराई) वर्ग का शासन और राजनीति में प्रभाव था, तब आध्यात्मिक शक्ति और स्वयं के सम्मान की रक्षा को नैतिक शिक्षा का केन्द्र माना जाता था। उस समय समुराई परिवार के बच्चों के लिए अलग स्कूल थे और आम आदमी के लिए 'टेराकोया' स्कूल थे जो पादरियों, भिक्षुओं और निम्नवर्ग के समुराईयो द्वारा संचालित थे।

राष्ट्रीयता के काल (1868-1945) में जब शिक्षा का आदेश 1872 में पारित हुआ था। तब नैतिक शिक्षा 'सुशिन' (Sushin) (जिसका अर्थ है स्व-अनुशासन) कहलाती थी। 'सुशिन' शब्द कम्फ्यूशियन से आया है। पहली बार 'सुशिन' प्रारम्भिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले आठ विषयों में सम्मिलित किया गया। इस समय घोषित The Imperial Rescript on Education (kyoiku chokugo) से नैतिक शिक्षा को ठोस आधार प्रदान हुआ, जिसके

अनुसार लोगों को पारम्परिक कन्फ्यूशियस आचरण जैसे ईमानदारी, विश्वास, सरलता आदि के साथ-साथ आधुनिक पश्चिमी सोच पर आधारित संविधान की पालना और कर्तव्यों की पालना भी करनी होगी। हालांकि 1948 में इसको अवैधीकृत कर दिया परंतु इसमें सार्वभौमिक नैतिक मूल्य समाहित थे।

प्रजातंत्र काल (Democratic Period) (1945-वर्तमान) में द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् नवीन संविधान की घोषणा के बाद स्थापित शिक्षा के मूल नियम (मार्च, 1946) ने प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर नैतिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा दी। सन् 1958 तक नैतिक शिक्षा एक अलग विषय के रूप में नहीं वरन् सम्पूर्ण पाठ्यक्रम, विशेषकर सामाजिक अध्ययन द्वारा प्रदान की जाने लगी। परंतु 1958 में संपूर्ण शैक्षिक स्कीम का जब केन्द्रीकरण व एकीकरण के लिए पुनरावलोकन हुआ तब नैतिक शिक्षा को पुन: पाठ्यक्रम में एक स्वतंत्र विषय (डोटोकु- जिसका अर्थ है 'पुण्य का पथ') के रूप में सम्मिलित किया गया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित अध्ययन के पाठ्यक्रम के अनुसार अनिवार्य शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर सप्ताह में एक घंटा नैतिक शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है।

इस 'अध्ययन के पाठ्यक्रम' के अनुसार नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को चार क्षेत्रों- स्वयं का आदर, दूसरों से सम्बंध, प्रकृति व ईश्वर के साथ संबंध तथा समूह व समाज के साथ सम्बन्ध में बांटा गया है। नैतिक शिक्षा की कक्षाओं में मानव गरिमा का आदर, पारम्परिक संस्कृति व प्रजातांत्रिक समाज का विकास, शांतिप्रिय अंतर्राष्ट्रीय समाज का निर्माण, स्वतंत्र निर्णय करना, मानव अधिकारों का सम्मान, सामान्य शिष्टाचार, परिवार व समाज के साथ सहयोग, आदि सिखाया जाता है।

नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक 'कोर्स ऑफ स्टडी' द्वारा प्रस्तावित निर्देशन मेन्यूअल संदर्भ पुस्तकें, पाठ्य सामग्री आदि के द्वारा एक वर्षीय पाठ्यक्रम तैयार करते हैं। निर्धारित मूल्यों में से चयनित परस्पर सम्बन्धित मूल्यों को दंतकथाओं, लघु कहानियों, निबंधों, टीवी कार्यक्रमों, आदि द्वारा अध्ययन करवाते हैं। वे अकादमिक विषयों के शिक्षण के समय रोजमर्रा की अंतःक्रिया, विद्यालय के दैनिक कार्यक्रमों, जैसे- विद्यालय व कक्षा की स्वच्छता लंच कार्यक्रम, पाठ्येत्तर गतिविधियों आदि का उपयोग करते हैं। अत: जापान में नैतिक शिक्षा सम्पूर्ण रूप से व्यापक, केंद्रीकृत है तथा विद्यालय की सभी गतिविधियों द्वारा प्रदान की जाती है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा नैतिक शिक्षा में सुधार के लिए स्कूलों में पुस्तक वितरण और प्रोजेक्ट कार्य किए जा रहे हैं।

13.10 स्त्री शिक्षा (Women Education)

संविधान का प्रावधान और शिक्षा का आधारभूत नियम जो लड़के और लड़कियों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करता है के आधार पर जापान में उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं तक पहुंचने वाली छात्राओं के अनुपात में 1946 से लगातार वृद्धि हो रही है।

सन् 1969 से उच्च माध्यमिक विद्यालय तक पहुंचने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं का अनुपात छात्रों से हमेशा अधिक रहा है। जबकि उच्च शिक्षा तक जाने वाले विद्यार्थियों में छात्रों का अनुपात छात्राओं से अधिक रहा है, हालांकि छात्राओं के अनुपात की वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है। यूनिवर्सिटी में नामांकित अधिकांश विद्यार्थी छात्र हैं, जबकि जूनियर कॉलेज में अधिकतम छात्राएँ हैं। तकनीकी कॉलेज के लगभग सभी विद्यार्थी लड़के हैं, जबकि आधे से अधिक विशिष्ट प्रशिक्षण विद्यालय तथा विशिष्ट उद्देश्यपूर्ण (मिसलेनियस) स्कूल के विद्यार्थी बालिकाएँ हैं।

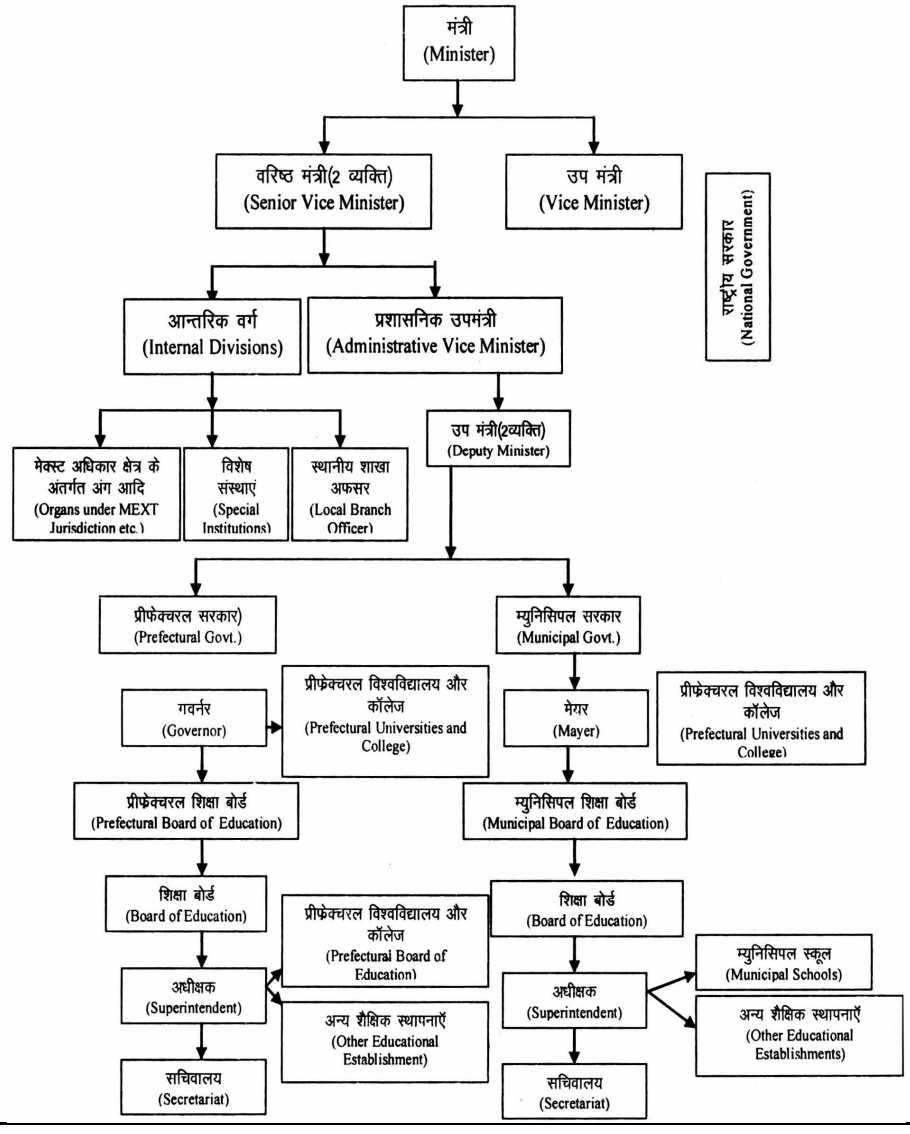

13.11 शैक्षिक प्रशासन (Educational Administration)

शिक्षा, संस्कृति, खेल विज्ञान व तकनीकी मंत्रालय (मेक्स्ट) केन्द्र स्तर पर शिक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। यह कई राष्ट्रीय स्थापनाएँ जिनमें विश्वविद्यालय, संग्रहालय, यूथ केन्द्र और अनुसंधान संस्थाएँ सम्मिलित हैं का प्रशासन करता है। वह स्थानीय शिक्षा

अधिकारियों (प्रीफेक्चरल तथा म्यूनिसिपल स्तर पर) को निर्देशन, परामर्श और वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

स्थानीय स्तर पर प्रत्येक 47 प्रिफेक्चरल और प्रत्येक 3000 से अधिक म्यूनिसिपलिटी में एक शिक्षा बोर्ड है जो स्थानीय शिक्षा authority का कार्य करता है। प्रीफेक्चरल शिक्षा बोर्ड में पांच सदस्य होते हैं जो गवर्नर द्वारा 'प्रीफेक्चरल असेम्बली' की सहमति से नियुक्त किए जाते हैं। जबकि म्यूनिसिपल बोर्ड में 3 या 5 सदस्य होते हैं जो म्यूनिसिल असेम्बली की सहमति से मेयर द्वारा नियुक्त होते हैं। दोनो ही बोर्ड में सदस्य चार वर्ष तक नियुक्त होते हैं। प्रत्येक स्तर के शिक्षा अधिकारी अपने सम्बन्धित क्षेत्र की शिक्षा के लिए जिम्मेदार हैं जैसाकि मेक्स्ट से सम्बन्धित राष्ट्रीय तथा स्थानीय सरकार के ढांचे के चित्र-3 में दर्शाया गया है।

राष्ट्रीय स्तर पर मेक्स्ट की मिनिस्ट्री के विभिन्न विभाग व उपविभाग शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों व स्तरों पर कार्य कर रहे हैं। इसके मंत्रालय में सचिवालय, जीवनपर्यन्त अधिगम ब्यूरो, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा ब्यूरो निजी शिक्षा संस्था विभाग, विज्ञान व तकनीकी नीति ब्यूरो, अनुसंधान क्रमोन्नत ब्यूरो, अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, खेल एवं यूथ ब्यूरो और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के सामान्य निदेशक सम्मिलित है (चित्र-4)।

शिक्षा संस्कृति, खेल, विज्ञान व तकनीकी मंत्रालय

(मेक्स्ट) का संगठन (1 अप्रैल, 2006 का)

Organisation of Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) AS ON 1 April,2006

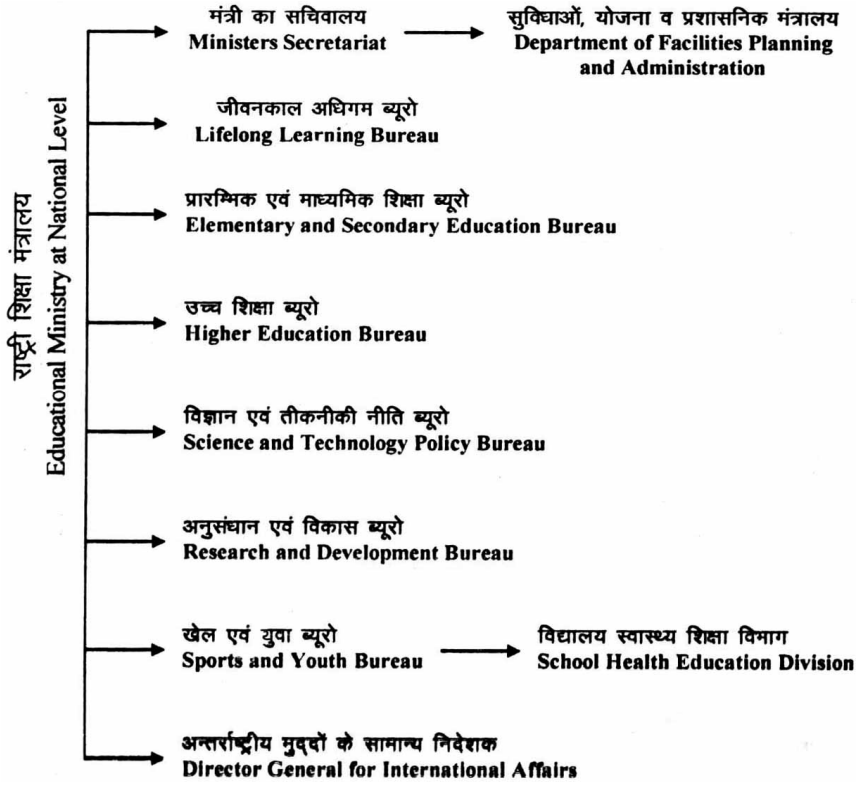

शिक्षा संस्कृति, खेल, विज्ञान व तकनीकी मंत्रालय
(मेक्स्ट) का संगठन (1 अप्रैल, 2006 का)
Origanisation of Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) AS ON 1 April,2006

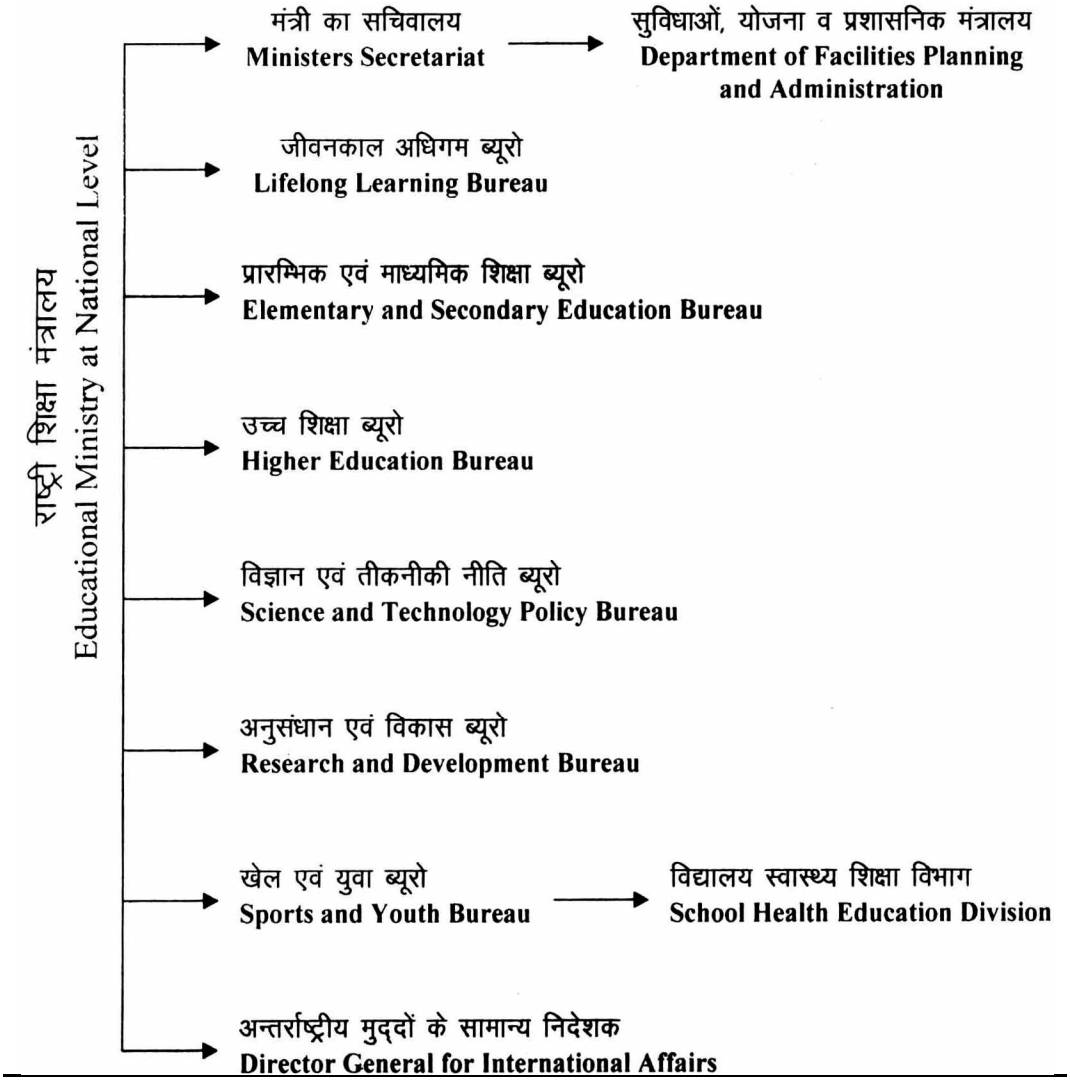

13.12 शिक्षा पर खर्च (Expenditure on Education)

जापान अपनी राष्ट्रीय आय का 7 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता है। वित्तीय वर्ष 2005 में शिक्षा मंत्रालय (मेक्स्ट) का बजट सामान्य अकाउन्ट बजट का 7 प्रतिशत था (सामान्य purpose बजट का 11.8 प्रतिशत)। पब्लिक शिक्षा को वित्तीय सहायता की जिम्मेदारी राष्ट्रीय प्रीफेक्चरल तथा म्युनिसिपल सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वहन की जाती है। शिक्षा पर जन खर्च का लगभग आधा हिस्सा राष्ट्रीय केन्द्रिय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। राष्ट्रीय सरकार स्थानीय अधिकारीयों को सामान्य non specific अनुदान के साथ ही शिक्षा

के लिए earmarked छूट प्रदान करती है और पब्लिक विद्यालय शिक्षकों के वेतन की आधी राशि प्रदान करती है।

मेक्स्ट बजट का उपयोग शैक्षिक सुधार, विज्ञान व तकनीकी, खेल, और संस्कृति व कला के उन्नयन के लिए किया जाता है। इसमें पब्लिक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों आदि की तनख्वाह, शैक्षिक सुविधाओं का विकास, निजी विद्यालय को छूट (Subsidisation) और स्कॉलरशिप लोन कार्यक्रम भी सम्मिलित है।

जैसा की चित्र-5 में दिखाया गया है 2005 में सर्वाधिक खर्च (कुल मेक्स्ट बजट का 36.9 प्रतिशत) अनिवार्य शिक्षा पर किया गया था। जापान में निजी शैक्षिक संस्थाओं की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है। सन् 1993 में करीब 74 प्रतिशत विश्वविद्यालय तथा जूनियर कॉलेज के विद्यार्थी, लगभग 29 प्रतिशत उच्च माध्यमिक और 79 प्रतिशत किंडरगार्टन विद्यार्थी निजी विद्यालय में नामांकित थे। इस भूमिका को देखते हुए निजी विद्यालय क्रमोन्नत सब्सिडी नियम (Private School Promotion Subsidy Law) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सरकार इन संस्थाओं को सब्सिडी प्रदान कर रही है।

शिक्षा खर्च विवरण

क्र.सं.	शिक्षा/संस्थान/कार्यक्रम खर्च विवरण	बिलियन येन %
1.	पब्लिक स्कूल	2.1%
2.	ब्याजमुक्त ऋण	2.3%
3.	अनिवार्य शिक्षा	36.9%
4.	राष्ट्रीय विश्वविद्यालय	23.8
5.	विज्ञान तकनीकी	14.5%
6.	ऊर्जा नीति	14.5%
7.	जीवन पर्यन्त शिक्षा	8.6%
8.	पाठ्य-पुस्तक खरीद	0.7%
9.	छात्रवृत्ति कार्यक्रम	20%
10.	निजी विद्यालय सहायता	1.8%
11.	निजी विश्वविद्यालय अनुदान	5.7%

13.13 जापानी शिक्षा की विशेषताएं (Special Features of Education System in Japan)

(1) जापान के पास दुनिया का उच्चतम शिक्षा का स्तर व सबसे अधिक साक्षरता दर है। वर्तमान सांख्यिकी बताती है कि लगभग 100 प्रतिशत जापानी साक्षर हैं, वह भी उस स्थिति में जब कि जापानी भाषा पढने और लिखने में दुनिया की सबसे कठिन भाषाओं में से एक है।

(2) लगभग 95 प्रतिशत जापानी हाई स्कूल से स्नातक करते हैं। (88 प्रतिशत अमेरिकी विद्यार्थियों की तुलना में)

(3) विकसित देशों में जापान में सबसे अधिक विश्वविद्यालय नामांकन दर है, और

(4) साथ ही बड़ी संख्या में राज्य व निजी विश्वविद्यालय है।

(5) जापानी संस्कृति में शिष्टाचार व सामाजिक गुणों का अत्यंत महत्व है इसलिए वहां नैतिक शिक्षा का अत्यधिक महत्व है।

(6) जापान में जूनियर कॉलेजों में छात्राओं का प्रतिशत छात्रों से अधिक है।

(7) जापान में शिक्षा का माध्यम प्रत्येक स्तर पर जापानी ही है। जापानी भाषा लिखने में काफी जटिल है।

(8) जापान या प्रशासनिक प्रीफेक्चर्स और 3000 से अधिक म्यूनिसिपल क्षेत्रों में बटा हुआ है,जो स्थानीय शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण रखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का नियंत्रण एवं प्रशासन शिक्षा मंत्रालय के पास है।

(9) जापान में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास 'मैजी काल' में 1872 में 'ऑर्डर ऑफ एजुकेशन' जारी करने के साथ हुआ। इसी समय से प्रारम्भिक विद्यालयी शिक्षा को अनिवार्य किया गया।

(10) जापान में 1878 से ही दृष्टिबाधितों व श्रवणबाधितो के लिए अलग से 'विशिष्ट विद्यालय' की स्थापना हो गई थी।

(11) जापान में हाई स्कूल तक पहुंचने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं का अनुपात छात्रों से अधिक है। अधिकांश छात्राएँ उच्च शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी न जाकर 'जूनियर कॉलेज' या 'स्पेशल ट्रेनिंग स्कूलों' में जाती है, जब कि छात्र यूनिवर्सिटी अथवा तकनीकी कॉलेजों में जाते है।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. जापान की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए।
2. जापानी शिक्षा व्यवस्था के ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश डालिए।
3. जापानी शिक्षा प्रणाली एवं संरचना को स्पष्ट कीजिए।
4. जापानी शिक्षा की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए।

13.14 सारांश (Summary)

जापान विश्व के प्रमुख औद्योगिक देशों में से एक है और एशिया में उसका राजनैतिक व आर्थिक प्रभाव है। जापान की राजधानी टोकियो है और यह देश 47 प्रशानिक प्रीफेक्चर्स और कई म्यूनिसिपल क्षेत्रों में बटा हुआ है। जापान सूचना प्रधान समाज है जहाँ प्रेस की व बोलने की स्वतंत्रता है । यहाँ शिशु मृत्युदर कम है ओर लोगों का जीवनकाल दुनिया में सबसे लम्बा है।

जापान में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास मैजी काल से आरंभ हुआ और उसी काल से स्कूलों में नैतिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाने लगा। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् (1947 में) जापान ने शिक्षा की 6-3-3-4 की नई प्रणाली अपनाई और शिक्षा में व्यापक सुधार

हुए। सन् 1947 में 'शिक्षा का मूल नियम' लागू किया गया जिसमें सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई।

शिक्षा की 6-3-3-4 की संरचना में छः वर्षीय प्रारम्भिक तथा निम्न माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य व निशुल्क है। उसके पश्चात् तीन वर्ष की हाई स्कूल शिक्षा और फिर विश्वविद्यालयी शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा संरचना के अन्तर्गत हाई स्कूल व उसके बाद कई विकल्प भी उपलब्ध हैं। वोकेशनल शिक्षा प्रदान करने के लिए अलग से 'स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग स्कूल/कॉलेज उपलब्ध हैं।

वहाँ शिक्षा का माध्यम जापानी है। स्कूलों में विद्यार्थियों की बढती व्यवहार सम्बन्धित समस्याओं को देखते हुए परामर्श एवं निर्देशन का अत्यधिक महत्व है। वहाँ उच्च शिक्षा में यूनिवर्सिटी शिक्षा तक कम लड़किया पहुँचती है क्योंकि अधिकतर छात्राएँ जूनियर कॉलेज करती हैं। वहाँ साक्षरता दर लगभग शत प्रतिशत है।

जापान अपनी राष्ट्रीय आय का 7 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता है। पब्लिक शिक्षा को वित्तीय सहायता की जिम्मेदारी राष्ट्रीय, प्रीफेक्चरल तथा म्यूनिसिपल सरकार संयुक्त रूप से वहन करती है। केन्द्र स्तर पर शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सरकार की है और स्थानीय स्तर पर प्रीफेक्चरल व म्यूनिसिपल शिक्षा बोर्ड की।

13.15 संदर्भ सूची (References)

1. Japan (1980). Ministry of Education, Science and Culture, Minister's Secretariat, Research and Statistic Devision. **Japan's Modern Educational System-A History of the First Hundred Years.** Tokyo:Printing Bureau, Ministry of Finance.
2. Japan(2000). Ministry of Education, Science Sports and Culture. **Education in japan.** Tokyo Gyosei Co-operation.
3. Japan (1997) Ministry of Education, Science Sports and Culture. **Outline of Education in Japan.** Tokyo:Gyosei Cooperation.
4. Japan (1999) Ministry of Education, Science Sports and Culture **Statistical Abstract of Education, Science, Sports and Culture.** Tokyo:Printing Bureau, Ministry of Finance.
5. http:/www.bcoedu/bcorg/avp/soe/cihenewsletter/Number40/p20-Yonezawa htm.
6. Prof. Yoshinori Tabata. Teachers and Teacher Education in Japan. **Anweshika Indian Journal of Teacher Education,** 4(2), Dec. 2007,45-66.
7. http:/en.wikipedia.org./wiki/Graduate School
8. http:/en.wikipedia.org./wiki/Colleges of Technology

9. http:/en.wikipedia.org./wiki/Higher-Education in Japan
10. http:/www.mext.go.jp/english/org/struct/oo2.htm.
11. passin, Merbert (1965). **Society and Education in Japan,** Teachers College Press, Columbia University, New York.
12. Naito, Takashi. **"Moral Education in Japanese Public Schools,"** Moral Education Forum, Vol.15, No.2,pp 27-26, Summer 1990.
13. Thomas, Paul F. **"Moral Education in the Schools of Japan",** Horizon, Vol.23, No. 1, pp 17-19, Sep. 1985.

अध्याय-14

जापान में विद्यालयी शिक्षा
(School Education in Japan)

14.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of the Unit)
14.1 विषय प्रवेश (Introduction)
14.2 स्कूली शिक्षा की संरचना (Structure of school Education)
14.3 विद्यालय पूर्व शिक्षा (Pre-School Education)
14.4 प्रारम्भिक शिक्षा (Elementary Education)
14.5 निम्न माध्यमिक शिक्षा (Junior School/Lower Secondary Education)
14.6 उच्च माध्यमिक शिक्षा (Upper Secondary Education/High School)
14.7 सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी शिक्षा (Information and Communication Technology Education)
14.8 दूरस्थ एव सतत् शिक्षा (Distance and Continuing Education)
14.9 शोध (Research)
14.10 शिक्षक शिक्षा (Teacher Education)
14.11 विद्यालयी शिक्षा का प्रशासन एवं प्रबंधन (Administration and Management of School Education)
14.12 विद्यालयी शिक्षा की वित्त व्यवस्था (Financing of School Education)
14.13 विद्यालयी शिक्षा की विशिष्ट विशेषताएँ (Special Features of School Education)
14.14 विद्यालयी शिक्षा की समस्याएँ एवं चुनौतियाँ (Problems and Challenges of School Education)
14.15 विद्यालयी शिक्षा की बदलती प्रवृत्तियाँ (Changing Trends of School Education)
14.16 सारांश (Summary)
14.17 संदर्भ सूची (References)

14.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of the Unit)

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप -

1. स्कूली शिक्षा की संरचना से परिचित हो सकेंगे।
2. जापानी विद्यालय पूर्व, प्रारम्भिक निम्न माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित विभिन्न तथ्यों को बता सकेंगे।
3. जापान में सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी शिक्षा और पत्राचार एवं सतत् शिक्षा का वर्णन कर सकेंगे।
4. जापान में सेवापूर्व व सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा की प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकेंगे।
5. जापान की स्कूली शिक्षा का प्रबंधन व प्रशासन तथा वित्त व्यवस्था को स्पष्ट कर सकेंगे।

6. जापानी स्कूली शिक्षा के विशेष पहलुओं, उसकी समस्याओं तथा शैक्षिक सुधारों की चर्चा कर सकेंगे।

14.1 विषय प्रवेश (Introduction)

जापान की शिक्षा प्रणाली का शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीकरण है। इसके विद्यालय 1947 के शिक्षा के मूल नियम एवं विधान के अंतर्गत संचालित हैं। यही उच्च शिक्षा के लिए सभी विद्यार्थियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा से गुजरना होता है। जापानी शिक्षाविदों को जटिल जापानी भाषा जिसे कुछ लिपियों को मिलाकर बनाया है, सिखाने में समस्या आती है। सन् 1995 में राज्य का 47 प्रतिशत बजट शिक्षा पर खर्च किया गया था। नौ वर्ष तक अर्थात् छः वर्ष प्रारम्भिक स्कूल और तीन वर्ष जूनियर हाई स्कूल तक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य है। जूनियर हाई स्कूल के आगे यह ऐच्छिक है, और पब्लिक हाई स्कूल और पब्लिक उच्च अध्ययन की संस्थाओं में भी कुछ ट्यूशन फीस ली जाती है।

सन् 2003 में जापान में 23,633 प्राथमिक स्कूल थे, जिनमें 722 मिलियन बच्चे जाते थे और लगभग 16,600 माध्यमिक स्कूल थे जिनमें 758 मिलियन बच्चे जाते थे। साथ ही उस समय वहां 413,890 प्राइमरी स्कूल शिक्षक और 510969 सैकण्डरी स्कूल शिक्षक थे (सारणी 1 व 2)। वहाँ तकनीकी, व्यावसायिक और वोकेशनल विद्यालय के साथ-साथ शारीरिक विकलांगों के लिए भी विद्यालय हैं। कड़ी प्रतिस्पार्धक शिक्षा प्रणाली में प्राईवेट ट्यूटोरियल कॉलेज भी हैं।

इस अध्याय में जापानी स्कूली शिक्षा जिसमें विद्यालय पूर्व शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा, निम्न माध्यमिक/जूनियर स्कूल शिक्षा और उच्च माध्यमिक/हाई स्कूल शिक्षा सम्मिलित हैं पर चर्चा की गई है।

सारणी-1

स्तरों के अनुसार विद्यालयी शिक्षा संस्थाओं की संख्या (2003)

संस्था का प्रकार	राष्ट्रीय	पब्लिक	निजी	कुल
किंडरगार्टन	49	5,736	6,389	14,174
प्रारंभिक स्कूल	73	23,381	179	23,633
निम्न माध्यमिक स्कूल	76	10,358	700	11,134
उच्च माध्यमिक स्कूल	15	4,117	1,318	5450
सैकण्डरी स्कूल	2	5	9	16
स्पेशल एजुकेशन स्कूल	45	935	15	995

सारणी-2

विभिन्न संस्थाओं में विद्यार्थियों और शिक्षकों की संख्या (2003)

संस्था का प्रकार	विद्यार्थी	छात्रा प्रतिशत	शिक्षक	महिलाशिक्षक प्रतिशत
किंडरगार्टन	1760494	49.3	108822	93.9
प्रारम्भिक स्कूल	7226910	48.8	413890	62.7

निम्न माध्यमिक स्कूल	3748319	48.9	252050	40.9
उच्च माध्यमिक स्कूल	3809827	49.4	252537	27.0
सैकण्डरी स्कूल	4736	42.6	382	33.2
स्पेशल एजुकेशन स्कूल	96473	36.4	61094	57.6

नोट: शिक्षकों में प्राचार्य भी सम्मिलित हैं।

स्रोत: मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर स्पोर्ट्स, साईंस और तकनीकी स्कूल बेसिक सर्वे रिर्पोट 2003।

14.2 स्कूली शिक्षा की संरचना (Structure of School Education)

जैसा कि अध्याय 13 में दिया गया है, जापान में 6-3-3-4 शिक्षा की संरचना है। अर्थात् 6 वर्ष की प्रारम्भिक व निम्न माध्यमिक या जूनियर स्कूल शिक्षा तथा 3 वर्षीय उच्च माध्यमिक या हाई स्कूल शिक्षा व 4 वर्षीय उच्च शिक्षा।

प्रारम्भिक व निम्न माध्यमिक स्कूली शिक्षा प्रत्येक 3 वर्ष की होती है और कुल 6 वर्ष की यह शिक्षा अनिवार्य है। प्रारम्भिक शिक्षा के पूर्व विद्यार्थी प्री-स्कूल शिक्षा किंडरगार्ट्न्स में प्राप्त करते हैं हालांकि यह अनिवार्य नहीं है।

जूनियर स्कूल के बाद विद्यार्थियों के लिए हाई स्कूल में जाने के साथ ही कई अन्य विकल्प भी हैं। कई विद्यार्थी जूनियर स्कूल के बाद हाई स्कूल शिक्षा प्राप्त करने की बजाय सीधे ही तकनीकी कॉलेजों 'मिसलेनियस स्कूल' या 'स्पेशलाइस्ड ट्रेनिंग स्कूल' में प्रवेश ले लेते है, जहाँ से वे व्यावसायिक पाठ्यक्रम करते हैं। हाई स्कूल में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी जूनियर कॉलेजों विश्वविद्यालयों अथवा 'एडवांस कोर्सेज' वाले 'स्पेशनाइज्ड ट्रेनिंग कॉलेजों में प्रवेश पाते हैं।

14.3 विद्यालय पूर्व शिक्षा (Pre-School Education)

जापान में विद्यालय पूर्व शिक्षा घर से ही आरंभ हो जाती है और बालकों को घर पर अच्छा आचरण, सामाजिक व्यवहार और कुछ हद तक मौखिक व आंकिक कौशल सिखाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। अभिभावक बालकों की विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है तथा अक्सर अपने बच्चों को इसके लिए किंडरगार्ट्न्स (Yochien) में नामांकित करते हैं। ये विद्यालय शिक्षा मंत्रालय द्वारा पर्यवेक्षित होते हैं, परंतु ये औपचारिक शिक्षा प्रणाली का भाग नहीं है अर्थात् बालकों के लिए अनिवार्य नहीं है।

1. **प्रवेश (Admission)-** विद्यालय शिक्षा नियम के अनुसार किंडरगार्टन में प्रवेश उन पूर्व-विद्यालय बालकों को दिया जाता है जो तीन वर्ष पूर्ण कर चुके हों और छः वर्ष की अनिवार्य विद्यालय शिक्षा की आयु तक नहीं पहुंचे हो।
2. **पर्यवेक्षण (Supervision)-** पूर्व विद्यालय के साथ ही सरकार द्वारा पर्यवेक्षित Day Care Centres (Hoikuen) की भी सुविकसित प्रणाली है, जो विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करती है। इन विद्यालय का पर्यवेक्षण लेबर मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

3. **पाठ्यक्रम (Curriculum)-** किंडरगार्टन्स के पाठ्यक्रम पर नियंत्रण मुख्य रूप से राष्ट्रीय संस्कृति, खेल, विज्ञान व तकनीकी मंत्रालय (Monbukagakusho) का होता है। इस मंत्रालय का 1990 का पूर्व-विद्यालय पाठ्यक्रम दोनों ही प्रकारों के विद्यालय किंडरगार्टन और डे केयर सेन्टर (Day Care Centres) में लागू होता है। पाठ्यक्रम बाल-स्वास्थ्य, मानव संबंध, पर्यावरण, शब्द (भाषा) और अभिव्यक्ति जैसे विषय सम्मिलित हैं।

4. **स्टाफ (Staff)-** किंडरगार्टन के स्टाफ में मुख्यत: जूनियर कॉलेज स्नातक युवतियाँ होती है।

5. **वित्त व्यवस्था (Finance)-** किंडरगर्टन्स को वित्त म्यूनिसिपेलिटी निजी स्रोतों द्वारा किया जाता है। किंडरगार्टन्स तथा डे केयर सेन्टर्स (Day Care Centres) दोनों मिलकर 98 प्रतिशत से अधिक बच्चों को विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करते हैं, जो कि आगे चलकर औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में प्रथम कक्षा में प्रवेश पाते हैं। इन पूर्व विद्यालय में 58 प्रतिशत निजी हैं। जिनमें 77 प्रतिशत बालक नामांकित हैं। वहां May, 2003 तक 14,174 किंडरगार्टन स्कूल थे जिनमें 1,760,442 विद्यार्थी नामांकित थे।

14.4 जापान में प्रारम्भिक शिक्षा (Elementary Education in Japan)

जापान में शिक्षा के 6-3-3-4 वर्ष के ढांचे के अंतर्गत प्रारम्भिक स्कूल (6 वर्ष) की शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है। अर्थात् वहां 6-12 वर्ष तक की उम्र तक सभी बच्चों के लिए उनकी मानसिक व शारीरिक विकास के अनुरूप छ: वर्ष की अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने की सुविधा है।

1. **प्रवेश (Admission)-** प्रारम्भिक कक्षाओं में प्रवेश 6 वर्ष की उम्र में कक्षा 1 में होता है। यह प्रवेश केवल जन्म तिथि के आधार पर होता है न कि योग्यता या परिपक्वता से। अत: जो बच्चे अप्रैल-1 को 6 वर्ष पूर्ण कर लेते हैं, वे वहां पहली कक्षा में प्रवेश पा सकते हैं। स्कूली वर्ष अप्रैल से मार्च के अंत तक होता है।

2. **विद्यालय सत्र (School Session)-** पूर्वी विद्यालय वर्ष तीन सत्रों में बंटा रहता है- ग्रीष्म (Summer), शीत (Winter) और बसंत (Spring)। प्रत्येक सत्र के बाद अवकाश काल होता है। इनमें से ग्रीष्मावकाश एक महीने का होता है।

3. **विद्यालय के प्रकार (Types of Schools)-** वर्तमान में पूर्व की अपेक्षा अधिकांश आधुनिक पब्लिक प्रारम्भिक स्कूलों (99 प्रतिशत से अधिक) में सह शिक्षा है जापान में अधिकांश बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा सरकारी (पब्लिक) स्कूलों में होती है और निजी विद्यालय 1 प्रतिशत से भी कम है। लगभग 90 प्रतिशत बच्चे (कक्षा 1 से 9 तक) पब्लिक स्कूलों में शिक्षा लेते हैं।

4. **विद्यालय व कक्षा आकार (Size of Schools and Classes)-** विद्यालय में औसत कक्षा-आकार 35-40 विद्यार्थी हैं, हालांकि 1995 में राष्ट्रीय औसत कक्षा आकार 28.4 विद्यार्थी प्रति कक्षा तक गिर गया था। इन विद्यालय में कुल विद्यार्थी संख्या करीब 700 से 1000 विद्यार्थियों तक होती हैं, इसलिए वे बड़े होते हैं, जबकि दूरस्थ ग्रामीण विद्यालय (19%) एकल-कक्षा विद्यालय होते है।

5. **फीस एवं वित्त (Fees and Finance)-** यहाँ पब्लिक विद्यालय में कक्षा 1 से 9 तक की अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती है। इसके लिए राष्ट्रीय, प्रीफेक्टरल (Prefectural) और स्थानीय सरकार लगभग बराबर खर्च करते हैं।

   निजी विद्यालय महंगे होते हैं, परंतु 1980 में फिर भी इनकी ट्यूशन फीस वृद्धि में कुछ कमी हुई थी। कुछ निजी विद्यालय नामी व प्रसिद्ध हैं और उनमें अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनसे सम्बद्ध अच्छे उच्च स्तर के निजी विद्यालय और फिर विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिल जाता है। अत: इन निजी विद्यालय में आर्थिक रूप से मजबूत अभिभावक ही अपने बच्चों को भेज सकते हैं।

6. **पाठ्यक्रम (Curriculum) -** शिक्षा मंत्रालय का एक अध्यादेश "Enforcement Regulation for the School Education Law" द्वारा प्रारम्भिक तथा निम्न माध्यमिक स्तर पर अध्ययन किए जाने वाले विषयों के नाम तथा प्रत्येक विषय के अध्ययन के लिए प्रतिवर्ष विद्यालय घंटे भी निर्धारित कर दिए गए हैं। मंत्रालय द्वारा दिए गए अध्ययन के पाठ्यक्रम (Course of Study) में प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक विषय के आधारभूत उद्देश्य और विषयवस्तु के अनुदेशन की रूपरेखा दी गई है।

प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में जापानी भाषा, सामाजिक अध्ययन, गणित, विज्ञान, जीवन गतिविधियां, संगीत, कला, गृह अर्थशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, सामान्य अध्ययन, नैतिक शिक्षा व विशेष गतिविधियां सम्मिलित हैं। इस स्तर पर संगीत, ललित कलाओं और शारीरिक शिक्षा पर विशेष बल है।

7. **सहशैक्षिक गतिविधियां (Co-Curricular Activities) -** विशेष गतिविधियों जिनमें विद्यार्थी सभाएं, क्लब गतिविधियां, विद्यार्थी निर्देशन, विद्यालय पर्व, पर्यटन आदि सम्मिलित हैं के द्वारा विद्यार्थियों को स्वयं को समूह का एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में देखना व परस्पर प्रभावी तरीके से कार्य करना सिखाया जाता है। इसके अलावा विद्यालय वृद्ध युवाओं तथा समुदाय व विद्यार्थियों के मध्य विद्यालाय में अन्तःक्रिया करवाते हैं। साथ ही विद्यालय गतिविधियों के माध्यम से बच्चे अन्य विद्यालय से तथा अन्य संस्कृति के लोगों से अन्तःक्रिया करते हैं इन सबके माध्यम से बच्चों को विभिन्न पृष्ठभूमि तथा आयु के लोगों से दोस्ताना और स्कूलों में व्यवहार को अनुभूत करवाया जाता है। प्रारम्भिक स्तर पर सन् 1959 से सप्ताह में एक बार नैतिक शिक्षा की कक्षाओं को पाठ्यक्रम में पुन: सम्मिलित किया गया (विस्तृत विवरण अध्याय 13 में देखें)

8. **शिक्षण विधि (Method of Teaching)-** जापानी विद्यालय सीखने को तत्पर बच्चे तैयार करना चाहते हैं। इसके लिए शिक्षक अनुभव आधारित अधिगम पर बल देते हैं। इस हेतु सभी शिक्षक एक-दूसरे को सहयोग प्रदान कर प्रभावी शिक्षण विधियों व पाठ योजनाओं का विकास करते हैं। प्रत्येक विद्यालय "अध्ययन के पाठ्यक्रम" के अनुसार अपने पाठ्यक्रम का संचालन स्थानीय आवश्यकताओं और विद्यार्थी के विकास और अनुभव के स्तर के अनुसार करते है। प्रारम्भिक विद्यालय में 70 प्रतिशत शिक्षक सभी विषय पढ़ाते हैं क्योंकि विशेषज्ञ शिक्षकों का अभाव है।

सामान्य विषयों के अध्ययन में प्रकरण स्थापित करने के पश्चात् शिक्षक, विद्यार्थी को दिए गए प्रकरण में अपनी रूचि के अनुसार स्वतंत्र अध्ययन व खोज का अवसर देते हैं। जापान में 99% से अधिक बच्चों का प्राथमिक विद्यालय में नामांकन है। वहाँ मई, 2003 तक 23,633 प्राथमिक विद्यालय थे। जिनमें लगभग 7.2 लाख विद्यार्थी नामांकित थे।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. जापान में विद्यालयी शिक्षा की सरंचना स्पष्ट कीजिए।
2. जापान में किस स्तर तक शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य है?
3. जापान में प्रारम्भिक कक्षाओं में प्रवेश किस आधार पर होते हैं?
4. जापान के प्रारम्भिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम व उसके उद्देश्य आदि की रूपरेखा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है?
5. जापान के अधिकांश विद्यालय किस प्रकार के हैं?

14.5 जूनियर हाई स्कूल/निम्न माध्यमिक विद्यालय/मिडिल स्कूल (Junior High School/Lower Secondary School/Middle School)

छः वर्ष की अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा के पश्चात् जापानी बच्चे जूनियर हाई स्कूल जो निम्न माध्यमिक विद्यालय या मिडिल स्कूल भी कहलाते हैं, में अध्ययन करते हैं। इन विद्यालय का विस्तृत वर्णन निम्नानुसार है:-

1. **प्रवेश (Admission)-** निम्न माध्यमिक स्कूल (Chugakko) में कक्षा सात से नौ तक, लगभग 12 व 15 वर्ष के मध्य आयु के बच्चे प्रारम्भिक विद्यालय पूर्ण करने के पश्चात अध्ययन करते हैं। प्रारम्भिक विद्यालय के समान ही अभिभावकों को अपने बच्चों को तीन वर्ष की निम्न माध्यमिक शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है।
2. **विद्यालय के प्रकार (Types of Schools)-** प्रारम्भिक विद्यालय के समान ही जापान में अधिकांश निम्न माध्यमिक स्कूल पब्लिक हैं। इस स्तर पर करीब 5.7% विद्यार्थी निजी विद्यालय में प्रवेश लेते हैं और कुछ राष्ट्रीय विद्यालय में। निजी विद्यालय में भेजने का मुख्य कारण अभिभावकों द्वारा उच्च शैक्षिक उपलब्धि को प्राथमिकता देना अथवा इनमें अध्ययन से वे अपने बच्चों को सीधे ही सम्बद्ध हाई

स्कूल में प्रवेश दिला सकते है (और वहां से अक्सर सीधे ही विश्वविद्यालय में) और इस तरह वे हाई-स्कूलों में प्रवेश की चूहा-दौड़ से अपने बच्चों को बचा लेते हैं। ऐसे अभिभावक आर्थिक रूप से सम्पन्न होते हैं।

3. **उद्देश्य (Objectives)-** इस स्तर पर विद्यालय का मुख्य लक्ष्य अकादमिक अध्ययन पर अधिक केंद्रित होता है।

4. **स्टाफ (Staff)-** इस स्तर पर विद्यार्थी विशेषज्ञ अध्यापक से अनुदेशन प्राप्त करते हैं। शिक्षक अक्सर अपने अध्ययन का विषय ही पढ़ाते हैं। अधिकांश शिक्षक चार वर्षीय महाविद्यालय से स्नातक होते हैं। विभिन्न विषयों के लिए अलग-अलग अध्यापक होते हैं। प्रत्येक कक्षा के लिए एक गृह-कक्ष (Home Room) अध्यापक होता है जो परामर्शद भी होता है।

5. **कक्षा आकार (Class-Size)-** इस स्तर पर कक्षाएं बड़ी होती हैं और औसत 38-40 विद्यार्थी प्रति कक्षा होते हैं।

6. **शिक्षण विधि (Method of Teaching)-** पढ़ाने की गति भी अत्यधिक होती है क्योंकि शिक्षकों को हाई-स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी का आधार बनाना पड़ता है। निम्न माध्यमिक स्तर पर अनुदेशन के लिए अध्यापक व्याख्यान अवधि पर अधिक निर्भर रहते हैं। शिक्षक अन्य मिडिया जैसे- दूरदर्शन व रेडियो का भी उपयोग करते हैं तथा कुछ लेबोरेटरी कार्य भी करवाते हैं। सन् 1989 तक 45% पब्लिक निम्न माध्यमिक विद्यालय में कम्प्यूटर थे। इसमें वे विद्यालय भ सम्मिलित हैं जो केवल प्रशासनिक कार्य के लिए कम्प्यूटर का उपयोग करते थे। कक्षा-कक्ष संगठन अभी भी छोटे कार्य समूहों (Small group work) पर आधारित हैं, हालांकि यह अनुशासन के कारण नहीं होता है। माध्यमिक स्तर के सामाजिक अध्ययन में कार्य प्रधान अनुसंधान उपागम (Task Oriented Research Approach) को बढ़ावा देना नवीन शैक्षिक सुधार का लक्ष्य है ताकि विषयवस्तु को रटने पर कम बल दिया जा सके।

7. **पाठ्यक्रम (Curriculum)-** सभी पाठ्यक्रमों की विषय-वस्तु का उल्लेख निम्न-माध्यमिक विद्यालय के अध्ययन के पाठ्यक्रम (Course of Study) में है। कुछ विषयों, जैसे- जापानी भाषा तथा गणित का समन्वय, प्रारम्भिक स्तर के पाठ्यक्रम से किया गया है अन्य, जैसे विदेशी-भाषा अध्ययन, सामान्यत: अंग्रेजी का अध्ययन इस स्तर से प्रारम्भ होता है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत जापानी भाषाएं, सामाजिक अध्ययन, गणित, विज्ञान, संगीत, ललित कलाएं स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा सम्मिलित हैं। सभी विद्यार्थी औद्योगिक कला अथवा गृह-निर्माण भी सीखते हैं। इस स्तर पर भी नैतिक शिक्षा व विशेष गतिविधियों (special activities) पर ध्यान बनाए रखा जाता है। कई विद्यार्थी विद्यालय के पश्चात् खेल क्लबों में भाग लेते हैं।

8. **फीस (Fees)-** राजकीय/पब्लिक विद्यालय में अध्ययन हेतु हाई स्कूल के अंत तक कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। केवल गणवेश, पाठ्यपुस्तक आदि का खर्चा स्वयं वहन करना होता है। परन्तु निजी विद्यालय, ट्यूशन फीस लेते हैं। अत: वे महंगे हैं।

9. **आकड़े (Data)-** जापान में 2003 तक 11,134 निम्न माध्यमिक स्कूल हैं, जिनमें 76 राष्ट्रीय, 10,358 पब्लिक और 700 स्कूल निजी थे। इनमें कुल 3,748,319 विद्यार्थी नामांकित थे; जिनमें से 48.9% महिला-विद्यार्थी थीं। साथ ही इन विद्यालय में नियुक्त कुल 2,52,050 शिक्षकों में से 40.9% महिलाएँ थीं।

14.6 हाई स्कूल/उच्च माध्यमिक विद्यालय (High School/Upper Secondary School (*Kotogakko*)

उच्च माध्यमिक विद्यालय या हाई स्कूल का उद्देश्य निम्न माध्यमिक विद्यालय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उनकी मानसिकता तथा शारीरिक क्षमता के अनुसार सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा प्रदान करना है।

1. **प्रवेश (Admission) -** हाई स्कूल में प्रवेश निम्न माध्यमिक विद्यालय उत्तीर्ण करने पर होता है। यह प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है और जापानी हाई स्कूल में प्रवेश, परीक्षा में अच्छे अंक आने पर ही होता है।

स्थानीय पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश प्रीफेक्चरल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित शैक्षिक (Scholastic) उपलब्धि परीक्षा के अंकों तथा निम्न माध्यमिक विद्यालय द्वारा भेजे गए आवेदक विद्यार्थी की योग्यता का रिकार्ड व अन्य प्रमाण-पत्रों के आधार पर होता है।

अधिकांश जापानी विद्यार्थियों का भविष्य उनके द्वारा उत्तीर्ण किए गए हाई स्कूल तथा कॉलेज प्रवेश परीक्षा के अंकों पर निर्भर होता है, क्योंकि अधिकांश रोजगारदाता आवेदनकर्ता के हाई स्कूल की साख के आधार पर रोजगार देते हैं। महत्वाकांक्षी विद्यार्थी निजी क्रेम स्कूल (Cram School) अथवा जूकू (*Juku*) में शिक्षा लेते हैं और वे उनमें तथा महाविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं।

जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश चाहते हैं वे अलग अकादमिक हाई स्कूल में जाते हैं, जबकि जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करने की योजना नहीं रखते वे अलग व्यावसायिक या वोकेशनल हाई स्कूल में जाते हैं। अलग व्यावसायिक या वोकेशनल हाई स्कूल में जाते हैं।

जापानी समाज में हाई स्कूल डिप्लोमा अधिकांश नौकरियों के लिए न्यूनतम योग्यता मानी जाती है।

2. **फीस (Fees)-** निजी, राष्ट्रीय और पब्लिक विद्यालय सभी शिक्षा निःशुल्क प्रदान नहीं करते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने अनुमान लगाया कि सन् 1980 के दशक में एक बालक का पब्लिक उच्च विद्यालय शिक्षा का वार्षिक खर्च करीब 300,000 येन (US$242) होता था और निजी उच्च-माध्यमिक विद्यालय में तो दुगुना खर्च होता था। निजी विद्यालय महंगे हैं।

14.6.1 पाठ्यक्रमों के प्रकार (Types of Courses)

उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम तीन प्रकार का- पूर्णकालीन अंशकालीन व पत्राचार पाठ्यक्रम होता है। इनमें से सबसे आम पूर्णकालिक पाठ्यक्रम हैं जो उच्च माध्यमिक स्कूलों द्वारा प्रदान किया जाता है और इसकी अवधि तीन वर्ष की है। अंशकालीन व पत्राचार पाठ्यक्रम 3 वर्ष या इससे अधिक के हो सकते हैं व इनका विस्तृत विवरण आगे दिया गया है। कई निजी विद्यालय छह वर्षीय माध्यमिक स्कूल चलाते हैं, जिनमें निम्न व उच्च माध्यमिक स्कूल दोनों होते हैं। इनमें भी उपरोक्त तीनों प्रकार के पाठ्यक्रम चलते हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से हाई स्कूल के पाठ्यक्रमों को मुख्यत: दो वर्गो में रख सकते हैं- सामान्य और विशिष्ट (Specialized)।

अत: पाठ्यक्रम के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के हाई स्कूल हो सकते हैं:-

1. **अकादमिक हाई स्कूल (Academic High School) -** ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं- सम्पन्न अथवा विशिष्ट वर्ग के लिए स्कूल और दूसरे सामान्य वर्ग के लिए अकादमिक हाई स्कूल। विशिष्ट वर्ग के अकादमिक हाई स्कूल विद्यार्थी वर्ग में से श्रेष्ठ विद्यार्थियों को एकत्रित कर उच्च राष्ट्रीय विश्वविद्यलयों में अध्ययन के लिए तैयार करते हैं व वहाँ भेजते हैं। सामान्य वर्ग के अकादमिक हाई स्कूल यूं तो देखने में अपने विद्यार्थियों को कम साख वाले विश्वविद्यलयों अथवा जूनियर कॉलेजों के लिए तैयार करते हैं, परंतु हकीकत में वे बड़ी संख्या में अपने विद्यार्थियों को निजी विशिष्ट विद्यालय (Private Specialized Schools) सेनशूगाक्को (Senshugakko) जो बुक-कीपींग, भाषा तथा कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग, जैसे विषयों का शिक्षण कराते हैं, में भेजते हैं। ये विद्यालय मुख्यधारा हाई स्कूलिंग का निर्माण करते हैं।
2. **स्पेशलाईज्ड कॉलेज (Specialized Colleges)-** जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है, ये व्यावसायिक स्पेशलाईज्ड पाठ्यक्रम जैसे- सूचना प्रक्रियाकरण (Information processing), नौ संचालन (navigation) मछली पालन (fish farming), व्यावसायिक अंग्रेजी (Professional English), चीनी मिट्टी कला (Ceramic art) आदि में शिक्षा प्रदान करते हैं। इनमें से व्यावसायिक तथा औद्योगिक पाठ्यक्रम अधिक लोकप्रिय हैं और 1989 में पूर्णकालिक व्यावसायिक कार्यक्रमों के सभी विद्यार्थियों में से 72% ने इसका अध्ययन किया। लगभग 60% वोकेशनल हाई स्कूल पास विद्यार्थी पूर्णकालिक रोजगार में प्रवेश ले लेते हैं। इनका विस्तृत विवरण अध्याय 15 में उच्च शिक्षा के अंतर्गत किया गया है।
3. **पाठ्यक्रम (Curriculum)-** विषयवस्तु की दृष्टि से उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम मुख्यत: दो वर्गों में बांट सकते हैं- सामान्य व विशिष्ट। सामान्य पाठ्यक्रम सामान्य शिक्षा प्रदान करते हैं और शैक्षिक विषयों पर अधिक बल देते हैं। ये पाठ्यक्रम उच्च अध्ययन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिये होते हैं। जबकि, विशिष्ट पाठ्यक्रम व्यावसायिक, तकनीकी या अन्य शिक्षा प्रदान करने के लिए होते हैं, जो विद्यार्थियों को भविष्य में स्नातक के बाद रोजगार प्रदान करें। ये उच्च रूप से विशिष्ट विषयों के

पाठ्यक्रम जैसे-तकनीकी विषय, एग्रीकल्चर गृह विज्ञान, नर्सिंग, मछली पालन, उद्योग, व्यवसाय आदि वर्ग से सम्बन्धित हो सकते हैं।

दोनों अकादमिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष में समान कार्यक्रम होता है और उनमें मुख्य विषय जैसे- जापानी भाषा, गणित व विज्ञान का अध्ययन सम्मिलित है (सारणी-3) द्वितीय वर्ष में पाठ्यक्रम का चयन एवं विषयवस्तु बहुत अधिक वैयक्तिक हो जाता है जो विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार दिया जाता है, हालांकि सभी पाठ्यक्रमों में एक Core अकादमिक विषयवस्तु होती है।

सारणी- 3

उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए आवश्यक विषय	
विषय क्षेत्र	**विषय**
जापानी भाषा	जापानी भाषा I
सामाजिक विज्ञान	आधुनिक समाज
गणित	गणित प्रथम
विज्ञान	विज्ञान I
स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा	स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा
कला	संगीत I ललित कलाएँ I, हस्तकला I अथवा कैलीग्राफी (कोई एक विषय)
घरेलू कलाएँ	सामान्य गृह निर्माण
(केवल महिलाओं के लिए)	

विशिष्ट विषय (केवल वोकेशनल पाठयक्रम के विद्यार्थियों के लिए) 30 क्रेडिट से कम नहीं

सभी पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को उपरोक्त सारणी में दिए गए विषयों का अध्ययन करना आवश्यक है। इन विषयों के अलावा विद्यार्थी कई प्रकार के वैकल्पिक Elective विषय जिनमें अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषा तथा तकनीकी त व्यावसायिक विषयों का अध्ययन भी सम्मिलित है प्रदान कर सकता है।

इन नियमित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त विद्यालय को सभी ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए प्रति सप्ताह एक विद्यालय घंटे या इससे अधिक समय तक गृह कक्ष गतिविधियां (Home room activities) प्रदान करना आवश्यक है। विद्यालय के साथ ही क्लब गतिविधियों के लिए भी इतना ही समय न करना आवश्यक है।

4. **शिक्षकों की योग्यता (Qualification of Teachers)-** अधिकांश हाई स्कूल शिक्षक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स होते हैं। ये हाई स्कूल विभिन्न डिपार्टमेंट्स ने संगठित है और शिक्षक अपने मुख्य क्षेत्र में विशेषज्ञता लिए हुए होते हैं, हालांकि वे अपने विषय के अंतर्गत कई पाठ्यक्रम पढाते हैं।

5. **शिक्षण विधि (Methods of Teaching)-** हाई स्कूल में शिक्षण अधिकतर व्याख्यान विधि द्वारा होता है क्योंकि उसका मुख्य लक्ष्य आवंटित समय में भारी पाठ्यक्रम पूरा

करना होता है। पब्लिक स्कूलों में प्रयुक्त शिक्षण उपागम व विषय सब जगह समान है।

6. **मूल्यांकन (Evaluation)-** शिक्षा मंत्रालय के अध्यादेश में उच्च माध्यमिक विद्यालय में लिए जाने वाले विषयों के नामों का उल्लेख है। साथ ही प्रत्येक विषय का उद्देश्य व मानक विषयवस्तु और मानक "क्रेडिट्स (Credits)" की संख्या जिन्हें विद्यार्थियों को प्राप्त करना है, इस मंत्रालय के "उच्च माध्यमिक स्तर के अध्ययन के पाठ्यक्रम" में दिए गए हैं। यह पाठ्यक्रम 1978 के आरंभ से संशोधित किया गया और 1982 में इसे नवीन रूप में लागू किया गया है। इसके अनुसार विद्यार्थी को किसी भी प्रकार के उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए 80 या अधिक 'क्रेडिट्स' प्राप्त करना आवश्यक है।

14.6.2 शारीरिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षा स्कूल और कक्षाएँ (Special Education Schools and Classes for the Handicapped)

हाई स्कूल स्तर पर अशक्त विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा में प्रशिक्षित करने पर बल दिया जाता है जिससे वे समाज में आत्मनिर्भर हो सकें। इन विद्यार्थियों की अशक्तता के अनुसार यह प्रशिक्षण दिया जाता है, हालांकि कुछ के लिए अधिक विकल्प नहीं है। सरकार इस तरह के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम में संभावनाओं को विस्तार देने के प्रति जागरूक है। सरकार का प्रयत्न रहता है कि अधिक से अधिक उच्च अध्ययन की संस्थाएं इन विद्यार्थियों को स्वीकार करें और ये उच्च अध्ययन की ओर प्रेरित हों।

जापान में इनके लिए 995 विशेष शिक्षा संस्थाएं विद्यमान हैं जो श्रवणबाधितों (Rougakko), दृष्टिबाधितों (Mongaiko) और अधिकतम शारीरिक अपंगता युक्त (Yougogakko) विद्यार्थियों के लिए है।

अपंग बालकों को उनकी अपंगता के प्रकार व स्तर के अनुसार या तो विशिष्ट विद्यालय में या सामान्य विद्यालय की विशिष्ट कक्षाओं में अध्ययन व्यवस्था की जाती है। जिनकी अक्षमता इतनी गंभीर नहीं है उन्हें सामान्य विद्यालय की (अक्षमता के अनुसार) सात प्रकार की विशेष कक्षाओं मानसिक अपंग, शारीरिक अपंग, स्वास्थ्य विकृति युक्त, आंशिक दृष्टि युक्त, श्रवण बाधित, वाक अक्षमता (Speech Dis-orientation) और संवेगात्मक रूप से विचलित (Emotionally disturbed) विद्यार्थियों के लिए कक्षाओं में भेजा जाता है।

जापान में यद्यपि उच्च माध्यमिक विद्यालय अनिवार्य नहीं है, फिर भी सन् 2002 के आकड़ों के अनुसार 97% निम्न माध्यमिक विद्यालय उत्तीर्ण विद्यार्थी उच्च माध्यमिक कक्षाओं मे प्रवेश लेते हैं। कुल 5,450 उच्च माध्यमिक विद्यालय में से 24% निजी हैं। इन विद्यालय में कुल 3809,327 विद्यार्थी नामांकित हैं और 27% महिला शिक्षिका नियुक्त हैं (2003) (सारणी 1 व 2)।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. जापान में कुछ अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों को जूनियर हाई स्कूलिंग के लिए निजी विद्यालयों में अध्ययन करवाने के क्या कारण हैं?
2. निम्न माध्यमिक विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम में कौन से विषय सम्मिलित किए गए हैं?
3. उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश किस आधार पर होता है?
4. जापान में उच्च शिक्षा में जाने के इच्छुक विद्यार्थी कहाँ अध्ययन करते हैं।

14.7 सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी शिक्षा (Information and Communication Teaching Education)

जापान में सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी का उपयोग सन् 1994 से विद्यालय में प्रारम्भ हुआ। यह विद्यालय प्रोजेक्ट के रूप में 100 विद्यालय में प्रारम्भ हुआ और सन् 1996 में 100 "कानेट योजना (Connet Plan) के रूप में आई सी ही शिक्षा विद्यालय में लागू की गई। सन् 1998 में करीब 300 विद्यालय को "विद्यालय इन्टरनेट प्रोजेक्ट' के माध्यम से इन्टरनेट से जोड़ा गया।

1. शिक्षकों द्वारा आई.सी.टी का उपयोग- जापान में सूचना तकनीकी का उपयोग प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों द्वारा कक्षा-कक्ष शिक्षण में जूनियर व सीनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों की तुलना में अधिक संख्या में किया जाता है, जैसाकि सारणी में दिया गया है-

जापानी शिक्षकों द्वारा आई.सी.टी. का उपयोग (मार्च, 2001)

क्र.स.	विषय क्षेत्र	विषय
1.	प्राथमिक विद्यालय	30.4%
2.	जूनियर हाई स्कूल	20.3%
3.	सीनियर हाई स्कूल	12.3%

2. आई.सी.टी. उपयोग हेतु सरकारी नीति (Government Policy for ICT Use)

आई.सी.टी. का शिक्षा में उपयोग हेतु सरकारी नीति (मास्टर प्लान) के अनुसार-

अ. सन् 2005 तक इन्टरनेट का उपयोग उच्च गति से हो।

ब. आधारभूत सुविधाओं के रूप में विद्यालय में 42 PCs से युक्त कम्प्यूटर कक्ष हो और सामान्य कक्षाओं में 2 PCs व 1 प्रोजेक्टर हो और उनमें इन्टरनेट सुविधा हो।

स. सभी शिक्षकों को कक्षा में कम्प्यूटर के उपयोग हेतु प्रोत्साहित करना।

द. विज्ञान व शिक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में पोर्टल सर्वर का इन्सटालमेंट (Portal Server Instalment) और विषयवस्तु का विकास करना।

3. स्कूली पाठ्यक्रम में आई.सी.टी. शिक्षा(ICT Education in School Curriculum)- कम्प्यूटर व इन्टरनेट के उपयोग के रूप में आई.सी.टी. ने शिक्षा में स्थान देने के लिए विद्यालय पाठ्यक्रम में प्रमुख बदलाव किए गए जो निम्नलिखित हैं-

अ. प्राथमिक विद्यालयों मैं सन् 2002 से नवीन विषय " कम्प्रिहेंसिव लर्निंग टाईम" (व्यापक अधिगम समय) का समावेश।

ब. जूनियर हाई स्कूल में नवीन विषय "कम्प्रिहेंसिव लर्निंग टाईम" (Comprehensive Learning Time) व अनिवार्य विषय के रूप में "आई.टी. व कम्प्यूटर" के अध्ययन का समावेश।

स. सीनियर हाई स्कूल में सन् 2003 में नवीन विषय "आई टी" (IT) का समावेश।

आई.सीटी. उपयोग में बाधाएँ (Problems in ICT use)

जापान में आई.सी.टी. शिक्षा व आई.सी.टी. के शिक्षा में उपयोग में आने वाली प्रमुख बाधाएँ निम्नलिखित हैं-

अ. जापान में विद्यालय शिक्षा की अति संकुचित प्रकृति।

ब. शिक्षकों के आई.टी. सम्बन्धित प्रशिक्षण पर ध्यान नहीं देना।

स. शिक्षकों के मूल्यांकन पर जोर देना परंतु उसे व्यवहार में न लाना और

द. शिक्षक विकास और शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए कोई सफल योजना का क्रियान्वयन न होना।

14.8 दूरस्थ एवं सतत् शिक्षा (Distance and Continuing Education)

जापान में पत्राचार पाठ्यक्रम वैधनिक रूप से 1961 में आरंभ हो गए, क्योंकि उस समय जब शिक्षा का नियम लागू हुआ था तब काफी जनसंख्या ने माध्यमिक शिक्षा नहीं ली थी। सन् 1990 में दो जूनियर हाई स्कूल (टोक्यो व ओसाकार में) पत्राचार द्वारा माध्यमिक शिक्षा प्रदान कर रहे थे, परंतु उनमें नामांकित विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम थी। आर्टिकल 45 के अनुसार 'सीनियर हाई स्कूलों में पत्राचार कार्यक्रम हो सकते हैं। अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा के बाद वे विद्यार्थी जो किन्हीं कारणों से नियमित हाई स्कूल नहीं कर सकते हैं, उनके लिए अंशकालीन पाठ्यक्रमों व पत्राचार पाठ्यक्रमों का प्रावधान है जो तीन वर्ष या इससे अधिक के हो सकते हैं। अंशकालीन पाठ्यक्रम दिन के या सायंकालीन कोर्स हो सकते हैं। परंतु इनमें अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है।

'स्थानीय' पत्राचार पाठ्यक्रमों के साथ व्यापक पत्राचार पाठ्यक्रम जो प्रसारण साधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करते हैं भी आरंभ किए गए। ये स्कूल हाई स्कूल नहीं जा पाने वाली प्रौढ़ जनसंख्या या 'ड्राप आऊट्स (dropouts) के लिए थे और ये स्कूल अन्य लोगों को भी सतत् शिक्षा का अवसर प्रदान करते थे। ये वे स्कूल थे जो पहले से ही रात्रिकालीन पाठ्यक्रम या पत्राचार पाठ्यक्रम चलाते थे। विद्यार्थी स्वयं द्वारा पहले से अर्जित इकाईयों को निर्धारित स्कूल को रिपोर्ट कर, अपने स्कूल कार्य को निर्धारित क्रेडित प्राप्त करने तक कर सकते हैं।

सतत् शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा विद्यार्थियों के लिए स्कूलों, सामुदायिक केन्द्रों आदि जगहों पर 'Activity Centres' (गतिविधि केन्द्र) खोले गए हैं जहां 'हाथ से कार्य' करवाए जाते हैं। इनमें स्थानीय शिक्षक विश्वविद्यालय के विद्यार्थी व

सामाजिक शिक्षा संघ से जुड़े लोग सम्मिलित होते हैं। मंत्रालय का 'Lifelong Learning Bureau' घर पर शिक्षा (home Schooling) को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान व नीति निर्माण का कार्य करवा रहा है।

14.9 शोध (Research)

जापान में शिक्षकों को शोध का अवसर देने के लिए शिक्षक महाविद्यालय हैं जिनके अपने विद्यालय भी हैं जहां पर शिक्षक विद्यालयी शोध समस्याओं से सम्बन्धित फिल्ड वर्क, प्रयोग, आदि कर सकते हैं।

शिक्षा मंत्राय का सलाहकार अंग केन्द्रीय शिक्षा परिषद अनिवार्य शिक्षा से सम्बन्धित सुधारों पर कई व्यापक अध्ययन करवा रही है। साथ ही यह परिषद शिक्षकों के विकास और उनकी योग्यता की नवीनीकरण प्रणाली में व्यावसायिक ग्रेजुएट स्कूलों की भूमिका पर शोध करवा रही है।

14.10 शिक्षक शिक्षा (Teacher Education)

जापान में शिक्षक शिक्षा वर्तमान में उच्च शिक्षा के अंतर्गत आती है तथा शिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण के लिए विभिन्न स्तरों-राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर प्रावधान है।

14.10.1 शिक्षक शिक्षा (सेवा पूर्व) (Pre-Service Teacher Education)

द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व जापान में शिक्षक शिक्षा स्कूलों में प्रदान की जाती थी। इसका प्रारम्भ 1872 में टोक्यों में सरकार द्वारा सामान्य स्कूल की स्थापना के साथ हुआ था। प्रत्येक प्रीफेक्चर में सामान्य स्कूल स्थापित हुए थे जिनमें प्रारम्भिक स्तर के स्कूली शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता था। साथ ही उच्च सामान्य स्कूल भी थे जिनमें माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता था। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् सामान्य स्कूल से प्रशिक्षित शिक्षकों की कमियों को देखते हुए 1946 से शिक्षक शिक्षा विश्वविद्यालयों, महाविद्यालय तथा कॉलेज ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रदान की जाने लगी। (देखें अध्याय-15)

14.10.2 शिक्षकों का सेवारत प्रशिक्षण (In-Service Training of Teachers)

जापान में शिक्षकों से अपेक्षित है कि उनके पास शिक्षण प्रमाण-पत्र हो, उच्च स्तर का ज्ञान हो तथा वे व्यवहार करें। शिक्षकों के लिए 'Special Regulations Act Concerning Educational Public Service Personnel' सन् 1949 से लागू है। इनके अनुसार शिक्षकों को अपनी व्यावसायिक जिम्मेदारी वहन करने हेतु सतत् सेवारत प्रशिक्षण की आवश्यकता है तथा शैक्षिक अधिकारियों के लिए शिक्षकों को सेवारत प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना व उन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए शिक्षकों को प्रेरित करना आवश्यक है। इसके लिए राष्ट्रीय, प्रीफेक्चरल, म्यूनिसिपल तथा संस्थागत (विद्यालय) स्तर पर विभिन्न प्रकार के व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यह नियम कई बार संशोधित हो चुका है और शिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण के लिए आधार है।

1. राष्ट्रीय स्तर पर सेवारत प्रशिक्षण (In-Service Training at National Level)

शिक्षा, संस्कृति, खेल, विज्ञान व तकनीकी मंत्रालय विद्यालय प्राचार्यों, जो 'प्रीफेक्चर्स' स्तर पर मुख्य भूमिका निभाते हैं, सहायक प्राचार्यों तथा विषयवस्तु के परामर्श व समन्वयक शिक्षकों के लिए वार्षिक "केन्द्रीय कार्यशालाओं" का आयोजन करता है। इस कार्यशाला के लिए संभागियों का चयन प्रत्येक प्रीफेक्चर शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता है और विद्यालय प्रशासन व प्रबंधन, पाठ्यक्रम एवं निदेशन से सम्बन्धित व्याख्यान और सेमीनार आयोजित किए जाते हैं।

प्रत्येक वर्ष शिक्षा मंत्रालय 5000 शिक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में स्वयं को विस्तार देने और अपने व्यवसाय के प्रति चेतना को दृढ़ करने के लिए विदेश भेजता है। यह कार्यक्रम सन् 1959 से आरंभ हुआ था। मंत्रालय प्रीफेक्चर शिक्षा बोर्ड शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं और अन्य को सेवारत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अनुदान भी देती है।

2. प्रीफेक्चर स्तर पर सेवारत प्रशिक्षण (In-Service Training at Perfectural Level)

अपने प्रीफेक्चर में सेवारत प्रशिक्षण के नियोजन व उसे प्रदान करने की जिम्मेदारी प्रीफेक्चर शिक्षा बोर्ड की है। शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता और सामाजिक चरित्र के उन्नयन के लिए उन्हें Prefectural Education Centre या म्यूनिसिपल एजुकेशन सेन्टर्स में प्रशिक्षित करते हैं या फिर दीर्घ-कालिक प्रशिक्षण के लिए उन्हें विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, निजी संस्थाओं आदि में भेजते हैं। वर्तमान में सेवा के 5 वर्ष, 10 वर्ष और 20 वर्ष के अंतराल में शिक्षण के विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। साथ ही विभिन्न पदों के शिक्षक जैसे- प्राचार्य, सहायक प्राचार्य और समन्वयक व परामर्शद शिक्षकों की अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी सेवारत प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है।

14.10.3 शिक्षकों की नियुक्ति व कार्यस्थिति (Appointment and Working Conditions of Teachers)

जापान में विद्यालय शिक्षकों को उनके द्वारा ली गई डिग्री के आधार पर 'शिक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। (देखें अध्याय 15) परंतु केवल उचित शिक्षण प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी मिल जाए यह आवश्यक नहीं। पब्लिक विद्यालय शिक्षकों के लिए मनोनीत शहर जिसमें विद्यालय स्थित है, के प्रीफेक्चर बोर्ड ऑफ एजुकेशन या म्यूनिसिपल बोर्ड ऑफ एज्यूकेशन द्वारा रोजगार परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है और शिक्षकों के परिणाम के आधार पर उन्हें नौकरी पर रखा जाता है। निजी विद्यालय में विद्यालय को स्थापित करने वाली संघ के अधिकारी शिक्षको की नियुक्ति करते हैं। पब्लिक विद्यालय में प्रारम्भ में शिक्षकों को छः माह के लिए सशर्त नियुक्त करते हैं तथा इस अवधि में यदि उनके मूल्यांकन के आधार पर उन्हें पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

अधिकांश प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा विशेष विद्यालय के शिक्षक स्थानीय पब्लिक विद्यालय में कार्य कर रहे हैं जबकि अधिकांश किंडरगार्टन व जूनियर कॉलेज शिक्षक निजी

संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं। महिला शिक्षिकाओं का अनुपात विद्यालय के स्तर के बढ़ने पर तीव्र रूप से कम हो रहा है, जैसा कि सारणी में दिखाया गया है।

विद्यालय स्तर	**महिला शिक्षिकाओं का अनुपात**
पूर्व विद्यालय स्तर	93.9%
प्रारम्भिक स्तर	61.2%
निम्न माध्यमिक स्तर	39.2%
उच्च माध्यमिक स्तर	23.2%

अधिकांश किंडरगार्टन व प्रारम्भिक विद्यालय शिक्षकों को एक कक्षा पढाने को दी जाती है। जहां वे सभी विषय पढ़ाते हैं परन्तु कुछ विशेष कौशल से सम्बन्धित विषय जैसे-- संगीत, कला, गृह, अर्थशास्त्र आदि के लिए कुछ शिक्षक अलग से होते हैं। माध्यमिक स्तर पर अधिकांश शिक्षक एक ही विषय या विषय क्षेत्र का शिक्षण करते हैं।

विद्यालयी शिक्षकों का वेतन (Salaries of School Teachers)

अनिवार्य शिक्षा पर राष्ट्रीय खर्च के नियम (Law of National Expenditure on Compulsory Education) और अन्य अशक्तों के लिए राजकीय विद्यालय के रख-रखाव के विशेष नियम (Special Law for Maintenance of Public Schools for Other Disabled) के अनुसार अनिवार्य शिक्षा के राजकीय विद्यालय के शैक्षिक व्यक्तियों के वेतन का आधा हिस्सा स्थानीय सरकार व बाकी आधार हिस्सा केन्द्र सरकार वहन करती है। वेतन श्रृंखलाएं, सुविधाओं व भत्तों की राशि का निर्धारण कानून द्वारा होता है। शिक्षकों का वेन 1970 के दशक में एक विशेष नियम के अंतर्गत सुधारा गया था जिससे कि योग्य व्यक्तियों को शिक्षक व्यवसाय के लिए आकर्षित किया जा सके।

पब्लिक विद्यालय के शिक्षकों का वेतन मुख्यत: दो कारकों शिक्षा तथा सेवा की अवधि द्वारा निर्धारित होता है। प्रारम्भिक व निम्न माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों, उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों, तकनीकी कॉलेजों के शिक्षकों तथा विश्वविद्यालय /कॉलेजों व जूनियर कॉलेजों के शिक्षकों के लिए अलग-अलग वेतन श्रृंखलाएं हैं। इस प्रकार शिक्षकों की चार वेतन श्रृंखलाएं हैं।

मूल वेतन के अतिरिक्त शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के भत्ते जैसे परिवार भत्त, गृह भत्ता (Housing Allowance) और बोनस दिए जाते हैं। सभी शिक्षकों को जून व दिसम्बर में बोनस दिया जाता है और सम्पूर्ण राशि से लेकर मासिक वेतन की 475 गुना राशि दी जाती है। जापान में सामान्य प्रशासनिक कार्यकर्ताओं की तुलना में शिक्षकों का वेतन बहुत अधिक है।

सभी पब्लिक विद्यालय शिक्षकों को पब्लिक विद्यालय परस्पर सहायता संगठन (Public School Mutual Aid Association) द्वारा कल्याणकारी लाभ (Welfare Benefits) जैसे- मेडिकल खर्च, शिशु जन्म खर्च, आपदा भत्ता, बीमारी भत्ता आदि और कुछ दीर्घकालीन फायदे जैसे सेवानिवृत्ति वार्षिक annuity, अशक्तता annuity, विधवा/ विधुर/ अनाथ annuity आदि प्रदान किए जाते हैं।

14.11 विद्यालयी शिक्षा का प्रशासन व प्रबंधन (Administration and Management of School Education)

केन्द्रीय स्तर पर शिक्षा मंत्रालय (मेक्स्ट) शिक्षा के लिए जिम्मेदार है। मेक्स्ट के मंत्रालय का सचिवालय (Secretariat) केन्द्र स्तर पर शैक्षिक सुविधाओं के विकास के लिए कार्य करता है। मेक्स्ट मंत्रालय के विभिन्न ब्यूरो में से प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा ब्यूरो (चित्र 3, अध्याय 13) प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए प्रारम्भिक स्कूलों, निम्न और उच्च माध्यमिक स्कूलों, सैकण्डरी स्कूलों, दृष्टिहीनों के स्कूलों, बधिरों के स्कूलों और अन्य अक्षम बालकों के स्कूलों और किंडरगार्टनों के पाठ्यक्रम का स्तर (Standard) स्थापित करता है। साथ ही यह विद्यार्थी मार्गदर्शन और रोजगार मार्गदर्शन, विदेशों में रहने वाले जापानी बच्चों की शिक्षा का विकास और पाठ्यपुस्तकों की मुफ्त उपलब्धि और चयन के लिए भी जिम्मेदार हैं। अंत में यह ब्यूरो स्थानीय शिक्षा की प्रणाली, शिक्षा में कार्यरत सरकारी कर्मचारी से सम्बन्धित व्यवस्था, स्कूलों में कक्षा आकार और स्टाफ संख्या के कानूनी मानकों और स्कूली स्टाफ की तनख्वाह देने के लिए भी जिम्मेदार है। इसके 9 विभाग- प्रारम्भिक और सैकेण्डरी शिक्षा योजना, वित्तीय, स्कूल पाठ्यक्रम, स्टूडेंट अफेयर्स, विद्यालय पूर्व शिक्षा, विशेष सहायता, इंटरनेशनल शिक्षा, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक व्यक्ति और व्यावसायिक शिक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए कार्यरत हैं।

स्थानीय स्तर पर प्रत्येक प्रीफेक्चरल और म्यूनिसिपल स्तर पर कार्यरत शिक्षा बोर्ड अपने क्षेत्र के स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था का मार्गदर्शन करते हैं। पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रीफेक्चरल सरकार चलाती है और इनकी प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन, आदि करती है। प्री-स्कूल शिक्षा यद्यपि अनिवार्य नहीं है, फिर भी ये राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा पर्यवेक्षित होते हैं।

प्रीफेक्चरल स्तर पर चयनित प्राचार्यों, सहायक प्राचार्यों, परामर्शदों व समन्वयक शिक्षकों के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन शिक्षा मंत्रालय करता है, जबकि प्रीफेक्चर स्तर पर सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन स्थानीय प्रीफेक्चरल शिक्षा बोर्ड करवाता है।

14.12 विद्यालयी शिक्षा की वित्त व्यवस्था (Financing of School Education)

जैसा कि अध्याय 13 में उल्लेखित है, जापान अपनी राष्ट्रीय आय का 7% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता है (सन् 2005) शिक्षा मंत्रालय (मेक्स्ट) के कुल बजट का सर्वाधिक अंश (36.9%), सन् 2005 में अनिवार्य स्कूली शिक्षा पर किया गया। इसके अलावा मेक्स्ट द्वारा जीवनपर्यन्त शिक्षा, खेल, संस्कृति, आदि (8.6%), निजी विद्यालय को सहायता, ग्रांट (5.7%), स्कालरशिप कार्यक्रम (2%) पब्लिक स्कूल सुविधाओं (2%) और पाठ्यपुस्तक खरीद (0.7%) पर भी खर्च किया गया।

पब्लिक विद्यालय में अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क है और इन पर राष्ट्रीय तथा स्थानीय सरकार लगभग बराबर खर्च करती है। साथ ही पब्लिक स्कूलों के शिक्षकों के वेतन की आधी राशि राष्ट्रीय तथा बाकी स्थानीय सरकार वहन करती है। प्रारम्भिक तथा माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय सरकार द्वारा पाठ्य-पुस्तकें भी निःशुल्क दी जाती है। उच्च माध्यमिक स्कूली शिक्षा निःशुल्क नहीं है। निजी विद्यालय काफी महंगे हैं।

14.13 विद्यालयी शिक्षा की विशिष्ट विशेषताएं (Special Features of School Education)

जापान की स्कूली शिक्षा की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:--

1. जापान में अनिवार्य शिक्षा की विद्यालय उपस्थिति दर 99.98% है (मई, 2003)
2. जापान में बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वहां के पब्लिक स्कूलों में सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण नियमित रूप से व निःशुल्क किया जाता है। यदि बच्चा सत्र के मध्य में प्रवेश लेता है तो अभिभावकों को स्वयं के खर्च से प्रवेश के समय चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण करवाना होता है या फिर पूर्व विद्यालय का स्वास्थ्य- कार्ड' देना पड़ता है।
3. हालांकि जापानी शिक्षा प्रणाली अमेरिकन 6-3-3 मॉडल पर आधारित हैं जो कि उन्होंने द्वितीय विश्वयुद्ध में जापान पर अमेरिकन कब्जे के समय अपनाया था, परन्तु अमेरिका की तुलना में जापान में प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा अधिक के केंद्रिकृत हैं।
4. ऊंची तनख्वाहें, समाज में अच्छा स्थान और कम शिशु जन्म दर के कारण जापान में शिक्षक की नौकरी मिलना एक कठिन कार्य है, जबकि अमेरीका में शिक्षकों की लगातार कमी हो रही है।
5. सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य और शिष्टाचार लाने के लिए जापान का शिक्षा मंत्रालय विद्यालय में और स्थानीय समाज में हाथ से कार्य जैसी गतिविधियों (hands on activities) द्वारा विशेष प्रयास कर रहा है।
6. जापान में उच्च शिक्षा (विश्वविद्यालयी) में जाने वाले विद्यार्थी ही अकादमिक हाई स्कूल में अध्ययन करते हैं। जो विद्यार्थी रोजगार के क्षेत्र में शीघ्र प्रवेश चाहते हैं वे वोकेशनल हाई स्कूलों में जाते हैं। अत: वहाँ पर वोकेशनल शिक्षा पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है।
7. जापान में शिक्षकों की आर्थिक स्थिति अच्छी है क्योंकि वहाँ पर शिक्षकों का वेतन सामान्य प्रशासनिक कार्यकताओं से भी अधिक है।
8. वहाँ शिक्षा पर खर्च का जिम्मा राष्ट्रीय तथा स्थानीय (प्रीफेक्चरल व म्यूनिसिपल) सरकार दोनों पर बराबर है।
9. जापान में अधिकांश (90%) विद्यार्थी राजकीय (पब्लिक) स्कूलों में अध्ययन करते हैं। पब्लिक स्कूलों में शिक्षा कक्षा 1 से 9 तक निःशुल्क प्रदान की जाती है।

10. वहां लगभग सभी पाठ्यपुस्तकें हालांकि व्यावसायिक प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की जाती हैं, परंतु ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा अधिकृत की जाती हैं। सभी विद्यार्थियों को चाहे वे पब्लिक स्कूल के हों या निजी निम्न माध्यमिक स्तर तक के, पाठ्यपुस्तक उपलब्ध की जाती हैं।
11. शिक्षकों को 'टीचर सर्टीफिकेशन' प्राप्त करने के बाद भी पब्लिक स्कूलों में नौकरी के लिए स्थानीय शिक्षा बोर्डो द्वारा आयोजित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना पड़ता है।
12. उच्च माध्यमिक कक्षाओं में प्रवेश पाने के लिए विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है। अच्छे हाई स्कूल में प्रवेश के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि आगे रोजगार पाने में यह मदद करता है।
13. वहां फुलटाईम हाई स्कूल नहीं कर पाने वाले विद्यार्थियों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम व पार्टटाईम पाठ्यक्रम की भी व्यवस्था है।
14. प्रारम्भिक तथा माध्यमिक दोनों प्रकार के विद्यालय में प्रति कक्षा अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या 40 है जो कि कानून द्वारा परिभाषित है। साथ ही यह भी नियम है कि विद्यालय में शिक्षकों की संख्या उसकी कक्षाओं की संख्या से अधिक होनी चाहिए।
15. जापान के अधिकांश स्कूलों में सह-शिक्षा है।

14.14 शिक्षा की समस्याएं व चुनौतियां)Problems and Challenges for Education)

जापान द्वारा औद्योगिक देशों की दौड़ में आने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर देने से व इस गुणवत्ता के लिए देश में सभी बालकों के लिए समान विषयवस्तु, समान मूल्यांकन का स्तर निर्धारित करने से कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ये समस्याएँ निम्नलिखित हैं-

1. जापानी विद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा (विशेष रूप से निम्न माध्यमिक/जूनियर स्कूल के) धमकाना, सताना, हत्या, चाकू मारना जैसी हिंसात्मक प्रवृति, स्कूल जाने से मना करना और अन्य व्यवहारगत समस्याएँ जो की पूर्व में कभी सुनी भी नहीं थीं, पिछले दशकों में बढ़ती जा रही हैं।
2. बढ़ती हुई नई समस्याएँ और कथित "वर्ग पतन" (Class Collapse) जो कि हालांकि प्रारम्भिक स्तर पर ही है शिक्षकों के लिए मुसीबत हो रहे हैं।
3. बढ़ती सूचना प्रौद्योगिकी भी शिक्षकों के लिए चुनौति प्रदान कर रही है।
4. अधिकांश जापानी विद्यार्थी, पब्लिक प्रारम्भिक विद्यालय में सामान्यत: विद्यार्थी जीवन को आनंददायी मानते हैं। परंतु मिडिल स्कूलों/निम्न माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश से तुरंत पहले ही विद्यार्थी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए कठिन परिश्रम में लग जाते हैं विद्यार्थियों को अधिकांश हाई स्कूलों, विश्वविद्यालयों और कुछ निजी

जूनियर हाई स्कूल तथा प्रारम्भिक विद्यालय में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा तथा इंटरव्यू में बैठना पड़ता है।

यहाँ तक की प्रवेश परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी रोज की कक्षाओं में उपस्थिति रहने के बाद निजी विद्यालय पश्च अध्ययन सत्र (Juku या Gakken) और/अथवा हाई स्कूल व विश्वविद्यालयों के बीच के एक या दो वर्षो तक के लिए विशेष निजी संस्थाओं में तैयारी के लिए जाते है। इस कारण से विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों में एक उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा व तनाव देखा जाता है।

5. जापान में इतिहास शिक्षण की एक बार-बार उठने वाली समस्या है, पाठ्यपुस्तकों में द्वितीय विश्वयुद्ध के समय जापानी सेना द्वारा दी गई यातनाओं को नजरअंदाज करना। जापानी पाठ्यपुस्तकें लिखी व प्रकाशित तो निजी सेक्टर द्वारा की जाती हैं, परंतु उनकी विषय-वस्तु शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की जाती हैं।

उदाहरण स्वरूप 2001 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत हाई स्कूल की एक नई पाठ्यपुस्तक में, जापानी सेना द्वारा युद्धक्षेत्र में और जापान शासित क्षेत्रों में महिलाओं से दुर्व्यवहार और चीन में उसकी गतिविधियों को नजरअंदाज किया गया, जिसमें चीनियों और दक्षिण कोरियाई लोगों के विरोध करने पर संशोधन किया गया।

6. जापानी विद्यार्थियों का शैक्षिक प्रदर्शन हालांकि विकसित देशों में उनके अन्य साथियों की तुलना में प्रभावी है, परंतु कई जापानियों में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक असंतोष है। कई जापानी मानते हैं कि-

(i) परीक्षा व्यवस्था तनावपूर्ण है।

(ii) विद्यालय बहुत परम्परागत हैं।

(iii) विद्यालय व्यक्तिगत छात्र की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते।

(iv) वर्तमान विद्यार्थी बढ़ने में बहुत कम रूचि दिखाते हैं। दिसम्बर, 2004 के एक अन्तर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार जापानी विद्यार्थियों की अकादमिक क्षमता गिर रही है जो इस बात की पुष्टि करता है।

(v) करीब 30 साल से विद्यालय में बालकों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। इससे शिक्षकों की संख्या में भी कमी हो रही है, सन् 1999 में, पिछले दस वर्षो में 32% शिक्षक कम हो गए।

इक्कीसवीं सदी के लिए शिक्षा को अधिक रचनात्मक होना चाहिए। वे जापानी बच्चों के बढ़ते दुर्व्यवहार के लिए विद्यालयों को ही दोष देते हैं। जापान में गिरती जन्मदर, बढ़ते एकल परिवार, शहरीकरण मानव संस्थानों में कमजोरी आदि के कारण परिवारों की शैक्षिक भूमिका में भी कमी आ रही है।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. जापान में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किस स्तर के शिक्षक अधिक संख्या में करते हैं?

2. प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए मेक्स्ट मंत्रालय का कौनसा ब्यूरो जिम्मेदार है?
3. जापान में शिक्षक की नौकरी सम्बन्धी चुनौती क्या है?
4. जापानी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या पर टिप्पणी लिखिए।
5. जापानी स्कूल कौनसी प्रमुख समस्या का सामना कर रहे हैं?

14.15 विद्यालयी शिक्षा की बदलती प्रवृत्तियां (Changing Trends in School Education)

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जापान में शिक्षा ने वृहद विस्तार और विकास का अनुभव किया है। जापानी लोगों द्वारा शिक्षा को अत्यधिक महत्व देने क कारण वह आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है। परंतु इसके साथ ही शिक्षा मे आई समस्याओं के कारण वहाँ विद्यालय को अधिक लचीले और विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार बनाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। नई सदी की ओर उन्मुख होने के लिए और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध, रचनात्मक और खुशहाल लोगों को तैयार करने के लिए जापान कई शैक्षिक सुधारों को क्रमोन्नत कर रहा है।

अगस्त 1984 में इन मुद्दों और समस्याओं के समाधान के लिए National Council for Education Reform की स्थापना की गई। इस परिषद ने शैक्षिक सुधार से सम्बन्धित चार प्रतिवेदन क्रम से प्रधानमंत्री को दिए और उसने तीन मूल सम्प्रत्यय वर्तमान शैक्षिक सुधारों के लिए दिए: (1) जीवनपर्यन्त शिक्षा प्रणाली की ओर धीरे---धीरे बढ़ना (2) वैयक्तिकता को अधिक महत्व देना (3) समाज के अंतर्राष्ट्रीयकरण और कम्प्यूटरीकरण के लिए शिक्षा का अनुकूलन। शिक्षा मंत्रालय (मेक्स्ट) इन सुधारों को लागू करने के लिए कदम बढ़ा रहा है।

अप्रैल 1989 में "14th Central Council for Education" ने शिक्षा के मध्यम-और-दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य के के लिए दो प्रतिवेदन "The Development of Infrastructure for Life Long Learning" जो उच्च माध्यमिक शिक्षा में सुधार, प्रवेश परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा, समाज में जीवनपर्यन्त शिक्षा के तरीके, जैसे मुद्दों से सम्बन्धित हैं, दिए । साथ ही जुलाई 1992 मे 'Life Long Learning Council' ने 'Measures for Promotion of Lifelong Learning to Cope with Future Social Trends' से सम्बन्धित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। नवम्बर 2004 में शिक्षा मंत्री नारीआकी नाकायाम (Nariaki Nakayama) ने शैक्षिक सुधार योजना की उद्घोषणा की जो पाँच क्षेत्रों- शिक्षा के मूल नियम, अकादमिक क्षमता, शिक्षकों की गुणवत्ता, स्कूल और शिक्षा बोर्ड और अनिवार्य शिक्षा खर्च में राष्ट्रीय कोष के हिस्से की प्रणाली में सुधार प्रस्तावित है। शिक्षा मंत्रालय स्थानीय समुदाय के बालकों की कक्षाओं को क्रमोन्नत करने के लिए 2004 से तीन वर्ष तक के कार्यक्रम लागू कर रहा है। इसके लिए उन्होंने कई गतिविधि केन्द्र (Activity Centres) चला रखे हैं।

एकीकृत अध्ययन (Integrated Studies) नाम से एक नया प्रयास कक्षा गतिविधि के रूप में चलाया जा रहा है जिसमें बिना पाठ्यपुस्तक और कम निर्देश रेखा द्वारा अध्ययन करवाया जाएगा। इस एकीकृत अध्ययन का लक्ष्य शिक्षकों और विद्यार्थियों को अपनी रूचि के अनुसार जो भी प्रकरण चाहे वो धर्म, पर्यावरण या विदेशी मामले हो, अध्ययन की स्वतंत्रता प्रदान करना है।

नवीन शैक्षिक सुधारों का एक लक्ष्य है माध्यमिक स्तर के सामाजिक अध्ययनों में कार्य प्रमुख अनुसंधान उपागम (task oriented research approach) को बढ़ावा देना न बड़ी मात्रा में तथ्यात्मक को रटने पर कम बल देना। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति ने पूर्व प्रधानमंत्री ओबुची के कार्यकाल में जूनियर तथा हाई स्कूल के बच्चों के लिए सामाजिक सेवा अनिवार्य करने की सलाह दी है। जापान में हाल ही में सरकार ने घोषणा (अक्टूबर 2005, Daily Yomiuri) की है कि वह विद्यालय को 6-3 के प्रारम्भिक व मिडिल स्कूल में विभाजन को मिटाने की अनुमति प्रदान करने की अनुशंसा रखती है। इसका मुख्य कारण है कि प्रारम्भिक मिडिल स्कूल अपने संसाधनों को एकत्रित कर एक-दूसरे से बांट सकें व खासतौर पर इसलिए कि मिडिल स्कूल के विशेषज्ञ शिक्षकों का लाभ प्राथमिक स्कूल उठ सकें। शैक्षिक सुधारों (जैसे- अनिवार्य शिक्षा, शिक्षा के मूल नियम में संशोधन, आदि) के लिए मेक्स्ट के मंत्री और अन्य स्टाफ जापान के सभी स्कूलों में जाते हैं और "स्कूल मिटींग" की सहायता से अभिभावकों, स्कूल स्टाफ और विद्यार्थियों से सीधे संवाद करते हैं। जनसमुदाय को इन सुधारों के प्रति समझ देने और उनका दृष्टिकोण जानने के लिए वे "Educational Reform Forum" और "Educational Reform Town Meeting" का आयोजन करते हैं।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. जापान में अनिवार्य विद्यालयी शिक्षा जिन स्तरों पर दी जाती है, उनका वर्णन कीजिए।
2. हाई स्कूल शिक्षा के विभिन्न विकल्पों का वर्णन कीजिए।
3. जापान में स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों प्र प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधियों तथा उपागमों को स्पष्ट कीजिए।
4. जापान की विद्यालयी शिक्षा में राष्ट्रीय व स्थानीय स्तर पर शिक्षा का प्रबंधन व प्रशासन तथा वित्त व्यवस्था किस प्रकार होती है, वर्णन कीजिए।
5. जापान में विद्यालयी शिक्षा की चुनौतियों तथा समस्याओं से निपटने के लिए किए गए शैक्षिक सुधारों का वर्णन कीजिए।

14.16 सारांश (Summary)

जापान में शिक्षा के 6-3-3-4 वर्ष के ढांचे के अंतर्गत प्रारम्भिक स्कूल (6 वर्ष) तथा निम्न माध्यमिक स्कूल (3 वर्ष) की शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है। पब्लिक स्कूलों में अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। सभी निजी विद्यालय की तथा उच्च माध्यमिक स्कूलों की शिक्षा निःशुल्क नहीं है। राष्ट्रीय तथा स्थानीय सरकार-शिक्षा पर बराबर खर्च करती है। केन्द्र

स्तर पर शिक्षा पर नियंत्रण शिक्षा मंत्रालय का है तथा स्थानीय स्तर पर प्रीफेक्चरल तथा म्यूनिसिपल सरकार का है। स्कूली शिक्षा में सहशैक्षिक गतिविधियों तथा क्रियात्मक कार्यों के माध्यम से बालकों को शिष्टाचार सिखाने पर जोर दिया जाता है। वहां पर प्रारम्भिक स्तर पर बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित जांच की जाती है तथा नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है। वहाँ हाई स्कूल में प्रवेश परीक्षा उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए जापानी बच्चे निजी 'क्रेम स्कूल' अथवा 'जुकू' में प्रवेश लेते हैं। विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी अकादमिक हाई स्कूल में अध्ययन करते हैं जबकि अन्य विद्यार्थी वोकेशनल प्रशिक्षण लेने के लिए 'स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग स्कूलों' में प्रवेश लेते हैं। वहां अशक्त विद्यार्थियों के लिए अलग से विशेष शिक्षा संस्थाएं भी हैं। हाई स्कूलों में शिक्षण अक्सर व्याख्यान विधि द्वारा होता है।

जापान में शिक्षकों द्वारा आई.सी.टी. का उपयोग प्राथमिक विद्यालय में अधिक किया जाता है। वहां पर पार्ट-टाईम, पत्राचार पाठ्यक्रम और जीवनपर्यन्त शिक्षा के लिए भी प्रावधान है। शिक्षकों को 'टीचर सर्टिफिकेशन' प्राप्त करने के बाद शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के आधार पर नौकरी दी जाती है। वहां शिक्षकों की स्थिति अच्छी है। वहां शिक्षकों के राष्ट्रीय तथा प्रीफेक्चरल स्तर पर सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

14.17 संदर्भ सूची (References)

1. Japan (1980). Ministry of Education, Science and Culture, Minister's Secretariat, Research and Statistic Devision. **Japan's Modern Educational System-A History of the First Hundred Years.** Tokyo:Printing Bureau, Ministry of Finance.
2. Japan(2000). Ministry of Education, Science Sports and Culture. **Education in japan.** Tokyo Gyosei Co-operation.
3. Japan (1997) Ministry of Education, Science Sports and Culture. **Outline of Education in Japan.** Tokyo:Gyosei Cooperation.
4. Japan (1999) Ministry of Education, Science Sports and Culture **Statostcal Abstract of Education, Science, Sports and Culture.** Tokyo:Printing Bureau, Ministry of Finance.
5. http:/www.bcoedu/bcorg/avp/soe/cihenewsletter/Number40/p20-Yonezawa htm.
6. Prof. Yoshinori Tabata. Teachers and Teacher Education in Japan. **Anweshika Indian Journal of Teacher Education,** 4(2), Dec. 2007,45-66.
7. http:/en.wikipedia.org./wiki/Graduate School
8. http:/en.wikipedia.org./wiki/Colleges of Technology

9. http:/en.wikipedia.org./wiki/Higher-Education in Japan
10. http:/www.mext.go.jp/english/org/struct/oo2.htm.
11. passin, Merbert (1965). **Society and Education in Japan,** Teachers College Press, Columbia University, New York.
12. Naito, Takashi. **"Moral Education in Japanese Public Schools," Moral Education Forum,** Vol.15, No.2,pp 27-26, Summer 1990.
13. Thomas, Paul F. **"Moral Education in the Schools of Japan",** Horizon, Vol.23, No. 1, pp 17-19, Sep. 1985.

इकाई - 15

जापान में विश्वविद्यालय शिक्षा
(University Education in Japan)

15.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of the Unit)

15.1 विषय प्रवेश (Introduction)

15.2 संरचना (Structure)

15.3 उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रकार (Types of Higher Education)

15.4 शिक्षण विधियाँ एवं उपागम (Teaching Methods and Approaches)

15.5 सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका (Role of Information Technology)

15.6 उच्च शिक्षा संस्थाओं का प्रत्यायन एवं मूल्यांकन (Accreditation and Evaluation of Higher Education Institute)

15.7 दूरस्थ एवं सतत् शिक्षा (Distance and Continuing Education)

15.8 शोध (Research)

15.9 शिक्षक शिक्षा (Teacher Education)

15.10 उच्च शिक्षा का प्रशासन, प्रबंधन, पर्यवेक्षण व नियंत्रण (Administration, Management, Supervision and Control)

15.11 उच्च शिक्षा की वित्त व्यवस्था (Financing of Higher Education)

15.12 उच्च शिक्षा की विशिष्ट विशेषताएं (Salient Features of Higher Education)

15.13 उच्च शिक्षा की समस्याएं (Problems of Higher Education)

15.14 उच्च शिक्षा की बदलती प्रवृत्तियाँ (Changing Trends in Higher Education)

15.15 सारांश (Summary)

15.16 सदंर्भ सूची (References)

15.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of the Unit)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप-

1. उच्च शिक्षा के विभिन्न प्रकारों- विश्वविद्यालय शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, विशिष्ट ट्रेनिंग स्कूल व विविध स्कूलों को जान सकेंगे।
2. उच्च शिक्षा के विभिन्न प्रकारों के पाठ्यक्रमों में उसकी अवधि, उनमें प्रवेश प्रक्रिया,फीस, आदि को स्पष्ट कर सकेंगे।
3. उच्च शिक्षा में प्रयुक्त शिक्षण विधियों व उपागमों, मूल्यांकन प्रक्रिया, अनुसंधान प्रक्रिया, सूचना व सम्प्रेषण तकनीकी की भूमिका को समझ सकेंगे।
4. शिक्षक शिक्षा की प्रक्रिया, सर्टिफिकेशन, प्रत्यायन आदि को स्पष्ट कर सकेंगे।

5. उच्च शिक्षा के प्रबंधन, प्रशासन, पर्यवेक्षण, मॉनिटरिंग व वित्त व्यवस्था का वर्णन कर सकेंगे।

6. उच्च शिक्षा की विशेषताओं, समस्याओं और बदलावों को स्पष्ट कर सकेंगे।

15.1 विषय प्रवेश (Introduction)

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् जापान में जैसे-जैसे आर्थिक विकास होता गया, स्कूली शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास होता गया। वर्तमान में (2003 में) जापान में विभिन्न प्रकार की कुल 6,684 जिनमें लगभग 40 लाख विद्यार्थी नामांकित हैं। उच्च शिक्षा संस्थाएँ हैं इनमें से अधिकांश संस्थाएँ निजी (6,064) हैं तथा बाकी राष्ट्रीय तथा पब्लिक (राजकीय) संस्थाएँ हैं।

यद्यपि जापान में निजी विश्वविद्यालय बहुतायत में है, परंतु पब्लिक राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों का स्थान उच्च है। वहाँ विश्वविद्यालय पृष्ठभूमि और रोजगार अवसर का बहुत करीबी सम्बन्ध है। क्योंकि जापानी समाज अकादमिक credentials को अत्यधिक महत्व देता है, इसलिए वहाँ अच्छी साख वाले विश्वविद्यालयों में प्रवेश की प्रतिस्पर्धा तीव्र है। जापान में अधिकांश कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए विद्यार्थी को प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है। इसकी तैयारी के लिए कई विद्यार्थी विशेष तैयारी के स्कूलों (Juku) में जाते हैं, जो नियमित कक्षाओं के साथ ही चलते हैं या फिर हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी के मध्य एक या दो वर्ष तक केवल juku में जाते हैं। जापान की सबसे अधिक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी The National University of Tokyo है तथा इनके बाद कुछ निजी विश्वविद्यालय आते हैं। कुल 90% से अधिक हाई स्कूल स्नातकों में से 40% से अधिक विश्वविद्यालय या जूनियर कॉलेज स्नातक होते हैं।

सारणी-।

जापान में उच्च शिक्षा संस्थाओं की संख्या (2003)

संस्था का प्रकार	**राष्ट्रीय**	**पब्लिक**	**प्राइवेट**	**कुल**
तकनीकी कॉलेज	55	5	3	63
जूनियर कॉलेज	13	49	463	525
यूनिवर्सिटी	100	76	526	702
स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल	90	208	3,141	3,439
मिसलेनियस स्कूल	-	24	1,931	1,955
कुल	258	362	6,6064	6,684

सारणी-2

संस्थाओं, विद्यार्थियों, शिक्षकों और अन्य व्यक्तियों की उच्च शिक्षा संस्था के आधार पर संख्या (2003)

संस्था का प्रकार	संस्थाओं की संख्या	विद्यार्थी	महिला विद्यार्थी	शिक्षक	गैरशैक्षिक स्टाफ	महिला शिक्षक (%)
तकनीकी कॉलेज	63	578875	17.7	7000	2999	7.6
जूनियर कॉलेज	525	250,062	88.0	42318	12327	43.00
यूनिवर्सिटी	702	2803980	38.8	310825	179752	19.1
स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल	3439	7,86,091	54	39764	16510	51.2
मिसलेनियस स्कूल	1955	189583	49.6	11736	4708	37.8
कुल	**6684**	**4087591**		**411643**	**216296**	

नोट: 'शिक्षक' में प्राचार्य और अन्य जो सीधे शैक्षिक गतिविधियों से सम्बन्धित है, वें सम्मिलित हैं, जबकि गैर शैक्षिक स्टाफ में बाबू और अन्य सहायक सेवाओं से सम्बन्धित व्यक्ति सम्मिलित हैं।

स्रोत : Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology. School Basic Survey Report 2003 (in-Japanese) http://www.mext.gop/b_menu/toukei/001/14011501/003.htp

15.2 सरंचना (Structure)

जापान में उच्च शिक्षा संस्थाओं में विश्वविद्यालय, जूनियर कॉलेज और तकनीकी कॉलेज सम्मिलित हैं। साथ ही 'स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग स्कूल' (Specialized Training Schools) और मिसलेनियस स्कूल (Miscellaneous Schools) जो उच्च पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं भी उच्च शिक्षा संस्थानों में गिने जा सकते हैं।

उच्च शिक्षा संस्थाओं के प्रकार व उनके पाठ्यक्रम

(Types of Higher Education Institute and Their Courses)

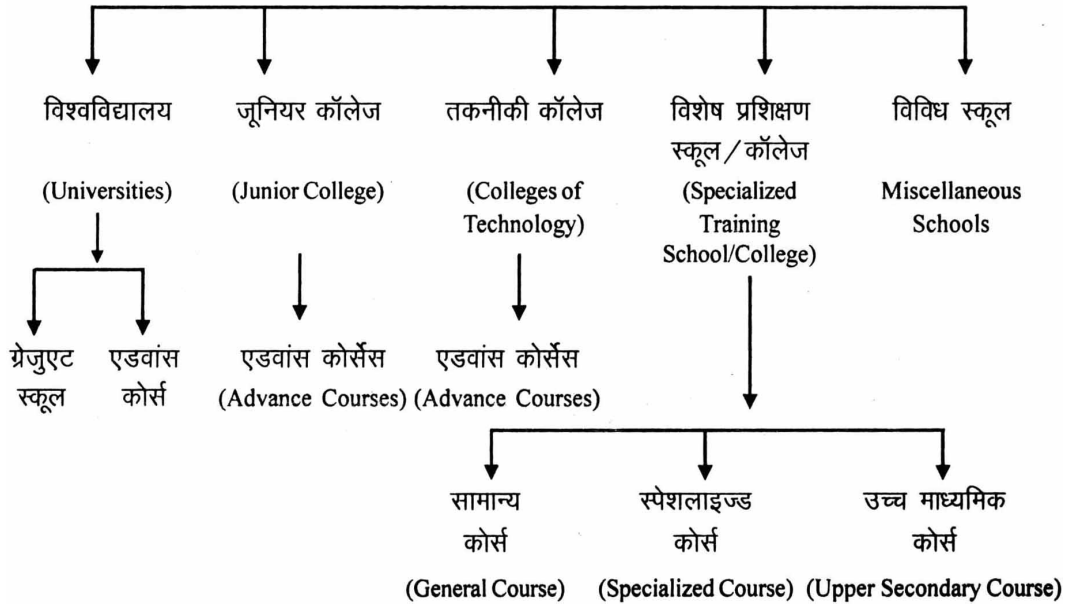

उच्च शिक्षा की संरचना के शिखर पर **विश्वविद्यालयी शिक्षा** आती है और ये विशेष अकादमिक विषयों का गहन अध्ययन और अनुसंधान करवाते हैं। इन विश्वविद्यालयों के अपने ग्रेजुएट स्कूल होते हैं जो अकादमिक विषयों का गहन अध्ययन करवाने के साथ-साथ अनुसंधान अनुभव भी देते हैं।

जूनियर कॉलेजों का उद्देश्य विशेष विषयों जैसे गृह- अर्थशास्त्र, नर्सिंग, आदि का गहनता से अध्ययन और अनुसंधान करवाना, जिससे की विद्यार्थियों में व्यावसायिक क्षमताएं उत्पन्न हो सके।

स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग स्कूल विद्यार्थियों को व्यावसायिक और दैनिक जीवन के कौशलों में प्रशिक्षित करते हैं।

तकनीकी कॉलेज उच्च कौशलों वाले तकनीशियनों को प्रशिक्षित करते हैं, विशेषकर इंजीनियरिंग व समुद्री अध्ययन में।

मिसलेनियम स्कूल प्रौढ़ों व युवाओं को माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों के समकक्ष कई तरह के शैक्षिक अवसर प्रदान करते हैं। ये पाठ्यक्रम सात वर्ष तक पूर्ण किए जाते हैं।

उच्च शिक्षा संस्थाओं में सर्वाधिक संख्या (स्पेशल ट्रेनिंग स्कूलों) की है (3,439) जिनमें 7.86 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं (2003)। जूनियर कॉलेजों में नामांकित विद्यार्थियों में से 88% विद्यार्थी स्त्रियाँ हैं, जबकि तकनीकी कॉलेजों में केवल 17.7% स्त्रियाँ हैं (सारणी 2)।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. जापान में उच्च शिक्षा के शिखर पर कौन हैं?
2. जापान में सर्वाधिक संख्या में कौनसी उच्च शिक्षा संस्थाएँ हैं?
3. जापानी महिलाएं अधिकतर किस संस्था में प्रवेश लेती है?
4. प्रौढ़ों को उच्च अध्ययन का अवसर देने के लिए कौन सी संस्थाएं हैं?

15.3 उच्च शिक्षा संस्थाओं के प्रकार (Types of Higher Education Institute)

विभिन्न प्रकार की उच्च शिक्षा संस्थाओं का विस्तृत विवरण निम्नलिखित हैं:-

15.3.1 विश्वविद्यालय (University) (Daigaku)

विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा की संस्थाएँ हैं, जो सीखने का केन्द्र होकर, गहनता से विशेष अकादमिक विषयों में शिक्षण व अनुसंधान करवाती हैं और विद्यार्थियों को विस्तृत ज्ञान प्रदान करती हैं। विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु उच्च माध्यमिक विद्यालय या उसके समकक्ष योग्यता पूर्ण होना आवश्यक है। उच्च शिक्षा की संरचना के शिखर पर ये विश्वविद्यालय, चार वर्षीय पाठ्यक्रम, जिससे बेचलर डिग्री प्राप्त होती है, प्रदान करती हैं। कुछ संस्थाएं छः वर्षीय पाठ्यक्रम जिससे मेडिकल, डेंटल, आदि जैसी व्यावसायिक डिग्री प्राप्त होती है करवाती है। इन

पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित शैक्षिक गतिविधियों के लिए विश्वविद्यालय के पास एक या अधिक undergraduate faculties होती हैं।

पब्लिक (राजकीय) चार वर्षीय कॉलेज दो प्रकार के होते हैं राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (खुला विश्वविद्यालय सहित) और स्थानीय पब्लिक विश्वविद्यालय, जो प्रीफेक्चर्स और म्यूनिसिपलिटी द्वारा स्थापित हैं। बाकी चार वर्षीय कॉलेज निजी हैं।

ग्रेजुएट स्कूल (Graduate School)

कोई विश्वविद्यालय 'ग्रेज्यूएट स्कूल' भी खोल सकता है। ग्रेज्यूएट स्कूल वह स्कूल है जो उच्च डिग्रीयाँ (ग्रेज्यूएट डिग्री) उन विद्यार्थियों को प्रदान करती है जो अकादमिक सिद्धांतों और उनके अनुप्रयोगों से सम्बन्धित गहन अध्ययन और अनुसंधान करना चाहते हैं। इन स्कूलों में प्रवेश अंडर ग्रेज्यूएट कोर्स (बेचलर डिग्री) या उसके समकक्ष कोर्स पूर्ण करने पर ही मिलता है। मौलिक अनुसंधान अनुभव, जिसमें एक थीसिस या डेसर्टेशन (Thesis or Dissertation) लिखना सम्मिलित है, अक्सर ग्रेजज्यूएट अध्ययन का महत्वपूर्ण घटक है।

डिग्री (Degree)- "ग्रेज्यूएट स्कूल" शब्द मुख्यत: उत्तरी अमेरीकी है और यह आवश्यक नहीं कि यह अलग से संस्थान हो। कई विश्वविद्यालय भी ग्रेज्यूएट डिग्री प्रदान करते हैं। यहां के विद्यार्थी 'ग्रेज्यूएट विद्यार्थी', या ब्रिटिश अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेज्यूएट (Postgraduate) विद्यार्थी कहलाते हैं। इनके द्वारा प्रदान की गई डिग्री में बेचलर, मास्टर, डोक्टरल, या अन्य प्रोफेशनल डिग्री सम्मिलित हैं। मास्टर्स डिग्री कोर्स की अवधि दो वर्ष व डॉक्टर्स डिग्री कोर्स की अवधि पांच वर्ष की है।

पी.एच.डी. स्तर पर विद्यार्थी को अपने डिपार्टमेंट से बाहर कुछ कोर्स कार्य लेना पड़ता है जिससे उसकी अनुसंधान क्षमताओं का विस्तार हो।

स्टाफ (Staff)- हालांकि ग्रेज्यूएट स्कूल कार्यक्रम अंडरग्रेज्यूएट डिग्री कार्यक्रम से भिन्न अनुभव है, परन्तु जो सीनियर अकादमिक स्टाफ व डिपार्टमेंट अंडरग्रेज्यूएट कोर्स पढ़ाता है, अक्सर वही स्टाफ गेज्यूएट कोर्स भी पढ़ाता है। कुछ संस्थाएं अलग-अलग गेज्यूएट व अंडरग्रेज्यूएट स्टाफ रखते हैं। परंतु फुल टाईम शिक्षकों में से कम से कम 30% शिक्षक व्यावसायिक क्षेत्रों का प्रायोगिक अनुभव रखने वाले शिक्षाविद होने चाहिए।

"ग्रेजुएट लॉ स्कूल" जो एक प्रकार का प्रोफेशनल ग्रेजुएट स्कूल है, की अवधि तीन वर्ष है, और कोर्स पूरा करने के लिए न्यूनतम 93 क्रेडिट्स की आवश्यकता है और अंत में 'डॉक्टर ऑफ लॉ" की उपाधि दी जाती है।

ग्रेजुएट स्कूल औपचारिक उच्च शिक्षा का हिस्सा द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ही बने और 199 तक भी इन पर ज्यादा बल नहीं दिया जाता था। यद्यपि लगभग 60% विश्वविद्यालयों के ग्रेज्युएट स्कूल हैं, परंतु केवल 7-10% विश्वविद्यालय स्नातक ही आगे मास्टर्स डिग्री के लिए जाते हैं। अप्रैल, 2005 तक 122 ग्रेजुएट स्कूल स्थापित हो चुके थे जिनमें ग्रेजुएट लॉ स्कूल और फाईनेंस व्यवसाय, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक हेल्थ, कल्याण प्रबंधन आदि महिलाओं से सम्बन्धित स्कूल सम्मिलित हैं। ग्रेजुएट कोर्स में महिलाओं का नामांकन बहुत ही कम है

(2%)। पीएचडी स्तर पर कुल विद्यार्थियों में से केवल 13% स्त्रियाँ हैं। इस स्तर पर स्त्रियों का नामांकन दो कोर्स में अधिकतम है- मेडिकल तथा मानविकी, जहाँ इन दोनों ही क्षेत्रों में 30% पी.एच.डी. विद्यार्थी स्त्रियाँ हैं।

ग्रेजुएट कोर्स तक कम विद्यार्थियों का पहुँचने का मुख्य कारण वहाँ के उद्योगों द्वारा खासकर निजी सेक्टर द्वारा नए विश्वविद्यालय स्नातकों को नौकरी देकर प्रशिक्षित करना है, जहाँ वे कॉर्पोरेट संरचना के अंतर्गत ही अनेक अनुसंधान कौशल को विकसित करते हैं। अत: एडवान्स डिग्री के विद्यार्थियों की मांग वहाँ कम है।

जापान में सन् 2003 में (संदर्भ-सारणी 2) 702 विश्वविद्यालय थे, जिनमें 38.8% विद्यार्थी महिलाऐं थीं व शिक्षण-स्टाफ में (19.1%) महिलाएँ थी। अधिकांश कॉलेज विद्यार्थी पूर्णकालिक दिन के कॉलेज में जाते हैं।

वित्त व्यवस्था (Finance) - सन् 1986 में उच्च शिक्षा के एक वर्ष का औसत खर्च (ट्यूशन, फीस और रहना) 1.4 मिलियन येन होता था जिसके लिए अभिभावक औसत पारिवारिक आय का 20% हिस्सा खर्च करते थे। इस खर्च के वहन के लिए विद्यार्थी पार्ट-टाईम कार्य करते थे या जापान स्कालरशिप असोसियेशन, जिसे सरकार द्वारा मदद दी जाती थी से पैसा उधार लेते थे। साथ ही स्थानीय सरकारें, गैर मुनाफा कॉर्पोरेशन, और अन्य संस्थाएँ भी सहायता प्रदान करती थीं।

स्त्री शिक्षा (Women Education)- सन् 2003 में विश्वविद्यालय में अध्ययनरत कुल 28,03,980 ग्रेज्यूएट्स में 38.8% महिलाएँ थीं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है (सारणी-2)। 1991 में केवल 15% महिलाएँ वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों का अध्ययन करती थीं और 3% से भी कम इंजीनियरिंग करती थी। सन् 2003 में विश्वविद्यालय में 38.8% महिलाएँ अध्ययनरत थीं और तकनीकी कॉलेजों में 17.7% महिलाएँ थी।

जापान के विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षा की गुणवता अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। सन् 2006 की विश्व यूनिवर्सिटी रेंकिंग में जापान की 11 यूनिवर्सिटी सम्मिलित हैं और उनमें से टोक्यो यूनिवर्सिटी और क्योतो यूनिवर्सिटी का स्थान बहुत आगे है।

जापान के प्रमुख विश्वविद्यालय

जापान में 60 राष्ट्रीय (पूर्व में इम्पिरियल) यूनिवर्सिटी और कई निजी विश्वविद्यालय हैं। इनमें से प्रमुख हैं:--

1. चीबा यूनिवर्सिटी (Chiba University) - 1949
2. हिरोशिमा यूनिवर्सिटी (Hiroshima University) - 1949
3. होकैदू यूनिवर्सिटी (Hokkaido University)- 1876
4. कोबे यूनिवर्सिटी (Kobe University) - 1949
5. क्योतो यूनिवर्सिटी (Kyoto University) - 1997
6. क्युशु यूनिवर्सिटी (Kyushu University) - 1911
7. नागोया यूनिवर्सिटी (Nagoya University) - 1939

8. ओकायामा यूनिवर्सिटी (Okayama University) - 1949
9. ओसाका यूनिवर्सिटी (Osaka University) - 1931
10. तोहोकू यूनिवर्सिटी (Tahoku University) - 1907
11. टोक्यो यूनिवर्सिटी (The University of Tokyo) - 1877
12. सुकुबा यूनिवर्सिटी (The University of Tsukuba) - 1973

प्रमुख निजी विश्वविद्यालय

1. होसै विश्वविद्यालय (Hosei University) - 1880
2. निहोन विश्वविद्यालय (Nihon University) - 1889
3. वासेदा विश्वविद्यालय (Waseda University) - 1882
4. दोषीशा विश्वविद्यालय (Doshisha University) - 1875
5. फुफुओका विश्वविद्यालय (Fukuoka University) - 1934
6. कौसाई विश्वविद्यालय (Kausai University) - 1886

सन् 1995 में 25 मिलियन से अधिक विद्यार्थी उच्च शिक्षा संस्थाओं में नामांकित थे, और सन् 2005 तक कुल 6,684 उच्च शिक्षा संस्थाओं में 4.08 मिलियन विद्यार्थी नामांकित थे।

15.3.2 जूनियर कॉलेज (Junior College) (Tanki-Daigaku)

जूनियर कॉलेज का उद्देश्य विशेष विषयों में गहनता से शिक्षण और अनुसंधान करवाना और विद्यार्थियों में व्यावसायिक और वास्तविक जीवन के लिए आवश्यक क्षमताएँ उत्पन्न करना है। इनमें प्रवेश के लिए विद्यार्थी को उच्च माध्यमिक स्कूलिंग या उसके समकक्ष पूर्ण करनी होती है। ये 2-3 वर्ष तक पूर्ण होने वाले पाठ्यक्रम करवाते हैं। एक जूनियर कॉलेज की शैक्षिक गतिविधियों की इकाई के रूप में एक या अधिक विशेषता प्राप्त विभाग होते हैं।

अधिकांश जूनियर कॉलेज निजी होते हैं। जूनियर कॉलेज में लगभग 90% विद्यार्थी महिलाएँ हैं। जिनके लिए उच्च शिक्षा का अर्थ है विवाह की तैयारी या विवाह से पूर्व एक छोटा-सा रोजगार का अवसर। ये कॉलेज महिलाओं को सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ-साथ शिक्षा और कुछ रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं। अक्सर इनके पाठ्यक्रम में गृह अर्थशास्त्र, नर्सिंग, शिक्षण, मानविकी और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों को स्थान दिया जाता है।

जापान में सन् 2008 में कुल 525 जूनियर कॉलेज थे, जिनमें लगभग 25 लाख विद्यार्थी नामांकित थे। महिलाओं के नामांकन की संख्या सर्वाधिक 88% इन्हीं कॉलेजों में थी। इनमें कार्यरत कुल 42318 शिक्षकों में 43% महिलाएं थीं (सारणी 1 व 2)।

यूनिवर्सिटी तथा जूनियर कॉलेज में प्रवेश (Admissions to University and Junior College)

यूनिवर्सिटी और जूनियर कॉलेज में प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होता है। राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में जाने वाले विद्यार्थी दो प्रवेश

परीक्षाएँ देते हैं, पहला राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाने वाला 'समान प्रथम उपलब्धि परीक्षण' और उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना हो उसकी परीक्षा। प्राईवेट यूनिवर्सिटी में आवेदन करने वालों को केवल उस यूनिवर्सिटी की परीक्षा देनी होती है। कुछ राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी में इतने अधिक आवेदक होते हैं कि वे संयुक्त प्रथम स्तर उपलब्धि परीक्षण द्वारा विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग करने के पश्चात् ही अपनी यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए पात्र मानते हैं। राष्ट्रीय स्तर की 'संयुक्ता प्रथम स्तर उपलब्धि परीक्षण'National Centre for University Entrance Examination (NCUEE) द्वारा तैयार किया जाता है और राष्ट्रीय पब्लिक और प्राईवेट विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। वर्तमान में, हालांकि वैकल्पिक चयन तरीकों से विश्वविद्यालयों में प्रवेश, बढ़ रहा है, जैसे उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य द्वारा सिफारिश पर, विदेश में लम्बे प्रवास के बाद लौटने वाले विद्यार्थियों का सीधा प्रवेश आदि।

उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए हाई स्कूल स्तर पर सही मार्गदर्शन दिया जाता है तथा मंत्रालय NCUEE ऑनलाईन प्रणाली द्वारा सूचना प्रदान करता है और विश्वविद्यालयों को अपने कार्यक्रमों की सूचना ब्रोशर, विडियो प्रस्तुतीकरण, आदि द्वारा प्रचारित करने को प्रेरित करता है।

15.3.3 विशेष प्रशिक्षण स्कूल एवं अन्य (Special Training Schools and Others))Senshu-Gakko)

उपरोक्त उच्च शिक्षा संस्थानों के अतिरिक्त जापान में कई अन्य शैक्षिक संस्थाओं हैं जिन्हें "Special Training Schools (Senshu-Gakko)" कहा जाता है। ये नई प्रकार की संस्थाएँ हैं जो 1976 में बनी थीं। इस वर्ष स्थापित की गई नवीन प्रणाली के अंतर्गत ये विशेष प्रशिक्षण स्कूल वे व्यवस्थित शैक्षिक गतिविधियां प्रदान करते हैं जो विद्यार्थियों को व्यावसायिक और दैनिक जीवन के कौशल में प्रशिक्षित करती हैं और उनकी सांस्कृतिक स्थिति को सुधारती हैं। ये विशिष्ट कौशल, जैसे कम्प्यूटर विज्ञान और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करती हैं।

इन स्कूलों को कम से कम 40 विद्यार्थियों का नामांकन बनाए रखना होता है, जिससे कि वे एक वर्ष का पाठ्यक्रम चला सकें और जिसमें प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए कम से कम 800 घंटे का अनुदेशन दिया जा सके।

विशेष ट्रेनिंग स्कूलों के पाठ्यक्रमों को तीन प्रकार में विभाजित कर सकते हैं-

(i) **विशिष्ट ट्रेनिंग कॉलेज जनरल कार्सेज (Specialized Training College General Courses)-** जिनमें जूनियर स्कूल उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं।

(ii) **विशिष्ट ट्रेनिंग कॉलेज उच्च माध्यमिक कोर्सेज (Specialized Training College -Upper Secondary Courses)-** इनमें हाई स्कूल उत्तीर्ण छात्र प्रवेश लेते हैं।

(iii) **विशिष्ट ट्रेनिंग कॉलेज स्पेशलाइज्ड कोर्सेज (Specialized Training College-Specialised Courses)-** इनमें हाई स्कूल उत्तीर्ण छात्र प्रवेश लेते हैं।

कुछ विद्यार्थी विश्वविद्यालय में अध्ययन के साथ-साथ ही इन स्कूलों में भी जाते हैं और अन्य तकनीकी लाईसेंस या प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्राप्त करते जाते हैं। स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल की साख विश्वविद्यालयों से कम हैं परंतु यहां के स्नातक, विशेषकर तकनीकी क्षेत्र से सम्बन्धित रोजगार में शीघ्रता से लिए जाते हैं।

सन् 2003 में 3,439 'स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल' थे जिनमें 7.8 लाख से अधिक विद्यार्थी नामांकित थे। इनमें से 54% विद्यार्थी महिलाएं थी और 39,764 शिक्षकों में से 51.2% महिलाएं थी। (सारणी 1 व 2)।

15.3.4 विविध स्कूल (Miscellaneous Schools)) Kakushu-Gakko)

विविध स्कूल प्रौढ़ों और युवाओं को सैकण्डरी स्कूल अथवा उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रदान की गई औपचारिक शिक्षा के समान ही कई तरह के शैक्षिक अवसर प्रदान करते हैं। ये विभिन्न आयु वर्ग के विद्यार्थियों को वोकेशनल और दैनिक जीवन के लिए आवश्यक ज्ञान व कौशल प्रदान करते हैं। ये पाठ्यक्रम सात वर्ष में पूर्ण किए जाते हैं।

विविध स्कूल कई प्रकार के पाठ्यक्रम - जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, नर्सिंग, गृह निर्माण, ड्राईवर शिक्षा, विदेशी भाषा, आदि चलाते हैं। वर्तमान में बड़ी संख्या में कई विद्यार्थी कुछ कौशलों की, सामाजिक और आर्थिक मांग की पूर्ति के लिए, माध्यमिक स्कूल के बाद विविध प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए और साथ ही यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा के लिए पूर्व तैयारी कोर्स के रूप में इन स्कूलों में नामांकित है। सन् 2003 में 1955 विविध स्कूलों में 1.8 लाख विद्यार्थियों से अधिक नामांकित थे जिनमें से 49.6% स्त्रीयाँ थीं और कुल 11,736 शिक्षकों में से 37.8% महिला शिक्षिकाएँ थीं (सारणी 1 व 2)।

15.3.5 तकनीकी कॉलेज (Colleges of Technology) (Koto-Senmon-Gakko)

तकनीकी कॉलेज अधिकांशत: राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं जो उच्च कौशल के तकनीशियनों को कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। ये कॉलेज तीव्र गति से विकास कर रहे औद्योगिक क्षेत्र में सुप्रशिक्षित व्यक्तियों की मांग पूरी करने के लिए 1962 में स्थापित किए गए थे। ये कॉलेज अक्सर इंजीनियरिंग व समुद्री अध्ययन से सम्बन्धित कुछ पाठ्यक्रम चलाते हैं।

विद्यार्थी **तकनीकी कॉलेज में प्रवेश** निम्न माध्यमिक स्कूल करने के बाद ही ले लेते हैं। अत: यहाँ विद्यार्थी अध्ययन की 6-3-5 संरचना अपनाते हैं (6 वर्ष प्रारम्भिक 3 वर्ष निम्न माध्यमिक और 5 वर्ष कॉलेज) न कि 6-3-3-4 संरचना, जो जापान में सामान्यत: अपनाई जाती है। इन कॉलेजों में प्रवेश, परीक्षाओं के माध्यम से होता है, हालांकि कुछ विद्यार्थी सिफारिश द्वारा (इंजीनियरिंग में) भी लिए जाते हैं।

इन कॉलेजों के (इंजीनियरिंग) **पाठ्यक्रमों की अवधि** 5 वर्ष और समुद्री व्यापार पाठ्यक्रम की अवधि साढ़े पांच वर्ष होती है। मुख्य पाठ्यक्रमों के विविध प्रकार जिनमें मेकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोनिक नियंत्रण, सूचना प्रौद्योगिकी, रासायनिक इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, समुद्री व्यापार और सूचना प्रबंधन, सम्मिलित हैं,

चलाए जाते हैं। सन् 1991 School Education Law में संशोधन के बाद ये कॉलेज इंजीनियरिंग और मर्केटाईल मेरीन पाठ्यक्रमों के अलावा अन्य क्षेत्रों से सम्बन्धित पाठ्यक्रम और एडवान्स पाठ्यक्रम भी चला सकते हैं। पाठ्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को 'Associate Credential' प्रदान किए जाते हैं।

इन कॉलेजों के अधिकांश स्नातक कार्य क्षेत्र में प्रवेश कर लेते हैं, परंतु कुछ (10% से 15%) आगे पश्च माध्यमिक शिक्षा लेते हैं। इन कॉलेजों के ग्रेज्यूएट्स की देश में और अच्छे विश्वविद्यालयों में उच्च मांग है। कुछ तकनीकी कॉलेजों ने अपने स्वयं के 'एडवान्स कोर्सेस' चला रखे हैं, जो एक से दो वर्ष की अवधि के हैं। इनमें विद्यार्थी आरंभिक 5 वर्षीय कार्यक्रम पूर्ण करने के बाद प्रवेश लेते हैं। इन पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने के बाद, स्नातकों को 'National Institute for Academic Degrees and University Evaluation' में आवेदन करने पर डिग्री प्रदान की जाती है। सन् 2002 में, Committee on the Future of National College of Technology की स्थापना हुई। समिति की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर Institute of National Colleges of Technology, Japan से सम्बन्धित एक नियम लागू किया गया और यह संस्थान 2004 से कार्य करने लगी।

जापान में 63 तकनीकी कॉलेज हैं जिनमें से 55 राष्ट्रीय, 5 स्थानीय (स्थानीय शैक्षिक अधिकारियों द्वारा स्थापित) और तीन निजी हैं। इन 63 संस्थाओं में से 5 समुद्री व्यापार (marine mercantile) के अध्ययन पर केंद्रित है जबकि अन्य इंजीनियरिंग स्कूल हैं। इन कॉलेजों में लगभग 60,000 विद्यार्थी हैं जिनमें से 17.7% महिलाएं हैं (सन् 2003) और 3000 विद्यार्थी उच्च पाठ्यक्रम में से हैं।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. जापान में अकादमिक विषयों में मास्टर्स डिग्री, पी.एच.डी डिग्री कौनसी उच्च शिक्षा संस्था प्रदान करती है?
2. जापान में जूनियर कॉलेजों में प्रवेश किस आधार पर होता है?
3. विशिष्ट ट्रेनिंग कॉलेजों के पाठ्यक्रम की अवधि कितनी होती है?
4. तकनीकी कॉलेजों में प्रवेश की न्यूनतम योग्यता क्या है?

15.4 शिक्षण विधियाँ एवं उपागम (Methods and Approaches of Teaching)

जापान में विश्वविद्यालयों में शिक्षकों द्वारा कक्षाओं में गुणवत्तायुक्त शिक्षण हेतु कई प्रयास किए जा रहे हैं। वहाँ सामान्यत: कक्षाओं में संपूर्ण समूह चर्चा (Whole Group Discussion) पर बल दिया जाता था। शिक्षकों के ब्लेकबोर्ड उपयोग विधि से अधिकांश विद्यार्थी असंतुष्ट थे। इसे देखते हुए विश्वविद्यालयों के शैक्षिक सुधार कार्यक्रमों में अब 'लघु समूह शिक्षा (Small Group Education) का विस्तार किया जा रहा है, जिससे कि छोटे समूह में प्रश्नोत्तर सत्रों और चर्चा सत्रों में विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सके।

इसके लिए कई विश्वविद्यालयों ने 20 विद्यार्थी प्रति कक्षा की संरचना अपनाई है। लघु समूह उपागम का उपयोग प्रयोगों व प्रायोगिक प्रशिक्षणों, सेमीनार और थिसिस (Thesis) मार्गदर्शन के लिए बढ़ रहा है। सीखने की क्षमता के विकास और स्वयं समस्याओं का समाधान करने के लिए अंतःक्रियात्मक कक्षाओं की संरचना का विकास हो रहा है। इन कक्षाओं में जिन्हें 'बेसिक सेमिनार' कहते हैं, एक प्रस्तावित शिक्षक के मार्गदर्शन में विद्यार्थी छोटे समूहों में एक विशिष्ट थीम पर प्रश्नोत्तर और चर्चा सत्रों में भाग लेते हैं।

साथ ही शिक्षक द्वारा प्रत्यक्ष अनुदेशन और निर्माणवाद के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से नई सूचना की खोज करना व सीखना ये दोनों उपागमों को सम्मिलित रूप से कक्षाओं में उपयोग किया जाता है। शिक्षक कई व्यूह रचनाओं के उपयोग द्वारा विद्यार्थी का ध्यान पाठ में बनाए रखते हैं।

शिक्षकों द्वारा विषयवस्तु के व्यवस्थित अनुदेशन को बढ़ावा देने के लिए और विद्यार्थियों को पूर्व जानकारी देने के लिए शिक्षक पाठ्यक्रम का निर्माण व प्रकाशन करते हैं, जो विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रमों के ब्लू-प्रिंट हैं। इन पाठ्यक्रमों में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए उपलब्धता का समय 'कार्यालय-घंटे (Office Hours)' भी निर्धारित किए जाते हैं।

15.5 सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका (Role of Information Technology)

सूचना प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के साथ-साथ उच्च शिक्षा संस्थाओं की कक्षाओं में भी नवीन मीडिया उपकरणों का उपयोग बढ़ रहा है। Fiscal 1994 के अनुसार, विश्वविद्यालयों के 50% से अधिक पाठ्यक्रमों में शैक्षिक मीडिया उपकरण, जैसे- कम्प्यूटर, कॉम्पेक्ट डिस्क, लेसर डिस्क प्लेयर, विडियो प्रोजेक्टर, आदि का उपयोग हो रहा था। भविष्य में अधिक संख्या में विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षण, अनुसंधान व मूल्यांकन हेतु कई प्रकार के मल्टीमीडिया आधारित उपकरणों और कम्यूनिकेशन सेटेलाईटों की मदद से रिमोट शिक्षण का उपयोग किया जायेगा।

जापान की 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीमीडिया एजुकेशन' उच्च शिक्षा संकाय सदस्यों द्वारा आई.सी.टी. का शिक्षण, अनुदेशन, मूल्यांकन आदि में उपयोग करवाने के लिए प्रयासरत है।

15.6 उच्च शिक्षा संस्थाओं का प्रत्यायन एवं मूल्यांकन (Accreditation and Evaluation of Higher Education Institute)

विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अधिगमकर्ता की सुरक्षा, डिग्रीयों की अंतर्राष्ट्रीय वैधता, शिक्षा व अनुसंधान की गुणवत्ता व गारंटी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसलिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2004 में प्रमाणीकृत मूल्यांकन प्रणाली (Certified Evaluation

System) प्रस्तावित की गई। इस नवीन प्रणाली के अंतर्गत सभी राष्ट्रीय, पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी शिक्षा मंत्रालय (मेक्स्टे) द्वारा प्रमाणीकृत किसी मूल्यांकन संगठन से Perodic मूल्यांकन करवाते हैं। साथ ही मेक्स्ट विश्वविद्यालयों में नए विभागों की स्थापना हेतु मान्यता लेने और सर्टिफाईड मूल्यांकन प्रणाली द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना से पूर्व और पश्चात् उनकी गुणवत्ता की गारंटी लेने के लिए व्यापक प्रणाली को और बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है।

शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने सन् 1953 में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को मान्यता देने के लिए प्रत्यायन (accreditation) प्रणाली प्रस्तावित की।

जो विश्वविद्यालय प्रत्ययन चाहते हैं, वे शिक्षा मंत्रालय को वांछित सूचनाओं के साथ आवेदन करते हैं। मूल्यांकन के मानदण्ड-पर्याप्त संख्या में विषयवस्तु शिक्षक, व्यावसायिक शिक्षा शिक्षक तथा शिक्षण अभ्यास विद्यालय की उपलब्धि पर्याप्त संसाधन व पुस्तकालय में पुस्तकों की उपलब्धता है।

सारणी-3

जापान में प्रत्यायनित Accredited शिक्षक शिक्षा संस्थाओं की संख्या

वर्ष	प्रारम्भिक शिक्षक शिक्षा	जूनियर हाई स्कूल	सीनियर हाई स्कूल
1970	111	735	545
1980	151	756	628
1990	199	945	688
2000	205	969	642

स्रोत: Sakurda, Y. Accreditation of teacher education and number of teacher certificates after world War II. Annals of Educational Research, 48 (I), 2002 189-194 (in Japanese)

15.7 दूरस्थ एवं सतत् शिक्षा (Distance and Continuing Education)

जापानी लोग 'दूरस्थ शिक्षा' शब्द से पिछले कुछ वर्षो से ही परिचित हुए हैं। परंतु "त्सुशिन क्योईकु" (Tsushin Tyoiku) शब्द जो "पत्राचार शिक्षा' के लिए प्रयुक्त किया जाता है, 19वीं सदी के अंत से प्रयुक्त किया जा रहा है। आधुनिक पत्राचार शिक्षा की नींव 1883 से मानी जा सकती है। उन्नीसवीं सदी के अंत तक 2.5-3 लाख विद्यार्थी प्रतिवर्ष करीब 3000 प्रकार के पत्राचार पाठ्यक्रम कर रहे थे, जबकि नियमित विश्वविद्यालयी डिग्री में केवल 20,000 विद्यार्थी थे। इसका कारण था अधिकतर पत्राचार पाठ्यक्रम सबके लिए खुले थे। इनमें कोई प्रवेश परीक्षा नहीं थी व इनकी ट्यूशन फीस भी कम थी। ये पाठ्यक्रम औपचारिक डिग्री के लिए नहीं बल्कि केवल वोकेशनल ज्ञान व कौशल प्राप्त करने के लिए किए जाते थे जो जापानियों में उच्च अधिगम के प्रति आकांक्षा को दर्शाता है ।

जब जापानी (आधुनिक) स्कूल व्यवस्था संवैधानिक बनी (1972), तब खोले गए 53,700 प्रारम्भिक स्कूलों में आवश्यक हजारों स्कूली शिक्षकों को पत्राचार पाठ्यक्रमों द्वारा ही

तैयार किया गया था, हालांकि उस समय (1972-1974) सात 'राष्ट्रीय शिक्षक कॉलेज' स्थापित हो चुके थे।

शिक्षा मंत्रालय के मार्च 23,1982 के नियमन "Standards for Junior College Correspondence" के अनुसार जापानी जूनियर कॉलेज पत्राचार द्वारा विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान कर सकते हैं। इन कॉलेजों के पत्राचार पाठ्यक्रमों में अनुदेशन "मुद्रित शिक्षण सामग्री भेजकर, प्रसारण या समान माध्यम द्वारा कक्षा-कक्ष अनुदेशन या इन विधियों को सम्मिलित कर" (आर्टिकल-3) प्रदान किया जा सकता है। अधिकांश जूनियर कॉलेज पत्राचार पाठ्यक्रम चला रहे हैं। सन् 1990 में जूनियर कॉलेजों में 24,450 विद्यार्थी रजिस्टर्ड थे। कुछ निर्धारित इकाईयों (62) को पूर्ण करने पर विद्यार्थियों को On Campus विद्यार्थियों के समकक्ष डिग्री इस शर्त पर मिलती है कि वे कम से कम 15 इकाई, कक्षा-कक्ष अनुदेशन द्वारा अर्जित कर सकें, जिसके लिए प्रत्येक कॉलेज विशेष कक्षाएं लगाता है।

विश्वविद्यालय तथा चार वर्षीय कॉलेज 1961 में "शिक्षा के मूल नियम (1961)" में संशोधन के पश्चात से पत्राचार पाठ्यक्रम चला रहे हैं। ये पाठ्यक्रम 1981 में Standard for University Correspondence Programme" के लागू होने से प्रभाव में आए और जूनियर कॉलेज के समान ही पाठ्यक्रमों की 124 इकाईयों में से 30 अनिवार्य इकाई कक्षा-कक्ष अनुदेशन द्वारा अर्जित करनी होती है। इनमें केवल साहित्य विभाग, शिक्षा, विधि, अर्थशास्त्र, प्रबंधन, भौतिक विज्ञान, गृह अर्थशास्त्र, आदि जैसे Off Campus पाठ्यक्रम होते है। ये पाठ्यक्रम उन विषयों में नहीं प्रदान होते है जिनमें लेबोरेटरी कार्य होता है। सन् 1990 में 12 विश्वविद्यालयों में 92,250 विद्यार्थी पत्राचार पाठ्यक्रम में नामांकित थे।

विश्वविद्यालयी व्याख्यानों का प्रसारण कर उच्च शिक्षा को सब तक पहुंचाने के लिए The University of the Air Foundation Law, June 11,1981 को पारित हुआ। The University of Air एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है, जो मुद्रित पाठ्य-पुस्तकें, प्रसारण और कक्षा-कक्ष अनुदेशन अपने Video Study Centres जो प्रत्येक प्रीफेक्चर में स्थित राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के सहयोग से चलते हैं, द्वारा प्रसारित करती है। ये विश्वविद्यालय परिभाषा से पत्राचार विश्वविद्यालय में आता है क्योंकि ये प्रसारण (18 घंटे का रोज) साधनों का पूर्णत: उपयोग करता है। इसके अपने एफएम रेडीयो व UHF टी.वी. स्टेशन हैं।

पत्राचार द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा के बाद की व्यक्ति को सम्बन्धित क्षेत्र में काम करने के लिए राष्ट्रीय लाईसेंसिंग परीक्षाएँ देनी पड़ती हैं। बढ़ते राष्ट्रीय/पब्लिक परीक्षाओं के प्रभाव से कई नए पत्राचार पाठ्यक्रम प्रचलित हो गए। उनमें से एक है "Correspondence Social Education" जो "Regulation of Correpondence Social Education (1962)" के अनुसार है व शिक्षा मंत्रालय द्वारा अधिकृत है। इनके पाठ्यक्रमों में लिपिक विषयक पाठ्यक्रम-व्यवसाय प्रबंधन, सांख्यिकी आदि विशिष्ट तकनीकी प्रशिक्षण मेकेनिक, कम्प्यूटर साईस, आदि और मानविकी-संगीत, कैलिग्राफी आदि सम्मिलित हैं। इन पाठ्यक्रमों की प्रायोगिक प्रकृति के कारण कई संगठन अपने कर्मचारियों को इनमें अध्ययन के लिए प्रेरित करते हैं। कुछ तो केवल

आगे राजकीय परीक्षाओं की तैयारी के लिए ये पाठ्यक्रम करते हैं। सेवानिवृत तथा 'On Job' लोगों को तो सरकार इनमें 50% वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इन सबके अलावा 'कई निजी दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम चलते हैं जो स्वयं अपने प्रमाणपत्र प्रदान करते हैं, परंतु ये किसी भी सरकारी संस्था के नियंत्रण में नहीं है। कई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और कॉलेज अपने व्याख्यान मालाएँ 'National Association of Educational Broadcasters' की सहायता से प्रसारित कर रहे हैं तथा शिक्षा मंत्रालय का National Institute of Multimedia Education इन्हें अनुसंधान में और वित्तीय रूप से सहायता प्रदान कर रहा है।

शिक्षा मंत्रालय का Lifelong Learning Bureau दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाली सभी प्रकार की दूरस्थ संस्थाओं को अपने (विद्यार्थियों) द्वारा अर्जित क्रेडिड्स और /या योग्यताएं जहां भी संभव हो पारम्परिक संस्थाओं में हस्तांतरित करने को प्रोत्साहित करता है। The University of the Air भी इसी ब्यूरो और Bureau of Higher Education के संयुक्त क्षेत्राधिकार में आती है। जीवनपर्यंत सीखने वाला समाज निर्मित करने के लिए यह ब्यूरो और Bureau of Higher Education के संयुक्त क्षेत्राधिकार में आती है। जीवनपर्यंत सीखने वाला समाज निर्मित करने के लिए यह ब्यूरो 'Education and Learning Network' के माध्यम से सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है।

जापान में पत्राचार पाठ्यक्रमों का भविष्य अच्छा है, विशेष रूप से इसलिए कि जापान तकनीकी विकास और टेलीकम्यूनिकेशन में नवाचारों के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा को अंतःक्रियात्मक व तीव्रगामी बना सकता है।

15.8 शोध (Research)

जापान में विज्ञान व तकनीकी के विकास को अत्यधिक महत्व देने के कारण सन् 2005 की प्रमुख शिक्षा नीति में इस क्षेत्र में अनुसंधान को प्रमुखता देना, अनुसंधान प्रणाली में सुधार करना और इससे सम्बन्धित संस्थाओं को बढ़ावा देना सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (मेक्स्ट) अपनी 2002 से लागू "द्वितीय विज्ञान व तकनीकी आधारभूत योजना" द्वारा विश्व में अपनी पहचान के लिए व्यापक अनुसंधान करवा रही है। इसके लिए मेक्स्ट के 'अनुसंधान क्रमोन्नत ब्यूरो' और 'अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो' कार्य कर रहे हैं। (चित्र 3 अध्याय 13)

'अनुसंधान क्रमोन्नत ब्यूरो' अकादमिक अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना और अनुसंधान के लिए सहायता भी प्रदान करता है। अकादमिक अनुसंधानों का मुख्य लक्ष्य सभी अकादमिक क्षेत्रों, ह्यूमेनिटिस, सामाजिक विज्ञान से लेकर प्राकृतिक विज्ञान में उच्चतम स्तर के शोधों को प्रोत्साहित करना और समाज में योगदान देना है। मेक्स्ट कई विषयों में विस्तृत अकादमिक अनुसंधान को निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखकर प्रोत्साहित कर रहा है-

(i) अनुसंधानकर्ता की स्वायतता (Autonomy) का आदर करना।

(ii) सभी अकादमिक क्षेत्रों का विकास करना।

(iii) शिक्षा और अनुसंधान का एकीकृत विकास करना।

अकादमिक अनुसंधान अनुभव 'ग्रेजुएट स्कूलों' का महत्वपूर्ण घटक है। ग्रेजुएट स्कूलों से डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मौलिक अनुसंधान अनुभव, जिसमें उन्हें एक 'थीसिस या डेसर्टेशन' लिखना होता है, प्रदान किए जाते हैं। पीएच.डी. डिग्री प्राप्त करने की अवधि पांच वर्ष है और विद्यार्थी को अपने विभाग या कॉलेज के बाहर कुछ कोर्स कार्य अपनी अनुसंधान क्षमताओं के विकास के लिए लेना पड़ता है। सन् 2005 के बजट में ग्रेजुएट स्कूलों के विद्यार्थियों को सृजनात्मक अनुसंधान, जो समाज की नई आवश्यकताओं को पूरा कर सके, में प्रशिक्षित करने के लिए पहल की गई।

कई विश्वविद्यालयों ने 'अनुसंधान केन्द्र' या इसी तरह के संगठन बनाए हैं, जहाँ शिक्षकों के कौशलों में सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण, संकाय के विकास, और उनकी शिक्षण विधियों पर व्यक्तिगत परामर्श (Counselling) देने से सम्बन्धित शोध किए जाते हैं। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा National Institute of Multimedia Education के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा और अधिगम पर भी अनुसंधान हो रहे हैं :

15.9 शिक्षक शिक्षा (Teacher Education)

जापान में शिक्षक शिक्षा सर्टिफिकेशन प्रणाली पर आधारित है और उच्च शिक्षा संस्थाएं शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चला रही हैं।

15.9.1 सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा (Pre-Service Teacher Education)

जापान में अधिकांश विश्वविद्यालयों और कॉलेजों द्वारा चाहे वे राष्ट्रीय, पब्लिक प्रीफेक्चरल और म्यूनिसिपल) अथवा निजी हो, शिक्षक-शिक्षा प्रदान की जा रही है। ये कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्य होने चाहिए। वहाँ शिक्षक शिक्षा 'सर्टिफिकेशन (Licencing) प्रणाली पर आधारित है।

15.9.1.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात सामान्य स्कूल में प्रशिक्षित शिक्षकों को अदूरदर्शी पारम्परिक व संकीर्ण मानसिकता युक्त माना गया। सन् 1946 में शिक्षक तैयारी पाठ्यक्रम को लचीला, विषयवस्तु के विशिष्ट ज्ञान से युक्त तथा प्रायोगिक अनुभव युक्त बनाने की अनुशंसा की गई। इस तरह से शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में परिवर्तन आया व 1946 से यह कार्यक्रम विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालय द्वारा करवाया जाने लगा। लगभग सभी महाविद्यालय व विश्वविद्यालय चाहे वे राष्ट्रीय, पब्लिक या निजी हो शिक्षक प्रशिक्षण करवा रहे हैं। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम 'शिक्षा, संस्कृति, खेल, विज्ञान व तकनीकी मंत्रालय (मेक्स्ट)' द्वारा मान्य होने चाहिए। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् जापान की शिक्षक शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं:-

— प्रमाणीकरण (लाईसेंसिंग) प्रणाली पर आधारित;

— विश्वविद्यालय व महाविद्यालय (जूनियर कॉलेजों सहित) द्वारा करवाया जाना।

— मुक्त प्रणाली शिक्षक शिक्षा (An open system teacher education)

15.9.1.2 शिक्षक शिक्षा संस्थाएँ (Teacher Education Institute)

विभिन्न स्तरों पर जापान में शैक्षिक शिक्षा के प्रकार निम्नलिखित हैं:-

(i) प्रारम्भिक शिक्षक शिक्षा संस्थाएँ (Elementary Teacher Education Institute): अब तक अधिकांश प्रारम्भिक शिक्षक, चार वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों द्वारा राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में तैयार किए जा रहे हैं।

(ii) माध्यमिक शिक्षक शिक्षा संस्थाएँ (Secondary Teacher Education Institute)माध्यमिक विद्यालय शिक्षक राष्ट्रीय, पब्लिक व प्राइवेट विश्वविद्यालयों व महाविद्यालय द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।

(iii) कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन (Colleges of Teacher Education)- सन् 1980 के दशक में तीन शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (एकल उद्देश्य) ह्योगो (1978), जोउएत्सु (1978) तथा नारूटो (1981) अपने स्वयं के स्नातक विद्यालय के साथ शिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण के उद्देश्य से स्थापित किए गए थे। अन्य महाविद्यालय की अपेक्षा ये शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय केवल शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित किए गए थे तथा शिक्षकों को उच्च स्तर पर शोधकरने का मौका देने के लिए इनके पास स्नातक विद्यालय हैं।

15.9.1.3 शिक्षक प्रमाण-पत्र (Teacher Certification)

शिक्षक सर्टिफिकेशन का वर्तमान स्वरूप 1949 में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद शैक्षिक सुधारों के फलस्वरूप लागू हुआ। जापान में स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर के शिक्षकों को चाहे पब्लिक हो या निजी, शिक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। ये प्रमाण-पत्र प्रीफेक्चरल बोर्ड द्वारा Educational Personal Certification Law के अनुसार विद्यार्थियों के निर्धारित क्रेडिट्स (Credits) प्राप्त करने पर दिए जाते हैं। ये प्रमाण पत्र सभी प्रीफेक्चर स्तर पर और जीवन भर के लिए valid हैं। प्रत्येक वर्ष लगभग 24,0000 सर्टिफिकेट्स प्रदान किए जाते हैं।

शिक्षक सर्टिफिकेशन की नवीन प्रणाली जो 1998 में लागू की थी, में शिक्षकों को तीन प्रकार के सर्टिफिकेट्स प्रदान किए जाते हैं-

(i) नियमित सर्टिफिकेट (Regular Certificate)- इसमें फिर से तीन वर्ग हैं- "एडवांस श्रेणी" जो मास्टर्स डिग्री या समकक्ष पर आधारित है, "प्रथम श्रेणी" जो बेचलर डिग्री पर आधारित है और "द्वितीय श्रेणी" जो असोसियेट (associate) डिग्री, जो कि दो वर्षीय जूनियर कॉलेज से प्राप्त की जा सकती है, पर आधारित है।

(ii) विशेष सर्टिफिकेट (Special Certificate)- ये विशिष्ट ज्ञान या कौशल वालों को प्रदान किया जाता है और उस प्रीफेक्चर में 10 वर्ष से अधिक वैध नहीं है।

(iii) अस्थाई सर्टिफिकेट (Temperory Certificate)- ये सहायक शिक्षकों को नियमित सर्टिफिकेट युक्त शिक्षकों के नहीं मिलने पर 3 वर्ष के लिए ही दिए जाते हैं।

सारणी-4

नियमित सर्टिफिकेशन के लिए आवश्यकताएँ (1998 से)

सर्टिफिकेट का प्रकार	श्रेणी	आधारभूत योग्यता
प्रारम्भिक स्कूल शिक्षक सर्टिफिकेट	एडवांस श्रेणी प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी	मास्टर्स डिग्री बेचलर्स डिग्री असोसिएट डिग्री
निम्न माध्यमिक शिक्षक सर्टिफिकेट	एडवांस श्रेणी प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी	मास्टर्स डिग्री बेचलर्स डिग्री असोसिएट
उच्च माध्यमिक शिक्षक सर्टिफिकेट	एडवांस श्रेणी प्रथम श्रेणी	मास्टर्स डिग्री बेचलर्स डिग्री

स्रोत: Takaguchi, T. Current Situation and Trends in Teacher Education in Japan, Greek, L & Tabata, Y. (ed) Innovation and Reform in Teacher Education for the 21 st Century in the Asia-Pacific Region: Improving Teacher Effectiveness through Certification, 1999 Seminar Report, Hisoshim University, UNESCO-APEID Associate Centre, p.49, Chart 1.

15.9.2. सेवारत प्रशिक्षण (Inservice Training)

स्कूली शिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण में वैसे तो मुख्य भूमिका राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय, प्रीफेक्चरल व म्यूनिसिपल शिक्षा बोर्ड तथा विद्यालय की है, परंतु दीर्घकालीक सेवारत प्रशिक्षण के लिए प्रीफेक्चरल शिक्षा बोर्ड उन्हें विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थाओं में भी भेजते हैं, जिससे की वे अपनी व्यावसायिक क्षमताओं को सुधार सके।

उच्च शिक्षा के अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण के लिए कई विश्वविद्यालयें ने 'फेकल्टी स्टडी ग्रुप' बनाए हैं। कुछ विश्वविद्यालय 'संकाय विकास गतिविधियों के रूप में 'अध्ययन सत्र' आयोजित करते हैं और इन्हें किताब के रूप में प्रकाशित करते हैं। बाकी शिक्षक अपने स्तर पर एक-दूसरे की कक्षाओं का अवलोकन कर शिक्षक द्वारा प्रयुक्त उपागम और शिक्षण सामग्री के प्रस्तुतीकरण की विधियों पर चर्चा करते हैं। शिक्षकों द्वारा स्वमूल्यांकन और विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन से संकाय के विकास के प्रयास किए जा रहे हैं।

15.10 उच्च शिक्षा का प्रशासन. प्रबंधन. पर्यवेक्षण और नियंत्रण (Administration, Management, Supervision and Control of Higher Education)

केन्द्रीय स्तर पर शिक्षा का नियंत्रण 'मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स, साईस एण्ड टेक्नोलॉजी (मेक्स्ट)' का है, जैसा की पूर्व में बताया जा चुका है। मेक्स्ट के विभिन्न

विभाग (जो अध्याय 13, चित्र 3 में दिखाए गए हैं) में से उच्च शिक्षा व अनुसंधान से सम्बन्धित निम्नलिखित ब्यूरो है, जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं:-

(i) **मिनिस्ट्री का सचिवालय (Minister's Secretariat)-** ये शैक्षिक सुविधाओं के विकास के लिए कार्य करता है और सामान्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए उत्तरदायी है। इस मंत्रालय में पांच विभाग- पर्सनल, जनरल अफेयर्स, पोलिसी, बजट अकाऊंट्स और इंटरनेशनल अफेयर्स विभाग हैं।

(ii) **जीवन पर्यन्त नीति ब्यूरो (Lifelong Policy Bureau)-** शैक्षिक सुधारों को क्रमोन्नत करता है। इसके लिए वह आधारभूत नियमों की योजना बनाता है, घरेलू तथा बाहरी शिक्षा पर अनुसंधान और विश्लेषण करता है और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए नीतियों को बढ़ावा देता है। साथ ही यह ब्यूरो सामाजिक शिक्षा, घर पर शिक्षा, लैंगिक समानता, विशिष्ट प्रशिक्षण कॉलेज शिक्षा और मिसलेनियस (miscellaneous) स्कूल शिक्षा को बढ़ावा देता है। इन कार्यो से सम्बन्धित इसके अलग-अलग छ: विभाग हैं।

(iii) **उच्च शिक्षा ब्यूरो (Higher Education Bureau)-** उच्च शिक्षा के विकास के लिए आधारभूत नीति निर्माण, जूनियर कॉलेजों, तकनीकी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों की स्थापना व स्वीकृति, यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन व डिग्री प्रदान करना, विद्यार्थी कल्याण (welfare) व मार्गदर्शन, छात्रवृत्ति लोन (Loan) कार्यक्रम और विद्यार्थी विनिमय को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है।

इसके नौ विभाग हैं जो उच्च शिक्षा संबंधी नीति व योजना निर्माण, तकनीकी व मेडिकल शिक्षा, विद्यार्थी सेवा आदि से सम्बन्धित हैं। इस ब्यूरो का उपविभाग 'प्राइवेट एजुकेशन इन्स्टीट्यूशन डिपार्टमेंट (Private Education Institution Department) है, जिसके अंतर्गत निजी शिक्षा से संबंधित तीन विभाग हैं।

(iv) विज्ञान व तकनीकी नीति ब्यूरो (Science and Technology Policy Bureau)- मूल विज्ञान और तकनीकी नीतियों की योजना व प्रारूप बनाने के लिए जिम्मेदार है, इसके छ: विभाग है।

(v) अनुसंधान क्रमोन्नत ब्यूरो (Research Promotion Bureau)- कई तरह के वैज्ञानिक अनुसंधानों (मानविकी से लेकर सामाजिक विज्ञान से प्राकृतिक विज्ञान) के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए यह अकादमिक अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना करता है और अकादमिक अनुसंधान के लिए सहायता प्रदान करता है। साथ ही यह ब्यूरो उद्योगों, शिक्षा और सरकार के मध्य समन्वय, जापान की बौद्धिक संपदा को मजबूत करने और अनुसंधान संस्थाओं के विकास की और भी कार्यरत है। इसके 8 विभाग हैं।

(vi) अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (Research and Development Bureau)- वृहद स्तर के अनुसंधानों, जैसे भूकम्प, आपदा प्रबंधन, समुद्र, पृथ्वी पर्यावरण, ब्रम्हाण्ड, न्यूक्लियर पावर आदि से सम्बन्धित अनुसंधान की क्रमोन्नति व विकास के लिए

जिम्मेदार है। इसके छः विभाग हैं जिनमें से एक अनुसंधान एवं विकास नीति विभाग है।

इनके अतिरिक्त स्पोर्ट्स व युथ ब्यूरो और 'Director General for International Affiars' भी है स्थानीय सरकार को निदेशन एवं परामर्श, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। स्तर पर 'प्रोफेक्चरल विश्वविद्यालय व कॉलेज, प्रीफेक्चरल सरकार के गवर्नर के नियंत्रण में तथा म्युनिसिपल यूनिवर्सिटी व कॉलेज' म्यूनिसिपल सरकार के मेयर के नियंत्रण में होती है।

विश्वविद्यालयों व कॉलेजों का प्रबंधन

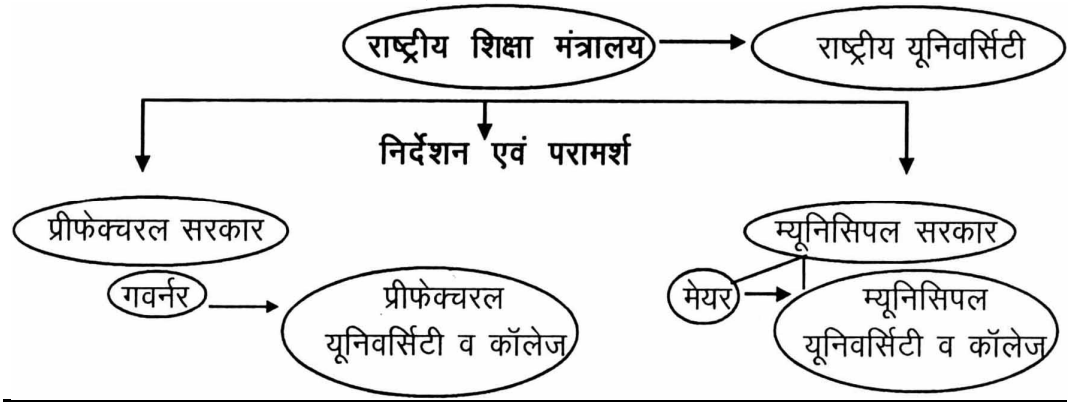

15.11 उच्च शिक्षा की वित्त व्यवस्था (Financing, Budgeting of Higher Education)

शिक्षा मंत्रालय के कुल बजट में से उच्च शिक्षा पर खर्च निम्नलिखित प्रकारों से होता है (अध्याय 13, चित्र-4):-

- निजी विश्वविद्यालयों को वर्तमान (current) खर्चों के लिए ग्रांट (5.7%)
- स्कॉलरशिप प्रोग्राम (2.0%) - इसमें स्कूली शिक्षा पर खर्च भी सम्मिलित है।
- जीवनपर्यंत शिक्षा, संस्कृति, खेलकूद आदि (8.6%)
- विज्ञान व तकनीकी उन्नयन (14.5%)
- राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कॉर्पोरेशन आदि के प्रबंधन-खर्च, ग्रांट व सुविधाएं, रख-रखाव ग्रांट, आदि (23.8%)
- 'कॉम्पीटीटीव फंडिंग (Competetive Funding) (6.1%) जो वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी अनुसंधान, आदि के लिए होती है।

इस प्रकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा के बजट का अधिकांश खर्च राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों पर किया जाता है, उसके पश्चात् विज्ञान व तकनीकी उन्नयन और अनुसंधान पर।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. जापान में विश्वविद्यालय का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है?

2. सतत् शिक्षा का कार्य शिक्षा मंत्रालय का कौनसा विभाग देखता है?
3. जापान में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम किस प्रणाली पर आधारित है।
4. जापान में 'मेक्स्ट' के कौन-कौनसे विभाग उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं?

15.12 उच्च शिक्षा की विशेषताएँ (Special Features of Education)

1. विकसित देशों में जापान में सबसे अधिक विश्वविद्यालय नामांकन दर है।
2. यहाँ सर्वाधिक संख्या में राज्य व निजी विश्वविद्यालय हैं (सन् 2003 में 702)
3. जापान में जूनियर कॉलेजों में छात्राओं (88 प्रतिशत) का प्रतिशत छात्रों से अधिक है। जबकि तकनीकी कॉलेज में केवल 17.7 प्रतिशत छात्राएं हैं।
4. जापान के उद्योगों में उच्च अध्ययन (एडवांस डिग्री) करने वाले विद्यार्थियों की मांग कम है क्योंकि वहाँ रोजगार देने के बाद कॉर्पोरेट संरचना के अंतर्गत व अनुसार ही प्रशिक्षित कर अनुसंधान कौशल का अनुभव दिया जाता है।
5. जापान के विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षा की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और विश्व रैंकिंग में टाक्यो यूनिवर्सिटी और क्योतो यूनिवर्सिटी का स्थान बहुत आगे है।
6. जापान में विश्वविद्यालयों व जूनियर कॉलेजों में प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा होता है। राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में जाने के लिए तो विद्यार्थी को दो प्रवेश परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होती है- राष्ट्रीय स्तर तथा विश्वविद्यालय स्तर की।
7. एक औद्योगिक राष्ट्र होने के कारण जापान में व्यावसायिक शिक्षा व कौशलों का अत्यंत महत्व है। इसके लिए विद्यार्थी जूनियर कॉलेज, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग स्कूल, मिसलेनियस स्कूल, आदि में अध्ययन करते हैं।
8. उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालयों के लिए 'प्रमाणीकृत मूल्यांकन प्रणाली और शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए 'प्रत्यायन प्रणाली' प्रस्तावित की गई है।
9. जापान के तकनीकी रूप से विकसित राष्ट्र होने का कारण वहाँ वैज्ञानिक व तकनीकी विकास व अनुसंधानों को प्रोत्साहित करना मुख्य लक्ष्य है।
10. जापान में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम महाविद्यालय तथा कॉलेजों द्वारा चलाया जाता है। वहां केवल शिक्षक शिक्षा के लिए तीन कॉलेज ऑफ एजुकेशन हैं।
11. जापान में शिक्षक प्रशिक्षण लाइसेंसिंग प्रणाली पर आधारित है। प्रत्येक स्तर के प्रत्येक शिक्षक को प्रीफेक्चरल बोर्ड द्वारा एजुकेशनल पर्सनल सर्टिफिकेशन ली के अंतर्गत दिया जाने वाला शिक्षक प्रमाण प्राप्त करना आवश्यक है। यहाँ मुक्त शिक्षक शिक्षा प्रणाली है।

15.13 उच्च शिक्षा की समस्याएँ (Problems of Higher Education)

- **राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों का निजीकरण (Privatization of National Universities) -** सन् 2004 में सभी राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों का निजीकरण कर दिया गया। इससे विश्वविद्यालयों की स्वायतता में तो वृद्धि हुई, परंतु उन्हें अपने स्वयं के रेवेन्यू Generate करने पड़ते है। सरकार द्वारा सहयोग में लगातार कमी के कारण विश्वविद्यालयों को स्टाफ-फेकल्टी की संख्या में कमी करने पर बाध्य होना पड़ रहा है। इससे कार्यक्रमों की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ रहा है।
- **शिक्षक शिक्षा संस्थाओं की संख्या में कमी (Decreasing Number of Teacher Education Institutes) -** जापान में करीब 30 साल से विद्यालय में बालकों की संख्या में लगातार कमी हो रही है, इससे शिक्षकों की संख्या में भी कमी करनी पड़ रही है। इसलिए छोटी-छोटी संस्थाओं को merge कर रहे हैं और उन संस्थाओं में सभी प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं।
- **प्रवेश परीक्षाओं में कड़ी प्रतिस्पर्धा (Tough Competetion in Enterance Examination)-** वर्तमान में विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाओं के अत्यधिक महत्व के कारण विद्यार्थियों को बड़ी मात्रा में तथ्यात्मक वस्तु को ग्रहण करना पड़ रहा है। अत: प्रवेश प्रक्रिया में सुधार और प्रवेश परीक्षा को कम महत्व देने की आवश्यकता है। इन प्रवेश परीक्षाओं को परीक्षा नर्क (Exam Hall) कहा जाता है और उनमें अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को 'मास्टरलेस समुराई (Masterless Samurai)' कहा जाता है।
- **नामांकन घटना (Decrease in Enrolment) -** जापान में जनसंख्या का ढांचा तेजी से बदल रहा है क्योंकि जन्म दर घट रही है तथा जीवनकाल बढ़ रहा है। इसलिए जनसंख्या की आयु असाधारण दर पर बढ़ रही है। इसका एक प्रभाव यह हुआ कि जापान में विश्वविद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या घटती जा रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि जापानी विश्वविद्यालयों को अपना स्तर सुधारना होगा और विदेशी विद्यार्थियों को खोजना होगा।

15.14 शिक्षा की बदलती प्रवृत्तियाँ (Changing Trends in Higher Education)

जनवरी 28, 2005 को सेन्ट्रल काउन्सिल फॉर एजुकेशन रिपोर्ट "द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन इन जापान (The future of Higher Education in Japan) का प्रकाशन हुआ। उच्च शिक्षा में सुधार हेतु इसकी मुख्य विषयवस्तु निम्नलिखित है:-

(1) उच्च शिक्षा में संख्यात्मक बदलाव की भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि 2007 में विश्वविद्यालय और जूनियर कॉलेजों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 100

प्रतिशत तक हो जाएगी। भविष्य में ऐसी उच्च शिक्षा का विकास होगा जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी किसी भी स्तर पर अपना इच्छित क्षेत्र चुनकर अध्ययन कर सकता है।

(2) **उच्च शिक्षा के विस्तार** के साथ ही प्रत्येक संस्था की वैयक्तिकता और भिन्नता को और स्पष्ट करना होगा जिससे कि अधिगमकर्ता की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

(3) अधिगमकर्ताओं को सुरक्षा देने और अंतर्राष्ट्रीय वैधता को बनाए रखने के लिए **उच्च शिक्षा की गुणवत्ता** की गारंटी लेनी होगी। इसके लिए नए विभागों की स्थापना के लिए मान्यता प्रणाली को सही रूप में लागू करनी होगी और तृतीय व्यक्ति मूल्यांकन प्रणाली को बढ़ावा देना होगा।

(4) **आदर्श रूपी उच्च शिक्षा संस्थाओं** के लिए 'अंडरग्रेजुएट कोर्सेस' में liberal arts education के तरीके की समीक्षा और पुन: रचना तथा ग्रेजुएट स्तर पर शिक्षा के कोर्स के संगठनात्मक विकास को सुदृढ करना होगा।

(5) **उच्च शिक्षा की 'पब्लिक फंडिंग'** का विकास करना होगा और प्रत्येक संस्था के विविध कार्यो के अनुसार बहु मुखी फंडिंग प्रणाली की रचना करनी होगी। मेक्स्ट इस रिपोर्ट के आधार पर उच्च शिक्षा से सम्बन्धित सुधारों को तत्परता से लागू कर रहा है।

(6) विश्वविद्यालयों को अप्रैल, 2004 की **'सर्टिफाईड प्रणाली"** के अनुसार शिक्षा मंत्रालय द्वारा **प्रमाणित संस्था** से periodic मूल्यांकन करवाना पड़ता है, जिससे उनकी गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके।

(7) राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को अप्रैल, 2004 में राष्ट्रीय सरकार के संगठनात्मक ढांचे से मुक्त कर दिया और उन्हें अधिक स्वायतता व स्वतंत्रता प्रदान की गई, जिससे की वे शिक्षा व अनुसंधान की गुणवत्ता को व अपनी वैयक्तिकता को बनाए रख सकें।

(8) उच्च शिक्षा विशेषकर विश्वविद्यालय शिक्षा में 21 वीं सदी के अनुसार **मानव संसाधनों को तैयार** करने के लिए कई बदलाव किए जा रहे हैं। जापान में निम्नलिखित विश्वविद्यालय सुधार कार्यक्रम चल रहे हैं, जिन्हें निम्नलिखित कार्य के लिए सहायता दी जा रही है:-

(i) विश्वविद्यालयों द्वारा विशेष और सबसे अलग शिक्षा प्रदान करने व उसे फोरम, केस अध्ययनों, आदि द्वारा समाज तक पहुंचाने पर।

(ii) तात्कालिक सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा देने के सबसे भिन्न प्रयास करने पर।

(iii) विश्वविद्यालयी शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के प्रयासों पर।

(iv) ग्रेजुएट लॉ स्कूल व अन्य व्यावसायिक ग्रेजुएट स्कूलों में शैक्षिक विषयवस्तु और विधियों को विकसित करने पर।

(v) सामुदायिक स्वास्थ्य की सम्पूर्णतायुक्त (holistic) देखभाल और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार मेडिकल शिक्षा विकसित करने पर।

(vi) इक्कीसवीं सदी के COE (Centre of Excellence) कार्यक्रम जो ग्लोबल अनुसंधान और शिक्षा केंद्रों का निर्माण तृतीय पार्टी मूल्यांकन द्वारा करते हैं।

(vii) ऐसी सृजनात्मक गेजुएट स्कूल एजुकेशन विकसित करने पर जो सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले युवा व सृजनात्मक अनुसंधानकर्ता को प्रशिक्षित करे।

(viii) विश्वविद्यालय व गेजुएट स्कूलों द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षकों के प्रायोगिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने पर।

15.15 सारांश (Summary)

जापान में उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयों, जूनियर, कॉलेजों, तकनीकी कॉलेजों, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कॉलेज / स्कूलों व मिसलेनियस स्कूलों द्वारा प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा की संरचना के शिखर पर हैं और ये चार वर्षीय अथवा छः वर्षीय पाठ्यक्रम जिससे बेचलर डिग्री प्राप्त होती है, प्रदान करते हैं। विश्वविद्यालयों के अपने ग्रेजुएट स्कूल हैं जिनमें विद्यार्थी मास्टर्स डिग्री व पी.एच.डी डिग्री के लिए अध्ययन करते हैं।

जूनियर कॉलेजों में सर्वाधिक संख्या महिलाओं की होती है और अक्सर इनके पाठ्यक्रम गृह अर्थशास्त्र नर्सिंग, शिक्षण आदि होते हैं। विश्वविद्यालयों तथा जूनियर कॉलेजों में प्रवेश-परीक्षाओं द्वारा प्रवेश दिया जाता है। साथ ही स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग स्कूलों और मिसलेनियस स्कूलों में विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसायों व दैनिक जीवन के कौशलों के लिए तैयार किया जाता है। तकनीकी कॉलेज उच्च कौशल के तकनीशियनों को तैयार करते हैं।

जापान में शिक्षक प्रशिक्षण लाइसेंसिंग प्रणाली पर आधारित है और यह कार्यक्रम महाविद्यालय तथा कॉलेजों द्वारा चलाया जाता है। शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को मान्यता देने के लिए 'प्रत्यायन प्रणाली' है तथा विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता के लिए 'प्रमाणीकृत मूल्यांकन प्रणाली' विकसित की गई।

जापान में 'लाईफ लांग लर्निंग' के लिए विशेष प्रयास शिक्षा मंत्रालय द्वारा किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय का 'उच्च शिक्षा ब्यूरो' उच्च शिक्षा के विकास व नीति निर्माण का कार्य करता है, और राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी 'राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय' तथा प्रीफेक्चरल व म्यूनिसिपल यूनिवर्सिटी व कॉलेज 'स्थानीय सरकार' द्वारा स्थापित होते हैं। शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के खर्च उठाता है तथा current खर्चों के लिए कुछ ग्रांट निजी विश्वविद्यालयों को भी देता है।

जापान में बढ़ती हुई वृद्ध जनसंख्या, राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों का निजीकरण, प्रवेश परीक्षाओं में कड़ी प्रतिस्पर्धा, सूचना प्रधान समाज का विकास, शिक्षक शिक्षा संस्थाओं की संख्या में कमी, आदि समस्याएं उच्च शिक्षा के विकास को चुनौती प्रदान कर रहे हैं। जनवरी, 2005

से इन समस्याओं से निपटने के लिए शिक्षा मंत्रालय की 'सेंट्रल काउंसिल ऑफ एजुकेशन' कई प्रयास कर रही है।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. जापान में उच्च शिक्षा संस्थाओं के प्रकारों का वर्णन कीजिए।
2. जापान में शिक्षक शिक्षा की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
3. जापान में उच्च शिक्षा में 'स्पेशल ट्रेनिंग स्कूलों' व 'मिसलेनियस स्कूलों' की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।
4. जापान में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासो का वर्णन कीजिए।

15.16 संदर्भ सूची (References)

1. Japan (1980). Ministry of Education, Science and Culture, Minister's Secretariat, Research and Statistic Devision. Japan's Modern Educational System-A History of the First Hundred Years. Tokyo:Printing Bureau, Ministry of Finance.
2. Japan(2000). Ministry of Education, Science Sports and Culture. Education in japan. Tokyo Gyosei Co-operation.
3. Japan (1997) Ministry of Education, Science Sports and Culture. Outline of Education in Japan. Tokyo:Gyosei Cooperation.
4. Japan (1999) Ministry of Education, Science Sports and Culture Statistical Abstract of Education, Science, Sports and Culture. Tokyo: Printing Bureau, Ministry of Finance.
5. http:/www.bcoedu/bcorg/avp/soe/cihenewsletter/Number40/p20-Yonezawa htm.
6. Prof. Yoshinori Tabata. Teachers and Teacher Education in Japan. Anweshika Indian Journal of Teacher Education, 4(2), Dec. 2007,45-66.
7. http:/en.wikipedia.org./wiki/Graduate School
8. http:/en.wikipedia.org./wiki/Colleges of Technology
9. http:/en.wikipedia.org./wiki/Higher-Education in Japan
10. http:/www.mext.go.jp/english/org/struct/oo2.htm.
11. passin, Merbert (1965). Society and Education in Japan, Teachers College Press, Columbia University, New York.
12. Naito, Takashi. "Moral Education in Japanese Public Schools," Moral Education Forum, Vol.15, No.2,pp 27-26, Summer 1990.

13. Thomas, Paul F. “Moral Education in the Schools of Japan”, Horizon, Vol.23, No. 1, pp 17-19, Sep. 1985.

इकाई-16

श्रीलंका में शिक्षा का विकास

(Development of Education in Sri Lanka)

16.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of the Unit)
16.1 विषय प्रवेश (Introduction)
16.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Perspectives)
16.3 श्रीलंका की शिक्षण व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Affecting Education Systems in Sri Lanka
16.4 शिक्षा व्यवस्था की सामान्य जानकारी (General Information about Education System)
16.5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy)
16.6 शैक्षिक विकास नीति न्यादर्श (Education Development Policy Models)
16.7 शैक्षिक संगठन (Education Structure)
16.8 समस्याएँ (Problems)
16.9 सारांश (Summary)
16.10 सन्दर्भ सूची (References)

16.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of the Unit)

प्रस्तुत इकाई से निम्न उद्देश्य की प्राप्ति हो सकेगी-

(1) श्रीलंका के बारे में सामान्य जानकारी (General Information)

(2) श्रीलंका की शिक्षण व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे भौगोलिक, राजनैतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, नस्लीय आदि का संक्षिप्त विवरण।(Factor Affecting Education System)

(3) श्रीलंका में शिक्षा तंत्र के विकास की सामान्य जानकारी (Development of School System)

(4) श्रीलंका में वर्तमान शिक्षा के उद्देश्यों की सामान्य जानकारी (Objective of Education)

(5) श्रीलंका में शिक्षा तंत्र के स्तरों की जानकारी (Levels of Education System)

(6) श्रीलंका में निर्देशन के माध्यम की जानकारी (Medium of Instruction)

(7) श्रीलंका में धार्मिक, नैतिक, मूल्य आधारित और आध्यात्मिक शिक्षा का स्थान (Religious and Moral Education)

(8) शिक्षण व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ (Chief Characteristics of Education System)

(9) नारी शिक्षा की स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी (Status of Women Education)

(10) शिक्षा के सामान्य प्रशासन/प्रबंधन/निर्देशन/नियंत्रण में राज्य एवं स्थानीय निकायों की भूमिका का वर्णन (Role of State and Local in general administration, management and control of education)

16.1 विषय प्रवेश (Introduction)

भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्वी सिरे पर हिन्द महासागर में एक लोकतांत्रिक गणतन्त्र द्वीप है- श्रीलंका। मन्नार की खाड़ी (Gulf of Mannar) और पाल्क स्ट्रेट (Palk Strait) इसे भारतवर्ष से अलग करते हैं। श्रीलंका के पश्चिम में अरब सागर, उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में अरब सागर, उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिन्द महासागर है। पश्चिमी घाट पर बसा कोलम्बो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है और व्यावसायिक राजधानी भी है। कोलम्बो से लगभग 16 किमी पूर्व में स्थित जयवर्धनेपूरा (कोट्टी) श्रीलंका की शासकीय राजधानी है।

श्रीलंका की आकृति एक गदा (Pear) के समान है । इसका कुल क्षेत्रफल 65,610 वर्ग कि.मी. है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी कुल लम्बाई 440 कि.मी. है और पूर्व से पश्चिम तक इसकी कुल चौड़ाई 220 कि.मी. है । श्रीलंका के समुद्री तटरेखा की कुल लम्बाई 1300 कि.मी. है।

भौगोलिक स्थिति और समुद्र से ऊँचाई के हिसाब से पूरे श्रीलंका को तीन भौगोलिक खण्डों में विभाजित किया जा सकता है। केन्द्रीय पठार, मैदानी क्षेत्र तथा समुद्री तट। केन्द्रीय पठार के अन्तर्गत कई चोटियाँ, पठार और खाइयाँ आती हैं श्रीलंका की सबसे ऊँची चोटी (Mountain Peak) पिदूरूतलागला है जिसकी ऊँचाई 8281 फीट है। मैदानी क्षेत्र की सबसे अधिक चौड़ाई उत्तर में है। मैदानी क्षेत्र की समुद्रतल से औसत ऊँचाई लगभग 100 फीट है। लगून (Lagoon) रेतीले तट (Sandy Beaches) रेतीले टीले (Sand Dunes), चट्टानें और मार्श (Marshes) मिलकर तटरेखा का निर्माण करते हैं।

श्रीलंका की जनसंख्या लगभग दो करोड़ है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 301 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी है। इसके दक्षिण-पश्चिमी और उत्तरी हिस्से में सबसे ज्यादा लोग निवास करते हैं। यहाँ की लगभग 77 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है।

16.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Perspective)

लगभग 500 वर्ष ई.पू. भारतीय उपमहाद्वीप से बड़ी तादाम में आर्य लोगों ने श्रीलंका के लिए प्रस्थान किया। समय के साथ इन्हें सिंहलि नाम से जाना जाने लगा। इन्होंने अपनी अलग भाषा सिंहल का भी विकास कर लिया जो कि संस्कृत भाषा पर ही आधारित है। इनके

साथ ही दक्षिण भारत से द्रविड़ लोगों ने, जो तमिल भाषा बोलते थे, श्रीलंका को प्रस्थान किया। श्रीलंका के इतिहास की जानकारी प्राप्त करने का मूल स्रोत महावमसा है जो कि बौद्ध भिक्षुओं द्वारा 5वीं सदी में लिखा गया था। विजय और उसके उत्तराधिकारियों के राज्य में श्रीलंका का काफी विकास हुआ। लोगों ने खेती को अपना व्यवसाय बनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया और स्थापत्य कला का विकास किया। 9वीं सदी ने चोला राजाओं ने भी श्रीलंका के कुछ हिस्सों में अपना साम्राज्य बसाया। उसके पश्चात् 15 वीं सदी तक सिंहली और चोल राजाओं के मध्य क्षेत्राधिकार को लेकर युद्ध चलते रहे।

15वीं सदी की शुरूआत में श्रीलंका पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया। साथ ही डच लोगों (हालैण्ड निवासियों) ने भी कुछ हिस्सों पर कब्जा जमा लिया। डच शासन की सबसे बड़ी देन एक सुव्यवस्थित न्याय पालिका प्रणाली रही। सन् 1976 में ब्रितानियों ने डच लोगों को खदेड़ कर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। ब्रिटिश शासन की नीतियों से परेशान होकर लोगों ने इसका समय-समय पर विरोध करना शुरू कर दिया। द्वितीय विश्वयुद्ध (सन् 1939-1945) के पश्चात् स्थानीय नेताओं और ब्रिटिश शासकों के मध्य समझौता हुआ जिसका परिणाम 'सिलोन स्वतन्त्रता अधिनियम 1947' के रूप में सामने आया। 4 फरवरी सन् 1948 को श्रीलंका ब्रिटिश शासन से आजाद हो गया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार ने सिंहली भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा बना लिया और सभी राजकार्य सिंहली भाषा में करने के आदेश निकाल दिए। तमिल लोगों ने इस आदेश का जमकर विरोध किया। हारकर सरकार ने तमिल भाषा को भी मान्यता प्रदान कर दी। सिंहली और तमिल लोगों के सदियों पुराने मन की मलीनता की परिणति सन् 1983 में गृहयुद्ध के रूप में हुई जिसमें कई लोग मारे गए। सन् 1987 में भारतीय शांति सेना ने भी श्रीलंका में शांति स्थापित करने के प्रयास किए परन्तु उसके प्रयास भी पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए और उसे वापस निराश होकर भारत लौटना पड़ा। इतने वर्षो के उपरान्त भी सिंहली-तमिल संधर्ष चल रहा है और तमिल लोग जाफना को अलग प्रदेश घोषित करने की मांग पर संघर्ष कर रहे हैं।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

(1) कौनसी भौगोलिक आकृतियाँ श्रीलंका को भारत से पृथक करती है?

(2) श्रीलंका के भौगोलिक खण्डों का संक्षिप्त विवरण दें।

16.3 श्रीलंका की शिक्षण व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Affecting Educational Systems in Sri Lanka)

देश की व्यवस्था खासतौर पर शिक्षण व्यवस्था पर समय, काल, इतिहास, संस्कृति, परिस्थिति आदि कई कारकों का एकाकी और समग्र रूप से प्रभाव पड़ता है। श्रीलंका की शिक्षण व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं-

(1) भौगोलिक कारक (Geographical Factors)

चारों तरफ महासागर से घिरा श्रीलंका एक द्वीप देश है जो कालान्तर से ही समुद्री यात्रियों और आक्रांताओं की पहुँच में रहा है। यहाँ का मौसम उष्णकटिबंधीय है। कहीं मैदान,

कहीं ऊँची चोटियाँ, तो कहीं समुद्री किनारों पर रेत तो कहीं पहाड़ियाँ हैं। इस भौगोलिक विभिन्नता के कारण यहाँ की जनसंख्या उत्तरी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में निवास करती है। जिस क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा है उस क्षेत्र में विद्यालय की संख्या भी ज्यादा है। विद्यार्थियों के जीवन में काम आने वाले रोजमर्रा के संसाधन भी ज्यादा है।

(2) राजनीतिक कारक (Political Factors)

श्रीलंका में सदियों से सिंहली लोगों का अधिपत्य रहा है और उन्होंने सिंहली भाषा का मान बढ़ाने के प्रयास किए हैं। दूसरी ओर तमिल लोग अपने लिए अलग स्वतन्त्रत राज्य की स्थापना के लिए संघर्षरत हैं। सन् 1983 में श्रीलंका इसी संघर्ष के कारण गृहयुद्ध की आग में जल चुका है। सिंहली तमिल के इस अविराम संघर्ष के कारण शैक्षिक जगत को नई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संघर्ष के दिनों में स्कूल कॉलेज बन्द रहते हैं, शैक्षणिक व्यवस्था चरमरा जाती है।

(3) आर्थिक कारक (Economic Factors)

श्रीलंका की अर्थव्यवस्था सन् 1980 तक खेती पर आधारित थी। सन् 1980 में श्रीलंका प्रथम विकासशील देश बना जिसने अपने दरवाजे खुली अर्थव्यवस्था के लिए खोल दिए। विश्व व्यापार को अपने यहाँ आमंत्रित कर श्रीलंका मंदी के दौर से निकला और धीरे-धीरे अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने को प्रयासरत है।

श्रीलंका में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का शिक्षा पर प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि सरकार ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को मुक्त व अनिवार्य कर रखा है। साथ ही विद्यार्थियों को निःशुल्क किताबें वितरीत की जाती है। श्रीलंका सरकार शिक्षा को एक निवेश के रूप में देखती है। इसी का परिणाम है कि एक विकासशील देश होने के बावजूद भी श्रीलंका का साक्षरता प्रतिशत 92 प्रतिशत है।

(4) ऐतिहासिक कारक (Historical Factors)

श्रीलंका पर सिंहली राजाओं का आधिपत्य रहा है। सिंहली राजाओं ने बौद्ध धर्म का पालन और विस्तार किया। शुरू में बौद्ध मठ और विहार शिक्षा का केन्द्र रहे। संस्कृत से विकसित सिंहली भाषा शिक्षा की मुख्य भाषा रही। श्रीलंका के इतिहास की जानकारी देने वाले दो महाग्रंथ 'महावमसा और श्रीवमसा की रचना भी बौद्ध विहार में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई। यदि हम श्रीलंका के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि 9वीं सदी से ही सिंहली और चोल (तमिल) एक दूसरे पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने को संघर्षरत रहे हैं, वही संघर्ष आज भी जारी है। इस प्रतिद्वंद्विता ने भी शिक्षण व्यवस्था पर अपना असर दिखाया है। सरकार को शांति बनाए रखने के उद्देश्य से बहुभाषीय पाठ्यक्रम को स्वीकार करना पडा है।

(5) नस्लीय कारक (Ethnic Group Factors)

श्रीलंका में सिंहली बहुसंख्यक हैं और अल्पसंख्यकों में से तमिलों की संख्या सर्वाधिक है। सिंहली लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और 16 प्रतिशत जनसंख्या तमिलों की है। मुस्लिम समुदाय की लगभग 8 प्रतिशत जनसंख्या है जो तमिल भाषा का संवर्धित रूप, जिसमें कई सारे अरब शब्द शामिल हैं, का प्रयोग करते हैं। इन सबके अलावा भी

श्रीलंका में कुछ छोटे-छोटे समूह जैसे बर्गरस, वेददास आदि निवास करते हैं जो सम्मिलित रूप से 1 प्रतिशत जनसंख्या का निर्माण करते हैं।

ये सभी तबके के लोग अपने-अपने धर्म के अनुसार जीवन यापन करते हैं। इनके रीति-रिवाज एक दूसरे से भिन्न हैं फिर भी सभी तबके के लोग शिक्षित होने में विश्वास करते हैं।

16.4 शिक्षा व्यवस्था की सामान्य जानकारी (General Introduction of Educational System)

श्रीलंका में 5 से 13 वर्ष के बालकों के लिए स्कूल जाना आवश्यक है। सभी स्तरों की शिक्षा यहाँ तक की विश्वविद्यालयी शिक्षा का खर्च भी राजकोष द्वारा वहन किया जाता है। साथ ही विद्यालयी बालकों को निःशुल्क पुस्तकों का वितरण किया जाता है।

सन् 1948 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् श्रीलंका में साक्षरता प्रतिशत और शैक्षिक स्तरों की प्राप्ति में बेहताशा वृद्धि हुई है। स्वतन्त्रता के पश्चात् सरकार ने शैक्षिक व्यवस्था में सुधार करने और शिक्षा सबके द्वारा पहुँचाने के कार्यक्रम को अत्यधिक महत्व दिया जिसके परिणामस्वरूप प्रौढ़ साक्षरता की दर 92 प्रतिशत है । शिक्षा का माध्यम सिंहली या तमिल भाषा है। अंग्रेजी द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है।

16.5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Policy of Education)

शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सन् 1942 में एक समिति का गठन किया गया था जिसके निम्नलिखित कुछ सुझाव आज भी श्रीलंका की शिक्षण व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है :-

(1) सभी बालकों को अच्छी और निःशुल्क शिक्षा सेवा सुलभ करवाना ताकि शिक्षा को अमीरों द्वारा खरीदी जाने वाली मूल्यवान वस्तु बनने से बचाया जा सके।

(2) अंग्रेजी के स्थान पर राष्ट्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। इस प्रकार उच्च शिक्षा और आकर्षक रोजगार पाने की कुछ अमीर लोगों की अपेक्षा सर्वसाधारण को मौका मुहैया कराया जा सके।

(3) विद्यालय व्यवस्था को सुचारू, समर्थ और मितव्ययी बनाने के लिए उसे चुस्त-दुरस्त और वास्तविक धरातल के समीप बनाया जाए।

(4) यह सुनिश्चित किया जाए कि हर बालक को उसके धर्म की शिक्षा उसके अभिभावकों से अवश्य प्राप्त हो।

(5) अध्यापकों को स्कूल प्रबंधकों द्वारा किए जाने वाले शोषण से बचाना।

(6) प्रौढ़ शिक्षा के लिए उचित प्रावधान बनाना।

उपरोक्त सुझावों को अंगीकार करते हुए सरकार ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन सुझावों का समावेश किया। सरकार ने शिक्षा को एक निवेश माना जो दूरगामी परिणाम देने वाला होगा। इस दूरदृष्टि का ही परिणाम है कि श्रीलंका में साक्षरता प्रतिशत 93 प्रतिशत है, जी.डी.पी. में वृद्धि हुई है, उसके नागरिकों का जीवन यापन उच्च

मध्यम आय वर्ग और विकसित देशों के मानकों के समकक्ष है। वर्तमान में श्रीलंका की शैक्षिक नीति तीन आधारभूत सिद्धान्तों पर आधारित है-

(1) प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना, पूर्ण नामांकन और अनिवार्य मूल शिक्षा के चक्र के लक्ष्य को पूरा करना।

(2) शैक्षिक गुणवत्ता के उच्च स्तरों को प्राप्त करना जिसमें बौद्धिक विकास और विषयवस्तु के अच्छे ज्ञान के साथ-साथ सहभागिता, अनुशासन, समस्याओं के समाधान के लिए धनात्मक सोच, निर्णय क्षमता, नेतृत्व क्षमता, संप्रेक्षण (Communication) दूसरों के धर्म एवं भावनाओं का सम्मान करना आदि क्षमताओं का विकास करना।

(3) बालकों को पूंजी और संसाधन के रूप में विकसित करना जिससे कि वे मानवीय विकास, आर्थिक वृद्धि और गरीबी उन्मूलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

(1) श्रीलंका की शिक्षण व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौनसे हैं?

(2) श्रीलंका की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य तत्व कौनसे हैं?

16.6 शैक्षिक विकास नीति न्यादर्श (Education Development Policy Models)

श्रीलंका की शिक्षण व्यवस्था ने दो कारकों के आधार पर **'क्लासिक रेसिपि ऑफ डेवलपमेन्ट पॉलिसी'** अर्थात् **'विकास नीति कलात्मक रेसिपि'** का अनुसरण किया

इस न्यादर्श को का पहला कारण या यह था कि कलात्मक रेसिपि में जन वित्त प्रबंधन और सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर बल दिया गया था। यह दूरगामी सोच सन् 1930 और सन् 1940 के दशकों में नई पीढ़ियाँ आगे की सोच थी। दूसरा कारण यह रहा कि श्रीलंका ने क्लासिक रेसिपि का अनुसरण करते हुए शिक्षा के उच्चतम स्तर पर सरकारी संसाधनों का उपयोग सीमित कर दिया और अपना सारा ध्यान प्राथमिक शिक्षा पर केन्द्रित कर दिया। इस कलात्मक रेसिपि न्यादर्श के अनुसरण का सुखद परिणाम कुछ पीढ़ियों उपरान्त साक्षरता, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के रूप मे सामने आया है। श्रीलंका में साक्षरता, सामान्य स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के मापक उच्च मध्यम आय वर्ग विकसित देशों के लगभग समकक्ष है।

श्रीलंका ने कलात्मक रेसिपि के एक महत्वपूर्ण पहलू से अपने को अलग रखा है। श्रीलंका में 1960 के दशक की शुरुआत में ही ग्रेड 1 से 9 तक के लिए निजी विद्यालय खोलने पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया जो आज तक लागू है। अन्य विकासशील देश जिनका साक्षरता प्रतिशत कब है, जैसे कोस्टारिका और भारत का केरल प्रदेश साक्षरता के लिए निजी क्षेत्र पर अत्यधिक अर्जित है। श्रीलंका द्वारा शिक्षा में निजी क्षेत्र को इजाजत न देने के पीछे दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला तो यह की अमीर गरीब के भेदभाव के बिना सभी बालकों को समान शिक्षा प्राप्त करने के अक्सर सुलभ कराना और दूसरा कारण है निजी प्रबंधकों द्वारा किए जाने वाले शोषण से अध्यापकों को बचाना। वर्तमान में श्रीलंका के शिक्षा नीति निर्देशकों ने

सुझाव दिया है कि कानून को संशोधित कर निजी क्षेत्र को भी विद्यालय और विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी प्रदान की जाए। यह सुझाव अभी विचाराधीन है।

16.7 शैक्षिक संगठन (Education Structure)

श्रीलंका के शैक्षिक परिदृश्य को चार मुख्य अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। 3 वर्ष 5 वर्ष तक के बालकों के विकास के लिए नर्सरी किडरगार्डन और मोण्टेसरी कक्षाओं का संचालन पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र द्वारा संपादित होता है। छोटे बालकों की शिक्षण व्यवस्था औपचारिक सरकारी शिक्षा व्यवस्था के दायरे में नहीं आती। श्रीलंका के शैक्षिक संगठन की सामान्य जानकारी निम्न चित्र द्वारा प्रस्तुत है।

श्रीलंका में शैक्षिक संगठन का प्रारूप

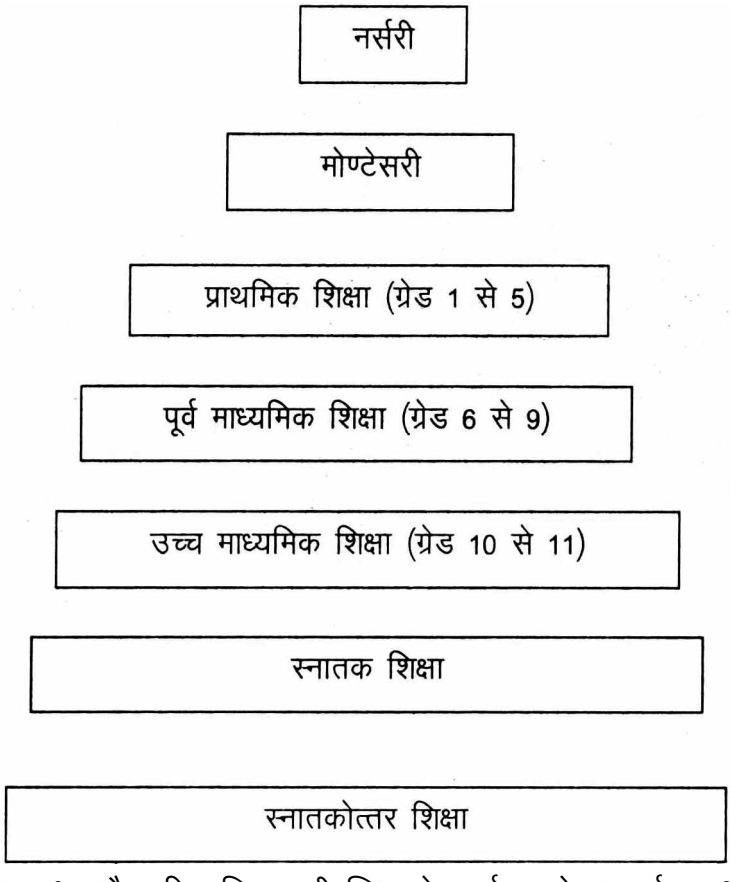

दूसरी अवस्था औपचारिक विद्यालयी शिक्षा के कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक (ग्रेड 1-5) जूनियर माध्यमिक (ग्रेड 6-9) और सीनियर माध्यमिक (10-13) शैक्षिक चक्र आते हैं। अनिवार्य शिक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक और जूनियर माध्यमिक स्तर (ग्रेड 1 से 9) आते हैं।

तीसरी अवस्था व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की आती है। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में प्रवेश के दो बिन्दु हैं- प्राथमिक शिक्षा की ग्रेड 9 पास करके अथवा सीनियर सैकण्डरी स्तर की ग्रेड 10-11 जिसे GCE (General Certificate of Eduacation) O/L

Ordinary Level भी कहा जाता है, उत्तीर्ण करने के पश्चात् व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है।

चौथी अवस्था महाविद्यालय स्तर की उच्चतम स्तर की अवस्था है। इसके लिए GCE A/L (advance level) जिसे ग्रेड 12-13 भी कहते हैं, उत्तीर्ण करने वाला विद्यार्थी अथवा किसी तकनीकी संस्था से स्नातक करने वाला विद्यार्थी प्रवेश पा सकता है।

विश्वविद्यालय स्नातक अथवा व्यावसायिक शिक्षा अथवा तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी सामान्यत: एक पाठ्यक्रम से दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लेते हैं।

A विद्यालयी परिदृश्य (School Scenario)

श्रीलंका में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सरकारी क्षेत्र का वर्चस्व है। 93 प्रतिशत विद्यालय और 95 प्रतिशत नामांकन के साथ सरकारी क्षेत्र का प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर एकाधिकार है। इसका मुख्य कारण श्रीलंका सरकार द्वारा सन् 1960 से अपनाई जा रही वह नीति है जिसके अन्तर्गत निजी क्षेत्र को अपने विद्यालय संचालित करने का अधिकार नहीं है।

समग्र रूप से देखा जाए तो श्रीलंका में लगभग 4 लाख विद्यार्थी 9800 सरकारी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लगभग 97000 विद्यार्थियों का नामांकन 30 निजी विद्यालय में है और लगभग 55000 विद्यार्थी राज्य द्वारा पोषित 'पिरिवेना' (मंदिर) विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं। ये सभी विद्यार्थी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं और राष्ट्रीय परीक्षा में हिस्सा लेते हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 70000 विद्यार्थी अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालय में अध्ययनरत है। इन अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालय की संख्या लगभग 150-200 है और ये विदेशी पाठ्यक्रमों का अनुसरण करते हुए विद्यार्थियों को समुद्रपार से होने वाली परीक्षा के लिए तैयार करते हैं।

सारणी-16.1

क्षेत्रवार सरकारी विद्यालय, छात्र नामांकन और अध्यापक संख्या

क्षेत्र	विद्यालयों की संख्या	विद्यार्थी की संख्या	शिक्षकों की संख्या	औसत विद्यालय आकार	छात्र-अध्यापक अनुपात
पश्चिमी	1393	873434	38187	627	23
केन्द्रीय	1483	539262	27447	364	20
दक्षिणी	1151	544109	26984	473	20
उत्तर पूर्वी	1802	628195	27361	349	23
उत्तर पश्चिमी	1250	481510	24839	385	19
उत्तर केन्द्रीय	783	269380	13010	344	21
उवा	829	391288	19520	345	20
साबरागमूआ	9826	4027075	191812	410	21

स्रोत- विश्व बैंक का शिक्षा मंत्रालय की स्कूल गणना 2002 के आधार पर जारी अनुमान

श्रीलंका ने शिक्षा नीति के प्रथम आधारभूत सिद्धान्त, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना उद्देश्य था, लगभग शत प्रतिशत प्राप्त कर लिया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूरे देश में सरकारी स्कूलों का तंत्र बिछा दिया गया। उपरोक्त दी गई सारणी से भी यह तथ्य स्पष्ट होता है कि सभी क्षेत्रो में विद्यालय का वितरण लगभग समान रूप से किया गया और उनमें अध्यापकों की नियुक्ति का आधार भी लगभग समान रखा गया। श्रीलंका में शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात 1: 21 है जिसे कि एक आदर्श अनुपात माना जा सकता है।

B शिक्षा चक्र (ग्रेड 1 से 9) (Education Cycle)

श्रीलंका में विद्यालय शिक्षा के अन्तर्गत ग्रेड 1 में नामांकन की दर लगभग 97 प्रतिशत है। ग्रेड 1 में प्रवेश लेने वाले लगभग सभी विद्यार्थी ग्रेड 5 पूर्ण करते हैं। ग्रेड 9 तक की पढ़ाई पूर्ण करने वाले लड़कों की संख्या 81 प्रतिशत है और लड़कियों की संख्या 84 प्रतिशत है। प्राथमिक शिक्षा (ग्रेड 1-5) और माध्यमिक शिक्षा (ग्रेड 6-9) में उच्च नामांकन दर का कारण सरकार द्वारा अपनाई गई दूरगामी नीतियों का परिणाम है। एक दूसरे की पूरक और पुनर्बलन देने वाली इन नीतियों की कई खूबियाँ है जिसमें निःशुल्क शिक्षा, मुफ़्त किताबें और गणवेश, आवागमन शूल्क में छूट, पिछड़े वर्गो और बालकों के लिए विशेष कार्यक्रमों का संचालन. प्रत्येक बालक को शिक्षित करने की जागरूकता आदि शामिल है।

उपरोक्त आँकडों के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य की पूर्ण प्राप्ति करने के लिए श्रीलंका को अभी एक लम्बा सफर का तय करना है। 18 प्रतिशत बच्चे 9वीं ग्रेड की पढ़ाई उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। 8 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के इन बालकों को 9वीं ग्रेड तक की पढ़ाई पूर्ण कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। यहाँ यह तथ्य भी स्मरणीय है कि ग्रेड 9 तक की पढ़ाई पूर्ण नहीं कर सकने वाले अधिकांश बालक गरीब परिवारों से, पिछड़े भौगोलिक क्षेत्रों से, वर्ग संघर्ष में लीन क्षेत्रों से या फिर अपंग होते हैं। माध्यमिक शिक्षा से वंचित इन बालकों को शिक्षा के अवसर मुहैया कराने के लिए एक सशक्त नीति की आवश्यकता है। इस संदर्भ में सरकार द्वारा संचालित विशेष शिक्षा कार्यक्रम, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम और अपंग बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. श्रीलंका में शिक्षा की मुख्य अवस्थाएँ कौन-कौनसी है?
2. श्रीलंका अपने शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य में किस हद तक सफल हो पाया है?

C उच्च माध्यमिक शिक्षा (Senior Secondary School Education)

उच्च माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में GCE O/L (ग्रेड 11) और GCE A/L (ग्रेड 13) उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को किसी भी रूप में संतोषप्रद नहीं माना जा सकता। पूरे देश के GCE A/L की औसत उत्तीर्ण दर मात्र 37 प्रतिशत है वहीं GCE O/L की औसत दर 56

प्रतिशत है। यह औसत उत्तीर्ण दर इसलिए भी काफी निम्न मानी जा सकती है क्योंकि GCE A/L में माध्यमिक स्तर पर आए सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी ही प्रवेश पा सकते हैं।

GCE O/L और GCE A/L की उत्तीर्ण दर को निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या-1.2

क्षेत्र	GCE O/L में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या	GCE O/L उत्तीर्ण करने वाली छात्रों की संख्या	GCE O/L उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का प्रतिशत	GCE A/L में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या	GCE A/L उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या	GCE A/L उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का प्रतिशत
पश्चिमी	78,832	37,674	48	49,051	26,543	54
केन्द्रीय	48,641	15,757	32	24,564	13,491	55
दक्षिणी	48,390	17,801	37	27,337	15,599	57
उत्तर पूर्वी	41,659	13,088	32	28,088	16,254	58
उत्तर पश्चिमी	41,609	15,779	38	22,226	12,892	58
उत्तर केन्द्रीय	22,180	6,769	31	10,305	5,413	53
उवा	26,262	8,104	31	11,684	6,120	52
साबरागमूआ	34,743	11,842	34	18,681	10,597	57
श्रीलंका	342,316	126,814	37	191,936	106,909	56

स्रोत - शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय मूल्यांक

उपरोक्त सारणी से यह भी स्पष्ट होता है कि GCE O/L और GCE A/L की औसत उत्तीर्ण दर पूरे देश में लगभग समान है जिसके दो प्रमुख कारण हैं- (1) शिक्षा नीति के अन्तर्गत यह सुनिश्चित करना की प्रत्येक क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय का तंत्र हो (2) GCE A/L चक्र में प्रवेश पाने वाले छात्र अपनी आयु वर्ग के अन्य विद्यार्थियों में सबसे काबिल होते है।

पिछले दस वर्षो में उच्च माध्यमिक शिक्षा के परिणामों में सुधार हुआ है। श्रीलंका के शिक्षा नीति निर्देशक इस तथ्य से वाकिफ है कि माध्यमिक शिक्षा के परिणामों में सुधार अपेक्षित है। इस स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं।

D उच्च शिक्षा (Major Education)

उच्च शिक्षा में नामांकन योग्य अभ्यर्थियों का 11 प्रतिशत है यह दर दक्षिण एशिया के औसत 10% से ज्यादा है और अन्य देश जैसे भारत, मोरक्को, वियतनाम और मारीशियस के समान है। उच्च शिक्षा में नामांकन का एक बड़ा हिस्सा, जो लगभग 6 प्रतिशत है वह विश्वविद्यालयी शिक्षा के बाहर तकनीकी शिक्षा क्षेत्र का हिस्सा है। ये विद्यार्थी निजी क्षेत्र द्वारा संचालित विभिन्न व्यावसायिक (Professional) पाठ्यक्रमों जैसे- IT (सूचना प्रौद्योगिकी) मेनेजमेन्ट (प्रबंधन), अंकन (अकाउंटिंग), मार्केटिंग विधि (Law) व्यापार, वित्त आदि में नामांकित है। विश्वविद्यालयी शिक्षा में नामांकन लगभग 3 प्रतिशत है और एडवांस तकनीकी शिक्षा (Advanced Technical Education) में नामांकन 2 प्रतिशत है। उच्च शिक्षा में नामांकन निम्न सारणी 163 में दर्शाया गया है।

क्षेत्र	कुल नामांकन शिक्षा	विश्वविद्यालय शिक्षा	व्यावसायिक शिक्षा	तकनीकी शिक्षा
पश्चिमी	16	5	9	3
केन्द्रीय	8	3	3	2
दक्षिणी	10	3	6	2
उत्तर-पूर्वी	-	-	-	-
उत्तर-पश्चिमी	7	2	4	1
उत्तर-केन्द्रीय	6	1	4	1
ऊवा	7	3	2	2
साबरागमूआ	9	3	4	2
श्रीलंका	11	3	6	2

स्रोत - सांख्यिकी विभाग की गणना पर विश्व बैंक का अनुमान

उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों में निजी क्षेत्र का चयन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत ज्यादा होता है। यह अनुपात प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के अनुपात के एकदम विपरीत है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्राथमिक शिक्षा की तरह उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र द्वारा संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

सन् 1997 में उच्च शिक्षा में प्रवेश पाने वाले छात्रों का प्रतिशत 8 प्रतिशत था जो सन् 2002 में बढ़कर 11 प्रतिशत हो गया। यह बढ़ोतरी विश्वविद्यालयी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा तीनों क्षेत्रों में देखी गई। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण विश्वविद्यालयों और निजी डिग्री देने वाली संस्थाओं का विस्तार रहा। साथ ही निजी डिग्री देने वाली संस्थाओं ने अपने यहाँ चलने वाले पाठ्यक्रमों की संख्या में वृद्धि की जिसके परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा में नामांकन प्रतिशत में वृद्धि हुई।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

(1) (GCE O/L और GCE A/L की औसत उत्तीर्ण दर पूरे श्रीलंका में समान होने के क्या कारण हैं?

(2) उच्च शिक्षा में नामांकन में श्रीलंका की क्या स्थिति है?

E शिक्षा का प्रबंधन एवं नियंत्रण (Management and Monitoring of Education)

शिक्षा संबंधी कार्यो और अधिकारों का केन्द्र और प्रांतीय सरकारों के मध्य विकेन्द्रीयकरण, हस्तान्तरण और प्रतिनिधित्व ये तीनों घटक मिलकर एक जटिल शासन तंत्र का निर्माण करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी स्तरों के कार्यो के लिए केन्द्र सरकार उत्तरदायी है। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालयी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के संबंध में नीति बनाने का कार्य केन्द्र सरकार करती है। विद्यालय प्रबंधन और सार्वजनिक शिक्षा हेतु वित्त प्रवाह के प्रबंधन में प्रांतीय सरकारें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। श्रीलंका के शिक्षा नीति, निर्देशकों और विधिवेताओं ने केन्द्रीयकृत शिक्षा पद्धति और

हस्तांतरित प्रबन्धन व्यवस्था करके दोनों पद्धतियों का पूरा लाभ लेने की कोशिश की है। केन्द्रीयकृत शिक्षा पद्धति अपनाने से राष्ट्र निर्माण, सामाजिक सहिष्णुता और शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने जैसे उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है वहीं दूसरी और हस्तांतरित प्रबंधन व्यवस्था से विद्यार्थियों और अभिभावकों से निकटता बनी रहती है जो इस व्यवस्था से सबसे ज्यादा लाभान्वित होते हैं। वर्तमान नीति निर्देशक इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि विद्यालय को और अधिक प्रभावशील और कार्यकुशल बनाने के लिए प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों को और क्या अधिकार दिए जाएं? साथ ही स्थानीय समुदायों की सहभागिता कैसे बढ़ाई जाएं?

विद्यालयी व्यवस्था में सरकारी संसाधनों का प्रवाह चित्र निम्नलिखित में दिखाया गया है।

चित्र- 1.3 विद्यालय व्यवस्था में सरकारी संसाधनों का प्रकार

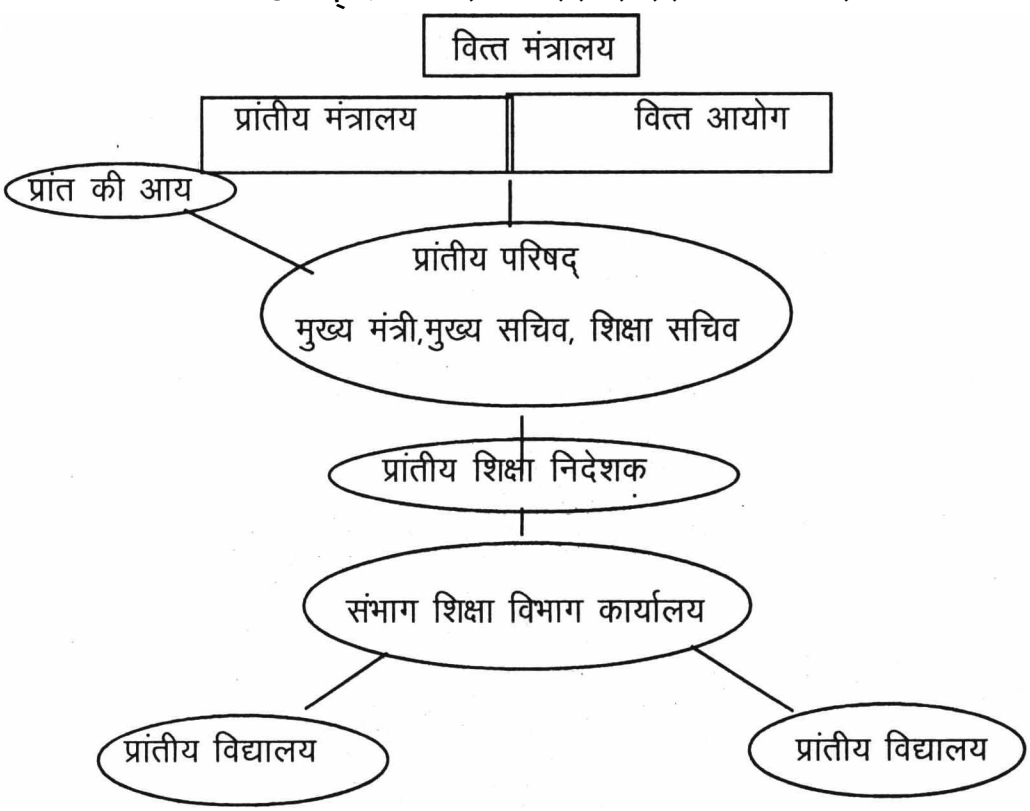

F केन्द्र सरकार के कार्य (Function of Central Government)

विद्यालयी व्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की संस्थाएँ निम्न कार्यो को करने के लिए उत्तरदायी हैं:-

(i) विद्यालयी पाठ्यक्रम का निर्माण करना।

(ii) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का पाठ्यक्रम निर्धारित करना।

(iii) पाठ्यपुस्तकों का मुद्रण एवं वितरण करना।

(iv) विद्यालयी उपस्थिति बढ़ाने हेतु गणवेश और आवागमन शुल्क में कटौती की व्यवस्था करना।

(v) प्रधानाध्यापकों, प्रभारियों और अध्यापकों के लिए व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(vi) समान परीक्षा आयोजित करना।

(vii) शैक्षिक विकास के उपाय ढूँढना और इससे संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन करना जैसे विशिष्ट शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय और पढ़ने की आदत संबंधी कार्यक्रम।

विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए केन्द्र सरकार राष्ट्रीय नीति बनाने, वित्त, स्टॉफ सदस्यों की नियुक्ति, राष्ट्रीय स्तर पर नियम और मापदण्ड निर्धारित करने, विद्यार्थियों को पदस्थापित करने आदि महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह करती है। केन्द्र सरकार द्वारा इतनी शक्तियाँ ग्रहित करने के बावजूद भी विश्वविद्यालय अपने स्तर पर काफी हद तक स्वतंत्र हैं। विश्वविद्यालय नियमानुसार सीमित मात्रा में स्टाफ सदस्यों को चयन करते हैं, पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, डिग्री कार्यक्रमों और अन्य उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों का संचालन करते हैं, परीक्षाएँ आयोजित करवाते हैं, स्नातक प्रमाण पत्र देते हैं और अनुसंधान करवाते हैं। इसके अलावा भी विश्वविद्यालय अपने द्वारा अर्जित आय को स्टाफ की नियुक्ति, अनुसंधान और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के खर्च करने को स्वतन्त्र है।

व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा देने वाली संस्थाएँ केन्द्र सरकार के नियंत्रण में आती है। ये संस्थाएँ केन्द्रीय विभागों की तरह कार्य करती है जो कार्यक्रम बनाने, पाठ्यक्रम निर्माण करने, मापदंड निर्धारित करने, प्रमाण पत्र देने आदि कार्य केन्द्रीय अधिकारी की देखरेख में करती है।

1.6 B प्रान्तीय सभा के कार्य (Functions of Prounices)

विद्यालयी व्यवस्था में प्रान्तीय सभाएँ महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आठ प्रान्तीय सरकारें अपने 940 जोनल कार्यालय और 365 संभागीय कार्यालयों के माध्यम से लगभग 9500 विद्यालय पर नियंत्रण और निर्देशित करती हैं। प्रांतीय सभा शैक्षिक केलेण्डर की रूपरेखा और बजट बनाती है, प्रांतीय स्तर पर अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों और व्यवस्थापकों को नियुक्त और पदमुक्त करती हैं। जोनल शिक्षा अधिकारी प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों का स्थानान्तरण और पदमुक्त करने का कार्य करते हैं। प्रांतीय सरकारें लघु व्यावसायिक कार्यक्रमों के संचालन का भी समर्थन करती हैं।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

(1) केन्द्रीयकृत शिक्षा प्रणाली और हस्तांतरित प्रबंधन व्यवस्था (Delegated Management System) को श्रीलंका ने क्यों अपनाया हैं?

(2) विद्यालयी व्यवस्था में श्रीलंका की केन्द्र सरकार की क्या भूमिका रहती हैं?

16.8 समस्याएँ (Problems)

किसी भी देश के लिए शिक्षा पर होने वाले खर्च और उससे लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या महत्वपूर्ण होती है। साथ ही साथ यह भी महत्वपूर्ण होता है कि उसकी सेवाओं की

गुणवत्ता और प्रभावशीलता कितनी है। पूरे श्रीलंका में शिक्षण संस्थानों का जाल फैला हुआ है और उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए स्टाफ भी है। एक सुनिश्चित पाठ्यक्रम है और शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए अलग-अलग केडर बने हुए है। संस्थानों का वित्त प्रबंधन भी सरकार द्वारा सुचारू ढंग से किया जाता है। अत: यह कहा जा सकता है कि श्रीलंका में शिक्षा सेवा का ढाँचा एक सशक्त नींव पर टिका हुआ है।

परन्तु श्रीलंका की शिक्षा सेवा कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रही है। प्रथम चरण में सभी को सार्वभौमिक बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के अपने लक्ष्य की प्राप्ति के बाद अब दूसरे चरण में त्वरित गति से बढ़ती शहरी जनसंख्या को उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा मुहैया कराने की चुनौती है। इन चुनौतियों में से कुछ मुख्य चुनौतियाँ निम्नानुसार है-

A शिक्षकों की गैर हाजिरी (Teacher Absentism)

शिक्षकों का अपने ड्यूटी स्थल से गैर हाजिर (छूट्टी पर) रहना एक विकट समस्या है। एक वर्ष में अगर छुट्टी लेने का औसत निकाला जाए तो उत्तर-पूर्वी प्रांत में एक शिक्षक एक वर्ष में लगभग 33 छुट्टियाँ ले लेता है और युवा एवं उत्तर केन्द्रीय प्रांत में तो 42 से 43 छुट्टियाँ एक शिक्षक एक वर्ष में ले लेता है। इसके अतिरिक्त अवकाश नियमों का कठोरता से पालन न करने के कारण अन्य तरीकों से भी शिक्षक छुट्टी ले लेते हैं।

B कम वेतनमान (Low Salaries)

शिक्षा नीति बनाने वाले इस बात से चिन्तित है कि पिछले तीन दशकों के कद, उनके प्रोत्साहन और काम के प्रति नजरिए में काफी परिवर्तन आया है। हालांकि यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि इन वर्षो में शिक्षकों के वेतनमान में वास्तविक रूप से अवनति (declination) हुआ है। जो वेतन शिक्षकों को सन् 1978 में मिलता था आज वास्तविक रूप में शिक्षक उसका लगभग 60 प्रतिशत वेतन ही प्राप्त कर रहे हैं। दूसरे सरकारी विभाग के कर्मचारी सन् 1978 के मुकाबले बेहतर वेतन प्राप्त कर रहें हैं। शिक्षकों को इन वर्षो में आर्थिक उन्नति का कोई लाभ नहीं मिला। शिक्षकों का वेतनमान कम होने से यह सरकारी बजट पर भारी नहीं पड़ता परन्तु इससे शिक्षकों की कार्यकुशलता पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले नए लोगों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है।

C शैक्षिक और प्रबंधन क्षमता की सीमितता (Inadequate managerial and academic improvement)

नेशनल कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन (NCOE's) तथा टीचर्स सेन्टर (CTC's) के शैक्षिक कार्य भी पूरी तरह से केन्द्रीयकृत है। शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम, परीक्षा और प्रमाण पत्र (Certificate) सभी चीजों के लिए 17 NCDE's को केन्द्र पर निर्भर रहना पड़ता है। T.C. प्रबंधक को अपने केन्द्र के लिए जरूरी सामान या सामग्री खरीदने की छूट नहीं है। NCDE's एवं TC को यह भी अधिकार नहीं है कि वे किसी को अपने केन्द्र के संचालन हेतु नियुक्ति दे सके।

D नियुक्ति में लम्बी समयावधि (Longitive time span for oppo)

तकनीकी खामियों के कारण शिक्षा प्रबंधन में कई सारी बाधाएँ आती है। इस कारण कई बार रोजमर्रा के कार्यो में भी अत्यधिक लम्बा समय लग जाता है। व्याख्याताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया में (विज्ञापन से नियुक्ति तक- from advertisement to appointment) कई बार 2 वर्ष का समय लग जाता है। इसी तरह पदोन्नतियों में भी एक वर्ष का समय लग जाता है। ऋण (Loan) पास करवाने में भी वर्षो का समय लग जाता है।

16.9 उपसंहार (Conclusion)

श्रीलंका के राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्माताओं ने दूरगामी दृष्टिकोण रखते हुए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया। इसी के परिणामस्वरूप श्रीलंका में प्रौढ़ साक्षरता दर भी 92 प्रतिशत है। श्रीलंका में प्राथमिक शिक्षा पर प्रांतीय सरकार और उच्च शिक्षा पर केन्द्र सरकार का प्रबंधन और नियंत्रण रहता हैं हालांकि समग्र रूप से देखा जाए तो केन्द्र की प्रांतीय सरकारों को विद्यालय संबधी निर्देशन देता है। शिक्षा का माध्यम सिहंली और तमिल भाषा है और अंग्रेजी द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। उच्च शिक्षा के तहत निजी क्षेत्रों को अपने संस्थान संचालित करने की छूट हैं परन्तु प्राथमिक शिक्षा में निजी प्रबंधन पर प्रतिबंध है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 60 वर्ष उपरान्त श्रीलंका 'समान शिक्षा द्वारा राष्ट्र निर्माता' के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में काफी हद तक सफल रहा है।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न(Self-Evaluation Questions)

(1) श्रीलंका की शिक्षण व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तृत वर्णन कीजिए।

(2) श्रीलंका की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर प्रकाश डालिए।

(3) श्रीलंका के शैक्षिक परिदृश्य का विस्तार से वर्णन कीजिए।

(4) श्रीलंका में शिक्षा के नियंत्रण एवं प्रबंधन में केन्द्र एवं प्रांत सरकार की क्या भूमिका रहती है।

16.10 सन्दर्भ सूची (References)

1. A Nation at Risk, 1983, **Report of the National commission on Excellance in Education,** U.S. Department of Education.
2. Biswas, A and Aggarwal J.C., **Comparative Education**
3. Education in the United States: **A Documentary History, Vol 1 to 55,** Random House New York 1974.
4. Khan M.A. (2004), **Modern Comparative Education** Anmol Publication Pvt. Ltd., New Delhi.
5. Kaushik S.L. & Beejawat K.G. **तुलनात्मक शिक्षा,** राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 1989.

6. Kandal I.L, **The New Era in Education,** Routledge and Kegan Paul, London.
7. Nicholas Hans, **Comparative Education 3rd Edition.** London. Routledge and Kegan paul Ltd., 1958.
8. Richardson, C.A. **Education of Teachers in England,** France and USA, UNESCO, 1963.
9. Smith H.L., **Comparative Education,** Educational Publication, Bloomington, Indian USA.
10. Sharma R.N., **Comparative Education,** Surjeet Publication, Delhi.
11. **A 2006 Ranking from THES-**QS of the World's Research Universities.
12. **United States Census** (2000-2005).
13. **Structure of US Education, U.S. Network for Education Information:** U.S. Department of Education, 2005.
14. **IDEA 2004 Resources.** U.S. Department of Education. URL Accessed on Feb. 16.
15. **U.S. Census Bureau Report on Education Attainment in the United States 2003.**

इकाई-17

श्रीलंका में विद्यालयी शिक्षा

(School Education in Sri Lanka)

17.0 इकाई के उद्देश्य(Objectives of the Unit)
17.1 विषय प्रवेश (Introduction)
17.2 विद्यालय संरचना (School Structure)
17.3 विद्यालय के प्रकार (Types of Schools)
17.4 पाठ्यक्रम (Curriculum)
17.5 शैक्षिक पुनर्संरचना (Reorganisation of Education)
17.6 आईसीटी (I.C.T.)
17.7 सारांश (Summary)
17.8 संदर्भ सूची (References)

17.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of the Unit)

इस इकाई को पढ़कर आपको निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हो सकेगी-

(1) श्रीलंका के विद्यालय के तंत्र और स्तर
(2) श्रीलंका में विद्यालय के प्रकार
(3) शैक्षिक कार्यक्रम
(4) शिक्षण विधियाँ
(5) शिक्षण में तकनीकी और ICT की भूमिका
(6) मूल्यांकन पद्धति
(7) शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम
(8) अनुसंधान
(9) दूरस्थ शिक्षा
(10) प्रबंधन, निर्देशन और निरीक्षण

17.1 विषय प्रवेश (Introduction)

श्रीलंका में ऐसे कई विद्यालय हैं जो सिर्फ लड़कों या सिर्फ लड़कियों के लिए संचालित हो रहे हैं। इनमें से कई सारे विद्यालय की शुरूआत अंग्रेजी हुकुमत द्वारा ब्रिटिशराज के दौरान की गई थी। उपनिवेश काल में स्थापित कुछ मशहूर विद्यालय हैं- कोलंबो का रॉयल कॉलेज (Royal College, Colombo), (St. Thomas, Mt. Lavinia), (Trinity College, Candy) माउण्ट लेविनिया का सेंट थॉमस कॉलेज और कैंडी का ट्रिनिटी कॉलेज।

सन् 1938 में सिलोन (अब श्रीलंका) में शिक्षा को निःशुल्क कर दिया गया। इसका श्रेय उस वक्त शिक्षामंत्री रहे माननीय डी. सी.डबल्यू. काननगरा को जाता है जिन्होंने अथक प्रयास करके निःशुल्क शिक्षा की स्थापना की। इस शुरूआत के तहत सभी देशवासियों को निःशुल्क शिक्षा सुलभ कराने के लिए 'मध्य महाविद्यालय' (MMS - केन्द्रीय विद्यालय) की स्थापना द्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में की गई। शिक्षा का माध्यम सिंहली या तमिल रखा गया। सन् 1938 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् विद्यालय की संख्या और साक्षरता दर में ठोस इजाफा हुआ। सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार आज पूरे देश में लगभग 9830 विद्यालय हैं जिनमें 4 लाख 30 हजार विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

उपनिवेशकाल के दौरान ही अंगरिका धर्मपाला और अन्य लोगों ने सिंहली बालकों में बौद्ध धर्म के प्रति विलुप्त होती भावनाओं और मूल्यों को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से बौद्ध स्कूलों की स्थापना की। इनमें आनन्द कॉलेज, धर्मराज कॉलेज, मलियदेव कॉलेज, किग्सबुड कॉलेज, महिन्द्रा कॉलेज आदि प्रमुख हैं।

श्रीलंका में कई कैथोलिक विद्यालय हैं जिनमें सेंट जॉसफ कॉलेज, सेंट पीटर कॉलेज, सेंट एन्थोनी कॉलेज आदि प्रमुख हैं। उपनिवेशकाल की समाप्ति के पश्चात् भी कई विद्यालय की स्थापना हुई लेकिन आज भी श्रीलंका में उपनिवेशकाल के दौरान स्थापित विद्यालय का वर्चस्व है। इन विद्यालय को अपने पुराने विद्यार्थियों का समर्थन प्राप्त होता है।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

(1) उपनिवेशकाल के दौरान श्रीलंका में स्थापित कुछ प्रमुख विद्यालय कौनसे हैं?

(2) श्रीलंका में नि:शुल्क शिक्षा की शुरुआत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

17.2 विद्यालय संरचना (School Organisation)

श्रीलंका के शैक्षिक ढाँचे को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है प्राथमिक, जूनियर माध्यमिक, सीनियर माध्यमिक, कॉलेजिएट और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा 5 वर्ष तक चलती है। (ग्रेड 1-5) जिसे पूर्ण करने के उपरान्त विद्यार्थी एक राष्ट्रीय परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। इस स्कॉलरशिप परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को बेहतर विद्यालय में दाखिला लेने का मौका मिलता है। जूनियर माध्यमिक कक्षा की अवधि 4 वर्ष होती है। (ग्रेड 6-9) और उसके बाद सीनियर माध्यमिक कक्षा ग्रेड 9 से 11 तक होती है। ग्रेड 9 से 11 General Certificate of Education (GCE) Ordinary Level (O/L) में प्रवेश लेने की तैयारी का स्तर है। श्रीलंका के कानून के अनुसार हर बालक को ग्रेड 9 तक की शिक्षा लेना अनिवार्य है जिसके पश्चात् वह पढ़ाई जारी रखने, नौकरी ढूँढने या खेती करने का कार्य कर सकता है। हालांकि शिक्षा मंत्रालय सभी विद्यार्थियों को यह सलाह देता है कि वे कम से कम GCE, O/L तक ही पढ़ाई पूरी करें।

श्रीलंका में कई वर्ग होने के कारण पढ़ाई का माध्यम कहीं सिंहली है तो कहीं तमिल। कुछ चुनिंदा स्कूल तीनों माध्यमों के द्वारा शिक्षा देते हैं। विभिन्न ग्रेड में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं का अनुमानित आयुवर्ग इस प्रकार माना गया है-

प्राथमिक कक्षाएँ

1. किंडरगार्टन — 4 से 5 वर्ष
2. ग्रेड 1 — 5 से 6 वर्ष
3. ग्रेड 2 — 6 से 7 वर्ष
4. ग्रेड 3 — 7 से 8 वर्ष
5. ग्रेड 4 — 8 से 9 वर्ष
6. ग्रेड 5 — 9 से 10 वर्ष (स्कॉलरशिप परीक्षा)

जूनियर माध्यमिक

1. ग्रेड 6 — 10 से 11 वर्ष
2. ग्रेड 7 — 11 से 12 वर्ष
3. ग्रेड 8 — 12 से 13 वर्ष
4. ग्रेड 9 — 13 से 14 वर्ष

सीनियर माध्यमिक

1. ग्रेड 10 — 14 से 15 वर्ष
2. ग्रेड 11 — 15 से 16 वर्ष GCE, O/L परीक्षा

17.3 विद्यालय के प्रकार (Types of School)

श्रीलंका में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के तहत एवं निजी प्रबंधनों द्वारा विद्यालय संचालन होने पर प्रतिबंध है जिसके कारण वहाँ पर सरकारी विद्यालय का वर्चस्व है। फिर भी श्रीलंका में विद्यालय को इस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है- (अ) सरकारी विद्यालय (ब) निजी विद्यालय (स) अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालय।

17.3.1 सरकारी विद्यालय (Govt. Schools)

श्रीलंका में अधिकांश विद्यालय का संचालन और रखरखाव सरकार द्वारा किया जाता है जिससे कि निःशुल्क शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें। वर्तमान में श्रीलंका में लगभग 9850 सरकारी विद्यालय और 560 पिरिवेना (बौद्ध मंदिर विद्यालय) हैं।

सन् 1980 में प्रांतीय सभाओं (सरकारों) की स्थापना के बाद केन्द्र-सरकार ने अपने अधिकांश विद्यालय की व्यवस्था का दायित्व स्थानीय सरकारों को सौंप दिया परन्तु जो विद्यालय उपनिवेशकाल में स्थापित हुए थे, उनकी व्यवस्था की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार ने अपने पास ही रखी। इस तरह श्रीलंका में सरकारी विद्यालय, की तीन श्रेणियाँ हो गई-

(i) राष्ट्रीय विद्यालय

(ii) प्रान्तीय विद्यालय

(iii) पिरिवेना

(i) राष्ट्रीय विद्यालय: इस श्रेणी के विद्यालय पर शिक्षा मंत्रालय का सीधा नियंत्रण होता है। इन विद्यालय की वित्त संबंधी सारी व्यवस्था शिक्षा मंत्रालय करता है। इनमें से अधिकांश

विद्यालय अंग्रेजी हुकुमत के दौरान स्थापित हुए थे। ये विद्यालय प्रसिद्ध विद्यालय हैं और इनकी गिनती संभ्रांत विद्यालय में होती है। इन विद्यालय की सुविधाएँ अन्य सरकारी विद्यालय की अपेक्षा कहीं बेहतर है। इन विद्यालय को यहाँ से पढ़े हुए अपने पुराने विद्यार्थियों का भी पूरा सहयोग मिलता है। पिछले कुछ सालों में कुछ नए विद्यालय और कुछ अन्य सरकारी विद्यालय को भी क्रमोन्नत करके राष्ट्रीय विद्यालय की श्रेणी में रखा गया है। आज श्रीलंका में 323 राष्ट्रीय विद्यालय विद्यमान हैं। इन विद्यालय में प्रवेश के लिए 5वीं ग्रेड उत्तीर्ण करने के उपरान्त स्कॉलरशिप परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा में चयनित छात्रों को इन विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है।

(ii) प्रांतीय विद्यालय: श्रीलंका में अधिकांश विद्यालय प्रांतीय विद्यालय हैं। इनके नियंत्रण और रखरखाव की जिम्मेदारी प्रांतीय सरकार की है। देश के सभी आठ प्रांतों में इनका वितरण समान हैं। सार्वभौमिक निःशुल्क शिक्षा के उद्देश्य से इन विद्यालय की स्थापना की गई थी। इनमें से कई विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं की कमी है तो कई विद्यालय में पढ़ाने के लिए अध्यापकों की आवश्यकता है।

(iii) पिरिवेना: इन विद्यालय की स्थापना का मूल उद्देश्य बौद्ध धर्म और उसकी जीवन मूल्यों से भटक रहे लोगों को वापस बौद्ध धर्म से जोड़ना था। इन विद्यालय का संचालन बौद्ध विहारों और बौद्ध मंदिरों में बौद्ध भिक्षुओं के लिए होता है।

17.3.2 गैर सरकारी विद्यालय (Non Govt. Schools)

श्रीलंका में गैर सरकारी विद्यालय खोलने पर प्रतिबंध है जिसका मूल उद्देश्य है सभी बालकों को चाहे वह अमीर हो या गरीब, समान शिक्षा के अवसर सुलभ कराना। श्रीलंका में गैर सरकारी विद्यालय को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है- निजी विद्यालय और अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालय।

(i) निजी विद्यालय:

उपनिवेशकाल के दौरान उच्च मध्यम आय वर्ग के लोगों की संख्या में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप श्रीलंका में निजी विद्यालय की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। यह निजी विद्यालय शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित स्थानीय पाठ्यक्रम का अनुसरण करते हैं। पढ़ाई का माध्यम सिंहली अथवा तमिल अथवा अंग्रेजी भाषा रहती है। यह निजी विद्यालय सरकारी विद्यालय की अपेक्षा बेहतर सुविधाएँ मुहैया कराते हैं।

वर्तमान में श्रीलंका में 66 निजी विद्यालय संचालित हैं। इनकी स्थापना सन् 1960 से पहले की गई थी। सन् 1960 के पश्चात् श्रीलंका सरकार ने निजी विद्यालय के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया। इन 66 निजी विद्यालय में 33 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें कोई शुल्क नहीं लगता इसलिए इन्हें अर्द्ध सरकारी विद्यालय भी कहा जाता है। 33 निजी विद्यालय का संचालन स्वतंत्र रूप से इनके प्रबंधकों के हाथ में है। इनमें सेंट जोसफ कॉलेज, सेंट पीटर्स कॉलेज और सेंट ब्रिगेड कान्वेन्ट एंजलिकन स्कूल हैं। मेथोडिस कॉलेज और वेसले कॉलेज मेथोडिस्ट स्कूल हैं, मूसियस कॉलेज, होली फैमिली कान्वेन्ट, देहिवेला अर्द्ध सरकारी विद्यालय हैं।

(ii) अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय

इस श्रेणी के विद्यालय पर शिक्षा मंत्रालय का सीधा नियंत्रण होता है। इन विद्यालय की वित्त संबंधी सारी व्यवस्था शिक्षा मंत्रालय करता है। इनमें से अधिकांश विद्यालय अंग्रेज हुकुमत के दौरान स्थापित हुए थे। ये विद्यालय निवेश बोर्ड (Board of Investment-BOI) के तत्वावधान में आते हैं। इन विद्यालय में यह जरूरी नहीं कि कोई बाहरी लोग ही इनमें प्रवेश ले, कोई भी स्थानीय व्यक्ति जो इनकी ट्यूशन फीस दे सकता हैं, वह इसमें प्रवेश ले सकता है। इन विद्यालय के पाठ्यक्रम में बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। इन विद्यालय का प्रवेश शुल्क बहुत ज्यादा है इसलिए इनमें ज्यादातर बाहरी विद्यार्थी ही प्रवेश लेते हैं। उच्च शुल्क लेने के कारण ये विद्यालय बेहतर सुविधाएँ प्रदान करते हैं। इन विद्यालय में छात्र अनुशासन अन्य विद्यालय की अपेक्षा निम्न स्तर का होता है।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

(1) श्रीलंका के विद्यालय को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता हैं।

(2) पिरिविना क्या है?

17.4 पाठ्यक्रम (Curriculum)

श्रीलंका में पिछला पाठ्यक्रम सुधार सन् 1999 में हुआ था और तेजी से बदलते वक्त और जरूरत को ध्यान में रखते हुए उस समय पाठ्यक्रम में परिवर्तन की पुरजोर जरूरत महसूस की जा रही थी। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (NIE), शिक्षा मंत्रालय (MOE) और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (NEC) द्वारा पाठ्यक्रम को लागू कर दिया गया।

श्रीलंका में विद्यालयी शिक्षा को अब तक 4 भागों में विभाजित किया जाता रहा है प्राथमिक (ग्रेड 1-5) जूनियर माध्यमिक (ग्रेड 6-9) सीनियर माध्यमिक (ग्रेड 10-11) कॉलेजिएट (ग्रेड 12-13), ग्रेड 1 से 11 तक सभी कक्षाओं के लिए समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था।

17.4.1 प्राथमिक शिक्षा (Primary Education)

प्राथमिक स्तर पर प्रथम भाषा, गणित, पर्यावरण विज्ञान, क्रियात्मक, कलात्मक और धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। माध्यमिक स्तर पर विषय पारंगता पर अधिक बल दिया जाता था। इस स्तर पर विज्ञान विषय की शुरूआत और अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाना सम्मिलित था। माध्यमिक स्तर पर निम्न विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था धर्म, प्रथम भाषा, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और इतिहास, कला शिक्षा और तकनीकी विषय।

श्रीलंका की शिक्षा व्यवस्था अभी बदलाव के दौर से गुजर रही है। शैक्षिक ढाँचे में कुछ परिवर्तन हुए हैं और कई दूसरे परिवर्तन हो रहे हैं या उन पर विचार-मंथन चल रहा है। पाठ्यक्रम में बदलाव निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किए गए हैं-

(1) बाल केन्द्रित पाठ्यक्रम का विकास करना।

(2) बालकों में आवश्यक एवं इच्छित योग्यताओं का विकास करना।

(3) प्राथमिक ग्रेड पढ़ाने वाले अध्यापकों को नए पाठ्यक्रम को लागू करने का प्रशिक्षण देना।

(4) सभी प्राथमिक विद्यालय को पूर्ण सुविधायुक्त बनाना।

(5) पूरे देश में समान अवसर तंत्र की स्थापना करना।

श्रीलंका के शैक्षिक ढाँचे की पुनर्संरचना की जा रही है। प्राथमिक स्तर पर भी शैक्षणिक ढाँचे को नए पाठ्यक्रम के अनुरूप बनाने की कोशिश की गई है। प्राथमिक स्तर पर पहले 5 ग्रेड होती थी, उनको 3 स्तरों में विभाजित किया गया है-

KS-1 (ग्रेड 1 व 2)

KS-2 (ग्रेड 3 व 4)

KS-3 (ग्रेड 5)

नए पाठ्यक्रम में प्राथमिक शिक्षा में पर्यावरण सम्बन्धी क्रियाओं (Environment Related Activities) को शामिल किया गया है। इन क्रियाओं में सभी विषयों को सम्मिलित किया जाएगा। KS-1 में क्रिया आधारित मौखिक अंग्रेजी (Activity Based Oral English) को भी शामिल किया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य है कि कक्षाध्यापक और छात्र आपस में स्थानीय भाषा और अंग्रेजी का मिलाजुला प्रयोग करें। साथ ही सभी स्तरों पर सहगामी क्रियाओं (Co-curicular activities) को भी सम्मिलित करने की व्यवस्था रखी गई है।

नए पाठ्यक्रमों में विषयों की संख्या 4 रखी गई है- (1) भाषाएँ (2) गणित (3) धर्म (4) पर्यावरण सम्बन्धी क्रियाएँ। भाषाओं में अंग्रेजी भाषा को KS-2 औपचारिक तौर पर शामिल किया गया है। KS-3 से द्वितीय राष्ट्रीय भाषा का प्रयोजन रखा गया है जिसके तहत सिंहली बालकों के लिए तमिल भाषा और तमिल बालकों को सिहंली भाषा सीखनी होगी। इन सभी परिवर्तनों का उद्देश्य यह है कि सभी बालक संचार, मूल्य और धर्म, पर्यावरण और सीखने की योग्यता अर्जित कर लें जिनके आधार पर वो आगे की कक्षाओं में विषयवस्तु का ज्ञान अर्जित कर सकें।

प्राथमिक शिक्षा में नए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया है-

संप्रेक्षण व्यवहार

इसके अन्तर्गत तीन मुख्य विषयों को रखा गया है।

(1) साक्षरता (सावधानीपूर्वक सुनना, साफ बोलना, समझ कर पढ़ना, साफ लिखना-Literacy)

(2) अंकन (इसमें अंकों को गिनकर, गणना करना और नापन शामिल है-Numerals)

(3) रेखीय (रेखा से बनने वाली आकृतियों के बारे में निर्देश और जानकारी देना-Graphics)

पर्यावरण

इसके तीन भाग हैं-

(1) सामाजिक (सामाजिक जागरूकता, व्यवहार, कर्त्तव्य एव अधिकार-Social)

(2) जैविक (जागरूकता, वातावरण, मानव और जैविक व्यवस्था- Biological)

(3) भौतिक (जागरूकता, मानव जीवन को ऊर्जा, ईधन, तत्त्व, दूरी आदि का महत्त्व- Physical)

नीति और धर्म

इसमें जीवन मूल्यों और दृष्टिकोण को लिया गया है जो नीति, मूल्य और धर्म का निर्माण करते हैं।

खेल और आराम

खेल और आराम द्वारा मानव जीवन के उन भावों का विकास करना जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है।

सीखना

बालकों में ऐसी अभिरुचि का विकास करना जिससे कि वह इस तकनीकी युग में सजग रहकर सीखने को तैयार रहें।

संदर्भ सामग्री

एक मार्गदर्शक समिति बनाई गई है जो पाठ्यपुस्तक की विषयवस्तु और NIE में पंजीकृत लेखकों का चयन करेगी। सहायक सामग्री का विकास विद्यालय स्तर पर, संदर्भ केन्द्र पर और प्रांतीय स्तर पर किया जाएगा।

अध्यापक शिक्षा

एक नया शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण सामग्री का विकास किया जाएगा जिसकी सहायता से अध्यापक 21 वीं सदी की चुनौतियों का सामना कर सकने वाले बालकों का विकास कर सकें।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Question)

(1) श्रीलंका में विद्यालयी पाठ्यक्रम में बदलाव किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है?

(2) KS-2 एवं KS-3 में नए पाठ्यक्रम में भाषा संबंधी क्या प्रावधान हैं?

17.4.2 माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education)

श्रीलंका की माध्यमिक शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए चल रहे नए कार्यक्रम से लगभग दस लाख छात्र लाभान्वित होंगे। लगभग 2300 माध्यमिक विद्यालय के आधुनिकीकरण का मुख्य उद्देश्य होगा- गुणवत्ता, पहुँच, कुशलता और प्रबंधन को बेहतर बनाना। सभी माध्यमिक विद्यालय में आधुनिक शिक्षण सामग्री के प्रयोग के उद्देश्य से मल्टी मीडिया कमरों का निर्माण होगा जिससे कि टेलीविजन, VCR, कैसेट्स, OHP आदि का शिक्षण में उपयोग हो सके।

इस कार्यक्रम का एक अन्य मुख्य उद्देश्य कम्प्यूटर साक्षरता का विकास करना होगा जिससे कि ग्रामीण युवाओं को भी भविष्य में नौकरी के लिए जरूरी कम्प्यूटर और तकनीकी योग्यता के विकास का अवसर प्रदान किया जा सके। लगभग 70 प्रतिशत जनता ग्रामीण

परिवेश में निवास करती है। उन्हें शहरी युवाओं की तरह नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए ग्रामीण स्कूलों में अंग्रेजी और कम्प्यूटर साक्षरता का स्तर उठाकर उसे शहरी विद्यालय के समकक्ष बनाने का प्रयास इस नए कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है।

प्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रम जो कि कुशलता हासिल करने के उद्देश्य पर आधारित है और माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम जो विषय में पारंगत होने के उद्देश्य पर आधारित है इन दोनों की कड़ी का काम ग्रेड-6 का पाठ्यक्रम करेगा। इस महत्त्व को ध्यान में रखते हुए ग्रेड-C के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा रहा है । इस पाठ्यक्रम में कुल 9 विषय रखे गए हैं- प्रथम भाषा, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं तकनीकी, सामाजिक विज्ञान, जीवन कौशल, धर्म, कला और स्वास्थ्य एव शारीरिक शिक्षा। इसी स्तर पर तमिल बालकों के लिए सिंहली भाषा और सिंहली बालकों के लिए तमिल भाषा सीखने का प्रस्ताव रखा गया है।

ग्रेड-9 के अंत में जूनियर स्कूल प्रवीणता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और उसके परिणाम के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। शिक्षण विधि में प्रोजेक्ट और अभ्यास कार्य (Practical Work) द्वारा सीखने पर बल दिया जाएगा। शांति, समस्या समाधान, लोकतांत्रिक मूल्य, मानवाधिकार और पर्यावरण संरक्षण को सामाजिक विज्ञान का हिस्सा बनाया जाएगा।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

(1) श्रीलंका में माध्यमिक शिक्षा का आधुनिकरण किन उद्देश्यों को लेकर किया जा रहा है?

(2) श्रीलंका में कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है?

17.4.3 उच्च माध्यमिक शिक्षा (Senior Secondary Education)

उच्च माध्यमिक शिक्षा का वर्तमान पाठ्यक्रम GEE (OL एवं AL) परीक्षाओं से सम्बन्धित है । GCE OL तीन वर्षीय पाठ्यक्रम है जिसमें ग्रेड 9,10 और 11 शामिल है। GCE AL 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है जिसमें कॉलेज लेवल की ग्रेड 12 व 13 शामिल है। वर्तमान में GCE OL पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा, प्रथम भाषा, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं इतिहास, कला शिक्षा और जीवन कौशल / तकनीकी शिक्षा इत्यादि विषय शामिल हैं।

प्रस्तावित सुधारों को सीनियर माध्यमिक कक्षाओं की समय अवधि 2 वर्ष करने का प्रस्ताव है जिसमें ग्रेड 10 व 11 होगी। पाठ्यक्रम को और लचीला बनाकर उसमें कुछ मूल विषयों को और कुछ वैकल्पिक विषयों को जोड़ा जाएगा। मूल विषयों में धार्मिक शिक्षा, प्रथम शिक्षा, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं तकनीकी, सामाजिक विज्ञान एवं इतिहास, कला शिक्षा शामिल है। वैकल्पिक विषयों में से निम्न में से कोई भी तीन विषय विद्यार्थी चुन सकेंगे। सिंहली / तमिल द्वितीय भाषा के रूप में, इतिहास, भूगोल, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, साहित्य (सिंहली / तमिल)।

जहाँ जूनियर माध्यमिक पाठ्यक्रम में क्रिया आधारित अधिगम, प्रायोगिक प्रोजेक्ट्स और विषयवस्तु के ज्ञान को महत्त्व दिया गया है वहीं सीनियर माध्यमिक पाठ्यक्रम में विषय के गहन अध्ययन, तहद सामान्य ज्ञान एवं जागरूकता, समस्या समाधान कौशल, मजबूत तार्किक क्षमता और अच्छी समझ विकसित करने पर बल दिया गया है।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

(1) श्रीलंका में उच्च माध्यमिक शिक्षा में कौन-कौनसे सुधार प्रस्तावित हैं?

(2) श्रीलंका की उच्च माध्यमिक शिक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं?

17.5 शैक्षिक पुनर्संरचना (Reorganisation of Education)

श्रीलंका में पिछले कुछ वर्षो से शैक्षिक गुणवत्ता को लेकर काफी असंतोष था और एक व्यापक बहस चल रही थी कि किस प्रकार शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन करके अधिगम को बेहतर बनाया जाए। शैक्षिक गुणवत्ता को लेकर जो प्रयास किए गए उनका विवरण इस प्रकार हैं-

17.5.1 पाठ्यक्रम पुनर्गठन (Reorganisation of Curriculum)

पाठ्यक्रम को बाल केन्द्रित बनाने और बालकों में तकनीकी युग में आवश्यक कौशलों का विकास करने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम का पुनर्गठन किया गया है। कुछ परिवर्तन लागू हो गए हैं और कुछ नए परिवर्तन लागू होना शेष हैं। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर हुए पाठ्यक्रम में मुख्य बदलावों की जानकारी पहले दे दी गई है।

17.5.2 नेतृत्व क्षमता और प्रबंधन क्षमता का विकास(Leadership Ability and Development of Managerial Ability)

एक अच्छा नेता उसके अधीन कार्यरत लोगों की कार्यकुशलता को कई गुणा बढ़ा सकता है। श्रीलंका में शिक्षा नीति निर्देशक इसी तथ्य को ध्यान में रखकर संस्था प्रधानों, खासकर प्रधानाध्यापकों में अच्छी नेतृत्वक्षमता एवं प्रबंधन विकसित करने की दिशा में प्रयासरत है। वर्तमान में श्रीलंका में NIE द्वारा प्रधानाध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र चल रहा है जो कि प्रबंधन कार्यक्रमों में कम अवधि के डिप्लोमा से लेकर स्नातकोत्तर डिप्लोमा और मास्टर डिग्री का संचालन कर रही है।

शिक्षा नीति में नए बदलावों के प्रस्ताव के साथ ही नेतृत्व क्षमता के विकास की भी अत्यधिक आवश्यकता है। वर्तमान में श्रीलंका में प्रधानाचार्यो की नियुक्ति 'प्रधानाध्यापक सर्विस' और पुरानी (सन् 1971 से) श्रीलंका शिक्षा प्रबंधन सर्विस' दोनों के माध्यम से होती है और दोनों ही संस्थाओं में आपस में कोई तारतम्यता नहीं है। NCE (2003) ने यह सिफारिश की कि स्कूल प्रधानाचार्यो के लिए एक समान नीति बनाई जाए जिसमें योग्यता, नियुक्ति और पदोन्नति के मानदण्ड, दूसरी शिक्षा सेवाओं से सम्बन्ध, व्यावसायिक विकास के लिए प्रोत्साहन राशि, प्रदर्शन मूल्य और पुरस्कार प्रदान करना शामिल है। नेतृत्व क्षमता और प्रबंधन कौशल का विकास की ट्रेनिंग प्रधानाध्यापकों और प्रभारियों को देने का भी प्रावधान किया गया है।

नेतृत्व क्षमता और प्रबंधन कौशल को मजबूत बनाने की आवश्यकता निम्नांकित कारणों से महसूस की गई:-

(1) शैक्षिक कल्पना और उद्देश्यों को अच्छी तरह समझना।

(2) विद्यालय संगठन में पाठ्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू करना।

(3) अध्यापक की अध्यापकीय क्षमताओं / योग्यताओं को कक्षाकक्ष और सहगामी क्रियाओं के अनुकूल बनाना।

(4) स्टाफ सदस्यों विशेष रूप से अध्यापकों को प्रोत्साहित कर उनकी योग्यताओं और कौशलों में वृद्धि करना।

(5) स्टाफ सदस्यों और बालकों को अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना।

(6) अध्यापक-अभिभावक संघ और पूर्व विद्यार्थी संघ से बेहतर तालमेल स्थापित करना।

17.5.3 शैक्षिक एवं प्रबंधन सहायक तंत्र का विकास (Development of Education and Management Support System)

श्रीलंका में वर्तमान में कार्यरत विद्यालय सहायक तंत्र, सेवारत सलाहकारों पर निर्भर है, इसमें कई कमजोरियाँ है। ऐसा सहायक तंत्र जो विद्यालय को शैक्षिक और प्रबंधन सम्बन्धी सहायता और मार्गदर्शन दे सकें, अपने आरंभिक काल में है। भविष्य में इस संबंध में निम्न क्षेत्रों को महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है-

(1) सेवारत सलाहकारों की भूमिका और दायित्वों का निश्चित निर्धारण।

(2) व्यावसायिक योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर सेवारत सलाहकार का चुनाव और नियुक्ति करना।

(3) सेवारत सलाहकारों को सूचना और अच्छे निर्देशन के तरीकों से सम्पन्न बनाना जिससे कि वे विद्यालय में अपेक्षित सुधार ला सकें।

(4) सलाहकारों का सार्थक उपयोग विद्यालय के प्रधानाचार्यों और अध्यापकों के शैक्षिक प्रयासों और सफलताओं का उचित मूल्यांकन करने में करना।

17.5.4 अध्यापक गुणवत्ता में सुधार (Improving Quality of Teachers)

किसी भी शिक्षा तंत्र में उसके अध्यापकों की गुणवत्ता और कार्यकुशलता सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होती है। श्रीलंका ने पिछले 5-7 वर्षो में अध्यापकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए भारी निवेश किया है। इन वर्षो में 17 नेशनल कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन (NCOE'S) की स्थापना इस उद्देश्य के साथ की गई है कि जो भी व्यक्ति अध्यापक सेवा में आना चाहता हो, वह तीन वर्षीय पूर्व सेवा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण कर प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। वस्तुत: आज श्रीलंका में सभी अध्यापक प्रशिक्षित हैं। साथ ही प्रत्येक जोन में टीचर सेंटर (CT) की स्थापना सेवारत अध्यापकों को व्यावसायिक विकास, विषयवस्तु के ज्ञान को उच्च करने और अध्यापन कौशल को निरंतर शिक्षक शिक्षा द्वारा पुनर्वद्धि करने के उद्देश्य से की गई है। मुख्य बिन्दु, जो शिक्षक की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से रखे गए हैं, वे इस प्रकार हैं-

(1) प्रत्येक अध्यापक के कौशल में पुनर्वृद्धि करने के उद्देश्य से निरंतर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरूआत करना

(2) कोर्स की रूपरेखा बनाने, कक्षाकक्ष आचरण, गृहकार्य, छात्र मूल्यांकन आदि कार्यो में तकनीकी का प्रयोग करने में अध्यापकों को सक्षम बनाने के लिए सेवापूर्व और सेवारत पाठ्यक्रमों और अभ्यासों को पुनर्गठित करना।

(3) बाल केन्द्रित और क्रियाकेन्द्रित विधियों को अपने अध्यापन कौशल में शामिल कर सकने वाले अध्यापकों को तैयार करना।

(4) बेहतर परिणामों के लिए शिक्षक की जिम्मेदारी बढ़ाना।

(5) शिक्षकों को ऐसा कौशल प्रदान करना कि वे स्थानीय समुदायों से जुड़कर विद्यालय की गुणवत्ता में सुधार ला सके।

(6) शिक्षक को अपने विषयवस्तु के ज्ञान, व्यावसायिक समझ और अध्यापन कौशल के पुनर्बलन हेतु बार-बार अवसर उपलब्ध कराना।

17.5.5 पाठ्यपुस्तक की गुणवत्ता में सुधार (Improving Quality of Text Book)

शिक्षा व्यवस्था में अधिगम हेतु पाठ्यपुस्तक मुख्य संसाधन का कार्य करती है। एक विकासशील देश के लिए उच्च गुणवत्तायुक्त पाठ्यपुस्तकों का होना आवश्यक है। सरकार ने पाठ्यपुस्तक की गुणवत्ता में सुधार हेतु महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया जिसमें पाठ्यपुस्तकों के सम्बन्ध में राज्य का एकाधिकार समाप्त करते हुए पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण के अधिकार प्रतियोगी निजी फर्मों को दिए। निजी क्षेत्र में पाठ्यपुस्तक प्रकाशन में निम्न सुधार अपेक्षित हैं:-

(1) पाठ्यपुस्तक के लेखकों, छायाकारों और सम्पादकों के तकनीकी कौशल में सुधार।

(2) पाठ्यपुस्तक के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु लेख में तथ्यों की सत्यता जाँचने और किसी खास धर्म या सम्प्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली सामग्री को न छापने पर बल दिया जाएगा।

(3) नए सत्र की शुरुआत के पूर्व ही पुस्तकों को विद्यालय तक पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना

(4) लेखकों में सम्पूरक पढने योग्य सामग्री (Supplementary Reader), वर्क बुक और गाइड (मार्गदर्शिका) लिखने की तकनीकी दक्षता का विकास करना।

17.5.6 शैक्षिक गुणवत्ता सुधार हेतु अन्य उपाय (Other Steps Taken to Improve Educational Quality)

श्रीलंका सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं-

(1) प्राथमिक शिक्षा में निर्देशित खेल, क्रिया तथा डेस्क कार्य तथा माध्यमिक शिक्षा में प्रोजेक्ट करके सीखना, अनुभवों से सीखना और खुद सीखना (Self Learning) को महत्त्व दिया गया है।

(2) निरंतर मूल्यांकन प्रक्रिया / विधि को लागू करने के उद्देश्य हैं- अध्यापन-अधिगम प्रक्रिया की प्रोजेक्ट और क्रिया-आधारित विधि को अनवरत मूल्यांकन द्वारा पुनर्बलन देना।

— विद्यार्थियों में अनुशासन और कार्य के प्रति समर्पण बनाए रखने के लिए उन्हें वर्षपर्यन्त प्रेरित रखना।

— वर्ष के अन्त में होने वाली परीक्षा की अपेक्षा विद्यार्थियों को सालभर अपने स्तर की तैयारी की छूट देना।

(3) शैक्षिक अनुसंधान और मूल्यांकन को बढ़ावा देने और शिक्षा नीति के विभिन्न आयामों की प्रगति और परिणामों की जानकारी लेने के उद्देश्य से 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और मूल्यांकन केन्द्र (National Education Research and Evaluation Center-NEREC) की स्थापना की गई।

(4) शिक्षण व्यवस्था में आधुनिक साधनों और तकनीकी के वृहद् उपयोग के प्रयास किए जा रहे हैं। सूचना तकनीकी (IT) केन्द्रों और साधनों के लिए पूँजी स्टाक बढ़ाना, विज्ञान प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में काम आने वाले अन्य साधनों का निश्चित क्रम में विकास करने के प्रयास चल रहे हैं।

(5) गृहयुद्ध प्रभावी क्षेत्रों में नामकरण और अधिगम स्तर सबसे निम्न है। इन इलाकों में चरमराए हुए शैक्षिक ढाँचे को नवजीवन देना एक कठिन चुनौती है। इन संस्थाओं के पुनर्निर्माण और विकास में सामग्री और कुशल कारीगरों की कमी एक बड़ी समस्या है।

(6) सरकार का यह भी प्रयास है कि विद्यार्थियों को नागरिक के कर्त्तव्यों का ज्ञान देकर उनमें भाईचारे और अनेकता में एकता की समझ पैदा की जाए जिससे सामाजिक समरसता बनी रह सके।

(7) वैश्विक परिदृश्य में खुली अर्थव्यवस्था में नौकरी पाने में अंग्रेजी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। नई शिक्षा नीति में अंग्रेजी भाषा कौशल अर्जित करने को केन्द्रीय स्थान दिया गया है।

(8) विद्यालयी परीक्षा उत्तीर्ण कर जाने वाले विद्यार्थियों में वो कौशल मौजूद हो जिससे कि वे मार्केट में आसानी से कोई भी नौकरी प्राप्त कर सकें। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर कुछ नीतिगत प्रस्ताव इस प्रकार हैं-

— तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा आयोग (Technical and Vocational Education Commission-TVEC) को शक्तिसम्पन्न बनाना।

— प्रशिक्षण में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी को प्रोत्साहित करना।

— कौशल विकास में सरकारी उद्योगों की भागीदारी बढ़ाना।

— TVET व्यवस्था को बाजार की मांग के यथायोग्य बनाना।

— प्रशिक्षण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देना।

(9) शिक्षा को कार्यक्षेत्र (बाजार) से जोड़ने के लिए केरियर निर्देशन और काउंसलिंग का विकास करना एक महत्त्वपूर्ण कदम है। अभी तक विद्यालय में केरियर निर्देशन और

काउंसलिंग का अस्तित्व नगण्य था। केरियर काउंसलिंग और निर्देशन के संबंध में निम्न कार्य किए जा रहे हैं-

— विद्यालय स्टाफ के कुछ सदस्यों को केरियर निर्देशन और काउंसलिंग हेतु प्रशिक्षित करना।
— केरिअर और निर्देशन हेतु पिछड़े क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बाजार की जानकारी प्रदान करना।
— व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं और विद्यालय के काउंसलरों के बीच तंत्र स्थापित करना।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

(1) नेतृत्व क्षमता का विकास अध्यापकों में क्यों होना चाहिए?
(2) पाठ्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
(3) विद्यालय में केरिअर निर्देशन की क्या आवश्यकता है? और इसके लिए क्या कदम उठाए गए है?

17.6 आईसीटी (ICT)

श्रीलंका सरकार के शिक्षा मंत्रालय (MODE) में IT शिक्षा को GCE O/L पर शुरू करने का प्रस्ताव दिया जिसकी क्रियान्विति शुरू हो गई है। IT को GCE लेवल पर शुरू करने का उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों की वैकल्पिक विषयों को चुनने में विविधता मिल सके। कुछ चुनिन्दा विद्यालय के माध्यम से IT की सुविधाएँ देने का कार्य पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है।

श्रीलंका ने शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की शुरूआत की है। परन्तु इन कार्यक्रमों में से अधिकांश कार्यक्रम छोटे, कम समय के कोर्सेस हैं। इन कार्यक्रमों की मदद से शिक्षक कम्प्यूटर साक्षर तो बन जाता है किन्तु कक्षा-कक्ष में अध्यापन के दौरान कम्प्यूटर का प्रयोग करने की योग्यता उसमें विकसित नहीं हो पाती है। आज शिक्षकों को कम्प्यूटर साक्षरता में प्रशिक्षित करने के साथ ही आवश्यकता इस बात की भी है कि शिक्षकों को विभिन्न अध्यापन-अधिगम प्रक्रिया में उपलब्ध शैक्षिक सोफ्टवेयरों के उपयोग का भी प्रशिक्षण दिया जाए। कक्षा-कक्ष क्रियाओं और विद्यालय संरचना में यदि इन संसाधनों का उपयोग हो सके तो ही इन प्रशिक्षणों की सार्थकता सिद्ध होगी।

शिक्षकों और अनौपचारिक शिक्षा प्रबोधकों के प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास के लिए ICT को शिक्षा में एकीकृत करना होगा। इसके लिए जो व्यूहरचना बनाई गई है वह इस प्रकार है-

— विद्यालय समूहों और शिक्षक प्रशिक्षकों की पहचान करना।
— शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना।
— प्रशिक्षकों को अभिनवन (Orientation) और प्रशिक्षित करना।
— विद्यालय समूहों और शिक्षक प्रशिक्षकों की पहचान करना।

— शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना।

— प्रशिक्षकों को अभिनवन (Orientation) और प्रशिक्षित करना।

— जोनल स्तर पर शिक्षकों को ICT योग्यता हासिल करने को प्रशिक्षित करना।

— श्रीलंका के विद्यालय के अनुरूप IT के उपयुक्त प्रतिमानों और विषयवस्तु को पहचानना और चयन करना।

— दूसरे देशों में प्रचलित IT प्रतिमानों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

— पाठ्यक्रम, शिक्षक मूल्यांकन मार्गदर्शिका, संदर्भ पुस्तकें, प्रश्न-पत्र आदि का निर्धारण और विकास करना।

— ICT को शिक्षक प्रशिक्षण और शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र में दीर्घ जीवन देने के लिए सरकार द्वारा लिखित अतंराल पर राशि उपलब्ध करना सुनिश्चित करना।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न(Self-Evaluation Questions)

(1) वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) की श्रीलंका में क्या स्थिति है?

(2) ICT को शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए क्या-क्या व्यूहरचनाएं बनाई गई हैं?

17.7 सारांश (Summary)

श्रीलंका में विद्यालयी पाठ्यक्रम बदलाव के दौर से गुजर रहा है। सरकार का यह प्रयास है कि आधुनिक शिक्षा तकनीकी का अधिकाधिक उपयोग कर शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाया जाए। वर्तमान विश्व के परिप्रेक्ष्य और भविष्य को ध्यान में रखते हुए उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा बालकों को दी जा सके, इसके लिए शिक्षकों को भी ICT में दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

(1) श्रीलंका में विद्यालयी संरचना किस प्रकार की है और उसमें किस आयुवर्ग के छात्रों को प्रवेश दिया जाता है।

(2) श्रीलंका में स्थित विद्यालय के प्रकार का विस्तृत वर्णन कीजिए।

(3) प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन क्या किए गए है?

17.8 सन्दर्भ सूची (References)

1. A Nation at Risk, 1983, **Report of the National commission on Excellance in Education,** U.S. Department of Education.
2. Biswas, A and Aggarwal J.C., **Comparative Education**
3. Education in the United States: **A Documentary History, Vol 1 to 55,** Random House New York 1974.

4. Khan M.A. (2004), **Modern Comparative Education** Anmol Publication Pvt. Ltd., New Delhi.
5. Kaushik S.L. & Beejawat K.G. **तुलनात्मक शिक्षा,** राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 1989.
6. Kandal I.L, **The New Era in Education,** Routledge and Kegan Paul, London.
7. Nicholas Hans, **Comparative Education** 3rd Edition. London. Routledge and Kegan paul Ltd., 1958.
8. Richardson, C.A. **Education of Teachers in England,** France and USA, UNESCO, 1963.
9. Smith H.L., **Comparative Education,** Educational Publication, Bloomington, Indian USA.
10. Sharma R.N., **Comparative Education,** Surjeet Publication, Delhi.
11. **A 2006 Ranking from THES-**QS of the World's Research Universities.
12. **United States Census** (2000-2005).
13. **Structure of US Education,** U.S. Network for Education Information: U.S. Department of Education, 2005.
14. **IDEA 2004 Resources.** U.S. Department of Education. URL Accessed on Feb. 16.
15. **U.S. Census Bureau Report on Education Attainment in the United States 2003.**

इकाई-18

श्रीलंका में विश्वविद्यालयी शिक्षा

(University Education in Sri Lanka)

18.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of the Unit)

18.1 विषय प्रवेश (Introduction)

18.2 उच्च शिक्षा में वर्गीकरण (Classification in Higher Education)

18.3 विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया (Admission Procedure in University)

18.4 विश्वविद्यालयी शिक्षा की आर्थिक स्थिति (Economic Status of University Education)

18.5 विश्वविद्यालयी शिक्षकों की नियुक्ति एवं पदोन्नति (Appointment and Promotion of Teachers)

18.6 सूचना तकनीकी (Information Technology)

18.7 खुला विश्वविद्यालय (Open University)

18.8 समस्याएँ (Problems)

18.9 सेवाओं में सुधार (Reforms in Services)

18.10 सारांश और भविष्य की संभावनाएँ (Summary and future Prospects)

18.11 सन्दर्भ सूची (References)

18.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of the Unit)

प्रस्तुत इकाई के माध्यम से आपको निम्नलिखित विषय-वस्तु की जानकारी प्राप्त हो सकेगी-

(1) श्रीलंका के विश्वविद्यालयों के तंत्र

(2) श्रीलंका के महाविद्यालय, संस्थान और विश्वविद्यालय

(3) शैक्षिक कार्यक्रम

(4) शिक्षण विधि

(5) शिक्षण में ICT की भूमिका

(6) मूल्यांकन पद्धति

(7) शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

(8) अनुसंधान कार्यक्रम

(9) दूरस्थ शिक्षा

(10) प्रबंधन, निर्देशन और निरीक्षण

18.1 विषय प्रवेश (Introduction)

विद्यालयी शिक्षा के समान ही श्रीलंका में विश्वविद्यालयी शिक्षा भी निःशुल्क प्रदान की जाती है परन्तु यह प्रतिभाशाली विद्यार्थियों तक ही सीमित है। G.C.E. O/L करने वाले कुल विद्यार्थियों (लगभग 16000) में से केवल 12 प्रतिशत छात्र ही विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करते हैं और उसमें से भी आधे छात्र ही स्नातक की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। विश्वविद्यालय-में प्रवेश अति प्रतिस्पर्धात्मक GCE A/L परीक्षा के आधार पर होता है। इसमें शहरी क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही अधिसंख्या में प्रवेश पाते हैं। दूरवर्ती क्षेत्रों के विद्यार्थियों का प्रवेश कम अंकों के कारण निचले स्थान पर होता है। मेरिट में निम्न स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्य स्रोतों का सहारा लेना पडता है। कुछ विद्यार्थी विदेशी विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश चले जाते हैं। कुछ विद्यार्थी खुले विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लेते हैं या कुछ विद्यार्थी राज्य द्वारा संचालित डिग्री देने वाली संस्थानों जैसे-SLIIT, ITS आदि में प्रवेश लेते हैं या बाहरी विद्यार्थी (Private Students) की हैसियत से परम्परागत विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसी निजी संस्थाओं में प्रवेश लेते हैं (जैसे IIT, APIIT, IIHE) जो विदेशी विश्वविद्यालयों (जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एक्स्टरनल प्रोग्राम) के लिए कक्षाओं और परीक्षाओं का आयोजन करती है। कुछ अन्य विद्यार्थी व्यावसायिक संगठनों जैसे (CIMA, BCS, ACCA आदि) में प्रवेश की तैयारी करते हैं या व्यावसायिक एवं तकनीकी महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इन सभी विकल्पों के बावजूद अधिकांश विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने की उम्मीद छोड़ देते हैं क्योंकि इसके लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करना उनके लिए काफी मुश्किल पड़ता है। सरकार भी सरकारी विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के अतिरिक्त अन्य छात्रों की कोई वित्तीय मदद नहीं करती।

वर्तमान में श्रीलंका में 16 राजकीय विश्वविद्यालय हैं। सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कोलम्बो (Colombo) विश्वविद्यालय है। अन्य प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, पिराडिनियाँ (Pradeniya) विश्वविद्यालय, मोराटुआ (Moratua) विश्वविद्यालय, केलानिया (Kelania) विश्वविद्यालय, श्री जयवर्द्धनेपुरा (Shri Jayawardhanpura) विश्वविद्यालय, जाफना (Jafna) विश्वविद्यालय, रूहाना (Ruhana) विश्वविद्यालय और पूर्वी (Cartown) विश्वविद्यालय हैं। वर्तमान वर्षो में विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करके कुछ संस्थानों को भी खुद की उपाधियाँ (डिग्रियाँ) भी देने का अधिकार दिया गया है। ऐसी संस्थाओं में सरकारी आधिपत्य की श्रीलंका इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नालॉजी (Sri Lanka Institute of Information Technology) प्रमुख है।

18.2 उच्च शिक्षा में वर्गीकरण (Classification in Higher Education)

श्रीलंका में उच्च शिक्षा के अन्तर्गत सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा डिग्री, ऑनर्स, मास्टर्स डिग्री एवं डॉक्टरेट डिग्री प्रदान की जाती है। इन सभी पाठ्यक्रमों की समयावधि इस प्रकार है-

सर्टिफिकेट कोर्स	–	1 वर्ष या उससे कम
डिप्लोमा	–	1 से 2 वर्ष
स्नातक उपाधि	–	
सामान्य	–	3 वर्ष
ऑनर्स	–	4 वर्ष एवं किसी विशेष क्षेत्र में अनुसंधान
अधिस्नातक उपाधि	–	किसी विषय विशेष में 2 वर्ष का पाठ्यक्रम
डॉक्टरेट उपाधि	–	मास्टर उपाधि अथवा बेचलर ऑनर्स उपाधि के पश्चात् अनुसंधान कर शोध लिखने के उपरान्त प्रदान की जाती है।

विश्वविद्यालय शिक्षा के तहत आने वाली चिकित्सा और अभियांत्रिकी विभाग (Medical and Engineering Departments) में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। अन्य किसी भी विभाग में शिक्षा का माध्यम सिंहली, तमिल अथवा अंग्रेजी हो सकता है। यह विश्वविद्यालय पर निर्भर करता है कि वह किस विभाग की शिक्षा कौनसी भाषा में देना चाहता है। कुछ विश्वविद्यालयों से अधिस्नातक उपाधि देने वाले संस्थान भी सम्बद्ध हैं जैसे कोलम्बो विश्वविद्यालय का पोस्ट ग्रेजूएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन (Post Graduate Institute of Medicine - PGIM) है।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

(1) श्रीलंका में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों क प्रतिशत निम्न होने के क्या कारण हैं?

(2) विश्वविद्यालयों द्वारा कौन -कौनसी उपाधि प्रदान की जाती है? और उनकी समय अवधि कितनी हैं?

18.3 विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया (Admission Process in University)

गरीब एवं पिछड़े जिलों के विद्यार्थियों के शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए और उन्हें विश्वविद्यालय शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से सरकार विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु जिलावार कोटा निर्धारित करती है। चिकित्सा, अभियांत्रिकी, विज्ञान, कृषि, विधि और वाणिज्य जैसे विषयों के लिए 40 प्रतिशत सीटें GCE A/L के अंकों के आधार पर भरी जाती है। अगली 55 प्रतिशत सीटें जिलावार आरक्षण पद्धति के अनुसार भरी जाती है। जिलावार आरक्षण के तहत प्रत्येक जिले को उसकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलता है। जिलावार आरक्षण के तहत प्रत्येक जिले को उसकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलता

है। जिलावार आरक्षण के अन्तर्गत पुन: GCE A/L के आधार पर रैंकिंग बनाकर विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाता है। शेष 5 प्रतिशत सीटें शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती है। वर्तमान में जिलों का शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण वरीयता क्रम निम्न प्रकार है- (1) उत्तर-पश्चिमी प्रांत के 7 जिले (2) युवा प्रांत के मोनेरागला एवं बदूला जिला (3) हम्बनटोटा (दक्षिण प्रांत) और केन्द्रीय प्रांत का नुवारा एलिया जिला।

कला वर्ग में सारे प्रवेश सिर्फ GCE A/L के अंकों के आधार पर होते हैं, इसमें जिलावार आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। विश्वविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया के प्रावधानों को इस चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है-

चित्र संख्या 18.1

विश्वविद्यालय में प्रवेश

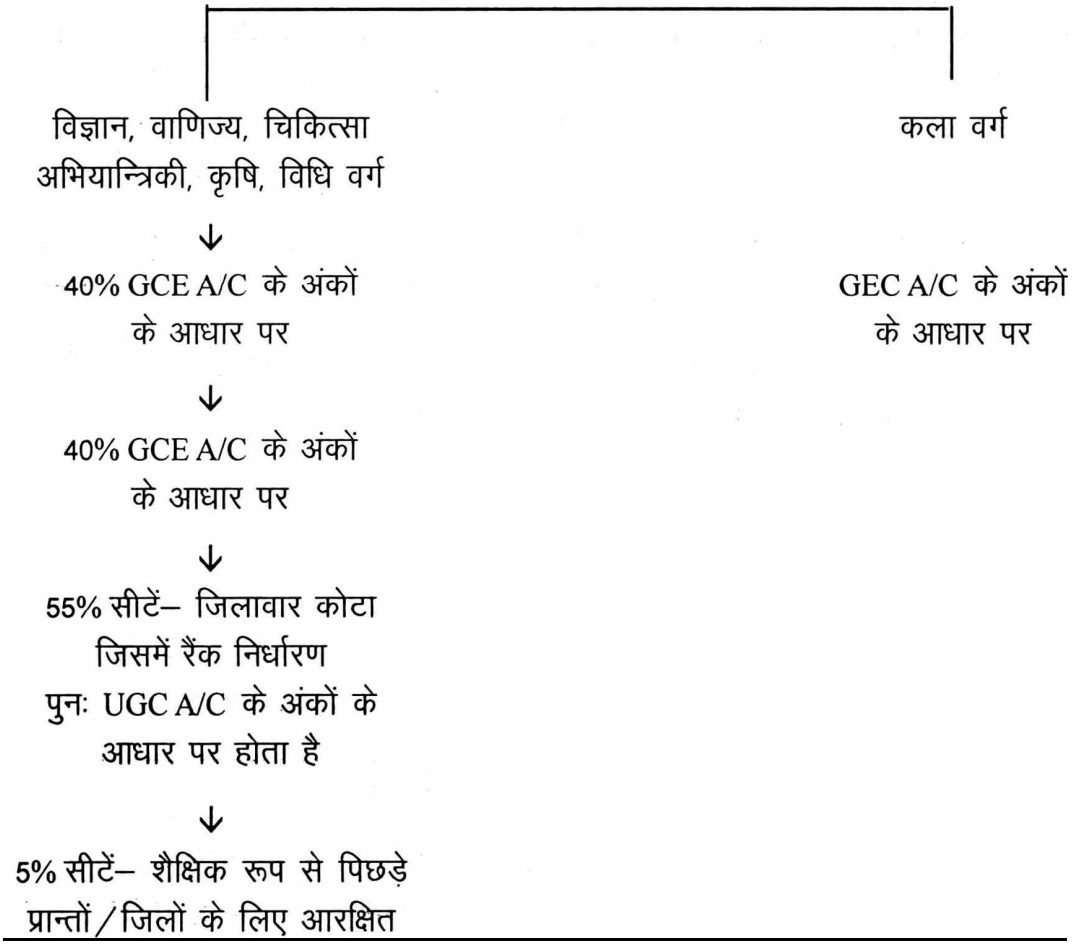

18.4 विश्वविद्यालयी शिक्षा की आर्थिक स्थिति (Economic Status of University)

श्रीलंका में विश्वविद्यालयों के संचालन की लागत अन्य विकासशील देशों की तुलना में अधिक महंगी है। इसके अतिरिक्त अलग-अलग विश्वविद्यालयों में प्रति छात्र लागत में बहुत

असमानता है, जो रू. 40000 से रू. 120000 प्रति छात्र प्रति वर्ष तक भिन्न होती है। सामान्यत: इकाई मूल्य का सम्बन्ध छात्र नामांकन से है- छोटे विश्वविद्यालयों में इकाई मूल्य ऊँचा है और बड़े विश्वविद्यालयों में इकाई मूल्य कम है। सबसे महंगे विश्वविद्यालयों में वे हैं जो कि छात्र नामांकन की दृष्टि से छोटे हैं और अपेक्षाकृत रूप से नए हैं। जैसे कि व्यामबा, पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी विश्वविद्यालय। बड़े और पुराने विश्वविद्यालय जैसे कि कैलानिया (Kelaniya) श्री जयवर्द्धनेपूरा (Sri Jayawardhnapura),कोलम्बो (Colambo) विश्वविद्यालय एवं जाफना (Jaffna University) विश्वविद्यालय की इकाई लागत (Unit Cost) अपेक्षाकृत कम है। खुला विश्वविद्यालय (Open University) जो कि दूरगामी शिक्षा के कार्यक्रम (Distance Education programmes) ही संचालित करती है, उसकी इकाई लागत काफी कम है और उसका छात्र नामांकन काफी ऊँचा है। यह सामान्य नियम की छात्र नामांकन और इकाई लागत में सीधा सम्बन्ध है, पेराडीनियाँ विश्वविद्यालय (Peradeniya University) पर लागू नहीं होता। यह विश्वविद्यालय छात्र नामांकन के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है परन्तु इसकी इकाई लागत अपेक्षाकृत काफी छोटी दक्षिण-पूर्वी विश्वविद्यालय की इकाई लागत के बराबर है। पेराडीनीयाँ विश्वविद्यालय की ऊँची संचालन लागत का मुख्य कारण यहाँ का छात्र-शिक्षक अनुपात का काफी कम होना है जो कि 9 : 1 है और छात्र कर्मचारी अनुपात भी काफी कम (6 : 1) है। अन्य कारण इस विश्वविद्यालय के विस्तार में फैले केम्पस का रखरखाव और रहने, ठहरने की सुविधाएँ प्रदान करना है।

श्रीलंका के सभी विश्वविद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात काफी कम है साथ ही साथ छात्र मंत्रालयिक कर्मचारी अनुपात (Student and Non-Academic Staff Ratio) भी काफी कम है। कहीं यह अनुपात 3:1 हैं तो अन्य विश्वविद्यालय में 4:1 है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक 3 या 4 छात्रों पर एक मंत्रालयिक कर्मचारी कार्यरत है। इतनी अधिक संख्या में मंत्रालयिक कर्मचारियों का होना यह दर्शाता है कि पूरा तंत्र निष्प्रभावी है और उसके प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता है। संसाधनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा मंत्रालयिक कर्मचारियों की पगार (Salary) में खर्च हो जाता है जो कि अनावश्यक है।

18.4.1 वित्त निवेश (Capital Investment)

श्रीलंका में नए और छोटे विश्वविद्यालयों में प्रति व्यक्ति वित्त निवेश भी बहुत महंगा और भारी पड़ता है। नए विश्वविद्यालयों जैसे व्यामबा (Wayamba), राजरता (Rajarata), पूर्वी (Eastern), दक्षिण-पूर्वी (South-Eastern) और साबरागमूआ (Sabargamuwa) विश्वविद्यालयों में मूल सुविधाओं और आवश्यकताओं जैसे लेक्चर हाल (Lecture Theatre), पुस्तकालय (Libraries), प्रयोगशालाएँ (Laborateries), कार्यालय (Office) आदि की पूर्ति और निर्माण पर ही काफी धन खर्च हो जाता है। निर्माण (Construction) पर अत्यधिक धन खर्च होने से गुणवत्ता में सुधार लाने वाले संसाधनों (Resources to Improve Quality Inputs) जैसे साजोसामान (Equipment), तकनीकी और औजार (Tools and

Techniques) आदि को जुटा पाना संभव नहीं हो पाता। निर्माण कार्य पूरा होने पर ही इस धन से गुणवत्ता सुधार के लिए उपयोग में लिया जा सकता है।

18.4.2 वित्तप्रबंधन की सरकारी योजना-

(Government Strategy to Enhance Budget Management)

श्रीलंका सरकार ने वार्षिक बजट (Annual Budget) की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा योजना में संसाधनों की सुगमता निश्चित करने के लिए (to ensure regular inflow of resources for educational planning) एक मध्यावधि वित्त संरचना योजना (mid term budget framework) तैयार की है। इस मध्यावधि की वित्त योजना के प्रथम चरण में उन नीतियों को लागू करने पर बल दिया जाएगा जिससे लोक शिक्षा पर होने वाले खर्च को ज्यादा तर्कसंगत बनाया जा सके, संसाधनों का पुनर्वितरण ज्यादा महत्त्वपूर्ण कार्यो के लिए किया जा सके और वित्त प्रबंधन के कार्य को ज्यादा पारदर्शी और जिम्मेदार बनाया जा सके। अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के लिए निजी स्तर पर निवेश को प्रोत्साहन दिया जा सके। इस प्रथम चरण की समयावधि 3 वर्ष रखी गई है। दूसरे चरण को भी 3 वर्षो की समयावधि के लिए रखा गया है। इस चरण में शिक्षा योजना के संसाधनों को बढ़ाने के विकल्पों पर जोर दिया गया है।

18.5 विश्वविद्यालयी शिक्षकों की नियुक्ति एवं पदोन्नति (Appointment and Promotion of University Teachers)

श्रीलंका के अधिकांश छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने में असफल रहते हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय के लिए अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति एक मुश्किल कार्य रहता है। किसी भी विषय में अधिस्नातक उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को उस विषय का व्याख्याता नियुक्त किया जा सकता है। जो व्याख्याता अनुसंधान कर पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त कर लेता है उसे वरिष्ठ व्याख्याता (Senior Lecturer) के पद पर क्रमोन्नत किया जाता है। जिस सीनियर व्याख्याता का शैक्षिक रिकार्ड अच्छा है और जिसके कार्यों का प्रकाशन हुआ है (good publications and teaching records) उसे सहायक प्राध्यापक (Associate Professor) और प्राध्यापक (Professor) के पद पर क्रमोन्नत किया जा सकता है। विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षाविद् जो अच्छी प्रबंधन क्षमता का परिचय देते हैं, उन्हें विभागाध्यक्ष (Head of Department), किसी संकाय के अधिष्ठाता (Dean of Faculty) और तदुपरान्त उप-कुलपति (Vice-Chancellor) के पद पर क्रमोन्नत किया जा सकता है।

पदोन्नति की यह प्रक्रिया दो कारणों से शिक्षाविदों को आकर्षित नहीं कर पाती है। पहला प्रमुख कारण यह है कि पदोन्नति के पश्चात् मिलने वाली वेतन वृद्धि और परिलाभ (Incentives) बहुत कम है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यदि कोई शिक्षक अपना कार्य श्रेष्ठ तरीके से नहीं करता तो भी काम न करने के कारण उसे होने वाली आर्थिक हानि कोई विशेष नहीं होगी। दूसरा कारण यह है कि अधिकांश पदोन्नतियाँ वरिष्ठता के आधार पर

मिलती है। शिक्षाविदों की कार्यकुशलता का पदोन्नति पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। अत: इन दोनों कारणों से शिक्षकों की कार्यकुशलता प्रभावित होती है।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

(1) पेराड़ीनीयाँ विश्वविद्यालय की ऊँची संचालन लागत के क्या कारण हैं?

(2) नए विश्वविद्यालयों मे गुणवत्ता सुधार में कौनसे कारक बढ़ा पहुँचाते हैं?

(3) विश्वविद्यालयी शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया के प्रमुख दोष कौन-कौनसे हैं?

(4) विश्वविद्यालयी शिक्षा में प्रवेश की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।

18.6 सूचना तकनीकी (ICT)

श्रीलंका सरकार का यह प्रयास है कि विद्यालय शिक्षा की तरह ही विश्वविद्यालयी शिक्षा में भी सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए प्राध्यापकों को प्रशिक्षित करने के साथ ही विद्यार्थियों को भी IT का प्रशिक्षण देने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत उन महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों का चयन किया जाएगा जो पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं और उन्हें ICT का प्रशिक्षण देकर जन उपयोग में कार्य करने को प्रेरित किया जाएगा।

18.6.1 गतिविधियाँ (Activities)

ICT को बढ़ावा देने के लिए जिन कार्यक्रमों और गतिविधियों का संचालन हो रहा है वे इस प्रकार हैं-

— UNESCO (यूनेस्को) नई दिल्ली और UNESCO रीजनल ब्यूरो ऑफ एज्यूकेशन इन एशिया के सहयोग से शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय नीति का विस्तार कर ICT के उपयोग में बढ़ावा देना।

— प्रशिक्षकों की पहचान करना।

— विशेषज्ञों से ICT की सामग्री तैयार करवाना।

— राष्ट्रीय/क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन कर प्रशिक्षकों को कार्यक्रम और विषयवस्तु सामग्री की जानकारी देना।

— शिक्षाविदों और औद्योगिकी विशेषज्ञों की राय से ICT सोफ्टवेयर का निर्माण करना और कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं को अधिक समृद्ध बनाना।

— शिक्षकों को ICT बनाना जिससे कि वे चुनिंदा विषयों में कुछ सामग्री का निर्माण क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा में कर सकें।

— वेब आधारित शिक्षक प्रशिक्षण हेतु (On Line Web Based Teacher Education) क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय साझेदारी सुनिश्चित करना।

— UNESCO, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development) और शिक्षा और प्रशिक्षण राष्ट्रीय संस्थान (National Institute of Education and Training) इस पूरी योजना पर निगरानी रखने का काम करेंगे।

राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय (National Open University) समन्वयक (Co-ordinator) का कार्य देखेगी और मूल्यांकन का कार्य कोई बाहरी संस्था सहयोगी के रूप में करेगी।

18.6.2 अपेक्षित परिणाम (Expected Outcomes)

ICT प्रयोजना शुरू करने से जो परिणाम अपेक्षित हैं वे इस प्रकार हैं-

— ICT के क्षेत्र में उपलब्ध श्रेष्ठ पाठ्यक्रम एव विषयवस्तु का प्रशिक्षण देना जिससे कि प्रशिक्षणार्थी खुद वेब का विकास (Web Development) कर सकें।

— पिछड़े क्षेत्रों में व्याप्त शिक्षण संस्थाओं और समूहों को ICT सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चार घूमंतू (Mobile) ICT इकाई (Units) तैयार करना।

— शिक्षकों में निर्देशन मॉड्यूल (Instructional Module) तैयार करने की तकनीकी क्षमता का विकास करना।

— शिक्षकों, नीति निर्देशकों, सरकारी कार्यकर्ताओं और शैक्षिक प्रबंधकों को विचार विमर्श करने और अपने विचारों को स्वतन्त्र रूप से प्रकट करने के लिए एक मंच प्रदान करना।

— एक विकसित सूचना तंत्र का कार्यशील होना।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

(1) ICT को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

16.7 खुला विश्वविद्यालय (Open University)

हालांकि श्रीलंका ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सभी को निःशुल्क शिक्षा के कार्यक्रम को प्राथमिकता दी परन्तु इतने वर्षो पश्चात् भी शिक्षा सर्वसुलभ नहीं बन सकी। इसका सबसे बड़ा साक्ष्य बड़ी संख्या में विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों का होना है जो पढ़ाई अधूरी छोडकर पिछड़ेपन का शिकार बन जाते हैं और समाज में कोई उपयोगी योगदान नहीं दे सकते। स्कूली और दूरस्थ शिक्षा (Open and Distance Learning) किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए हैं।

क्षमता और लचीलेपन के कारण खुली और दूरस्थ शिक्षा एक ऐसे शैक्षिक तंत्र का निर्माण करती है जिसमें अभ्यार्थी को अपनी पंसद का विषय चुनने की स्वतन्त्रता मिलती है अपितु उसे अपने हिसाब और समय में पढने की भी छूट मिलती है। इस तरह खुली और दूरस्थ शिक्षा अधिगमकर्ता (Learner) के द्वार तक पहुँचने का एक आसान जरिया है। यदि दूरस्थ शिक्षा के साथ आधुनिक सम्प्रेषण तकनीकों और बहु चैनल अधिगम (Multi Channel Learning) को उच्च निर्देशन सामग्री (High Grade Instructional Material) को मिला दिया जाए तो शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाया जा सकेगा।

श्रीलंका में खुली और दूरस्थ शिक्षा अपनी बाल्यावस्था में है। अन्य विकासशील देश जैसे भारत, बांग्लादेश, इण्डोनेशिया, नाईजीरिया, थाईलैण्ड आदि काफी वर्षा पूर्व अपने यहाँ कम खर्चीली अनौपचारिक और लचीली शिक्षा व्यवस्था की शुरूआत कर चुके हैं जो विद्यालयी शिक्षा

से लेकर विश्वविद्यालयी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा का भी संचालन करती है। श्रीलंका में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (National Institute of Education) ने शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से खुले विद्यालय के संचालन की शुरूआत की है। यह खुला विद्यालय विभिन्न संकायों में उच्च शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा। साथ ही नौकरीपेशा लोगों को अपने व्यावसायिक ज्ञान में समृद्धि करने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का भी संचालन करेगा।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न(Self-Evaluation Questions)

(1) श्रीलंका में खुला विश्वविद्यालय की क्या स्थिति हैं?

18.8 समस्याएँ (Problems)

शिक्षा संबंधी कार्यो के लिए विश्वविद्यालयी को पूर्ण रूपेण स्वतन्त्रता प्राप्त है। हर विश्वविद्यालय अपना पाठ्यक्रम निर्धारित करने, उससे संबंधी योग्यता और नियम बनाने परीक्षाएँ करवाने प्रमाण-पत्र देने और शैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति देने के संबंध में स्वयं की नीति बनाने को स्वतंत्र है।

केन्द्र सरकार अपना दायित्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) की सहायता से निभाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय संबंधी नीति बनाने विश्वविद्यालयों और उनके उपाधि कार्यक्रमों को तर्कसंगत बनाने, वित्त की व्यवस्था करने, छात्रों का प्रवेश और कार्यालय कर्मचारियों की नियुक्ति करने का कार्य करता है। विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक स्तर पर इतनी स्वतन्त्रता होने से यह अपेक्षा की जाती है कि विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक स्तर और अनुसंधान कार्यो का स्तर काफी ऊँचा होगा। परन्तु विश्वविद्यालयों में सेवा प्रदाता तंत्र (Service Delivery System) को कुछ तत्त्व प्रभावित करते हैं जो इस प्रकार हैं-

18.8.1 कम वेतन (Low Academic Salaries)

श्रीलंका के विश्वविद्यालय में एक शिक्षा निष्णात (Ph.D.) वरिष्ठ प्राध्यापक एक माह में औसतन लगभग USD 250-350 (250-350 US$) प्राप्त करता है। यह वेतनमान लोक सेवा में एक अच्छा वेतन माना जाता है हालांकि निजी क्षेत्र में यह वेतनमान औसत दर्जे का कहा जा सकता है। परन्तु उच्च शिक्षा प्राप्त मानव संसाधनों (Ph.D. Qualified Human Capital) के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं में बहुत ज्यादा मांग है। यदि कोई वरिष्ठ प्राध्यापक विदेशी विश्वविद्यालय में नौकरी करता है तो वह एक माह में ही उतना वेतन प्राप्त कर लेता है जितना वेतन वह श्रीलंका में पूरे वर्षपर्यन्त नौकरी करने पर भी प्राप्त नहीं कर सकता। वेतन की इतनी चौड़ी खाई को पाटकर उच्च योग्यताधारी शिक्षकों को आकर्षित करना और उन्हें श्रीलंका के विश्वविद्यालयों में टिके रहकर कार्य करने के लिए प्रेरित करना श्रीलंका सरकार के लिए एक दुरूह कार्य सिद्ध हो रहा है।

योग्य शिक्षकों को आकर्षित करने की समस्या कोलम्बो और केन्डी के शहरी केन्द्रों को छोडकर अन्य केन्द्रों में और भी विकराल रूप में बरकरार है। प्राध्यापक शहरी क्षेत्रों को छोडकर गाँवों और कस्बों में चलने वाले विश्वविद्यालय केन्द्रों पर अपनी सेवाएँ नहीं देना चाहते। इसी

कारण कोलम्बो और केन्डी क्षेत्र में व्याप्त विश्वविद्यालयों जैसे मोरातुवा (Moratuwa), कोलम्बो (Colombo), केलानियाँ (Kelaniya), जयवर्द्धनेपुरा (Jaiwardhnepura) और पिराडिनीया (Peradeniya) में वो शिक्षक जो अधिस्नातक उपाधि प्राप्त है (जैसे प्रोफेसर व वरिष्ठ प्राध्यापक) और जो शिक्षक अधिस्नातक उपाधि प्राप्त नहीं है। उनका अनुपात 15:1 है। वहीं दूरस्थ क्षेत्रों में व्याप्त विश्वविद्यालयों जैसे राजरता (Rajarata), पूर्वी (Eastern), दक्षिण पूर्वी (South Eastern), व्याम्बा (Wyamba) और साबरागमूआ (Sabaragamuwa) में बसे गए शिक्षकों का अनुपात केवल 0.25:1 है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि सुदूर क्षेत्रों में व्याप्त विश्वविद्यालय उच्च योग्यताधारी शिक्षकों को आकर्षित करने में असफल रहे हैं जिसका असर उसकी शिक्षा की गुणवत्ता और अनुसंधान कार्यो के स्तर पर पड़ता है।

18.8.2 कठोर प्रबंधन संरचना (Rigid Management Structure)

विश्वविद्यालयों की व्यवस्था और प्रबंधन इस बात की गवाह है कि विश्वविद्यालयों की शुरूआत सिर्फ स्नातक (Graduate) अवधि देने के लिए की गई थी। परन्तु वर्तमान विश्वविद्यालय स्नातक के अलावा अधिस्नातक (Post Graduate) उपाधि, अनुसंधान कार्य (Research Work), शिक्षा निष्णात उपाधि (Ph.D. Degree), सलाह सेवा (Consultancy Service) और सामाजिक गतिविधियों (Community Activities) से जुड़े कार्य भी कर रहे हैं। इतने सारे विविधतापूर्ण कार्यो को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक प्रबंधन एवं व्यवस्थाओं का विकास करने में कई विश्वविद्यालय नाकाम हो रहे हैं हालांकि कुछ विश्वविद्यालय बड़ी हुई जिम्मेदारियों के अनुरूप अपने प्रबंधन एवं व्यवस्था को ढालने की कोशिश कर रहे हैं।

विश्वविद्यालयों को व्यवस्था में सुधार में लग रहे समय का मुख्य कारण यह है कि विश्वविद्यालय की आय का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता है, केवल 5 प्रतिशत आय ही अन्य स्रोतों जैसे परीक्षा कार्य आदि से होती है। कई सारी तकनीकी खामियों और लालफीताशाही (Technical Difficulties and redtepism) के चलते केन्द्र सरकार से वित्त प्रबंधन में देरी हो जाती है। व्यवस्था के लचरपन का एक अन्य कारण यह भी है कि विश्वविद्यालय की सारी आय वित्त मंत्रालय की सम्पति होती है और यह कोई जरूरी नहीं है कि विश्वविद्यालयों से अर्जित आय को वित्त मंत्रालय पुन: विश्वविद्यालय में ही निवेश करेगा। इस कारण व्यवस्था एवं प्रबंधन से संबंधित सुधार कार्यो में देरी लग जाती है।

18.8.3 छात्र असंतोष (Student Unrest)

विश्वविद्यालयी व्यवस्था समय-असमय छात्र असंतोष का शिकार हो जाती है। कुछ विश्वविद्यालयों में अन्य विश्वविद्यालयों की अपेक्षा छात्र असंतोष बहुत ज्यादा है। छात्रों द्वारा कई बार विश्वविद्यालय बंद करा दिया जाता है जिससे शैक्षणिक एव अन्य रोजमर्रा के कार्यो पर दुष्प्रभाव पड़ता है। पाठ्यक्रम पूरा करने में अतिरिक्त समय लग जाता है। कई बार छात्र आन्दोलन इतना उग्र हो जाता है कि वो हिंसक रूप ले लेता है। झगड़े होते हैं और कई लोगों को चोटें लग जाती हैं। इन विश्वविद्यालयों में कुछ पाठ्यक्रम सशुल्क शुरू करने का भी जोरदार

विरोध छात्रसंघों ने किया है क्योंकि उन्हें आशंका है कि इस तरह के प्रयास (सशुल्क कोर्स) विश्वविद्यालयों को निजीकरण की तरफ ले जाएंगे।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

(1) श्रीलंका के विश्वविद्यालयों के सुचारु संचालन को कौन-कौनसे कारक प्रभावित करते हैं? विस्तार से वर्णन कीजिए।

(2) श्रीलंका में विश्वविद्यालयों को कौन-कौनसी समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं?

18.9 सेवाओं में सुधार (Reforms in Services)

विश्वविद्यालयी शिक्षा सेवाओं की आंतरिक कुशलता एवं गुणवता को सुधारने के लिए सरकार ने जो रूपरेखा बनाई है उसके चार प्रमुख तत्त्व हैं-

(A) श्वविद्यालयी व्यवस्था के विस्तार को नियंत्रित कर निजी क्षेत्र की उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं, व्यावसायिक संगठनों (Professional Associations) और विदेशी उच्च संस्थाओं (Overseas Tertiory Education Institute) को उच्च शिक्षा की जरूरतें पूरी करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। निजी क्षेत्र को उच्च शिक्षा की जरूरतें पूरी करने के लिए तैयार करना एक समझदारी भरा कदम है क्योंकि इससे न केवल उच्च शिक्षा के लिए संसाधनों का विकास होगा अपितु छात्रों का रूझान रोजगारपरक कोर्स करने की तरफ भी होगा। साथ ही छात्र असंतोष पर भी काफी हद तक काबू पाया जा सकेगा क्योंकि ये संस्थान अपनी सेवाओं के बदले शुल्क लेंगे। शुल्क देकर छात्रों का ध्यान नारेबाजी की अपेक्षा पढ़ाई पर ज्यादा रहेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को अपनी नीति में आधारभूत परिवर्तन करना होगा। इस संबंध में सरकार ने कई नीतिगत निर्णय लिए हैं जिसमें विश्वविद्यालयों के संचालन संबंधी नियमों में सुधार कर व्यक्तिगत संस्थाओं को अधिक स्वतन्त्रता प्रदान करना, उच्च शिक्षा कौशल विकास गतिविधियों को वित्तीय प्रोत्साहन देना और मान्यता देने वाले ऐसे तंत्र का विकास करना जो सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की संस्थाओं और विश्वविद्यालयों का नियंत्रण करना शामिल है। भविष्य की योजना में गरीब परन्तु मेधावी विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी ऋण (Student Loan) की व्यवस्था करना शामिल है सरकार एक ऐसे वाउचर तंत्र (Voucher System) का भी विकास कर सकती है जिसका उपयोग विद्यार्थी सरकारी या निजी क्षेत्र की उच्च शिक्षण संस्थान में कर सके।

(B) विश्वविद्यालयों को व्यवस्था एवं प्रबंधन संबंधी अधिक स्वायत्तता देने पर भी मंथन चल रहा है। खासतौर पर शिक्षकों के वेतन निर्धारण, विद्यार्थियों की भर्ती तथा कार्यालय कर्मचारियों की नियुक्ति की शक्ति विश्वविद्यालय के हाथों में देने पर विचार चल रहा है। इन सुधार कार्यक्रमों से विश्वविद्यालयों की उच्च योग्यताधारी शिक्षकों को आकर्षित करने और उन्हें रोके रखने की कुशलता में वृद्धि होगी। विश्वविद्यालयों में अच्छे विद्यार्थियों को लुभाने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कार्यालय कर्मचारियों में

संस्थागत वफादारी में वृद्धि होगी। इसी क्रम में यदि कार्यालय कर्मचारियों की संख्या में यदि क्रमबद्ध तरीके से छंटनी की जाती है तो शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के प्रयासों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध रहेंगे।

(C) विश्वविद्यालयी संरचना की संस्थागत क्षमता में बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर योजना निर्माण, देखरेख और मूल्यांकन (Planning, Monitoring and Evaluation) के लिए गुणवत्ता नियंत्रक बोर्ड (Board of Quality Assurance) की स्थापना की जाए। यह बोर्ड गुणवत्ता के संबंध में नीति बनाकर यह निर्धारित करेगा कि विश्वविद्यालय उन मापदण्डों का कितना पालन कर रहे हैं।

(D) विश्वविद्यालयों में कार्यकुशलता (Performance) के आधार पर वित्त प्रबंधन करना। कार्यकुशलता और वित्त को जोड़ने से स्नातक एवं अधिस्नातक कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार आएगा ऐसी अपेक्षा है। इस योजना के अन्तर्गत शिक्षकों को उनके कार्य की गुणवत्ता के आधार पर परिलाभ (Incentive) दिया जाएगा। इसके साथ ही यह प्रयास भी किया जा रहा है कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी कार्यक्रम बाजारोन्मुखी बनाए जाए जिससे कि कोई भी उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् विद्यार्थी बाजार में अपने आप को अकेला महसूस न कर सके।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि ये सभी कदम बहुत उपयोगी एवं अहम् साबित होंगे। खासतौर पर ये विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम इसलिए भी अवश्यंभावी होंगे क्योंकि निजी क्षेत्र की संस्थाओं में नामांकन दर तेज गति से बढ़ रही है। अत: विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायतत्ता देने वाला कदम आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

(1) विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों का विस्तारपूर्ण वर्णन कीजिए।

18.10 सारांश और भविष्य की संभावनाएँ (Summary and Future Prospects)

श्रीलंका की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना कर रही है जिनमें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, विभिन्न मदों में होने वाली खर्च राशि का तर्कसंगत विवरण करना, शिक्षा तंत्र को आतंरिक मजबूती प्रदान करना और विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थाओं को सामाजिक और आर्थिक प्रासंगिकता में सुधार करना मुख्य चुनौतियाँ हैं। ये चुनौतियाँ ऐसे समय में विद्यमान है जब विकासशील देशों के मापदण्ड के अनुसार श्रीलंका का शिक्षा में निवेश कम है और उसमें उत्तरोतर गिरावट आ रही है। ऐसे परिदृश्य में भविष्य की निम्न संभावनाएँ बनती हैं:-

(A) विद्यालय स्तर पर शिक्षा में निजी क्षेत्र के निवेश के लिए कई तर्क दिए जा रहे हैं और प्रयास भी किए जा रहे हैं परन्तु जहाँ तक निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रश्न है, यह एक बहुत ही विवादास्पद मामला है। पिछले कुछ वर्षो में इस और कुछ

प्रयासों का नतीजा छात्र असंतोष और हिंसा के रूप में सामने आया। इसलिए श्रीलंका सरकार निजी विश्वविद्यालयों की जगह ऐसे संस्थान खोलने को बढ़ावा दे रही है जो व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्रदान करती हो या किसी विदेशी विश्वविद्यालय की उपाधि प्रदान करती हों।

(B) संसाधनों की सीमितता के चलते यह अतिआवश्यक है कि सरकार आंतरिक खर्च में कटौती करे। इसके लिए विश्वविद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात को 14:1 के स्थान पर 18:1 किया जा सकता है जिससे खर्चे में कटौती हो सके। साथ ही कार्यालय कर्मचारियों की संख्या भी क्रमबद्ध तरीके से कम करके उन पर होने वाले खर्च को अन्य उपयोग में लिया जा सकता है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना भी जरूरी है कि इस तरह खर्चे में की गई कटौती से बची राशि को वित्त मंत्रालय शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए ही खर्च करेगा।

(C) संसाधनों/पूंजी का मुख्य हिस्सा/ज्यादातर (Major portion of the capital) भाग को गुणवत्ता सुधार हेतु उपयोग में लिया जाए। इसके लिए IT केन्द्र, विज्ञान प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय क्रिया कक्ष (Activity Room), बहुआयामी कक्ष (Multi Purpose Room), औजार और तकनीक आदि पर अधिकतम राशि खर्च की जाए।

(D) विश्वविद्यालयों को और अधिक स्वायतत्ता दी जाए। साथ ही अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों और शिक्षकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाए। साथ ही हर कदम पर जिम्मेदारी और जवाबदेही (Responsibility and Accountability) भी सावधानीपूर्वक सुनिश्चित की जाए।

(E) शैक्षिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए जिससे कि किए गए कार्यो का निरीक्षण (Monitoring) और मूल्यांकन (Evaluation) कर गुणवत्ता में और सुधार किया जा सके।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

(1) विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्रीयों एवं उपाधियों की समयावधि के सन्दर्भ में वर्गीकरण कीजिए।

(2) श्रीलंका में विश्वविद्यालयी शिक्षा में उच्च विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया एवं स्टाफ प्रक्रिया का वर्णन दीजिए।

(3) श्रीलंका में विश्वविद्यालयों की समस्याओं का विस्तृत वर्णन कीजिए।

(4) श्रीलंका में विश्वविद्यालय सेवाओं में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए।

18.11 सन्दर्भ सूची (References)

1. A Nation at Risk, 1983, **Report of the National commission on Excellance in Education,** U.S. Department of Education.
2. Biswas, A and Aggarwal J.C., **Comparative Education**

3. Education in the United States: **A Documentary History, Vol 1 to 55,** Random House New York 1974.
4. Khan M.A. (2004), **Modern Comparative Education** Anmol Publication Pvt. Ltd., New Delhi.
5. Kaushik S.L. & Beejawat K.G. **तुलनात्मक शिक्षा,** राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी,जयपुर, 1989.
6. Kandal I.L, **The New Era in Education,** Routledge and Kegan Paul, London.
7. Nicholas Hans, **Comparative Education 3rd Edition.** London. Routledge and Kegan paul Ltd., 1958.
8. Richardson, C.A. **Education of Teachers in England,** France and USA, UNESCO, 1963.
9. Smith H.L., **Comparative Education,** Educational Publication, Bloomington, Indian USA.
10. Sharma R.N., **Comparative Education,** Surjeet Publication, Delhi.
11. **A 2006 Ranking from THES-**QS of the World's Research Universities.
12. **United States Census** (2000-2005).
13. **Structure of US Education,** U.S. Network for Education Information: U.S. Department of Education, 2005.
14. **IDEA 2004 Resources.** U.S. Department of Education. URL Accessed on Feb. 16.
15. **U.S. Census Bureau Report on Education Attainment in the United States 2003.**

इकाई -19

भारत में शिक्षा का विकास

(Development of Education in India)

19.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of the Unit)

19.1 विषय प्रवेश (Introduction)

19.2 भारत - एक परिचय (India:An Introduction)

19.3 भारतीय शिक्षा का इतिहास (History in Indian Education)

19.4 भारत में शिक्षा की वर्तमान स्थिति (Present Status of Education in India)

19.5 शैक्षिक व्यय (Educational Expenditure)

19.6 भारतीय शिक्षा के उद्देश्य (Aims of Indian Education)

19.7 शिक्षा की राष्ट्रीय संरचना (National Structure of Education)

19.8 शिक्षा का माध्यम (Medium of Instruction)

19.9 मूल्य शिक्षा (Value Education)

19.10 स्त्री शिक्षा (Women Education)

19.11 भारत में शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन (Educational and Vocational Guidance)

19.12 शैक्षिक प्रशासन (Educational Administration)

19.13 विशिष्टताएँ (Special Features)

19.14 नवीन प्रवृत्तियाँ (New Trends)

19.15 सारांश (Summary)

19.16 सन्दर्भ सूची (References)

19.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of the Unit)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आपमें इन क्षमताओं का विकास हो सकेगा-

1. भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं को समझ सकें।
2. भारतीय शिक्षा को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्गीकरण कर सकें।
3. भारतीय शिक्षा के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन कर सकें।
4. भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की वर्तमान स्थिति को समझ सकें।
5. भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट कर सकें।
6. भारतीय शिक्षा की राष्ट्रीय संरचना को समझ सकें।
7. भारत में धार्मिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा की आवश्यकता एवं स्थिति स्पष्ट कर सकें।
8. भारत में स्त्री शिक्षा, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता एवं वर्तमान स्थिति को समझ सकें।

9. भारतीय शैक्षिक प्रशासन के स्वरूप का अनुमान लगा सकें।

10. भारतीय शिक्षा व्यवस्था की नवीन प्रवृतियों एवं विशेषताओं को स्पष्ट कर सकें।

19.1 विषय प्रवेश (Introduction)

भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधताओं के कारण संसार की एक प्राचीन सभ्यता है। इसमें असाधारण रूप से भौगोलिक विभिन्नता, जटिल सांस्कृतिक विविधता और लोकतान्त्रिक मूल्यों व सर्वजन कल्याण के लिए प्रतिबद्धता है। भारत की ये विशेषताएँ इसकी शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप का निर्धारण करती हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् पिछले 60 वर्षो के दौरान भारत ने सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से बहुआयामी प्रगति की है।

19.2 भारत-एक परिचय (India: An Introduction)

भारत उत्तरी गोलार्द में स्थिति 32,87,263 वर्ग किमी. के क्षेत्रफल वाला, विश्व का सातवाँ विशालतम देश हैं। इसकी मुख्य भूमि 8.4' और 37.6' उत्तरी अक्षांश और 68.7' और 97.25' पूर्वी देशान्तर के बीच फैली हुई है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किमी और पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किमी है।

भारत के सीमावर्ती देशों में उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। उत्तर में चीन नेपाल और भूटान हैं। पूर्व में म्यांमार और पश्चिम बंगाल के पूर्व में बंग्लादेश स्थित है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरूमध्य भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं।

भारत भूमि चार भागों में बँटी है- विस्तृत पर्वतीय प्रदेश, सिंधु और गंगा के मैदान, रेगिस्तानी क्षेत्र तथा दक्षिणी प्रायद्वीप। यहां की जलवायु आमतौर से उष्णकटिबन्धीय है। देश में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही होती है। वैसे उत्तर से लेकर दक्षिण तक यहाँ जलवायु की दृष्टि से विभिन्नता पाई जाती है। इसी कारण यहाँ वनस्पतियों में भी विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है। वन सम्पदा की दृष्टि से भारत काफी सम्पन्न है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्था के अनुसार पेड़-पौधों की 46 हजार से अधिक प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती है। इसी प्रकार (भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग के अनुसार) भारत में 89 हजार से अधिक किस्म के जीव-जन्तु पाये जाते हैं। भारत विविध संस्कृतियों वाला समाज है जो अनेक प्रादेशिक व स्थानीय संस्कृतियों से मिलकर बना है। लोगों के धार्मिक विश्वास, जीवन शैली व सामाजिक सम्बंधों की समझ एक-दूसरे से बहुत अलग है। सभी समुदायों को सह-अस्तित्व व समान रूप से समृद्ध होने का अधिकार है और यहां की शिक्षा व्यवस्था भी हमारे समाज में निहित इस सांस्कृतिक विविधता के अनुरूप है।

भारत में जातिगत, आर्थिक तथा स्त्री-पुरूष सम्बन्धों का पदानुक्रम, सांस्कृतिक विविधता और असमान विकास से, जो कि भारतीय समाज की विशेषताएँ हैं, शिक्षा की प्राप्ति और स्कूलों में बच्चों की सहभागिता प्रभावित होती है। स्कूल में नामांकित होने वाले और पढ़ाई पूरी करने वाले बच्चों के अनुपात के मामले में जहाँ विभिन्न सामाजिक व आर्थिक समुदायों के बीच गहरी विषमता में यह तथ्य प्रतिबिम्बित होते हैं। इसी प्रकार ग्रामीण व शहरी, गरीब वर्गो

तथा धार्मिक एवं अन्यजातीय अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति व जनजाति समुदाय की लड़कियों की शिक्षा भी प्रभावित होती है।

भारत देश की जनसंख्या एक मार्च, 2001 को एक अरब 2 करोड़, 80 लाख (532.1 करोड पुरूष और 4964 करोड़ स्त्रियाँ थीं) भारत के पास 1357.90 लाख वर्ग कि.मी. भू-भाग है जो विश्व के कुल भू-भाग का मात्र 2.4 प्रतिशत है फिर भी विश्व की 16.7 आबादी का भार उसे वहन करना पड़ता रहा है। 2001 में देश में आबादी का घनत्व 324 प्रति वर्ग कि.मी. था।

भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और उसके सम्बन्धित क्षेत्रों का योगदान लगभग 22 प्रतिशत है। देश की लगभग 65-70 प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर करती है।

राज्यों का संघ भारत एक संपूर्ण प्रभुता सम्पन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें संसदीय प्रणाली की सरकार है। गणराज्य उस संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार प्रशासित होता है जो 26 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया और 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ। संसदीय सरकार के संविधान का ढाँचा एकात्मक विशेषताओं के साथ-साथ संघात्मक भी है।

संविधान में सम्पूर्ण भारत के लिए एक समान नागरिकता की व्यवस्था की गई है। इसमें सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी स्वतन्त्रताओं की (मूल अधिकारों) की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सन् 1976 में पारित संविधान में 42वें संशोधन के अन्तर्गत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया।

संविधान में निहित राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्त देश के प्रशासन का मूलभूत आधार हैं और सरकार का यह कर्तव्य है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धान्तों का पालन करे।

सरकार में अनेक मंत्रालय / विभाग होते हैं 15 अगस्त, 1947 को केन्द्र में 18 मंत्रालय थे जबकि 30 सितम्बर, 2006 तक 55 मन्त्रालयों की सूची जारी की गई है। इनमें से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग का दायित्व सौंपा हुआ है।

उपरोक्त विविध तथ्य भारत की विशिष्ट भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संरचना को स्पष्ट करते हैं। ये तत्व भारतीय शिक्षा व्यवस्था के वर्तमान स्वरूप को निर्धारित करने के लिए आवश्यक आधार प्रदान करते हैं।

19.3 भारतीय शिक्षा का इतिहास (History of Indian Education)

भारत में व्यवस्थित शिक्षा का एक लम्बा इतिहास है। भारतीय शिक्षा के विकास के क्रम को निम्नलिखित रूप में विभाजित किया जा सकता है-

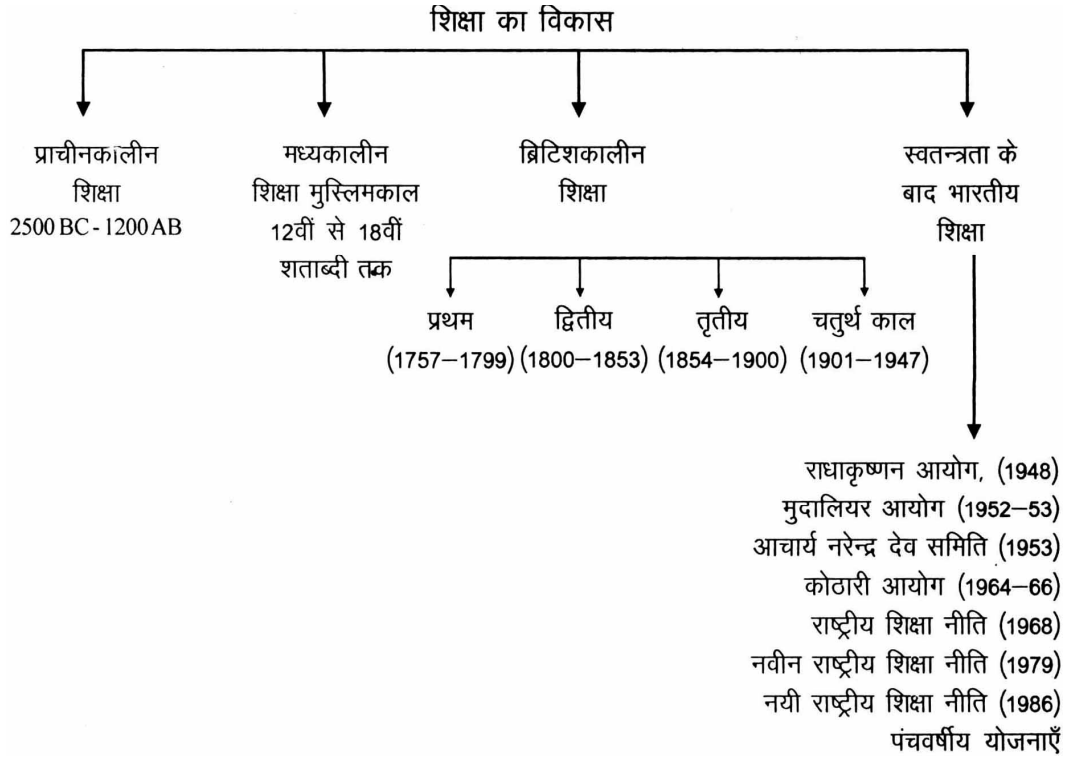

19.3.1 प्राचीनकालीन शिक्षा (Education in the Past)

शिक्षा की प्राचीन व्यवस्था गुरुकुल पृथ्वी की एक सर्वाधिक प्राचीन व्यवस्था है जिसमें गुरु-शिष्य परम्परा विद्यमान थी। इस वैदिककाल में विद्यार्थी मौखिक रूप से ज्ञान प्राप्त करते थे तथा ज्ञान व तथ्य एक से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से ही हस्तान्तरित होते थे। शिक्षा निःशुल्क (उच्च वर्ग तक ही सीमित) थी परन्तु धनाढ्य वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा समाप्ति के पश्चात् गुरु दक्षिणा देनी पड़ती थी। यह परम्परावादी हिन्दू आवासीय सीखने के विद्यालय आश्रम, गुरुकुल (गुरू का आवास) कहलाते थे। गुरु धर्म, पुराण, दर्शन, साहित्य, युद्ध कला, गणित, चिकित्सा, ज्योतिष, खगोलशास्त्र व इतिहास की शिक्षा देते थे। शिक्षा केवल ब्राम्हण एवं राजपूतों तक सीमित थी। इस काल में तक्षशिला, मिथिला, बनारस इत्यादि प्रमुख संस्थान विकसित हुये।

बौद्धकाल में 'मठ' अथवा 'बौद्ध विहारों' में दी जाने वाली शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन लाये गए तथा शिक्षा को व्यावहारिक एवं सार्वजनिक किया गया। इस काल तक कई संस्थायें अपनी उल्लेखनीय भूमिकाओं में सक्रिय थीं। प्रत्येक विश्वविद्यालय एक क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त था, जैसे तक्षशिला (चिकित्सा), उज्जैन (खगोलशास्त्र), वलभी, विक्रमशिला, मिथिला महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय थे। नालन्दा विश्वविद्यालय ज्ञान का बड़ा केन्द्र था जिसमें ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उस समय 0,000 विद्यार्थी अध्ययनरत थे।

मुस्लिम कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम धर्म एवं इस्लामी ज्ञान का प्रचार था। शिक्षा (प्राथमिक स्तर की) तथा मदरसों (उच्च शिक्षा हेतू) में दी जाती थी। इस समय इतिहास

लेखन तथा ललित कला, हस्तकला, वास्तु कला व सैनिक शिक्षा इत्यादि व्यावसायिक विषयों के साथ रबी, फारसी, कानून, ज्योतिष, सूफी धर्म की शिक्षा प्रचलित थी।

19.3.2 ब्रिटिश कालीन शिक्षा (Education in the British Period)

ब्रिटिशकालीन शिक्षा का प्रारम्भ मिशनरियों द्वारा किए गए धर्म प्रसार के प्रयासों के फलस्वरूप हुआ था। सन् 1757 में बंगाल विजय के उपरान्त धीरे-धीरे भारत पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन हुआ। कम्पनी ने अपने व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षा प्रसार में रूचि दिखाई। ब्रिटिशकालीन शिक्षा को चार कालों में विभाजित किया जा सकता है-

प्रथम काल (1757-1799)

द्वितीय काल (1800-1853)

तृतीय काल (1854-1900)

चतुर्थ काल (1901-1947)

प्रथम काल (1757-1799)- इस काल में शिक्षा के क्षेत्र में निम्न महत्वपूर्ण कदम उठाये गये-

(i) **ईस्ट इण्डिया कम्पनी की शिक्षा नीति-** 1781 में सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग्ज ने कलकत्ता में मदरसा खोला। इसी समय बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई।

(ii) डच, डेन, फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश मिशनरियों ने कई प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की।

(iii) 1793 का आज्ञापत्र (Charter) - 1792 में चार्ल्स ग्राण्ट ने एक पंचसूत्रीय योजना प्रस्तुत की जिसमें भारत में विद्यालय की स्थापना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा, अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा, पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञान का प्रसार तथा ईसाई धर्म के प्रचार की आवश्यकता पर बल दिया।

द्वितीय काल (1800-1853)-

(i) **सन् 1813 का आज्ञापत्र-** शिक्षा के प्रति कम्पनी के उत्तरदायित्वों को निश्चित करने की दिशा में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किये इस आज्ञा पत्र (1813) में भारत में शिक्षा के ऊपर कम से कम एक लाख रूपये प्रतिवर्ष व्यय करने का आदेश दिया गया, जिसे सन् 1833 में बढ़ाकर दस लाख वार्षिक कर दिया। इस काल में यानि 1813 से 1833 की अवधि में कोई विशेष शैक्षिक प्रगति न हो सकी।

(ii) **प्राव्य-पाश्चात्य विवाद-** शिक्षा के लिए निर्धारित धनराशि के खर्च करने पर प्राव्य शिक्षावादियो तथा पाश्चात्य शिक्षावादियों में मतभेद रहा (1813 से 1835 तक)। फलत: निर्धारित धनराशि खर्च नहीं की जा सकी।

(iii) **मैकाले का विवरण पत्र-** सन् 1835 में लार्ड मैकाले ने भारत में शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय साहित्य व विज्ञान का प्रचार करना घोषित किया जिससे अंग्रेजी शासन में सहायक, पाश्चात्य शिक्षा में रंगे भारतीय तैयार हो सकें।

(iv) **मार्च 1835 का आज्ञापत्र-** 7 मार्च 1835 को मैकाले के विचारों के समर्थन में तत्कालीन जनरल लार्ड विलियम बैंटिक ने प्रस्तावित शिक्षा नीति को अपनी स्वीकृति दे दी।

तृतीयकाल (1854-1900)- कम्पनी का चार्टर क्रमश: 1799,1813 और 1833 में प्रति 20 वर्ष के बाद बदला गया। 1854 में चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गई जिसकी रिपोर्ट 'बुड का घोषणा पत्र' है।

(i) **वुड का 'घोषणा पत्र -** सन् 1854 में वुड घोषणापत्र में तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के पुनरीक्षण तथा भावी शैक्षिक पुनर्निमाण के लिए नीति को प्रस्तुत किया गया।

(ii) **स्टेनली का आज्ञा पत्र -** सन् 1859 में लार्ड स्टेनली ने भारतीय शिक्षा के सम्बन्धों में ब्रिटिश नीति की घोषणा की।

(iii) **भारतीय शिक्षा आयोग (हन्टर आयोग)** सन् 1882 में गठित हंटर आयोग ने देसी शिक्षा को प्रोत्साहन देने, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने तथा नारी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ शिक्षा का उत्तरदायित्व वैयक्तिक संस्थाओं को सौंपने तथा उदारतापूर्वक सहायता अनुदान देने की अनुशंसा की। इस हंटर आयोग में हंटर की अध्यक्षता में भारत के महत्वपूर्ण शिक्षाशास्त्रियों को भी शामिल किया गया था।

चतुर्थकाल (1901-1947) - 19वीं शताब्दी के अन्तिम दशक में सरकार हंटर आयोग की सिफारिशों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था में कार्यरत थी परन्तु भारत के लिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की मांग जन साधारण तथा भारतीय नेताओं द्वारा उठाई जाने लगी।

(i) **भारतीय विश्वविद्यालय आयोग (1902) -** भारत में उच्च शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर विस्तृत विचार करके उसमें सुधार करने हेतु जनवरी 27,1902 को सर थामस रैले की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई। सन् 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया।

(ii) **गोखले बिल (1907) -** गोपालकृष्ण गोखले ने सन् 1910 एवं 1911 में केन्द्रीय धारा सभा में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए प्रस्ताव रखा जो कि अस्वीकार कर दिया गया। परन्तु इस विधेयक का बहुत प्रभाव पड़ा तथा देश में प्राथमिक शिक्षा की मांग धीरे-धीरे बढ़ने लगी।

(iii) **कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (1917- 1919) -** सन् 1913 के शिक्षा नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव में प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय खोलने तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य को प्रोत्साहित करने के सुझाव दिए थे। इन सुझावों के परिणामस्वरूप बनारस, अलीगढ़, ढाका, मैसूर, पटना, लखनऊ आदि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई।

(iv) **हर्टोग समिति (1929) -** सन् 1917 में ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की स्थापना की गई और इस आयोग ने 1929 में भारतीय शिक्षा की जांच हेतु ढाका विश्वविद्यालय के उपकुलपति सर फिलिप हार्टोन की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्राथमिक शिक्षा को राष्ट्रीय आवश्यकता मानते हुए इसका उत्तरदायित्व शासन पर होने की सिफारिश की।

(v) **बेसिक शिक्षा (1937) -** सन् 1937 में महात्मा गांधी ने शिल्प पर आधारित बेसिक शिक्षा योजना वर्धा के शिक्षा सम्मेलन में प्रस्तुत की।

(vi) सार्जेण्ट योजना (1944) - द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की परिस्थितियों के अनुरूप शैक्षिक पुननिर्माण करने के लिए सन् 1944 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने जो शैक्षिक योजना प्रस्तुत की थी उसे साजेण्ट योजना के नाम से जाना जाता है। यह पूर्व प्राथमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा हाई स्कूल शिक्षा, विश्वविद्यालयी शिक्षा, तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा अध्यापक प्रशिक्षण के लिए 40 वर्ष की अवधि की एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना थी।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ब्रिटिशकालीन भारतीय शिक्षा का प्रारम्भ भारत में ईसाई धर्म के प्रसार तथा भारत में व्यापार के लिए आये कम्पनी के कर्मचारियों की सुविधा के लिए हुआ था। सन् 1835 में लार्ड मैकाले के विवरण पत्र ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा की नीति की आधारशिला रखी। परन्तु शिक्षा के अस्पष्ट उद्देश्य व योजना, साम्राज्यवादी नीति, अंग्रेजी माध्यम, स्वदेशी शिक्षा संस्थाओं व संस्कृति की उपेक्षा, जनसाधारण की शिक्षा की कमी तथा अधोगामी निस्पन्दन प्रणाली का अनुसरण इस काल की शिक्षा की प्रमुख कमियाँ थीं।

19.3.3 स्वतन्त्रता के समय देश में शिक्षा की स्थिति (सन् 1946-47 में) (Education at the time of independence)

सन् 1946-47 में 6 से 11 वर्ष की अवधि के केवल 35 प्रतिशत बच्चे स्कूलों में दाखिल थे, 11-17 वर्ष की अवधि के लिए यह अनुपात 10 प्रतिशत तथा 17-23 वर्ष के लिए केवल 1 प्रतिशत था। इस वर्ष साक्षरता का अनुपात लगभग सैकड़े पर 15 था। स्वतन्त्रता के समय देश में शिक्षा संस्थाओं की संख्या को इस तालिका द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है-

स्वतन्त्रता के समय देश में शिक्षा की स्थिति (1946-47)

शिक्षा क्षेत्र	संस्था संख्या	विद्यार्थी संख्या (नामांकन)
प्राथमिक शिक्षा	1,72,663 विद्यालय	1,41,27,313
माध्यमिक शिक्षा	11,907 विद्यालय	23,53,856 छात्र 3,56,125 छात्राएँ
उच्च शिक्षा	19 विश्वविद्यालय	
व्यावसायिक क्षेत्र		
कानून	13 कॉलेज	5532 छात्र
चिकित्सा	चिकित्सा 26 (3 स्त्रियों के) कॉलेज 25 स्कूल	6742 छात्र, 1614 छात्राएँ 4395 विद्यार्थी
व्यापारिक	14 कॉलेज 296 स्कूल	7783 विद्यार्थी 14784 विद्यार्थी
कृषि	17 कॉलेज	2500 छात्र
टेक्नीकल व उद्योग संस्थान	490	29,740 छात्र
स्त्री शिक्षा	16,948स्त्री संस्थाएँ	32,47,644

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. भारत देश कि विविध क्षेत्रों में विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए।
2. भारतीय की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों की सूची बनाइये।
3. प्राचीनकाल भारतीय शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
4. ब्रिटिश शासन काल के शिक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची बनाइए।
5. क्या स्वतन्त्रता के समय भारत में शिक्षा की स्थिति संतोषप्रद कही जा सकती थी? उदाहरण देवे।

19.3.4 भारतीय संविधान में शिक्षा (Education in the Indian Constitution)

स्वतन्त्रता के उपरान्त 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। इसमें अनेक शैक्षिक विषयों को सम्मिलित किया गया। संविधान के खण्ड तीन एवं चार में शिक्षा सम्बन्धी अनेक प्रावधान किये गये हैं।

- संविधान के अनुच्छेद 45 में अनिवार्य शिक्षा को लिया गया है। प्रत्येक बालक को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा दिलाने का राज्य को उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
- अनुच्छेद 29 में व्यवस्था की गई है कि जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति को शिक्षा संस्था में प्रवेश लेने के लिए रोका नहीं जा सकता।
- अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गो की शैक्षिक व आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने का उत्तरदायित्व राज्य को दिया गया है।
- अनुच्छेद 350-ए में भाषायी अलपसंख्यकों के लिए उनकी मातृ-भाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का संवैधानिक उत्तरदायित्व राज्य को सौंपा है।
- अनुच्छेद 15(3 व 4) में महिलाओं तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गो के लिये विशेष प्रावधान करने पर किसी प्रकार की रोक न लगाने की व्यवस्था की गई है।

19.3.5 स्वतन्त्रता पश्चात् भारत में शिक्षा की स्थिति (Status of Education after Independence)

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय शिक्षा की प्रगति इस प्रकार रही-

1. **केन्द्र एवं राज्यों को अधिकार-** सन् 1950 को लागू संविधान में कुछ विशिष्ट बातों को छोडकर शिक्षा संबंधी कानून व व्यवस्था के अधिकार राज्यों को दे दिये थे। केन्द्र को राष्ट्रीय महत्व की शिक्षा संस्थाएं, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षा व अनुसन्धान के स्तर का कानून बनाने व व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया। परन्तु सन् 1977 में किए गए संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। अत: अब

शिक्षा सम्बन्धी विषयों पर केन्द्र व राज्य दोनों को ही कानून व व्यवस्था अधिकार प्राप्त है।

2. स्वतन्त्रता के उपरान्त भारत में अनेक **शिक्षा आयोग** तथा समितियों का गठन किया गया। इन आयोगों तथा समितियों ने अपने-अपने क्षेत्र की शिक्षा समस्याओं पर विचार-विमर्श किये तथा सुझाव दिये। इन आयोगों के द्वारा दिए सुझावों के आधार पर स्वतन्त्र भारत में शिक्षा के विकास को महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की गई - इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

2.1 **राधाकृष्णन आयोग -** सन् 1948-49 में डा. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित किये गये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा के उद्देश्यों, अध्यापक कल्याण शिक्षा के स्तर, स्नातकोत्तर शिक्षा, अनुसंधान, शिक्षा के माध्यम, परीक्षा प्रणाली, धार्मिक शिक्षा, छात्र कल्याण, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना, नारी शिक्षा तथा अर्थव्यवस्था आदि में धार के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

2.2 **मुदालियर आयोग-** सन् 1952-53 में डा. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित किये गये माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए अनेक सुझाव दिए। इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों, माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन, बहु-उद्देशीय विद्यालय, त्रिभाषा सूत्र का पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, परीक्षा प्रणाली, अध्यापकों की सेवा शर्तें, निरीक्षण, न्यूनतम कार्य दिवस आदि से सम्बन्धित अनेक सिफारिशें की थीं।

2.3 **कोठारी आयोग-** सन् 1964-66 में डा. दौलतसिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने सभी स्तरों की शिक्षा के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर भारत सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आयोग ने राष्ट्रीय विकास में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित करने के लिए राष्ट्रीय उद्देश्य बताये तथा सम्पूर्ण राष्ट्र में एक समान शिक्षा संरचना लागू करने की सिफारिशें की। आयोग ने अध्यापक प्रशिक्षण, शैक्षिक समानता, स्कूल शिक्षा का विस्तार, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति व निरीक्षण, उच्च शिक्षा के उद्देश्यों व कार्यक्रम, विश्वविद्यालयों की व्यवस्था, कृषि तकनीकी, व्यावसायिक व इंजीनियरिंग शिक्षा, अनुसंधान, प्रौढ़ शिक्षा, नियोजन व प्रशासन तथा शैक्षिक वित्त प्रबन्ध जैसे विषयों पर विस्तार से अध्ययन करने के सुझाव प्रस्तुत किए।

3. **प्रमुख शिक्षा समितियाँ-** स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करने तथा उनका समाधान खोजने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा भारत में गठित कुछ प्रमुख शैक्षिक समितियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

3.1. **आचार्य नरेन्द्र देव समिति (1952-53)-** इस समिति का गठन उ.प्र. सरकार के द्वारा सन् 1952 में किया गया तथा इसने सन् 1953 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत

किया था। समिति ने उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न पक्षों- पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु परीक्षा प्रणाली, स्कूल प्रबन्ध, परामर्श आदि के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

3.2. दुर्गा बाई देशमुख समिति (1957-59) सन् 1957 में गठित इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें स्त्री शिक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रम प्रशासन,संस्थायें आदि पर एक वृहद योजना प्रस्तुत की गई।

3.3. श्री प्रकाश समिति (1959)- सन् 1959 में गठित इस समिति ने धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा के औचित्य तथा इसकी पाठ्यवस्तु के सम्बन्ध में अनेक सार्थक सुझाव दिये।

3.4. डा. सम्पूर्णानन्द समिति (1961)- इस समिति ने राष्ट्रीय एकता को बनाये रखने के लिए शिक्षा के योगदान के सम्बन्ध में अनेक सुझाव दिये।

3.5. हंसा मेहता समिति (1964)- इस समिति ने शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर लड़कियों के पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत कीं।

3.6. 10+2+3 समिति (1973)- इस समिति ने 10+2+3 की शैक्षिक संरचना को लागू किए जाने के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए की गई थी।

3.7. पटेल समिति (1977)- इस समिति ने दस वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण किया तथा इस सम्बन्ध में अनेक सुझाव दिये।

3.8. आदिसेषैया समिति (1977-78)- सन् 1977 में गठित इस समिति ने सन् 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें +2 स्तर के पाठ्यक्रम तथा इस स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण से सम्बन्धित अनेक संस्तुतियाँ की गई थीं।

3.9. यशपाल समिति (1992)- सन् 1992 में प्रो. यशपाल की अध्यक्षता में नियुक्त की गई इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्कूल छात्रों के शैक्षिक बोझ को अधिगम की गुणवत्ता बनाये रखते हुए, कम करने के सम्बन्ध में अनेक सुझाव दिये।

4. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1988)-** स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त भारतीय शिक्षा के विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम सन् 1968 में भारत सरकार के द्वारा शिक्षा की राष्ट्रीय नीति की घोषणा करना था। कोठारी आयोग के सुझाव के अनुरूप भारत सरकार ने इस नीति की घोषणा की थी। इस नीति ने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने तथा सभी स्तरों की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने पर बल दिया गया था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 17 आधारभूत सिद्धान्तों को स्थापित किया गया है तथा कहा गया है कि भारत सरकार इन सिद्धान्तों के अनुरूप देश में शिक्षा का विकास करेगी। इस नीति में शिक्षा के ऊपर किये जाने वाले व्यय को बढ़ाकर यथाशीघ्र राष्ट्रीय आय के छः प्रतिशत के बराबर लाने का भी प्रस्ताव किया।

5. **नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1979)-** 1977 में केन्द्र में सत्तारूढ़ हुई सरकार का विचार था कि राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था में अनेक कमियां हैं जिन्हें दूर करना अत्यन्त आवश्यक है। तब विचार-विमर्श के उपरान्त सन् 1979 में सरकार द्वारा नई शिक्षा

नीति का मसौदा तैयार किया। इस मसौदे में अनेक बातें पूर्ववर्ती शिक्षा नीति के समान थीं। इसके अलावा समान स्कूल व्यवस्था, पार्श्व स्कूल व्यवस्था, 8+4+3 के शैक्षिक ढाँचे, शिक्षा में समाज की भागीदारी बढ़ाने, स्वैच्छिक संगठनों का अधिक सहयोग प्राप्त करने पर अधिक जोर दिया गया था। परन्तु सन् 1980 में सरकार के गिर जाने के कारण इस मसौदा शिक्षा नीति को संसद की स्वीकृति नहीं मिल सकी तथा यह नीति अप्रभावी रह गई।

6. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) (National Policy on Education 1986)-** नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण स पूर्व भारत सरकार ने अगस्त 1985 में 'शिक्षा की चुनौती नीति सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य' (Challenge of Education : Policy Perspective) नामक 68 पृष्ठीय दस्तावेज तैयार किया जिसमें तत्कालीन शिक्षा की कमियों की ओर संकेत करते हुए भावी नीति के सम्बन्ध में विचार प्रस्तुत किये गए। सम्पूर्ण भारत में "शिक्षा की चुनौती: नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य" पर विचार-विमर्श हुआ तथा इस पर विभिन्न वर्गो बौद्धिक, सामाजिक, राजनैतिक, व्यावसायिक, प्रशासकीय आदि ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियायें व्यक्त कीं। मई, 1986 में भारत सरकार ने शिक्षा नीति - 1986 का प्रारूप तैयार करके जारी कर दिया। मानव संसाधन विकास मन्त्रालय ने इस नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सुचारू ढंग से लागू करने के लिए एक कार्यान्वयन कार्यक्रम (Programme of Action -POA) भी तैयार किया। इस नीति को कुल बारह खण्डों में बाँटा गया है, जिनमें कुल 157 बिन्दुओं के अन्तर्गत नई शिक्षा नीति को लिपिबद्ध किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सम्मिलित किये गये नये संकल्प मुख्य रूप से अग्रांकित हैं-

1. 10+2+3 प्रणाली के प्रथम 10 वर्षो को 5+3+2 में विभक्त करने की राष्ट्रीय संरचना।
2. राष्ट्रीय पाठ्यक्रम
3. शैक्षिक अवसरों की समानता एवं शिक्षा गुणवत्ता की तुलनीयता पर जोर
4. केन्द्र सरकार का अधिक दायित्व
5. पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता
6. प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता का उन्नयन
7. पेस सेटिंग स्कूलों की स्थापना
8. स्वायत्त कॉलेज तथा स्वायत्त विभाग
9. ग्रामीण विश्वविद्यालय
10. कम्प्यूटर ज्ञान पर बल
11. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
12. भारतीय शिक्षा सेवा

7. **संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति-** 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा की गई तथा संशोधित नीति 7 मई 1992 को संसद में रखी गई। कार्यान्वयन हेतु संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम-1992 (POA-1992) तैयार किया गया।

एन.पी.ई. द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एक ऐसे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे पर आधारित है जिनमें अन्य लचीले एवं क्षेत्र विशेष के लिए तैयार घटकों के साथ ही एक समान पाठ्यक्रम रखने का प्रावधान है। शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में कुल राष्ट्रीय आय का कम से कम 6 प्रतिशत धन लगाने पर भी जोर देती है।

19.4 भारत में शिक्षा की वर्तमान स्थिति (Status of Present Education)

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। भारत एक विकासशील राष्ट्र होते हुए भी प्राथमिक शिक्षा की चुनौतियों व अवरोधों के साथ संघर्ष करते हुए सौ प्रतिशत साक्षरता तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, गरीब बच्चों को विद्यालय लाने तथा शिक्षा की गुणवत्ता ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराना कठिन था। केरल ने यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

2001 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर 64.84 प्रतिशत है। पुरुषों की साक्षरता दर 75.26 प्रतिशत तथा महिलाओं की साक्षरता दर 53.67 प्रतिशत है।

साक्षरता दर : 1951-2001 (प्रतिशत में)

वर्ष	व्यक्ति	पुरुष	स्त्रियाँ
1951	18.33	27.16	8.86
1961	28.30	40.40	15.35
1971	34.35	45.98	21.97
1981	43.57	56.38	29.78
1991	52.21	64.13	39.29
2001	64.64	75.28	53.67

19.4.1 भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की स्थिति (Status of Pre-Primary Education)

भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को यद्यपि मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है तथापि सन् 1986 में घोषित नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सैद्धान्तिक रूप में उचित स्थान मिला। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। परन्तु वास्तव में सरकारी व्यवस्थाओं के अभाव में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की स्थिति कमजोर ही है। बहुत कम संख्या में बच्चे पूर्व प्राथमिक विद्यालय की सुविधायें पाते हैं। पूर्व बाल्यकाल परिचर्या व शिक्षा (ECCE) का उत्तरदायित्व एकीकृत बाल विकास सेवा (integrated Child Development Service-ICDS) तथा आंगनवाड़ी संस्थाओं पर ही है। अधिकांश पूर्व प्राथमिक विद्यालय निजी संस्थाओं द्वारा संचालित है केवल कुछ ही केन्द्र राज्य या केन्द्र द्वारा संचालित हैं।

अधिकांश विद्यालय शहरी क्षेत्र (धनी वर्ग तक) सीमित हैं। दिसम्बर, 2005-06 तक प्राथमिक शिक्षा के कुल छात्र संख्या के 11 .22 प्रतिशत पूर्व प्राथमिक शिक्षा में नामांकित थे।

19.4.2 प्राथमिक शिक्षा की स्थिति (Status of Primary Education)

स्वतन्त्र भारत के संविधान की धारा 45 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क बनाने का संकल्प लिया गया था। इस उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिए अनेक राज्यों में प्राथमिक शिक्षा अधिनियम बनाये गए जिनमें अनेक कार्यक्रम एवं नीति निर्धारित की गई हैं।

वर्ष 2001 तक 6 से 11 आयु वर्ग में लगभग 63 प्रतिशत बालक (लड़कों में 98 प्रतिशत व लड़कियों में 65 प्रतिशत) तथा 11 से 14 आयुवर्ग में लगभग 56 प्रतिशत बालक (लड़कों में 62 प्रतिशत व लड़कियों में 32 प्रतिशत) शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। स्पष्ट है कि बालकों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का संवैधानिक लक्ष्य अभी दूर है।

शैक्षिक सत्र	**2000-01 निम्न प्राथमिक स्तर**	**उच्च प्राथमिक स्तर**
स्कूल संख्या	7 लाख	1.60 लाख
कुल छात्र संख्या	1240	450 लाख
कुल नामांकन	83 प्रतिशत (6 से 11 आयु वर्ग)	56 प्रतिशत (11 से 14 आयु वर्ग)

भारत में प्रारम्भिक शिक्षा में दाखिलों में बढ़ोतरी इस ग्राफ द्वारा स्पष्ट होती है। (भारत-2008 के अनुसार) भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा के आकड़ों के अवलोकन से निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं:-

1. विगत 50 वर्षो में प्राथमिक स्कूलों की संख्या 2 लाख से बढ़कर 7 लाख के लगभग हो गई है। अर्थात् स्कूलों की संख्या में 3.5 गुना वृद्धि हुई है। प्रतिवर्ष लगभग 10 हजार स्कूल औसत नये खुलते हैं।
2. वर्ष 1950-51 से वर्ष 2000-01 तक छात्रों की संख्या में 6.5 गुना वृद्धि हुई है। छात्र संख्या में औसत वृद्धि लगभग 21 लाख रही है।
3. वर्ष 1950-51 में 6 से 11 वर्ग की कुल जनसंख्या के केवल 43 प्रतिशत का स्कूल में नामांकन था जबकि वर्ष 1990-91 में कुल जनसंख्या का 83 प्रतिशत स्कूल में नाम लिखाता है। कक्षा 6 से 8 के आकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि-

1. विगत 50 वर्षो में मिडिल स्कूलों की संख्या 14 हजार से बढ़कर 1 लाख 60 हजार हो गई है। यह वृद्धि लगभग 11.5 गुनी है।
2. प्रत्येक वर्ष लगभग तीन हजार नये विद्यालय खुलते हैं।
3. 50 वर्षो में छात्रों की संख्या में औसत वृद्धि लगभग 7.5 लाख प्रतिवर्ष रही।
4. विद्यालय में विद्यार्थियों का नामांकन अनुपात सन् 1950-51 से 2000-01 तक 100:19 से बढ़कर 100:73 हो गया।

19.4.3. माध्यमिक शिक्षा की स्थिति (Status of Secondary Education)

माध्यमिक शिक्षा के केन्द्र माध्यमिक विद्यालय (हाई स्कूल इन्टरमीडिएट कॉलेज या हायर सैकेण्डरी स्कूल) हैं जो राज्यों के शिक्षा विभागों तथा माध्यमिक शिक्षा परिषदों के द्वारा नियन्त्रित होते हैं। वर्ष 2001 तक लगभग 1 करोड़ 70 लाख छात्र (1 करोड़ 15 लाख लड़के तथा 55 लाख लड़कियाँ) माध्यमिक स्कूलों की कक्षा 9 से 12 तक पढ़ रहे हैं। यह 14 से 17 वर्ग आयु वर्ग का मात्र 31 प्रति (लड़की के लिए 39 प्रतिशत तथा लड़कियों के लिए 23 प्रतिशत) है।

माध्यमिक शिक्षा की संख्यात्मक स्थिति

शैक्षिक सत्र	**2000-01**
माध्यमिक विद्यालय की संख्या	70 हजार
कुल छात्र संख्या	170 लाख
नामांकन का प्रतिशत (14 से 17 आयु वर्ग)	31 प्रतिशत

भारत में इस समय (2004 तक) विद्यालय शिक्षा की स्थिति इस प्रकार है-

1. **कुल माध्यमिक विद्यालय-** 1,01,777 तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय 50,272 हैं इनमें 41.05 प्रतिशत सरकारी एवं स्थानीय निकायों के हैं, 29.35 प्रतिशत निजी अनुदान प्राप्त तथा 29.60 प्रतिशत अनुदानित निजो विद्यालय हैं।
2. देश में कुल 41 परीक्षा बोर्ड हैं जिनमें दो राष्ट्रीय स्तर के हैं। (CBSE तथा CISCE Council for Indian School Certificate Examination) जिनसे क्रमश: 8300 तथा 1500 विद्यालय सम्बद्ध हैं। **भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा** के विकास की प्रवृत्ति निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होती है-
   - (i) विगत पचास वर्षो से माध्यमिक विद्यालय की संख्या 7 हजार से बढ़कर लगभग 70 हजार हो गई है।
   - (ii) इसी अवधि में छात्रों की संख्या 12 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 70 लाख हो गई है। छात्र संख्या में यह वृद्धि 14 गुनी है। प्रत्येक वर्ष औसत रूप से छात्रों की संख्या में लगभग 3 लाख की वृद्धि का संकेत है।
   - (iii) वर्ष 1950-51 में 14 से 17 आयुवर्ग की कुल जनसंख्या का मात्र 5 प्रतिशत माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहा था, जबकि वर्तमान में लगभग 31प्रतिशत बालक-बालिकाएँ माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
   - (iv) माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले लड़के-लड़कियों का अनुपात वर्ष 1950-51 में 100:16 था जो वर्तमान में सुधार कर 100:48 हो गया है। स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता के उपरान्त लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा का काफी प्रसार हुआ है।

19.4.4 भारत में उच्च शिक्षा की नीति (Policy of Higher Education)

भारत में उच्च शिक्षा स्थिति में बहुत विकास हुआ है। देश के कई उच्च शिक्षा संस्थानों की विश्वभर में अपनी विशिष्ट पहचान है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य नामांकन दर (GER) 10 प्रतिशत है। भारतीय तकनीकी शिक्षा उच्च शिक्षा के क्षेत्र की एक मजबूत कड़ी है। देश से लाखों उच्च स्तर के इंजीनियर प्रतिवर्ष डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। Times Higher World University द्वारा की गई श्रेणीकरण में भारतीय तकनीकी संस्थानों (IITs) को संसार में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दूसरे स्थान पर रखा है। सन् 2008 में टाइम्स उच्च शिक्षा सप्लीमेन्ट (THES) लन्दन द्वारा किये सर्वेक्षण में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) को सर्वोच्च 200 विश्वविद्यालयों में स्थान मिला है। JNU को सामाजिक विज्ञान संस्थानों की दृष्टि से विश्व के सर्वोच्च संस्थानों में से 57वां स्थान प्राप्त हुआ है।

इसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कानून संस्थान, भारतीय मेडिकल संस्थान (All India Institute of Medical Sciences, AIIMS) तथा Indian Institute of Medical Science IIMs को भी उच्च स्तर के संस्थानों में जाना जाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एनसीटीई तथा अखिल भारतीय शिक्षा तकनीकी संस्थान के अनुसार भारत में (109. 2007) तक विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति इस प्रकार है-

1.	कुल विश्वविद्यालय अथवा समकक्ष संस्थाएँ	— 388
2.	राज्य विश्वविद्यालय	— 221
3.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	— 24
4.	निजी विश्वविद्यालय	— 11
5.	डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय	— 114
6.	राष्ट्रीय स्तरीय संस्थाएँ	— 13
7.	राज्य विधान द्वारा स्थापित संस्थाएँ	— 5

उपरोक्त संस्थाओं में 232 (221+11) में से 161 यू.जी.सी. में पंजीकृत हैं।

1.	स्वायत्तशासी महाविद्यालय (2005 तक)	— 265
2.	एनसीटीई के अनुसार (2007 तक) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएँ	— 6306
3.	इंजीनियरिंग कॉलेज मान्यता प्राप्त (जुलाई, 2007 तक)	— 1617
4.	मेडिकल कॉलेज, भारतीय मेडिकल संस्थान	— 242

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दाखिला लेने वालों का अनुपात (सकल दाखिला अनुपात GER) 1950 में 1 प्रतिशत था जो यह 2007 में 10 प्रतिशत हो गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए यह अनुपात 15 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

विश्वविद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की निम्न प्रवृत्तियां स्पष्ट हैं-

1. गत पचास वर्षो में विश्वविद्यालयों की संख्या लगभग साढ़े तीन गुनी हो चुकी हैं।

2. विगत पचास वर्षों में लगभग 37 संस्थाओं को विश्वविद्यालय स्तर का दर्जा भी प्रदान किया गया है।
3. स्वतन्त्रता प्राप्ति के पचास वर्षो में महाविद्यालय की संख्या 14 गुनी बढ़ी है। प्रत्येक वर्ष लगभग 200 महाविद्यालय नये खुलने का औसत रहा है।
4. विगत पचास वर्षो में छात्रों की संख्या लगभग 20 गुनी हो गई है। प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख 50 हजार छात्रों की वृद्धि हुई है।

वर्तमान में छात्रों की संख्या के सम्बन्ध में स्पष्ट हैं कि-

1. स्नातक स्तर पर छात्रों की संख्या सर्वाधिक है। स्नातक, स्नातकोत्तर व अनुसन्धान का अनुपात क्रमश: 89:9:1 का है।
2. महाविद्यालय में लगभग 65 प्रतिशत छात्र अध्ययनरत हैं।
3. कुल 80 छात्रों में दो तिहाई पुरुष हैं जबकि महिलायें केवल एक तिहाई हैं।
4. कला संकाय में संख्या सर्वाधिक, फिर वाणिज्य तथा तत्पश्चात् विज्ञान संकाय के छात्रों की संख्या है।

19.5 शैक्षिक व्यय (Educational Expenditure)

शिक्षा के लिए निर्धारित योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151.20 करोड़ रूपये से बढ़कर दसवीं योजना (2002-07) में 43,825 करोड़ हो गया। सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की तुलना में शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय वर्ष 1951-52 के 0.64 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2003-04 में 3.74 प्रतिशत हो गया। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए जी.डी.पी. का 4 प्रतिशत व्यय निर्धारित किया गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित 43,825 करोड़ रूपये का योजना परिव्यय नौंवी पंचवर्षीय योजना से 1.76 गुना अधिक है। इसमें से प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को 30,000 करोड़ रूपये तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग को 15,825 करोड़ रूपये दिए गए है। (भारत-2008)

19.6 भारतीय शिक्षा के उद्देश्य (Aims of Indian Education)

कोठारी आयोग (1964-66) ने कहा था कि राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा को व्यक्तियों के जीवन की आकांक्षाओं व आवश्यकताओं से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। आयोग ने शिक्षा के निम्नांकित चार राष्ट्रीय लक्ष्य बताये-

1. शिक्षा को उत्पादन से जोड़कर आर्थिक विकास को बढ़ाना।
2. शिक्षा के द्वारा सामाजिक व राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना।
3. शिक्षा के द्वारा आधुनिकीकरण की गति को तीव्र करना।
4. शिक्षा के द्वारा आध्यात्मिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास करना।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) में शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि शिक्षा के उद्देश्य हैं-

1. लोकतन्त्र, समानता, न्याय, स्वतन्त्रता, परोपकार, धर्मनिरपेक्षता, मानवीय गरिमा व अधिकार तथा दूसरों के प्रति आदर जैसे मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का विकास।
2. विचार एवं क्रिया की आजादी उपलब्ध करना
3. नवीन स्थितियों को लचीलेपन और रचनात्मक तरीके से सामना करने की क्षमता का विकास।
4. स्वतन्त्र एवं सामूहिक रूप से सावधानीपूर्वक विचार करके मूल्य आधारित निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना।
5. लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की प्रवृत्ति का विकास करना।
6. आर्थिक प्रक्रियाओं एवं सामाजिक बदलाव में योगदान देने के लिए काम करने की क्षमता विकसित करना।

19.6.1 पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of Pre-Primary Education)

औपचारिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मूल उद्देश्य 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु के बालकों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास के उपयुक्त अवसर प्रदान करना है। अन्य उद्देश्य इस प्रकार हैं-

1. बालकों को स्वास्थ्यवर्धक वातावरण उपलब्ध कराना, जिससे उनका शारीरिक अंग संचालन व पेशीय समन्वय का विकास हो।
2. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सम्बन्धी उचित आदतों का विकास करना।
3. वांछनीय सामाजिक दृष्टिकोण व आदतें विकसित करना।
4. अच्छी वस्तुओं, व्यक्तियों, व्यवहारों की प्रशंसा करने की आदत विकसित करना।
5. अपने विचारों, संवेगों को समझने, स्वीकारने, नियन्त्रित एवं प्रदर्शित करने के योग्य बनाना अथवा संवेगात्मक परिपक्वता विकसित करना।
6. अपने वातावरण के प्रति जिज्ञासु बनाना।
7. बालकों में आत्म अभिरूचि की क्षमता विकसित करना।

19.6.2 प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of Primary Education)

कोठारी आयोग (1964-66) ने अपने प्रतिवेदन में प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों के सम्बन्ध में लिखा है कि आधुनिक प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को भावी जीवन की परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ बनाने के लिए शारीरिक तथा मानसिक प्रशिक्षण देकर उसका इस प्रकार से विकास करना है कि वह वास्तव में एक उपयोगी नागरिक बन सके।

भारतवर्ष में वर्तमान प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य बहुत स्पष्ट नहीं हैं। सामान्यत: शिक्षा के उद्देश्य बहुत व्यापक हैं इन्हें विषयगत एवं कक्षागत शिक्षण उद्देश्यों के रूप में सुस्पष्ट किया जाना चाहिए। एनसीईआरटी के द्वारा सन् 1975 में तैयार किए गए दस्तावेज, 'The Curriculum For The Ten Year School' में प्राथमिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों को निम्न प्रकार से लिखा गया है-

1. वार्तालाप के लिए प्रथम भाषा (मातृभाषा) का ज्ञान प्रदान करना।
2. व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए जोड़ घटाव, गुणा एवं भाग की योग्यता विकसित करना।
3. राष्ट्रीय प्रतीकों तथा प्रजातान्त्रिक विधियों व संस्थाओं के प्रति आदर भाव उत्पन्न करना।
4. भारत की मिली-जुली संस्कृति से परिचित कराना तथा अस्पृश्यता, जातिवाद व साम्प्रदायिकता का विरोध करना सिखाना।
5. वैज्ञानिक खोज विधि को सिखाना तथा विज्ञान एवं तकनीकी के महत्व को समझना।
6. श्रम के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करना।
7. स्वच्छता एवं स्वस्थ जीवन की आदतें विकसित करना।
8. अच्छाई तथा सौन्दर्य (कला, प्रकृति) के प्रति रूचि विकसित करना।
9. सामाजिक सहयोग की भावना का विकास करना।
10. चरित्र एवं व्यक्तित्व के वांछनीय गुणों जैसे पहल करना, नेतृत्व करना, दयालुता, ईमानदारी, सत्य आदि का विकास करना।
11. सृजनात्मक क्रियाओं द्वारा स्वतन्त्र अभिव्यक्ति की योग्यता विकसित करना।
12. स्व-अध्ययन की आदत डालना।

19.6.3 माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of Secondary Education)

मुदालियर आयोग ने (1952-53) माध्यमिक शिक्षा के द्वारा चारित्रिक गुणों के विकास, राष्ट्रीयता व धर्म निरपेक्षता की प्रगति तथा राष्ट्र की उत्पादन शक्ति में वृद्धि की आवश्यकता को ध्यान में रखकर माध्यमिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताये-

1. प्रजातान्त्रिक नागरिकता का विकास
2. व्यावसायिक कुशलता का विकास
3. व्यक्तित्व का विकास
4. नेतृत्व का प्रशिक्षण
5. देश प्रेम की भावना का विकास करना।

अत: स्पष्ट है कि माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य जहाँ एक ओर छात्र का सर्वांगीण विकास करना तथा उच्च अध्ययन के लिए तैयार करना है वहीं दूसरी ओर जीवकोपार्जन के लिए तैयार करना भी है परन्तु माध्यमिक शिक्षा इन उद्देश्यों की प्राप्ति में अनेक कारणों से असमर्थ रही है।

19.6.4 उच्च शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of Higher Education)

उच्च शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान का संकलन, खोज तथा प्रसार करना है।

सन् 1948-49 में डा. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित किए गये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताये हैं-

1. प्रजातन्त्र की सफलता के लिए कुशल नागरिक तैयार करना।

2. विभिन्न व्यवसायों, वाणिज्य, कृषि, उद्योग, राजनीति, प्रशासन आदि के लिए छात्रों को प्रशिक्षण देना।
3. छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना।
4. छात्रों में नैतिकता, सदाचार व आदर्श नागरिकता विकसित करना।
5. सभ्यता व संस्कृति का संरक्षण व प्रसार करना।
6. देश प्रेम की भावना विकसित करना।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. स्वतन्त्रता के पश्चात् शिक्षा की प्रगति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्धारण में उठाये गये विभिन्न घटनाक्रमों का उल्लेख करें।
3. भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की वर्तमान स्थिति के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को लिखें।
4. भारत में माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों का उल्लेख करें।

19.7 शिक्षा की राष्ट्रीय संरचना (National Structure of Education)

कोठारी आयोग ने सम्पूर्ण राष्ट्र में 10+2+3 की एक समान शिक्षा संरचना का सुझाव दिया, जिसमें प्रथम 10 वर्ष की सामान्य स्कूली शिक्षा, फिर 2 वर्ष की विकल्पात्मक उच्च माध्यमिक शिक्षा तथा अन्तिम 3 वर्ष की स्नातक शिक्षा की व्यवस्था रखने का प्रस्ताव किया गया था। सन् 1979 में जनता सरकार ने 8+4+3 की शिक्षा संरचना का प्रस्ताव किया। सन् 1986 में राजीव गांधी सरकार ने शिक्षा की नई राष्ट्रीय नीति की घोषणा की, इस नीति में 10+2+3 की शैक्षिक संरचना को स्वीकार किया गया। हमारी वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंग के रूप में 10+2+3 की यही शिक्षा संरचना भारत में लागू है। कई राज्यों में माध्यमिक शिक्षा की अवधि में अन्तर है जिसकी वजह से स्कूल शिक्षा की अवधि 11 से 13 वर्ष तक है। भारतीय शिक्षा की राष्ट्रीय संरचना की कुछ विशेषतायें स्पष्ट हैं:-

1. 10+2+3 शैक्षिक संरचना का उद्देश्य शैक्षिक मानकों को ऊँचा उठाना है।
2. प्रथम 10 वर्ष की शिक्षा सभी के लिए एक समान होगी। इसका उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है।
3. 10+2+3 संरचना के 10+2 स्तरों का उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना अथवा जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना है। स्पष्ट है कि +2 स्तर पर कुछ छात्रों की औपचारिक शिक्षा समाप्त हो जायेगी।
4. दस वर्ष की शिक्षा समाप्ति अर्थात् +2 स्तर पर छात्रों की क्षमता, रूचियाँ स्पष्ट हो सकेंगे अत: इस स्तर पर दो धाराएँ हो जायेगी - एक धारा छात्रों को उच्च शिक्षा में

प्रवेश के लिए तैयार करेगी जबकि दूसरी धारा छात्रों को व्यवसायोन्मुख (Vocational Bias) शिक्षा प्रदान करेगी।

5. +2 स्तर पर शैक्षिक धारा वाले छात्र इसके उपरान्त 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकेंगे।

10+2+3 शिक्षा संरचना

(10+2+3 Structured of Education)

स्तर	कक्षा	शिक्षा अवधि	आयु	पाठ्यक्रम की प्रकृति
पूर्व प्राथमिक शिक्षा (Pre-Primary Education)		एक, दो या तीन वर्ष	3 से 5 वर्ष	सामान्य 10
निम्न प्राथमिक शिक्षा (Lower Primary Education)	I,II,III, IV,V	5 वर्ष	6 से 10 वर्ष	सामान्य 10
उच्च प्राथमिक शिक्षा (Upper Primary Education)	VI,VII, VIII	3 वर्ष	11 से 13 वर्ष	सामान्य 10
निम्न माध्यमिक शिक्षा (Upper Secondary Education)	IX,X	2 वर्ष	14 से 15 वर्ष	सामान्य 10
उच्च माध्यमिक शिक्षा (Higher Secondary Education)	XI,XII	2 वर्ष	15 से 17 वर्ष	विकल्पात्मक +2
स्नातक स्तरीय शिक्षा (Graduation)	B.A,B.E. B.Tech	3 वर्ष	18 से 20-21 वर्ष	विकल्पात्मक+3
स्नातकोत्तर (Post Graduate)	B.Ed.,M.Ed.,P.G. M.E., M.Tech.	2 वर्ष	21-23 तक	विकल्पात्मक
अनुसंधान (Research)	Ph.D., MPhil, M.S./M.D.	27 वर्ष तक		

19.8 शिक्षा का माध्यम (Medium of Instruction)

भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची के अनुसार देश में 18 प्रमुख भाषाएं हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा के माध्यम अथवा सरकारी कामकाज की भाषा के सम्बन्ध में विवाद उठ खड़ा होना स्वाभाविक है। स्वतन्त्रता के उपरान्त संविधान के अनुच्छेद 351 में हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया, परन्तु हिन्दी शिक्षा के माध्यम के रूप में अनेक कारणों से स्थापित नहीं हो पाई। अनेक राज्यों में माध्यमिक स्तर पर तथा अधिकांश राज्यों में उच्च स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही बनी हुई है।

लगभग सभी समितियों एवं आयोगों ने शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही बनाने का सुझाव दिया है। तार्किक दृष्टि से प्राथमिक स्तर पर प्रादेशिक भाषा तथा उच्च स्तर पर राष्ट्रभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 में भी विश्वविद्यालय स्तर पर आधुनिक भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप

में अपनाने पर बल दिया है। इसके साथ ही माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र को लागू करने का दायित्व राज्य सरकारों को दिया गया है। स्पष्ट है-

1. मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा
2. अंग्रेजी या अन्य कोई आधुनिक विदेशी भाषा
3. अहिन्दी भाषी क्षेत्र में हिन्दी तथा हिन्दी भाषी क्षेत्र में अन्य कोई आधुनिक भारतीय भाषा।

19.9 मूल्य शिक्षा (Value Education)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में संशोधित) तथा कार्ययोजना 1992 में सामाजिक एवं चारित्रिक मूल्यों का विकास करने के लिए शिक्षा को एक प्रभावपूर्ण उपकरणों बनाने की आवश्यकता को उजागर करके मूल्य आधारित शिक्षा पर पर्याप्त जोर दिया है।

भारतीय संविधान में सर्वधर्म सम्मत शिक्षा की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 28 (1, 2 तथा 3) में प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है परन्तु भारत में धार्मिक शिक्षा की पूर्ण स्वतन्त्रता है। नैतिक शिक्षा भारतीय शिक्षा के मूल में ही निहित है। नैतिक मूल्यों एवं सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा प्राथमिक स्तर पर अनौपचारिक एवं औपचारिक पाठ्यक्रम का अंग है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य पूरे करने के उद्देश्यों से शिक्षा में सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों का संवर्धन करने के लिए सहायता देने की एक केन्द्रीय योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रौद्योगिक एवं प्रबन्धन शिक्षा सहित शिक्षा प्राथमिक शिक्षा प्रणाली से उच्च शिक्षा तक सांस्कृतिक एवं नैतिक (चारित्रिक) शिक्षा के उन्नयन हेतु सरकारी और गैर सरकारी विभागों, पंचायतीराज संस्थाओं को शत-प्रतिशत अनुदान सहायता दी जाती है और इस सहायता की सीमा 10 लाख रूपये है। इस योजना को अधिक सशक्त बनाया गया है। इसमें संस्कृति एवं मूल्य शिक्षा को सशक्त बनाने तथा सेवारत प्रशिक्षण में कला, क्राफ्ट, संगीत, नृत्य इत्यादि को भी सशक्त बनाने का प्रयास किया जाता है।

19.10 स्त्री शिक्षा (Women Education)

भारत में स्त्रियों की स्थिति में आये परिवर्तन का क्षेय स्त्री शिक्षा के प्रसार को जाता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1988 में शिक्षा को स्त्रियों के स्तर (Status) में मूलभूत परिवर्तन लाने के साधन के रूप में प्रयुक्त किया गया। इस हेतु चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों का परिणाम यह रहा कि महिला साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। सन् 1991 की 39.29 प्रतिशत साक्षरता दर सन् 2001 में 53.61 प्रतिशत हुई है।

देश में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु चलाये गये मुख्य कार्यक्रम एवं विशेषतायें इस प्रकार है:-

1. भारत में स्त्री शिक्षा के लिए चलाए जाने वाले पाठ्यक्रम पुरुषों के समान ही हैं।

2. सहशिक्षा का प्रचलन कम है अत: पृथक कन्या माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गई है।
3. कई राज्यों में लड़कियों के लिए निःशुल्क प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था है।
4. अनौपचारिक शिक्षा में राज्य के 40 प्रतिशत अनौपचारिक केन्द्रों तथा 10 प्रतिशत केन्द्रीय एनएफसी में केवल लड़कियों को ही शिक्षा दी जाती है।
5. इंजीनियरिंग, चिकित्सा तथा अन्य कई व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्रों में 30 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है।
6. नवोदय एवं केन्द्रीय विद्यालय में कुल छात्र संख्या का एक तिहाई छात्राओं के लिए आरक्षित है तथा इनमें कक्षा 12 तक छात्राओं की शिक्षा निःशुल्क है।
7. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर यूजीसी द्वारा अनुसन्धान प्रायोजनाओं हेतु छात्राओं को सहायता राशि प्रदान की जाती है। यूजीसी द्वारा 22 विश्वविद्यालयों तथा 11महाविद्यालय को महिला अध्ययन सेल स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
8. तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थानों में भी छात्राओं के नामांकन का प्रतिशत बढ़ा है।
9. सन् 2001 की जनगणना के अनुसार देश के या जिलों में महिला साक्षरता दर 30 प्रतिशत से नीचे थी। इन जिलों में विशेष प्रवर्तित कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं। उड़ीसा के 9 जिलों व झारखण्ड के 5 जिलों को प्रवर्तित महिला साक्षरता कार्यक्रम में शामिल किया गया है।
10. महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 'महिला समाख्या कार्यक्रम - सन् 1989' में 38 जिलों के करीब 5,500 गांवों में आरम्भ किया गया।
11. अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं के लिए देश के दुर्गम क्षेत्रों में 750 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए हैं।

आज भारत में स्त्रियों को समान शैक्षिक अवसर प्राप्त हैं। विभिन्न स्तरों पर छात्राओं का नामांकन हो रहा है। यद्यपि यह प्रतिशत छात्रों की अपेक्षा कम है। अत: स्त्री शिक्षा की स्थिति को सन्तोषप्रद नहीं कहा जा सकता। शैक्षिक अवसरों में समानता का अभाव, लड़कियों की शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, अपव्यय व अवरोधन का अधिक होना, पाठ्यक्रम का दोषपूर्ण होना, अध्यापिकाओं का अभाव तथा लड़कियों के लिए व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा की कमी आदि समस्याओं के कारण स्त्री शिक्षा की स्थिति सन्तोषपद्र नहीं है।

विभिन्न शिक्षा स्तरों पर कुल नामांकन में छात्राओं का प्रतिशत इन सारणियों में दिए तथ्यों से स्पष्ट है-

विभिन्न शिक्षा स्तरों पर स्कूल नामांकन में छात्राओं का प्रवेश

क्षेत्र	**कक्षा एक से 5 तक**	**6-8**	**9-10**
ग्रामीण क्षेत्र	40%	32%	28%
शहरी क्षेत्र	45%	42%	37%

कुल	41%	35%	32%
कुल लड़कियों की जनसंख्या में नामांकित छात्राओं का प्रतिशत			
कक्षा 1-5 तक (6-11 आयु वर्ग)		**कक्षा 6-8 तक (11-14 आयु वर्ग)**	**कक्षा 9-10 (15-16)**
70%		36%	20%

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. शिक्षा की राष्ट्रीय संरचना की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए।
2. भारत में 'त्रिभाषा सूत्र' को स्पष्ट कीजिए।
3. विद्यालय में नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा क्यों आवश्यक है?
4. भारत में स्त्री शिक्षा की सुदृढ़ करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रावधान किए गए हैं?

19.11 शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन (Educational and Vocational Guidance)

निर्देशन से तात्पर्य व्यक्ति को निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने से है। निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को उसकी योग्यताओं का ज्ञान कराकर उनके अनुरूप शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों की जानकारी प्रदान करना है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति की वर्तमान जटिल परिस्थितियों में निर्देशन अत्यन्त आवश्यक है।

स्वतन्त्रता के उपरान्त गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा शिक्षा आयोग ने निर्देशन के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे। इन सुझावों के फलस्वरूप शिक्षा संस्थाओं में निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था करने के प्रयासों को तीव्र गति मिली। परन्तु वास्तव में विद्यालय में निर्देशन सेवाओं की व्यावहारिक स्थिति सन्तोषप्रद नहीं कही जा सकती।

अनेक शिक्षा संस्थाओं द्वारा निर्देशन मनोविज्ञान की शाखायें खोली जा चुकी हैं तथा शैक्षिक व व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना भी की गई है। विद्यालय में निर्देशन समिति का गठन, निर्देशन कक्ष / कार्नर की स्थापना, केरियर साहित्य का संकलन एवं केरियर वार्ताओं का आयोजन, केरियर-डे का आयोजन करना, रोजगार सूचनाओं का संकलन, निर्देशन पट्ट पर सूचनाओं का प्रसारण तथा पाठ्यक्रम, विषय, व्यवसाय चयन में सहायता करना इत्यादि कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

विश्वविद्यालयी स्तर पर भी शैक्षिक एवं परामर्श हेतु मनोविज्ञान विभाग द्वारा विशेष कक्षों / ब्यूरो इत्यादि खोले गए हैं। समय-समय पर सेमिनार, कार्यशालाओं एवं केरियर मार्गदर्शन मेलों के आयोजन द्वारा भी व्यावसायिक निर्देशन दिये जाने की व्यवस्था है।

19.12 शैक्षिक प्रशासन (Educational Administration)

शैक्षिक प्रशासन से तात्पर्य शैक्षिक प्रक्रियाओं के संचालन तथा नियन्त्रण करने से है। शैक्षिक प्रशासन प्रक्रिया के अंतर्गत निर्णयन, नियोजन, संगठन, सम्प्रेषण, निर्देशन, समन्वयन, प्रतिवेदन, आय-व्यय तथा मूल्यांकन की क्रियायें आती हैं।

भारत में शैक्षिक प्रशासन निम्नांकित तीन स्तरों पर संचालित होता है-

(i) केन्द्र स्तर

(ii) राज्य स्तर

(iii) स्थानीय स्तर

(i) केन्द्र स्तर - सन् 1947 में भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात् कतिपय प्रावधानों को छोड़कर शिक्षा को संविधान की राज्य सूची में रखकर इसे राज्य का उत्तरदायित्व स्वीकार किया गया। परन्तु सन् 1977 में शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया।

भारतीय संविधान के आधार पर केन्द्र के शिक्षा संबंधी कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं-

(i) राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं का प्रशासन, नियन्त्रण एवं वित्तीय पोषण।

(ii) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का वित्तीय पोषण तथा निरीक्षण।

(iii) उच्च शिक्षा, अनुसंधान तथा वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा का समन्वय तथा उनके स्तर का निर्धारण।

(iv) निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के संकल्प की प्राप्ति हेतु प्रयास।

(v) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में समन्वय करना।

(vi) अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सम्पर्क

(vii) हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का विकास करना।

(viii) शैक्षिक सूचनाओं का संकलन व प्रसार।

(ix) अल्पसंख्यकों की संस्कृति का संरक्षण।

(x) उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्तियों का प्रबन्ध।

पहले केन्द्र में शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा मंत्री पर शिक्षा का उत्तरदायित्व था परन्तु 1985 में एक नये मंत्रालय 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' का गठन किया गया। केन्द्र में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development - MHRD) का एक विभाग शिक्षा-विभाग है । यह मंत्रालय का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग माना जाता है । शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है । केन्द्र सरकार राज्यों को शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक परामर्श देती है तथा उनका मार्गदर्शन करती है । शैक्षिक विकास की योजनायें बनाने तथा उनके क्रियान्वयन में केन्द्र महत्वपूर्ण योगदान करता है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित विभिन्न निकायें भारत सरकार को अपने शैक्षिक दायित्वों की पूर्ति करने में सहायता करती है, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण निकायें इस प्रकार हैं-

केन्द्र स्तर

↓

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD)

↓

शिक्षा विभाग

↓

निकाएँ

↓

1. केन्द्रीय शैक्षिक परामर्शदाता मंडल (Central Advisory Board of Education)
2. अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् (All India Council for Elementary Education)
3. अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् (All India Council for Secondary Education)
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission)
5. अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् (All India council for Technical Education)
6. राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद् (National Council for Rural Higher Education)
7. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (National Council for Educational Research and Training-NCERT)
8. समाज कल्याण मंडल (Central Social Welfare Board)
9. वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् (Council of Scientific and Industrial Research)
10. राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान (National Institute of Educational Planning and Administration-NIEPA) संशोधित नाम - NUEPA)
11. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (National Council for Teacher Education-NCTE)

(ii) **राज्य स्तर -** विभिन्न राज्यों में शिक्षा मंत्री के अधीन होता है। शिक्षा विभाग के दो प्रमुख अंग शिक्षा सचिवालय तथा शिक्षा निदेशालय होते हैं। इसे निम्नानुसार समझा जा सकता है।

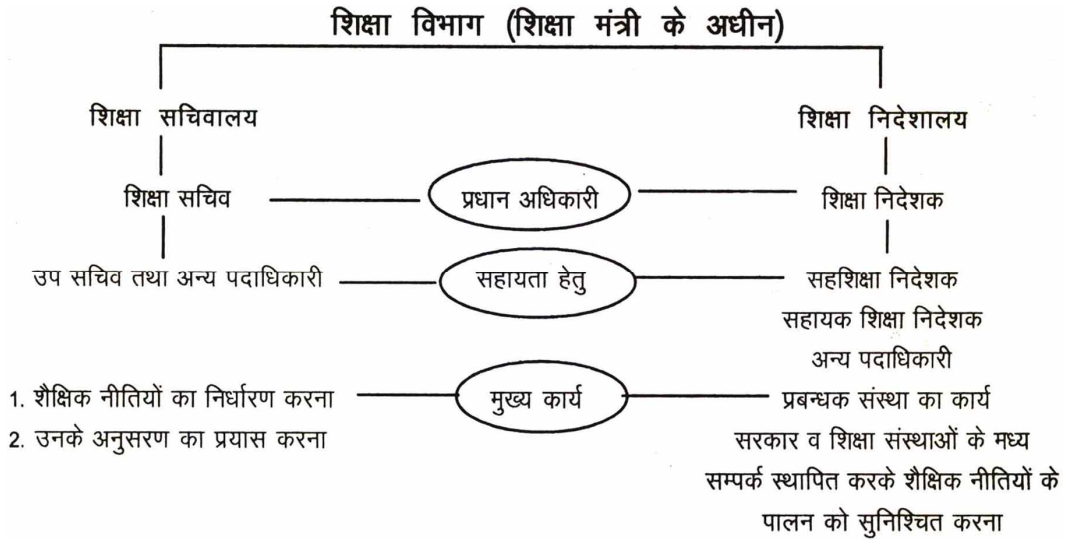

राज्य में जिला स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं विश्वविद्यालय यद्यपि पृथक रूप से कार्य करते हैं परन्तु दो बातों पर वे राज्य सरकार पर निर्भर होते हैं

(i) विश्वविद्यालयों का संगठन राज्य सरकार द्वारा पारित अधिनियम के आधार पर होता है।

(ii) विश्वविद्यालयों को आर्थिक सहायता राज्यों से ही प्राप्त होती है।

(iii) स्थानीय स्तर - स्थानीय स्तर के शैक्षिक प्रशासन का सम्बन्ध मुख्यत: प्राथमिक शिक्षा से होता है।

स्थानीय स्तर

↓

प्राथमिक शिक्षा

जिला परिषदें		**नगरपालिका**
जिला उपनिरीक्षक		शिक्षा अध्यक्ष
सह उपनिरीक्षक		मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए
पंचायत समिति	शिक्षा प्रसार अधिकारी	सह उपनिरीक्षक
जिला परियोजना अधिकारी (प्रौढ़ शिक्षा)	सहायक क्षेत्र विकास अधिकारी	

जिला परिषदें तथा नगर पालिकायें जैसी स्थानीय संस्थायें प्राथमिक शिक्षा का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व वहन करती हैं। ये स्थानीय संस्थायें अपने शिक्षा-विभाग द्वारा शिक्षा का नियन्त्रण करती हैं। विद्यालय को आर्थिक सहायता देना तथा उनकी प्रबन्ध सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करना इनका प्रमुख दायित्व होता है।

19.13 विशिष्टताएँ (Special Features)

राष्ट्र के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर मिल सकें, राष्ट्र इसके प्रति संकल्पबद्ध है। भारत में शिक्षा को देश की परिस्थितियों के अनुरूप बनाने, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क बनाने तथा सभी को समान एवं उत्कृष्ट शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए अनेकों प्रयास किये गये हैं।

शिक्षा का सर्वव्यापीकरण या सार्वजनीकरण (Universalisation of Education)

प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में संविधान के संकल्प को पूरा करने के लिए तथा प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के लिए तीन मुख्य कदम सरकार द्वारा लिए गए सुविधाओं का सर्वव्यापीकरण, नामांकन तथा विद्यालय में ठहराव का सर्वव्यापीकरण। इस हेतु केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा अनेकों योजनाएँ चलाई गई, इनमें से कुछ निम्न हैं-

- सर्वशिक्षा अभियान
- लोक जुम्बिश योजना
- अनौपचारिक शिक्षा
- शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं का उच्चीकरण (CTEs & IASEs)
- शिक्षा का माध्यमिक स्तर पर व्यावसायीकरण
- असमर्थ बालकों के लिए समन्वित शिक्षा
- मूल्य संस्कृति शिक्षा का प्रावधान
- कम्प्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन की व्यवस्था
- विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा का अभिविन्यास
- राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा अभियान
- राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना
- शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय एवार्ड योजना
- अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यकों की शिक्षा
- राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

उपरोक्त में से विद्यालयी स्तर के लिए किये गए प्रयासों एवं योजनाओं का विवरण इकाई-23 में दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर के कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा प्रावधान, जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं हैं, का संक्षिप्त उल्लेख यहां किया गया है-

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन - इस मिशन की स्थापना मई 1988 में की गई थी। इसका उद्देश्य 2007 तक 15 से 35 वर्ष तक के आयुवर्ग के उत्पादन और पुनरोत्पादक समूह के निरक्षर लोगों को व्यावहारिक साक्षरता प्रदान करते हुए 75 प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य हासिल करना है।

इस समय सम्पूर्ण साक्षरता अभियान देश के 110 जिलों में लागू है जबकि साक्षरता पश्चात् कार्यक्रम 177 जिलों में क्रियान्वित है।

सतत् शिक्षा योजना के तहत नवसाक्षर लोगों को आगे अधिगम के अवसर उपलब्ध कराने के लिए अनवरत शिक्षा केन्द्रों की स्थापना पर मुख्य जोर दिया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 310 जिले शामिल किए जा चुके हैं।

निर्बल वर्गों की शिक्षा (Education of Weaker Sections)- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (4), 46, 335, 338, 339, 340, 341 तथा 342 में अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जातियों की साक्षरता दर अन्य वर्गो की तुलना में काफी कम क्रमश: 22 प्रतिशत, 17 प्रतिशत तथा 41 प्रतिशत है। निर्बल वर्गो में महिलाओं की साक्षरता दर तो और भी कम है। नामांकन दर व स्कूल छोड़ने की दरें भी बहुत कम हैं।

अत: भारत में अनुसूचित जाति की शिक्षा के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं जैसे-

- निःशुल्क शिक्षा तथा पुस्तकीय सहायता
- विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु तथा रोजगार हेतु आरक्षण
- प्रवेश परीक्षाओं में अर्ह होने के लिए प्राप्तांकों में छूट
- विधानसभा तथा लोकसभा में जन प्रतिनिधि पदों का आरक्षण
- अस्पृश्यता निवारक अधिनियम द्वारा सवर्णों पर नियन्त्रण
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-86 में अनुशंसित सुझावों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों हेतु छात्रवृत्तियां, पुस्तक बैंक, छात्रावास सुविधा, कोचिंग सुविधा, प्रौढ़ शिक्षा/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र तथा उपचारात्मक शिक्षण केन्द्रों की स्थापना जैसी व्यवस्थाएं भी की गई हैं।

अल्पसंख्यकों की शिक्षा (Education of Minorities)- भारत की जनसंख्या का लगभग 8 प्रतिशत धार्मिक दृष्टि से अल्पसंख्यक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 तथा 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति का संरक्षण करने तथा अपनी पसन्द की शिक्षा संस्था स्थापित करने के लिए अधिकार दिये गए हैं। वर्तमान में अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए कई कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं जैसे- प्रतियोगात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग कक्षायें, अल्पसंख्यक बहुत क्षेत्रों में सामुदायिक पॉलिटेक्नीक, अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थाओं की मान्यता हेतु दिशा-निर्देश तथा पाठ्य-पुस्तकों की समीक्षा इत्यादि।

विशिष्ट शिक्षा (Special Education)- विद्यालय में सामान्य बालकों से हटकर विशिष्ट बालकों जैसे प्रतिभाशाली, मन्द बुद्धि, पिछड़े बालक, शारीरिक दृष्टि से दोषयुक्त तथा समस्यात्मक बालकों की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 के कार्यान्वयन (POA) कार्यक्रम-1992 में विशेष प्रावधान रखे गये हैं-

- एकीकृत शिक्षा (Integrated Education), विशेष विद्यालय (Special Schools), व्यावसायिक प्रशिक्षण, अध्यापकों का अभिनवीकरण एवं प्रशिक्षण, शैक्षिक प्रशासकों का प्रशिक्षण,विशिष्ट अध्यापक, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन

कर्मी, पाठ्यवस्तु में सुधार, जनसंचार का उपयोग तथा विशिष्ट अधिगम सामग्री तथा उपकरण इत्यादि की व्यवस्था।

वर्तमान में MHRD तथा कल्याण मन्त्रालय (MW) के तत्वावधान में कल्याण एवं शिक्षा की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार 5-14 आयुवर्ग के लगभग एक करोड़ पचास हजार बालक-बालिकाओं को विशेष शैक्षिक प्रावधान की आवश्यकता है।

अनौपचारिक शिक्षा (Non Formal Education - NFE) - भारत सरकार के शिक्षा-विभाग द्वारा 1979-80 में 6-14 वर्ष के उन बच्चों के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया जो नियमित विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे। इनमें विद्यालय छोड़ने वाले, दूरस्थ ग्रामीण, पिछड़े इलाकों वाले, जनजाति, पहाड़ी, शैक्षिक पिछड़े बच्चों की शिक्षा को मुख्य लक्ष्य बनाया गया। अभी 25 राज्यों में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में यह कार्यक्रम चल रहा है।

सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP) में औपचारिक शिक्षा को विशेष बल दिया गया है।

राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा प्रायोजना (National Population Education Project)- भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा एनसीईआरटी के द्वारा 1980 में जनसंख्या शिक्षा के प्रति जागरूकता बढाने के लिए इस प्रायोजना को विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में आरम्भ किया गया। प्रायोजना के चतुर्थ चरण में विद्यालय एवं शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में किशोरावस्था शिक्षा, एचआईवी / एड्स की शिक्षा को भी लागू कर दिया गया है।

19.14 नवीन प्रवृत्तियाँ (New Trends)

देश में शिक्षा सम्बंधी विभिन्न योजनाओं द्वारा शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है।

फरवरी, 2007-08 में प्रस्तुत केन्द्रीय बजट में शिक्षा हेतु प्रावधान है कि-

1. सर्वशिक्षा अभियान और मध्यान्ह भोजन व्यवस्था के लिए आवंटन 35 फीसदी से बढ़ाकर, 23, 142 करोड़ रूपये किया।
2. अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए 250 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया।
3. अगले वर्ष यानि 2008-09 में दो लाख और अध्यापकों की नियुक्ति एवं पांच लाख अतिरिक्त कक्षों के निर्माण का प्रावधान किय गया।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. विद्यालय एवं महाविद्यालय में शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता एवं वर्तमान स्थिति को स्पष्ट कीजिए।
2. भारत की शैक्षिक व्यवस्था में केन्द्र की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।
3. भारत की शिक्षा में राज्य सरकारों का अधिकार क्या हैं?

4. भारतीय शिक्षा की किन्ही चार विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए।
5. भारत में शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रयासों की सूची बनाइए।

19.15 सारांश (Summary)

प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचारधारा को पोषित करने की दृष्टि से राष्ट्र के समस्त नागरिकों का सर्वांगीण विकास शिक्षा से ही सम्भव है। भारतीय शिक्षा का वर्तमान स्वरूप इसकी भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संरचना, ऐतिहासिक एवं राजनीतिक संरचना की देन है। वर्तमान भारतीय शिक्षा का अध्ययन करने, इसकी ज्वलन्त समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भारतीय शिक्षा का इतिहास सहायता करता है। भारत में शिक्षा का लम्बा इतिहास है। देश की आवश्यकता, परिस्थितियों की मांग के फलस्वरूप शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन होते रहे हैं एवं निरन्तर हो रहे हैं।

भारतीय शिक्षा में अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तनों की घोषणा की गई। विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के विकास व विस्तार के प्रयास किए गए। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क बनाने का संकल्प लिया गया। पिछड़े वर्गो एवं महिलाओं की शिक्षा के विकास पर बल दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास किया गया तथा 10+2+3 की शिक्षा संरचना को अपनाने पर बल दिया गया।

वर्तमान में भी भारतीय शिक्षा व्यवस्था में विभिन्न योजनाओं द्वारा संख्यात्मक एवं गुणात्मक विकास एवं सुधार करने के प्रयास निरन्तर किए जा रहे हैं।

19.16 सन्दर्भ सूची (References)

1. Aggarwal, J.C.: **Landmarks in the History of Modern Indian Education** (1994), Vikas Publishing Pvt. Ltd., Jangura, Delhi.
2. Biswas A. and Aggarwal. S.P.: **'Development of Education in India,** 1986, Concept Publishing Company, New Delhi.
3. Sharma, R.N.: **Comparative Education,** Surjeet Publications, Delhi,2002.
4. Gupta, S.p.: History, **Development and Problems of Indian Education (Hindi)** Sharda Pustak Bhawan, Allahabad,2007.
5. Agrawal, J.C.: **Landmarks in the History of Modern Indian Education,** Vani books, Delhi.
6. Choubey, S.P. & Pandey Ram Sakal : **Development of Education in India (Hindi),** Central Book Depot, Allahabad.
7. Pandey. R.S. : **भारतीय शिक्षा की समस्याऐं,** आगरा
8. Biswas, A. and Aggarwal, J.C. : **Comparative Education.**

9. Khan, M.A. : **Modern Comparative Education,** Anmol Publication Pvt. Ltd., New Delhi, 2004

10. Kaushik, S.L. & Beejamal K.G. : **तुलनात्मक शिक्षा,** राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर (1989)

प्रतिवेदन (Reports)

भारत सरकार द्वारा प्रकाशित-

- नेशनल पॉलिसी ऑन एजूकेशन, 1968
- नेशनल पॉलिसी ऑन एजूकेशन, 1966
- प्रोग्राम ऑफ एक्शन : नेशनल पॉलिसी ऑन एजूकेशन, 1986
- प्रोग्राम ऑफ एक्शन NEP - 1992
- नेशनल कौंसिल फॉर टीचर एजूकेशन एक्ट, 1993

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित -

- The curriculum for the Ten Year school : A framework, 1975.
- Teacher Education Curriculum : A Framework, 1978
- National Curriculum for Elementary and Secondary Education : A Framework, 1985.
- National Curriculum Framework-2005

Web-sites-

MHRD-Secondary Education.

UGC-Higher Education

NAAC

इकाई - 20

भारत में विद्यालयी शिक्षा

(School Education in India)

20.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of the Unit)

20.1 विषय प्रवेश (Introduction)

20.2 विद्यालयी शिक्षा की संरचना (Structure of School Education)

20.3 विद्यालय के प्रकार (Types of Schools)

20.4 पाठ्यक्रम (Curriculum)

20.5 प्रवेश प्रक्रिया (Admission Process)

20.6 शुल्क (Fees)

20.7 शिक्षण विधियाँ एवं उपागम (Teaching Methods and Approaches)

20.8 शैक्षिक तकनीकी (ET)

20.9 मूल्यांकन (Evaluation)

20.10 दूरस्थ एवं अनवरत शिक्षा (Distance and Continuing Education)

20.11 अनुसन्धान (Research)

20.12 अध्यापक शिक्षा (Teacher Education)

20.13 प्रशासन (Administration)

20.14 महत्वपूर्ण संस्थाएं (Important Agencies)

20.15 वित्तीय व्यवस्था (Finance System)

20.16 समस्याएँ (Problems)

20.17 सरकार की योजनाएँ (Govt. Projects)

20.18 नवीन प्रवृत्तियाँ (New Trends)

20.19 सारांश (Summary)

20.20 सन्दर्भ सूची (Reference)

20.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of the Unit)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आपमें इन क्षमताओं का विकास हो सकेगा कि आप-

1. भारतीय विद्यालयी शिक्षा की संरचना को समझ सकें।
2. विद्यालयी के विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कर सकें।
3. भारत की विद्यालयी शिक्षा की प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क, शिक्षण विधियों की जानकारी प्राप्त कर सकें।
4. भारत में विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी की आवश्यकता एवं प्रयोगों को जान सकें।

5. भारत में विद्यालयी शिक्षा की मूल्यांकन प्रविधियों एवं विशेषताओं को स्पष्ट कर सकें। विद्यालय में दूरस्थ एवं अनवरत शिक्षा के अनुप्रयोगों तथा अनुसन्धान की स्थिति को स्पष्ट कर सकें।
6. विद्यालय में दूरस्थ एवं अनवरत शिक्षा के अनुप्रयोगों तथा अनुसन्धान की स्थिति को स्पष्ट कर सकें।
7. भारत में विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों की सेवापूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थिति जान सकें।
8. भारत में विद्यालय शिक्षा के प्रशासन, नियन्त्रण, निरीक्षण तथा उन्नयन में सहयोग देने वाली संस्थाओं एवं विभागों की भूमिका को स्पष्ट कर सकें।
9. भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा में आने वाली समस्याओं एवं केन्द्र व राज्य सरकार के प्रयासों को समझ सकें।

20.1 प्रस्तावना (Introduction)

भारत में विद्यालयी शिक्षा की चार अवस्थाएँ पाई जाती हैं- प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा। शिक्षा की राष्ट्रीय संरचना में 10+2 प्रतिरूप में कुल 12 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा होती है। प्रारम्भिक 10 वर्षो की शिक्षा में विभिन्न राज्यों में शिक्षा के प्रतिरूपों में मामूली अन्तर भी पाया जाता है। भारत सरकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की सार्वभौमिक अनिवार्य शिक्षा के लिए कृत संकल्प है।

20.2 विद्यालयी शिक्षा की संरचना (Structure of School Education)

भारत में औपचारिक विद्यालयी शिक्षा 12 वर्ष की है। इसे इस रेखाचित्र द्वारा समझा जा सकता है-

विद्यालयी शिक्षा की संरचना

Structure of School Education

क्र.सं.	स्तर	अवधि	कक्षा
1.	पूर्व प्राथमिक शिक्षा (अनौपचारिक) (Pre-Primary Education)	1 से 3 वर्ष	नर्सरी पूर्व प्राथमिक बुनियादी किण्डरगार्टन माण्टेसरी
2.	प्राथमिक शिक्षा (Primary Education) (1) निम्न प्राथमिक शिक्षा (Lower Primary Education) (2) उच्च प्राथमिक शिक्षा	 5 वर्ष 3 वर्ष	 कक्षा 1 से पाँच कक्षा 6, 7व 8

	(Upper Primary Education)		
3.	माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education) (1) निम्न माध्यमिक शिक्षा (Lower Secondary Education) (2) उच्च माध्यमिक शिक्षा (Higher Secondary Education (हाईस्कूल, इण्टरमिडियट, प्री-प्रोफशनल).	 2 वर्ष 2 वर्ष	 9,10 11,12

20.2.1 प्रारम्भिक शिक्षा)Elementary Education)

प्रारम्भिक शिक्षा को दो पूर्व प्राथमिक स्तर तथा प्राथमिक स्तर में बाँटा जा सकता है-

(अ) पूर्व प्राथमिक शिक्षा (Pre-Primary Education)- पूर्व प्राथमिक शिक्षा का तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा से पूर्व की शिक्षा है दूसरे शब्दों में बालक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में प्रवेश से पूर्व जो भी शिक्षा प्राप्त करता है वह पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहलाती है। वास्तव में यह शिक्षा माता के गर्भधारण से आरम्भ होकर बालक की आयु के 5 या 6 वर्ष तक चलती है।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा के स्वरूप- भारत में पूर्व प्राथमिक स्तर पर विभिन्न स्वरूप प्रचलित हैं-

(i) क्रेश (Creche)- साधारणत: 6 मास से 3 वर्ष के बच्चों के लिए यह दिवस परिचर्या केन्द्र (Day Care Centers) के रूप में कार्य करते हैं। यह स्वरूप शहरी क्षेत्रों के धनी वर्ग तक सीमित है।

(ii) किन्डरगार्डन (Kindergarten) - किन्डरगार्डन भी दो स्तर पर चलते हैं-

- निम्न किन्डर गार्डन- (LKG) - 3 से 4 वर्ष के बच्चों हेतु।
- उच्च किन्डरगार्डन - (UKG) - 4 से 5 वर्ष के बच्चों हेतु।

(iii) मोन्टेसरी स्कूल- सामान्यत: 3 से 5 वर्ष के बच्चों हेतु मोन्टेसरी पद्धति पर आधारित विद्यालय चलाये जाते हैं। इसमें व्यक्तिगतता स्वतन्त्रता, स्व शिक्षा को आधार बनाकर बालक की अन्तर्दृष्टि, इन्द्रियों तथा शारीरिक अंगों के प्रशिक्षण ध्यान दिया जाता है।

(iv) नर्सरी स्कूल (Nursery School)) - कई संस्थाओं द्वारा विशिष्ट नर्सरी कक्षायें चलाई जाती हैं । 2-21/2 वर्ष के बच्चों से लेकर 6 साल तक के बालकों की भाषायी एवं गणितीय योग्यताओं का विकास कर उन्हें प्राथमिक स्कूल हेतु तैयार किया जाता है। यहां छोटे पौधे की तरह बालक की विशेष देखभाल, स्वच्छ व स्वच्छंद शैक्षिक वातावरण- प्रेम व सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है।

(v) पूर्व बेसिक स्कूल (Pre Basic School)- ये स्कूल महात्मा गांधी के द्वारा प्रतिपादित बेसिक शिक्षा के सिद्धान्तों पर आधारित हैं। प्राय: 21/2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा यहाँ दी जाती है।

(ब) प्राथमिक शिक्षा (Primary Education)- औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के प्रथम स्तर को प्राथमिक शिक्षा स्तर कहा जाता है। यह बालक की आयु के 6 या 7 वर्ष से 14 वर्ष तक की शिक्षा व्यवस्था है। यह कक्षा 7 से 8 तक का स्तर है। इसे दो स्तरों में बाँटा जा सकता है-

(i) निम्न प्राथमिक (Lower Primary) - कक्षा 1 से 5 तक कक्षा 6 से 11 वर्ष आयुवर्ग।

(ii) उच्च प्राथमिक (Upper Primary) - कक्षा 6 से 8 तक तथा आयु वर्ग 11 से 14 वर्ष तक।

20.2.2 माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education)

औपचारिक शिक्षा के माध्यमिक शिक्षा स्तर के दो भागों में बांटा जा सकता है-

(i) निम्न माध्यमिक शिक्षा जो कक्षा 9 तथा 10 की शिक्षा है।

(ii) उच्च माध्यमिक शिक्षा (Higher Secondary Education) जिसमें कक्षा 11 एवं 12 की शिक्षा सम्मिलित है। सन् 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कक्षा व 11 एवं 12 की शिक्षा को स्कूल शिक्षा क्रम में समाहित किया है। माध्यमिक शिक्षा के उपरान्त ही बालक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करता है। माध्यमिक शिक्षा सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है। यह उच्च शिक्षा तथा तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा की गुणात्मकता को भी प्रभावित करती है।

माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप (Structure)- माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की संरचना के दो स्तर हैं-

(अ) निम्न माध्यमिक स्तर- कक्षा 9 एवं 10, हायर सैकेण्डरी स्कूल।

(ब) उच्च माध्यमिक स्तर- कक्षा 11 एवं 12, इन्टरमीडिएट कॉलेज या सीनियर हायर सैकेण्डरी

देशभर में माध्यमिक स्तर पर निम्न स्वरूप प्रचलित हैं-

(i) उच्च प्राथमिक/मिडिल स्कूल

(ii) माध्यमिक विद्यालय

(iii) उच्च माध्यमिक विद्यालय

(iv) इन्टरमीडिएट कॉलेज

(v) व्यावसायिक कॉलेज

(vi) टेक्नीकल संस्थान

(vii) पॉलीटेक्नीक

उपरोक्त विद्यालयी स्वरूपों में विद्यार्थी देश में विभिन्न प्रकार के बोर्ड में पंजीयन कराते हैं-

(i) राज्य सरकार बोर्ड (SSLC) - जिसमें अधिकांश छात्र नामांकित होते हैं।

(ii) केन्द्र सरकार बोर्ड के विद्यालय - (CBSE)

(iii) भारतीय स्कूल प्रमाण-पत्र परिषद - (Council for Indian School Certificate-CISCE)

(iv) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय - (National Open School)

(v) अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालय - (International School)

20.3 विद्यालय के प्रकार (Types of School)

हमारे देश में विद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है-

(ब) प्रशासन तथा प्रबन्ध की दृष्टि से माध्यमिक विद्यालय

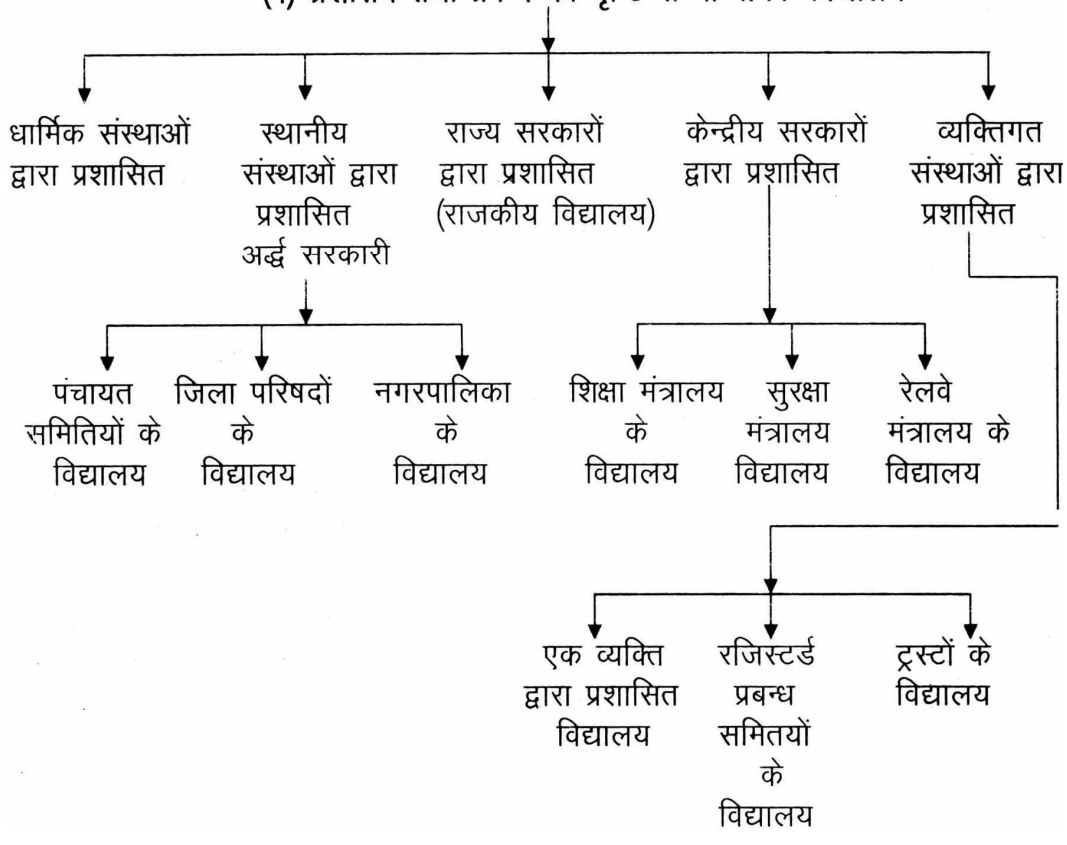

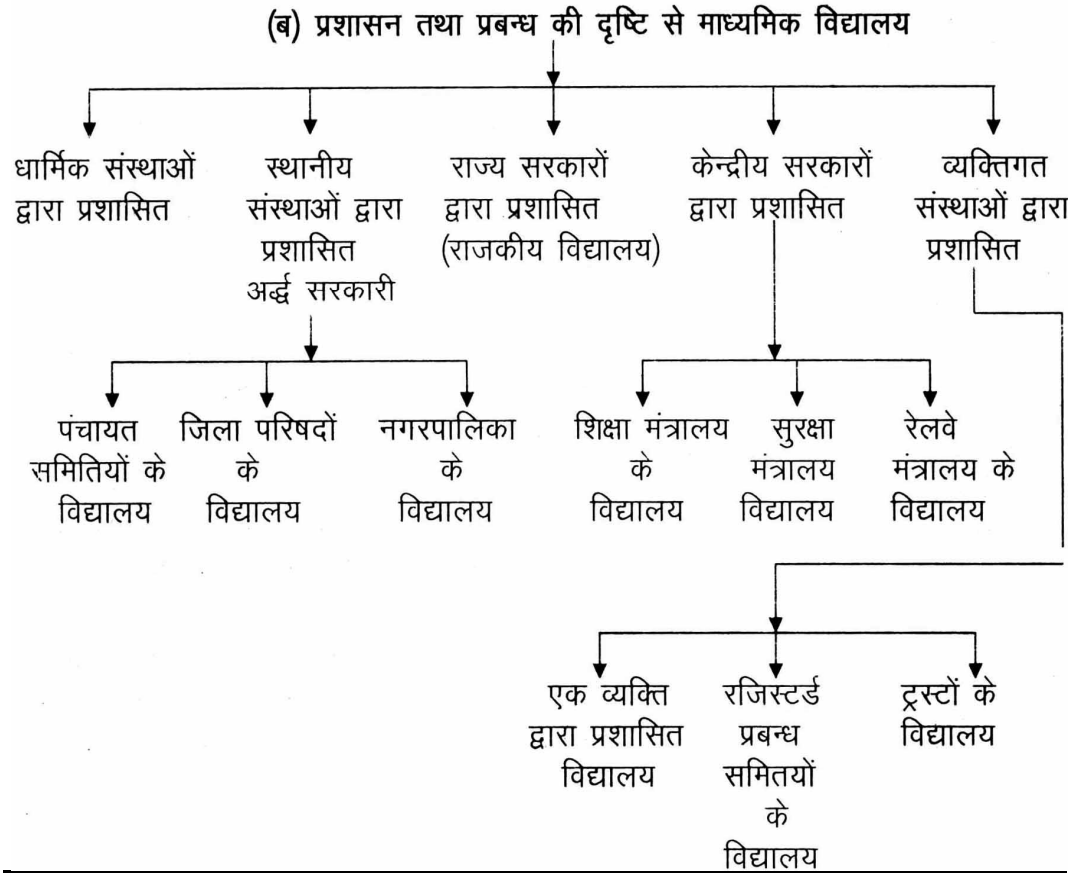

20.4 पाठ्यक्रम (Curriculum)

भारत में विद्यालयी शिक्षा स्तर का पाठ्यक्रम राज्य एवं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अनुसार चलाया जाता है। सरकारी विद्यालय में राज्य सरकार का पाठ्यक्रम लागू होता है वहीं बहुत से प्राइवेट विद्यालय राज्य एवं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम (NCERT) के अनुसार चलते हैं। कुछ उच्च स्तर के विद्यालय में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम चलते हैं।

भारत में विद्यालयी शिक्षा के चारों स्तरों के पाठ्यक्रम का निर्माण राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा किया जाता है। सरकारी विद्यालय राज्य सरकार का पाठ्यक्रम चलाते हैं। राष्ट्र की बदलती आवश्यकताओं तथा बदलते वैश्विक परिदृश्य के कारण समय-समय पर अनेक आयोगों, समितियों द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण, संशोधन एवं सुधार किए गए हैं। NCERT द्वारा 1985 में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में समानता, राष्ट्रीय पहचान, वैज्ञानिक स्वभाव, तकनीकी कार्य व शिक्षा का परस्पर सम्बन्ध, मूल्य शिक्षा तथा वातावरण, संसाधन व जनसंख्या जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक कारकों एवं छात्र-केन्द्रित, स्कूल दायित्व तथा अधिगम पर बल जैसे शैक्षिक कारकों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार किया। 1966 में नई शिक्षा-नीति 1986 के संकल्पों के अनुरूप विभिन्न स्तरों हेतु पाठ्यक्रम की संशोधित रूपरेखाएं तैयार की गईं।

पुन: 2005 में (NCERT) द्वारा 'राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा' राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें शिक्षा के विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रम सम्बन्धी रूपरेखाएं प्रस्तुत की गई।

विद्यालय के विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम में विषयों की शिक्षा का विवरण इस प्रकार है-

(NCERT) द्वारा सन् 1980 में तैयार पाठ्यक्रम रूपरेखा

1. प्रथम भाषा-मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा	भाषा-सभी के लिए (सामान्य अध्ययन)	
2. द्वितीय भाषा-हिन्दी, आधुनिक भारतीय भाषा	1. विज्ञान सामान्य विज्ञान मानविकी	सामान्य धारा में
3. तृतीय भाषा-अंग्रेजी	2. विभिन्न व्यवसायों को समझने के लिए आवश्यक विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं मानविकी	व्यावसायिक धारा में
4. विज्ञान		
5. गणित		
6. सामाजिक विज्ञान		
7. कार्यानुभव		
8. कला शिक्षा		
9. स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा		

विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम में विषयों की व्यवस्था

(NCERT) द्वारा सन् 1980 में प्रस्तुत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा

प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5)		उच्च प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 6 से 8)	
1. भाषा-मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा	30%	1. प्रथम भाषा/मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा	
2. वातावरणीय अध्ययन	15%	2. द्वितीय भाषा-अंग्रेजी	32%
3. गणित	15%	3. तृतीय भाषा- हिन्दी या आधुनिक भारतीय भाषा	
4. कार्यानुभव SUPW	20%	4. विज्ञान	12%
5. कला शिक्षा	10%	5. गणित	12%
6. स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा	10%	6. सामाजिक अध्ययन	12%
		7. कार्यानुभव/SUPW	12%
		8. कला शिक्षा	10%
		9. स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा	10%

20.5 प्रवेश प्रक्रिया (Admission Process)

भारत में विद्यालय स्तर पर प्रवेश आयु (जन्म तिथि) के अनुसार निर्धारित कक्षा में दिया जाता है। इस हेतु कोई विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती क्योंकि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा (प्राथमिक) भारतीय संविधान की धारा 45 के अनुसार भारत सरकार का संकल्प एवं उत्तरदायित्व है।

केन्द्रीय स्तर के विद्यालय में विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश दिया जाता है। निजी स्कूलों में भी कई जगह विद्यालय द्वारा नियोजित प्रवेश

परीक्षा द्वारा प्रवेश दिया जाता है। विद्यालय के अन्य स्तरों पर विद्यार्थी के उत्तीर्णांक के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।

20.6 शुल्क (Fees)

भारत में प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। अन्य स्तरों पर अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग, सभी वर्ग की छात्राओं इत्यादि से शुल्क नहीं लिया जाता। प्रत्येक छात्र-छात्रा से नियमानुसार कुछ राजकीय, छात्र निधि एवं विद्यालय विकास शुल्क लिया जाता है जो न्यूनतम है।

कम्प्यूटर शिक्षा हेतु प्रतिमाह (50 रु.) शुल्क लिया जाता है। भारत में निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा भौतिक सुविधाओं एवं शिक्षा के विभिन्न मदों में अत्यधिक शुल्क लिया जाता है तथा इसमें भारी अन्तर भी पाया जाता है।

20.7 शिक्षण विधियाँ एवं उपागम (Teaching Methods and Approaches)

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु विभिन्न आयोगों एवं समितियों ने विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विधियों एवं उपागमों की सहायता से पढ़ाने पर बल दिया है।

प्राथमिक स्तर पर किन्डरगार्डर विधि, गतिविधि, खेल विधि, प्रकृति अध्ययन विधियाँ प्राय: कई विद्यालय में काम में ली जाती है।

उच्च प्राथमिक स्तर एवं माध्यमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तक, व्याख्यान, विवरणात्मक विधि इत्यादि अध्यापक केन्द्रित विधियाँ ही प्रयुक्त की जाती हैं। NCF-2005 में विद्यालय में विद्यार्थी केन्द्रित विधियों तथा अनुभव, अवलोकन, शान की स्वयं संरचना करना, अभ्यास, गतिविधियाँ इत्यादि विधियों को अपनाने पर बल दिया है। साथ ही कक्षा-कक्ष शिक्षण में मल्टीमीडिया उपागम अपनाने की सिफारिश की है।

वास्तव में अध्यापन के नये तरीके एवं विधियाँ वैयक्तिक स्तर पर प्रचलित हैं - इनके दस्तावेजीकरण न होने तथा अपने अनुभवों को न बांटने के कारण इनका प्रचार-प्रसार नहीं हो पाता है। यद्यपि नवाचार एवं शोध को सरकार द्वारा पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाता है।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. भारत में विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों एवं विद्यालय के प्रकार को स्पष्ट कीजिए।
2. विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण का दायित्व किसका है?
3. विद्यालयी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में माध्यमिक स्तर पर किन मुद्दों को ध्यान में रख गया हैं?
4. भारत में प्राथमिक स्तर की शिक्षा नि:शुल्क क्यों हैं?
5. विद्यालय में अध्यापकों द्वारा नवीन विधियों का व्यापक प्रयोग न कर पाने का क्या कारण हैं?

20.8 शैक्षिक तकनीकी (Educational Technology)

भारत में विद्यालय स्तर पर शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग हेतु यद्यपि सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं तथापि इनका कक्षा-कक्ष में तथा मूल्यांकन में उपयोग सीमित हैं।

अधिकांश निजी संस्थाओं एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं में ICT का उपयोग बहुतायत से हो रहा है। कक्षा-कक्ष में कम्प्यूटर आधारित अनुदेशन (CAI), मल्टीमीडिया का प्रयोग शिक्षण में, दृश्य-श्रव्य सामग्री का उपयोग, मूल्यांकन में कम्प्यूटर का पूर्ण प्रयोग इत्यादि प्रयोग प्रचलित है।

राजकीय विद्यालय में कम्प्यूटर का प्रयोग कक्षा-कक्ष तक लाने हेतु कई निजी संस्थाओं, MHRD तथा शैक्षिक तकनीकी विभाग द्वारा कई प्रयास किये गए हैं-

1. शैक्षिक तकनीकी कार्यक्रम का आरम्भ 1972 में चतुर्थ योजना में केन्द्र के स्तर पर शिक्षा के गुणात्मक विकास हेतु हुआ। NCERT में Centre for Educational Technology स्थापित है जिसके द्वारा 21 राज्यों को 100 प्रतिशत सहायता ET केन्द्रों की स्थापना हेतु दी गई।
2. नई शिक्षा नीति (86) में इस योजना को संशोधित किया। एक लाख रंगीन टीवी सेट तथा पाँच लाख रेडियो केसिट प्लेयर (RCCP) प्राथमिक विद्यालय को सातवीं योजना में दिये गए।
3. ETV सेटेलाइट आधारित सेवा द्वारा पांच प्रादेशिक भाषाओं में (गुजराती, हिन्दी, मराठी, उड़िया, तेलगु) में प्रात: 45 मिनिट का शैक्षिक कार्यक्रम प्राथमिक स्तर के लिये टेलीकास्ट किया जाता है।
4. सन् 1984-85 में विद्यालयों में 'CLASS' नामक 'कम्पयूटर साक्षरता एवं अध्ययन' हेतु एक प्रोजेक्ट चलाया गया जो शिक्षा विभाग तथा तकनीकी संस्थान द्वारा चलाया गया।
5. वर्तमान योजना में ICT की क्रियान्विति हेतु निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं-
   - राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार की भागीदारी में सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कम्प्यूटर उपलब्ध कराना।
   - स्मार्ट (SMART) स्कूलों की स्थापना, जो तकनीकी दृष्टि से श्रेष्ठ प्रदर्शनकारी विद्यालय सिद्ध हों।
   - केन्द्रीय तथा नवोदय विद्यालय को परस्पर कम्प्यूटर द्वारा जोड़ना।
   - राज्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (State Institute of Education and Training-SIETs) की स्थापना जो फिल्म, वीडियो, ऑडियो इत्यादि शैक्षिक सामग्री का निर्माण करेंगे।
6. मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सन् 2005 में शिक्षा में तकनीकी कमेटी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार- देश के 100,00,000 विद्यालय में से 6,42,600 विद्यालय 'शिक्षा में तकनीकी कार्यक्रम' से लाभान्वित हो रहे हैं इनमें से 4,22,400

प्राथमिक, 1,61,700 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 58,500 माध्यमिक विद्यालय हैं। प्रत्येक विद्यालय के पास कम्प्यूटर, इन्टरनेट, प्रिंटर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यक्रम पर 2,7631.8 करोड़ का खर्च होगा। यह कार्यक्रम 2006 से 3 साल के लिए है।

7. उच्च प्राथमिक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कम्प्यूटर सहायक अधिगम (CAL) हेतु देश के 10,000 विद्यालय को कम्प्यूटर दिये गए हैं।
8. 11वीं पंचवर्षीय योजना (2008) में कम्प्यूटर सहायक अधिगम (CAL) तथा कम्प्यूटर आधारित अनुदेशन (CAL) हेतु, सेटेलाइट आधारित शिक्षा, रेडियो कार्यक्रमों, शिक्षकों के ICT में प्रशिक्षण तथा विद्यालय में ICT के प्रसार हेतु विशेष प्रावधान रखे गए हैं।
9. विद्यालयी स्तर पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा ली जाने वाली बोर्ड परीक्षाओं में मूल्यांकन का कार्य पूर्ण रूप से कम्प्यूटर से होता है। प्रश्न पत्र बनाने, अंकतालिका बनाने, अंकों का संग्रहण, तालिकाकरण एवं विश्लेषण इत्यादि में कम्प्यूटर का उपयोग होता है। गृह परीक्षाओं के मूल्यांकन में कम्प्यूटर का प्रयोग केवल निजी विद्यालय तक सीमित है।
10. मुक्त विद्यालय के शिक्षण तथा मूल्यांकन में सूचना तकनीकी का प्रयोग अधिक प्रचलित है।

20.9 मूल्यांकन (Evaluation)

भारतीय विद्यालयी शिक्षा में मूल्यांकन शब्द परीक्षा से जुड़ा है। स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर मूल्यांकन के निम्नलिखित स्वरूप प्रचलित हैं-

पूर्व प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों हेतु औपचारिक लिखित परीक्षाएँ न होकर, विभिन्न क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि गतिविधियों पर आधारित अवलोकन द्वारा की जाती है। जिससे प्रगति पत्र में 'ग्रेड' के साथ गुणात्मक टिप्पणी के रूप में अंकित किया जाता है। मूल्यांकन कार्य विद्यालय स्तर पर ही होता है।

प्राथमिक स्तर पर लिखित परीक्षाओं एवं मौखिक परीक्षाओं का आयोजन होता है जो सामान्यत: गृह परीक्षाएँ ही होती हैं।

नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने एक नवीन मूल्यांकन प्रणाली को प्रस्तुत किया है। इसका प्रयोग 10+2+3 की संरचना में किया जाता है।

भारत में 10+2+3 की मूल्यांकन प्रक्रिया में निम्नलिखित विशेषतायें दृष्टिगोचर होती हैं- प्राथमिक स्तर से ही लिखित, मौखिक व प्रायोगिक परीक्षाएं ली जाती हैं।

माध्यमिक स्तर पर छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए गृह परीक्षाएँ तथा जन परीक्षाओं (Board) का आयोजन किया जाता है। परीक्षा नियमों की रचना, प्रश्न-पत्र निर्माण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षा तिथियों का निर्धारण सभी माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा ही किया जाता है। इनमें केन्द्रीय स्तर की संस्थाओं (CBSC) तथा राज्य स्तर की संस्थाओं के मूल्यांकन प्रतिरूपों में मामूली अन्तर पाया जाता है।

- प्रत्येक सप्ताह व माह में परीक्षा होती है।
- लिखित परीक्षा में निबन्धात्मक, लघुत्तरात्मक एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रचलित हैं।
- विज्ञान विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा की व्यवस्था है।
- वर्षान्तर्गत होने वाली छोटी परीक्षाओं एवं अन्य प्रगति को प्रगति-पत्र अथवा संचय प्रगति पत्र (Cumulative Progress Card) में अंक, ग्रेड तथा गुणात्मक टिप्पणी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।
- समस्त मूल्यांकन पांच या सात बिन्दु रेटिंग स्केल के माध्यम से 'ग्रेडों में विभाजित किया जाता है।
- प्राथमिक स्तर पर कोई छात्र 'पास या फेल' घोषित नहीं किया जाता है।
- कई विषयों में सत्रीय एवं प्रायोजना कार्य को आन्तरिक मूल्यांकन के रूप में स्वीकार किया जाता है जिसके अंक वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित किए जाते हैं।

वर्तमान भारतीय विद्यालयी मूल्यांकन प्रणाली का सम्बन्ध आज विद्यार्थियों के तनाव व दुश्चिंता से जुड़ गया है। परीक्षा तक सीमित होने के कारण उत्पन्न अनेक दोषों को दूर करने हेतु समय-समय पर अनेक प्रयास किये जाते रहे हैं। परीक्षा प्रणाली को अधिक वस्तुनिष्ठ, वैध तथा विश्वसनीय बनाने हेतु NPE-1986 तथा POA में अनेक सुझाव दिए गए हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF-2००5) में भी कई उपाय सुझाये गए है, जिनका प्रयोग माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में आरम्भ हो चुका है जैसे- दैनिक गतिविधियों व अभ्यास से प्राप्त अधिगम का आकलन, गुणवत्ता पूर्ण एवं विस्तृत प्रगति रिपोर्ट, सतत अवलोकन, कार्य दक्षता, शारीरिक शिक्षा, संगीत, कला इत्यादि का सतत एवं गुणात्मक आकलन पर टिप्पणी इत्यादि।

20.10 विद्यालय में दूरस्थ एवं अनवरत शिक्षा (Distance and Continuing Education in School)

भारत में दूरस्थ शिक्षा का प्रारम्भ दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सन् 1962 में हुआ। बाद में अनेक विश्वविद्यालयों सहित माध्यमिक शिक्षा परिषदों ने पत्राचार के द्वारा छात्रों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य प्रारम्भ किया। सन् 1975-76 में उपग्रह अनुदेशन दूरदर्शन प्रयोग (Satellite Instructional Television Experiment-SITE) शुरू किया गया जिसमें 'प्राथमिक शिक्षा तक व्यापक पहुंच प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के लिए दूरस्थ कार्यक्रम आरम्भ किए गए।

माध्यमिक स्तर पर दूरस्थ शिक्षा का औपचारिक प्रारम्भ सन् 1965 में हुआ। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (NOS), जिसे अब राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (NIOS) कहते हैं, के द्वारा माध्यमिक स्तर पर दूरस्थ प्रणाली द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त 10 राज्य मुक्त विद्यालय (State Open School System -SOSS) मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। मुक्त विद्यालय माध्यमिक शिक्षा के कुल छात्रों के 15 प्रतिशत को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

20.11 अनुसंधान (Research)

विद्यालय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में गुणात्मक विकास एवं नवीन परिवर्तनों की खोज करने हेतु शोध को प्रोत्साहन दिया जाता है। शैक्षिक अनुसंधानों में रूचि रखने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहन देने हेतु जिला शिक्षानुसंधाता वाक्पीठ (डर्फ) एक सशक्त माध्यम है। इसमें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लाइट सहयोग करता है। व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय, जिला एवं उच्च स्तर पर अनुभव की जा रही समस्याओं पर शिक्षक अनुसंधान कर उपयोगी सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। विद्यालय स्तर पर क्रियात्मक अनुसंधान, प्रायोजनाएं केस अध्ययन इत्यादि अनुसंधान कार्य किए जाते हैं।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न(Self-Evaluation Questions)

1. भारत में विद्यालय में शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग क्यों आवश्यक है? इस हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
2. भारत में प्रचलित मूल्यांकन की प्रवृत्तियों की समीक्षा कीजिए।
3. भारत में दूरस्थ एवं अनवरत शिक्षा की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए।

20.12 अध्यापक शिक्षा (Teacher Education)

शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अध्यापकों के लिए अध्यापक प्रशिक्षण आवश्यक है। अध्यापक प्रशिक्षण हेतु सेवापूर्व एवं सेवारत दो प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है।

2012.1 सेवा पूर्व प्रशिक्षण (Inservice Training)

विभिन्न स्तरों पर अध्यापकों के लिए सेवापूर्व (Pre Service Training) प्रशिक्षण की व्यवस्था इस प्रकार है:-

(अ) पूर्व प्राथमिक स्तर के अध्यापकों की शिक्षा- पूर्व प्राथमिक अध्यापकों के शिक्षण-प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व अधिकांशत: निजी संस्थाओं के द्वारा, कहीं-कहीं राज्यों के शिक्षा विभागों तथा कहीं-कहीं विश्वविद्यालयों द्वारा किया जा रहा है।

(ब) प्राथमिक स्तर का अध्यापक प्रशिक्षण- इस स्तर के अध्यापक प्रशिक्षण की अधिकांश संस्थाएँ राज्य सरकारों द्वारा संचालित की जा रही हैं। व्यक्तिगत प्रबन्ध तंत्रों के द्वारा भी इस कार्य में काफी सहायता मिल रही है। इस स्तर पर प्रशिक्षण की अवधि एक या दो वर्ष रहती है। विभिन्न राज्यों में अथवा संस्थाओं में पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण अवधि, न्यूनतम प्रवेश अहर्ता तथा पाठ्यक्रम के नामों में थोड़ा बहुत अन्तर पाया जाता है। इनका विवरण पृथक तालिका में दिया गया है।

भारत में सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा

क्र.सं.	स्तर	न्यूनतम योग्यता	अध्यापन डिग्री	अवधि
	(1) विद्यालय स्तर			
1.	पूर्व प्राथमिक अध्यापक शिक्षा	हाई स्कूल या सीनियर सैकण्डरी	HTC, BTC	1 वर्ष
2.	प्राथमिक अध्यापक	सीनियर सैकण्डरी	NTC, STC JTC	

	शिक्षा			
3.	जूनियर (मिडिल)	सीनियर हायर	STC, CT JIC, BTC	2 वर्ष
4.	माध्यमिक	स्नातक	B.Ed. B.Ed. 4वर्षीय Integrated	1 वर्ष
(2) महाविद्यालय स्तर				
5.	एम.एड.	बी.एड.		1 वर्ष
6.	एम.फिल. (Pre Ph.D. Course)	एम.ए. (शिक्षाशास्त्र) एम. एड.		
7.	पीएच.डी.	एम.एड.		
8.	नवाचार	एम.ए. (शिक्षाशास्त्र)		

(स) **माध्यमिक स्तर के अध्यापकों की शिक्षा-** माध्यमिक स्तर के अध्यापक प्राय: स्नातक शिक्षा प्राप्त होते हैं। इस एक वर्षीय पाठ्यक्रम को विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालय द्वारा संचालित किया जाता है तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों में बी.एड. के पाठ्यक्रम, प्रश्न पत्रों की संख्या, प्रकृति, विषय-वस्तु के सम्बन्ध में पर्याप्त भिन्नता होने के बावजूद आधारभूत विषयवस्तु में समानता रहती है।

देश में कई विश्वविद्यालय पत्राचार तथा ग्रीष्मकालीन बी.एड. जैसे कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। शिक्षा के प्रादेशिक कॉलेज (Regional College) तथा विशिष्ट शिक्षा केन्द्र जैसे शारीरिक शिक्षा, भाषा, ललित कला एवं गृह विज्ञान भी सेवा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करते है।

सेवा पूर्व प्रशिक्षण संस्थाएँ

1. पूर्व प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएँ
2. प्राथमिक प्रशिक्षण विद्यालय
3. उपस्नातकों हेतु माध्यमिक प्रशिक्षण विद्यालय
4. स्नातकों हेतु शिक्षक महाविद्यालय
5. शिक्षा के प्रादेशिक संस्थान (Regional College)
6. विशिष्ट शिक्षक शिक्षा केन्द्र-
   शारीरिक शिक्षक भाषा
   ललित कला
   गृह विज्ञान

20.12.2 सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण (In-Service Training)

विभिन्न स्तरों के सेवारत विद्यालयी अध्यापकों हेतु अनेक संस्थाएं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं ।

सेवारत प्रशिक्षण संस्थान

- शिक्षा के राष्ट्रीय संस्थान - NCERT, NCTE, NUEPA
- शिक्षा के राज्य संस्थान - SIERT
- पत्राचार पाठ्यक्रम केन्द्र अथवा ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण केन्द्र

- स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र
- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIETs)
- उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान (IASEs)
- अध्यापन शिक्षा केन्द्र (CTEs)

अध्यापकों के सेवारत कार्यक्रम में निम्नांकित प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं:-

1. शिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता को देखते हुए केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विद्यालय अध्यापकों के लिए जन अनुस्थापन कार्यक्रम (Programme of Mass Orientation of School Teachers-PMOST) की व्यवस्था की है। इस कार्यक्रम का दायित्व नोडल एजेन्सी के रूप में NCERT को दिया गया है जो राज्यों की शैक्षिक अनुसन्धान परिषदों (SIERT) को साथ में लेकर इस कार्यक्रम का संचालन कर रही है।

2. सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु नई शिक्षा नीति-1986 की अनुशंसानुसार देश में माध्यमिक अध्यापक शिक्षा संस्थाओं का उच्चीकरण किया गया। लगभग 250 अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (CTEs) तथा 50 को शिक्षा के उच्च अध्ययन संस्थानों (IASEs) के रूप में विकसित करने हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया।

3. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों का सुदृढ़ीकरण किया गया।

4. प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का अब तक निम्नलिखित संख्यानुसार गठन हो चुका है।

डाइट - 500

आइएएसई - 38

सीटीई - 87

एसआईईआरटी - 30

20.13 प्रशासन (Administration)

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था, नियन्त्रण व प्रशासन राज्य का उत्तरदायित्व है। यद्यपि केन्द्र सरकार भी समय-समय पर राज्य का सहयोग करती रहती है।

प्रशासन के लिए राज्य का एक शिक्षा मंत्रालय होता है। जिसका सर्वोच्च अधिकारी शिक्षा मंत्री होता है। शिक्षा मंत्री एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारी सम्मिलित रूप से राज्य के शैक्षिक प्रशासन के दायित्व का निर्वाह करते हैं। इसके इस रेखाचित्र द्वारा समझा जा सकता है-

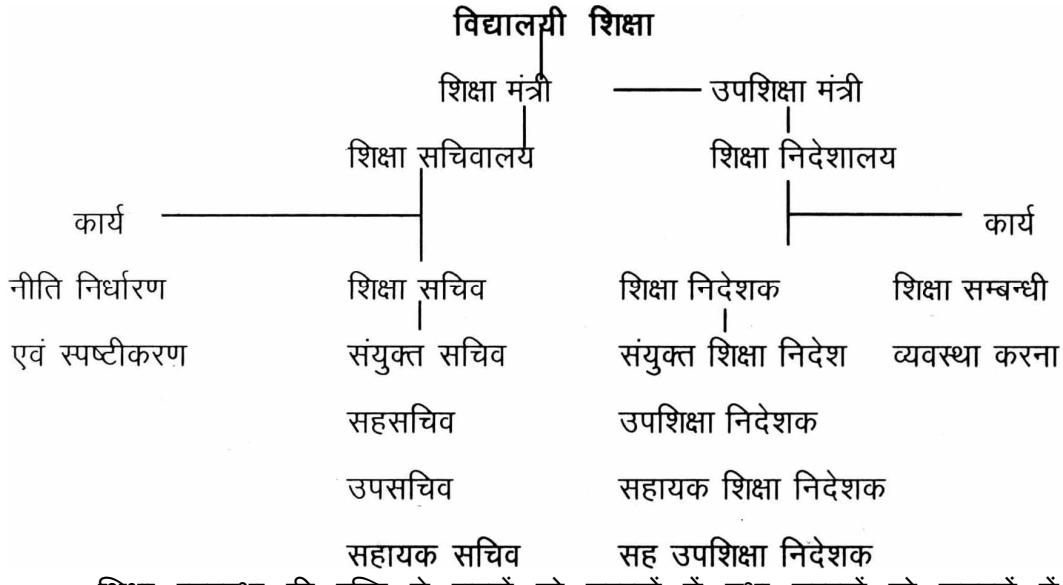

शिक्षा व्यवस्था की दृष्टि से राज्यों को मण्डलों में तथा मण्डलों को जनपदों में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक **मण्डल** में एक मंडलीय उप शिक्षा निदेशक (D.D.R.) तथा प्रत्येक जनपद में एक जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) होता है जो अपने-अपने मंडल या जनपद की शिक्षा व्यवस्था पर दृष्टि रखते हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक की सहायता के लिए उपविद्यालय निरीक्षक तथा सह उपनिरीक्षक होते हैं।

जिला स्तर पर शिक्षा में प्रशासन की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। जिले का शिक्षा प्रशासनिक वर्ग शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण करता है तथा आर्थिक अनुदान प्रदान करने की संस्तुति करता है। जिला विद्यालय निरीक्षक शिक्षा प्रसार, परीक्षा आयोजन की व्यवस्था भी करता है।

जिला स्तर पर **प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन एवं नियन्त्रण** बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन रहता है ।

प्राथमिक स्तर पर प्रशासन की दृष्टि से तीन प्रकार के स्कूल संचालित हैं-

प्राथमिक स्तर पर विद्यालय नियंत्रण एवं प्रशासन

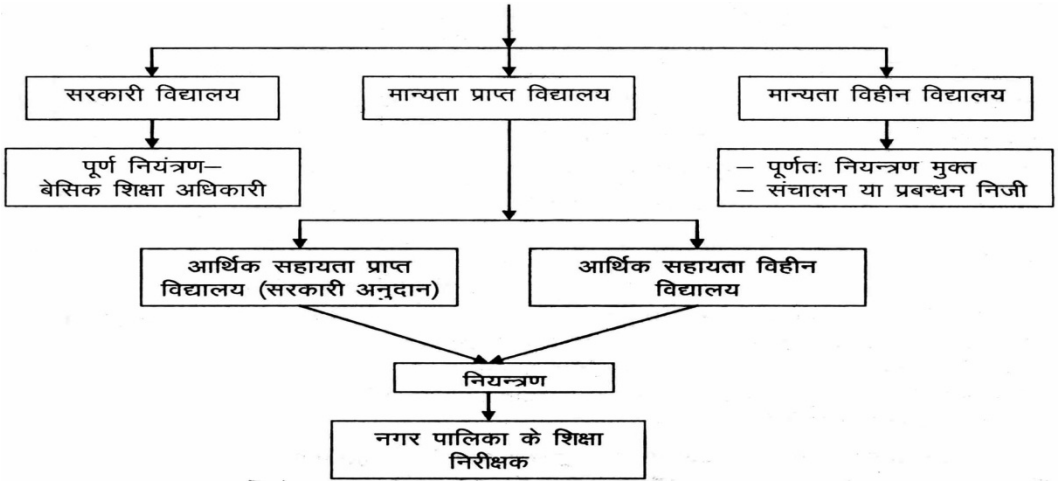

प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा परिषद् (Board of Secondary Education) की स्थापना की गई है। यह परिषद राज्यभर के माध्यमिक स्कूलों को पाठ्यक्रम निर्धारण, परीक्षा व्यवस्था एवं विद्यालय को मान्यता देने जैसे कार्य करती है। इस प्रकार राज्य की माध्यमिक शिक्षा का नियन्त्रण एवं प्रशासन **शिक्षा सचिवालय, शिक्षा निदेशालय तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद** के अधिकार में रहता है।

माध्यमिक स्कूलों में निरीक्षण- विद्यालय निरीक्षक (Inspectors of School) विद्यालय के निरीक्षण का कार्य करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र अथवा मण्डल में उप शिक्षा निदेशक के नियन्त्रण में समस्त निरीक्षण सम्बन्धी कार्यो को सम्पन्न किया जाता है।

हाई स्कूल जिला विद्यालय निरीक्षक (Dist. Inspector of School)

इन्टर कॉलेज - विशेषज्ञों का दल (Panel)

जूनियर हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल - डिप्टी इन्सपेक्टर तथा सब डिप्टी इन्सपेक्टर

लड़कियों के स्कूल - क्षेत्रीय निरीक्षिकाएँ व उपनिरीक्षकाएँ

20.14 महत्वपूर्ण संस्थाएँ (Major Agencies)

विद्यालयी शिक्षा के क्रियान्वयन एवं उन्नयन में अनेक संस्थाओं का सहयोग रहता है। कुछ प्रमुख संस्थाएँ इस प्रकार हैं:-

(i) **राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (National Council of Educational Research and Training-NCERT) -** इस परिषद् की स्थापना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिसम्बर, 1961 में की गई। इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करना है। विद्यालयी पाठ्यक्रम को तैयार करने में इसका विशेष योगदान है। इसके अतिरिक्त शैक्षिक अनुसंधान में सहयोग करना, अध्यापक प्रशिक्षण के उच्चस्तरीय कार्यक्रम चलाना तथा माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए निरन्तर प्रयासरत रहना है। यह परिषद स्कूली पाठ्यक्रम की निरन्तर समीक्षा करती रहती है।

(ii) **राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (State Institute of Educational Research and Training -SIERTs)-** विद्यालयी शिक्षा के गुणात्मक समुन्नयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा गठित संस्थान हैं जो कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (अब पृथक निदेशालय के रूप में) के शैक्षिक सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। विद्यालयी क्षेत्र में अपनी नीतियाँ और कार्यक्रमों के निर्धारण तथा क्रियान्वयन में शिक्षा मंत्रालय तथा विभाग को ये संस्थान, विशेषज्ञ सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं। इनका वित्तीय प्रबन्ध राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

(iii) **जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (District Institute of Education and Training-DIETs) -** ये संस्थान प्रारम्भिक विद्यालय के शिक्षकों तथा

अनौपचारिक व प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के लिए पूर्व सेवा एवं सेवाकालीन पाठ्यक्रमों का आयोजन करते हैं। साथ ही क्रियात्मक अनुसंधान व प्रयोग, संसाधन केन्द्र, शैक्षिक तकनीकी एवं कम्प्यूटर शिक्षा के केन्द्र के रूप में भी कार्य कर रहे हैं।

(iv) **राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (National Council of Teacher Education-NCTE) -** सम्पूर्ण देश में अध्यापन प्रणाली का नियोजन तथा समन्वित विकास करने के लिए 1995 में इसकी स्थापना की गई। इस परिषद का मुख्य कार्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए विभिन्न स्तरों का निर्धारण करना, अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करना, अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश तैयार करना, सर्वेक्षण और अध्ययन करना, अनुसंधान व नवाचार अपनाना तथा शिक्षा के व्यवसायी करण पर रोक लगाना आदि है।

20.15 वित्तीय व्यवस्था (Financial System)

देश में 90.2 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय सरकार द्वारा या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित है। प्रत्येक विद्यालय को वार्षिक रख-रखाव अनुदान तथा स्कूल सुधार अनुदान राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान किये जाते हैं। निजी शिक्षण संस्थायें अपनी वित्तीय व्यवस्था राज्य सरकार के अनुदान अथवा सामुदायिक सहयोग एवं दान राशि द्वारा करती है। वर्तमान में केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अनुदान राशि बढ़ा दी गई है । जैसे-

- सरकारी कोष से प्राप्त धन राशि जिसका अनुपात 3/4 है।
- बोर्ड के कोष से प्राप्त राशि जिसका अनुपात 1/8 है।
- पंचायत समितियों को प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करने के लिए 50 प्रतिशत राशि।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. सेवापूर्ण अध्यापक प्रशिक्षण की संस्थाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
2. सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों हैं?
3. भारत में विद्यालयी शिक्षा के नियन्त्रण एवं व्यवस्था में राज्य सरकार की भूमिका स्पष्ट करें।
4. विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाली मुख्य संस्थाओं एवं उनकी भूमिका को स्पष्ट करें।

20.16 समस्याएँ (Problems)

भारतीय संविधान के 45वें अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अन्दर देश के 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बालक-बालिकाओं को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त लक्ष्य की प्राप्ति में अभी तक

आशानुकूल सफलता प्राप्त नहीं हुई है। संवैधानिक लक्ष्य की प्राप्ति में अनेक महत्वपूर्ण समस्यायें आज भी शिक्षा की चुनौती के रूप में विद्यमान है। इनमें से कुछ इस प्रकार है:-

1. **अपव्यय व अवरोधन -** अपव्यय का तात्पर्य बच्चे की स्कूल के किसी भी स्तर के बिना प्राथमिक पाठ्यक्रम को पूरा किए हुए, स्कूल से हट जाना है। निम्न प्राथमिक स्तर पर अपव्यय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है।

इसी प्रकार प्राथमिक शिक्षा में अवरोधन अर्थात् किसी छात्र का किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण होना भी उसकी शैक्षिक प्रगति में अवरोध का कार्य करता है जिससे वह अपनी शैक्षिक यात्रा निर्धारित अवधि में पूरी नहीं कर पाता।

भारत में अपव्यय व अवरोधन की इस समस्या के मुख्य कारण कोठारी कमीशन ने बताये हैं-

(i) विद्यार्थियों में आयु-वर्ग में भिन्नता।
(ii) पूरे वर्ष नवीन रूप में चलने वाला प्रवेश
(iii) उपस्थिति में अनियमितता।
(iv) शैक्षिक साधनों की कमी।
(v) कक्षाओं में बच्चों की भीड़
(vi) अनुचित पाठ्यक्रम
(vii) शिक्षकों द्वारा अनुचित विधियों का प्रयोग तथा शिक्षण का दोषपूर्ण होना।
(viii) परीक्षा की गलत पद्धति
(ix) बालकों के परिवार की आर्थिक स्थिति
(x) पारिवारिक कारण एवं बच्चों की उसमें जिम्मेदारी
(xi) शारीरिक अस्वास्थ्य एवं अपौष्टिक भोजन

2. **गुणात्मक सुधार में कमी-** संख्यात्मक दृष्टि से तो प्राथमिक शिक्षा का काफी विकास हुआ है परन्तु गुणात्मकता की दृष्टि से बहुत कमजोरियां हैं, इसके अनेक कारण हैं-

- संकुचित उद्देश्य
- नीरस व दोषपूर्ण पाठ्यक्रम
- उचित साधनों व स्कूल भवनों की कमी
- दोषपूर्ण प्रशासन
- प्रशिक्षित व योग्य शिक्षकों की कमी
- क्रियात्मक अनुसन्धानों की कमी
- परीक्षा प्रणाली का दोषपूर्ण होना।

3. **माध्यमिक स्तर की शिक्षा** में अनेक समस्याएँ दृष्टिगोचर होती है फलत: यह अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पाई है। इस स्तर की मुख्य समस्याएँ निम्नलिखित है-

- उद्देश्यहीनता
- अनुपयुक्त पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियाँ निजी स्कूलों की अवांछनीय वृद्धि

- अध्यापक प्रशिक्षण की गुणात्मकता में कमी
- दोषपूर्ण पाठ्य-पुस्तकें एवं परीक्षा प्रणाली
- शिक्षकों द्वारा शिक्षण स्तर में गिरावट लाना
- शैक्षिणिक एवं व्यावसायिक निर्देशन का अभाव
- विद्यालयों के संगठन एवं प्रशासन की समस्या
- कार्य अनुभव की कमी

20.17 सरकार की योजनाएँ (Govt. Projects)

स्वतन्त्रता के बाद से ही प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा को 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए एक बुनियादी अधिकार बनाने के लिए संसद ने 86वां संशोधन अधिनियम (2002) पारित किया है। सभी के लिए शिक्षा (Education for all) को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न गैर सरकारी संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से अनेक परियोजनाओं का संचालन किया जाता रहा है। इनमें से कुछ निम्नांकित हैं-

1. सर्वशिक्षा अभियान (SSA)- सर्वशिक्षा अभियान का प्रारूप अक्टूबर, 1998 में हुए शिक्षा मंत्रियों ने सम्मेलन में रखा गया, जिसका क्रियान्वयन 2001 में शुरू हुआ। इस योजना का प्रथम लक्ष्य सन् 2005 तक सभी स्कूलों, शिक्षा गारण्टी योजना केन्द्र / ब्रिज पाठ्यक्रमों में 6-14 वर्ष के समस्त बच्चों को जोड़ना था। दूसरा, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर सन् 2007 तथा बुनियादी शिक्षा के स्तर पर 2010 तक सभी प्रकार के लैंगिक एवं सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना तथा एक समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। इस योजना में अनुसूचित जनजाति, जनजाति के छात्रों तथा कठिन परिस्थितियों में रह रहे छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देना है। योजना में जीर्ण-शीर्ण स्कूल-भवनों की मरम्मत तथा नवीन विद्यालय भवन बनाना भी सम्मिलित है।

सन् 1987-88 में आरम्भ हुई ऑपरेशन ब्लेकबोर्ड योजना को सन् 2002-03 में सर्व शिक्षा अभियान में मिला दिया गया।

उपलब्धियाँ:- इस अभियान के तहत स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में भारी कमी लाने में सफलता प्राप्त की है। 2001-02 में स्कूल छोड़ने वाले 3.20 करोड़ बच्चों के मुकाबले, मार्च, 2007 में यह संख्या लगभग 70 लाख रही। इसी अवधि के दौरान प्राथमिक स्तर पर लड़कियों के नामांकन में 19.2 प्रतिशत की तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 15% की बढ़ोतरी की। एसएसए में बालिकाओं एवं समाज के कमजोर वर्गो के बच्चों पर विशेष ध्यान देने का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत ऐसे बच्चों के लिए नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था सहित कई अन्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

सर्व शिक्षा अभियान की शुरूआत से दिसम्बर, 2006 तक लगभग व 1.81 लाख नए विद्यालय खोले जा चुके हैं। 1,49,683 लाख नई विद्यालय इमारतें तथा 6,50,442 लाख अतिरिक्त कमरे या तो पूरे हो चुके हैं या होने वाले हैं तथा 31.3.2007 तक एसएसए के

अन्तर्गत 8.14 लाख नए शिक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं। सरकार ने एसएसए के लिए ग्यारहवीं योजना में 576.45 करोड़ रूपये मुहैया कराए थे।

सर्वशिक्षा अभियान की उपलब्धियों में 2001 से 2005 तक प्राथमिक स्तर पर नामांकन संख्या में 25 लाख की वृद्धि हुई है। प्राथमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ने वालों (drop-outs) विशेषत: लड़कियों की संख्या में कमी आई है। प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर में जाने वाले विद्यार्थियों की दर में भी वृद्धि (83.72%) हुई है। (Annual Report of MHRD-2007-08)

वर्ष 2006-07 की अवधि में एसएसए ने 19694 उच्च प्राथमिक स्कूल, नए अध्यापको की नियुक्ति, 41656 प्राथमिक स्कूल भवनों का निर्माण, 358939 अतिरिक्त कक्षा; 5634 शौचालयों का निर्माण तथा 6438 विद्यालय में पेयजल उपलब्ध कराने को अपनी स्वीकृति दी। साथ ही 604 जिलों के लिए वार्षिक जिला बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 6 करोड़ 22 लाख बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध कराना; इन कार्यो के लिए सरकार की ओर से राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को (मार्च 2007 तक) 10863-34 करोड़ रूपये जारी किए गए।

2. शिक्षा गारंटी योजना- शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं अनूठी शिक्षा (ईजीएस तथा एआईई) स्कूल नहीं जा रहे बच्चों को बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के तहत लाने का सर्वशिक्षा अभियान का एक महत्वपूर्ण घटक है। ईजीएस में ऐसे दुर्गम आबादी क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता हैं जहाँ एक किमी के घेरे में कोई स्कूल न हो। वैकल्पिक शिक्षा की शुरुआत समाज के वंचित वर्ग के बच्चों- बाल श्रमिक, सडकों पर जीवन यापन करने वाले, प्रवासी बच्चे, कठिन परिस्थितियों में रहने वाले तथा 9 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों हेतु बनाई गई है।

3. मध्यान्ह भोजन योजना (Mid-day Meal) - प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने, उन्हें बनाये रखने और उपस्थिति के साथ-साथ बच्चों के पोषण स्तर सुधारने के दृष्टिकोण के साथ-साथ राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम 15 अगस्त, 1995 से शुरू किया गया। वर्ष 1997-98 के अंत तक एनपी-एनएसपीई को देश के सभी ब्लॉकों में लागू कर दिया गया। 2002 में इसे सभी सरकारी सहायता प्राप्त, स्थानीय निकाय तथा रोजगार गारंटी योजना (इजीएस) व वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा (Alternative and innovative Education-एआई) केन्द्रों में पढ़ रहे बच्चों तक विस्तृत कर दिया गया। इसके तहत करीब 12 करोड़ बच्चों को भोजन कराया जाता है। यह दुनिया में सबसे बड़े स्कूल भोजन कार्यक्रम के रूप में उभरा है। सितम्बर, 2004 में किए गए संशोधन नियम के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चों को 300 कैलोरी तथा 8-10 ग्राम प्रोटीन वाला पका हुआ मध्यान्ह भोजन प्रदान करने की व्यवस्था की गई।

- प्राथमिक स्तर पर 97 करोड़ बच्चे MDM की योजना में सम्मिलित हैं।
- अक्टू, 2007 से यह योजना प्राथमिक से बढ़कर पिछड़े ब्लॉकों के उच्च प्राथमिक विद्यालय के भी लगभग 17 करोड़ अतिरिक्त बच्चों को सम्मिलित कर रही है।

- वर्ष 2008-09 से सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, रोजगार गारंटी योजना (EGS), वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा (Alternative and innovative Education-AIE) योजना भी MDH की योजना में सम्मिलित कर ली गई है।
- मध्यान्ह भोजन के लिए 7324 करोड रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है जो 2006-07 के बजट के मुकाबले 37 प्रतिशत अधिक हैं।

4. **जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी)-** केन्द्र द्वारा प्रायोजित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में फिर गति लाना और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य पूरा करना था। साथ ही बच्चों को स्कूल में बनाये रखना, शिक्षा के स्तर में सुधार करना तथा समाज के विभिन्न वर्गों में असमानता कम करना भी है।

इसके कार्यक्रमों में नए स्कूल और कक्षाओं का निर्माण, अनौपचारिक / वैकल्पिक शिक्षण केन्द्रों की स्थापना, नए अध्यापकों की नियुक्ति, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा केन्द्रों की स्थापना, एससीईआरटी तथा डाइट (डीआईईटी) का सशक्तिकरण, ब्लॉक संसाधन केन्द्र, अध्यापक प्रशिक्षण, शिक्षण-अध्यापन सामग्री का विकास, अनुसंधान आधारित पहल, वंचित समूहों की शिक्षा, विकलांग एवं अनुसूचित जाति / जनजाति की शिक्षा देने हेतु पहल एवं अध्यापक प्रशिक्षण के लिए सुदूर (डिस्टेन्स) शिक्षा को भी डीपीईपी योजना में शामिल किया गया है।

परियोजना के व्यय का 85% केन्द्र सरकार द्वारा तथा शेष 15% संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। केन्द्र सरकार का हिस्सा विदेशों से प्राप्त सहायता के माध्यम से आता है।

यह कार्यक्रम 1994 में सात राज्यों के 42 जिलों में शुरू किया गया था, जो किसी समय 16 राज्यों के 273 जिलों तक पहुंच गया था। धीरे-धीरे इसमें कभी आई और अब मात्र 123 जिलों में चल रहा है।

5. प्राथमिक शिक्षा में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य (Socially Useful Productive Work)- प्राथमिक शिक्षा की पुस्तकीय प्रवृत्ति को दूर करने तथा शिक्षा को समाज से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी द्वारा सुझाई गई 'शिक्षा केन्द्रित शिल्प' तथा कोठारी आयोग के द्वारा संस्तुत 'कार्यानुभव' को विस्तृत आधार देकर समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के नाम से सम्बोधित किया गया। इसमें विभिन्न कक्षाओं के लिए स्वास्थ्य, भोजन, पोशाक, संस्कृति व मनोविनोद, सामुदायिक कार्य व समाज सेवा तथा आवास से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के उत्पादन एव उपयोगी क्रियाओं को निर्धारित किया गया है।

6. ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड - प्राथमिक विद्यालय में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना तैयार की गई है। इस योजना में सभी स्कूलों के लिए इमारत, शिक्षण-सामग्री व खेल-सामग्री को न्यूनतम आवश्यक सुविधा के रूप में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड एक सांकेतिक शब्द है। सन्

1992 में किये संशोधन में ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड के क्षेत्र को उच्च प्राथमिक विद्यालय तक विस्तृत कर दिया गया है।

अन्य योजनाएँ

7. राष्ट्रीय बाल भवनों की स्थापना- राष्ट्रीय बाल-भवन, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित एक स्वायत्तशासी संस्था है जो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत कार्य करती है। 1956 से इसके गठन से ही बाल भवन ने देशभर में उत्तरोतर प्रगति की है। वर्तमान में राष्ट्रीय बाल भवन से सम्बद्ध 68 राज्य बाल भवन तथा 10 बाल केन्द्र हैं। राष्ट्रीय बाल भवन बच्चों को उनके लिंग, जाति, धर्म, रंग आदि भेदभाव के बिना तनावमुक्त वातावरण में विभिन्न गतिविधियों में शामिल कर उनके समग्र विकास के लिए कार्यरत है।

8. बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम - एनपीईजीएल- एसएसए की वर्तमान योजना के अधीन प्राथमिक स्तर पर वंचित / पिछड़ी बालिकाओं हेतु अतिरिक्त संसाधन मुहैया करने का कार्य एनपीईपीएल कराता है।

9. शिक्षाकर्मी कार्यक्रम (एसकेपी)- सन् 1987 से आरम्भ हुई एसकेपी का प्रमुख लक्ष्य बालिका शिक्षा पर मुख्य रूप से ध्यान देने के अतिरिक्त राजस्थान के दूर-दराज क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण एव गुणवत्ता में सुधार लाना है।

10. कस्तूरबा गाँधी विद्यालय- इस योजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों की बालिकाओं के किये, दुर्गम क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं के साथ विद्यालय खोले जा रहे हैं। अब तक कुल 2180 कस्तूरबा गाँधी विद्यालय को स्वीकृति मिल चुकी है तथा 410 नये विद्यालय भी खोले जा रहे हैं।

11. लोक जुम्बिश परियोजना- लोक जुम्बिश परियोजना का उद्देश्य जनसहभागिता से जनता में शिक्षा के प्रति हलचल, गतिशीलता लाना है। इसका आरम्भ राजस्थान में सन् 1992 में हुआ। इसमें राज्य के 13 जिलों की समस्त पंचायत समितियों द्वारा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार का प्रयास किया गया।

12. माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण (Vocationalisation of Secondary Education) ब्रिटिश शासन के काल से स्वतन्त्रता पश्चात् भी विभिन्न आयोगों द्वारा शिक्षा के व्यवसायीकरण की मांग की जाती रही है।

माध्यमिक शिक्षा के +2 स्तर पर शिक्षा के व्यवसायीकरण हेतु कृषि, वाणिज्य, गृह विज्ञान, तकनीकी जैसे मुख्य क्षेत्रों का चयन करके स्थानीय आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रमों का निर्धारण किया जा सकता है। इसके लिए 'शिक्षण से स्वावलम्बन योजना' चलाई जा रही है जिसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ी जातियों के परिवारों को कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों तथा 6 से 12 तक की छात्राओं को सामान्य शिक्षा के साथ स्वरोजगार के लिए छात्रावासों में ही प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना है।

13. जवाहर नवोदय विद्यालय (Jawahar Navodaya Vidyalaya) - प्रतिभाशाली बालकों को उत्तम गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा नवोदय

विद्यालय खोले गए हैं। ये विद्यालय ग्रामीण प्रतिभाशाली बालकों के लिए निःशुल्क एव आरक्षित हैं। ये केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से सम्बन्धित है।

14. बहु उद्देशीय विद्यालय - मुदालियर आयोग (1952-53) ई. की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने प्रचलित इन्टरमीडिएट कॉलेजों को हायर सैकेण्डरी स्कूलों में बदलने, उन्हें बहु उद्देशीय बनाने की योजना बनाई गई।

15. स्कूलों में विज्ञान शिक्षा का सुधार- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रावधानों के अनुसार विज्ञान शिक्षा के स्तर में सुधार लाने तथा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना 'स्कूलों में विज्ञान शिक्षा का सुधार' वर्ष 1987-88 में आरम्भ की गई। इस योजना में राज्यों/ केन्द्रशासित प्रदेशों और स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। इसमें उच्च प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान उपकरण- किट मुहैया कराने, प्रयोगशालाओं की स्थापना, वर्तमान प्रयोगशालाओं का उच्चीकरण तथा माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय सुविधायें उपलब्ध करने एवं गणित अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्य हेतु सहायता दी गई।

16. विद्यालय में योग शिक्षा- इस योजना द्वारा राज्यों के तथा केन्द्रशासित शिक्षा विभागों द्वारा विद्यालय में योग शिक्षा लागू की जा रही है। एनसीईआरटी ने इस योजना की नेशनल करीकुलम फ्रेमवर्क, 2005 के नजरिए से समीक्षा करने की पहल की।

17. केन्द्रीय विद्यालय संगठन- केन्द्र सरकार ने द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर सन् 1962 में 'केन्द्रीय विद्यालय संगठन' की योजना को मंजूरी दी। यह एक स्वायतशासी निकाय या जिसका उद्देश्य रक्षाकर्मियों एवं अर्द्धसैनिक बलों के कर्मचारियों सहित अखिल भारतीय सेवाओं व देशभर में स्थानान्तरित होने वाले केन्द्रीय कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा की आवश्यकता पूरी करना था। इस समय (2005 तक) देश में 931 केन्द्रीय विद्यालय हैं जिनमें समान पाठ्यक्रम प्रचलित हैं।

18. स्कूली शिक्षा को पर्यावरणोन्मुखी बनाना- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह व्यवस्था की गई है कि पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनना चाहिए। इस हेतु 1988-89 में केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कूली शिक्षा को पर्यावरणोन्मुख बनाने की योजना शुरू की गई। वर्ष 2004-05 के दौरान पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में प्रायोगिक एवं परीक्षणात्मक परियोजनाएं चलाने के लिए 12 स्वयंसेवी संस्थाओं को 180.68 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

20.18 नवीन प्रवृत्तियां (New Trends)

11वीं पंचवर्षीय योजना (2008) में विद्यालयी शिक्षा हेतु नवीन प्रयास किए जाने की योजना है-

1. SUCCESS सक्सेस योजना (Scheme for Universalization of Access to and improvement of quality of education at Sec. stage) चलाई जायेगी।

2. प्रधानमंत्री द्वारा 2007 के स्वतन्त्रता दिवस पर केन्द्र सरकार द्वारा देशभर में 6000 मॉडल स्कूल की स्थापना की घोषणा की गई। प्रत्येक ब्लॉक में स्थापित एक विद्यालय श्रेष्ठता की दृष्टि से अपनी सेवायें देगा।
3. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना- कक्षा VIII पास करने वाले विद्यार्थियों द्वारा इस योजना के तहत राष्ट्रीय परीक्षा पास करने पर कक्षा 9,10,11 एवं 12 के लिए 60,000 प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति मिल रही है।
4. पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य है कि-
   - प्रति 5 किमी. की दूरी पर एक माध्यमिक विद्यालय स्थापित हो।
   - प्रति 7-8 किमी. की दूरी पर उच्च माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध हो।
   - 2017 तक (12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक) माध्यमिक स्तर पर 70 प्रतिशत नामांकन तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर 100 प्रतिशत नामांकन तथा ठहराव हो।
5. विद्यालय में शैक्षिक प्रौद्योगिकी- राज्य एवं निजी संस्थानों की साझेदारी में CAI, ICT कम्प्यूटर साक्षरता, ब्राड बैंड कनैक्शन की सुविधा, राजकीय अनुदान प्राप्त तथा स्थानीय निकायों के एक लाख माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय को प्राप्त होगी।
6. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के माध्यमिक विद्यालय को स्वयं को अधिगम संसाधन केन्द्र (Learning Resource Centre -LRC) के रूप में स्थापित करना होगा।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं की सूची बनाइये।
2. विद्यालयी शिक्षा की गुणात्मक स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं की सूची बनाइये।
3. सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य क्या हैं?
4. विद्यालयी बच्चों के नामांकन में वृद्धि तथा पोषण स्तर में सुधार के लिए चलाई जाने वाली योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए।
5. माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की क्या आवश्यकता है?
6. भारत में विद्यालयी शिक्षा की नवीन योजनाओं पर प्रकाश डालें।

20.19 सारांश (Summary)

भारत में विद्यालय शिक्षा का आरम्भ पूर्व प्राथमिक स्तर से माना जाता है तथापि औपचारिक शिक्षा प्राथमिक स्तर से आरम्भ होती है। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का विचार प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था की देन है। भारत सन् 2010 तक संतोषजनक गुणवत्तायुक्त प्राथमिक शिक्षा सबके लिए करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए वचनबद्ध है। इस हेतु विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा विविध पक्षों जैसे पाठ्यचर्या में सुधार एवं परिवर्तन, नवीन विधियों, नवाचारो, अनुसंधान को प्रोत्साहन, मूल्यांकन प्रणाली में

नवीन प्रयोग, सूचना एवं संचार तकनीकी का बहु उद्देशीय प्रयोग, दूरस्थ एवं अनवरत शिक्षा द्वारा वंचित एवं पिछड़े वर्गो को शिक्षा उपलब्ध कराना, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं का उच्चीकरण एवं प्रशिक्षण में गुणवत्ता लाने हेतु प्रयास किए जा रहा हैं। कई राष्ट्रीय स्तर के अभियानों द्वारा विद्यालयी शिक्षा के सार्वजनीकरण पर बल दिया जा रहा है। 11 वीं पंचवर्षीय योजना में नामांकन दर बढ़ाने विद्यालय में ICT का प्रयोग बढ़ाने, छात्रवृति देने तथा अन्य सुधार कार्यक्रमों पर बल दिया गया है।

20.20 सन्दर्भ सूची (References)

1. Aggarwal, J.C.: **Landmarks in the History of Modern Indian Education** (1994), Vikas Publishing Pvt. Ltd., Jangpura, Delhi.
2. Biswas A. and Aggarwal. S.P.: **'Development of Education in India,** 1986, Concept Publishing Company, New Delhi.
3. Sharma, R.N.: **Comparative Education,** Surjeet Publications, Delhi,2002.
4. Gupta, S.p.: History, **Development and Problems of Indian Education (Hindi)** Sharda Pustak Bhawan, Allahabad,2007.
5. Agrawal, J.C.: **Landmarks in the History of Modern Indian Education,** Vani books, Delhi.
6. Choubey, S.P. & Pandey Ram Sakal : **Development of Education in India (Hindi),** Central Book Depot, Allahabad.
7. Pandey. R.S. : **भारतीय शिक्षा की समस्याऐं,** आगरा
8. Biswas, A. and Aggarwal, J.C. : **Comparative Education.**
9. Khan, M.A. : **Modern Comparative Education,** Anmol Publication Pvt. Ltd., New Delhi, 2004
10. Kaushik, S.L. & Beejamal K.G. : **तुलनात्मक शिक्षा,** राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर (1989)

प्रतिवेदन (Reports)

भारत सरकार द्वारा प्रकाशित-

- नेशनल पॉलिसी ऑन एजूकेशन, 1968
- नेशनल पॉलिसी ऑन एजूकेशन, 1966
- प्रोग्राम ऑफ एक्शन: नेशनल पॉलिसी ऑन एजूकेशन, 1986
- प्रोग्राम ऑफ एक्शन NEP-1992
- नेशनल कौंसिल फॉर टीचर एजूकेशन एक्ट, 1993

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित -

- The curriculum for the Ten Year school : A framework, 1975.
- Teacher Education Curriculum : A Framework, 1978
- National Curriculum for Elementary and Secondary Education : A Framework, 1985.
- National Curriculum Framework-2005

Web-sites-

MHRD-Secondary Education.

UGC-Higher Education

NAAC

इकाई - 21

भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षा

(University Education in India)

21.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of the Unit)

21.1 विषय प्रवेश (Introduction)

21.2 विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना (Structure of University)

21.3 विश्वविद्यालयों के प्रकार (Types of University)

21.4 विश्वविद्यालयों के कार्य (Functions of University)

21.5 पाठ्यक्रम (Curriculum)

21.6 प्रवेश प्रक्रिया (Admission Process)

21.7 शिक्षण विधियाँ (Teaching Methods)

21.8 संचार तकनीकी (CT)

21.9 मूल्यांकन (Evaluation)

21.10 दूरस्थ शिक्षा (Distance Education)

21.11 जीवनपर्यन्त शिक्षा (Life Long Education)

21.12 विश्वविद्यालयी अध्यापकों की शिक्षा (Education of University Teachers)

21.13 अनुसन्धान (Research)

21.14 प्रशासन (Administration)

21.15 मुख्य संस्थाएं (Major Agencies)

21.16 वित्त (Finance)

21.17 विशिष्टताएं (Special Trends)

21.18 नवीन प्रयास (New Trends)

21.19 समस्यायें (Problems)

21.20 सारांश (Summary)

21.21 सन्दर्भ सूची (References)

21.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of the Unit)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आपमें इन क्षमताओं का विकास हो सकेगा।

1. विश्वविद्यालयी शिक्षा की संरचना को स्पष्ट कर सकें।
2. विश्वविद्यालयों के प्रकार एवं उनके कार्यों को समझ सकें।
3. विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रम, प्रवेश प्रक्रिया एवं शिक्षण विधियों को जान सकें।
4. उच्च शिक्षा में तकनीकी के प्रयोग की स्थिति को जान सकें।
5. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दूरस्थ शिक्षा के अनुप्रयोगों जीवनपर्यन्त शिक्षा की स्थिति को समझ सकें।
6. विश्वविद्यालयी शिक्षकों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण की विशेषताओं को जान सकें।

7. उच्च शिक्षा के प्रशासन एवं नियन्त्रण को जानने के साथ समन्वय संस्थाओं की भूमिका को समझ सकें।
8. विश्वविद्यालयी शिक्षा में मूल्यांकन, अनुसंधान एवं वित्त व्यवस्था को जान सकें।
9. उच्च शिक्षा के क्षेत्र की नवीन प्रवृत्तियों को समझ सकें।
10. उच्च शिक्षा की समस्याओं का अनुमान लगा सकें।

21.1 विषय प्रवेश (Introduction)

विश्वविद्यालय, शिक्षा का सर्वोच्च केन्द्र है जिसमें छात्रों को शिक्षा के उच्च आदर्शों, उद्देश्यों का ज्ञान कराया जाता है। भारत ने प्राचीनकाल एवं मध्यकाल में नालन्दा, तक्षशिला, विक्रमशीला, उज्जैन इत्यादि विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालयों से लेकर आज तक का उच्च शिक्षा का सफर बहुत तीव्रता से तय किया है। आज भारत के कई उच्च शिक्षा संस्थान जैसे- IITs, IISs, IIMs, AIIMs, ISI, ISB आदि विश्वभर में जाने जाते हैं।

21.2 विश्वविद्यालयी शिक्षा की संरचना (Structure of University Education)

उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयों, महाविद्यालय तथा विशिष्ट शिक्षा संस्थानों में प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालयी शिक्षा की संरचना में कई स्तरों की शिक्षा प्रदान की जाती है।

1. **डिप्लोमा कोर्स (Diploma)-** विश्वविद्यालय स्तर पर कई डिप्लोमा कोर्स भारत में उपलब्ध हैं। स्नातक स्तर पर डिप्लोमा एक वर्ष से तीन वर्ष तक हैं तथा स्नातकोत्तर स्तर पर सामान्यत: एक साल के अध्ययन के पश्चात् डिप्लोमा कोर्स कराये जाते हैं। जैसे-IIT's के द्वारा डिप्लोमा, फार्मेसी, नर्सिंग, नर्सरी शिक्षक इत्यादि।
2. **स्नातक डिग्री (Bachelar Degree)-** (i) स्नातक डिग्री कला, वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों में दी जाती है। सामान्यत: 12 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा के पश्चात् 3 साल का स्नातक पाठ्यक्रम पूरा करना पड़ता है।
   (ii) कई विश्वविद्यालयों में ऑनर्स तथा विशिष्ट कोर्स उपलब्ध हैं।
   (iii) यही स्नातक डिग्री व्यावसायिक क्षेत्रों जैसे- कृषि, मेडिकल, अभियान्त्रिकी, कानून इत्यादि में चार वर्ष अथवा पाँच वर्ष की होती है।
   (iv) स्नातक डिग्री शिक्षा, पत्रकारिता, पुस्तकालय विज्ञान में द्वितीय डिग्री (Second Degree) के रूप में दी जाती है।
   (v) कानून में या तो पांच साल का एकीकृत पाठ्यक्रम है या 3 साल का कोर्स द्वितीय डिग्री के रूप में दिया जाता है।
3. स्नातकोत्तर (अधिस्नातक) (Master Degree)
   (i) स्नातकोत्तर स्तर सामान्यत: दो वर्ष का होता है।
   (ii) यह सामान्य कोर्स आधारित होता है तथा कोर्स के साथ अनुसन्धान आधारित भी होता है।

(iii) स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में अभियान्त्रिकी तथा तकनिकी कार्यक्रमों में राज्य स्नातक अभियोग्यता परीक्षा राज्य स्तरीय मेडिकल परीक्षा द्वारा प्रवेश दिया जाता है।

4. **पूर्व डॉक्ट्रेट कार्यक्रम (Pre-Doctoral Programme) -** इस स्तर पर एम.फिल, पीएच.डी तथा डी.लिट की उपाधि हेतु शिक्षा का प्रावधान है।

(i) **एम.फिल. -** यह स्नातकोत्तर कार्यक्रम के पूरा होने के पश्चात् ही दी जाती है। यह या तो पूरी तरह शोध आधारित अथवा सामान्य कोर्स के साथ शोध के रूप में हो सकती है।

(ii) **पीएच.डी. -** यह एम.फिल के दो साल बाद अथवा Master degree के तीन साल बाद एवार्ड हो सकती है। इस स्तर पर विद्यार्थी मौलिक अनुसन्धान द्वारा शोध-पत्र लिखते हैं।

21.3 विश्वविद्यालयों के प्रकार (Type of University)

भारत में उच्च शिक्षा के वास्तविक केन्द्र विश्वविद्यालय हैं क्योंकि महाविद्यालय विश्वविद्यालयों से ही सम्बन्धित होते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों को तीन आधारों पर विभाजित किया जा सकता है।

(i) विश्वविद्यालयों की स्थापना के आधार पर

(ii) विश्वविद्यालयों के संगठन के आधार पर

(iii) शिक्षा प्रक्रिया के आधार पर

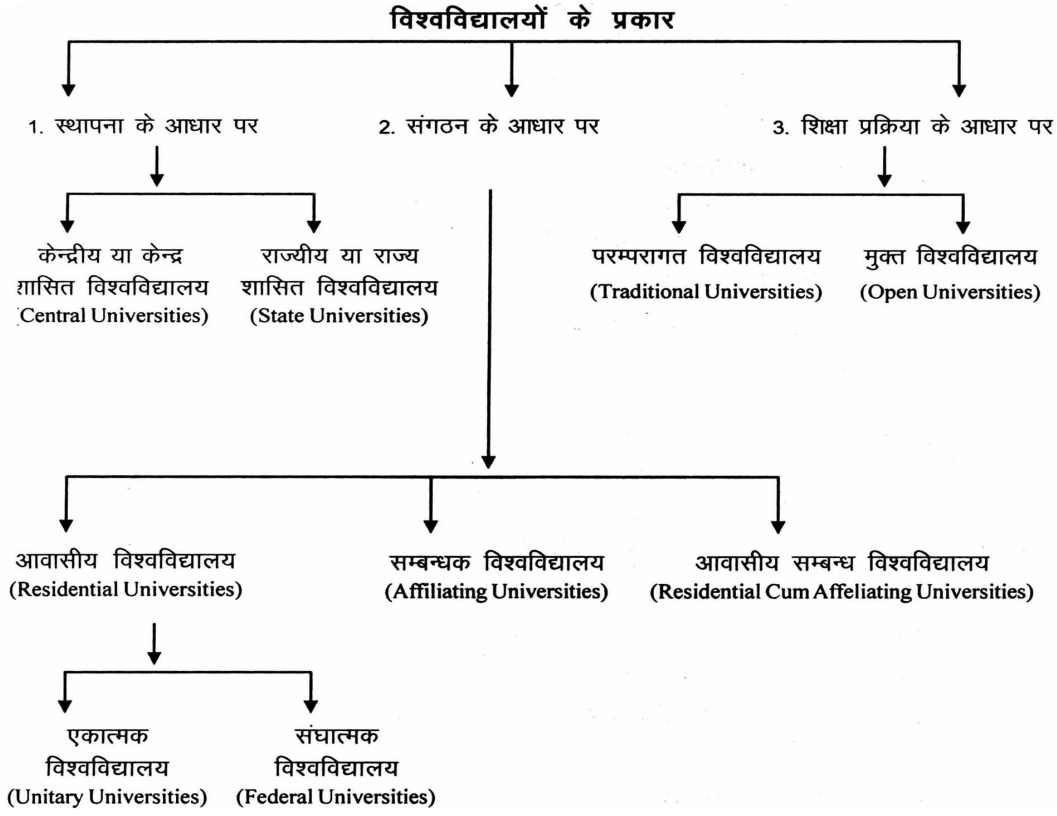

1. स्थापना के आधार पर

भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना केन्द्र अथवा राज्य द्वारा पारित विधेयक के द्वारा हो सकती है। इस दृष्टि से दो तरह के विश्वविद्यालय हैं-

(i) केन्द्रीय या केन्द्रशासित विश्वविद्यालय वे विश्वविद्यालय हैं जिनकी स्थापना व प्रबन्ध केन्द्र द्वारा पारित विधेयक से होती है तथा जिनके ऊपर केन्द्र सरकार का सीधा नियन्त्रण रहता है। केन्द्र किसी भी उच्च शिक्षा केन्द्र का अधिग्रहण करके उसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का स्तर भी दे सकता है। जैसे- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, उ.पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं। वर्तमान में 24 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं।

(ii) राज्यीय या राज्य शासित विश्वविद्यालयों की स्थापना व प्रबन्ध राज्य द्वारा पारित विधायक द्वारा होती है तथा उन पर राज्य सरकारों का सीधा नियन्त्रण रहता है।

2. संगठन के आधार पर वर्गीकरण

भारतीय विश्वविद्यालयों को उनके संगठन के आधार पर तीन भागों में बाँटा जा सकता है-

(i) **आवासीय विश्वविद्यालय-** इन विश्वविद्यालयों में शिक्षण व अध्ययन कार्य विश्वविद्यालय प्रांगण में ही होता है। ये साधारणत: एक ही स्थान पर केन्द्रित होते हैं। इनमें अध्यापकों की नियुक्ति, शिक्षण कार्य पाठ्यक्रम निर्माण, प्रशासन, उपाधि वितरण आदि पर सीधे विश्वविद्यालय का नियन्त्रण होता है। जैसे- इलाहाबाद विश्वविद्यालय बनारस विश्वविद्यालय आवासीय हैं।

(ii) **सम्बद्ध विश्वविद्यालय-** ये उच्च शिक्षा के नियन्त्रण केन्द्र का कार्य करते हैं, जबकि शिक्षण कार्य महाविद्यालय में किया जाता है। नियन्त्रण के रूप में पाठ्यक्रम, परीक्षा नियम इत्यादि में सम्बद्ध विश्वविद्यालयों की भूमिका होती है। आगरा, कानपुर सम्बधक विश्वविद्यालय हैं।

(iii) **आवासीय सम्बन्धक विश्वविद्यालय-** इन विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य विश्वविद्यालय प्रांगण में तथा सम्बन्धित महाविद्यालय प्रांगण दोनों में ही होता है। मेरठ, नागपुर, कलकत्ता आवासीय सम्बन्धक विश्वविद्यालय है।

आवासीय विश्वविद्यालयों को पुन: दो भागों में बाँटा जा सकता है- एकात्मक विश्वविद्यालय जिनमें अध्ययन कार्य एक ही स्थान पर केन्द्रित होता है तथा दूसरे संघात्मक विश्वविद्यालय, जिनमें अनेक घटक कॉलेज (Constituent College) या स्वायत्त कॉलेज (Autonomous Colleges) होते हैं। इसलिए संघात्मक विश्वविद्यालयों को कॉलेजों का कॉम्पलेक्स (Complex of Colleges) भी कहा जाता है।

3. शिक्षा प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण

इनमें दो प्रकार के विश्वविद्यालय हैं-

(i) परम्परागत विश्वविद्यालय- जिनकी विचारधारा, कार्यक्षेत्र, अध्ययन विधि, कार्य प्रणाली औपचारिक एवं परम्परागत होती है।

(ii) मुक्त विश्वविद्यालय- जिनमें आधुनिक सम्प्रेषण तकनीक जैसे- रेडियो, टीवी पत्राचार, कम्प्यूटर आदि का प्रयोग कर छात्रों के अध्ययन में सहायता दी जाती है। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ऐसा ही एक विश्वविद्यालय है।

21.4 विश्वविद्यालय के कार्य (Functions of Universities)

देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं:-

1. मान्यता प्रदान करना (Affiliation)

सम्बद्ध विश्वविद्यालय का मुख्य कार्य आवश्यक शर्तों के साथ कॉलेजों को मान्यता देना है। शिक्षण के स्तर को स्थिर रखने के लिए समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण किया जाता है।

2. शिक्षण कार्य (Teaching)

विश्वविद्यालयों में भी अलग-अलग विभागों में शिक्षण कार्य किया जाता है।

3. परीक्षा लेना (Examination)

4. प्रसार कार्य (Extension)

इसमें विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के ज्ञान वृद्धि के लिए कार्य किया जाता है। कई विश्वविद्यालय पत्राचार पाठ्यक्रम चला रहे हैं। इसके अलावा प्रसार भाषणों, सेमिनार व गोष्ठियों के द्वारा प्रसार कार्यो को सम्पन्न किया जाता है।

5. अनुसन्धान कार्य

विश्वविद्यालय द्वारा गठित अनुसन्धान समिति द्वारा पीएच.डी. एवं डी.लिट् की उपाधि प्रदान करके अनुसन्धान को प्रोत्साहित किया जाता हैं। इस हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्रों की आर्थिक सहायता भी करता है।

21.5 पाठ्यक्रम (Curriculum)

देश में नवीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विश्वविद्यालय की शिक्षा के पुनर्संगठन के प्रयास किये जाते रहे हैं। उच्च शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है। विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धी स्वायतता प्राप्त है। विविध कार्यक्रमों के लिए विविध पाठ्यक्रम स्वायतशासी महाविद्यालय द्वारा भी बनाये जाते हैं जिसकी अनुशंसा एवं अनुमति विश्वविद्यालय द्वारा ली जाती है। उच्च स्तर पर पाठ्यक्रम का स्वरूप इस प्रकार है-

- आधारभूत कोर्स
- केन्द्र (कोर)
- व्यावहारिक अध्ययन जैसे- प्रोजेक्ट कार्य, क्षेत्रअनुभव, क्षेत्र गतिविधि अथवा सत्रीय कार्य।
- प्रथम दो वर्षो में राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) में भाग लेना।

21.6 प्रवेश प्रक्रिया (Admission Process)

- उच्च शिक्षा में स्नातक के लिए प्रथम डिग्री स्तर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश इन्टरमीडियड या उच्च माध्यमिक स्तर के अंकों (मेरिट) के आधार पर दिया जाता है। अर्थात् मुक्त द्वार प्रवेश नीति है।
- सभी वृत्तिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए चार परीक्षाएँ अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित की जाती हैं।
- कई उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है।

21.7 शिक्षण विधियाँ (Teaching Methods)

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रमों में विषयों की भरमार होने के कारण केवल व्याख्यान पद्धति पर ही विशेष बल दिया जाता है।

पाठ्य सामग्री के अनुरूप शिक्षण पद्धतियों के उपयोग से अधिकांश विश्वविद्यालयी शिक्षक अनभिज्ञ हैं। वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रयोग से कई अच्छे विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कम्प्यूटर इत्यादि आधुनिक तकनीकों के प्रयोग द्वारा व्याख्यान प्रस्तुत करने लगे हैं।

21.8 संचार तकनीकी (CT)

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी एवं सम्प्रेषण तकनीकी का तीव्र गति से विकास हुआ है। देश के कई विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा कक्षा-कक्ष शिक्षण में शैक्षिक तकनीकी के श्रेष्ठ उपकरणों का प्रयोग किया जाता है।

- राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्यारहवीं योजना में सूचना एवं प्रसार तकनीकी के विकास हेतु 400 विश्वविद्यालयों तथा 500 महाविद्यालय में ब्राडबैंड सुविधा उपलब्ध कराना निर्धारित किया गया है।
- विश्वविद्यालयों में परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य कम्प्यूटर से ही किया जाता है। परीक्षा परिणाम तैयार करना, अंक पत्र तथा प्रमाण पत्र कम्प्यूटर द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं।
- मूल्यांकन में प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा सम्बन्धी सूचनाओं व परिणामों का संग्रह व सारणीकरण, परीक्षा सम्बन्धी शोध कार्य करने में कम्प्यूटर की सहायता ली जाती है।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों, अवधि का उल्लेख करें।
2. भारत में स्थापना के आधार पर विश्वविद्यालयों में क्या अन्तर है?
3. विश्वविद्यालयों स्तर पर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?
4. विश्वविद्यालयी शिक्षा में नवीन विधियों एवं सूचना एवं संचार तकनीकी का प्रयोग क्यों आवश्यक है?

21.9 मूल्यांकन (Evaluation)

भारत में उच्च शिक्षा में प्रचलित वर्तमान परीक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषताओं को संक्षेप में निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है-

1. साधारणत: परीक्षायें शैक्षिक सत्र के अन्त में ली जाती हैं। दूसरे शब्दों में शैक्षिक सत्र के समापन पर ही परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है।
2. परीक्षाओं की प्रकृति बाह्य है अर्थात् अध्यापक अपने छात्रों की परीक्षा के मूल्यांकन में प्रत्यक्ष रूप से सहभागी नहीं होते हैं। कुछ विश्वविद्यालयों में आंतरिक मूल्यांकन का भी कुछ प्रावधान होता है।
3. परीक्षाएं लिखित होती हैं। विज्ञान एवं ललित कला जैसे विषयों में प्रयोगात्मक तथा कहीं-कहीं पर मौखिक परीक्षा का भी प्रावधान होता है।
4. परीक्षाओं में प्रयुक्त प्रश्न-पत्र परम्परागत प्रकृति के होते हैं, जिनमें निबन्धात्मक प्रश्नों की अधिकता होती है। इन प्रश्नों पर परीक्षार्थी को विस्तृत उत्तर देने की छूट होती है।
5. इन परीक्षाओं पर प्राप्त अंकों से छात्र आगामी कक्षा में प्रवेश के लिए, चयन परीक्षाओं में बैठने के लिए तथा रोजगार के लिए अर्ह (Eligible) हो जाता है।
6. उच्च शिक्षा में परीक्षा प्रणाली में अनेकों दोष पाये जा रहे हैं तथा इन दोषों पर चर्चा करने तथा इनको दूर करने के लिए अनेकों आयोगों समितियों, शिक्षाशास्त्रियों सामान्य नागरिकों ने समय-समय पर अपने विचार प्रस्तुत किए है। वास्तव में परीक्षा सुधार के दो मुख्य उद्देश्य हैं-
   - (i) परीक्षाओं को छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का मापन करने वाले विश्वसनीय तथा वैध साधन के रूप में स्थापित करना।
   - (ii) परीक्षाओं को शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाने के साधन के रूप में प्रतिष्ठित करके इनके शैक्षिक महत्व को बढ़ाना।

इसके लिए कतिपय परीक्षा सुधार सुझाए गए हैं, जैसे- निबन्धात्मक परीक्षणों का उन्नयन, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का अधिक प्रयोग, ग्रेड प्रणाली का प्रयोग, अंकों में समतुल्यता हेतु स्केलिंग अथवा परिमापन का प्रयोग, सतत् आन्तरिक मूल्यांकन, प्रश्न बैंक का निर्माण, खुली पुस्तक परीक्षा, सेमेस्टर प्रणाली तथा परीक्षाओं में कम्प्यूटर उपयोग इत्यादि।

21.10 दूरस्थ शिक्षा (Distance Education)

भारत में दूरस्थ शिक्षा सन् 1962 में दिल्ली में दूरदर्शन के प्रसारण के साथ ही आरम्भ हुई। सन् 1975-76 में उपग्रह अनुदेशन दूरदर्शन प्रयोग (SITE) शुरू किया गया जिसमें 'प्राथमिक शिक्षा तक व्यापक पहुंच प्रोजेक्ट के अन्तर्गत दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

विश्वविद्यालय स्तर पर दूरस्थ शिक्षा का श्रीगणेश सन् 1962 में ही दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने से हुआ था। सन् 1982 में आन्ध्र

प्रदेश में भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय खोला गया। 1985 में दिल्ली में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (Indira Gandhi National Open University) की स्थापना हुई। इसके उपरान्त अनेक मुक्त विश्वविद्यालय खोले गये तथा पुराने विश्वविद्यालयों में मुक्त शिक्षा अथवा दूरस्थ शिक्षा के अनेक निदेशालय / विभाग संस्थान खोले गए।

देश में इस समय एक राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 2 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय तथा अनेक दूरस्थ शिक्षा संस्थान (Distance Education Institute-DIEs) दूरस्थ शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं इसके अतिरिक्त लगभग 60 से भी अधिक परम्परागत विश्वविद्यालय पत्राचार (दूरस्थ) के माध्यम से मुक्त शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

इन सभी संस्थानों में नेटवर्क का कार्य दूरस्थ शिक्षा संस्थान (Distance Education Council-DEC) करती है। सभी कार्यक्रम IGNOU द्वारा विकसित किये जाते हैं तथा सभी मुक्त विश्वविद्यालयों के कार्यक्रमों में समान मानकों का प्रयोग किया जाता है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यालय दिल्ली में है तथा इसके प्रादेशिक केन्द्र देशभर में हैं तथा बहुत बड़ी संख्या में अध्ययन केन्द्र हैं। यह एक राष्ट्रीय (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना अधिकाधिक व्यक्तियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु हुई है। भारतीय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह एक नया कदम है। इस विश्वविद्यालय के शैक्षिक क्रियाकलापों का प्रारम्भ 'मैनेजमेन्ट में डिप्लोमा' तथा 'दूरस्थ शिक्षा में डिप्लोमा' नामक दो पाठ्यक्रमों से हुआ था परन्तु अब अनेक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जा चुके हैं। इग्नू द्वारा (2005) तक 101 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 3,60,000 विभिन्न कार्यक्रमों हेतु रजिस्टर्ड किया हुआ है। इसके अन्तर्गत 48 प्रादेशिक केन्द्र सपोर्ट सर्विस की तरह काम कर रहे हैं। 6 उपप्रादेशिक केन्द्र तथा 1271 अध्ययन केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

इग्नू द्वारा टीवी. पर राष्ट्रीय कार्यक्रम व ज्ञानदर्शन कार्यक्रम का प्रसारण तथा 'EDUSAT' नामक सेटेलाइट प्रसारण किया जाता है। यह प्रथम भारतीय सेटेलाइट शिक्षा के क्षेत्र में MHRD, IGNOU तथा ISRO (Indian Space Research Organisation) के संयुक्त प्रयास से कार्य कर रहा है। इग्नू ने 35 अन्य देशों के शैक्षिक संस्थानों में अपने अध्ययन केन्द्र खोले हुए हैं जिनके माध्यम से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री उपाधियाँ प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार दूरस्थ शिक्षा संस्थान (DEC) तथा IGNOU मिलकर देश में मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा के स्तर में गुणात्मक वृद्धि कर रहे हैं।

दूरस्थ शिक्षा की इन सभी संस्थाओं में मुख्य जोर मुद्रित सामग्री पर है तथा अन्य सम्प्रेषण माध्यमों का प्रयोग सीमित है। वर्तमान में अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा अध्यापक शिक्षा के क्षेत्रों में रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट तथा ई-मेल इत्यादि तकनीकी प्रविधियों के सफलतापूर्वक उपयोग द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।

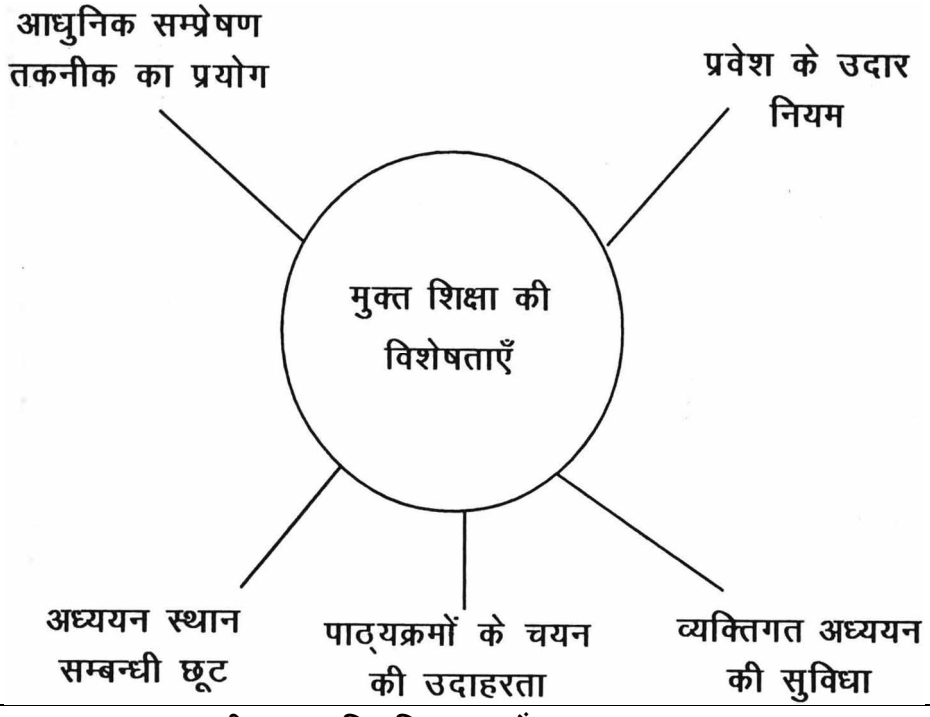

राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में अध्ययन व्यवस्था

विशेष रूप में निर्मित मुद्रित सामग्री विद्यार्थियों को भेजना

↓

1. अध्ययन केन्द्रों पर

↓

2. पाठ्यक्रम सम्बन्धी रेडियो व दूरदर्शन कार्यक्रमों को सुनने व देखने की सुविधा

↓

3. अध्ययन केन्द्रों पर ऑडियो व वीडियो केसिट की व्यवस्था

↓

4. पढ़ाई सम्बन्धी परामर्श

↓

5. पाठ्यपुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं आदि अतिरिक्त पाठ्यसामग्री उपलब्ध करना

↓

प्रयोगात्मक कार्य करने की सुविधा उपलब्ध कराना

(अन्य विवि., महाविद्यालय एवं अध्ययन केन्द्रों पर)

21.11 जीवनपर्यन्त शिक्षा (Life Long Education)

जीवनपर्यन्त शिक्षा सतत् चलने वाली शिक्षा (Continuing Education) है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को उसके जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में जमाने के साथ चलने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना है। विज्ञान एवं तकनीकी के तीव्र विकास के कारण आ

रहे परिवर्तनों के सापेक्ष व्यक्ति को समायोजित करने की दिशा में सतत् शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है। समानता, आर्थिक लाभ, बदलते परिवेश तथा तकनीकी व व्यावसायिक परिवर्तन सतत् शिक्षा के महत्व को और भी अधिक बढ़ा देते हैं। सतत् शिक्षा को तीन विभिन्न स्तरों में प्रस्तुत किया जा सकता है-

(i) उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके व्यक्तियों हेतु।

(ii) सामान्य नागरिक तथा कर्मचारियों हेतु।

(iii) स्कूल के बाहर का युवा वर्ग।

सतत् शिक्षा की अवधारणा के पीछे तीन तथ्य काम करते हैं-

(i) अध्ययन आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है।

(ii) प्रौढ़ व्यक्तियों को ज्ञान अपनी व्यक्तिगत रूचि और समाज के अनुकूल प्राप्त करना चाहिए।

(iii) विश्वविद्यालय, ज्ञान देने की सबसे साधारण एवं सम्पन्न संस्थायें हैं।

भारत में सतत् शिक्षा प्राचीनकाल से ही प्रचलित रही है। हैदराबाद में रात्रिकालीन कला संकाय तथा वाणिज्य के अनेक विषयों में स्नातकोत्तर कक्षायें चलती हैं इनमें 400 से ऊपर प्रौढ़ व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करते हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों के कला संकायों में फ्रेंच, रशियन, जर्मन आदि विदेशी भाषाओं के डिप्लोमा कोर्स की भी व्यवस्था है।

कई विश्वविद्यालय, पत्राचार पाठ्यक्रम एवं मुक्त शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को निरन्तर बनाने में सहयोग कर रहे हैं। ओसमानियां विश्वविद्यालय व कलकत्ता विश्वविद्यालय सतत् शिक्षा के अनेक कार्यक्रम चला रहे हैं।

21.12 विश्वविद्यालयी अध्यापकों की शिक्षा (Education of University Teachers)

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालय में शिक्षण कार्य करने वाले अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि होती है। पीएच.डी. या एम.फिल इस स्तर के अध्यापकों की वांछनीय अतिरिक्त योग्यता मानी जाती है।

सन् 1989 से यूजीसी द्वारा कॉलेज व्याख्याताओं के लिए राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (National Eligibility Test-NET) को अनिवार्य कर दिया गया है। करीब 50,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा मे प्रतिवर्ष बैठते हैं। इसमें पास प्रतिशत लगभग 5% है। NET की ही भांति आठ राज्य स्तरीय परीक्षायें भी व्याख्याता हेतु नियुक्ति के लिए आयोजित की जाती हैं।

सेवारत प्रशिक्षण- पूर्व में उच्च शिक्षा के स्तर पर अध्यापकों के लिए सेवापूर्व प्रशिक्षण या किसी विशेष प्रकार के औपचारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती थी। समय-समय पर अध्यापकगण अपने ज्ञान के अभिनवीकरण के लिए गोष्ठियों, कार्यशालाओं, ग्रीष्म सत्रों (Summer Institutes) द्वारा अभिनव कार्यक्रमों (Refresher Courses) में स्वेच्छा से भाग लेते थे। परन्तु अब यूजीसी ने महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों

के लिए अनुस्थापन (Orientation) कार्यक्रम (नये अध्यापकों हेतू) तथा अभिनवन (Refresher) पाठ्यक्रम (सेवारत अध्यापकों हेतू) में भाग लेना अनिवार्य कर दिया है।

प्रशिक्षण संस्थाएँ- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 48 विश्वविद्यालयों में एकेडमिक स्टाफ कॉलेज (Academic Staff College-ASC) खोले हैं, जो सम्पूर्ण देश में स्थित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालय में नवनियुक्त प्राध्यापकों के लिए अनुस्थापन एवं वरिष्ठ प्राध्यापकों के लिए अभिनवन कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इन पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका, भारतीय शिक्षा प्रणाली, शिक्षा दर्शन, विषय उन्नयन, प्रबन्ध आदि विषयों पर व्याख्यानों, सेमीनार, कार्यशाला एवं स्व-अध्ययन की व्यवस्था की जाती है।

अध्यापक शिक्षा में प्रशिक्षण- विश्वविद्यालयों में अध्यापक शिक्षकों के लिए स्नातकोत्तर (सेवापूर्व) उपाधि अनिवार्य है। विश्वविद्यालयों द्वारा स्नातकोत्तर तथा अनुसन्धान कार्य का आयोजन किया जाता है। स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा निष्णान्त (Master of Education - M.Ed.) की उपाधि दी जाती है। यह एक व्यावसायिक एक वर्षीय पाठ्यक्रम है।

21.13 अनुसन्धान (Research)

उपलब्ध ज्ञान के परीक्षण तथा वैधकरण के साथ-साथ नवीन ज्ञान के सृजन का एक महत्वपूर्ण साधन अनुसन्धान है। विगत कुछ वर्षो में हुई तीव्र प्रगति का मूल अनुसन्धान ही है।

अनुसन्धान सुनियोजित ढंग से समस्याओं का समाधान खोजने, उपलब्ध ज्ञान के परिमार्जन एवं नवीन ज्ञान के सृजन की एक वैज्ञानिक विधि है। शैक्षिक अनुसंधान भी वैज्ञानिक अनुसन्धानों की तरह से सुनियोजित, आनुभाविक तथा औपचारिक होते हैं। भारतवर्ष में शैक्षिक अनुसंधान का प्रारम्भ सन् 1943 में बम्बई विश्वविद्यालय द्वारा डा. चिक्रमाने को पीएच.डी की उपाधि प्रदान करके हुआ। तब से लेकर अब तक शैक्षिक अनुसन्धान के क्षेत्र में बहुत वृद्धि हुई है। इन शोध अध्ययनों का दशकवार विवरण अग्रांकित सारणी में प्रस्तुत किया गया है-

शैक्षिक शोध अध्ययनों का दशकवार विवरण

(Decade Wise Distribution of Educational Research)

दशक	शिक्षाशास्त्र में पीएच.डी. अनुसन्धान उपाधि	अन्य विषयों में पीएच.डी. अनुसन्धान उपाधि	अनुसन्धान प्रोजेक्ट	कुल
1941-50	10	1	1	12
1951-60	62	25	59	146
1961-70	216	178	298	692
1971-80	887	429	626	1942
1981-88	1087	384	430	1911
कुल	**2272**	**1017**	**1414**	**4730**

सारणी से स्पष्ट है कि आठवें तथा नौवें दशकों में शैक्षिक अनुसन्धान में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। पांचवे दशक में जहां प्रतिवर्ष एक अनुसंधान का औसत था, वह छठवें, सातवें, आठवें तथा नौवें दशकों में बढ़कर क्रमश: 15, 69, 194 तथा 239 हो गया था।

प्रत्येक विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों में आधारभूत एव व्यावहारिक अनुसन्धान की सुविधा उपलब्ध कराता है। इसके लिए विश्वविद्यालय में शोध समिति का गठन किया जाता है। इस समिति द्वारा पीएच.डी. तथा डी.लिट् की उपाधि के लिए सिफारिशें की जाती हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस कार्य के लिए बड़े पैमाने पर छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है जैसे-

अनुसन्धान तीन स्तरों पर किये जाते हैं-

(i) एम.एड. स्तर पर एक लघु शोध प्रबन्ध

(ii) एम.फिल स्तर पर शोध रूपरेखा (Research Synopsis)

(iii) पीएच.डी. एवं डी.लिट् - शोध ग्रंथ (Research Thesis)

भारत में उच्च स्तर पर अनुसन्धान को बढ़ावा देने हेतु कुछ विशिष्ट अनुसन्धान संस्थानों की स्थापना की गई है।

- Indian Council of Historical Research, Delhi.
- Indian Council of Philosophical Research, Delhi and Lucknow.
- Indian Institute of Advanced Study, Shimla.
- Indian Council of Social Science Research, Delhi.

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. उच्च शिक्षा में मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन करें।
2. भारत में दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा के क्षेत्र में किस विश्वविद्यालय का योगदान है तथा क्या? स्पष्ट करें।
3. विश्वविद्यालयी अध्यापकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता सम्बन्धी तर्क देवें।
4. उच्च स्तर पर गुणात्मक अनुसन्धान की कमी के क्या कारण हो सकते हैं?

21.14 प्रशासन (Administration)

भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्यों की विधायिका अथवा केन्द्र की संसद द्वारा पारित अधिनियमों द्वारा ही की जा सकती है। उच्च शिक्षा के प्रशासन एवं नियन्त्रण में केन्द्र तथा राज्य की भूमिकाएं इस प्रकार हैं--

1. **केन्द्र-** उच्च शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश में नीति सम्बन्धी उत्तरदायित्व केन्द्र का है। केन्द्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वित्तीय सहायता देता है तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करता है। इसके अलावा शैक्षिक संस्थानों की डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए अनुशंसा सम्बन्धी घोषणा का उत्तरदायित्व भी वहन करता है। उच्च शिक्षा एवं तकनीकी संस्थाओं की गुणवत्ता एवं समन्वय के लिए केन्द्र सरकार को विशेषाधिकार प्राप्त हैं।

2. **राज्य-** राज्य सरकार पर राज्यीय विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय की स्थापना का उत्तरदायित्व है। राज्य इनके विकास के लिए नियोजित अनुदान तथा रख-रखाव के लिए अनियोजित अनुदान देता है।

राज्य व केन्द्र के बीच शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग एवं समन्वय 'केन्द्रीय परामर्शदात्री शिक्षा बोर्ड (Central Advisory Board of Education-CABE) द्वारा होता है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर प्रशासनिक स्वरूप इस प्रकार है।

(अ) विश्वविद्यालय स्तर - भारत में कई तरह के विश्वविद्यालयों के स्वरूप प्रचलित हैं। अधिकांश विश्वविद्यालय सम्बद्ध विश्वविद्यालय हैं जो अपने से सम्बद्ध महाविद्यालय के पाठ्यक्रम तय करना, परीक्षा लेना, उपाधि देने इत्यादि के कार्य करते हैं।

यद्यपि विश्वविद्यालयों की स्थापना स्वायत्त संस्था के रूप में की जाती है तथापि इन पर केन्द्र या राज्य सरकार का परोक्ष नियन्त्रण रहता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) तथा भारतीय विश्वविद्यालय संघ भी इनके ऊपर आर्थिक एवं शैक्षिक नियंत्रण रखते हैं।

विश्वविद्यालय का आन्तरिक नियन्त्रण मुख्य रूप से तीन परिषदों - कार्यकारिणी परिषद कोर्ट तथा विधा परिषद के अधीन रहता है। विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी शक्ति कार्यकारिणी परिषद में, विधायी शक्ति कोर्ट में तथा शैक्षिक शक्ति विधा परिषद में निहित रहती है।

इनके अतिरिक्त वित्त समिति, चयन समिति, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति तथा विभिन्न संकाय भी विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यो पर नियन्त्रण रखते हैं।

प्रशासन- विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए विश्वविद्यालय का अधिकारी वर्ग ही मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है- इसमें प्रमुख अधिकारी, कुलाधिपति, उपकुलपति, वित्त अधिकारी, कुल सचिव, संकाय अधिष्ठाता, पुस्तकालयाध्यक्ष तथा अनुशासनाधिकारी होते हैं।

(ब) महाविद्यालय स्तर पर - महाविद्यालय में प्रदान की जाने वाले शिक्षा पर मुख्य रूप से राज्य, विश्वविद्यालय कॉलेज प्रबन्धतंत्र तथा प्राचार्य का नियन्त्रण रहता है। आर्थिक मामलों में महाविद्यालय को राज्य या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदानों पर निर्भर रहना पड़ता है। अत: इनके नियमों का पालन भी करना पड़ता है।

महाविद्यालय के बाह्य प्रशासनिक क्रियाकलापों पर उच्च शिक्षा निदेशक नजर रखता है। इस कार्य में उसकी सहायता जिला विद्यालय निरीक्षक तथा क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक करते हैं। नये महाविद्यालय की स्थापना, पुराने महाविद्यालय में नई कक्षाएं खोलने, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि आदि करने की अनुमति निदेशक द्वारा ही दी जाती है।

शैक्षिक क्रियाकलापों के ऊपर विश्वविद्यालय का नियन्त्रण रहता है। जैसे- प्रवेश के नियम, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली आदि का निश्चय विश्वविद्यालय ही करता है। अध्यापकों के चयन में उच्च शिक्षा सेवा आयोग अपनी भूमिका निभाता है।

महाविद्यालय का आन्तरिक प्रशासन प्रबन्ध तन्त्र तथा प्राचार्य करते हैं। प्रबन्धतन्त्र आवश्यक भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराता है तथा प्राचार्य शैक्षिक वातावरण का नियन्त्रण करता है।

21.15 मुख्य संस्थाएं (Major Agencies)

विभिन्न विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा अन्य उच्च शिक्षा संस्थाएं यद्यपि अपने आप में पूर्ण इकाई होने के कारण स्वतन्त्र रूप से कार्य करती हैं परन्तु इन उच्च शिक्षा संस्थाओं तथा राज्य व केन्द्र सरकारों के बीच समन्वय का कार्य तथा विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक संस्थायें काम कर रही हैं। इनमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अर्न्तविश्वविद्यालय परिषद तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का स्थान प्रमुख है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) - विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49) द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) की स्थापना 1956 में भारतीय संसद द्वारा पारित विधेयक के द्वारा हुई थी। आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसमें विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों तथा उच्च कोटि के शिक्षा-शास्त्रियों को सदस्य बनाया जाता है। इस आयोग के मुख्य दायित्व निम्न हैं-

1. विश्वविद्यालयों तथा सम्बन्धित महाविद्यालय को विकास के लिए अनुदान देना।
2. आयोग द्वारा गठित समितियों द्वारा उच्च स्तर की शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण करना तथा अनुदान के लिए सिफारिश करना।
3. विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित महाविद्यालय में उच्च शिक्षा के स्तर को बनाये रखना तथा इसके लिए अध्यापकों हेतु विशेष सेवाकालीन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना।
4. उच्च शिक्षा के विभिन्न पक्षों जैसे परीक्षा सुधार, पाठ्यक्रम निर्माण, अनुसंधान आदि के सम्बन्ध में गोष्ठियों का आयोजन करना।
5. विश्वविद्यालयों से विभिन्न सूचनाएं संकलित करना।
6. नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा पुराने विश्वविद्यालयों के विस्तार के सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त करना।
7. उच्च शिक्षा के सम्बन्ध के केन्द्र सरकार को परामर्श देना।

   यूजीसी द्वारा अभी तक 6000 कॉलेजों तथा 167 विश्वविद्यालयों को ही धारा 12 (बी) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है जिन्हें यूजीसी अनुदान देती हैं।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ (Association of Indian University)

सन् 1925 में बम्बई विश्वविद्यालय में आयोजित सभा में अर्न्तविश्वविद्यालय परिषद् (Inter University Board- IUB) की स्थापना की गई। तब से इस परिषद् के सदस्य विश्वविद्यालयों के कुलपति वर्ष में एक बार परिषद के तत्वावधान में मिलते रहे हैं। 1973 में इसका नाम भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIV) दिया गया। यह एक स्वैच्छिक संस्था है जो

उच्च शिक्षा की नीति निर्माण करने तथा समस्याओं के समाधान के लिए विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच का कार्य करती है।

यह संघ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निम्न कार्य करता है-

1. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सूचना केन्द्र का कार्य करता है। इसके लिये यह यूनिवर्सिटी न्यूज नामक पाक्षिक पत्रिका भी प्रकाशित करता है। यह भारत तथा विदेश में स्थित विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित विभिन्न सूचनायें एकत्र करता है तथा इच्छुक व्यक्ति या संस्था को उपलब्ध कराता है।
2. संघ उच्च शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों पर उच्च स्तरीय पुस्तकें व संदर्भ पुस्तकें प्रकाशित करता है।
3. उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए अनुसंधान कार्य करता है। परीक्षा सुधार तथा शैक्षिक वित्त के क्षेत्र में संघ का कार्य सराहनीय है।
4. संघ द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच परस्पर सम्पर्क, सहयोग तथा समन्वय स्थापित करके उच्च शिक्षा की उन्नति एवं समस्या समाधान का प्रयास करता है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE)

सन् 1993 में स्थापित-राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यक्रमों का नियोजन व क्रियान्वयन करने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश देने तथा अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व वहन करती है। परिषद की चार क्षेत्रीय समितियां जयपुर, बंगलौर, भुवनेश्वर तथा भोपाल में गठित की गई है। 31 जनवरी, 2006 तक एनसीटीई ने 6,647 पाठ्यक्रमों के माध्यम से 5.22 लाख प्रशिक्षु अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए 5,854 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान की है। 2007 तक 6,306 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान की जा चुकी है।

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (National Assessment and Accredition Council-NAAC)

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह एक स्वायतशासी संस्था है जिसकी स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1994 में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संस्थाओं द्वारा स्वेच्छापूर्वक मूल्यांकन करके अपनी गुणवत्ता का आकलन करने हेतु की गई। विभिन्न संस्थायें NAAC द्वारा निर्धारित मानदण्डों पर आधारित स्वमूल्यांकन का लिखित प्रतिवेदन भेजते हैं। इसकी वैधता एवं मूल्यांकन कमेटी द्वारा संस्था में किया जाता है तथा ग्रेड दिया जाता है।

मार्च, 2007 तक NAAC द्वारा 3,644 उच्च शिक्षा संस्थाओं (140 विश्वविद्यालयों तथा 3504 महाविद्यालय) द्वारा स्वैच्छिक तौर पर मूल्यांकन करा लिया गया है) 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन का प्रथम चक्र पूरा करने के लिए व्यवस्था करना परिषद का लक्ष्य है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा स्थापित अनेक राष्ट्रीय स्तर की स्वायत्तशासी संस्थाएं विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता को स्थापित करने का कार्य कर रही है। इन संस्थाओं की सूची इकाई संख्या 23 में दी गई है।

21.16 वित्त (Finance)

विश्वविद्यालय संगठन को दृढ़ करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुदान एवं व्यवस्थाएं इस प्रकार प्राप्त होती हैं-

1. केन्द्र सरकार द्वारा वित्त व्यवस्था

केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की वित्त व्यवस्था करती है। इसके अन्तर्गत शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली, बनारस, विश्व-भारती विश्वविद्यालय आदि को अनुदान प्रदान किया जाता है। यूजीसी द्वारा भी इन विश्वविद्यालयों को अनुदान दिया जाता है।

2. राज्य सरकार द्वारा वित्त व्यवस्था

(i) राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों को अनुदान दिया जाता है।

(ii) यूजीसी द्वारा अनुदान दो रूपों में दिया जाता है। (अ) कुछ योजनाओं के लिए शत-प्रतिशत आधार पर अनुदान दिया जाता है जैसे- पुस्तकें खरीदने, छात्रवृत्तियां, अध्ययन केन्द्रों की रोजगार सूचना एवं परामर्श ब्यूरों के लिए, कॉलेजों में छात्रावास, केन्टीन, प्रयोगशाला आदि के लिए। (ब) तुल्य अनुदान (Matching Grant) जैसे- स्वास्थ्य केन्द्र, अतिथि केन्द्र, साइकिल शेड, स्टाफ क्वार्टर, छात्रावास भवन निर्माण इसके अन्तर्गत आते हैं। विश्वविद्यालय विकास के लिए योजनाबद्ध अनुदान, वचनबद्ध व्यय अनुदान (Committed Expenditure) जिनमें सहायक अनुदान (Grant in Aid) दिया जाता है।

(iii) महाविद्यालय को अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, परन्तु अधिकांश महाविद्यालय संक्षिप्त अनुदान राशि, स्थानीय संस्थाओं, प्रदेश शुल्क एवं अन्य शुल्कों द्वारा ही अपना कार्य चलाते हैं।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गत वर्ष से वित्तीय परिव्यय 83.5 प्रतिशत बढ़ा है (2007-08 में) इस तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है-

	2006-07 दसवीं पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष	**2007-08 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष**
नियोजित व्यय (Plan)	2529.0	6480.5
अनियोजित व्यय (Non Plan)	2489.0	2729.0
कुल	5018.0	9209.0
केन्द्र सरकार के बजट का कुल प्रतिशत	0.86%	1.35%

स्व मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. विश्वविद्यालयों के प्रशासन एवं नियन्त्रण पर टिप्पणी लिखें।
2. उच्च शिक्षा संस्थाओं के उन्नयन में यूजीसी की भूमिका पर प्रकाश डालें।

3. राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की स्थापना क्यों की गई?
4. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालय में वित्त व्यवस्था में राज्य सरकारों की क्या भूमिका है?

21.17 विशिष्टताएँ (Special Features)

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों द्वारा भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति एवं विशिष्टताओं को समझा जा सकता है-

विश्वविद्यालय स्वायत्तता (University Autonomy)- विश्वविद्यालय स्वायत्तता से अभिप्राय विश्वविद्यालय के कार्यो में हस्तक्षेप न करने से है। एक स्वायत्त संस्था को छात्रों के प्रवेश के सम्बन्ध में, अध्यापकों की नियुक्ति व पदोन्नति के सम्बन्ध में, पाठ्यक्रम निर्माण में पूर्ण स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए। यदि संस्था पर स्थानीय, राजनीतिक या अन्य कोई दबाव हो तो बौद्धिक माहौल तैयार करने व श्रेष्ठता की प्राप्ति में बाधा पहुंचती है।

शिक्षा आयोग (1964-66) ने विश्वविद्यालय को स्वायत्तता देने की सिफारिश की। एनईपी में 1986 में स्वायतशासी कॉलेजों को बढ़ावा देने की योजना बनी थी। भारत में स्वायतशासी संस्थाओं के रूप में कई महाविद्यालय (लगभग 265) कार्य कर रहे हैं। ऐसे महाविद्यालय में उपाधि देते समय सम्बद्ध विश्वविद्यालय के साथ महाविद्यालय का नाम भी अंकित रहता है। महाविद्यालय कोई भी नया पाठ्यक्रम विकसित करने पर विश्वविद्यालय को अनुमति हेतु भेजता है तथा परीक्षा इत्यादि के लिए पूर्ण उत्तरदायी होता है।

अर्न्तविषयी अभियान (Inter Disciplinary Approach)- अर्न्तविषयी अभियान का उद्देश्य विभिन्न संकायों या विषयों को एक-दूसरे के निकट लाकर उनमें परस्पर सम्बन्ध स्थापित करना है। इसे अर्न्तविषयी अनुशासन भी कहते हैं। शिक्षा आयोग (1964-66) ने भी कहा है कि शिक्षा को जीवन के साथ जोड़ना चाहिए तथा इसे विभिन्न विषयों के परस्पर समन्वय से ही सम्भव बनाया जा सकता है। उदाहरणार्थ- शिक्षा शास्त्र की विषयवस्तु में लगभग सभी विषयों का समावेश है।

उच्च शिक्षा के स्तर पर विशेषकर स्नातकोत्तर एवं अनुसन्धान विषयों में यह अभिगमन प्रचलित हो गया है। यहां विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों द्वारा विचारों का अदान-प्रदान होता है। विभिन्न कार्यशालाओं, सम्मेलनों, गोष्ठियों में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा समस्याओं व समाधान पर चर्चा होती है। इसी प्रकार शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र दोनों के संयुक्त कार्यक्रम चलाये जा सकते हैं। अत: उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह उपागम एक नवीन एव प्रभावशाली उपागम सिद्ध हो रहा है।

कार्य अनुभव- शिक्षा आयोग (1964-66) ने शिक्षा को जीवन तथा उत्पादकता से जोड़ने के एक कार्यक्रम के रूप में कार्य अनुभव को सभी प्रकार की शिक्षा, सामान्य या व्यावसायिक के अंग के रूप में लागू किया जाने का सुझाव दिया। उच्च शिक्षा स्तर पर विश्वविद्यालयों तथा उनसे सम्बन्धित महाविद्यालय में राष्ट्रीय सामाजिक सेवा (NSS) योजना प्रारम्भ की गई है। इसमें शिविर लगाये जाते हैं जहां छात्र श्रमदान करके सामाजिक सेवा कार्य करते हैं।

प्रौद्योगिकी शिक्षा- भारत के प्रशिक्षण संस्थानों ने विश्व में अपनी विशेष पहचान कायम की है। इसमें इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबन्ध, अर्किटेक्चर, फार्मेसी आदि हैं। इस समय देश में सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), छः भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आईआईएम), भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) बैंगलोर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंध संस्थान (आईआईआईडीएम), ग्वालियर, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) इलाहाबाद तथा इसका अमेठी स्थित विस्तार परिसर एवं द्वारिका प्रसाद मिश्र सूचना एवं प्रौद्योगिकी डिजायन एवं निर्माण संस्थान (आईआईआईडीएम) जबलपुर, चल रहे हैं। 18 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिन्हें केन्द्र सरकार ने 100 प्रतिशत सहायता प्रदान कर रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजों में परिवर्तित कर दिया है, देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्नातक, स्नातकोतर, और अनुसंधान स्तर के कार्यक्रम चलाता है।

21.18 नवीन प्रयास (New Trends)

विश्वविद्यालयी शिक्षा में कई नवीन प्रयास किये जा रहे हैं-

1. **व्यावसायीकरण -** प्रथम डिग्री के स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1966 की अनुशंसा पर आधारित 1994-95 में केरियर अनुस्थापन की व्यवस्था की गई। इस योजना के तहत एक विश्वविद्यालय या महाविद्यालय प्रथम डिग्री स्तर पर 35 निर्धारित विषयों में से एक से तीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम चला सकता है।

2. **ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना-** (i) इस योजना में दसवीं योजना से 9 गुना राशि (85,000 करोड़) विश्वविद्यालयी शिक्षा हेतु निर्धारित की गई है। इसमें भौतिक सुविधाओं को बढ़ाना, समानता, गुणवत्ता बढ़ाने तथा सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी का भरपूर उपयोग को प्राथमिकता दी गई है। इस योजना के अन्त तक (2012 तक) 18 से 24 आयु वर्ग के बीच के विद्यार्थियों के नामांकन दर को 15 प्रतिशत करना लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो वर्तमान में 10 प्रतिशत है।

   (ii) सन् 2017 तक इसे 22 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लक्ष्य हैं-

   - 10 NIIT की स्थापना
   - 8 नवीन IITs की स्थापना
   - 7 नवीन IIMs की स्थापना
   - 3 नवीन IISERs की विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में स्थापना।
   - 16 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना (जिन राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है)
   - 14 केन्द्रीय विश्वविद्यालय - विश्वस्तरीय विद्यार्थियों हेतु।

- 5 अनुसंधान संस्थान।
- 333 महाविद्यालय की (शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में) स्थापना।

(iii) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता को 'ई' सामग्री को उपलब्ध कराने हेतु 400 से अधिक विश्वविद्यालयों एवं 20,000 से अधिक डिग्री कॉलेजों को ब्रॉड बैण्ड सुविधा उपलब्ध कराना निर्धारित किया गया है।

3. भारतीय प्रत्यायित राष्ट्रीय बोर्ड को वर्ष 2007 के दौरान वाशिंगटन संधि का अंतरिम सदस्य बनाया गया। अखिल भारतीय तकनिकी शिक्षा परिषद् के भारतीय प्रत्यायित राष्ट्रीय बोर्ड के द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों के स्नातक छात्रों को इस सन्धि के सदस्य देशों जैसे- अमरीका, कनाडा, ब्रिटेन, जापान आदि में शिक्षा व रोजगार प्राप्त करने में आसानी होगी।

4. यूजीसी ने हाल ही में स्नातकोत्तर विभागों में उत्कृष्टता संवर्धन एवं मूल्यांकन की पद्धति विकसित की है। इसके माध्यम से अभी तक केवल 10 विश्वविद्यालय, 100 कॉलेज तथा 500 विभागों की पहचान उत्कृष्टता की संभावना वाले कॉलेजों /केन्द्र अथवा विश्वविद्यालय के रूप में हुई है।

21.19 समस्याएँ (Problems)

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित समस्याएँ दृष्टिगोचर होती है:-

विद्यार्थी संख्या में वृद्धि- जनसंख्या वृद्धि तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के स्वरूप का व्यावसायीकरण न होने के कारण उच्च स्तर पर विद्यार्थियों की भीड़ देखी जाती है। इतने विद्यार्थियों हेतु शिक्षा प्रदान करने के लिए आर्थिक व्यवस्था तथा शिक्षा प्राप्ति पर रोजगार उपलब्ध करने की समस्या इससे जुड़ी है। साथ ही अपव्यय व अवरोधन भी एक समस्या है। विद्यार्थियों का 87.5 प्रतिशत जो पूर्व स्नातक कक्षाओं में प्रवेश लेता है। वह उत्तर स्नातक तक आते-आते 9.8 प्रतिशत तथा अनुसन्धान करने तक 1.2 प्रतिशत रह जाता है। इसके साथ ही उच्च स्तरीय डिग्री लेकर ऐसे कामों में व्यक्ति का लग जाना, जहाँ उच्च शिक्षा आवश्यक नहीं, यह भी अपव्यय को बढ़ाता है। विद्यार्थियों का अधिक प्रतिशत का स्नातक स्तर पर फेल होना भी अवरोधन के साथ अपव्यय बढ़ाता है

कॉलेजों का विस्तार- तीव्र गति एवं अनियोजित रूप में कॉलेजों की बढ़ती संख्या ने विश्वविद्यालयी शिक्षा के स्तर को गिरा दिया है।

अर्थव्यवस्था- देश में केन्द्र द्वारा संचालित विश्वविद्यालय सभी दृष्टि से सम्पन्न हैं दूसरी तरफ राज्यों द्वारा नियन्त्रित उच्च शिक्षा उपयुक्त सुविधाओं के अभाव में पंगु हो रही है। राज्य सरकारों द्वारा प्रमुख रूप में दी जाने वाली सहायता 'ब्लॉक ग्राण्ट' होता है। इस अनुदान राशि का प्रयोग कॉलेज उसी अवस्था में कर सकते हैं जबकि उनका खर्च अन्य स्रोतों से मिलने वाली राशि से नहीं चलता है। आज अधिकांश कॉलेज अपने बजट में खर्च न चलने की असमर्थता दिखाते हुए इस 'ब्लॉक राशि' का प्रयोग करते हैं।

इसके साथ ही यूजीसी से मिलने वाले अनुदान का दुरूपयोग होता है। सरकार द्वारा उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए अनुदान बहुत कम होने से कुछ महाविद्यालय की दशा शोचनीय रहती है।

शिक्षा में व्यावसायिकता का अभाव- उच्च शिक्षा हमारी आवश्यकताओं, सामाजिक उपयोगिता तथा व्यावसायिक उपयोगिता से दूर होने के कारण उच्च डिग्री लेने के बाद भी विद्यार्थी बेरोजगार रहता है। कुछ प्रतिभाशाली विद्यार्थी विदेशों में चले जाते हैं फलत: अपव्यय बढ़ता है। विश्वविद्यालय स्तर की अन्य समस्याओं में निम्न समस्याएँ हैं:-

- वर्तमान उच्च शिक्षा के उद्देश्य स्वयं में स्पष्ट नहीं हैं फलत: प्रयास भी उद्देश्य विहीन है।
- उच्च स्तर का अभाव शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम, पुस्तकों इत्यादि में उच्च स्तर का अभाव है।
- बढ़ते राजनैतिक प्रभाव के कारण छात्रों में असन्तोष एवं अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है।
- उच्च स्तरीय अनुसन्धान का अभाव है।
- निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं का अभाव।
- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालय में परस्पर समन्वय का अभाव।
- दोषपूर्ण, कठोर एवं औपचारिक परीक्षा प्रणाली
- दोषपूर्ण एवं अनुपयोगी कार्यक्रम।
- शिक्षकों द्वारा निष्ठा एवं समर्पण में कमी।
- अपर्याप्त संसाधन इत्यादि।

उपरोक्त कई कारण एवं समस्यायें विश्वविद्यालयी शिक्षा के गुणात्मक विकास में बाधक रही हैं।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. विश्वविद्यालय स्वायत्तता क्यों आवश्यक है?
2. विश्वविद्यालयों में अन्तर्विषयी उपागम को किस तरह से अपनाया जा रहा है?
3. उच्च शिक्षा की समस्याओं पर प्रकाश डालिए।

21.20 सारांश (Summary)

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत में समृद्ध परम्परा रही है। स्वतन्त्रता के पश्चात इसका अत्यन्त तीव्र गति से विस्तार हुआ है। आज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत के कई संस्था विश्व स्तरीय ख्याति प्राप्त हैं।

भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षा को डिप्लोमा, स्नातक उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि तथा अनुसन्धान इत्यादि में बांटा जा सकता है। जिनके लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्यीय विश्वविद्यालयों, सम्बद्ध महाविद्यालय एवं मुक्त विश्वविद्यालयों में विभिन्न प्रकार के अकादमिक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं। विश्वविद्यालय, केन्द्र अथवा राज्यों के द्वारा पारित अधिनियमों के अन्तर्गत कार्य करता है। स्वायत्त संस्थाओं पर भी सरकार तथा

यू.जी.सी. का नियन्त्रण रहता है। उच्च शिक्षा की गुणात्मकता एवं अनुसन्धान पर बल दिया जाता है। 11वीं योजना में उच्च शिक्षा का व्यय भार बढ़ाया गया है तथा विद्यार्थियों के सकल नामांकन दर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य 2012 तक निर्धारित किया गया है। साथ ही कई केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, उच्च तकनीकी संस्थानों की स्थापना का लक्ष्य है जिससे विश्वविद्यालयी शिक्षा को नई ऊंचाईयों तक लाया जा सके।

21.21 सन्दर्भ सूची (References)

1. Aggarwal, J.C.: **Landmarks in the History of Modern Indian Education** (1994), Vikas Publishing Pvt. Ltd., Jangpura, Delhi.
2. Biswas A. and Aggarwal. S.P.: **'Development of Education in India,** 1986, Concept Publishing Company, New Delhi.
3. Sharma, R.N.: **Comparative Education,** Surjeet Publications, Delhi,2002.
4. Gupta, S.p.: History, **Development and Problems of Indian Education (Hindi)** Sharda Pustak Bhawan, Allahabad,2007.
5. Agrawal, J.C.: **Landmarks in the History of Modern Indian Education,** Vani books, Delhi.
6. Choubey, S.P. & Pandey Ram Sakal : **Development of Education in India (Hindi),** Central Book Depot, Allahabad.
7. Pandey. R.S. : **भारतीय शिक्षा की समस्याऐं**, आगरा
8. Biswas, A. and Aggarwal, J.C. : **Comparative Education.**
9. Khan, M.A. : **Modern Comparative Education,** Anmol Publication Pvt. Ltd., New Delhi, 2004
10. Kaushik, S.L. & Beejamal K.G. : **तुलनात्मक शिक्षा**, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर (1989)

प्रतिवेदन (Reports)

भारत सरकार द्वारा प्रकाशित-

- नेशनल पॉलिसी ऑन एजूकेशन, 1968
- नेशनल पॉलिसी ऑन एजूकेशन, 1966
- प्रोग्राम ऑफ एक्शन : नेशनल पॉलिसी ऑन एजूकेशन, 1986
- प्रोग्राम ऑफ एक्शन NEP - 1992
- नेशनल कौंसिल फॉर टीचर एजूकेशन एक्ट, 1993

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित -

- The curriculum for the Ten Year school : A framework, 1975.

- Teacher Education Curriculum : A Framework, 1978
- National Curriculum for Elementary and Secondary Education : A Framework, 1985.
- National Curriculum Framework-2005

Web-sites-

MHRD-Secondary Education.

UGC-Higher Education

NAAC

इकाई - 22

शैक्षिक समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन

Comparative Studies of Educational Problems

22.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of the Unit)

22.1 विषय प्रवेश (Introduction)

22.2 राष्ट्रीय पृष्ठभूमि (National Background)

22.3 प्राथमिक शिक्षा (Primary Education)

22.4 माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education)

22.5 उच्च शिक्षा (Higher Education)

22.6 अध्यापक शिक्षा (Teacher Education)

22.7 शैक्षिक प्रशासन, वित्त और योजना (Educational Administration, Finance and Planning)

22.8 शैक्षिक स्वायतता (Educational Autonomy)

22.9 प्रवेश व परीक्षा प्रणाली (Admission and Examination System)

22.10 विद्यार्थी असन्तोष (Student Unrest)

22.11 पाठ्यक्रम संगठन तथा अनुसंधान (Organisation of Curriculum and Research)

22.12 सारांश (Summary)

22.13 सन्दर्भ सूची (References)

22.0 इकाई के उद्देश्य (Objectives of the Unit)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप :-

1. विभिन्न राष्ट्रों की शिक्षा की पृष्ठभूमि को समझ सकेंगे।
2. विभिन्न राष्ट्रों की शैक्षिक समस्याओं को जान सकेंगे।
3. प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं को समझ सकेंगे।
4. माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं को समझ सकेंगे।
5. उच्च शिक्षा की समस्याओं को समझ सकेंगे।
6. शैक्षिक प्रशासन, वित्त और योजना की समस्याओं को समझ सकेंगे।
7. शैक्षिक स्वायतता की समस्याओं को समझ सकेंगे।
8. प्रवेश परीक्षा प्रणाली की समस्याओं को समझ सकेंगे।
9. विद्यार्थी असन्तोष की समस्याओं को समझ सकेंगे।
10. पाठ्यक्रम संगठन तथा अनुसंधान की समस्याओं को समझ सकेंगे।

22.1 विषय प्रवेश (Introduction)

किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था को समझने के लिए उस देश के जीवन दर्शन, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक स्थिति के साथ-साथ उसके इतिहास एवं संस्कृति को जानना जरूरी है। ये स्थितियाँ उस देश की शिक्षा व्यवस्था को बनाने में अहम् भूमिका तो निभाती ही हैं साथ वे उसकी शैक्षिक आकांक्षाओं का भी परिचायक होती हैं। जब हम शिक्षा व्यवस्था से किसी देश को समझने लगते हैं तो हमें ज्ञात होता है संसार के विभिन्न देशों की शैक्षिक आकांक्षाओं और समस्याओं में काफी साम्य है। आज के भूमण्डलीकरण के इस दौर में तो शैक्षिक आकांक्षाएँ तथा समस्याएँ और अधिक समान हो गई हैं। शिक्षा के बेहतर भविष्य के लिए विश्व के विभिन्न देशों की शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करना जरूरी है।

22.2 राष्ट्रीय पृष्ठभूमि (National Background)

किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था में उस देश का दर्शन, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियाँ, इतिहास व संस्कृति महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन शिक्षा व्यवस्था में राजनीतिक आग्रह जितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उतनी दूसरे आग्रह नहीं। किसी भी राष्ट्र की शिक्षा उसकी अपनी राजनैतिक व्यवस्था से ऊपर नहीं उठ पाती। पुराने जमाने से आज तक राजनैतिक व्यवस्था ही शिक्षा के लिए दिशा निर्देशक की भूमिका निभाती रही है। अरस्तु ने कहा कि शिक्षा को राज्य के अधीन रहना चाहिए। उनके अनुसार राज्यों का जीवन शिक्षा के अपने अनुरूप ढालने पर निर्भर करता है। उनके अनुसार केवल राजकीय शालाओं द्वारा ही राष्ट्रीय एकता बनाए रखी जा सकती है। प्रत्येक बालक को राजकीय अनुशासन के प्रति सम्मान तथा राज्य के कानून के प्रति सम्मान राज्य की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। इसी तरह प्लेटो ने अपनी पुस्तक 'रिपब्लिक' शिक्षा की राजनीति में भूमिका की चर्चा की है। उन्होंने बताया कि राजा को कैसी तैयारी करनी चाहिए और किस अवस्था में क्या पढ़ना आवश्यक है? राज्य के निवासियों के लिए उन्होंने विषय-वस्तु व शिक्षण उद्देश्यों की चर्चा की। भारत में भी लगभग उसी काल में 'कौटिल्य' ने 'अर्थशास्त्र' लिखी। अर्थशास्त्र में शिक्षा व्यवस्था की चर्चा करते हुए बताया गया है कि राज्य को शिक्षा पर नियंत्रण रखने के लिए क्या करना चाहिए।

आधुनिक समय में विश्व के विभिन्न देशों में विभिन्न तरह की शासन प्रणालियाँ हैं, उन्हीं के अनुरूप वहाँ की शिक्षा-व्यवस्था है। किसी भी देश की राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली और उस देश के राष्ट्रीय चरित्र में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत में लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था है तथा इनका राष्ट्रीय चरित्र भी लोकतान्त्रिक है। अत: इनकी शिक्षा प्रणाली लोकतान्त्रिक है। लेकिन दोनों की इस लोकतान्त्रिक साम्यता में हम अन्तर भी पाते हैं; वह यह कि अमेरिका की शिक्षा प्रणाली में पूँजीवाद हावी है जबकि भारतीय शिक्षा प्रणाली में समाजवाद का आग्रह कायम है। इसी तरह चीन का राष्ट्रीय चरित्र साम्यवादी है। अत: वहाँ की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में साम्यवादी विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव है।

भारतीय संस्कृति का विविधताओं से युका एक गौरवमयी इतिहास रहा है। इसकी बहुलतावादी संस्कृति उसी पृष्ठभूमि की देन है। आज हम भारत को एक सांस्कृतिक समागम के

रूप में देख सकते हैं, संसार में शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसमें इतनी विविधताओं के बावजूद इस तरह की एकता कायम हो। हमारे संविधान का निर्माण भी हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर हुआ है। हमारे संविधान में हमारी इसी एकता को बनाए रखने व बढ़ाने के लिए शैक्षिक प्रावधान किए गए हैं।

22.3 प्राथमिक शिक्षा (Primary Education)

आज सारा विश्व सामान्यत: प्राथमिक शिक्षा के प्रत्यय (Concept) और विचार पर एकमत है। ''बच्चे में शुरूआती वर्षो में शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक एवं भावात्मक विकास करना प्राथमिक शिक्षा के सामान्य उद्देश्य हैं, साधारणतया ये सभी देशों के लिए हैं। इस स्तर पर बालक शिक्षण सम्बन्धी आधारभूत कौशल व कलाओं का अर्जन करता है, जैसे- पढ़ना, लिखना, अंक सम्बन्धी ज्ञान, विज्ञान का प्रारम्भिक ज्ञान व बालक की अभिवृतियों को विकसित और स्वयं द्वारा उनको उनके सामाजिक वातावरण में अनुकूलित करना। यह बालक के लिए पहली औपचारिक शिक्षा है और बाकी पूरी शिक्षा का आधार है, चाहे वह सामान्य हो या व्यावसायिक'' (Unesco, World Survey of Education, II Primary Education Paris; Unesco, 1958)

प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रवेश की उस लगभग पूरे विश्व में 6 वर्ष स्वीकार्य है। यूनेस्को के एक पब्लिकेशन 'Primary Education on the threshold of the Twenty-First Century (1986)' के अनुसार शिक्षा के पहले स्तर की उम्र 6 वर्ष सबसे अधिक सामान्यत: 114 देशों में स्वीकार की जाती है। प्रवेश की दो अन्य उम्र 7 व 5 को भी अपनाया जाता है।

हालांकि विश्व के अन्य कई देशों में प्राथमिक शिक्षा से पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा की भी व्यवस्था है। उदाहरण के लिए थाईलैण्ड। लेकिन भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाते समय '6 से 14' वर्ष की आयु वर्ग निर्धारित करके बालकों को कानूनन पूर्व प्राथमिक शिक्षा से वंचित कर दिया गया है। जबकि वह उसके व्यक्तित्व निर्माण का आधार है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 0-6 वर्ष के बच्चों को संविधान की धारा 21 के प्रावधान से बाहर रखा गया है (राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005) 6 से 14' वर्ष आयु वर्ग निर्धारित कर प्राथमिक शिक्षा की अवधि 8 वर्ष निर्धारित की गई है।

प्राथमिक शिक्षा पर 1990 में ज्योमितेन में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें सन् 2000 तक सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य पाने के संकल्प पर कई देशों ने हस्ताक्षर किए थे। भारत भी उस संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में था। भारतीय संसद ने 86वे संविधान संशोधन के रूप में शिक्षा विधेयक को 2001 में पारित कर शिक्षा को मौलिक अधिकार का संवैधानिक दर्जा दे दिया है। इससे पूर्व सन् 1993 में उनीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि 14 वर्ष तक के हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। भारतीय संसद ने जो 'शिक्षा विधेयक' 2001 में पारित किया वह 1997 से विचाराधीन था, साथ ही यहाँ यह बात भी विचारणीय है कि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अनुच्छेद 45 में यह लिखा गया था कि राजसत्ता संविधान लागू

होने के बाद आगामी 10 वर्षों के भीतर 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों की मुफ़्त प्राथमिक शिक्षा (पहली से आठवीं तक) का प्रावधान करेगी। 86वे संविधान संशोधन के अनुसार मौलिक अधिकार के अन्तर्गत धारा 21 के बाद धारा 21 ए जोड़ी गई है जिसमें कहा गया है, ''दी स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एण्ड कम्पलसरी एजूकेशन इन सच मैनर एज दी स्टेट मे, बाई ला डेटरमिन''

इस धारा में 'अनिवार्य' की कोई प्रासंगिकता नहीं है। क्योंकि शिक्षा स्वैच्छिक होती है। वह किसी पर थोपी नहीं जा सकती। यदि अनिवार्यता राज्य और सरकार के लिए है तो वह मौलिक अधिकार में अन्तर्निहित है। अभिभावक का यह कर्त्तव्य है कि वह अपनी संतान को विद्यालय भेजें लेकिन विद्यालय भेजना अनिवार्यता उसके लिए भी नहीं हो सकता। अभिभावक द्वारा संतान को विद्यालय नहीं भेजना दण्डनीय कृत्य नहीं हो सकता। अत: यहाँ स्पष्ट है शिक्षा अभिभावक और बालक दोनों के लिए अनिवार्य नहीं हो सकती है। 86वे संविधान संशोधन पर बहस के दौरान इस धारा 'एक्वीटेबिल एण्ड क्वालिटी एज्युकेश्न' (समान और गुण युक्त शिक्षा) पद बन्ध जोड़ने के सुझाव दिए गए थे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अपने मौजूदा रूप में इस धारा का यही अर्थ रह जाता है कि जिस तरह शिक्षा सरकार उपलब्ध करवा दे। (राजाराम भादू)

प्राथमिक शिक्षा सार्वजनीकरण के लिए नामांकन, ठहराव, सामाजिक-आर्थिक स्तर, गरीबी, लिंग-विभेद आदि ऐसे मुद्दे और समस्याएँ हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। सर्वेक्षण आधारित दाखिले और उपस्थिति आकड़े दर्शाते हैं कि गाँवों में रहने वाली 12 से 14 वर्ष उम्र की करीब आधी लड़कियों का कभी स्कूल में दाखिला नहीं हुआ और भारत के चार सबसे पिछड़े राज्यों, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में यह संख्या दो तिहाई से भी अधिक है। (बिसारिया, 1993) दाखिला दर के अलावा स्कूलों में उपस्थिति और टिकने की निम्न दर सचमुच चिन्तित करने वाली है। (शिक्षा और जन आन्दोलन- साधना सक्सेना, ग्रन्थ शिल्पी, प्रा. लि., दिल्ली)। यहाँ एक मुद्दा और उल्लेखनीय है, वह है स्कूल में भोजन का (मिड डे मील)।

प्राथमिक शिक्षा की उपर्युक्त सभी समस्याओं का अध्ययन अन्य विकसित व विकासशील राष्ट्रों की समस्याओं के साथ विस्तृत और बड़े पैमाने पर करना चाहिए ताकि प्राथमिक शिक्षा के लिए बेहतर और सार्थक राह तलाश सकें।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या क्या है?
2. शिक्षा का मौलिक अधिकार क्या है?

22.4 माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education)

माध्यमिक शिक्षा विभिन्न देशों में अलग-अलग ढंग से स्वीकार की गई है। परम्परागत रूप से शिक्षा के तीन स्तर सामान्यत: मान्य हैं:- (1) प्राथमिक (2) माध्यमिक और (3) डिग्री स्तर। कभी-कभी प्रसंगवश इनको विकसित राष्ट्रों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्तर भी कहा जाता है। कुछ देशों में माध्यमिक शिक्षा को जूनियर और सीनियर में बाँटा जाता है। इसकी

अवधि 2 वर्ष जूनियर एवं दो वर्ष सीनियर इस प्रकार कुल 4 वर्ष होती है। अधिकतर अफ्रीकी देश इसी पद्धति को 6 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा के बाद अपनाते हैं। यहाँ 6 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा के बाद दो या तीन वर्ष जूनियर व दो या तीन वर्ष सीनियर सैकण्डरी स्तर की विद्यालयी शिक्षा होती है। इनके अलावा अन्य देश में भी शुरूआती 6 वर्ष प्राथमिक शिक्षा के बाद सैकेण्डरी शिक्षा प्रदान की जाती है, इसका उदाहरण इंग्लैण्ड, वेल्स, नीदरलैण्ड बेल्जियम, सिंगापुर आदि हैं।

अधिकतर देशों में माध्यमिक शिक्षा को औपचारिक शिक्षा का द्वितीय स्तर माना जाता है। जो प्रथम यानि प्राथमिक और तृतीय यानि महाविद्यालयी या विश्वविद्यालयी शिक्षा के मध्य का है। यूनेस्को के विश्व की शिक्षा के सर्वे ने 14 से 19 वर्ष की आयु को द्वितीय स्तर की विद्यालयी शिक्षा की आयु के रूप में लिया है।

हमारे यहाँ प्राथमिक स्तर की विद्यालयी शिक्षा आठ वर्ष की है। 06-14 वर्ष की आयु इसके लिए निर्धारित है। प्राथमिक शिक्षा को दो स्तरों पर विभाजित किया गया है, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक। माध्यमिक शिक्षा के भी दो स्तर रखे गए हैं, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने देश के सभी भागों में 10+2+3 के तहत 'शिक्षा के एक समान ढाँचे' को अपनाने पर बल दिया था। उसके बाद यही पद्धति सम्पूर्ण भारत में अपनाई गई है लेकिन कुछ प्रान्तों में इस पद्धति को लागू करने में कई द्वन्द हैं। इस पद्धति में यह भी सुझाव था कि गणित और विज्ञान की शिक्षा को माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य बनाया जाए, इसी सुझाव के अनुरूप इन विषयों को भारत में माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य बनाया गया है। इसी पद्धति में वरिष्ठ माध्यमिक व उच्च शैक्षिक स्तर पर व्यावसायीकरण पर जोर देते हुए, विविधीकृत पाठ्यक्रम शामिल किए जाने की बात की थी, इसके लिए प्रयास भी किए गए लेकिन ये अधिक सफल नहीं हो पाए हैं।

उपर्युक्त संदर्भों के अलावा विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या के साथ विद्यालय को विस्तार देना, अध्यापकों की संख्या बढ़ाना, भूमण्डलीकरण के इस दौर में शिक्षा को स्थानीय और वैश्विक स्तर पर व्यापक संदर्भों से जोड़ना, शिक्षा को व्यावसायिक बनाना, विद्यार्थियों का नामांकन और ठहराव, लैंगिक पूर्वाग्रह, भाषा व तकनीकी शिक्षा आदि माध्यमिक शिक्षा के ऐसे मुद्दे हैं जिनका विश्व की अन्य देशों की माध्यमिक शिक्षा से तुलनात्मक अध्ययन करने से सुलझाने में मदद मिल सकती है।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. माध्यमिक शिक्षा की वैश्विक स्तर पर समान्यता: क्या आयु निर्धारित की गई है?
2. भारत में माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ क्या-क्या हैं?

22.5 उच्च शिक्षा (Higher Education)

आधुनिक विश्वविद्यालयों के स्वरूप का बुनियादी विकास विश्व में सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में हुआ। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्राचीनतम विश्वविद्यालय हैं। यहाँ के

विश्वविद्यालयों में शिक्षण और अनुसंधान कार्य उच्च स्तर पर होता है। अमेरिका में सरकारी तथा राजकीय दोनों तरह के विश्वविद्यालय ख्याति प्राप्त हैं, प्राइवेट विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या कम होती है, इनमें शिक्षा महँगी होती है। रूस में तीन प्रकार की संस्थाएँ विश्वविद्यालयी स्तर की शिक्षा प्रदान कर हैं- (1) विश्वविद्यालय, (2) विशिष्ट संस्थाएँ (3) तकनीकी संस्थान। भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयी शिक्षा का स्वरूप ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है।

सामान्यत: उच्च शिक्षा की अवधारणा को विश्व के लगभग सभी देशों में सामान्यत: एक रूप में ही स्वीकार किया जाता है, वह है 11 से 12 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा की समाप्ति के बाद की शिक्षा। उच्च शिक्षा को 'International Standard Classification of Education (ISCED) Hand Book में इस प्रकार से परिभाषित किया गया है- "वह अधिक विशिष्ट अध्ययन जो कम से कम 11 वर्षीय अच्छी आधारभूत शिक्षा की सफलतापूर्वक समाप्ति के बाद शुरू किया जाता है।"

सम्पूर्ण विश्व में उच्च शिक्षा की अवधारणा एक जैसी होने के कारण उसकी समस्याएँ भी साम्यता रखती हैं। उच्च शिक्षा की प्रमुख समस्याओं में - शिक्षा के विस्तार व गुणवत्ता की समस्या, फीस व प्रवेश सम्बन्धी समस्या, वित्तीय सहायता, नियंत्रण, पिछड़े एवं विशिष्ट वर्गों की शिक्षा, परीक्षा की समस्या, सामान्य और विशिष्ट शिक्षा के सन्तुलन की समस्या। इन सभी समस्याओं से विश्व के सभी देशों को किसी न किसी रूप में जूझना पड़ रहा है।

जैसे उच्च शिक्षा के विस्तार पर विचार करें तो भारत की स्थिति चिन्तनीय है। 1990 में अमेरिका में एक हजार की जनसंख्या में 51 लोग उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए थे, इसी तरह नीदरलैण्ड में 28, डेनमार्क में 25 जबकि भारत में यह आँकडो मात्र 7 तक पहुँच पाया। अगर हम उच्च शिक्षा के इस विस्तार को भारत में विभिन्न आयामों जैसे- शहरी-ग्रामीण, पुरुष-महिला, अनुसूचित जाति-जनजाति इनसे देखेंगे इसमें और अधिक विषमता पाएँगे।

उच्च शिक्षा की एक-दूसरी बड़ी समस्या प्रवेश फीस से संबंधित है। भारत में फिलहाल यह समस्या और अधिक गहन हो गयी है। निजी महाविद्यालय की और निजी विश्वविद्यालयों की बाढ़-सी आ गई है। इन विश्वविद्यालयों व महाविद्यालय में अधिकतर निवेशक वे हैं जिनका शिक्षा से सीधा कोई सम्बन्ध नहीं है। इससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता तथा उच्च शिक्षा के अवसर की उपलब्धता का सवाल जुड़ा हुआ है। उच्च शिक्षा की उपर्युक्त सभी समस्याओं का वैश्विक परिदृश्य में अन्य देशों की उच्च शिक्षा की समस्याओं का बड़े पैमाने पर तुलनात्मक अध्ययन किया जाना आज बेहद जरूरी है।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. उच्च शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।
2. भारत में उच्च शिक्षा के सामने प्रमुखत: क्या-क्या चुनौतियां हैं?

22.6 अध्यापक शिक्षा (Teacher Education)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा समिति (एन.पी.ई.आर.सी. 1990) की यह सिफारिश रही है कि अध्यापक शिक्षा एक सतत् प्रक्रिया है और प्रमाणीकरण (लाइसेंस) के माध्यम से इस प्रक्रिया के सतत् और मानकों को निरंतर बनाए रखा जाए। एन.सी.टी.ई. संयुक्त राज्य अमेरिका की पद्धति पर, अध्यापकों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। अमेरिका में अध्यापकों को प्रमाण-पत्र देने की जिम्मेदारी उसके विभिन्न प्रदेशों और प्रान्तों की है, वहाँ राष्ट्रीय स्तर पर अध्यापक शिक्षा के लिए कोई अभिकरण नहीं है। ब्रिटेन में शिक्षा का स्तर उन्नत बनाए रखना तथा अध्यापकों में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना राष्ट्रीय उत्तरदायित्व माना जाता है। शिक्षा संस्था (The Institute of Education) अध्यापक प्रशिक्षण की मुख्य संस्था है। इससे सभी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएँ सम्बद्ध रहती हैं और यही सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की परीक्षा लेती है। ब्रिटेन में दो प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाएँ हैं-

1. वे शिक्षा संस्थाएँ जो स्थानीय शिक्षा संस्थाओं (L.E.A.) द्वारा संचालित हैं।
2. वे शिक्षा संस्थाएँ जो स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित की जाती हैं।

भारत में फिलहाल सरकारी संस्थाएँ, अनुदान प्राप्त संस्थाएँ तथा निजी संस्थाएँ अध्यापक प्रशिक्षण का कार्य कर रही हैं। अध्यापक शिक्षा का मुख्य अभिकरण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का अधिनियम संख्या 73) के अधीन की गई है। अगस्त 1995 से इस अभिकरण ने व्यवस्थित रूप से अपना कार्य शुरू किया। यह परिषद् समूचे देश के भीतर अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित और समन्वित विकास करने, अध्यापक शिक्षा प्रणाली के मानदण्डों और मानकों का विनियमन तथा उन्हें समुचित रूप से बनाए रखने और तत्सम्बन्धी मामलों के बारे में कार्य करती है। यह परिषद् अध्यापक शिक्षा के मानकों एव स्तरों का उचित संरक्षण करती है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा के मानकों एवं स्तरों का उचित संरक्षण करती है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का केन्द्रीय कार्यालय दिल्ली में है। कार्य को सुचारू तथा व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए पूरे देश में चार क्षेत्रीय समितियाँ गठित की गई हैं: जयपुर, बंगलौर, भुवनेश्वर तथा भोपाल। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अब तक लगभग 6 हजार से अधिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान कर चुकी है। भारत में अध्यापक शिक्षा की परिषद की स्थापना अध्यापक शिक्षा के सुधार तथा कल्याण के लिए की गई थी।

उपर्युक्त संदर्भों के अलावा हम हमारे देश की अध्यापक शिक्षा की प्रमुख चुनौतियों को निम्नलिखित प्रकार से देख सकते हैं-

1. NCTE के अध्यापक शिक्षा से सम्बन्धित अभिकरणों जैसे- NCERT, UGC, डाईट, शिक्षा विभाग आदि में समन्वय का अभाव।
2. पाठ्यक्रम की अवधि।
3. अध्यापक प्रशिक्षण का विद्यालय की वास्तविकताओं से अलगाव होना।

4. अध्यापक शिक्षा के प्रमुख अभिकरण NCTE के आधारभूत ढाँचे तथा वित्तीय सहायता की समस्या।
5. शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को सम्पादित करने के लिए योग्य अध्यापकों का अभाव।
6. शिक्षक शिक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय शोधकार्य का अभाव।
7. सेवारत शिक्षकों के लिए प्रभावी व उपयोगी प्रशिक्षण का अभाव।

उपर्युक्त सभी समस्याओं पर हमें विश्व के अन्य देशों की अध्यापक शिक्षा की समस्याओं से तुलना करनी चाहिए और उससे इन समस्याओं के समाधान में जो सार्थक निष्कर्ष निकलें उन्हें अपनाना चाहिए।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. अध्यापक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की भूमिका स्पष्ट कीजिए।
2. भारत में अध्यापक शिक्षा की प्रमुख समस्याएँ बतलाइए।

22.7 शैक्षिक प्रशासन, वित्त और योजना (Educational Administration, Finance and Planning)

विद्यालय की गुणवत्ता में सुधार करने के कार्य को दुनियाभर में सभी सरकारों की कार्य-सूची में उच्च प्राथमिकता दी गई है। इस क्षेत्र में काफी अधिक शोधकार्य हुआ है जिससे पता चला है कि शिक्षा की गुणवत्ता उपलब्ध संसाधनों के बाहुल्य की अपेक्षा, प्रमुख रूप से इस बात पर निर्भर है कि विद्यालय का प्रबंध किस प्रकार किया जाता है (ऐंटन डि ग्रोव, आईआईईपी, 2000)।

विद्यालय प्रबंध ने भारत में ही नहीं विश्वभर में भी अब से पहले कभी इतना अधिक महत्त्व ग्रहण नहीं किया था जितना आज कर लिया है। यह अधिकाधिक महसूस किया जा रहा है कि प्रभावकारी विद्यालय प्रबन्ध शिक्षा में उच्चतर गुणवत्ता प्राप्त करने में उल्लेखनीय योगदान दे सकता है और शिक्षा के उपक्रम में की जाने वाली विभिन्न निविष्टियों (इनपुट) चाहे वे वित्तीय, भौतिक या मानवीय कैसी भी हों - का प्रतिफल अधिक से अधिक मात्रा में दे सकता है।

(विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव सं. जगमोहन सिंह राजपूत व अन्य, आर.पी. सिंघल का लेख-विद्यालयी प्रबन्ध सम्बन्धी मुद्दे, (एन.सी.ई.आर.टी.)

हमारे देश में शिक्षा आयोग (1966), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), संशोधित नीति (1992) इन सभी ने सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से 6 प्रतिशत शिक्षा निवेश करने की अनुशंसा की है। सरकार भी बार-बार इसके लिए अपनी वचनबद्धता प्रकट करती रही है। लेकिन उन देशों की तुलना में जिनके ये आँकड़े उपलब्ध हैं भारत का स्थान बहुत नीचा है। विकासशील देश अफ्रीका में निवेशित हिस्से से भी कम है। शिक्षा पर राष्ट्रीय प्रयत्नों के इस संकेतक के संबंध में और 10 करोड़ या उससे अधिक की जनसंख्या वाले देशों में भारत का स्थान, बांग्लादेश को छोडकर सबसे नीचे है। (तिलक और वर्गीज, 1990)

विकसित देशों से अगर हम उसकी तुलना करें तो यह काफी कम है। उदाहरण के लिए स्वीडन में सकल उत्पादन का 8.33% खर्च किया जाता है।

जोसेफ डी. बोना ने कहा है कि- "जैसे विश्व वित्तीय, औद्योगिक रूप से और संचार और जन-संचार के माध्यमों के रूप में अधिक घनिष्ठ रूप से एकीकृत होता जाता है, वैसे ही इस बात की अधिक आवश्यकता प्रतीत होती है कि शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणालियों से वैश्विक प्रवृतियाँ परिलक्षित हों" (बोना, 1999)। शिक्षा प्रणालियाँ भी अन्य सभी संस्थाओं की तरह पैसे से चलती हैं। यह व्यापक रूप से महसूस किया जाता है कि संसाधनों की तंगी के कारण, बहुत-सी शैक्षिक योजनाएँ और सुधार अनेक विकासशील देशों में, जिनमें भारत भी एक हैं या तो असफल हो गए अथवा प्रारम्भ ही नहीं हो सके।

आज हमारे लिए जरूरत इस बात की है कि शैक्षिक प्रबन्धन, प्रशासन, वित्त और योजना सम्बन्धी समस्याएँ हैं उनका विश्व के अन्य देशों की समस्याओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन कर उनको दूर करने की राह तलाशनी चाहिए।?

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. विभिन्न आयोगों द्वारा शिक्षा पर निवेश के लिए क्या अनुशंसा की गई हैं?

22.8 शैक्षिक स्वायत्तता (Educational Autonomy)

भारत में विश्वविद्यालयों और सरकार के सम्बन्धों के मध्य कुछ द्वन्द है, जैसाकि केन्द्रीय शिक्षा मंत्री (डा. कालूलाल श्रीमाली) ने 1960 में स्पष्ट किया था- "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनने के बाद भारत सरकार विश्वविद्यालयों की सामान्य कार्यविधि व उसकी पृष्ठभूमि से पीछे हट गई है। विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्था की तरह से कार्य कर रहे हैं और उनके प्रशासनिक तथा अकादमिक कार्यो में किसी प्रकार का दखल नहीं है।.... यहाँ किसी न किसी रूप में उन पर दो शर्तें उनकी स्वायत्तता के संतोष को बनाए रखने के लिए रखी गई हैं। पहली विश्वविद्यालय उच्च स्तरीय एवं प्रभावी प्रशासन बनाए रखे जो यह आश्वस्त कर सके कि सार्वजनिक धन का सतर्कता के साथ हर संभव स्थिति में बेहतर उपयोग हो रहा है। यदि स्वायतता के नाम पर विश्वविद्यालय के अकादमिक निकाय अपनी कुर्सी और सत्ता (शक्ति) का दुरुपयोग षड्यंत्र, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद बढ़ाते हैं तो वे अपनी स्वायतता को बर्बाद कर उसकी प्रतिष्ठा कम करते हैं, ऐसे में न्याय के पक्ष के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। दूसरी विश्वविद्यालय आवश्यक रूप से समुदाय की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी हैं।

शिक्षा के बेहतर माहौल एवं प्रगति के लिए स्वायतता का होना जरूरी है। शिक्षा में स्वायतता न केवल प्रशासनिक व वित्तीय मामलों में हो बल्कि शिक्षकों को भी कार्य समय स्वायतता मिलनी चाहिए। जैसा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एन.सी.ई.आर.टी., 2005) में कहा गया है- शैक्षिक माहौल बनाने के लिए शिक्षकों की स्वायतता आवश्यक है ताकि वह बच्चों की विविध जरूरतों का ध्यान रख सकें। जितनी आजादी, इज्जत और नम्यता शिक्षार्थी को चाहिए उतनी ही शिक्षक को भी चाहिए। फिलहाल जो प्रशासनिक ऊँच-नीच एवं नियंत्रण, परीक्षाएँ, पाठ्यचर्या सुधार का केन्द्रीयकृत नियोजन ये सभी शिक्षक और मुख्य शिक्षक की

स्वायतता पर प्रतिबन्ध लगाते हैं। अगर कहीं पाठ्यचर्या में खुलेपन का अवसर मिलता भी है तब भी शिक्षक इतने आत्मविश्वासी नहीं हो पाते हैं कि वे अपनी स्वायत्ततता का ऐसे उपयोग कर लें कि प्रशासन भी अलग तरह से काम करने के लिए खफा न हो। इसीलिए यह जरूरी है कि उनको विकल्प चुनने में और स्वायत्तता को महसूस करने में समर्थन दिया जाए।"

लेकिन हमारे देश में शिक्षक तथा शिक्षा की स्वायतता पर नीतिगत निर्णय उसके अधिक हित में नहीं हैं। जैसा कि जे.पी. नाइक ने कहा है- "विश्वविद्यालयी शिक्षा पर स्पष्ट रूप से कोई ठीक निर्णय लेकर नीति निर्धारित नहीं की गई है और ये धारा 257(1) के तहत राज्य सरकार के नियंत्रण में बाध्यकारी रूप से कार्य करते हैं। (The Role of Govt. of India in Education, Delhi, Ministry of Education, 1963)

शिक्षा की स्वायतता के लिए यह जरूरी है कि सरकारों के इस तरह के दबाव संस्थाओं पर से हटाए जाने चाहिए क्योंकि उनके इन दबावों से शिक्षा की प्रक्रिया तथा परिणाम प्रभावित होते हैं। जैसा कि जगमोहन सिंह राजपूत ने लिखा है- "संगठन को हित-समूहों (जिसे सत्ता परक छलकपट कहा जा सकता है।) में विखण्डित होते देखना कोई दुर्लभ घटना नहीं है। ये स्वभावत: कार्यकरण, निर्णय लेने की प्रक्रिया, परिवर्तन और सुधार की प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। संस्थाएँ बाह्य दबावों जैसे- राजनैतिक दबावों, नौकरशाही के निर्णयों और स्थानांतरणों जैसे दबावों और व्यक्ति की विशेषज्ञता और हितों को अनदेखा करने से भी प्रभावित हो सकती हैं।

इस प्रकार हम भारत में स्वायत्तता की कई दुविधाएँ देख सकते हैं। अगर इनका वैश्विक परिदृश्य में तुलनात्मक अध्ययन हो पाएगा तो यह कई दृष्टियों से सार्थक सिद्ध होगा।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. विश्वविद्यालयों की स्वायतता क्यों जरूरी है?
2. शिक्षकों को स्वायतता क्यों मिलनी चाहिए?

22.9 प्रवेश व परीक्षा प्रणाली (Admission and Exam. System)

यह जानकर सांत्वना मिलती है कि समूचे विश्व में अब तक शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जिसे जीवन-काल में किसी न किसी प्रकार की परीक्षा न देनी पड़ी हो। इससे पता चलता है कि जिस संसार में हम रहते हैं उसमें न केवल शैक्षिक, बल्कि इससे भी महत्त्वपूर्ण, सामाजिक घटना के रूप में परीक्षाओं को कितना केन्द्रीय स्थान प्राप्त है।

(स्रोत : विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव (सं. जगमोहन राजपूत व अन्य), "परीक्षाओं की प्रवृतियाँ और एक विस्तारित दृष्टिकोण", वेद प्रकाश का लेख, एन.सी.ई.आर.टी)

आज के परिदृश्य में परीक्षाओं का चित्र कलुषित दिखाई देता है। भिन्न-भिन्न कारणों से जिन लोगों द्वारा उन्हें अपनाया जाता है उन्हीं के द्वारा उनकी कड़ी आलोचना व निंदा की जाती है। एक ओर जापान में परीक्षाओं के कारण युवा वर्ग द्वारा चरमपंथी कदम उठाए जाने से समाज को क्षति पहुँचती है तो दूसरी ओर जापान के लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धाओं में अपने युवकों द्वारा प्रदर्शित कार्य निष्पादन पर गर्व अनुभव करते हैं।

अधिकतर देश परीक्षाओं को शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने का सस्ता साधन मानते हैं। जापान में लोग शैक्षिक सफलता को असाधारण महत्त्व देते हैं, जिसे परीक्षाओं द्वारा मापा जाता है। फ्रांसीसी विश्वविद्यालयों में प्रवेश देने के महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में 'बेकालारिएट' यानि माध्यमिक स्तर की अन्तिम परीक्षा का सहारा लेते हैं, जिसका समय, विषयवस्तु और ढाँचा समूचे राष्ट्र में एक-समान है। फ्रांसीसी पद्धति के विपरीत जर्मनी में परीक्षाएँ स्थानीय रूप से परीक्षा बोर्डो द्वारा आयोजित की जाती हैं। लेकिन उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी होने के बाद विश्वविद्यालयी शिक्षा (चिकित्सा व इंजीनियरी जैसे विषय छोडकर) के लिए 'ऐबिटुर' नाम से प्रसिद्ध परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इंग्लैण्ड में 15- 16 वर्ष की आयु में 'ओ' स्तर का सामान्य शिक्षा प्रमाण-पत्र लिया जाता है और विज्ञान, समाज विज्ञान, व्यापार की धाराओं से संबंधित विषयों में से किसी एक में दो वर्ष के विशेष अध्ययन के बाद 'ए' स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है। चीन में नौ वर्ष की अनिवार्य विद्यालयी शिक्षा के बाद माध्यमिक शिक्षा प्राप्ति के लिए एक परीक्षा ली जाती है, माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति के बाद विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए एक अन्य परीक्षा ली जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई अधिकृत राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली नहीं है। इस बारे में राज्यों में भिन्नता है। विश्वविद्यालयों में प्रवेश का निर्णय शैक्षिक अभिक्षमता परीक्षा (एस.ए.टी) अथवा अमेरिकन कॉलेज टेस्टिंग (ए.सी.टी.) परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर लिया जाती है।

भारत में भी विभिन्न स्तरों पर परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। प्राथमिक शिक्षा की परीक्षाएँ स्थानीय स्तर पर आयोजित होती हैं, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की परीक्षाएँ प्रान्तीय व राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न बोर्डों द्वारा आयोजित की जाती हैं। परीक्षाओं में भारतीय शिक्षा पद्धति का एक विवादास्पद पहलू माना गया है। आजादी के बाद से अब तक विभिन्न आयोगों व समितियों ने इसमें सुधार की अनुशंसाएँ की हैं। 'शिक्षा बिना बोझ' (यशपाल समिति, 1993) में कहा गया है कि दसवीं और बारहवीं के अन्त में होने वाली परीक्षा की इस दृष्टि से समीक्षा की जानी चाहिए कि अभी की पाठ-आधारित और प्रश्नोत्तरी प्रकार की परीक्षा की विधि को बदल दिया जाए। क्योंकि इससे तनाव का स्तर काफी बढ़ जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने सुझाव दिया है कि- "स्कूल के अंत की बोर्ड परीक्षा और प्रतिस्पर्धात्मक प्रवेश परीक्षाओं को अलग करने की जरूरत है। अगर विद्यार्थियों को ऐसी ही कुछ प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में बैठना पड़े तो इनके चलते पैदा होने वाले तनाव को कम किया जा सकता है।" इसी क्रम में आगे सुझाया गया है कि- "विद्यार्थी अलग-अलग ढंग से सीखते हैं और सीखे हुए की जाँच की उनकी प्रस्तुति भी अलग-अलग होती है। इसलिए परीक्षा हॉल में कागज कलम से ली गई परीक्षा के अलावा मूल्यांकन के बहुविध रूप होने चाहिए।"

परीक्षा के उपर्युक्त सभी संदर्भों में परीक्षा की विभिन्न देशों की प्रणालियों व उसकी समस्याओं के तुलनात्मक अध्ययन से भी परीक्षा प्रणाली को अधिक विश्वसनीय, कारगर, सार्थक व व्यापक बनाया जा सकता है।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. विद्यालयी स्तर पर भारत में मुख्यत: कौनसी परीक्षाएँ केंन्द्रीयकृत हैं?

2.	भारतीय परीक्षा पद्धति की प्रमुख कमियाँ क्या हैं?

22.10 विद्यार्थी असन्तोष (Student Unrest)

विद्यार्थी असन्तोष विश्व के लिए कोई नया मुद्दा या घटना नहीं है। विद्यार्थियों के विरोधों की आवाजें हम इतिहास के दरवाजों से सुन सकते हैं। सन् 1381 में केम्ब्रिज विश्वविद्यालय की असहनीय नीतियों के खिलाफ विद्यार्थियों ने केम्ब्रिज विश्वविद्यालय का राजपत्र या आज्ञा पत्र जला दिया था। 19वीं शताब्दी में यूरोप के अधिकतर देशों में विद्यार्थियों के साथ समस्याएँ रही हैं। रूस की राजनैतिक गतिविधियों को विद्यार्थियों ने 1899 में हड़तालों तथा प्रदर्शनों से पूरे देश में प्रचारित करके चरमोत्कर्ष पर पहुँचाया। 1930 में जर्मनी को शक्तिशाली बनाने के लिए जर्मन विद्यार्थियों ने मदद की। 1960 का दशक इस बात का गवाह है कि छात्र असन्तोष बढ़ा है तथा वह भारी अनुपात में, कभी-कभी तो हिंसा के रूप में उभरा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के केलिफोर्निया तथा जापान के टोकियो में विद्यार्थी विश्वविद्यालय हितों के लिए लड़े। पौलेण्ड के बरसा तथा स्पेन के मेड्रिड में मूल्यहीन राजनीति के विरूद्ध विद्यार्थियों का विद्रोह स्वर उभरा।

यहाँ यह मसला नहीं है कि बारसिलोना में 1966 में, वरसा में 1967 और पेरिस में 1968 में विद्यार्थी असन्तोष उभरा, मसला यह है कि उनके विरोध का विषय एक जैसा था। वे उस तकनीकी समाज का विरोध कर रहे थे जो न्यायोचित नहीं था तथा वंश या धन के प्रभाव से गरीबी व युद्ध की स्थिति पैदा करने वाला था, तथा संस्थाओं ने उन्हें पक्षपात करके लाभान्वित किया था। यह विद्रोह एक आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की माँग कर रहा था। वहाँ की सरकारों ने इन विद्रोहों के बाद वहाँ की उच्च शिक्षा के ढाँचे तथा कार्यो के लिए सतर्क रहने के महत्त्वपूर्ण तथा बड़े दस्तावेज तैयार कर, उनकी घोषणा की।

भारत में आजादी के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (1948-49) ने उच्च शिक्षा के लिए अनेक अनुशंसाएँ की थी, लेकिन विद्यार्थी असन्तोष के सम्बन्ध में उस रिपोर्ट में कोई टिप्पणी नहीं थी। इसका कोई एक उत्तर नहीं है कि विद्यार्थी उपद्रवी, विद्रोही और बागी किससे बनते हैं। डॉ. बर्गर के अनुसार आज विद्यार्थी असन्तोष की जड़ें राष्ट्रों के औद्योगीकरण में हैं।

(डॉ. बर्गर,1971)

भारत में विद्यार्थियों का असन्तोष तथा कुण्ठाएँ अनेक बार प्रकट हुई हैं- उन्होंने हड़तालों, प्रदर्शनों, तोड़-फोड़, बसें जलाकर, परीक्षाओं का बहिष्कार कर अनेक बार अपने विरोध को प्रकट किया है। कई बार तो शिक्षकों के साथ हाथापाई तक की घटनाएँ हुई हैं। ऐसे उदाहरण हाल के वर्षो में भी देखने को मिले हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1960 में विद्यार्थी अनुशासन के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण सिफारिशें की हैं- जैसे विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश अच्छी योग्यता के आधार पर बड़ी सतर्कता के साथ किया जाए, विश्वविद्यालय में बाहरी अवांछित तत्त्वों की घुसपैठ न हो, राजनीति का प्रवेश विश्वविद्यालय में नहीं हो, अध्यापक-विद्यार्थी सम्बन्धों को मजबूत किया जाए इत्यादि। एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 में विद्यार्थी अनुशासन के संदर्भ में कहा गया है- ''स्कूल उतना

ही विद्यार्थियों का भी होता है जितना कि शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों का और यह सरकारी स्कूलों के लिए विशेष रूप से सही है।'' हमें हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप विद्यालय तथा विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को अनुशासन में सहभागी बनाना चाहिए साथ ही सम्पूर्ण वैश्विक परिदृश्य में उस समस्या का तुलनात्मक अध्ययन कर इस दिशा में ठोस कार्य करना चाहिए।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. 'विद्यार्थी असन्तोष की समस्या विश्वव्यापी समस्या हैं, कैसे? स्पष्ट कीजिए।
2. अनुशासन की अवधारणा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 (NCERT)ने क्या अनुशंसा की है?

22.11 पाठ्यक्रम संगठन तथा अनुसंधान (Organisation of Curriculum and Research)

भारत में अब तक पाठ्यक्रम को बड़े रूढ़ ढंग से व्यवस्थित किया जाता है। हाल ही के वर्षो में कुछ महत्त्वपूर्ण बदलावों व परिवर्तनों की पहल अवश्य की गई है, जैसे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 (NCERT)। भारतीय पाठ्यक्रम को नियोजित करने के लिए कुछ व्यवस्थागत मुद्दे हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है:-

- ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना।
- पढ़ाई की रटन्त प्रणाली से मुक्ति सुनिश्चित करना।
- परीक्षा को लचीला बनाकर उसे कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना।
- पाठ्यक्रम को व्यापक संदर्भों में विस्तार देकर लचीला बनाना।

उपर्युक्त सभी संदर्भों में विश्व के अन्य देशों के पाठ्यक्रम संगठन की व्यापक स्तर पर तुलना की बड़ी आवश्यकता है।

विश्व के विभिन्न देशों में जो शोधकार्य हुए हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन भी आवश्यक है। साथ ही शोध की स्थितियाँ, शोध संस्थाएँ, उपलब्ध सुविधाओं आदि का अध्ययन भी जरूरी है। इससे शोध को नई दिशाएँ मिलेंगी तथा शोध की समस्याओं के हल बड़े पैमाने पर उपलब्ध हो सकेंगे। उदाहरण के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, यू.के. और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवान्स स्टडीज ने सामूहिक रूप से एक शोध परियोजना, 2003 में पूरी की। इस परियोजना में भारत के तीन राज्यों (मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व राजस्थान) तथा दक्षिण अफ्रीका के तीन राज्यों (इस्ट केपटाडन, वेस्ट केपटाउन और क्वातुलुनाटाल) में शिक्षा में बच्चों की भागीदारी (इन्क्लूजन) होने तथा उनके उपवर्जन (एक्सक्लूजन) पर महत्वपूर्ण शोध हुआ। इस तरह के तुलनात्मक अध्ययनों से शिक्षा की समस्याओं के बेहतर समाधान मिल सकते हैं।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. भारत में पाठ्यक्रम से संबंधित प्रमुख समस्याएँ क्या हैं?
2. अनुसंधान की समस्याओं के तुलनात्मक अध्ययन के लाभ बताइए।

22.12 सारांश (Summary)

प्रत्येक देश की अपनी एक राष्ट्रीय पृष्ठभूमि होती है। यह पृष्ठभूमि उस देश की नीतियों के निर्धारण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा की नीतियों को भी यह प्रभावित करती है। राष्ट्रीय पृष्ठभूमि के अन्तर के बावजूद सभी राष्ट्रों की शिक्षा में कुछ या अनेक तत्व साम्य रखते हैं, इस आधार पर सभी राष्ट्रों की शिक्षा की सामान्य समस्याओं को समझा जा सकता है। शिक्षा की सामान्य समस्याएँ हमारे देश में भी हैं तथा अन्य देशों में भी। इन सामान्य समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन इन समस्याओं को दूर करने के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। हमारे देश व विश्व की प्रमुख शैक्षिक समस्याओं को हम निम्नलिखित प्रकार से देख सकते हैं:-

1. प्राथमिक शिक्षा की समस्याएँ।
2. माध्यमिक शिक्षा की समस्याएँ।
3. उच्च शिक्षा की समस्याएँ।
4. अध्यापक शिक्षा की समस्याएँ।
5. शैक्षिक प्रशासन, वित्त और योजना की समस्याएँ।
6. शैक्षिक स्वायतता की समस्या।
7. प्रवेश व परीक्षा प्रणाली की समस्याएँ।
8. विद्यार्थी असन्तोष की समस्या।
9. पाठ्यक्रम संगठन तथा अनुसंधान की समस्याएँ।

उपर्युक्त सभी समस्याएँ न्यूनाधिक रूप से सामान्यत: सभी देशों में पाई जाती हैं।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न (Self-Evaluation Questions)

1. राष्ट्रीय पृष्ठभूमि शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव डालती है? समझाइए।
2. शिक्षा के सार्वजनीकरण की समस्याओं को समझाइए।
3. भारत की माध्यमिक शिक्षा की समस्याएँ बताइए।
4. हमारे देश की उच्च शिक्षा की समस्याओं का वर्णन कीजिए।
5. भारत में अध्यापक शिक्षा की प्रमुख समस्याएँ क्या-क्या हैं? वर्णन कीजिए।
6. भारत में शिक्षा पर व्यय के सम्बन्ध में अपने विचार लिखिए।
7. शैक्षिक स्वायतता क्यों जरूरी है? अपने विचार व्यक्त कीजिए।
8. भारत में परीक्षा प्रणाली से सम्बन्धित प्रमुख समस्याएँ कौनसी हैं?
9. विद्यार्थी असन्तोष' पर एक समालोचनात्मक निबंध लिखिए।
10. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए-

(क) भारत में प्राथमिक शिक्षा ।
(ख) शैक्षिक स्वायतता
(ग) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद व शिक्षक शिक्षा की समस्याएँ।
(घ) परीक्षा प्रणाली की खामियाँ।

(च) भारत में पाठ्यक्रम संगठन की समस्याएँ।

(ड़) अनुसंधान की समस्याएँ

22.13 सन्दर्भ सूची (References)

1. राजपूत, जगमोहन सिंह, देवल, ओंकार सिंह व अन्य (सम्पादक) (2001) **विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव,** नई दिल्ली: एन.सी.ई.आर.टी.।
2. **राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005),** नई दिल्ली: एन.सी.ई.आर.टी.
3. **अध्यापक शिक्षा में नीतिगत परिदृश्य: विवेचन व प्रलेख (2001).** नई दिल्ली: राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्।
4. श्रीधरनाथ (1960). **भारत में शिक्षा,** बड़ौदा: आर्य बुक डिपो।
5. भादू राजाराम (2003). **शिक्षा के सामाजिक सरोकार,** पंचकूल: आधार प्रकाशन।
6. नाइक जे.पी. (1998). **भारत में प्राथमिक शिक्षा: शेष संकल्प,** हिन्दी अनु. सरला मोहन, बीकानेर: वाग्देवी, प्रकाशन।
7. दुबे, श्यामचरण (2000). **शिक्षा, समाज और भविष्य,** नई दिल्ली: राधाकृष्णन प्रा.लि।
8. शर्मा, सुभाष (2004). **भारत में शिक्षा व्यवस्था: अवधारणाएँ, समस्याएँ एवं संभावनाएँ,** नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन।
9. रावत, प्यारेलाल (1970). **भारतीय शिक्षा का इतिहास,** आगरा: रामप्रसाद एण्ड सन्स।
10. मलैया, के.सी. (1966). **तुलनात्मक शिक्षा,** इलाहाबाद: लोक भारती प्रकाशन।

ISBN - 13/978-81-8496-049-5